28वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2013-2014

सुदृढ़ भविष्य के लिए सहबद्धता का ऊर्जस्वन

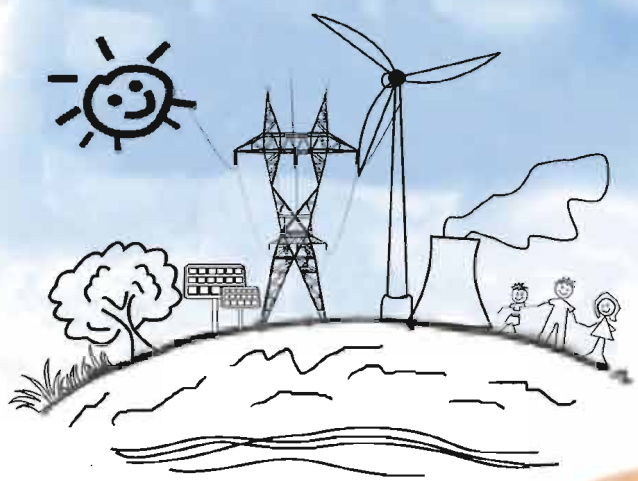

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पी एफ सी
PFC

विजन

भारत और विदेश में विद्युत एवं उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों की प्रत्येक आयामीय श्रृंखला में एक अग्रणी संस्थागत भागीदार बनना ।

मिशन

पीएफसी सर्वाधिक अधिमान्य वित्तीय संस्थान होगा और इसके लिए उसका साध्य है : दक्ष एवं अंतरराष्ट्रीय रूप से एकीकृत स्रोतीकरण तथा सेवा प्रदान करने के साथ–साथ वहनीय और प्रतियोगी उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करना, भारतीय विद्युत क्षेत्र में होने वाले सुधारों में अपनी भागीदारी करना और अपने स्टेकधारकों का मान्य संवर्धन करना; भारत एवं विदेश में विद्युत एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यक्षम निवेश को बढ़ावा देना।

हम यह लक्ष्य सिद्धि कर सकेंगे क्योंकि हम एक ऊर्जस्वित, समंजनीय, अग्रदृष्टा, विश्वस्त, सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन हैं, अपने स्टेकधारकों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं, अपने कार्यों में पारदर्शिता एवं एकनिष्ठा के कारण सदा–सर्वदा लाभप्रद एवं चिरस्थायी हैं ।

विषय-सूची

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य 06

निदेशक प्रोफाइल 12

निदेशक रिपोर्ट 14

प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट 37

कॉर्पोरेट शासन संबंधी रिपोर्ट 41

कॉर्पोरेट शासन संबंधी प्रमाण–पत्र 56

व्यापारिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 57

तुलन–पत्र 68

लाभ–हानि लेखा 69

नकदी प्रवाह विवरण 113

लेखापरीक्षक रिपोर्ट 115

गैर–बैंकिंग कंपनियों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट 119

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ 120

समेकित तुलन–पत्र 121

समेकित लाभ एवं हानि लेखा 122

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 171

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक रिपोर्ट 173

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसरण में विवरण 175

सहायक कंपनियां 177

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय

'ऊर्जानिधि'
1, बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
फोन नं. : (91)(11) 23456000
Website: http://www.pfcindia.com

सहायक कंपनियाँ

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड

पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसिस लिमिटेड

पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजरी प्राइवेट लिमिटेड

छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
(पूर्व नाम अकलतारा पावर लिमिटेड)

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड

उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड

साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड

घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड

तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड

देवघर मेगा पावर लिमिटेड

चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड

उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड

डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

शेयर निम्नलिखित में सूचीबद्ध

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

डिपॉजिटरी

नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिस (इंडिया) लिमिटेड

कंपनी सचिव

श्री मनोहर बलवानी

लेखापरीक्षक

मै. एन. के. भार्गव एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

मै. के. बी. चंदन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
"कार्वी हाउस",
46, एवेन्यू 4, स्ट्रीट नं. 1, बंजारा हिल्स,
हैदराबाद–500034, भारत
फोन : 91 40 23312454
टोल फ्री : 1800 4258282
फैक्स : 91 40 23311968
ई–मेल : einward.ris@karvy.com
वेबसाइट : www.karvycomputershare.com

बैंकर्स

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ इंडिया

आईसीआईसीआई बैंक

एचडीएफसी बैंक

आईडीबीआई बैंक

कार्य निष्पादन : एक झलक

	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
I	**संसाधन**					
	(वर्ष की समाप्ति पर) (₹ करोड़ में)	1148	1148	1320	1320	**1320**
	इक्विटी पूंजी	663	452	376	146	**124**
	भारत सरकार से ब्याज सब्सिडी निधि	12113	14035	19388	22734	**26055***
	संचित एवं अधिशेष					
	ऋण :					
	(i) विदेशी मुद्रा ऋण (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	2759	4963	5590	8424	**8926**
	(ii) बॉण्ड	45801	56137	83920	105334	**126505**
	(iii) दीर्घकालिक रुपया ऋण	16223	18208	16545	17005	**22470**
	(iv) अल्पकालिक रुपया ऋण	2325	6291	4071	8820	**1314**
II	**वित्तीय प्रचालन**					
	(वर्ष के दौरान) (₹ करोड़ में)					
	मंजूर किए गए ऋण एवं अनुदान#	65465	75197	69024	78875	**65060**
	संवितरण ऋण एवं अनुदान#	25808	34122	41418	46368	**47802**
	ऋणकर्ताओं द्वारा पीएफसी को पुनर्भुगतान	8977	12119	9257	14929	**18822**
	पीएफसी द्वारा लैंडर्स को पुनर्भुगतान	7858	10394	14296	11304	**22231**
III	**कार्यकारी परिणाम**					
	(वर्ष के लिए) (₹ करोड़ में)					
	प्रशासनिक व्यय	106	93	124^	139^	**163^**
	कर पूर्व लाभ	3013	3544	4104	5967	**7558**
	कर का प्रावधान (आस्थगित कर देयता सहित)	656	924	1072	1547	**2140**
	कर पश्चात् लाभ	2357	2620	3032	4420	**5418**
IV	**कार्मिकों की संख्या**	324	365	379	427	**446**

* वित्तीय वर्ष 2012–13 तक विदेशी मुद्रा नीट्रिक नद ट्रांसलेशन परिवर्तन खाता को तुलन–पत्र के मुख पृष्ठ पर, परिसंपत्तियों की ओर अलग से लाइन आइटम के रूप में दिखाया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 से इसे रिजर्व और अधिशेष के अंतर्गत दिखाया गया है।

#आर–एपीडीआरपी (भाग क एवं ख) के अंतर्गत संस्वीकृतियां एवं संवितरण शामिल है।

^कार्मिक एवं अन्य व्यय सहित

वित्तीय विशेषताएं

₹ करोड़ में

31.03.2014 को

23%
₹5418 करोड़
निवल लाभ

34%
₹8480 करोड़
निवल ब्याज आय

25%
₹21,537 करोड़
कुल आय

18%
₹1,89,231 करोड़
ऋण परिसंपत्तियां

3%
₹47,802 करोड़
संवितरण
(आर–एपीबीआरपी सहित)

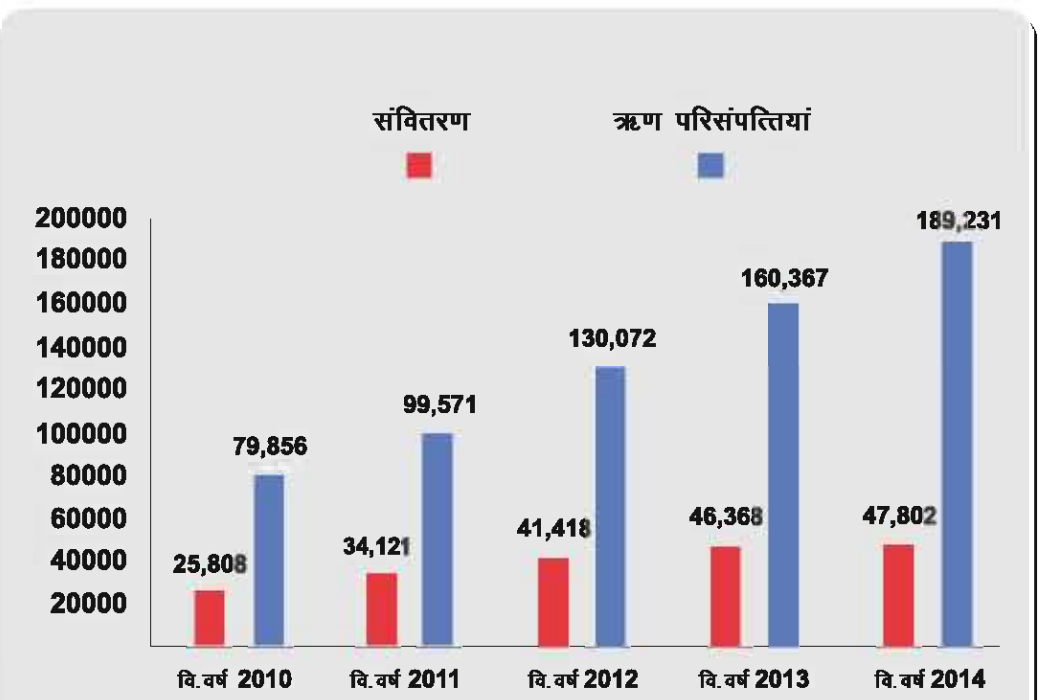

संवितरण – ऋणकर्ता–वार

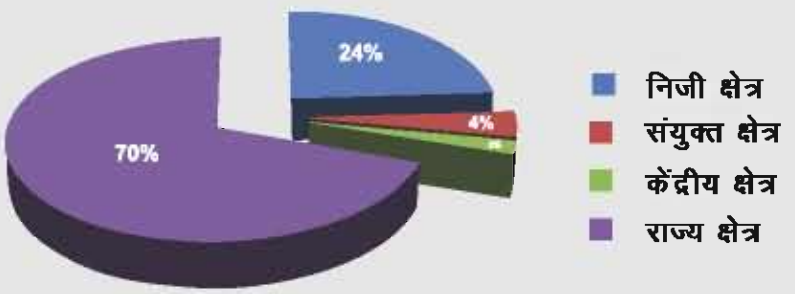

2013-2014

₹ करोड़ में

31.03.2014 को

23%
(₹41.04)
प्रति शेयर अर्जन

12%
₹25,098 करोड़
नेटवर्थ

4.94%
(53 बीपीएस अधिक)
निवल ब्याज मार्जिन

3.45%
(59 बीपीएस अधिक)
ब्याज स्प्रैड

संवितरण – विषय–वार

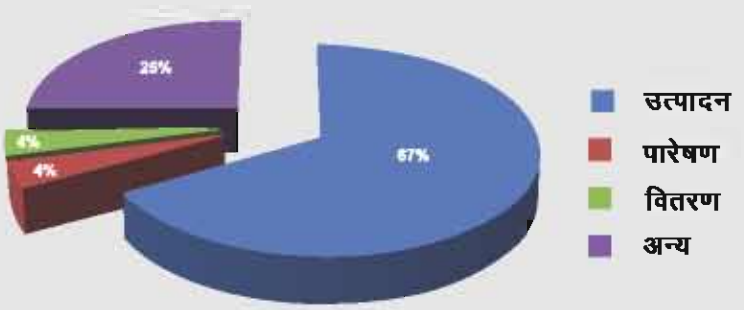

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

देवियो और सज्जनो,

आपकी कंपनी की 28वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत है। वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान आपकी कंपनी के कार्य–निष्पादन की जानकारी साझा करने से पहले मैं इसे प्रचालनगत परिवेश के संदर्भ में प्रस्तुत करुँगा। वित्तीय वर्ष 2014 में जहाँ 4.7% का न्यूनतर आर्थिक विकास रहा, वहीं मुद्रास्फीतिगत दबाव अधिक रहे, रुपया अब तक के न्यूनतम स्तर तक गिर गया तो चालू खाता घाटा बहुत बढ़ गया । साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा आर्थिक गति को मंथर करने के संकेत दिखे। दूसरी ओर, भारतीय विद्युत क्षेत्र को ईंधन की कमी तथा डिस्कॉम (डीआईएससीओएम) की कमजोर आर्थिक स्थिति जैसी जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण परिसंपत्तियों पर दवाब के कारण, इसके कर्ताओं को भारी हानि उठानी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप उद्योग क्षेत्र में एनपीए में वृद्धि देखी गई। इन प्रतिकूल परिस्थितियों और इस क्षेत्र की समस्याओं के बावजूद, इस बात को आपके साथ साझा करने में मुझे प्रसन्नता है कि आपकी कंपनी ने बेहतर वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी कार्य–निष्पादन के साथ अपने व्यापार में निरंतर वृद्धि दर्ज की है। वास्तव में, इस वित्तीय वर्ष में आपकी कंपनी ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित समझौता–ज्ञापन के सभी लक्ष्यों को पूरा कर लिया है। आपकी कंपनी का सशक्त कार्य–निष्पादन भारतीय विद्युत क्षेत्र में व्यापारिक मॉडल एवं चुनौतियों से निपटने में प्रभावी प्रबंधन क्षमता की सामर्थ्य को दर्शाता है।

इन सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी, इस वर्ष आपकी कंपनी ने परिसंपत्तियों में ठोस वृद्धि दर्शाते हुए तथा उच्च मार्जिन के साथ उल्लेखनीय लाभ कमाया है। उद्योग में बढ़ते हुए एनपीए के बावजूद आपकी कंपनी ने ऋण परिसंपत्तियों के 0.52% से कम एनपीए को बनाए रखा है। भारत की सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में से अपने आप को बेहतर स्थिति में पाने पर आपकी कंपनी गर्व महसूस करती है। अन्य उद्योगों की तुलना में हमारी कंपनी सबसे कम समय में, सबसे सफल तथा अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी बनी हुई है। पीएफसी का प्रत्येक कार्मिक औसतन 14 करोड़ रु. का लाभ सृजित करता है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जिस पर हम सभी को गर्व है। युवा कंपनी होने के नाते हमारे सामने अब भी अनेक चुनौतियां हैं, फिर भी यह कंपनी भविष्य की चुनौतियों के साथ–साथ व्यावसायिक कार्य–निष्पादन को निरंतर जारी रखने हेतु तैयार है।

अर्थव्यवस्था

विगत कुछ वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। दुनिया भर में आर्थिक मंदी के साथ भारत में भी व्यावसायिक रूझानों में उसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव की आशा स्वाभाविक थी। इसके बावजूद बड़ी खबर यह है कि अर्थव्यवस्था अनेक महत्वपूर्ण सूचक, चिह्नित सुधार दर्शाते हुए पटरी पर पुनः लौटने के संकेत पहले ही दे चुकी है। नई और स्थाई सरकार के सत्ता में आने से, यहां तक कि, निकट भविष्य में परिस्थितियों में सुधार होना सुनिश्चित है।

विदेशी निवेशकों के लिए भारत दुनिया के सबसे आकर्षक बाजारों में से एक बना हुआ है। पश्चिमी देशों की बेहतर लाभ दर के बावजूद, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), भारत की वृद्धि दर पर बड़ा दांव लगाते हुए इस देश में निरंतर पूंजी निवेश कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में आए इस पुनर्जीवन के साथ–साथ सकारात्मक व्यापारिक रुझान से अर्थव्यवस्था निरंतर वद्धि की ओर बढ़ रही है।

जून में नई सरकार द्वारा पेश किए केंद्रीय बजट में सरकार की आय बढ़ाने तथा घाटे के आंकडों को कम करने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। नई सरकार ने आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता के साथ आगे ले जाने के लिए आधारभूत अवसंरचना को चिह्नित किया है।

विद्युत क्षेत्र : परिदृश्य

नई सरकार ने सभी के लिए 24x7 विद्युत की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास का अपना इरादा पहले ही स्पष्ट कर दिया है। भारतीय विद्युत क्षेत्र की वृद्धि हेतु केंद्रीय बजट में घोषित उपायों में शामिल हैं: (1) इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कर में छूट का लाभ (2) एटी एवं सी हानियों में सुधार के उपाय (3) कोयले की कमी को दूर करने के लिए कोयला संपर्कों को युक्तिसंगत बनाने के लिए अभिव्यक्त आशय और (4) नवीकरणीय ऊर्जा को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के उपाय।

उद्योग की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत क्षेत्र की मूलभूत चुनौतियों जैसे ईंधन की कमी तथा डिस्कॉम की कमजोर माली हालत में सुधार के लिए अन्य सकारात्मक विकास निम्नवत हैं :–

- कोयले की ढुलाई को अभीष्टतम बनाने के लिए कोयला संपर्कों को युक्तिसंगत बनाने का कार्य प्रगति पर है।
- पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया को समन्वित ढंग से गति प्रदान करने के लिए एमओईएफ एवं एमओपी द्वारा संयुक्त रूप से समीक्षा की गई है।
- कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से एमओईएफ ने नए दिशा–निर्देश जारी किए हैं।
- कोयले की उपलब्धता की निगरानी सरकार में उच्च स्तर पर की जा रही है।
- भूमि अधिग्रहण में तत्परता लाने के लिए सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रही है।
- सीआईएल एवं सहायक कंपनियां व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियों के प्रयोग एवं कोयला ब्लॉकों के विकास की सख्त निगरानी द्वारा कोयला उत्पादन की अभिवृद्धि के लिए कार्य कर रही हैं।
- गैस की कमी के कारण बंद विद्युत परियोजनाओं को प्राइस पूलिंग मैकेनिज्म द्वारा पुनः चालू कराने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
- इस क्षेत्र के लिए विगत 3 वर्षों में राज्यों द्वारा नियमित रूप से टैरिफ वृद्धि बहुत ही सकारात्मक कदम है।
- विद्युत आपूर्ति, कम नकद हानियों तथा मासिक आधार पर सब्सिडी के अपफ्रंट भुगतान में उल्लेखनीय सुधार दर्शाने वाले एफआरपी राज्यों में एफआरपी पैकेज के लाभ दृष्टव्य हैं।
- भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना – पुनर्गठित–त्वरित विद्युत विकास और सुधार योजना कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी) अच्छे से चल रही है, जिसका उद्देश्य एटी एवं सी हानियों को 15% से नीचे ले जाना है।
- सुधार एवं कार्य–निष्पादन के लिए डिस्कॉम को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2013 से डिस्कॉमों की वार्षिक रेटिंग की जा रही है, जिसे बैंक/एफआई द्वारा डिस्कॉम को फंड देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।
- 2021–22 तक राष्ट्रीय स्तर पर एटी एवं सी हानियों को 25% से घटाकर 15% तक लाने हेतु सरकार द्वारा हानि कटौती लक्ष्यों (लॉस रिडक्शन ट्रैजेक्टरी) को अंतिम रूप दिया गया है।

नई सरकार ने अनेक उपायों द्वारा विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों को हल करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मुझे विश्वास है कि विद्युत टैरिफ में नियमित वृद्धि, एटी एवं सी हानियों में कमी तथा ईंधन की उपलब्धता में सुधार से विद्युत क्षेत्र की प्रगति बरकरार रहेगी। इसीलिए मैं आशावान् हूँ कि जो भी बुरा था, वह पीछे रह गया है और विद्युत क्षेत्र नई करवट लेकर आगे बढ़ रहा है ।

कार्य–निष्पादन संबंधी मुख्य–बिंदु

दुष्कर परिवेश के बावजूद आपकी कंपनी ने एक और साल महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। वित्तीय वर्ष 2014 का निवल लाभ 23% बढ़कर रू. 4420 करोड़ से रू. 5418 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो ऋण परिसंपत्तियों में 18% की वृद्धि होने से ये 1,60,396 करोड़ रु. से बढ़कर रु. 1,89,231 करोड़ हो गई हैं तथा 59 आधारभूत बिन्दुओं के साथ मार्जिन (ब्याज विस्तार) 2.86% से बढ़कर 3.45% तक हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2014 में उल्लेखनीय लाभ को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने 88% के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया, जो विगत वित्तीय वर्ष के अंतरिम लाभांश से 1.5 गुणा अधिक है। इसके अतिरिक्त अंतिम लाभांश के रूप में 2% के अतिरिक्त लाभांश का प्रस्ताव दिया गया है। इसलिए आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014 के लिए अपने शेयरधारकों को 90% लाभांश का भुगतान करने का प्रस्ताव दिया है।

इस वित्तीय वर्ष में अस्थिर ब्याज दर एवं विदेशी विनिमय (फॉरेक्स) बाजार के बावजूद आपकी कंपनी 8.96% (5,000 करोड़ रुपए के आयकर मुक्त बॉण्ड सहित) की मार्जिनल लागत पर फंड की लागत को प्रतिस्पर्धात्मक रखते हुए 45,220 करोड़ रु. जुटाने में सफल रही।

हालांकि जब उद्योगों में एनपीए बढ़ने का रूझान था, उस समय आपकी कंपनी इसे निचले स्तर पर बनाए रखने में सफल रही। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार सकल एनपीए का स्तर गत वित्तीय वर्ष में 07.1% से घटकर 0.65% तक आ गया तथा विगत वित्तीय वर्ष में निवल एनपीए का स्तर 0.63% से घटकर 0.52% हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2014 में अर्थव्यवस्था एवं विद्युत क्षेत्र की प्रतिकूलता के बावजूद भी व्यापार वृद्धि प्रभावित नहीं हुई और आपकी कंपनी इसी वित्तीय वर्ष के दौरान 59,000 करोड़ रुपए के स्थान पर 60,729 करोड रू. की ऋण संस्वीकृतियां प्रदान करने में सफल रही तथा 47,000 करोड़ रू. की तुलना में 47,162 करोड़ का ऋण संवितरित किया। इसके साथ–साथ हमारे पास 1.56 लाख करोड़ रु. (अर्थात वित्तीय वर्ष 2014 में किए गए संवितरण की तुलना में तीन गुना अधिक) की बकाया ऋण संस्वीकृतियां हैं। इससे ज्ञात होता है कि हमारा व्यापार ठोस ढंग से आगे बढ़ रहा है।

व्यापार के अन्य मुख्य–बिंदु

1. पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)–पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी

आपकी कंपनी पीएफसीसीएल के जरिए विद्युत क्षेत्र को परामर्श सेवाएं प्रदान करती रही है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, पीएफसीसीएल द्वारा 80 असाइनमेंट को शामिल करते हुए 21 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में फैले 43 ग्राहकों को परामर्श सेवाएं प्रदान की गईं। वित्तीय वर्ष 2014 में पीएफसीसीएल की कुल आय 55.19 करोड़ रू थी, जबकि पूर्व वित्तीय वर्ष में यह आय 36.49 करोड़ रु. थी। पूर्व वित्तीय वर्ष में 16.38 करोड़ रू. के निवल लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014 में पीएफसीसीएल ने 26.96 करोड़ रू. का मुनाफा कमाया।

2. नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसी जीईएल), पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जिसने मार्च 2013 में अपना व्यावसायिक कार्य आरंभ किया। वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान पीएफसी जैल ने अपने पहले वर्ष में ही 55 मेगावाट क्षमता वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु 304 करोड़ रु. का ऋण संस्वीकृत करके 25 करोड़ रू. के ऋण का संवितरण किया, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तपोषण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एसएमईआरए रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पीएफसी जीईएल को एसएमईआरए एएए (आईआर) का सर्वोत्कृष्ट रेटिंग सम्मान दिया गया है। पीएफसी जैल ने नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं तथा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड/इरेडा (आईआरईडीए) के साथ मई, 2014 में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान आपकी कंपनी ने कुल 247 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए 846 करोड़ रू. संस्वीकृत किए तथा राज्य एवं निजी क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 457 करोड़ रुपए का संवितरण किया।

3. पीएफसी कैपिटल एडवायज़री सर्विसेज लिमिटेड (पीएफसीसीएएस)–पीएफसी लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी

आपकी कंपनी ने सिंडिकेशन सर्विसिज के साथ–साथ वित्तीय सलाहकार सेवाओं संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिज लिमिटेड को दिनांक 18 जुलाई, 2011 को अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया था। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार पीएफसीसीएएस ने 5300 मेगावाट क्षमता वाली 7 परियोजनाओं से संबद्ध कुल मिलाकर 5000 करोड रु. मूल्य का सिंडिकेशन व्यापार हासिल कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान, पीएफसीसीएएस ने 1060 करोड़ रू. की ऋण संस्वीकृति की व्यवस्था करते हुए अपने प्रचालन को आरंभ किया तथा इस ऋण की जिम्मेदारी पीएफसी की है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं में पीएफसी का सहयोग

भारतीय विद्युत क्षेत्र के सतत विकास में भारत सरकार के प्रयासों में आपकी कंपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने पीएफसी के उल्लेखनीय रिकॉर्ड को मान्यता देते हुए इस प्रयास में हमें विद्युत क्षेत्र के पुनर्गठित–त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी), अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपीएस) एवं स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपीएस) के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया है।

1. पुनर्गठित–त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी)

वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान, आर–एपीडीआरपी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में नोडल एजेंसी के रूप में आपकी कंपनी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, भाग क एवं भाग ख के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं को 38,089 करोड़ रू. की संस्वीकृति दी गई है, जिसमें से 7360 करोड़ रू. राज्यों के डिस्कॉमों को पहले ही संवितरित किया जा चुका है। दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार कुल मिलाकर 1372 गांवों में रिंग फेंस और 1251 गांवों में बेसलाइन एटी एवं सी हानियों को स्थापित किया जा चुका है। वितरण प्रणाली को आईटी समर्थ बनाने हेतु भाग क एवं भाग ख के अंतर्गत 509 कस्बों को 'गो–लाइव' घोषित किया गया है। आपकी कंपनी ने समझौता ज्ञापन में निर्धारित किए अनुसार 6000 श्रम दिवसों के लक्ष्य की तुलना में 25800 श्रम दिवसों के लिए विद्युत क्षेत्र के कार्मिकों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान कर क्षमता निर्माण को सुकर बनाया है ।

2. अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी)

प्रत्येक 4000 मेगावाट की क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा आपकी कंपनी को 'नोडल एजेंसी' के रूप में नामित किया गया है। ऐसी ही, 16 यूएमपीपी को चिह्नित किया गया है, जिसमें से 4 परियोजनाओं को सफल बोली लगाने वालों (बिडर) को हस्तांतरित किया गया है, 2 परियोजनाएं आरएफपी चरण पर हैं, 9 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों पर हैं तथा 1 परियोजना को निरस्त किया जा चुका है।

डेवेलपरों की विभिन्न चिंताओं के समाधान के पश्चात सरकार ने केस 2 बोली प्रक्रिया के लिए एक नया मॉडल बोली दस्तावेज (एमबीडीएस) तैयार किया है; जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ईंधन की व्यवस्था ('पास–थ्रू') है। नोडल एजेंसी के रूप में पीएफसी ने नए मॉडल बोली दस्तावेजों के आधार पर 2 यूएमपीपी अर्थात ओडिशा यूएमपीपी एवं चेयूर यूएमपीपी तमिलनाडु की बोली प्रक्रिया संपन्न कराई और बोली लगाने वालों की ओर से बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।

3. स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं (आईटीपी)

विद्युत मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की सहभागिता से पारेषण प्रणाली के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु शुल्क आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया (बिडिंग) भी आरंभ की है। आपकी कंपनी इन स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (बिड प्रोसेज कोआर्डिनेटर) के रूप में कार्य कर रही है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, 12 विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 2 पीएफसी तथा शेष 10 पीएफसी की पूर्ण स्वामित्व वाली पीएफसीसीएल द्वारा आईटीपी हेतु स्थापित किए गए हैं। इनमें से 8 एसपीवी पहले ही सफल बोली लगाने वालों को हस्तांतरित किए जा चुके हैं, 1 का अधिनिर्णय किया जा चुका है, 2 प्रक्रिया के अधीन है तथा 1 आईटीपी का परिसमापन (लिक्विडेशन) किया गया था।

4. आपकी कंपनी द्वारा विद्युत क्षेत्र की रिपोर्टें

- **"राज्य विद्युत कंपनियों के कार्य–निष्पादन पर" पीएफसी की वार्षिक रिपोर्ट** –आपकी कंपनी द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में इस क्षेत्र की प्रगति एवं चिंताओं को मुख्य रूप से दर्शाते हुए विद्युत कंपनियों के वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी कार्य–निष्पादन का व्यापक विश्लेषण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013 के लिए इस रिपोर्ट के 11वें अंक को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है।

- **राज्य विद्युत कंपनियों पर पीएफसी की त्रैमासिक अनुसंधान रिपोर्ट**–आपकी कंपनी द्वारा प्रकाशित इस त्रैमासिक रिपोर्ट में विभिन्न राज्य विद्युत कंपनियों के मुख्य प्रचालन, वित्तीय पैरामीटरों एवं सुधार की स्थिति का सार प्रस्तुत किया गया है। जनवरी से मार्च, 2014 की नवीनतम तिमाही रिपोर्ट जारी की गई थी।

- **डिस्कॉमों की वार्षिक रेटिंग**– सुधार एवं कार्य–निष्पादन की दिशा में डिस्कॉमों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2013 से डिस्कॉमों की एक वार्षिक रेटिंग कराई जा रही है, जिसका समन्वय आपकी कंपनी द्वारा किया जाता है। इस वार्षिक रेटिंग में प्रचालन, वित्तीय, नियामक एवं सुधार से संबद्ध समान पैरामीटरों के आधार पर डिस्कॉमों के समस्त कार्य–निष्पादन को शामिल किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013 के वित्तीय खातों के आधार पर दूसरी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। उक्त पैरामीटरों पर डिस्कॉमों द्वारा जिन कार्यों का निष्पादन/अनुपालन नहीं किया गया है, उनसे न केवल इसकी रेटिंग बल्कि बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों (एफआईएस) द्वारा इनकी फंडिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि डिस्कॉमों को फंड उपलब्ध कराते समय वे इन रेटिंग का प्रयोग करते हैं।

  आपकी कंपनी द्वारा प्रकाशित विद्युत क्षेत्र की रिपोर्ट का प्रयोग सुधारात्मक एवं सक्रिय (प्रो–एक्टिव) उपायों हेतु सभी स्टेकहोल्डर जैसे नीति निर्माताओं, डेवेलपर, ऋणदाताओं, इक्विटी विश्लेषकों, विनियामकों इत्यादि द्वारा व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।

अन्य पहल

निगमित शासन

आपकी कंपनी का मानना है कि निगमित शासन के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन व्यवहार की परिपाटी, कानून की मूल भावना के अनुरूप उसका अनुपालन, प्रभावी प्रबंधन हेतु आचरण, संबंधित मानकों का अनुपालन तथा समस्त स्टेकहोल्डर के सतत् विकास हेतु सामाजिक उत्तरदायित्व का आवश्यक रूप से निर्वहन शामिल हैं ।

कंपनी के कार्यों को आगे बढ़ाने तथा लंबी अवधि तक इसके विकास एवं लाभ को बनाए रखने के लिए बोर्ड एवं उच्च प्रबंधन के कार्यों का सम्मान करते हुए सभी स्टेकहोल्डर के हितों की रक्षा करना ही आपकी कंपनी के निगमित शासन का सिद्धांत के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। कंपनी का निगमित ढांचा, व्यवसाय एवं प्रकटन (डिस्क्लोजर) की परिपाटी को इसके निगमित शासन के सिद्धांतों में शामिल कर लिया गया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

आपकी कंपनी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन, विकास के अपने सिद्धांत के एक अंग के रूप में करती है। सामाजिक कल्याण के प्रति आपकी कंपनी का प्रयास, जिम्मेदार निगमित नागरिक के रूप में कार्य करने का रहा है।

वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान, वित्तीय वर्ष 2013 के कर के पश्चात लाभ (पीएटी) के 1% के बराबर की राशि (अर्थात करीब 44 करोड़ रुपए) सीएसआर एवं एसडी कार्यकलापों पर खर्च करने के लिए आपकी कंपनी और भारत सरकार के बीच समझौता – ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं । यह निधि मुख्यतः सामाजिक कार्यों जैसे कौशल प्रशिक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों के राहत एवं पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करना, आदि के क्षेत्र में संवितरित किया गया।

आगामी रणनीति

आपकी कंपनी का इरादा विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा भारतीय विद्युत क्षेत्र में अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत करने हेतु अपनी प्रमुख दक्षता (कोर कंपीटेंस) पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके अतिरिक्त, पीएफसी का इरादा भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों में भागीदारी करके भारतीय विद्युत क्षेत्र में सुधार को बनाए रखना है । इन स्कीमों का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र का सतत विकास है । इसलिए आपकी कंपनी दोहरी भूमिका निभा रही है : विद्युत क्षेत्र का वित्त–पोषण और इस क्षेत्र में सुधार।

विद्युत क्षेत्र में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीएफसी जैल द्वारा नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आपकी कंपनी लगातार प्रयासरत है। आपकी कंपनी का उद्देश्य भारत में नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं के लिए पीएफसी जैल को मुख्य वित्तपोषक के रूप में परिवर्तित करना है। इसके अतिरिक्त, चूंकि निजी क्षेत्र की ओर से क्षमता में निरंतर अभिवृद्धि हो रही है, ऐसे में यदि एक्सपोजर की बाध्यता हो तो, फंडिंग बैंक/एफआई समूहों द्वारा की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए लोन सिंडिकेशन सर्विसिज उपलब्ध कराने के लिए आपकी कंपनी ने पहले ही पीएफसी कैस का गठन कर दिया है। शुल्क आधारित आय को और अधिक बढ़ाने के लिए पीएफसीसीएएस सिंडिकेशन सर्विसिज के अतिरिक्त परामर्श सेवाओं में अपने प्रचालन का विस्तार करना चाहता है। तीव्र आर्थिक विकास हेतु भारतीय विद्युत क्षेत्र के सतत् विकास के दीर्घकालिक उद्देश्य से आपकी कंपनी सहयोगी क्षेत्रों में भी अपने प्रचालन के विस्तार की संभावनाओं पर विचार कर रही है।

आज दुनिया में निगमित शासन एक महत्वपूर्ण पहलू है। आपकी कंपनी निगमित शासन के उत्कृष्ट मानदंड को स्वतः बनाए रखती है तथा सशक्त एवं प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रणाली द्वारा इसे पूरा करती है। सहक्रिया का ऐसा दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने व्यवसाय को निरंतर बढ़ाने के लिए प्रभावी तौर–तरीकों की तलाश करते हैं, फिर भी हम नीतिगत ढंग से इसका सख्त अनुपालन भी करते हैं।

नया कंपनी अधिनियम लागू होने से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ गया है। पीएफसी का मानना है कि सामाजिक उन्नति के लिए कार्य करना विशेषाधिकार है, जो आपकी कंपनी ने विगत कुछ वर्षों से सीएसआर के कार्य क्षेत्र में परिलक्षित किया है। दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी ने सीएसआर पर कुल मिलाकर 88.27 करोड़ रू. खर्च किए हैं।

सुदृढ़ भविष्य के लिए सहबद्धता का ऊर्जस्वन

आभार

जब अर्थव्यवस्था और विद्युत क्षेत्र दोनों ही बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे थे, उस परीक्षा की घड़ी में भी हमारी कंपनी की उपलब्धि अच्छी रही है। मैं अपने सबसे बड़े स्टेकहोल्डर, विद्युत मंत्रालय को विपरीत परिस्थितियों में उनके सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इस वर्ष हमने जो उपलब्धि पाई है, उनके सहयोग के बिना वह नहीं पाई जा सकती थी। कंपनी के निदेशक मंडल, शेयरधाकरकों तथा निवेशकों के सहयोग और उन्होंने साल–दर–साल जो हम पर विश्वास जताया है, उसके लिए हमारी कंपनी वास्तव में आभार व्यक्त करती है।

इस अवसर पर माननीय विद्युत, कोयला तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री, विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक उद्यम विभाग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज, योजना आयोग, सीईए, सी एंड एजी, सांविधिक लेखापरीक्षक तथा केन्द्र एवं राज्य स्तर के सरकारी विभागों/एजेंसियों के अधिकारियों तथा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थानों/बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, पंजीयकों और अन्य एजेंसियों के सतत् सहयोग के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रति मैं अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारी उपलब्धियों को ईमानदारीपूर्वक तथा बिना किसी पूर्वाग्रह के मीडिया में कवरेज देते हुए शेयरधारकों का विश्वास हममें कायम रखने में हमारी मदद की।

आपकी कंपनी ने सफलता का जो मुकाम आज हासिल किया है, वह प्रेरणा और समर्पणयुक्त कार्मिकों के प्रचुर सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाता। इस समीक्षाधीन वर्ष में, कंपनी का कार्य–निष्पादन पूरे पीएफसी परिवार की कड़ी मेहनत, लगन और प्रतिबद्धता का सूचक है। इस उपलब्धि में बोर्ड के मेरे सहकर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसकी मैं सराहना करता हूँ।

हमारी कंपनी में विश्वास बनाए रखने और बहुमूल्य सुझाव देने के लिए अपने सम्मानित ग्राहकों का मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ और उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। हमारे कार्य–निष्पादन को बेहतर बनाने में इससे हमें निश्चित रूप से बहुत मदद मिली है। मैं आशा करता हूँ कि आगामी वर्षों में यह साझेदारी और भी सशक्त होगी।

एक बार मैं पुनः उन सभी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारी इस सफलता में योगदान दिया है और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वे हमें अपना सहयोग और मागदर्शन देते रहेंगे।

एम. के. गोयल

(एम.के. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक प्रोफाइल

निदेशक प्रोफाइल

श्री एम. के. गोयल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (वाणिज्यिक)

57 वर्षीय श्री मुकेश कुमार गोयल, पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हैं। सीएमडी के रूप में वे कंपनी के प्रमुख हैं तथा कंपनी के सभी कार्यकलापों के लिए अपना रणनीतिक मार्गदर्शन और दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। इसके अलावा वे कंपनी के निदेशक (वाणिज्यिक) भी हैं और वाणिज्यिक प्रभाग के प्रचालन का पर्यवेक्षण करते हैं।

श्री गोयल कानपुर विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी में स्नातक हैं और विद्युत इंजीनियरी में उनकी विशेषज्ञता है। श्री गोयल को केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसयू) में विद्युत के विविध क्षेत्रों का लगभग 35 वर्ष का अनुभव है। उन्हें विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण का 25 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है, जिसमें से 7 वर्ष का अनुभव बोर्ड स्तर पर कार्य करने का है। उन्हें एनएचपीसी में विद्युत उत्पादन का भी 9 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

उनके नेतृत्व में पीएफसी ने कठिन आर्थिक वातावरण और विद्युत क्षेत्र के जटिल मुद्दों के बावजूद भी बेहतर वित्तीय और प्रचालनात्मक निष्पादन के साथ लगातार व्यापार वृद्धि और लाभप्रदता दर्शाई है। इसके परिणामस्वरूप पीएफसी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समझौता ज्ञापन के सभी लक्ष्यों को हासिल किया है। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के व्यापार को तेजी से बढ़ाने और पीएफसी की सहायक कंपनियों के जरिए पीएफसी के निष्पादन के पूरक के रूप में ऋण सिंडिकेशन का व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की है।

वे विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयत्नशील रहे हैं और भारत सरकार के एक फ्लैगशिप सुधार कार्यक्रम–पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी), वितरण कंपनियों (डिसकॉम) की वार्षिक रेटिंग कार्रवाई, एफआरपी आदि के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे हैं। वे नए मॉडल बोली दस्तावेजों के साथ उड़ीसा और चेय्यूर यूएमपीपी के कार्य में काफी सक्रिय रहे और इसके फलस्वरूप बोलीकर्ताओं से बेहतर रुझान प्राप्त हुए।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार श्री एम. के. गोयल के पास कंपनी के 12389 इक्विटी शेयर थे।

श्री आर. नागराजन

निदेशक (वित्त)

57 वर्षीय श्री राधाकृष्णन नागराजन वाणिज्य में स्नातक हैं और अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, लागत लेखाकार और इंडियन एसोसिएशन ऑफ बैंकर्स के एसोसिएट सदस्य हैं। श्री नागराजन को आंध्रा बैंक और पीएफसी में विभिन्न पदों पर काम करते हुए तीन दशक से अधिक का अनुभव है। उन्होंने 1995 में पीएफसी में कार्यभार ग्रहण किया था और जुलाई, 2009 में कंपनी के निदेशक बोर्ड में शामिल होने से पहले जनवरी, 2008 तक कार्यपालक निदेशक (वित्त) के पद पर कार्य कर रहे थे।

पीएफसी में कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री नागराजन आरंभिक पब्लिक ऑफर (आईपीओ), संसाधनों का दोहन, बैंकिंग, राजकोष, संवितरण, वसूली, आंतरिक लेखापरीक्षा, पावर एक्सचेंज, परिसंपत्ति देयता और जोखिम प्रबंधन आदि से संबंधित विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलाप देखते रहे हैं। निदेशक (वित्त) के रूप में वे कंपनी के वित्त प्रभाग के सभी कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार हैं।

वे परियोजना निगरानी सोसाइटी के अध्यक्ष और विश्व ऊर्जा परिषद के कोषाध्यक्ष भी हैं।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार श्री नागराजन के पास कंपनी के 26869 इक्विटी शेयर थे।

श्री ए. के. अग्रवाल

निदेशक (परियोजना)

57 वर्षीय श्री अनिल कुमार अग्रवाल ने एमएनआरईसी, इलाहाबाद से बी. ई. (इलेक्ट्रिकल) आनर्स की डिग्री प्राप्त की है। निदेशक (परियोजना) के रूप में वे राज्य और निजी क्षेत्र में वित्तीय प्रस्ताओं के मूल्यांकन, मंजूरी और संवितरण के लिए जिम्मेदार हैं जिसमें राज्य और निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों की उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं और वे कंसोर्टियम लेंडिंग और कोयला, गैस, ऑयल और उपस्कर विनिर्माण जैसे अग्रवर्ती और पश्चवर्ती संपर्कों पर अधिक ध्यान देते हुए पीएफसी का कारोबार बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

श्री अग्रवाल ने बीएचईएल और पीएफसी में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए विद्युत क्षेत्र में 35 वर्षों से भी अधिक समय तक कार्य किया है। बीएचईएल में वे उत्तर भारत में विभिन्न परियोजना स्थलों पर थर्मल पावर प्लांटों की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे। श्री अग्रवाल पीएफसी में विभिन्न पदों पर लगभग 23 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं और वे एडीबी /डब्ल्यूबी वित्तपोषण के अंतर्गत माल की खरीद, थर्मल मूल्यांकन, निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के निकाय मूल्यांकन, नवीकरणीय ऊर्जा, मंजूरी और संवितरण लक्ष्यों का निर्धारण और उनकी उपलब्धि, परियोजना प्रभाग के समन्वय संबंधी कार्यकलापों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। वे पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी पीएफसी जीईएल के सीईओ और ईईएसएल (पीएफसी का एक संयुक्त उद्यम) के अध्यक्ष का भी कार्य देख रहे थे।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार श्री अग्रवाल के पास कंपनी के 25859 इक्विटी शेयर थे।

श्री बी.एन. शर्मा

सरकार के नामिती निदेशक

55 वर्षीय श्री बी.एन. शर्मा वर्तमान में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उनके पास वित्तीय प्रबंधन में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्रियां हैं। वे राजस्थान कैडर के आईएएस हैं और उन्हें सिविल सेवा का लगभग 28 वर्ष का अनुभव प्राप्त है। विद्युत मंत्रालय में अपना पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने राजस्थान में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया है। श्री शर्मा ने राजस्थान में वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त, राजस्थान राज्य औद्योगिक और निवेश निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और

राजस्थान में वित्त विभाग तथा आरंभिक, उच्चतर और संस्कृत शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। इससे पहले उन्होंने राजस्थान के जयपुर, अलवर और टोंक जिलों में कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट और जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर के प्रबंध निदेशक और सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, जयपुर के रूप में भी कार्य किया है। श्री शर्मा ने विभिन्न कंपनियों के बोर्डों में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है, जिसमें राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि., राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि., राजस्थान, लघु उद्योग निगम लि., राजस्थान परिसंपत्ति प्रबंधन प्राइवेट लि., राजस्थान न्यासी कंपनी प्राइवेट लि. और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट लि. शामिल हैं।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार श्री बी.एन. शर्मा के पास कंपनी के एक भी इक्विटी शेयर नहीं थे।

श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार
स्वतंत्र निदेशक

64 वर्षीय श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार वाणिज्य में स्नातक और एक अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स हैं। वे नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि. (एनएलसी) के निदेशक (वित्त) के पद से सेवानिवृत्त हुए और नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में अपने कार्यकाल के दौरान उनके पास लगभग 6 माह तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार रहा। वर्तमान में वे जी.पी. रामचंद्रन एण्ड एसोसिएट्स (सीए फर्म) में एक भागीदार हैं।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार श्री जे. एन. प्रसन्ना कुमार के पास कंपनी के कोई इक्विटी शेयर नहीं थे।

श्री विजय मोहन कौल
स्वतंत्र निदेशक

63 वर्षीय श्री विजय मोहन कौल आईआईटी दिल्ली से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और उन्होंने एम. बी.ए. की भी डिग्री प्राप्त की है। श्री कौल को बहु–अनुशासनिक कार्यकलापों जैसे विद्युत और पारेषण परियोजनाओं का प्रबंधन, संयुक्त उद्यम (पीपीपी) परियोजनाओं की स्थापना, संविदा प्रबंधन और गुणवत्ता आश्वासन, मानव संसाधन प्रबंधन आदि के क्षेत्र में अग्रणी संगठनों जैसे पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., एनटीपीसी, इंजीनियर्स इंडिया लि. आदि में कार्य करने का 39 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वे मार्च, 2012 में पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के निदेशक (कार्मिक) के पद से सेवानिवृत्त हुए।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार श्री विजय मोहन कौल के पास कंपनी के कोई इक्विटी शेयर नहीं थे।

श्री योगेश चन्द्र गर्ग
स्वतंत्र निदेशक

50 वर्षीय श्री योगेश चन्द्र गर्ग वाणिज्य में स्नातक (ऑनर्स) हैं और उन्होंने विधि में स्नातक डिग्री प्राप्त की है। वे चार्टर्ड एकांउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं। 26 वर्ष के अपने व्यवसायिक कार्यकाल में उन्होंने लेखा परीक्षा, वित्त, आयकर, सेवा कर और अन्य वित्तीय विधियों से जुड़े मामलों में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सोसाइटियों और व्यापार स्थापना के अन्य फोरमों को परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं।

श्री गर्ग आईसीएआई के आईसीआरसी की गाजियाबाद शाखा के कार्यपालक सदस्य थे और उन्होंने कर बार असोसिएशन के सचिव और अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। वे परामर्शदाता, सलाहकार, लेखापरीक्षक और कार्यपालक समितियों के सदस्य के रूप में बहुत सी धर्मार्थ सोसाइटियों, गैर–सरकारी संगठनों से भी जुड़े हैं।

श्री गर्ग ने विभिन्न व्यवसायिक चर्चाओं में भाग लिया और व्यवसायिक कौशल तथा ज्ञान के विकास के लिए आयोजित सम्मेलनों और सेमिनारों में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा योगदान दिया।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार श्री योगेश चन्द्र गर्ग के पास कंपनी के कोई इक्विटी शेयर नहीं थे।

निदेशक रिपोर्ट 2013–14

सेवा में,

सदस्यगण,

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

मुझे निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के कार्य–निष्पादन पर 28वीं रिपोर्ट और लेखा–परीक्षित लेखों का विवरण, लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

1.0 वित्तीय विशेषताएं

(क) लाभप्रदता

(रु.करोड़ में)

विवरण	2013–14	2012–13
कर पूर्व लाभ	7558.31	5967.04
आयकर हेतु प्रावधानः कम (चालू वर्ष)	(–)2075.81	(–)1543.57
आयकर के लिए प्रावधानः कम (पूर्ववर्ती वर्ष)	(–)10.32	128.49
आस्थगित कर देयताः कम	(–)54.43	(–)132.36
कर पश्चात लाभ	5417.75	4419.60
सीएसआर तथा एसडी हेतु आरक्षित निधि	0.00	18.85
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viiक) (ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु आरक्षित निधि	321.43	250.40
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष रूप से सृजित और अनुरक्षित निधि	1464.74	1155.90
डिबेंचर मोचन हेतु आरक्षित निधि	271.23	219.06
अंतरिम लाभांश	1161.84	792.01
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	26.40	132.00
अंतरिम लाभांश पर प्रदत्त निगमित लाभांश कर	197.41	128.48
अंतिम लाभांश पर प्रस्तावित निगमित लाभांश कर	4.49	22.43
सामान्य आरक्षित निधि	542.00	442.00
तुलन–पत्र में अग्रेनीत शेष	1428.41	1258.47

(ख) लैडिंग ऑपरेशन

(रु.करोड़ में)

विवरण	2013–14	2012–13
संस्वीकृति	60729	75147
संवितरण	47162	45151

(ग) आर–एपीडीआरपी प्रचालन

(रु.करोड़ में)

विवरण	2013–14	2012–13
संस्वीकृत परियोजना लागत	4331	3728
संवितरण	640	1217

2.0 वित्तीय निष्पादन

2.1 राजस्व

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा ऐतिहासिक रूप से हासिल की गई कुल आय 21,537.46 करोड़ है जो गत वित्त वर्ष में 17,272.55 करोड़ की तुलना में 24.69% अधिक है।

इस वर्ष प्रचालन आय 17,266.14 करोड़ रुपए से बढ़कर 21,522.42 करोड़ रुपए हो गई है जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 24.65% अधिक है। वर्ष 2013–14 के लिए लीज आय सहित ब्याज से होने वाली आय 16,922.91 करोड़ रुपए से बढ़कर 20,978.71 करोड़ रुपए हो गई है।

2.2 व्यय

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 11,305.51 करोड़ रुपए के व्यय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल व्यय 13,979.15 करोड़ रुपए रहा। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान बॉण्ड जारी करने में किए गए व्यय सहित ब्याज, वित्तीय एवं अन्य प्रभार पिछले वर्ष 11,088.41 करोड़ रुपए की तुलना में 13,278.68 करोड़ रुपए रहा। ये व्यय पिछले वर्ष में 98.08% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 में 94.99% है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कार्मिक लाभ और अन्य प्रशासनिक व्यय पिछले वित्तीय वर्ष में क्रमशः कुल व्यय के 0.72%, 0.37% की तुलना में क्रमशः 0.57%, 0.60% हो गया। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2013–14 में ये कार्मिक लाभ और अन्य प्रशासनिक व्यय ऋण परिसंपत्तियों का 0.09% रहा है।

2.3 लाभ

वित्तीय वर्ष 2014–14 के दौरान आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012–13 में 4,419.60 करोड़ रुपए के निवल लाभ की तुलना में 5,417.75 करोड़ रुपए का सर्वाधिक निवल लाभ अर्जित किया है। इस प्रकार इसमें 22.58% की वृद्धि दर्ज की गई।

2.4 शेयर पूंजी

1 अप्रैल, 2013 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 1,320.02 करोड़ रुपए थी। इसमें 10 रुपए के अंकित मूल्य वाले 1,32,00,15,011 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान भारत सरकार गोल्डमेन सेच्स सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडिड स्कीम ("जीएससीपीएसई बीईईएस") नाम का एक फंड स्थापित किया। जिसे गोल्डमेन एसेस्ट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (एएमसी) द्वारा लांच किया गया। मार्च 2014 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विनिवेश विभाग के माध्यम से कार्य करते हुए प्रस्तावित फंड के लिए 10/–रू. के अंकित मूल्य वाले 1,21,06,076 इक्विटी शेयरों का निवेश किया। इस निवेश के बाद कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 72.80% तक घट गई।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी की कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना अर्थात पीएफसी ईएसओपी 2010 के अंतर्गत कार्मिकों को 10/–रू. अंकित मूल्य के 25,693 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए। इस आबंटन के परिणामस्वरूप कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी बढ़कर 1320.04 करोड़ रुपए हो गई, जिसमें 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 10/–रू. अंकित मूल्य के 1,32,00,40,704 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

2.5 लाभांश

आपके निदेशकों ने फरवरी, 2014 को 20 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के अलावा 8.80 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कुल लाभांश गत वर्ष 7 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की तुलना में इस वर्ष 9 रुपए प्रति इक्विटी शेयर है। अंतिम लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान भुगतान किए जाने वाले कुल लाभांश की राशि गत वर्ष 924.01 करोड़ रुपए के साथ 20.91% से बढ़कर 1,188.04 करोड़ रुपए के साथ 21.93% हो गई।

2.6 कर मुक्त बॉण्ड जारी करना

आपकी कंपनी ने 14 सितंबर, 2013 से 27 दिसंबर 2013 के दौरान 6 सीरीज अर्थात सीरीज 1ए, 1बी, 2ए, 2बी, 3ए और 3बी के रूप में कर मुक्त बॉण्ड्स ट्रेंच–1 का सार्वजनिक इश्यू जारी किया। सीरीज 1ए के लिए ब्याज दर 8.18% दस वर्ष हेतु, 1बी के लिए ब्याज दर 8.43% दस वर्ष हेतु, 2ए के लिए 8.54% 15 वर्ष हेतु, 2बी के लिए 8.79% 15 वर्ष हेतु, 3ए के लिए 8.67% 20 वर्ष हेतु और 3बी के लिए 8.92% 20 वर्ष हेतु रही। करमुक्त बॉण्डों के उपर्युक्त सार्वजनिक इश्यू का आबंटन 16 नवंबर 2013 को किया गया। इस बॉण्डों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त इश्यू के जरिए अर्जित की गई धनराशि का सदुपयोग ऋण मुहैया कराने और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया।

आपकी कंपनी ने अगस्त ,2013 के दौरान एक सीरीज अर्थात 107 (ए एवं बी) के रूप में कर मुक्त बॉण्ड–ट्रैंच–II का सार्वजनिक इश्यू जारी किया इस सीरीज के लिए क्रमशः 10 वर्षों तथा 15 वर्षों हेतु 8.01% प्रतिवर्ष तथा 8.46% प्रतिवर्ष निर्धारित की गई। कंपनी ने इन दोनो सीरीज के जरिए बाजार से 1,124.10 करोड़ रूपए के राजस्व संसाधनों का दोहन किया।

3.1 वित्तीय सहायता (आर–एपीडीआरपी को छोड़कर)

3.1.1 क्षेत्रवार

(रु.करोड़ में)

श्रेणी	2013-14		मार्च, 2014 तक संचित राशि	
	संस्वीकृति	संवितरण	संस्वीकृति	संवितरण
राज्य क्षेत्र	46161	32790	332064	217740
केंद्रीय क्षेत्र	500	919	34033	31650
निजी क्षेत्र	13010	11259	72931	37069
संयुक्त क्षेत्र	1058	2194	18287	14819
जोड़	**60729**	**47162**	**457315**	**301278**

3.1.2 Discipline-wise

(रु.करोड़ में)

श्रेणी	2013-14		मार्च, 2014 तक संचित राशि	
	संस्वीकृति	संवितरण	संस्वीकृति	संवितरण
ताप–विद्युत उत्पादन	29352	26320	254934	158433
जल–विद्युत उत्पादन	10581	4389	47247	29386
पवन एवं सौर, बायोगैस और बायोमास	757	420	3142	2057
ताप–विद्युत केंद्रों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण	1238	428	8964	6787
जल–विद्युत – परियोजनाओं का नवीनीकरण एवं उन्नयन	277	83	1845	1163
पारेषण	3208	2046	41772	23185
संवितरण	4400	993	20308	13224
अल्पावधि ऋण	3827	2678	42691	39768
आर–एपीडीआरपी भाग ख के लिए समकक्ष निधियन	599	709	4912	724
परिवर्ती वित्त	4381	7341	22569	20159
अन्य*	2009	1755	8931	6392
जोड़	60729	47162	457315	301278

* अन्य में विकेंद्रीकृत प्रबंध, परियोजना समाधान, पूर्व निवेश निधि, तकनीकी सहायता परियोजना, मध्यावधि ऋण, क्रेताओं की ऋण सीमा, उपस्कर विनिर्माण ऋण, परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु ऋण, बिल में छूट, अध्ययन, बॉण्डों के मोचन (रिडेंपशन) के लिए ऋण, पीएक्सआई के जरिए विद्युत क्रय, प्रमोटरों की इक्विटी के लिए ऋण एवं कम्प्यूटरीकरण, ईंधन संसाधन विकास, नियामक परिसंपत्तियों का निधियन, प्राप्त होने वाली धनराशियों के सापेक्ष ऋण आदि शामिल हैं।

करमुक्त बॉण्ड का उपर्युक्त सार्वजनिक इश्यू 30 अगस्त, 2013 को आबंटित किया गया। इन बॉण्डों को भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तदुपरांत बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध किया गया है।

3.0 लैंडिंग ऑपरेशन

आपकी कंपनी ने राज्य, केंद्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान अब तक का अधिकतम 60,729 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य, केंद्र, निजी तथा संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों के लिए 47,162 करोड़ मूल्य की परियोजनाएं स्वीकृतकी गई। इसके साथ 31 मार्च 2014 को संचित रूप से मंजूर की गई कुल राशि 4,57,315 करोड़ रुपए है, तथा 3,01,218 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, आर–एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत 4,331 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य, केंद्र, निजी तथा संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों को 640 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई जिसमें आर–एपीडीपीआरपी योजना के अंतर्गत 7,360 करोड़ रुपए का संचित संवितरण शामिल है।

3.1.3 उत्पाद–वार

(करोड़ रुपए में)

श्रेणी	2013-14		मार्च, 2014 तक संचित राशि	
	संस्वीकृति	संवितरण	संस्वीकृति	संवितरण
सावधि ऋण	47855	36053	380376	234514
अल्पकालिक ऋण	3927	2678	42691	39768
परिवर्ती वित्त	4381	7341	22569	20159
अनुदान	1	2	72	57
अन्य **	4565	1088	11607	6780
जोड़	**60729**	**47162**	**457315**	**301278**

** अन्य में ऋण पुनर्वित्त पोषण, ब्रिज ऋण, उपस्कर विनिर्माताओं को ऋण, क्रेताओं की ऋण सीमा, बिल में छूट, पीएक्सआई के जरिए विद्युत क्रय आदि शामिल हैं।

3.2 त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपए में)

श्रेणी	2013-14		मार्च, 2014 तक संचित राशि	
	संस्वीकृति	संवितरण	संस्वीकृति	संवितरण
भाग क (आईटी)	115	427	5348	2470
भाग क (एससीएडीए)	131	3	1601	415
भाग ख	4085	210	31140	4475
जोड़	**4331**	**840**	**38089**	**7360**

3.3 उत्पादन परियोजनाएं

3.3.1 ताप–विद्युत परियोजनाएं

भारत की कुल संस्थापित क्षमता में ताप–विद्युत उत्पादन का काफी बड़ा योगदान है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी ने ताप–विद्युत परियोजनाओं के लिए 29,352 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर और 26,320 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है। ताप – विद्युत उत्पादन योजना के लिए कंपनी द्वारा प्रदान की गई संचित वित्तीय सहायता 2,54,934 करोड़ रुपए है, जिसमें से 31 मार्च, 2014 तक 1,58,433 करोड़ रुपए की राशि संवितरित कर दी गई है।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी द्वारा स्वीकृत की गई प्रमुख ताप–विद्युत परियोजनाओं में एपीजीईएनसीओ की काकातिया स्टेज III टीपीपी (800मेगावाट), रामागुण्डम टीपीपी (660 मेगावाट), एमपीपीजीसीएल की सतपुड़ा टीपीपी एक्सटेंशन (660 मेगावाट), तूतीकोरिन में एसईपीसी पावर प्राइवेट लिमिटेड की कोयला आधारित टीपीपी (525 मेगावाट) तथा बाराबंकी में त्रिशक्ति पावर प्राइवेट लिमिटेड की कोयला आधारित टीपीपी (250 मेगावाट) शामिल हैं।

पीएफसी द्वारा वित्त–पोषित आरआरवीयूएनएल के 2x250 मे.वा. कोयला आधारित छाबरा टीपीएस का एक दृश्य

3.3.2 जल–विद्युत परियोजना

देश में जल–विद्युत उत्पादन क्षमता का महत्वपूर्ण सुदृढ़ीकरण आवश्यक है, जिससे कि अधिकतम ऊर्जा मिश्रित प्रणाली तैयारी की जा सके। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा जल–विद्युत परियोजनाओं को 10,581 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया और 4,389 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई। जल–विद्युत उत्पादन योजना के लिए कंपनी द्वारा संचित रूप से कुल 47,247 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिसमें से 31 मार्च, 2014 तक 29,386 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की जा चुकी है।

उड़ीसा जल–विद्युत पावर कॉर्पोरेशन की बालिमेला जल–विद्युत परियोजना का एक विहंगम दृश्य

3.4 नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और कार्यकाल विस्तार

3.4.1 ताप–विद्युत परियाजनाएं

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान थर्मल पावर प्लांटों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और कार्यकाल विस्तार के लिए 1,238 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए गए और 428 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार संचित रूप से 8,964 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और 6787 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई।

3.4.2 जल–विद्युत परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा जल–विद्युत परियोजनाओं के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 277 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए गए और 33 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई। संचित रूप से कुल 1845 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है और 31 मार्च, 2014 तक 1163 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई।

3.5 परिवर्ती ऋण

आपकी कंपनी ने "भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय पुनर्गठन योजना के पूरक के रूप में वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को परिवर्ती वित्त–पोषण" के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार किए, जिसके अंतर्गत वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) के अनुसार वार्षिक नकदी अंतराल को पूरा करने के लिए निधि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। इस योजना का उद्देश्य डिस्कॉम के समक्ष अस्थायी तरलता संकट दूर करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और एक निश्चित समयावधि के भीतर वितरण कंपनियों को अपनी माली हालत सुधारने में सक्षम बनाना है। योजना तैयार करते समय निबंधन और शर्तें इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गईं, जिससे वितरण कंपनियों को वित्तीय आधार पर स्थिर कंपनी के रूप में परिवर्तित किया जा सके जिससे विद्युत क्षेत्र में भावी स्थायी निवेश का एक मार्ग प्रशस्त होगा। आपकी कंपनी ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विभिन्न वितरण कंपनियों को पहले ही 22,569 करोड़ रुपए के परिवर्ती ऋण स्वीकृत कर दिए हैं। इसके अलावा 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार इन ऋणों के अंतर्गत 20,159 करोड़ रुपए की राशि पहले ही संवितरित की जा चुकी है।

4.0 वसूली

आपकी कंपनी अपने मूलधन, ब्याज आदि की बकाया राशि की वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। रुपए सावधि ऋणों के अंतर्गत मूलधन, ब्याज आदि, बिल डिस्काउंटिंग, कार्यशील पूंजी, लीज फाइनेंस, विदेशी मुद्रा ऋणों, उपस्कर वित्त घोषणा एवं गारंटी फीस की इस वर्ष वसूल की जाने वाली 39,674.86 करोड़ रु. की राशि में से वास्तविक रूप से 38,753.94 करोड रू. की राशि वसूल की गई। यह 97.68% (पिछले वर्ष 99.15%) की समग्र वसूली दर है। पिछले दस वर्षों से लगातार वसूली दर 96–99% पर कायम रखी गई है। कंपनी ने इस वर्ष बकाया मूलधन के संबंध में 98.17% की वसूली दर का लक्ष्य प्राप्त किया है।

कंपनी ने लागू प्रूडेंशियल मानदंड़ों के अनुसार वर्ष के दौरान गैर निष्पादन ऋण परिसंपत्तियों में 121 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। कंपनी ने वर्ष 2013–14 तक अपने वार्षिक लेखाओं में ऋण परिसंपत्तियों की तुलना में गैर निष्पादन परिसंपत्तियों (एनपीए) के लिए 242 करोड़ रुपए की कुल राशि का प्रावधान किया है। एनपीए के लिए प्रावधान करने के पश्चात निवल गैर निष्पादन परिसंपत्तियों (एनपीए) का स्तर 985 करोड़ रुपए रिकार्ड किया गया है जो 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों का 0.52% है।

उपर्युक्त के अलावा कंपनी ने 31 मार्च, 2014 को बकाया मानक परिसंपत्तियों के लिए ही 469.42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे बफर प्रावधान उपलब्ध कराकर पीएफसी का तुलन पत्र सुदृढ़ होगा और आपकी कंपनी में निवेशकों, नियामकों और अन्य पणधारकों का विश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करेगा।

5.0 पुनर्गठित ऋण

वर्ष 2013–14 के दौरान पुनर्गठित ऋणों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

विवरण		वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
पुनर्गठित मानक ऋण	ऋणकर्ताओं की संख्या	5	7
	बकाया राशि	3955.36	3699.84
पुनर्गठित उप मानक ऋण	ऋणकर्ताओं की संख्या	1	1
	बकाया राशि	27.20	325.00
पुनर्गठित संदेहास्पद ऋण	ऋणकर्ताओं की संख्या	1	–
	बकाया राशि	414.97	–
जोड़	**ऋणकर्ताओं की संख्या**	**7**	**8**
	बकाया राशि	**4397.53**	**4024.84**

6.0 ऋण

6.1 घरेलू बाजार से ऋण

आपकी कंपनी ने वर्ष 2012–13 के दौरान 37,751.21 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान घरेलू बाजार से 45,220.06 करोड़ रु. की निधियां जुटाईं। उपर्युक्त में से 28,574 करोड़ रु. की राशि डिबेंचरों के माध्यम से अप्रतिभूत/प्रतिभूत करयोग्य/कर मुक्त बॉण्ड जारी करके अर्जित की गई, 14,614 करोड़ रु. की राशि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से दीर्घावधि/मध्यावधि ऋण प्राप्त करके और 2,032.06 करोड़ रुपये की राशि वाणिज्यिक पेपर जारी करके और अल्पावधि ऋणों के जरिए जुटाई गई।

6.2 बाह्य ऋण

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान आपकी कंपनी ने वैश्विक आर्थिक मंदी, प्रतिकूल बाजार स्थिति तथा प्रतिस्पर्धात्मक दर पर फंड की अनुपलब्धता के कारण विदेशी मुद्रा में वृद्धि नहीं कर सकी।

6.3 नकदी क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट सुविधाएं

अपने दिन प्रतिदिन के प्रचालनों के लिए आपकी कंपनी ने निधि आधारित संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग के लिए आपकी कंपनी ने विवेकपूर्ण रणनीतियों का अनुपालन जारी रखा। किसी भी वित्तीय तरलता को हैज करने के लिए या उस कठिनाई को दूर करने के लिए अल्पकालिक निधियन हेतु विभिन्न अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ 4850 करोड़ रुपए तक की बड़ी क्रेडिट लाइनें बनाए रखी गई, जिसके लिए सदुपयोग की सीमाओं की मद में कोई प्रतिबद्धता प्रभार लागू नहीं होता है।

7.0 विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय

259.52 करोड़ रुपए की विदेशी विनिमय व्यय ऋण सेवाओं, वित्तीय एवं अन्य शुल्कों तथा प्रशिक्षण खर्चों हेतु किया गया।

वित्त वर्ष 2013–14 के लिए विदेशी विनिमय उपार्जन शून्य था।

8.0 क्रेडिट रेटिंग

घरेलू

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, आपकी कंपनी के दीर्घकालीन घरेलू ऋण कार्यक्रम (बैंक ऋण सहित) को सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए और सीएआरई द्वारा क्रमशः सीआरआईएसआईएलएएए, आईसीआरएएएए और सीएआरईएएए की सर्वोच्च रेटिंग प्रदान की गई। कंपनी के अल्पकालिक घरेलू ऋण कार्यक्रम (बैंक ऋण सहित) कार्यक्रम को सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए और सीएआरई द्वारा क्रमशः सीआरआईएसएलए1+, आईसीआरए1+ और सीएआरईए1+ की सर्वोच्च रेटिंग प्रदान की गई।

अंतरराष्ट्रीय

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान आपकी कंपनी को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज, फिज और स्टैंडर्ड एंड पूअर्स ने क्रमशः बीएए 3, बीबीबी तथा बीबीबी रेटिंग प्रदान की गई, जो भारत के लिए संप्रभु रेटिंग के समतुल्य हैं।

9.0 जोखिम प्रबंधन

9.1 परिसंपत्ति देयता

आपकी कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और निदेशक वित्त की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) गठित की गई है। एएलसीओ तरलता और ब्याज दर से संबंधित जोखिमों की निगरानी करती है और एएलसीओ की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन पर नजर रखती है। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन ढांचा (फ्रेमवर्क) में परिसंपत्ति प्राप्ति और कर्ज संबंधी सेवा बाध्यताओं के दीर्घकालिक तरलता प्रोफाइल का आवधिक विश्लेषण शामिल है। ऐसा विश्लेषण आगामी 10 वर्षों के लिए वार्षिक बकेट में हर माह किया जाता है और इसका प्रयोग समय, मात्रा और ऋण प्रोफाइल की परिपक्वता, नई परिसंपत्तियों का सृजन और समयावधि (अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक) के संदर्भ में परिसंपत्तियों और देनदारियों के मिश्रण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए किया जाता है जहां एक ओर तरलता जोखिम की निगरानी तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से की जा रही है, वहीं दूसरी ओर ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता संबंधी अंतराल विवरण के विश्लेषण, ब्याज दर के परिवर्तन पर जोखिम से अर्जन (ईएआर) के मूल्यांकन और निर्धारित तथा फ्लोटिंग ब्याज दरों के मिश्रण से परिसंपत्तियों और देनदारियों का सृजन कर किया जा रहा है।

(रु.करोड़ में)

31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षित तुलनपत्र पर आधारित परिसंपत्तियों व देनदारियों की कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न

विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2018–19 के बाद	योग
रुपए ऋण परिसंपत्तियां	13749	15496	17377	17711	17424	106890	188647
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तिया	43	46	48	23	22	166	348
निवेश	0	0	0	0	0	352	352
विदेशी मुद्रा देयताएं	3699	1988	1930	1110	21	178	8926
रुपए देयताएं (बॉण्ड्स + आरटीएल + एसटीएल)	17425	21902	17439	14705	18322	60902	150695

9.2 विदेश मुद्रा जोखिम प्रबंध

आपकी कंपनी ने विदेशी मुद्रा ऋणों से संबंधित जोखिमों के प्रबंधन के लिए मुद्रा जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति बनाई है। कंपनी ने मुद्रा वायदा, विकल्प, मुख्य विनिमय (स्वाप), ब्याज दर स्वाप और वायदा दर करारों जैसे विभिन्न लिखतों के माध्यम से मुद्रा विनिमय के लिए विनिमय दर एवं ब्याज दर जोखिम को कवर करने के लिए कई संव्यवहार किए हैं।

31 मार्च, 2014, को कुल विदेशी मुद्रा देयताएं 999.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 41,643.20 मिलियन जापानी येन और 20.87 मिलियन यूरो की हैं। समग्र आधार पर, मुद्रा विनिमय दर जोखिम को संव्यहार लिखतों के माध्यम से और विदेशी मुद्रा में ऋण देकर क्रमशः 18% की सीमा तक सुरक्षित किया गया है।

9.3 एकीकृत उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन प्रभावशाली ढंग से की जाती है इसके लिए एक तंत्र स्थापित किया है। इस संबंध में आपकी कंपनी ने विभिन्न जोखिमों की निगरानी करने, विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियों और पद्धतियों की जांच करने और प्रचालनों के दौरान होने वाले जोखिमों के नियंत्रण के उपाय करने के लिए निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया था। इसकी सुविधा के लिए कंपनी ने एकीकृत उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन नीति (आईआरएम नीति) बनाई है।

कंपनी ने ऐसे 26 जोखिमों (11 मात्रा निर्धारणीय जोखिम और 15 मात्रा अनिर्धारणीय जोखिम) का अभिनिर्धारण किया है जिससे कंपनी की लाभप्रदता / कारोबार प्रभावित हो सकता है। आईआरएम नीति को कार्यान्वित करने के लिए निदेशकों की जोखिम प्रबंध समिति ने जोखिम प्रबंध अनुपालन समिति का गठन किया और पहचान किए गए जोखिमों की मॉनीटरिंग के लिए एक पृथक सीआरएम (पूर्ववर्ती सीआरए यूनिट) गठित की। सीआरएम यूनिट समय–समय पर पहचान किए गए जोखिमों की लगातार निगरानी करती है और यह सुनिश्चित करती है कि जोखिमों का उन्मूलन समय पर किया जाता है।

10.0 अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं (यूएमपीपी) और स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं (आईटीपी)

10.1 यूएमपीपी

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपकी कंपनी को लगभग 4000 मेगावाट क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) के विकास हेतु 'नोडल एजेंसी' के रूप में नामित किया गया है। ऐसी 16 अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं की पहचान की गई है जिन्हें मध्य प्रदेश (सासन), गुजरात (मुंद्रा), आंध्र प्रदेश (कृष्णापट्टनम), झारखंड (तिलैया), छत्तीसगढ़ (सर्गुजा), कर्नाटक, महाराष्ट्र (मुंगे), तमिलनाडु (चेय्यूर), उड़ीसा (सुंदरगढ़), उड़ीसा में दो अतिरिक्त यूएमपीपी और दो यूएमपीपी आंध्र प्रदेश (प्रकासम), तमिलनाडु, गुजरात और झारखंड (देवघर) और बिहार में यूएमपीपी के रूप में स्थापित किया जाना है।

यूएमपीपी एक सुविधा प्रदाता के रूप में विद्युत मंत्रालय के साथ मिलकर इन यूएमपीपी के विकास हेतु भारत सरकार की एक पहल है जबकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) इस पहल का एक तकनीकी भागीदार है। मार्च 2014 तक आपकी कंपनी द्वारा 15 विशेष प्रयोजनीय वाहनों का उपयोग इन परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु आरंभिक स्थल निरीक्षण संबंधी आवश्यक कार्य के लिए किया गया। इन एसपीवी को कार्यान्वयन और प्रचालन के लिए टैरिफ आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) को हस्तांतरित किया जाएगा।

नीचे दर्शाए अनुसार इन 13 एसपीवी में से चार एसपीवी (4) सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं:

क्र. सं.	एसपीवी का नाम	सफल बोलीदाता	हस्तांतरण की तारीख
1	कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड	दि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	22 अप्रैल 2007
2	सासन पावर लिमिटेड	रिलायंस पावर लिमिटेड	7 अगस्त 2007
3	कोस्टल आंध्रा पावर लिमिटेड	रिलायंस पावर लिमिटेड	29 जनवरी 2008
4	झारखंड इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	रिलायंस पावर लिमिटेड	7 अगस्त 2009

शेष बचे दो एसपीवी वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान पीएफसी द्वारा चेय्यूर यूएमपीपी हेतु भूमि तथा उड़ीसा यूएमपीपी हेतु भूमि तथा कोयला ब्लॉकों का रख–रखाव करने के लिए स्थापित किए गए।

वित्त वर्ष के दौरान मौजूद मानक बोली दस्तावेजों (एसबीडी) पर आधारित उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ यूएमपीपी के लिए आरएफक्यू इन परियोजनाओं में से ये एसपीसी संबंधित बिजली विक्रेताओं को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। विद्युत मंत्रालय द्वारा रद्द किए गए संशोधित मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) विद्युत मंत्रालय द्वारा सितंबर, 2013 में जारी किए गए। तद्नुसार चेय्यूर तथा उड़ीसा यूएमपीपी के लिए बोली प्रक्रिया वित्तीय वर्ष के दौरान संशोधित मानक बोली दस्तावेजों के आधार पर आरएफक्यू परियोजनों के लिए आबंटित कोयला ब्लॉक के अनुमोदन के पश्चात नए संशोधित मानक बोली दस्तावेज जारी करेगा। आगे, आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश में दूसरी यूएमपीपी के साथ प्रक्रिया को आगे न बढ़ाने का निर्णय किया है तथा परियोजना के संदर्भ में विद्युत मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है। एसपीवी को बंद करने या कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के रिकॉर्ड से एसपीवी का नाम हटा देने के लिए कदम उठाए गए हैं।

10.2 आईटीपी

विद्युत मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की सहभागिता से पारेषण प्रणाली के विकास और सुदृढ़ीकरण हेतु भी टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया शुरू की है।

इस पहल का उद्देश्य भारत में पारेषण क्षमता का विकास और आरंभिक सर्वेक्षण कार्य, मार्ग की पहचान, सर्वेक्षण रिपोर्ट की तैयारी, सब स्टेशनों, यदि कोई हैं, के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ करने, वन स्वीकृति, यदि आवश्यक है, प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने और बोली प्रक्रिया संचालित आदि करने के लिए आरंभिक कार्य पूर्ण होने पर ऐसी परियोजनाओं के विकास के पश्चात संभावित निवेशकों की तलाश करना है।

मार्च, 2014 तक स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के लिए अब तक 12 विशेष प्रयोजनीय वाहनों (एसपीवी) की स्थापना की गई है। इसमें से 2 एसपीवी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा और अन्य 10 पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी द्वारा स्थापित किए गए हैं। इन 12 एसपीवी में से बोकारो–कोडर्मा मैथोन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड दिसंबर 2010 में परिसमाप्ति कर दी गई तथा 4 एसपीवी 31 मार्च, 2013 तक सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान पीएफसीसीएल ने निम्नलिखित 4 एसपीवी सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दिए गए :

क्र. सं.	एसपीवी का नाम	सफल बोलीदाता	हस्तांतरण की तारीख
1.	पैटर्न ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	13 नवंबर, 2013
2.	पुरूलिया तथा खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	स्टर्लाइट ग्रिड लिमिटेड	9 दिसंबर, 2013
3.	दरभंगा–मोतीहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	एस्सल इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड	10 दिसंबर 2013
4.	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	स्टर्लाइट ग्रिड लिमिटेड	12 मार्च, 2014

आईटीपी के लिए शेष 3 एसपीवी के लिए स्वतंत्र पारेषण परियोजना अर्थात टोरेंट पावर लिमिटेड की डीजीईएनटीपीएस (1200 मेगावाट) के साथ संबद्ध पारेषण परियोजना के लिए बोली प्रक्रिया इस वर्ष के दौरान पूरी की गई तथा सफल बोली दाताओं के लिए लैटर ऑफ इंटेंट 19 मई, 2014 को जारी किए गए।

पीएफसीसीएल द्वारा आईटीपी–पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण VI से संबंधित सफल बोलीकर्ता एस्सल इंफ्राप्रोजेक्ट लि. (दरभंगा – मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लि.) को एसपीवी का हस्तांतरण ।

वर्ष के दौरान, विद्युत मंत्रालय द्वारा आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग लि. को टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के जरिए कार्यान्वित की जाने वाली 2 (दो) नई स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में नियुक्ति किया। पीएफसी कंसल्टिंग लि. ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में निम्नलिखित 2 (दो) नए एसपीवी गठित किए:

(i) टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीटीसीएल), ट्रांसमिशन परियोजना, "एटीएस फॉर टांडा एक्सपेंशन टीपीएस (2X660 मेगावाट)" हेतु

(ii) बल्लभगढ़– जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बीजीएनटीसीएल) "पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना – XXXIII" ट्रांसमिशन परियोजना हेतु एसपीवी।

उपर्युक्त दो एपीवी के लिए बोली प्रक्रिया टीटीसीएल के मामले में टांडा एक्सपेंशन टीपीएस के लिए ईपीएस काण्ट्रेक्ट तथा भूमि अधिग्रहण तथा बीजीएनटीसीएल के मामले में एनपीवीएल तथा एस्सार पावर (झारखण्ड) के बीच पीपीए में विवाद से संबंधित मुद्दों के कारण सीईए की सलाह पर अस्थगित रखी गई है।

11.0 पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी)

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम आर–एपीडीआरपी के भाग के रूप में परिशुद्ध और स्थायी आधारभूत डेटा की स्थापना, व्यापार प्रक्रिया प्रचालन, एटी एवं सी हानियों की पहचान हेतु ऊर्जा लेखापरीक्षा करने और विद्युत वितरण क्षेत्र में बेहतर उपभोक्ता सेवाओं के लिए देश के 1,412 चिह्नित कस्बों में पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का नियोजन किया जा रहा है।

इसके अलावा, भाग–क परियोजनाओं के अंतर्गत परिवेक्षकीय नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) प्रणाली/वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) की स्थापना देश के बड़े कस्बों (72 परिकल्पित कस्बे) में की जा रही है जिससे कि विद्युत आपूर्ति की दक्षता गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार हेतु वितरण नेटवर्क का वास्तविक समय प्रचालन और नियंत्रण किया जा सके।

इसके अलावा, भाग–ख के अंतर्गत देश में 1,240 से अधिक कस्बों में वितरण सुदृढ़ीकरण और सुधार परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एटी और सी हानियों को 15% से नीचे लाना है।

आपकी कंपनी ने, नोडल एजेंसी के रूप में, आरएपीडीआरपी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2014 तक संचित रूप से सभी पात्र 1,412 कस्बों की भाग–क (आईटी) योजनाओं, 72 परिकल्पित कस्बों के लिए भाग–क (एससीएडीए) योजनाओं और परिकल्पित 1250 कस्बों में से 1244 कस्बों के लिए भाग–ख योजनाएं स्वीकृत की हैं। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने

आरएपीडीआरपी के लिए 4331 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार आरएपीडीआरपी के अंतर्गत संचित रूप से 38,089 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान आरएपीडीआरपी योजना के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा जारी की गई 640 करोड़ रुपए की संपूर्ण राशि राज्य की विद्युत कंपनियों को संवितरित कर दी है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार आरएपीडीआरपी के अंतर्गत 7360 करोड़ रुपए की राशि का संचित रूप से संवितरण किया गया है।

अब तक किए गए उपायों से 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार संचित रूप से 17 राज्यों में डेटा केंद्रों की स्थापना कर दी गई है। इसके अलावा 17 राज्यों में 509 कस्बों में क्रियान्वन शुरू कर दिया गया है। ऐसे सभी कस्बों में प्रायः सभी व्यापार प्रक्रिया सॉफ्टवेयर माड्यूल प्रकायत्मिक हैं और ऊर्जा ऑडिट संबंधी रिपोर्ट प्रणाली द्वारा तैयार की जा रही है।

वर्ष के दौरान आरएपीजीआरपी की भाग–ख परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विद्युत कंपनियों ने 389 करोड़ रुपए के सहयोगी निधियन के लिए समझौते किए हैं। इसके परिणामस्वरूप संचित रूप से 14,854 करोड़ रुपए की सहयोगात्मक निधियन किया जा सके, जिसमें 3780 करोड़ रुपए पीएफसी से प्राप्त किया गया है। वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और सुधार तथा एटी और सी हानियों को 15% अथवा उससे नीचे लाने के लिए संचित रूप से 1049 कस्बों में इनका कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।

वर्ष के दौरान 22 कस्बों में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 6 राज्यों में एससीएडीए कार्यान्वयन एजेंसियों को भी विद्युत कंपनियों ने नियुक्त किया। समग्र रूप में एसीएडीए कार्यान्वयन एजेंसियों 15 राज्यों में 63 कस्बों हेतु नियुक्त की जा चुकी है।

क्षमता निर्माण और आवश्यकताओं को स्वीकार करने तथा प्रौद्योगिकी, समकालीन ज्ञान और कौशल के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए आपकी कंपनी में 6,000 कार्मिकों के समझौता–ज्ञापन लक्ष्य की तुलना में विद्युत कंपनियों के 25,800 कार्मिकों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार संचित रूप से 1,372 कस्बों में बाड़ तैयार की गई और 1,251 कस्बों में बेसलाइन एटी और सी हानि डेटा एकत्र किया गया है।

प्रशासनिक और अन्य उपायों के साथ साथ विभिन्न कस्बों में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की स्थापना और भाग–ख परियाजनाओं के पूरा होने से आगामी 1–5 वर्षों में विद्युत कंपनियों में आरएपीडीआरपी कस्बों में एटी और सी हानियों में कमी देखने को मिलेगी। इस प्रकार आपकी कंपनी वितरण कंपनियों की भी वित्तीय हालत सुधारेगी और राज्य विद्युत क्षेत्र में ऐसे ऋणकर्ताओं के लिए आपकी कंपनी की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

दिनांक 13 मई, 2014 को आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत चैन्नई में आयोजित "स्काडा/डीएमएस" पर कार्यशाला

12.0 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

भारत सरकार तथा संघीय गणतंत्र जर्मनी की सरकार ने जुलाई, 2013 में नई दिल्ली में आयोजित इण्डो–जर्मन वार्षिक वार्ता में उत्तराखंड जल–विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) की 6 जल–विद्युत परियोजनाओं के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन (आरएम एवं यू) के वित्तपोषण हेतु केएफडब्ल्यू से 100.56 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए ऋण तथा वित्तीय समझौता को स्थगित करने का निर्णय किया। परिणामस्वरूप, उपर्युक्त लाइन ऑफ क्रेडिट से संबंधित ऋण एवं वित्तीय समझौते को दिसंबर, 2013 को रद्द कर दिया गया।

13.0 सुधार और पुनर्गठन की दिशा में पहल

आपकी कंपनी, राज्य विद्युत कंपनियों (एसपीयू) के वित्तीय और तकनीकी निष्पादन में समग्र सुधार हेतु पुनर्गठन के लिए सहायता प्रदान करती रही है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) को सुधार प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।

बदलते हुए वातावरण से यह आवश्यक हो गया है कि विद्युत कंपनियां बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक जवाबदेह बनें, इसके लिए उन्हें जारी सूचना प्रौद्योगिकी पहलों के भाग के रूप में नवीनतम प्रौद्योगिकियां लागू कर क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान आरएपीडीआरपी योजना के अंतर्गत शामिल कंप्यूटीकरण योजनाओं के अलावा राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों की कम्प्यूटीकरण योजनाओं के लिए 7.11 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है।

विद्युत कंपनियों का श्रेणीकरण

निधिकरण के उद्देश्य से आपकी कंपनी राज्य की विद्युत कंपनियों, अपने प्रधान ऋणकर्ताओं को ए+, ए, बी और सी श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। राज्य विद्युत उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों का श्रेणीकरण (द्विवार्षिक) इनके प्रचालन एवं वित्तीय निष्पादन जिसमें नियामक वातावरण लेखा परीक्षा आदि शामिल है, सहित पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के (एसईबी/एकीकृत प्रचालन सहित कंपनियां भी शामिल हैं), के संदर्भ में आपकी कंपनियों के श्रेणीकरण की नीति विद्युत मंत्रालयों को एकीकृत रेटिंग प्रदान करती है। यह श्रेणीकरण कंपनी को ऋण सीमाओं का विनिर्धारण करने और राज्य विद्युत कंपनियों को दी जाने वाली क्रेडिट सीमा व ऋण की कीमत निर्धारित करने में समर्थ बनाता है। 30 मई 2014 की स्थिति के अनुसार 101 विद्युत कंपनियों की श्रेणियां बनाई गई जिनमें से 26 को "ए+" श्रेणी में रखा गया, 42 को "ए" श्रेणी में 25 को "बी" श्रेणी में और 8 को "सी" श्रेणी में रखा गया।

राज्य विद्युत संस्थाओं की तिमाही और वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट

आपकी कंपनी राज्य विद्युत कंपनियों के निष्पादन की तिमाही आधार पर एक पृष्ठ की अनुसंधान रिपोर्ट प्रकाशित कर रही है। इस रिपोर्ट को राज्य की विद्युत कंपनियों (एसपीयू) द्वारा एक उपयोगी प्रयास के रूप में माना जाता है क्योंकि वे दूसरी कंपनियों के साथ अपनी कंपनी के निष्पादन की तुलना कर सकती हैं और इस क्षेत्र के संपूर्ण सुधार हेतु मध्यावधि सुधारात्मक उपाय कर सकती हैं। रिपोर्ट में महत्वपूर्ण प्रचालन एवं वित्तीय निष्पादन मानदंड, सुधार की स्थिति, विद्युत अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन की स्थिति, निष्पादन में सुधार के चिंताजनक क्षेत्रों और स्थितियों को शामिल किया जाता है। यह रिपोर्ट विद्युत क्षेत्र के स्टेकहोल्डर जैसे राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियां और राज्यों के विद्युत सचिवों को भेजी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान आपकी कंपनी ने जनवरी से मार्च, 2013, अप्रैल से जून, 2013, जुलाई–सितंबर, 2013, अक्टूबर से दिसंबर 2013 जिनमें से प्रत्येक में 42–42 कंपनियों को शामिल किया गया है, के लिए निष्पादान रिपोर्ट जारी की।

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान आपकी कंपनी ने 91 विद्युत कंपनियों को शामिल करते हुए वर्ष 2009–10 से 2011–12 के लिए राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के निष्पादन पर अपनी रिपोर्ट का 10वां संस्करण जारी किया। यह रिपोर्ट आपकी कंपनी के उस प्रयास का अभिन्न अंग है, जिसके अंतर्गत राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के वित्तीय और प्रचालनात्मक निष्पादन अर्थात लाभप्रदता, आपूर्ति की औसत लागत और औसत वसूली (रुपए/किलोवाट घंटा) के बीच अंतर, निवल मूल्य, नियोजित पूंजी, प्राप्त होने वाली राशियों, देय राशियों, क्षमता (मेगावाट), उत्पादन (एमकेडब्ल्यूएच), एटी एवं सी हानियों का प्रतिशत आदि और कंपनी, राज्य, क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र में खपत के पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए पहल की गई है। यह रिपोर्ट विश्वसनीय डेटाबेस उपलब्ध कराती है और क्षेत्र में सुधारों से संबंधित परिणामों का निर्धारण करती है तथा इसे विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा राज्य विद्युत क्षेत्र से संबंधित सूचना के एक उपयोगी स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है।

समझौता–ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2010–11 और 2012–13 की रिपोर्ट, जिसमें 77 विद्युत कंपनियों को शामिल किया गया है, तैयार की गई है और विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है। वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि के लिए सभी एसपीयू के निष्पादन पर अंतिम रिपोर्ट (11वीं) को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

14.0 नीतिगत पहल

आपकी कंपनी अपनी उधार एवं प्रचालन नीतियों को बाजार की अपेक्षाओं और निगम के उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के लिए इनकी सतत समीक्षा और संशोधन करती है और गतिशील व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई नीतियां / उत्पाद जारी करती है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न नई नीतियां/दिशानिर्देश/उत्पाद जारी किए जैसे कमीशंड परियोजनाओं के लिए ऋण का पुनर्वित्तपोषण, नयी परियोजनाओं/विस्तार/अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त कॉर्पोरेट ऋण, वितरण फ्रेंचाइजियों के लिए वित्तीय सहायता की नीति तथा सरकारी क्षेत्र के ऋणदाताओं के लिए रूपया लघु अवधि ऋण योजना के तहत फलेक्सी–लाइन ऑफ क्रेडिट का विकल्प।

आपकी कंपनी ने पावर एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत की खरीदारी हेतु क्रेडिट सुविधा का विस्तार करने की योजना के संबंध में, सौर पीवी प्राइवेट क्षेत्र की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से जुड़े ग्रिड को वित्तपोषण करने, सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्र की एएए रेटिंग कम्पनियों आदि द्वारा परियोजना प्रोत्साहन की बोली में सहयोग करने वाले प्रस्तावों को वित्तपोषण करने के लिए दिशानिर्देश देने, जिससे कि इसे और अधिक ऋणकर्ता हितैषी बनाया जा सके, के लिए अपनी नीतियों/दिशानिर्देशों/उत्पादों पर पुनर्विचार किया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14, मानक पूंजी के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च 2014 को इसे 0.25% पर लाने के लिए एक वर्ष बढ़ा दिया गया। इस प्रावधान के बाद पीएफसी के प्रूडेंशियल नॉर्मस, आरबीआई के एनबीएफसी–एनडी हेतु प्रूडेंशियल नार्मस में शामिल हो जाएगे जिसको 31 मार्च 2014 को मानक पूंजी के प्रावधानों के संदर्भ में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान आवधिक ऋण तथा लघु आवधिक ऋण के संदर्भ में ब्याज दरों पर पुनः विचार किया गया तथा समयबद्ध रूप में परिवर्तित किया गया। वित्तीय शुल्क/फीस पर भी पुनर्विचार किया गया तथा संशोधित किया गया। इसके अलावा, गारण्टी फीस, तथा क्रेडिट संवर्धन के लिए गारण्टी दिए जाने हेतु वित्तीय शुल्क भी लागू किया गया।

बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ–साथ, खाते पर ब्याज दर संबंधी संबंधी चिंताओं जैसे कारक उदाहरणतः आरबीआई की की–पॉलिसी रेट में बढ़ोतरी, वित्त वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति आदि के बावजूद आपकी अपनी व्यवसाय संवृद्धि तथा लाभदेयता के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही।

15.0 सरलीकरण (सुविधा) सेवाएं

पीएफसी के वित्त–पोषण कारोबार का इसके पारंपरिक उत्पादों से विद्युत क्षेत्र के अग्रवर्ती और पश्यवर्ती संपर्कों के नए क्षेत्रों जैसे ईंधन स्रोत विकास, उपस्कर विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना, परमाणु विद्युत परियोजनाओं के साथ अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए एक सरलीकरण समूह (एफजी) स्थापित किया गया है। सरलीकरण समूह (एफजी) को नई भौगोलिक स्थितियों के लिए पीएफसी का करोबार बढ़ाने की संभावनाएं तलाश करने के लिए अधिवेशित किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की सुविधा के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में आपकी कंपनी ने विद्युत परियोजनाओं के लिए ईंधन स्रोत विकास और इसके वितरण (एफएसडी एण्ड डी) के क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्त–पोषण के लिए एक योजना तैयार की है। इसके साथ–साथ विद्युत क्षेत्र के लिए उपस्कर विनिर्माण (ईएम) क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त–पोषण हेतु भी एक योजना लागू की गई है।

16.0 नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ विकास तंत्र (आरई एण्ड सीडीएम)

नवीकरणीय संसाधनों से विद्युत के भविष्य का परिदृश्य जल–विद्युत की अब तक की सर्वाधिक ऊंची कीमत के कारण सुनहरा है। ऊर्जा के नवीनीकरण संसाधनों पर बढ़ती निर्भरता ने हरित गैस को कम करने तथा गैर जैव ईंधन संसाधनों की ओर रूख करने के वैश्विक आंदोलन के कारण विद्युत क्षेत्र में बहुत से व्यवसाय अवसर उत्पन्न किए है।

आपकी कंपनी उच्च तथा विशेष ब्याज दरों के रूप में पवन फार्म, छोटी जल–विद्युत परियोजना, बायोमास परियोजना तथा सौर ऊर्जा परियोजना जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की वरीयता पर समझौता किया है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषण में सहायता देने हेतु, आपकी कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्वरूप विकास तंत्र (आई एण्ड सीडीएम) कंपनी जैसी रणनीतिक व्यवसाय कंपनी के लिए अपना नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलिया का कार्य करेगी। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इन परियोजनाओं को पारंपरिक परियोजनाओं की तुलना में कम ब्याज दर पर वित्त–पोषण किया जायेगा।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान 246.5 मेगावाट के क्षमता सहयोग के साथ नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो के लिए 845.87 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत और 457 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी ने कुल 1412 मेगावाट की उत्पादन क्षमता को संचित रूप से सहायता प्रदान की है, इसके लिए 4409 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई और 8,927 करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना लागत के साथ सभी प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 3074 करोड़ की राशि संवितरित की गई।

17.0 विद्युत एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत व्यापार को बढ़ावा देना

वित्तीय वर्ष 2008–09 में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत एक्सचेंज की स्थापना के लिए अपनी अनुमति प्रदान की थी। आज की तारीख तक दो विद्युत एक्सचेंज अर्थात पावर एक्सचेंज इंडिया लि. (पीएक्सआईएल) और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि. (आईईएक्स) प्रचालित हैं। विद्युत की ट्रेडिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रूप में इन पावर एक्सचेंज की राष्ट्रव्यापी उपस्थिति है। पावर एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत की खरीद–फरोख्त (ट्रेडिंग) से निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र के विकास में तेजी आई है क्योंकि यह क्रेता और विक्रेता के लिए एक मुक्त और पारदर्शी तंत्र के रूप में कार्य करता है और संभावित निवेशकों को निवेश के लिए संकेत उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, इन एक्सचेंजों की उपस्थिति से उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जाएगा।

आपकी कंपनी ने एनएसई और एनसीडीईएक्स द्वारा संवर्धित पावर एक्सचेंज इंडिया लि. में इक्विटी अंशदान के लिए 3.22 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार प्रदत्त इक्विटी का 6.93%) का अंशदान किया है।

18.0 इक्विटी वित्तपोषण

इक्विटी निवेश कारोबार को आमतौर पर ऋण कारोबार का ही तर्कसंगत विस्तार माना जाता है। आपकी कंपनी इक्विटी निवेश के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है जिससे यह इस क्षेत्र में अपने उस व्यापक अनुभव का लाभ उठा सके जो उसने विद्युत क्षेत्र में ऋण वित्तपोषण के प्रचालन के 25 वर्षों के दौरान प्राप्त किया है। पीएफसी का उद्देश्य आकर्षक विद्युत परियोजनाओं की इक्विटी में निवेश करने के लिए अपनी वित्तीय स्थिति, ऋण देने की वृहत क्षमता और विद्युत क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाना है। कुछ समय पश्चात, आपकी कंपनी विद्युत परिसंपत्तियों के लिए एक इक्विटी पोर्टफोलियो सृजित करने का प्रस्ताव करती है जो लाभांश और / अथवा पूंजी वृद्वि के रूप में लगातार अभिलाभ प्रदान कर सके। आपकी कंपनी ने आर बी आई से सहमति प्राप्त की है जिसके अनुसार आपकी कंपनी किसी एकल कंपनी में अपने निवल मूल्य के 0.5% से 5% की रेंज में विद्युत परियोजनाओं की इक्विटी में निवेश कर सकती है। वर्तमान में, विद्युत परियोजनाओं में इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने के लिए 'इक्विटी नीति' पीएफसी का मार्ग प्रशस्त करके इक्विटी प्रस्तावों का मूल्यांकन करने से पहले इसे और अधिक लचीला तथा ग्राहक हितैषी बनाने के लिए इस पर पुनः विचार किया जा रहा है।

19.0 सहायक कंपनियां

परामर्शी सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा, कंसोर्टियम लैंडिंग, इक्विटी वित्त–पोषण आदि के क्षेत्रों में अतिरिक्त कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा आज की तारीख तक अपने पूर्ण स्वामित्व वाली निम्नलिखित सहायक कंपनियों की स्थापना की है;

i. पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
ii. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
iii. पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसिज लिमिटेड
iv. पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजरी प्राइवेट लिमिटेड

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आपकी कंपनी को अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के विकास को सुकर बनाने के लिए नोडल एजेंसी और आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए 'बोली प्रक्रिया समन्वयक' के रूप में नामित किया है। आज की तारीख तक आपकी कंपनी की सहायक कंपनियों / मानद सहायक कंपनियों के रूप में निम्नलिखित विशेष प्रयोजनीय वाहनों (एसपीवी) की स्थापना की गई है।

i. छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (पूर्ववर्ती अकलतरा पावर लिमिटेड)
ii. कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
iii. कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
iv. कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
v. उड़ीसा इंटिग्रेटिड पावर लिमिटेड
vi. साखीगोपाल इंटिग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
vii. घोगरपल्ली इंटिग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
viii. तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
ix. देवघर मेगा पावर लिमिटेड
x. चेय्यूर इंफ्रापावर लिमिटेड
xi. उड़ीसा इंफ्रापावर लिमिटेड
xii. डीजीईएन पारेषण कंपनी लिमिटेड (पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)
xiii. टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)
xiv. बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

19.1 पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

आपकी कंपनी अपनी परामर्शी सेवा समूह (सीएसजी) के माध्यम से ही विद्युत क्षेत्र को अक्टूबर, 1999 से ही परामर्शी सहायता उपलब्ध करा रही है। सीएसजी कंपनी के अनुभव को बल प्रदान करके, इस समूह द्वारा दी गई सेवाओं की प्रशंसा करके तथा विद्युत क्षेत्र को सुधारने में ऐसी सेवाओं की क्षमता को पहचानकर आपकी कंपनी ने इन सेवाओं को विशेष समर्पित व्यवसाय उद्यम के तहत आयोजित करने का फैसला लिया है। विद्युत क्षेत्र को व्यावसायिक परामर्श सहायता प्रदान करने और विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए ऐसी सेवाओं की क्षमता को मान्यता देने के उद्देश्य से आपकी कंपनी ने 25 मार्च, 2008 को आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में पीएफसी कंसल्टिंग लि. (पीएफसीसीएल) का गठन किया, जिससे कि इसे अपने कार्यकलापों में अपेक्षित स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान किया जा सके। पीएफसीसीएल को विद्युत क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को बढ़ावा देने, संगठित करने और संचालित करने का अधिदेश दिया गया और वर्तमान में यह अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) और स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के विकास से संबंधित कार्य भी कर रही है।

पीएफसीसीएल को विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के लिए विकासकर्ताओं के चयन हेतु "बोली प्रक्रिया समन्वयक" (बीपीसी) के रूप में नामित किया गया है।

25 अप्रैल, 2014 को वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए पीएफसी एवं पीएफसीसीएल के बीच समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर

पीएफसीसीएल द्वारा प्रस्तावित सेवाएं मुख्य रूप से इन क्षेत्रों से है:–

- सुधार, पुनर्गठन और नियामक पहलू जैसे विद्युत अधिनियम 2003 के कार्यान्वयन से उठने वाले मुद्दों पर सलाहकारी सेवाएं
- विद्युत क्षेत्र के विभिन्न अनुभागों के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया
- परियोजना गठन/योजना/विकास/विशेष अध्ययन, कार्यान्वयन निगरानी, दक्षता सुधार परियोजनाएं
- संप्रेषण, सूचना प्रसार तथा प्रतिपुष्टि
- संगठन निष्पादन सुधार योजनाओं की तैयारी
- विद्युत क्षेत्र हेतु समझौते से संबंधित सेवाएं

- वित्तीय प्रबंधन, संसाधन जुटाव, लेखा प्रणाली आदि
- कोयला ब्लॉक विकास
- नवीकरणीय तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा परियोजना विकास

अब तक, पीएफसीसीएल द्वारा 21 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में फैले 43 क्लाइंट तक कंसल्टेंसी सर्विस पहुंचाई है। अब तक पूरे किए गए कुल कामों की संख्या 80 है।

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान, पीएफसीसीएल की समग्र आय 55.19 करोड़ रही जबकि वित्त वर्ष 2012–13 में यह 36.49 करोड़ रही। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान, पीएफसीसीएल द्वारा कमाया गया निवल लाभ 26.96 करोड़ रूपया रहा जोकि पिछले वित्त वर्ष में 16.38 करोड़ था।

19.2 पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसी जीईएल) 30 मार्च 2011 को एक पूर्ण स्वायत्त वाली सहायक कंपनी के रूप में हरित (नवीकरणीय एवं गैर पारंपरिक) ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने हेतु वित्त–पोषण करने एवं वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। 31 मार्च 2014 को पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की प्राधिकृत शेयर पूंजी 1200 करोड़ रुपए है और प्रदत्त शेयर पूंजी 300 करोड़ रुपए, जिसमें 10 रुपए मूल्य के 10 करोड़ इक्विटी शेयर तथा 10 रुपए मूल्य के 20 करोड़ पूर्णतः परिवर्तनीय प्राथमिकता शेयर शामिल हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी की प्रदत्त पूंजी 109.99 करोड़ रुपए (31 मार्च 2013) से बढ़कर 300 करोड़ रुपए (31 मार्च 2014) हो गई।

पीएफसी जीईएल ने 55 मेगावाट की नवीकरणीय परियोजनाओं के विकास के लिए वर्ष 2013–14 के दौरान 304 करोड़ का ऋण स्वीकृत करने के साथ अपने पहले पूर्ण वार्षिक प्रचालन में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तपोषण करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पीएफसीजीईएल ने भुगतान के संदर्भ में वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान 25.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। पीएफसीजीईएल को एसएमईआरए रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एसएमईआरए एएए (आईआर) की सर्वश्रेष्ठ क्रेडिट रेटिंग प्रदान की गई है।

पीएफसी जीईएल ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं तथा 21 मई, 2014 को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को संयुक्त रूप से वित्त–पोषण करने के लिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) के साथ समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ।

आर ई परियोजना के लिए संयुक्त वित्त–पोषण को सुकर बनाने हेतु पीएफसीजीईएल एवं पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसिज लि. के बीच समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर

वित्त वर्ष 2014–15 हेतु, पीएफसी जीईएल ने सार्वजनिक उद्यम विभाग के तत्वावधान में गठित टास्क फोर्स के साथ विचार–विमर्श के बाद आपकी कंपनी के साथ 500 करोड़ रुपए के संवितरण के समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ।

चूंकि कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसे पवन, सौर, बायोमास, जल–विद्युत आदि के लिए समर्पित है अतः इससे अपेक्षा की जाती है कि यह बाजार में उपलब्ध समर्पित हरित निधियों का दोहन करे। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के निधियां उपलब्ध कराने हेतु बहुत सी विदेशी निधियन एजेंसियों द्वारा पहल की गई है। हरित ऊर्जा के लिए समर्पित निधियों के प्रवाह से कंपनी इस स्थिति में है कि वह भविष्य में प्रतियोगी ब्याज दरों पर ज्यादा ऋण दे सकेगी।

19.3 पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिज लिमिटेड

पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिज लिमिटेड (पीएफसीसीएएस) की आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में 18 जुलाई, 2011 को स्थापना की गई ताकि सिंडिकेशन सेवाओं सहित वित्तीय सलाहकार सेवाओं की क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। आपकी कंपनी 'पावर लेंडर्स क्लब' का भी प्रबंधन करती है जोकि पीएफसी के तहत कंसोर्टियम करार के अंतर्गत वित्त परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु बैंको और वित्तीयन संस्थानों का एक विशेष समूह है। कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपए है तथा कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 0.10 करोड़ रुपए है।

वर्तमान में पीएफसीसीएएस आपकी कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित परियोजना ऋणों की बिक्री कार्यान्वित करने तथा ऋण सिंडिकेशन सेवाओं में सक्रिय है। चार विभिन्न प्रकार की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं जैसे ताप–विद्युत, जल–विद्युत तथा पवन आदि के सिंडिकेशन प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

आर ई एवं एनर्जी एफिशिएंसी परियोजना के वित्त–पोषण हेतु पीएफसी, इरेडा तथा पीएफसी सीएएस के बीच समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान, पीएफसीसीएएस ने पीएफसी द्वारा हस्ताक्षरित ऋणों में से 1,060 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत कर दिया है। वर्ष के दौरान, पीएफसीसीएएस की कुल आय 6.29 करोड़ रुपए थी जोकि वर्ष 2012–13 में 0.85 करोड़ रुपए के निवल लाभ के साथ बढ़ी।

पीएफसीसीएएस ने अपनी सेवाओं के पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए पहलकारी कदम उठाये हैं। कंपनी ने सेबी से डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की अनुमति हेतु आवेदन किया है तथा यह प्रक्रिया में है।

19.4 पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड

आपकी कंपनी की पूर्ण स्वायत्त सलाहकारी कंपनी पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी) पीएफसी द्वारा इसके अधिग्रहण के पश्चात भी व्यवसाय प्रस्तावों की कमी के कारण किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर पा रही थी अतः आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने और उनका विलय करने के लिए विद्युत मंत्रालय (एमओपी) से अनुमोदन मांगा है। विद्युत मंत्रालय से यह अनुमोदन प्रतीक्षित है।

20.0 संयुक्त उद्यम और एसोसिएट कंपनियां

20.1 नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड

पावर एक्सचेंज के माध्यम से अल्पकालिक ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2008–09 के दौरान आपकी कंपनी ने एनटीपीसी, एनएचपीसी और टीसीएस के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएक्स) को बढ़ावा दिया। आपकी कंपनी इक्विटी अंशदान के लिए 2.19 करोड़ रुपए (31 मार्च 2014 तक प्रदत्त इक्विटी का 16.66% होने के नाते) का सहयोग दिया है। एनटीपीसी और एनएचपीसी ने संयुक्त उद्यम कंपनी से अलग होने का इरादा व्यक्त कर चुके हैं तथा मार्च 2014 में एनपीईएक्स के प्रोमोटर समूह (जीओपी) की अनुशंसाओं पर आधारित एनपीईएक्स के निदेशक मंडल ने एनपीईएक्स को स्वैच्छिक रूप से बंद करने का निर्णय लिया है।

20.2 पीटीसी इंडिया लिमिटेड

पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पीटीसी) को पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एनएचपीसी और पीएफसी द्वारा संयुक्त रूप से बढ़ाया गया। आपकी कंपनी ने 12 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया है जो पीटीसी की कुल इक्विटी का 4.05% है। पीटीसी भारत में पावर ट्रेडिंग सामाधान उपलब्ध कराने वाली एक अग्रणी कंपनी है। भारत सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी की शुरूआत की है, जिसका प्राथमिक फोकस देश में वाणिज्यिक रूप से अधिक सक्रिय विद्युत बाजार का विकास करना है। वर्ष के दौरान, पीटीसी ने 35 कंपनियाँ ट्रेडिंग वाल्यूम के साथ अपने नेतृत्व की स्थिति बनाए रखी। वर्ष के लिए पीटीसी ने 251 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ दर्ज कराया है।

20.3 एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिस लिमिटेड

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिस लिमिटेड (ईईएसएल) को 10 दिसंबर 2009 को स्थापित किया गया। ईईएसएल को भारत और विदेश दोनों में ही एनर्जी एफिशिएंसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक कंपनी द्वारा 25% की समान इक्विटी सहभागिता के साथ पावर ग्रिड, एनटीपीसी, आरईसी और पीएफसी के द्वारा संयुक्त रूप से प्रोत्साहित किया गया। ईईएसएल, उन्नत ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई), के कार्यान्वयन का प्रमुख अंग है। ईईएसएल ने इस वर्ष के लिए लाभ पश्चात कर 3.35 करोड़ रुपए दिखाया है।

21.0 भारत सरकार के साथ समझौता–ज्ञापन

वित्तीय वर्ष 2004–05 को छोड़कर वित्तीय वर्ष 1993–94 से आपकी कंपनी को भारत सरकार द्वारा "उत्कृष्ट रेटिंग" प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए भी आपकी कंपनी ने सभी एमओयू लक्ष्यों को प्राप्त किया है तथा उत्कृष्ट रेटिंग दिए जाने की संभावना है।

22.0 राष्ट्रपति के निदेश

कंपनी को वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रपति का कोई निदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

23.0 निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

अपने प्रचालनों में सीएसआर को एक आधारशील के रूप में अपना कर आपकी कंपनी ने अपनी संवृद्धि दर्शन के एक भाग के रूप में अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया है। यह आपकी कंपनी का प्रयत्न है कि एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट सिटिजन के तौर पर कार्य करे जो समावेशी संवृद्धि के माध्यम से समाज के कल्याण में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस संवृद्धि का उद्देश्य स्वच्छता तथा साफ–सफाई के द्वारा समाज के वंचित वर्गों का विकास, नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन से पर्यावरण संरक्षण, कौशल विकास के माध्यम से समुदायों का सशक्तिकरण है।

सीएसआर की एक पहल : अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं को बेसिक कम्प्यूटर कौशल प्रदान करते हुए

उपरोक्त पहलों को एक सटीक, तीव्र तथा अर्थपूर्ण दिशा देने के संदर्भ में, आपकी कंपनी ने एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली एक मंडल स्तरीय सीएसआर निदेशक समिति गठित की है। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक–आर्थिक मुद्दों के क्षेत्रों पर काम करने के लिए आपकी कंपनी ने अपनी सीएसआर तथा एसडी गतिविधियों को सम्मिलित कर दिया है तथा सार्वजनिक उद्यम, विभाग, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के आधार पर एक नई सीएसआर/एसडी नीति तैयार की है।

आपकी कंपनी ने भारत सरकार से वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान, वित्त वर्ष 2012–14 के कर पश्चात लाभ का 1% सीएसआर तथा एसडी गतिविधियों पर खर्च करने का समझौता किया है। इस प्रकार, आपकी कंपनी ने वर्ष 2013–14 के दौरान सीएसआर तथा एसडी पहलों हेतु 44.38 करोड़ रुपए निर्धारित किए है। यद्यपि, पीएफसी अकेले ही वर्ष 2013–14 के दौरान 70.21 करोड़ रुपए की परियोजना तथा गतिविधियां स्वीकृत कर चुकी है तथा वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं पर 46.52 करोड़ रुपए का संवितरण कर चुकी है। इस फंड का संवितरण मुख्य रूप से कौशल विकास नवीकरणीय ऊर्जा, प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों के बचाव तथा पुनर्वास आदि विभिन्न राज्यों में सामाजिक क्षेत्रों में परियोजनाओं हेतु जारी किया गया है।

सीएसआर के अंतर्गत अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों के ग्रामीण युवाओं को बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग कौशल प्रदान करते हुए

24.0 कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी)

स्टॉक विकल्पों को विश्वभर में कंपनी में योग्य प्रतिमाओं को आकर्षित करने और उन्हें कंपनी में बनाए रखने और कंपनी के हित में कार्मिकों की रूचि को बनाए रखने के लिए एक प्रभावशाली साधन के रूप में मान्यता दी गई है। स्टॉक विकल्प कार्मिकों को कंपनी के विकास से होने वाले लाभ को बांटने और एक लंबी अवधि के लिए संपत्ति सृजित करने का मौका प्रदान करता है। वे कंपनी में कार्मिक स्वामित्व की संस्कृति / वातावरण को भी प्रोत्साहित करते हैं।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने वेतन संशोधन पर अपने दिशानिर्देशों के माध्यम से सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लिए एक कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) को सूत्रबद्ध करने और ईएसपीओ के रूप में कार्मिकों के कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन का 10% से 25% तक भुगतान करना अनिवार्य बनाया था। डीपीई के इन निदेशों के अनुसार निदेशक मंडल ने 'पीएफसी – ईएसओपी 2010' नामक एक कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना प्रतिपादित की। पणधारकों ने भी 21 सितंबर, 2010 को आयोजित अपनी 24वीं वार्षिक आम बैठक में इस कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना को अनुमोदित कर दिया था। बाद में निदेशक मंडल ने निश्चित किया कि कार्मिकों को पीआरपी का 25% ईएसओपी के रूप में दिया जाना चाहिए।

वित्त वर्ष 2009–10 के लिए वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान स्वीकृत 87,888 विकल्पों में से आपकी कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान 83,306 इक्विटी शेयर आबंटित किए है। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान कार्मिकों के द्वारा स्टॉक विकल्पों का प्रयोग करते हुए 4,255 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए। इन विकल्पों का प्रयोग 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य का भुगतान कर सौंपे जाने की तारीख 29 जुलाई, 2012 से दो वर्ष के भीतर प्रयोग में लाये जा सकते हैं अत:, शेष विकल्प निर्धारित अवधि तक कार्मिकों द्वारा प्रयोग न किए जाने पर समाप्त हो जाएंगे।

वर्ष के दौरान, वित्त वर्ष 2010–11 के लिए 92,964 विकल्पों को अर्हक कार्मिकों के लिए स्वीकृत किया गया। हालांकि, इन 92,964 स्वीकृत विकल्पों में से 69,954 विकल्प का कार्मिकों को नगद रूप में समाधान कर दिया गया तथा 1,572 विकल्पों को रद्द कर दिया गया। शेष 21,438 इक्विटी शेयर वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान कार्मिकों द्वारा स्टॉक विकल्प प्रयोग करते हुए आबंटित किए गए।

सेबी (कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना और कार्मिक खरीद योजना) दिशानिर्देश 1999 के खंड 12 के अनुसार ईएसओपी योजना के संदर्भ में प्रकटन इस रिपोर्ट के अनुबंध में किया गया है।

25.0 मानव संसाधन विकास पहल

प्रशिक्षण और विकास

आपकी कंपनी अपने कार्मिकों की क्षमताओं को लगातार उन्नत करने तथा उनके विकास की आवश्यकता पर जोर देती है। आपकी कंपनी प्रशिक्षण की एक सतत् प्रक्रिया के रूप में आवश्यकता पर पुनर्विचार करती है तथा कार्मिकों को उनके संबंधित क्षेत्रों में हो रहे अद्यतन विकास से अवगत रहने का अवसर प्रदान करती है। इसी के साथ, प्रतिस्पर्धा में बनाये रखने के लिए वरिष्ठ कार्यपालकों को भारत तथा विदेशों में प्राथमिक प्रबंधन संस्थान के माध्यम से प्रगतिशील प्रबंधन तकनीकों में एक्सपोजर दिया जाता है। इसे इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न प्रशिक्षण आवश्यकताओं का अनुमान लगाने की कंपनी की एक वार्षिक प्रशिक्षण योजना है। कंप्यूटरीकृत प्रशिक्षण सुविधाओं के जरिए सभी स्तर के कार्मिकों को आवश्यक व्यावसायिक कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2013–14 के दौरान, आपकी कंपनी ने 18 स्थानीय स्तर पर (इन हाउस) कार्यक्रमों का आयोजन किया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कुल 1,659 मैनडेज प्राप्त किए। आपकी कंपनी ने नेतृत्व विकास तथा टीम निर्माण के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया।

'सस्टेनिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस एथिकल विज़न' विषय पर आयोजित सेमिनार में भाग लेते पीएफसी के वरिष्ठ कार्यपालक

26.0 मानव संसाधन प्रबंधन

आपकी कंपनी अपने मानव संसाधन के कौशल विकास को उन्नत करने पर बहुत बल देती है। यह कॉर्पोरेट जगत में अपनाई जाने वाली मौजूदा सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं के अनुरूप अपनी प्रतिक्रियाएं तैयार करती हैं। यह अन्य रणनीतिक हस्तक्षेपों के अलावा मानव संसाधन प्रबंधन का प्रभावी नेतृत्व करती है जिससे उच्च स्तर की उत्पादकता सुनिश्चित होती है।

आपकी कंपनी कार्मिकों तथा नियोक्ता के बीच मैत्रीपूर्ण तथा सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए कार्मिकों के प्रतिनिधियों से नियमित आधार पर बातचीत करती है। संगठन में कार्य के सकारात्मक वातावरण के कारण समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एक भी कार्यदिवस का नुकसान नहीं हुआ।

27.0 कल्याणकारी उपाय

आपकी कंपनी समावेशी वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के माध्यम से अपने कार्मिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उत्तम प्रबंधन पद्धतियों का पालन करती है। कंपनी मुक्त द्वार नीति का पालन करती है जिससे कार्मिक उच्च प्रबंधन तक पहुंच बनाकर कंपनी के प्रबंधन और प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। कार्यबल की प्रतिबद्धता, कल्याणकारी उपायों के एक प्रभावशाली पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित होती है जिसमें विस्तृत बीमा, चिकित्सकीय सुविधाएं और अन्य सुख–सुविधाएं शामिल हैं, जो बदले में एक स्वस्थ कार्यबल का सृजन करती हैं। आपकी कंपनी उन गिने चुने संगठनों में से एक है जो सेवानिवृत कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सहयोगात्मक सेवानिवृति पश्चात चिकित्सकीय फण्ड ट्रस्ट का निर्माण करते है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान कार्मिकों के कल्याण के लिए बहुत से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए। आपकी कंपनी ने टीम भावना को बनाने तथा सुसंगत कार्य संस्कृति के निर्माण हेतु स्पोर्ट ईवेंट भी आयोजित किए।

28.0 कंपनी की सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण।

आपकी कंपनी अपने सामाजिक दायित्व के अंग के तौर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्यथा सक्षम व्यक्तियों

को आरक्षण दिए जाने हेतु सरकार द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के सभी प्रयास करती है। उठाए गए कदमों में अपेक्षित आरक्षण और विभिन्न निदेशों के अंतर्गत छूट शामिल हैं।

वर्ष 2013–14 में कुल 30 नए कार्मिकों की भर्ती की गई जिसमें से 10% अनुसूचित जाति (3) 3.3% अनुसूचित जनजाति (1) और शून्य अन्यथा सक्षम व्यक्ति (0) और 36.7% अन्य पिछड़ा वर्ग (11) के हैं।

29.0 महिला कार्मिकों के लिए आरक्षण

आपकी कंपनी अपनी महिला कार्मिकों को उन्नति के समान अवसर प्रदान करती है और आज कंपनी प्रमुख कार्यकारी क्षेत्रों की अध्यक्षता कर रही महिलाओं पर गर्व कर सकती है। कंपनी द्वारा लिंग के आधार पर कार्मिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। महिला कार्मिक कुल कार्यबल के 19. 73% का प्रतिनिधित्व करती हैं।

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान, सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ वूमेन एट वर्क प्लेस (प्रीवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेस्सल) एक्ट 2013 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

30.0 निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2 क क) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, आपके निदेशक निश्चित इस बात की पुष्टि करते हैं कि

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया और उन्हें लगातार लागू किया तथा उपयुक्त और विवेकपूर्ण निर्णय दिए और अनुमान लगाए ताकि वित्त वर्ष 2013–14 के अंत में कंपनी के कार्यकलापों और उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ की सच्ची और स्पष्ट स्थिति बताई जा सके।
- कंपनी की परिसंपत्ति को सुरक्षित करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और उनकी पड़ताल करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार लेखा रिकार्डों के उपयुक्त रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा गया है।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक लेखे जारी (निरंतर कार्यरत) कंपनी के आधार पर तैयार किए गए हैं।

31.0 लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए मैसर्स के. बी. चांदना एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और मैसर्स एन के भार्गव एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और किसी अर्हता के बिना अपनी रिपोर्ट दी है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि इसके अनुबंध में संलग्न है।

32.0 भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक ने यह उल्लेख किया है कि लेखापरीक्षा के आधार पर उन्हें ऐसी कुछ भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या उसके पूरक के रूप में कोई कथन जोड़ने के लिए प्रेरित करे। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रिपोर्ट की प्रतिलिपि इसके अनुबंध में संलग्न है।

33.0 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कार्मिकों के विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के प्रावधानों के तहत तथा कंपनी (कार्मिकों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पढ़े जाने पर जिन्हें समय–समय पर संशोधित किया गया है, उन कार्मिकों, जो प्रति वर्ष 60 लाख रुपए से अधिक या 5 लाख प्रति माह या उससे अधिक कुल पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे थे, के विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

34.0 डिबेंचर न्यासी

कंपनी द्वारा विभिन्न सीरीज के बॉण्डों के लिए नियुक्त किए गए डिबेंचर न्यासियों के विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

35.0 बॉण्ड के संबंध में दावा न की गई राशि का मोचन (रिडेंप्शन) और स्थिति

बॉण्ड

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार बॉण्डों की दावा न की गई बकाया राशि (मूलधन और ब्याज) 6.50 करोड़ रुपए थी। चूंकि मोचन (रिडेंप्शन) की तिथि से 7 वर्ष नहीं बीते हैं, निवेशक शिक्षा संरक्षण फंड को कोई राशि ट्रांसफर नहीं की जा सकती।

इक्विटी

31 मार्च, 2014 को लाभांश (इक्विटी) की दावा न की गई राशि तथा (एफपीओ) को लौटाने के लिए शेष राशि तथा प्राप्त किया गया आवेदन धन क्रमशः 1.45 करोड़ रुपए तथा 0.04 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान मार्च 2014 को एप्लिकेशन मनी रिसीवड एंड ड्यू फॉर रिफंड (आईपीओ) के तहत 11,89,630 करोड़ रुपए की राशि इंवेस्टर एड्यूकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) को ट्रांसफर कर दी गई। निवेशकों का विवरण (जिनका रिफंड शेष है) पीएफसी की वेबसाइट पर और आईईपीएफ की वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

36.0 सतर्कता

वर्ष 2013–14 के दौरान, सतर्कता यूनिट ने निवारक सतर्कता पर जोर देते हुए प्रबंधन के प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य किया। इस संदर्भ में सतर्कता यूनिट ने विभिन्न यूनिटों का आवधिक व आकस्मिक निरीक्षण करके प्रणाली को सरल बनाने के कारगर दिशा–निर्देश जारी किए, जिनका उद्देश्य दिन–प्रतिदिन में कार्यों में मौजूदा खामियों को दूर करके पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। सभी शेयर धारकों को नाम ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने तथा सांगठनिक क्षमता का संवर्धन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग एक प्रभावी उपकरण के रूप में किया गया। सतर्कता यूनिट ने कंपनी के विभिन्न कार्यकलापों के प्रचालन मैनुअलों की भी समीक्षा की। कंपनी के कार्यकलापों से जुड़े बहुत से क्षेत्रों पर कई विस्तृत मैनुअल समीक्षा के पश्चात अधिसूचित किए जा चुके हैं और कुछ अन्य मैनुअलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस अवधि के दौरान, पंजीकृत की गई शिकायतों के संदर्भ में विस्तृत जांच की गईं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कंपनी के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में 28 अक्टूबर, 2013 से 2 नवंबर 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सर्तकता जागरूकता सप्ताह के दौरान, कंपनी के अधिकारियों और कर्मियों को 'संगठन के नीतिशास्त्रीय दर्शन का संवहन' विषयक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में, प्रसिद्ध संकाय सदस्यों के साथ विभिन्न विषयों जैसे निजी मूल्य तथा नीतिशास्त्र तथा किसी संगठन में कार्य करते समय नैतिकता संबंधी अंतर्द्वंद्व वाली दिन प्रतिदिन भी परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए आदि पर अंतःक्रिया सत्र आयोजित किया।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अनुदेशों के अनुपालन में कंपनी ने संवेदनशील पदों की नए सिरे से पहचान की और संबंधित अधिकारियों को उन पदों पर रोटेट किया गया।

कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली, तथा क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई एवं चेन्नई के संदर्भ में सीबीआई के परामर्श से सहमति सूचियों को अंतिम रूप दिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और विद्युत मंत्रालय को निर्धारित आवधिक सांख्यिकीय रिटर्न समय पर भेजे गए।

इस प्रकार सतर्कता यूनिट ने व्यवस्थित सुधारों के लिए इस दृष्टिकोण के साथ कार्य किया कि बेहतर पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और जबावदेही सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार सतर्कता यूनिट ने कंपनी की संपूर्ण दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए संपूर्ण दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

37.0 राजभाषा

वर्ष 2013–14 राजभाषा के क्षेत्र में आपकी कंपनी के लिए एक शानदान उपलब्धि वर्ष रहा। नराकास राजभाषा शील्ड (विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार), राजभाषा कार्यान्वयन हेतु तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) द्वारा दिया गया नराकास प्रतियोगिता सम्मान ट्रॉफी जैसे विभिन्न पुरस्कार कंपनी को दिए गए। इसी के साथ हिंदी प्रयोग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए राजभाषा संस्थान द्वारा 'कार्यालय दीप शील्ड', राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु 'राजभाषा शिरोमणी शील्ड 2014 तथा भारतीय भाषा एवं संस्कृत संस्थान द्वारा राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उप महाप्रबंधक (राजभाषा) को 'राजभाषा मनीषी शील्ड' प्रदान की गई। हमारे एक कार्मिक ने टीओएलआईसी के तत्वावधान में आयोजित अंतर पीएसयू वाद–विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता।

राजभाषा के कार्यान्वयन में सुधार करने तथा पुनर्विचार करने के लिए प्रत्येक तीन महीने में आपकी कंपनी की हिंदी वेबसाइट लगातार अपडेट की जाती है। 12 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें 242 कार्यपालक तथा गैर–कार्यपालक प्रशिक्षित किए गए तथा यूनिकोड के प्रयोग पर विशेष विश्वास पैदा किया गया। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषी रूप में प्रकाशित की गई। कंपनी की त्रैमासिक पत्रिका 'ऊर्जादीप्ति' नियमित आधार पर प्रकाशित की जाती है।

हिंदीमय वातावरण तैयार करने के लिए कंपनी ने 14 सितंबर, 2013 को हिंदी दिवस मनाया तथा 14 सितंबर, 2013 से 15 अक्टूबर, 2013 तक हिंदी माह मनाया। नारा/स्लोगन लेखन, वर्तनी शोधन, संस्मरण, भाव पल्लवन, कहानी बुनो तथा मूक प्रहेलिका जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सभी 216 कार्मिकों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। चित्र (मौखिक) अभिव्यक्ति प्रतियोगिता जैसे अंतर पीएसयू प्रतियोगिताएं भी टीओएलआईसी के तत्वावधान में आयोजित की गईं जहां 25 विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपकमों के कार्मिकों ने भाग लिया। 'सर्तकता जागरूकता सप्ताह' के दौरान तीन प्रतियोगिताएं हिंदी में आयोजित की गई, स्लोगन हिंदी में लिखे गए तथा एसएमएस हिंदी में भेजे गए।

वर्ष के दौरान, पीएफसी मुख्य कार्यालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा किया गया। विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों ने भी दिल्ली में मुख्यालय का निरीक्षण किया। इसी के साथ क्षेत्रीय कार्यलय (दक्षिण) चेन्नई तथा क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम) मुंबई का भी निरीक्षण किया।

संसदीय राजभाषा समिति का दौरा

38.0 सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जिससे कि हम अपने आपको ऐसे बहुत से मुद्दों के बारे में जानकारी से अद्यतन रख सकते हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सूचना के बिना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के अंतर्गत गारंटित "वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" के मूल्यवान मौलिक अधिकार का प्रयोग करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व देता है और ऐसे अधिकार का अधिक प्रभावी ढंग से और दक्षतापूर्वक प्रयोग सुनिश्चित करने पर बल देता है। देश के लोग देश के लोगों के कल्याण और विकास हेतु उसके कार्यकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक बेहतर और प्रभावी ढंग से सूचना प्राप्त की जा सके और केंद्र तथा राज्य दोनों के सार्वजनिक विभागों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सके और उनकी जवाबदेही में सुधार किया जा सके।

आपकी कंपनी ने नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने और जबावदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005 (आरटीआई एक्ट, 2005) का कार्यान्वयन किया है। कंपनी ने आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंजीकृत कार्यालय में सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ), एक अपीलीय प्राधिकारी के अलावा एक पारदर्शिता अधिकारी नामित किया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सभी 89 आवेदनों के संबंध में विधिवत कार्रवाई की गई और लोगों को अपेक्षित जानकारी दी गई। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुपालन में सभी आवश्यक जानकारी कंपनी की बेवसाइट पर भी अपलोड की गई। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए तिमाही / वार्षिक रिपोर्ट ऑन लाइन भरने के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के दिशानिर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया है।

आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4 के तहत सूमोटो डिस्क्लोजर्स

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान, आरटीआई एक्ट, 2005 की धारा 4 में शामिल डिस्क्लोजर्स के प्रावधानों के अनुपालन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (डीओपीटी) 15:04:2013 को अपना का. ज्ञा. सं. 1/6/11–आई आर के तहत निम्न निर्देश जारी किए:

I. धारा 4 के अंतर्गत अधिक उत्पादों का सूमोटो डिस्क्लोजर;

II. धारा 4 के अंतर्गत प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के डिजीटल प्रकाशन हेतु दिशा निर्देश;

III. डिस्क्लोजर को अधिक प्रभावी बनाने हेतु धारा 4(1) के कुछ भागों के लिए दिशा निर्देश;

IV. आरटीआई एक्ट, 2005 के तहत सूमोटो डिस्क्लोजर (प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर) हेतु अनुपालन तंत्र पूर्वकथित दिशा निर्देशों के अनुपालन में; आपकी कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर आवश्यक सूचना जारी कर दी है।

39.0 शिकायत निवारण

कंपनी ने अपने कार्मिकों, ग्राहकों और व्यापक स्तर पर जनता की शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत निवारण प्रणालियां मौजूद हैं। ये प्रणालियां विधिवत रूप से अधिसूचित हैं और लोगों को आसानी से उपलब्ध हैं। निर्धारित समय सीमा में शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए एक नामित नोडल अधिकारी को जबावदेह बनाया गया है। कंपनी ने अपने कार्यकलापों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नागरिक चार्टर भी अधिसूचित किया है। लोगों की पहुंच सुकर बनाने के उद्देश्य से यह चार्टर कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

40.0 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से प्राप्तियों का विवरण

वर्ष 2013–14 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से की गई प्राप्तियों का विवरण तथा वित्तवर्ष 2014–15 के लक्ष्य जिन्हें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत दर्शाया गया है, निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2013–14 की उपलब्धियां	वित्त वर्ष 2014–15 हेतु लक्ष्य
I	कुल वार्षिक प्राप्ति (मूल्य में)	311,89,453 रू	330,00,000 रू
II	एमएसई से प्राप्त वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य (एससी/एसटी उद्यमियों द्वारा स्वायत्त एमएसई सहित)	73,54,663 रू	66,00,000 रू
III	केवल एससी/एसटी उद्यमियों द्वारा स्वायत्त एमएसई को प्राप्त वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य	—	13,20,000***
IV	कुल प्राप्तियों में से एमएसई की प्राप्तियों का % (एमसी/एसटी उद्यमियों द्वारा स्वायत्त एमएसई सहित)	23.5%	20%
V	कुल प्राप्तियों में से केवल एससी/एसटी उद्यमियों द्वारा स्वायत्त एमएसई की प्राप्तियों का %	—	—
VI	एमएसई हेतु रेहड़ी विकास कार्यक्रम की कुल संख्या	—	6 महीने में एक रेहड़ी कार्यक्रम
VII	हाइपरलिंक द्वारा आपकी वेबसाइट पर वार्षिक एमएसई प्राप्ति प्रोफाइल को अपलोड करने की पुष्टि	—	वर्षिक प्राप्ति योजना www.pfcindia.com पर अपलोड की गई है

* प्राप्ति मूल्य में एमएसएमई, केबी, एनसीसीएफ, डीसीसीडब्ल्यूएस लिमिटेड, हैंडिक्राफ्ट एम्पोरियम तथा सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज की खरीदारी शामिल है।
** एमएसएमई एससी एसटी एजेन्सी के माध्यम से उत्पाद की उपलब्धता का विषय

41.0 पोस्टल बैलेट

मई–जून 2014 के दौरान, आपकी कंपनी ने विशेष प्रस्ताव पारित करके निम्नलिखित प्रस्तावों पर शेयरधारकों के अनुमोदन प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए पोस्टल बैलेट का आयोजन किया:

(क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42 के प्रावधानों को कंपनी (प्रोस्पेक्टस एवं एलोटमेण्ट ऑफ सिक्यूरिटीज) नियम 2014 के साथ पढ़कर, के तहत गैर परिवर्तन योग्य डिबेंचरों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से संसाधनों में बढ़ोतरी करना।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1)(सी) के प्रावधानों को लागू करने योग्य नियमों के साथ पढ़कर उनके तहत कंपनी के व्यवसाय के उद्देश्य हेतु ऋण क्षमता का संवर्धन

(ग) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 180(1)(अ) के प्रावधानों को लागू करने योग्य नियमों के साथ पढ़कर उनके तहत कंपनी की पूंजी पर कर लगाने और/अथवा निगरानी करने के लिए निदेशक मण्डल को प्राधिकृत करना उपरोक्त सभी प्रस्तावों को शेयरधारकों ने आवश्यक बहुमत के साथ पारित कर दिया तथा इस पोस्टल बेलेट का परिणाम 20 जून 2014 को घोषित किया गया।

42.0 निदेशक बोर्ड

1 अप्रैल, 2012 से आपकी कंपनी के निदेशक बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :

- श्री एम.के. गोयल, निदेशक (वाणिज्यिक) ने 13 सितंबर 2013 से श्री सतनाम सिंह से अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला।
- श्री विजय मोहन कौल ने 24 जून 2013 से पीएफसी के निदेशक मंडल, गैर सरकारी (स्वतंत्र) अंशकालिक निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री योगेश चंद गर्ग ने 22 अगस्त 2013 से गैर–सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक पीएफसी बोर्ड का कार्यभार संभाला।
- श्री अजीत प्रसाद, गैर सरकारी, अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक ने 8 अक्टूबर 2013 को अपने कार्यकाल के पूरा होने पर कंपनी के निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया।
- श्री कृष्ण मोहन साहनी ने 31 दिसंबर 2013 को अपने कार्यकाल पूरा होने पर कंपनी के निदेशक पद से त्यागपत्र दिया।

निदेशक मंडल ने श्री सतनाम सिंह, श्री अजीत प्रसाद तथा श्री कृष्ण मोहन साहनी द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में और इसकी विभिन्न समितियों में रहते हुए दिए गए उल्लेखनीय योगदान की हार्दिक प्रशंसा करता हैं।

निदेशक मंडल श्री विजय मोहन कौल तथा श्री योगेश चंद गर्ग का स्वागत करता है और यह विश्वास व्यक्त करता है कि उनके सुदीर्घ और व्यापक अनुभव का कंपनी को आधिकाधिक लाभ मिलेगा।

43.0 सांविधिक और अन्य संबद्ध सूचना

कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार, प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक सूचना, स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध किए जाने विषयक करार, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश आदि के विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध में निम्नानुसार दिए गए हैं :

विवरण	अनुबंध
प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	I
निगमित शासन पर रिपोर्ट	II
व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	III
कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 212 के अनुसार विवरण	IV
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र	V

44.0 स्वीकारोक्ति

निदेशक मंडल, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, निगमित कार्य मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और केंद्र तथा राज्य स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी विभागों / एजेंसियों के साथ–साथ विभिन्न घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों / बैंकों, एजेंसियों आदि द्वारा कंपनी को दिए गए मार्गदर्शन, सहयोग और प्रोत्साहन के लिए तहेदिल से उनकी प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और भारतीय बैंकों / बहुराष्ट्रीय एजेंसियों / वित्तीय संस्थानों / क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के प्रति उनके द्वारा पीएफसी पर लगातार व्यक्त किए गए विश्वास और भरोसे के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आपका निदेशक मंडल उपभोक्ताओं और ग्राहकों के प्रति भी उनके सतत विश्वास और सहायता के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

कंपनी भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और सांविधिक लेखापरीक्षकों का भी उनके सृजनात्मक सुझावों और सहयोग के लिए धन्यवाद करती है।

हम कंपनी का चहुंमुखी उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने के लिए कार्मिकों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और योगदान के लिए उनकी भी तहेदिल से प्रशंसा करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

एम. के. गोयल

(एम. के. गोयल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 अगस्त, 2014

31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना और कार्मिक स्टॉक खरीद योजना), दिशानिर्देश 1999 के खंड 12 के प्रावधानों के अनुसार प्रकटन

क्र. सं.	विवरण	पीएफसी – ईएसओपी 2010
(क)	स्वीकृत विकल्प	109326
(ख)	मूल्य निर्धारण फार्मूला	अंकित मूल्य 10 रुपए
(ग)	दिए गए विकल्प	153
(घ)	लागू किए गए विकल्प	108999
(ड.)	विकल्प लागू करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले शेयरों की कुल संख्या	108999
(च)	जब्त किए गए/छोड़ दिए गए विकल्प	174
(छ)	समाप्त विकल्प	शून्य
(ज)	ईएसओपी की शर्तों में विचलन	शून्य
(झ)	विकल्पों के प्रयोग से वसूल की गई धनराशि	1,08,9990 रुपए
(ञ)	लागू विकल्पों की कुल संख्या	153
(ट)	वित्तीय वर्ष 2013–14के दौरान निम्नलिखित को स्वीकृत किए गए विकल्पों के कार्मिकवार विवरण :	
	(i) वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक	
	नाम	स्वीकृत विकल्पों की संख्या
	शून्य	लागू नहीं
	(ii) ऐसे कार्मिक, जिन्हें वर्ष के दौरान स्वीकृत किए गए विकल्पों के 5% अथवा अधिक विकल्प वर्ष के दौरान स्वीकृत किए गए	
	नाम	स्वीकृत विकल्पों की संख्या
	शून्य	लागू नहीं
	(iii) ऐसे चिह्नित कार्मिक, जिन्हें वर्ष के दौरान स्वीकृति के समय कंपनी की जारी पूंजी (बकाया वारंट और परिवर्तन को छोड़कर) के 1% के समतुल्य अथवा अधिक विकल्प स्वीकृत किए गए	
	नाम	स्वीकृत विकल्पों की संख्या
	शून्य	लागू नहीं
(ट)	**लेखांकन मानक (एएस) 20 के अनुसार परिकलित विकल्पों को लागू करने पर जारी शेयरों के अनुरूप प्रति शेयर मिश्रित(डाइल्यूटिड) अर्जन**	41.04
(ठ)	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू पद्धति के अनुसार, परिकलित स्टॉक आधारित क्षतिपूर्ति लागत 2,73,804 रु. है। यदि स्टॉक आधारित क्षतिपूर्ति लागत की गणना सेबी द्वारा विहित स्पष्ट मूल्य पद्धति के अनुसार की गई होगी, तो 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में दर्शाई जाने वाली कुल लागत 2,55,698 रुपए रही होती। स्पष्ट मूल्य पद्धति को अपनाने से प्रति शेयर निवल आय और अर्जन पर पड़ने वाला प्रभाव नीचे दर्शाया गया है।	
	समायोजित प्रोफार्मा, निवल आय और प्रति शेयर अर्जन	
	विवरण	**रुपए**
	रिपोर्ट की गई निवल आय	
	जोड़ें : इट्रिंसिक मूल्य क्षतिपूर्ति लागत	273804
	घटाएं : स्पष्ट मूल्य क्षतिपूर्ति लागत	255698
	समायोजित प्रो फार्मा निवल आय	18106
	प्रति शेयर अर्जन : आधारभूत रिपोर्ट के अनुसार समायोजित प्रो फार्मा	
	प्रतिशेयर अर्जन : मिश्रित (डाइल्यूटिड) रिपोर्ट के अनुसार समायोजित प्रो फार्मा	

(ङ)	**वर्ष के दौरान स्वीकृत किए गए विकल्पों का भारित औसत लागू मूल्य जिनका**		
	(i)	बाजार कीमत के समतुल्य लागू कीमत	शून्य
	(ii)	बाजार कीमत की तुलना में अधिक लागू कीमत	शून्य
	(iii)	बाजार कीमत की तुलना में कम लागू कीमत	शून्य
	वर्ष के दौरान स्वीकृत विकल्पों का भारित औसत सही मूल्य जिनका		
	(i)	बाजार कीमत के समतुल्य लागू कीमत	शून्य
	(ii)	बाजार कीमत की तुलना में अधिक लागू कीमत	शून्य
	(iii)	बाजार कीमत की तुलना में कम लागू कीमत	शून्य
(ढ)	**वर्ष के दौरान स्वीकृत किए गए विकल्पों के वास्तविक मूल्य का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल की गई पद्धति और अनुमान**		
	वर्ष के दौरान कोई विकल्प स्वीकृत नहीं किए गए		

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अनुसार

कार्मिकों के विवरण

नाम	पदनाम और कार्यों का स्वरूप	मेहनताना (रूपए में)	योग्यता	रोजगार में आने की तारीख	अनुभव (वर्ष में)	31 मार्च, 2014 को आयु (वर्ष में)	अंतिम रोजगार	अभ्युक्तियां
पूरे वर्ष के लिए नियोजित								
शून्य								
वर्ष के दौरान कुछ समय के लिए नियोजित								
श्री वी. के. शाह	कार्यपालक निदेशक	31,94,296	एमई	01 फरवरी, 1990	36	60	यूपीएसईबी	30 सितंबर 2013 को अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हुए।
श्री आर. आर. खान	कार्यपालक निदेशक	47,51,058	बीएसई (इंजीनियरिंग)	11 जुलाई, 1990	36	60	एसीसी	31 दिसंबर, 2013 को अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हुए।
श्री एम. सी. मलिक	महाप्रबंधक	26,89,003	एमए एमकॉम	22 जून, 1993	35	60	ऑयल कॉर्डिनेशन कंपनी	31 अगस्त, 2013 को अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हुए।

नोटः

1. उपर्युक्त व्यक्ति कंपनी के नियमित कार्मिक थे।
2. ऊपर सूचीबद्ध कार्मिकों में से कोई भी कंपनी के किसी निदेशक से संबंधित नहीं हैं।
3. ऊपर दर्शाई गई राशि में वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान उन्हें भुगतान की गई सभी राशियां शामिल हैं।

विभिन्न श्रेणी के बॉण्डों के लिए आपकी कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए डिबेंचर ट्रस्टी :

क्र. सं.	ट्रस्टी का नाम एवं पता	बॉण्ड श्रृंखला
1.	**आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड** दि आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सेंटर प्लॉट सी–22, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई–400051	9.60% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2017) श्रृंखला – XIII 8.21% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2017) श्रृंखला – XVII 7.87% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2017) श्रृंखला – XVIII शून्य कूपन बॉण्ड (2022) श्रृंखला – XIX 7.19% 10 वर्ष कर मुक्त बॉण्ड 12–13 टीआर–1 श्रृंखला –1 7.69% 10 वर्ष कर मुक्त बॉण्ड 2012–13 टीआर–1 श्रृंखला –1 7.36% 15 वर्ष कर मुक्त बॉण्ड 2012–13 टीआर–1 श्रृंखला –2 7.86% 15 वर्ष करमुक्त बॉण्ड 2012–13 टीआर–1 श्रृंखला –2 6.88% टीआर–2 कर मुक्त बॉण्ड 12–13 7.38% टीआर–2 कर मुक्त बॉण्ड 12–13 7.04% टीआर–2 कर मुक्त बॉण्ड 12–13 7.54% टीआर–2 कर मुक्त बॉण्ड 12–13 8.35% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 104–A 8.30% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 104–B 8.19% टीएएक्सयू पीएफसी सहायक बॉण्ड– श्रृंखला 105 8.29% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 106–A 8.27% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 106–B 8.01% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 107–A 8.46% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 107–B 9.80% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 108 9.81% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 109 9.58% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 110 9.65% टीएएक्सयू पीएफसी सहायक बॉण्ड– श्रृंखला 111 9.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 112 B – (एसटीआरपीपीएस) 9.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 112 B – (एसटीआरपीपीएस) 9.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 112C– (एसटीआरपीपीएस) 9.70% टीएएक्सयू पीएफसी सहायक बॉण्ड– श्रृंखला 114 9.69% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 113 कर मुक्त बॉण्ड 2013–14 ट्रेंच । श्रृंखला 1A कर मुक्त बॉण्ड 2013–14 ट्रेंच । श्रृंखला 2A कर मुक्त बॉण्ड 2013–14 ट्रेंच । श्रृंखला 3A कर मुक्त बॉण्ड 2013–14 ट्रेंच । श्रृंखला 1B कर मुक्त बॉण्ड 2013–14 ट्रेंच । श्रृंखला 2B कर मुक्त बॉण्ड 2013–14 ट्रेंच । श्रृंखला 3 B
2.	**आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज लिमिटेड,** एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड इस्टेट, मुंबई –400001	7.00% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2011) श्रृंखला – XXI-B 8.85% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2021) श्रृंखला – XXVIII 8.80% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2016) श्रृंखला – XXIX-A 8.78% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2016) श्रृंखला – XXXI-A 9.90% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2017) श्रृंखला – XXXIII-B 9.90% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2017) श्रृंखला – XXXIV

		9.68% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2018) श्रृंखला – XLVII-C 10.55% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2018) श्रृंखला – XLVIII-C 10.85% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2018) श्रृंखला – XLIX-B 10.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2015) श्रृंखला – 50-C 11.00% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2018) श्रृंखला – 51-C 11.30% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2015) श्रृंखला – 52-B 11.25% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2018) श्रृंखला – 52-C 7.50% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2014) श्रृंखला – 55-B 8.60% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2014) श्रृंखला – 57-B 8.60% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2019) श्रृंखला – 57-B 8.60% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2024) श्रृंखला – 57-B 8.45% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2014) श्रृंखला – 58-B 8.45% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2014) श्रृंखला – 59-A 8.80% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2019) श्रृंखला – 59-B आईएनसीएमटीबीएमके संबद्ध टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2019) श्रृंखला – 60-B 8.50% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2014) श्रृंखला – 61 8.50% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2019) श्रृंखला – 61 8.50% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2024) श्रृंखला – 61 8.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2020) श्रृंखला – 62-A 8.80% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2025) श्रृंखला – 62-B 8.90% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2015) श्रृंखला – 63 8.90% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2020) श्रृंखला – 63 8.90% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2025) श्रृंखला – 63 8.95% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2015) श्रृंखला – 64 8.95% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2020) श्रृंखला – 64 8.95% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2025) श्रृंखला – 64
3.	**दि वेस्टर्न इंडिया ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर कम्पनी लिमिटेड,** सी/ओ आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज लि. एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17, आर, कमानी मार्ग, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई–400 001	7.60% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2015) श्रृंखला – XXV 7.95% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2016) श्रृंखला – XXVI 8.20% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2016) श्रृंखला – XXVII-A 9.96% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2017) श्रृंखला – XXXV 9.28% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड (2017) श्रृंखला – XL-C
4.	**पीएनबी इंवेस्टमेंट सर्विसिज लि.** 10, राकेश दीप बिल्डिंग, युसुफ सराय, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, गुलमोहर एंक्लेव, नई दिल्ली – 110 049	8.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 65 8.65% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 66-A 8.75% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 66-B 8.85% पीएफसी इंफ्रास्ट्रचर बॉण्ड श्रृंखला – 66-C 8.25% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 68-A 8.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 68-B 8.78% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 70 9.05% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 71 8.97% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 72-A 8.99% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 72-B दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्ड 2011–12 श्रृंखला – I

		दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्ड 2011–12 श्रृंखला – II दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्ड 2011–12 श्रृंखला – III दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्ड 2011–12 श्रृंखला – IV दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्ड 2011–12 श्रृंखला – 86A दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्ड 2011–12 श्रृंखला – 86B दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्ड 2011–12 श्रृंखला – 86C दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्ड 2011–12 श्रृंखला – 86D 8.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 73 9.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 74 9.64% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 75 -A 9.62% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 75 -B 9.61% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 75 -C 9.36% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 76-A 9.46% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 76-B 9.41% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 77 -A 9.45% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 77-B 9.44% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 78-B 7.51% एसईसी कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 79-A 7.75% एसईसी कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 79-B 8.09% एसईसी कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 80-A 8.16% एसईसी कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 80-B 9.63% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 82-A 9.64% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 82-B 9.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 82-C 9.55% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 83 9.33% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 84 9.51% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 85-A 9.30% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 85-C 9.26% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 85-D 9.72% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 87-B 9.59% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 87-C 9.42% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 87-D 9.66% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 88-B 9.48% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 88-C
5.	**जीडीए ट्रस्टीशिप लि.** जीडीए हाउस, प्लॉट नं. 85, सर्वे संख्या 94 / 95, पॉड रोड, पुणे – 411 038	दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्ड 2011 श्रृंखला – I दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्ड 2011 श्रृंखला – II दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्ड 2011 श्रृंखला – III दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्ड 2011 श्रृंखला – IV कर मुक्त बॉण्ड 2011–12 श्रृंखला – I कर मुक्त बॉण्ड 2011–12 श्रृंखला – II 9.52% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 89-A 9.46% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 89-B

		9.61% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 90-A 9.41% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 90-B 9.40% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 91-A 9.39% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 91-B 9.21% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 92-A 9.27% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 92-B 9.29% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 92-C 8.85% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 93-A 8.91% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 93-B 7.21% कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 94-A 7.38% कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 94-B 7.22% कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 95-A 7.38% कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 95-B 8.90% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 96 8.75% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 97 8.72% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 98-A (एसटीआरपीपीएस) 8.72% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 98-B (एसटीआरपीपीएस) 8.72% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 98-C (एसटीआरपीपीएस) 8.77% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 99-A 8.82% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 99-B 8.86% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 100-A 8.84% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 100-B 8.95% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 101-A 9.00% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 101-B 8.90% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–102(A)-I (एसटीआरपीपीएस) 8.90% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–102(A)-II (एसटीआरपीपीएस) 8.90% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–102(A)-III (एसटीआरपीपीएस) 8.87% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 102-B 8.87% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 103

निदेशक रिपोर्ट का अनुबंध–I

प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी (पीएफसी) के प्रबंधन को वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी के निष्पादन सहित औद्योगिक परिदृश्य पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

औद्योगिक ढांचा और विकास

हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विद्युत एक अभिन्न आवश्यकता है। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण अवसरंचना है, जिस पर देश का सामाजिक–आर्थिक विकास निर्भर करता है। विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में भारत में मिश्रित रूप से थर्मल, हाइडल और न्यूक्लियर स्रोतों को अपनाया है। इनमें से कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट विद्युत उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं अर्थात ये विद्युत उत्पादन की मुख्य धारा हैं। निश्चित ही ऊर्जा के गैर–पारंपरिक स्रोतों अर्थात सौर, पवन पर भी जोर दिया जा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान ऊर्जा संरक्षण उपायों और मांग–आपूर्ति प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016–17 तक 1,403 बिलियन यूनिट की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी वर्ष 2017 तक 9% और 2,030 तक 11% होने की उम्मीद है। कार्बन उत्सर्जन के परिप्रेक्ष्य में एक अन्य स्वच्छ स्रोत परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 2017 तक 5% और 2030 तक 12% तक बढ़ने की उम्मीद है। इन सभी स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को शामिल करते हुए जल विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और परमाणु ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक 39% तक बढ़ने की उम्मीद है।

उत्पादन

संस्थापित क्षमता

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, भारत की कुल संस्थापित क्षमता 2,43,028.95 मेगावाट थी। इसमें ताप विद्युत स्रोतों की हिस्सेदारी अभी भी सर्वाधिक 69.23% (1,68,254.99 मेगावाट) बनी हुई है, तत्पश्चात जल विद्युत स्रोतों का योगदान 16.68% (40,531.41 मेगावाट), नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान 12.12% (29,462.55 मेगावाट) और परमाणु ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1.97% (4,780 मेगावाट) है। राज्य क्षेत्र की संस्थापित क्षमता 92,187.70 मेगावाट (37.93%), निजी क्षेत्र की संस्थापित क्षमता 82,715.30 मेगावाट (34.04%) और केंद्रीय क्षेत्र की संस्थापित क्षमता 68,125.95 मेगावाट (28.03%) है।

क्षमता अभिवृद्धि

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012–17) के दौरान 88,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जिसमें क्रमशः 26,182 मेगावाट केंद्रीय क्षेत्र, 15,530 मेगावाट राज्य क्षेत्र और 46,825 मेगावाट निजी क्षेत्र का योगदान रहने की उम्मीद है। वर्ष 2013–14 के लिए क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य 18,432.30 मेगावाट निर्धारित किया गया। हालांकि वर्ष 2013–14 के दौरान वास्तविक क्षमता अभिवृद्धि निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 17825.01 मेगावाट तक कर ली गई है, जिसके विवरण निम्नानुसार हैं :

(मेगावाट)

स्रोत	केंद्रीय	राज्य	निजी	योग	हिस्सेदारी (%)
जल–विद्युत	914.01	45	99.00	1058.01	5.94
ताप–विद्युत	1660.00	3322	11785.00	16767.00	94.06
परमाणु ऊर्जा	–	–	–	–	–
आरईएस	–	–	–	–	–
योग	2574.01	3367	11884.00	17825.01	–
हिस्सेदारी (%)	14.44	18.89	66.67		

पारेषण

विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला का पारेषण एक अभिन्न अंग (लिंक) है। हमारे देश का पांच पारेषण क्षेत्रों अर्थात उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वोत्तर के रूप में सीमांकन किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से चार क्षेत्रीय ग्रिड एकल प्रणाली के रूप में सिंक्रोनस मोड में प्रचालन किए जा रहे थे। शेष प्रणाली से केवल दक्षिण ग्रिड को जोड़ा जाना था। राष्ट्रीय ग्रिड के साथ दक्षिणी ग्रिड के सिंक्रोनाइजेशन का कार्य वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। राष्ट्रीय ग्रिड के साथ दक्षिणी ग्रिड के सिंक्रोनाइजेशन के बाद पारेषण से संबंधित कार्यकलापों की मात्रा और कार्यक्षेत्र कई गुणा बढ़ गया है।

विद्युत के उत्पादन और खपत में व्यापक वृद्धि के लिए पारेषण नेटवर्क का महत्वपूर्ण विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के अनुसार प्रस्तावित उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के लिए लगभग 10,7440 सीकेएम पारेषण लाइनों, 2,70,000 एमवीए एसी ट्रांसफॉर्मर क्षमता और 12,750 मेगावाट की एचवीडीसी प्रणालियों की आवश्यकता का अनुमान है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 2016–17 तक पारेषण के लिए अनुमानित कुल निधि आवश्यकता का आकलन 42 बिलियन यूएस डॉलर के रूप में किया गया है। योजना के अंतर्गत विद्युत पारेषण के क्षेत्र में उच्च वोल्टेज प्रणालियों के शुभारंभ की परिकल्पना की गई है। योजना के अंतर्गत विद्युत पारेषण क्षमता बढ़ाने और भूमि की आवश्यकता को कम करने के लिए कई नई प्रौद्योगिकियों की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 1200 केवी एसी प्रणाली के उपस्करों का विकास, पारेषण लाइनों के लिए उच्च तापक्रम वाले लो सैग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का विकास, उच्च क्षमता वाले 440 केवी मल्टी सर्किट/बंडल कंडक्टर लाइन, हाइ सर्ज इंपेडेंस लोडिंग (एचएसआईएल) लाइन का विकास शामिल है। 12वीं योजना अवधि में 88 जीडब्ल्यू के अनुमानित अतिरिक्त योजनागत उत्पादन क्षमता के साथ संगत रूप से पारेषण क्षमता अभिवृद्धि अनिवार्य है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पादित विद्युत अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच सके।

वितरण

विद्युत का वितरण विद्युत आपूर्ति श्रृंखला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परंतु जटिल क्षेत्र है। इस क्षेत्र का संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। विद्युत वितरण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान लगभग 3060 बिलियन रुपए की कुल निवेश आवश्यकता की परिकल्पना की गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण और निष्पादन पर जोर दिया गया है, जिससे कि वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार किया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति का विस्तार किया जा सके। इस दिशा में एटी

और सी हानियों को कम करना, निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी के लिए सुनियोजित प्रयास आवश्यक होंगे।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, समाधान की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों में सभी को विद्युत का अभिगम सुनिश्चित करना, वितरण क्षेत्र का स्थायित्व, दक्षता और प्रभावशीलता शामिल हैं। वितरण क्षेत्र में मानवीय सक्षमता, उपस्कर आधुनिकीकरण और चूककर्ता उपभोक्ताओं से दूरी के संदर्भ में आमूल–चूल परिवर्तन भी किया जाना चाहिए। बिना मीटर के विद्युत आपूर्ति को नहीं बख्शा जाना चाहिए। मौसम संबंधी प्रतिकूल स्थितियों और अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र की मंदी के कारण वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंतिम कुछ माहों के दौरान विद्युत की भारी कमी रही। तथापि तेजी से क्षमता अभिवृद्धि और आपूर्ति क्षेत्र में व्यापक सुधार के साथ महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए, जिससे कि देश के समक्ष ऊर्जा और पीक पावर की कमी न हो। आवृत्ति से संबंधित टैरिफ व्यवस्था की ओर पलायन करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए। इससे मांग पक्ष/रुझाान प्रबंधन जैसी संकल्पनाएं और स्मार्ट ग्रिड तैयार होंगे, जो अधिक संगत और सार्थक हैं।

अवसर/चुनौतियां/जोखिम/चिंताएं

भारत एक ऐसा देश है जहां ऊर्जा स्रोतों की कमी है अर्थात यहां अधिक विद्युत की आवश्यकता है। देश की तेजी से बढ़ रही जनसंख्या विद्युत क्षेत्र पर अधिक दबाब पैदा कर रही है। हम तेजी से शहरीकरण कर रहे हैं और उच्च प्रौद्योगिकी के साथ–साथ हरित ऊर्जा के मध्यम स्रोतों का एकीकरण कर रहे हैं। विद्युत उद्योग पूंजी संवेदी उद्योग है और इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश आवश्यक है। समग्र रुप में देश के लिए संस्थापित क्षमता का अधिकतम इस्तेमाल विद्युत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। भारतीय विद्युत क्षेत्र, जो परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में काफी बड़ा अर्थात 88 जीडब्ल्यू की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक भी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि विद्युत क्षेत्र को अभी हाल ही में उत्पन्न हुई बहुत सी नई चुनौतियों का तेजी से और निश्चित रूप से समाधान करने की आवश्यकता है। ये चुनौतियां नीति के लचीलेपन के साथ–साथ परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी कठिनाइयाँ दोनों से जुड़ी हुई हैं। हमारे देश ने राष्ट्रीय ग्रिड के एकीकरण और अंतरक्षेत्रीय उचित स्थानांतरण क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है, इस प्रकार हमारा समेकित ग्रिड विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक जटिल ग्रिड बन गया है। एकीकरण से कठोर ग्रिड अनुशासन, प्रणाली, संरक्षण, फेज मापन उपस्कर और अनुशासनहीनता के विरूद्ध गंभीर एवं व्यवस्थित शास्तियों की आवश्यकता बढ़ गई है। हालांकि कई राज्यों में अभी भी पारेषण और उप–पारेषण की बड़ी बाधा है।

पीएफसी विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण के लिए समर्पित है और विद्युत तथा संबद्ध क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पीएफसी के उत्पाद पोर्टफोलियो में उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्र के साथ–साथ मौजूदा विद्युत परियोजनाओं के नवीनीकरण और आधुनिकीकराण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए परियोजना आवधिक ऋण, उपस्कर, पट्टा फाइनेंसिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, अल्पावधि ऋण और परामर्श सेवाओं जैसे वित्तीय उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं।

पीएफसी की प्राथमिकताओं में न केवल उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं के निधियन संबंधी मौजूदा कारोबार में तेजी लाना शामिल है, बल्कि कंसोर्शियम लैंडिंग, पूंजीगत उपस्कर विनिर्माताओं को ऋण मुहैया कराने और इंधन की आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं और संबंधित अवसरंचना विकास परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा और इक्विटी निधियन के क्षेत्र में उपलब्ध नए अवसरों का दोहन करना भी शामिल है। ऋण मुहैया कराने संबंधी अपनी नीतियों/दिशा–निर्देशों को बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप संरेखित करने के साथ–साथ अपने निगमित उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयोजन से पीएफसी लगातार इनकी समीक्षा करता है और समय–समय पर इनमें संशोधन किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी द्वारा स्थापित परियोजनाओं के ऋण के पुनः वित्त पोषण के साथ–साथ नई विस्तार/अधिग्रहण संबंधी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निगमित ऋण जैसी नई नीतियां/दिशा–निर्देशों/उत्पाद अनुकूल नीतियां, वितरण फ्रेंचाइजी को वित्तीय सहायता के लिए नीति और सरकारी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए रुपया अल्पावधि ऋण योजना के अंतर्गत फ्लेक्सी लाइन ऑफ क्रेडिट का विकल्प जैसी नीतियां लागू की गईं। बाजार में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के साथ–साथ आरबीआई की प्रमुख नीतिगत दरों में वृद्धि, वित्त वर्ष के दौरान मौजूदा मुद्रास्फिती जैसे घटकों के कारण ब्याज दरों को लेकर चिंताओं के बावजूद भी पीएफसी व्यापार वृद्धि और लाभप्रदता के अपने लक्ष्यों को संतुलित बनाए रखने में सफल रहा।

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत सरकार के महत्वाकांक्षी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के लिए विद्युत क्षेत्र के सभी चरणों अर्थात उत्पादन, पारेषण और वितरण में देश की उपस्कर विनिर्माण क्षमता का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। इसके अलावा मौजूदा थर्मल पावर परियोजनाएं (गैस और कोयला पर आधारित) पहले से ही इंधन (कोयला और गैस) की कमी झेल रही हैं और इंधन की मांग और आपूर्ति के वर्तमान पूर्वानुमानों के आधार पर यह अंतर और अधिक बढ़ने की संभावना है। इस प्रकार इंधन की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि मौजूदा क्षमता के साथ–साथ भविष्य में प्रस्तावित/संभावित क्षमता अभिवृद्धि का दक्षतापूर्वक सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पहले ही प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसमें विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले के विकास और उत्पादन हेतु राज्य क्षेत्र के साथ–साथ निजी क्षेत्र की कंपनियों दोनों को विभिन्न कोयला ब्लॉकों/खानों का आबंटन शामिल है। कोयला, गैस और ऑयल के अधिक आयात को सुकर बनाने के लिए बंदरगाह की सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में किए जा रहे विकास से आपकी कंपनी को इन क्षेत्रों में भी संयुक्त उद्यम बनाने अर्थात इंधन (कोयला, गैस और तेल) आपूर्ति स्रोतों के विकास/विस्तार तथा इनके वितरण (रैल नेटवर्क, पाइपलाइन, पोर्ट, जेट्टी), उपस्कर विनिर्माण आदि के वित्तपोषण के लिए अवसर प्राप्त होंगे।

इन परियोजनाओं के लिए वित्त की उपलब्धता को सुकर बनाने हेतु एक सक्रिय कदम के रूप में आपकी कंपनी ने विद्युत परियोजनाओं के लिए इंधन स्रोतों का विकास और इनका वितरण (एफएसडी एंड डी) के क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु एक योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र के लिए इंधन आपूर्ति स्रोतों का विकास/विस्तार तथा इसके वितरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जिसमें कोयला ब्लॉकों/खानों का विकास/विस्तार, कोल बैड मिथेन, कोल वाशरिज, कोयला लाभार्थ परियोजनाएं, रीगैसिफिकेशन और लिक्विफैक्शन परियोजनाएं आदि तथा कोयला/गैस/तेल के निर्यात हेतु पोर्ट/जेट्टी/गैस पाइपलाइनों आदि सहित कोयला/ऑयल/गैस परिवहन सुविधाओं का विकास/विस्तार शामिल है।

वर्तमान में विद्युत क्षेत्र के लिए उपस्कर विनिर्माण (ईएम) क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र के लिए उपस्कर विनिर्माण क्षमता की स्थापना/विस्तार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसमें मुख्य प्लांट उपस्कर, बकाया प्लांट उपस्कर, पारेषण और वितरण उपस्कर, गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, परमाणु ऊर्जा प्लांटों के उपस्कर और अन्य संगत परियोजनाएं जैसे– मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) के उद्देश्य से शुरू की गई परियोजनाएं आदि शामिल हैं।

भारत के उच्च आर्थिक वृद्धि के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विद्युत क्षेत्र की स्थाई वृद्धि महत्वपूर्ण है। सभी पणधारकों को उपर्युक्त लक्ष्यों को पूरा करने और उद्योग के समक्ष संभावित चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने के लिए एकजुट होकर सुनियोजित प्रयास करने की आवश्यकता है।

दृष्टिकोण

भारतीय विद्युत क्षेत्र महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जो इस उद्योग के

दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित करता है। स्थायी आर्थिक वृद्धि के लिए भारत में विद्युत की अत्यधिक मांग अनिवार्य हो गई है। क्षमता अभिवृद्धि के लिए इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की जीडीपी वृद्धि बनाए रखने के लिए सभी को विद्युत की उपलब्धता द्वारा विद्युत घाटे को कम करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने की दृष्टि से भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए यह नितांत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र के विकास और वृद्धि के लिए कई प्रयास शुरू किए हैं जैसे कि अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं की स्थापना, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम और स्थायी विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल। पिछले कुछ वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण क्षमता अभिवृद्धि के बावजूद भी विद्युत की मांग इतनी बढ़ गई है कि उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि नाकाफी साबित हुई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012–17) के दौरान वर्ष 2016–17 तक विद्युत की मांग 1403 बिलियन यूनिट तक बढ़ने का अनुमान है, वहीं दूसरी ओर वर्ष 2016–17 तक पीक लोड 1,97,686 मेगावाट तक बढ़ने का अनुमान है। विद्युत क्षेत्र अपने प्रादुर्भाव के महत्वपूर्ण चरण पर है, जहां सार्वजनिक क्षेत्र वातावरण का वर्चस्व बना हुआ था, वहीं अब निजी क्षेत्र के कई उत्पादकों के पदार्पण से विद्युत क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बन रहा है और विनियमन के अध्यधीन बाजार पर अधिक विश्वास जताया जा रहा है। भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता देश भर में अनिश्चित रूप से फैली हुई है, जिसके फलस्वरूप विद्युत की मांग और आपूर्ति केंद्रों के बीच वितरण में असंतुलन पैदा होता है। औद्योगीकरण की वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने और तेजी से शहरीकरण के कारण पिछले पांच वर्ष में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ी है। विद्युत क्षेत्र के निष्पादन में कई सकारात्मक विशेषताएं, विशेष रूप से विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की गति देखने को मिली हैं, परंतु इंधन की आपूर्ति को लेकर कई समस्याएं हैं, जिनका समाधान करना आवश्यक है। इसके अलावा वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के प्रचालन की वित्तीय व्यवहार्यता से जुड़ी समस्याएं भी हैं।

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी और स्थायी विकास (सीएसआर और एसडी)

सीएसआर हमारे प्रचालन का महत्वपूर्ण अंग (कॉर्नरस्टोन) है और पीएफसी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ी बाध्यताओं को अपने वृद्धि के सिद्धांत के भाग के रूप में पूरा करता है। आपकी कंपनी का यह प्रयास रही है कि यह एक जवाबदेह निगमित नागरिक के रूप में कार्य करे जो कौशल विकास, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन के जरिए पर्यावरण संरक्षण, साफ–सफाई और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों आदि के जरिए समाज के वंचित वर्गों के विकास के माध्यम से विभिन्न समुदायों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से समाज के कल्याण और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष 2013–14 के दौरान, आपकी कंपनी ने भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के कर पश्चात लाभ (पीएटी) की 1% की राशि सीएसआर और एसडी से संबंधित कार्यकलापों पर खर्च करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, सीएसआर और एसडी संबंधी प्रयासों के लिए 44.38 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। हालांकि, पीएफसी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, केवल 70.21 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाओं/कार्यकलापों को स्वीकृति प्रदान की थी और 46.52 करोड़ रुपए का संवितरण किया था, जिसमें सीएसआर और एसडी कार्यकलापों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14, वित्तीय वर्ष 2012–13 और वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वीकृत की गई परियोजनाएं शामिल हैं। निधियों का संवितरण मुख्य रूप से विभिन्न राज्यों में कौशल विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, प्राकृतिक आपदाओं के शिकारों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने के क्षेत्र में बहुत से सामाजिक कार्यकलापों और योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किया गया।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता

कंपनी उपयुक्त निगरानी प्रक्रियाओं सहित एक सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बनाए हुए है जो विभिन्न लेनदेनों की परिशुद्ध और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रचालनों की दक्षता और सांविधिक विधियों, विनियमों और कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायक है। समान रूप से अनुपालन हेतु शक्तियों का उपयुक्त प्रत्यायोजन किया गया है और लेखांकन हेतु दिशा–निर्देशों जारी किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जांच प्रक्रियाओं को लागू करने और उनमें सामंजस्य बनाए रखने तथा सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को लागू करने का प्रयास किया गया है और कंपनी के अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अनुभवी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्मों द्वारा नियमित रूप से गहन आंतरिक लेखापरीक्षा की गई हैं। इसके अलावा कंपनी की लेखापरीक्षा समिति आवधिक रूप से विभिन्न लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर कड़ी नजर रखती है।

पीएफसी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सुदृढ़ और स्वतंत्र है तथा यह सतत आधार पर कार्य करती है, जिसमें प्रचालन का संपूर्ण क्षेत्र और सेवाएं शामिल हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए इस ढंग से डिजाइन की गई है कि वित्तीय विवरण और अन्य डेटा तैयार करने तथा परिसंपत्तियों की जवाबदेही बनाए रखने के लिए वित्तीय तथा अन्य रिकॉर्ड विश्वसनीय बने रहें। आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रबंधन द्वारा पूरक समीक्षा की जाती है और नीतियों, दिशा–निर्देशों और प्रक्रियाओं का प्रलेखन किया जाता है। कंपनी में विश्वसनीय आंतरिक जांच प्रणाली मौजूद है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करने में सहायक है।

पीएफसी एक आईएसओ 9001:2008 प्रमाण पत्र प्राप्त कंपनी हैं। इन सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और क्रेडिट समीक्षा तंत्र से चूक होने की संभावनाएं कम हो जाती है और ये सभी पणधारकों का विश्वास हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

खण्डवार और उत्पादवार निष्पादन

कंपनी का मुख्य व्यवसाय विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और कंपनी के पास ऐसा कोई अलग खंड नहीं है जिसके बारे में रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।

वित्तीय और प्रचालनात्मक निष्पादन

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान बेहतर वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने में योगदान दिया है। कंपनी के कुल राजस्व में 25% की वृद्धि हुई है और यह गत वर्ष 17,272.55 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013–14 में 21,522.00 करोड़ रुपए हो गया है। कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में 27% की वृद्धि हुई है और यह गत वर्ष में 5,967 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013–14 में 7,558 करोड़ रुपए हो गया है। कर पश्चात लाभ (पीएटी) में 23% की वृद्धि हुई है और यह गत वर्ष में 4,420 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013–14 में 5,418 करोड़ रुपए हो गया है।

इसके अलावा कंपनी के निवल मूल्य में 15% की वृद्धि हुई है और यह गत वर्ष में 21,873 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013–14 में 25,098 करोड़ रुपए हो गया है और 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों (निवल) में 18% की वृद्धि हुई है और यह गत वर्ष में 1,60,396 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013–14 में 1,89,231 करोड़ रुपए हो गई हैं। सकल गैर–निष्पादन परिसंपत्तियां (एनपीएएस) में वित्तीय वर्ष 2012–13 में 1,135 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 में बढ़कर 1,228 करोड़ रुपए हो गई हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ विकास तंत्र (आरई एण्ड सीडीएम)

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास और वित्तपोषण की बढ़ती हुई संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने विशेष रूप से नवीकरणीय और गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के जरिए हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए परियोजनाओं

के वित्तपोषण हेतु अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी गठित की है। जहां एक ओर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सहायक कंपनी है, वहीं दूसरी ओर आपकी कंपनी बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का लगातार वित्तपोषण कर रही है और कंपनी में पवन, बायोमास, छोटी जल विद्युत परियोजना, सौर ऊर्जा परियोजनाओं आदि सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार विकास पर ध्यान केन्द्रित करने और उसमें तेजी लाने के लिए एक अलग समर्पित समूह– नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ विकास तंत्र (आरई एंड सीडीएम) यूनिट है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से इन परियोजनाओं के लिए पारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं की तुलना में कम ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष के दौरान, राज्य और निजी क्षेत्रों के लिए कुल 246.5 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए 845.87 करोड़ रुपए की राशि वाले 7 ऋण स्वीकृत किए गए। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, 457 करोड़ रुपए का संवितरण भी किया है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी ने कुल 1,412 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता के लिए संचित रूप से सहायता प्रदान की है, इसके लिए 4,409 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई और 8,927 करोड़ रूपए की एकीकृत परियोजना लागत के साथ सभी प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 3,074 करोड़ रुपए राशि संवितरित की गई।

विदेशी विनिमय से अर्जन और बहिर्गमन

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, कर्ज प्रदान करने संबंधी सेवाओं, वित्तीय एवं अन्य प्रभारों और व्यापार व्यय के मद में 259.52 करोड़ रुपए का एकीकृत विदेशी विनिमय का बहिर्गमन किया गया। वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए विदेशी मुद्रा में अर्जन शून्य है।

मानव संसाधन

आपकी कंपनी अपने कार्मिकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में मानती है और व्यापारिक लक्ष्यों के साथ मानव संसाधन प्रक्रियाओं का संरेखण करती है। कार्मिकों ने अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ निष्पादन किया और कंपनी के विकास और वृद्धि में योगदान दिया। कंपनी अपने कार्मिकों की क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और प्रशिक्षण तथा विकास के जरिए उनके निष्पादन में सुधार कर रही है। कंपनी अपने कार्मिकों की दक्षताओं में अंतर की पहचान पर जोर देती है और प्रतिस्पर्धी वातावरण में परिवर्तन के साथ–साथ संगठनात्मक चुनौतियों को दूर करने के लिए अपने कार्मिकों को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इस दिशा में कंपनी ने विभिन्न प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए एक वार्षिक प्रशिक्षण योजना प्रणाली तैयार की है। विशेष प्रशिक्षण सुविधाओं के जरिए सभी स्तर के कार्मिकों को आवश्यक व्यावसायिक कौशल उन्नयन का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। कंपनी में सभी स्तर के कार्मिकों के बीच सामंजस्यपूर्ण एवं सौहार्द्रपूर्ण संबंधों के कारण समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक भी कार्य दिवस का नुकसान नहीं हुआ। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के रोल में 446 कार्मिक थे।

सचेतक टिप्पणी

"प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण" भाग में दिए गए कुछ बयान दूरदर्शी प्रकृति के हो सकते हैं और उन्हें लागू विधियों और विनियमों के अनुसार आवश्यक बताया गया है। बहुत से घटकों से वास्तविक परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, जो भावी निष्पादन और दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों से अलग हो सकते हैं।

निदेशक रिपोर्ट का अनुबंध – II

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन में आवश्यक रूप से किसी कंपनी के सभी अंशधारकों जैसे शेयरधारक, प्रबंधन, उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता, सरकार तथा समाज के हितों के संतुलन में शामिल होता है क्योंकि निगमित शासन किसी कंपनी के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए रूपरेखा भी प्रदान करता है। इसमें व्यवहारिक रूप में प्रबंधन का प्रत्येक क्षेत्र सम्मिलित होता है जिसमें प्रक्रिया योजनाओं से लेकर निष्पादन मापन तथा निगमित प्रकटन पर आंतरिक नियंत्रण शामिल है।

निगमित शासन के संबंध में आपकी कंपनी के सिद्धांत के आधार पर यह विश्वास पैदा होता है कि सुशासन की भावना पारदर्शिता, जवाबदेहिता, नैतिक व्यवसायिक व्यवहार, सही अर्थों में विधि का अनुपालन, उपयुक्त प्रकटन, निगमित निष्पक्षता, सामाजिक जिम्मेदारी तथा अंशधारकों हेतु स्थायी मूल्य संवर्धन हेतु संगठन के प्रति प्रतिबद्धता जैसे सर्वोच्च मानदंडों के अनुपालन में निहित है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए जारी किए गए निगमित शासन पर सूचीबद्ध करार की आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों के अनुरूप एक रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में नीचे दी गई है। साथ ही निगमित शासन के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन संबंधी एक व्यावसायिक कंपनी सचिव द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र भी संलग्न है।

1. शासन संहिता पर कंपनी के सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण

कंपनी के निगमित शासन संबंधी प्रयास दो प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये निम्नानुसार हैं :

(i) अनापेक्षित प्रतिबंधों के बिना स्थायी विकास के लिए उद्यम को आगे बढ़ाने हेतु प्रबंधन के पास पर्याप्त कार्यपालक स्वतंत्रता होनी चाहिए; और

(ii) प्रबंधन की इस स्वतंत्रता का प्रयोग प्रभावी जवाबदेही के ढांचे के भीतर किया जाना चाहिए।

हमारा निगमित ढांचा, व्यापार संचालन और प्रकटन संबंधी प्रक्रियाओं को निगमित शासन संबंधी दर्शन के अनुरूप संरेखित किया गया है।

2. निदेशक मंडल

पीएफसी का निदेशक मंडल जहां एक ओर हमेशा प्रशासनिक दृष्टि से व्यावहारिक बना रहता है, वहीं दूसरी ओर कंपनी को नेतृत्व, रणनीतिक मार्गदर्शन और कुशल नियंत्रण प्रदान करता है। निदेशक मंडल अपनी शक्तियां स्वयं निर्धारित करता है और कंपनी के कार्यकलापों का प्रबंधन कंपनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित ढांचे, कंपनी के संगम ज्ञापन, स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करार और कंपनी की आंतरिक संहिताओं/प्रक्रियाओं आदि के अनुसार करता है।

स्वरूप

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में सात (7) निदेशक हैं, जिसमें तीन (3) प्रकार्यात्मक निदेशक, एक (1) अंशकालिक सरकारी नामिती निदेशक और तीन (3) गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक शामिल हैं।

वर्ष 2013–14 के दौरान श्री विजय मोहन कौल तथा श्री योगेश चन्द्र गर्ग को आपकी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक मंडल क्रमशः 24 जून, 2013 तथा 22 अगस्त, 2013 को नियुक्त किया गया। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के 13 सितंबर, 2013 के जारी आदेश सं. 8/4/2012– पीएफसी के अनुसार श्री एम.के. गोयल, निदेशक (वाणिज्य) ने 13 सितंबर, 2013 को श्री सतनाम सिंह से अध्यक्ष तथा प्रबंधन निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला। साथ ही, श्री अजीत प्रसाद तथा श्री कृष्ण मोहन साहनी गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक क्रमशः 8 अक्टूबर, 2013 तथा 31 दिसंबर, 2013 को अपने कार्यकाल पूरा होने पर कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नानुसार था:

पूर्णकालिक निदेशक		
i)	श्री एम.के. गोयल	निदेशक (वाणिज्यिक) तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार
ii)	श्री आर. नागराजन	निदेशक (वित्त)
iii)	श्री ए.के. अग्रवाल	निदेशक (परियोजनाएं)
सरकारी नामिती निदेशक		
iv)	श्री बी.एन. शर्मा	निदेशक (सरकारी नामिती)
गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक		
v)	श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार	स्वतंत्र निदेशक
vi)	श्री विजय मोहन कौल	स्वतंत्र निदेशक
vii)	श्री योगेश चन्द्र गर्ग	स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड की बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की 11 बैठकें आयोजित की गईं, जिनकी तारीखें निम्नानुसार हैं :

i) 3 मई, 2013, ii) 30 मई, 2013, iii) 15 जुलाई, 2013, iv) 2 अगस्त, 2013 v) 19 सितंबर, 2013 vi) 9 अक्तूबर, 2013 vii) 8 नवंबर, 2013, viii) 13 दिसंबर, 2013, ix) 4 फरवरी, 2014, x) 26 फरवरी, 2014 तथा xi) 27 मार्च, 2013

बोर्ड की दो बैठकों के बीच अधिकतम समय अंतराल तीन माह से कम रहा।

वार्षिक आम बैठक

कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक 6 सितंबर, 2013 को आयोजित की गई।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान बोर्ड की बैठकों में और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति, ऐसी अन्य कंपनियों की संख्या जिनमें निदेशक हैं और अन्य समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता आदि के विवरण निम्नानुसार हैं :

नाम और पद नाम	बोर्ड की बैठकें		31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों में निदेशक*	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता**		18 सितंबर, 2013 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में	
श्री एम.के. गोयल निदेशक (वाणिज्यिक)	7	7	5	शून्य	शून्य	उपस्थित
निदेशक (वाणिज्यिक)	4	4				
श्री सतनाम सिंह अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (13 सितम्बर 2013)	4	4	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित
श्री आर. नागराजन निदेशक (वित्त)	11	11	7	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री ए.के. अग्रवाल निदेशक (परियोजनाएं)	11	11	10	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री बी.एन. शर्मा निदेशक (सरकारी नामिती)	11	11	1	शून्य	शून्य	अनुपस्थित
श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार स्वतंत्र निदेशक	11	11	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री विजय मोहन कौल स्वतंत्र निदेशक (24 जून, 2013 तक)	9	8	2	2	शून्य	अनुपस्थित
श्री योगेश चन्द्र गर्ग स्वतंत्र निदेशक (22 अगस्त, 2013 तक)	7	7	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री अजीत प्रसाद स्वतंत्र निदेशक (7 अक्टूबर, 2013 तक)	5	5	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित
श्री कृष्ण मोहन साहनी स्वतंत्र निदेशक (30 दिसम्बर 2013 तक)	8	8	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित

लागू नहीं – दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति संबंधित तारीख को पीएफसी के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं था।

*निजी कंपनियों, धारा 25 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों और विदेशी कंपनियों में निदेशक नहीं हैं।

**लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति से इतर अन्य बोर्ड समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता शामिल नहीं है।

बोर्ड में शामिल निदेशकों में से कोई भी निदेशक ऐसी सभी कंपनियों, जिनमें वे निदेशक हैं की 10 से अधिक समितियों के सदस्य और 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं।

कंपनी के कोई भी निदेशक एक दूसरे से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं हैं।

निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई सूचना

आवश्यक सूचना के साथ विस्तृत कार्यसूची नोट अग्रिम तौर पर बोर्ड को परिचालित किया गया। वर्ष के दौरान केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश और सूचीबद्ध करार के खंड 49 में यथा उल्लिखित सभी संबंधित सूचना निदेशक मंडल के विचारार्थ उसके समक्ष प्रस्तुत की गई। निम्नलिखित सामान्य सूचना, यदि कोई है, बोर्ड को दी जाती है :

- वार्षिक प्रचालन योजनाएं, बजट और इनसे संबंधित अद्यतन जानकारी।
- पूंजीगत बजट और इनसे संबंधित अद्यतन जानकारी।
- कंपनी और इसके प्रचालन प्रभागों अथवा व्यावसायिक खंड के लिए तिमाही परिणाम।
- लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- बोर्ड स्तर से नीचे वाले वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती/मेहनताने से संबंधित सूचना।
- महत्वपूर्ण कारण बताओ नोटिस, मांग, अभियोजन संबंधी नोटिस और शास्ति नोटिस, यदि कोई हैं।
- जानलेवा अथवा गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई बड़ी उत्सर्जन अथवा प्रदूषण संबंधी समस्याएं, यदि कोई हैं।
- कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करने में कोई बड़ी चूक अथवा कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बड़ी राशि का भुगतान न किया जाना।
- ऐसा कोई अन्य मुद्दा, जिसमें संभावित सार्वजनिक अथवा बड़ी किस्म के उत्पाद देयता दावे, यदि कोई हैं, शामिल हैं।
- किसी संयुक्त उद्यम अथवा सहयोग करार के विवरण।
- शुभेच्छा, ब्राण्ड समता अथवा बौद्धिक संपदा, यदि कोई है, के संबंध में बड़े भुगतान वाले लेनदेन।
- महत्वपूर्ण श्रमिक समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान, यदि कोई है। मानव संसाधनों/औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे मजदूरी करार पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन, यदि कोई है, आदि।
- बड़े निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों आदि की बिक्री जो व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं।
- विदेशी विनिमय एक्सपोजर के तिमाही विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर संचलन के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, यदि महत्वपूर्ण हैं।
- किसी नियामक, सांविधिक प्रकृति के अथवा सूचीबद्ध करार संबंधी आवश्यकताओं और शेयरधारक सेवा का अननुपालन।
- वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण अन्य सूचना।

लागू विधियों का अनुपालन

कंपनी में विभिन्न सांविधिक और प्रक्रियागत अनुपालनों की निगरानी के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली मौजूद है। निदेशक मंडल सांविधिक, नीतिगत और प्रक्रियागत अनुपालनों की स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी में लागू सभी विधियों का अनुपालन उचित ढंग से किया जा रहा है।

3. क) आचार संहिता

व्यापार संचलन संहिता और बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए सिद्धांतों की एक विस्तृत आचार संहिता है जो कंपनी के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के लिए समान रूप से लागू है। यह कंपनी के मिशन और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के विजन और मूल्यों के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंधन में सैद्धांतिक और पारदर्शी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना है। इस आचार संहिता की एक प्रतिलिपि, कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.pfcindia.com में अपलोड की गई है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त सूचना के आधार पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा आचार संहिता के किए गए अनुपालन के संबंध में घोषणा नीचे की गई है:

सूचीबद्ध करार और निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथावश्यक घोषणा

"31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों ने व्यापार संचलन संहिता और बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया है"।

एम. के. गोयल

हस्ता./-
एम. के. गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ख) आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता

समय समय पर यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग) विनियम 1992 के अनुसार कंपनी ने गोपनीयता की रक्षा और अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक विस्तृत "आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता" तैयार की है। कंपनी के प्रत्येक निदेशक, अधिकारी और नामित कार्मिक का यह दायित्व है कि वह कंपनी में अपने कार्यकलापों के दौरान प्राप्त ऐसी सभी सूचना की गोपनीयता बनाए रखेगा और अपने व्यक्तिगत लाभ अथवा किसी तीसरे पक्षकार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कंपनी में अपने पद अथवा कंपनी से संबंधित किसी सूचना का दुरुपयोग नहीं करेगा। इस आचार संहिता में ऐसे दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं, जिनका अनुपालन आवश्यक है और कंपनी के शेयरों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते समय और अननुपालन के परिणामों के बारे में प्रकटन किया जाएगा। कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वह "आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता" का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता की आवश्यकता के अनुसार जब कभी मूल्य संवेदी सूचना निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है तो समय समय पर ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया जाता है। सभी कार्मिकों को अग्रिम तौर पर ट्रेडिंग विंडो बंद करने की सूचना दी जाती है और ट्रेडिंग विंडो बंद होने पर कंपनी के शेयरों का लेनदेन करने के लिए सभी कार्मिकों को प्रतिबंधित किया जाता है।

ग) कपटरोधी (एंटी फ्रॉड) नीति

कंपनी ने "कपटरोधी नीति" अपनाई है, जिससे कि कंपनी में धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रोकथाम के लिए एक प्रणाली उपलब्ध करायी जा सके। इसका उद्देश्य सतत कानूनी और सैद्धांतिक संगठनात्मक बर्ताव को बढ़ावा देना है, इसके लिए नियंत्रण के विकास और धोखाधड़ी/संभावित धोखाधड़ी तथा संभावित धोखाधड़ी पूर्ण व्यवहार की जांच करने के लिए नियंत्रण विकसित करने और दिशानिर्देश उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नीति का कार्यक्षेत्र कंपनी में ऐसी धोखाधड़ी अथवा संभावित धोखाधड़ी तक विस्तारित होता है, जिसमें कार्मिकों (संविदागत कार्मिकों सहित) के साथ साथ शेयरधारक, परामर्शदाता, वेंडर, पूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता, संविदाकार, ऋणदाता, ऋणकर्ता, बाह्य एजेंसियां और/अथवा कोई अन्य पक्षकार शामिल हो सकता है, जिसके कंपनी के साथ व्यावसायिक संबंध हैं।

4. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल या तो एक पूर्ण बोर्ड के रूप में अथवा विशेष प्रचालनात्मक क्षेत्रों के पर्यवेक्षण हेतु गठित विभिन्न समतियों के जरिए कार्य करता है। निदेशक मंडल और इसकी समितियों की नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल की निम्नलिखित समितियां मौजूद थीं।

i. लेखापरीक्षा समिति

ii. चयन मेहनताना तथा मानव संसाधन समिति (Erstwhile मेहताना समिति)

iii. अंशधारक सम्बंध तथा शेयरहोल्डर / निवेशकों की शिकायत निवारण समिति (Erstwhile शेयरहोल्डर/निवेशक शिकायत निवारण समिति)

iv. ऋण समिति

v. प्रकार्यात्मक निदेशकों की समिति

vi. जोखिम प्रबंधन समिति

vii. केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के आईपीओ में निवेश के लिए समिति

viii. सैद्धांतिक समिति

ix. निदेशकों की सीएसआर समिति

4.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी की लेखापरीक्षा समिति निदेशक मंडल द्वारा गठित की जाती है जिसमें दो स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक तथा एक प्रकार्यात्मक निदेशक शामिल होता है। वर्ष के दौरान समिति की बैठक की अध्यक्षता गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई। कंपनी सचिव समिति के सचिव बने। लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों में लेखापरीक्षा प्रकार्यों का निरीक्षण, महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा, लेखा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा बोर्ड को जमा करने से पहले वित्तीय कथन पर सहमत होना शामिल है। लेखा परीक्षा समिति की भूमिका, कार्यक्षेत्र तथा प्राधिकारिता में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की सार्गर्मिता के तहत भर्ती तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ हस्ताक्षरित समझौतों की सुनवाई में शामिल है।

31 मार्च, 2014 को लेखापरीक्षा समिति का स्वरूप निम्नलिखित था :–

1.	श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार	अध्यक्ष
2.	श्री योगेश चन्द्र गर्ग	सदस्य
3.	श्री ए.के. अग्रवाल	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान लेखापरीक्षा समिति ने अपनी पांच (5) बैठकें आयोजित कीं। इनकी तारीखें निम्नानुसार थीं :–

क्रम संख्या	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	29 मई, 2013	श्री अजीत प्रसाद श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार श्री ए.के. अग्रवाल	श्री अजीत प्रसाद
2	2 अगस्त 2013	श्री अजीत प्रसाद श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार श्री ए.के. अग्रवाल	श्री अजीत प्रसाद
3	7 नवंबर, 2013	श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार श्री योगेश चन्द्र गर्ग श्री ए.के. अग्रवाल	श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार
4	3 फरवरी 2014	श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार श्री योगेश चन्द्र गर्ग श्री ए.के. अग्रवाल	श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार
5	27 मार्च 2014	श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार श्री योगेश चन्द्र गर्ग श्री ए.के. अग्रवाल	श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार

उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त लगातार बोर्ड को अपनी सूचना देने हेतु जमा किये गये।

निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख और सांविधिक लेखापरीक्षक (परीक्षकों के प्रतिनिधि) को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है, जिससे कि वे समिति के सदस्यों के साथ चर्चा कर सकें। समिति को आवश्यक जानकारी देने के उद्देश्य से आवश्यक होने पर वरिष्ठ प्रकार्यात्मक कार्यपालकों को भी लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 26 सितंबर, 2013 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष उपस्थित थे।

कंपनी के कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को लेखांकन एवं वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल होती है तथा समिति के अन्य सदस्यों को भी बेहतर वित्तीय जानकारी होती है।

4.2 चयन, मेहताना तथा मानव संसाधन समिति

एक केंद्रीय क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशकों की नियुक्ति तथा उनके मेहनताने का निर्धारण कंपनी के संगम ज्ञापन के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

हालांकि केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए 26 नवंबर, 2008 को निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों में किए गए प्रावधानों के अनुसार कंपनी में एक मेहनताना समिति गठित की गई है जिसमें तीन स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। यह समिति कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के आधार पर प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी का एक चयन, तथा मेहताना समिति गठित करने का आदेश देगी जिसे 9 अक्टूबर, 2013 से 'चयन, मेहताना तथा मानव संसाधन समिति' के रूप में इस संदर्भ में इसकी भूमिका तथा शर्तों को पुनर्भाषित करते हुए पुनः तैयार किया गया है। चयन, मेहताना तथा मानव संसाधन समिति की पुर्नपरिभाषित भूमिका तथा शर्तें जो कि कंपनी अधिनियम में दी गयी है, के अनुसार होगी। साथ ही सूचीबद्ध समझौतों तथा डीपीएफ के दिशानिर्देशों जिन्हें समय–समय पर संशोधित किया गया है तथा इसकी समीक्षा की गयी है तथा निदेशक मंडल को विभिन्न मानव संसाधन नीतियों के अंगीकरण/परिष्करण की अनुशंसा की गई है, के तहत निर्मित किसी नियम के अनुसार निर्धारित होगी।

31 मार्च, 2014 को चयन, मेहताना तथा मानव संसाधन समिति में निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशक शामिल थे :–

1. श्री विजय मोहन कौल — अध्यक्ष
2. श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार — सदस्य
3. श्री योगेश चन्द्र गर्ग — सदस्य

निदेशक (वाणिज्य) तथा निदेशक वित्त को उक्त समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव समिति सचिव बने रहे।

क्रम संख्या	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	11 सितम्बर, 2013	श्री अजीत प्रसाद श्री कृष्ण मोहन साहनी श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार	श्री अजीत प्रसाद
2	14 सितम्बर 2013	श्री अजीत प्रसाद श्री कृष्ण मोहन साहनी श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार	श्री अजीत प्रसाद
3	19 सितम्बर 2013	श्री अजीत प्रसाद श्री कृष्ण मोहन साहनी श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार	श्री अजीत प्रसाद
4	12 दिसम्बर 2014	श्री कृष्ण मोहन साहनी श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार श्री विजय मोहन कौल	श्री कृष्ण मोहन साहनी
5	25 फरवरी 2014	श्री विजय मोहन कौल श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार श्री योगेश चन्द्र गर्ग	श्री विजय मोहन कौल
6	27 मार्च 2014	श्री विजय मोहन कौल श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार श्री योगेश चन्द्र गर्ग	श्री विजय मोहन कौल

4.2क मेहनताना नीति

कंपनी केंद्रीय क्षेत्र का एक सार्वजनिक उपक्रम है, जिसमें बोर्ड के सभी सदस्यों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जो अन्य बातों के साथ साथ उनके संगत नियुक्ति आदेशों/वेतन निर्धारण आदेशों के माध्यम से ऐसे पूर्णकालिक निदेशकों के मेहनताने का निर्धारण करता है।

पूर्णकालिक निदेशकों का मेहनताना

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित सभी पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किया गया मेहनताना उनकी नियुक्ति संबंधी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार था।

वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए मेहनताने के विवरण नीचे दिए गए हैं :

निदेशक का नाम	वेतन (₹)	लाभ (₹)	एक्स. ग्रेसिया बोनस / कमीशन (₹)	निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (₹)	जोड़ (₹)
श्री एम.के. गोयल	24,87,499	13,20,245	0	21,92,184	59,99,928
श्री आर. नागराजन	20,48,525	10,64,228	0	19,44,000	50,56,753
श्री ए.के. अग्रवाल	17,51,520	14,10,048	0	13,16,760	44,78,328
श्री सतनाम सिंह (13 सितम्बर, 2013 तक)	27,96,834	5,44,460	0	21,28,800	54,70,094

नोट :

1. निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहनों का भुगतान कंपनी की निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के अनुसार किया जाता है।
2. निदेशकों की नियुक्ति और उनके मेहनताने के भुगतान संबंधी निर्णय कंपनी के संगम ज्ञापन के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। अतः निदेशकों के लिए नोटिस अवधि और उसके बदले सेवा शुल्क का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
3. वित्त वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के लिए स्टॉक विकल्प हेतु कोई भी निदेशक नहीं चुना गया

4.2 ख स्वतंत्र और सरकारी नामिती निदेशकों का मेहनताना

स्वतंत्र और सरकारी नामिती निदेशकों के कंपनी के साथ वास्तविक रूप से धन संबंधी कोई संबंध नहीं हैं और न ही वे कंपनी से कोई लेनदेन करते हैं। हालांकि कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के बोर्ड और समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत यथानिर्धारित सीमाओं के भीतर बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई दरों से सिटिंग फीस का भुगतान किया गया । वर्तमान में प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को निदेशक मंडल और समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 20,000 रुपए की सिटिंग फीस का भुगतान किया जा रहा है ।

सरकारी नामिती कंपनी से किसी मेहताना या सिटिंग फीस के लिए सूचीबद्ध नहीं किए गए।

4.3 शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत समिति

कंपनी ने अपने शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों का निराकरण करने के लिए निदेशकों की एक शेयरधारक/निवेश शिकायत समिति गठित की है। यह समिति कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों के कार्य निष्पादन का पर्यवेक्षण करती है और निवेशक सेवा की गुणवत्ता में संपूर्ण सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार किसी कंपनी के सुरक्षा धारकों की शिकायत निवारण पर विमर्श तथा निस्तारण हेतु एक अंशधारक संबंध समिति के गठन की आवश्यकता में उक्त शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति 9 अक्टूबर, 2013 को अंशधारक संबंध/शेयरधारक/निवेशकों की शिकायत समिति के रूप में पुनः तैयार की गई

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार अंशधारक संबंध तथा शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

श्री जे. प्रसन्ना कुमार	अध्यक्ष
श्री आर. नागराजन	सदस्य
श्री ए.के. अग्रवाल	सदस्य

कंपनी सचिव ने समिति सचिव के तौर पर कार्य किया

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति की चार बैठकें क्रमशः

(i) 3 मई, 2013 (ii) 2 अगस्त, 2013 और (iii) 7 नवंबर, 2013 तथा (iv) 3 फरवरी, 2014 को आयोजित की गईं।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सूचीबद्ध करार के खंड 49 के अनुक्रम में निवेशकों की शिकायतों पर सूचना नीचे दिए अनुसार हैं :

विवरण	इक्विटी
वर्ष के प्रारंभ में लंबित	3
वर्ष के दौरान प्राप्त	102
वर्ष के दौरान निपटाए गए	3
वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित	2*

*जिनमें से एक शिकायतों का समाधान अप्रैल, 2014 में कर दिया गया और एक शिकायत न्यायालय के विचाराधीन है।

4.4 ऋण समिति

निदेशकों की ऋण समिति का गठन एक वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए की कुल सीमा के अध्यधीन वित्तीय और लीज सहायता में वृद्धि करने और पात्रता शर्तों में छूट प्रदान करने सहित किसी पृथक योजना और परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए तक कि वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार इस सिमति में निम्नलिखित सदस्य थे :

श्री एम.के. गोयल	अध्यक्ष
श्री बी.एन. शर्मा	सदस्य
श्री आर. नागराजन	सदस्य
श्री ए.के. अग्रवाल	सदस्य

कंपनी सचिव ने समिति सचिव के रूप में कार्य किया

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान ऋण समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

4.5 प्रकार्यात्मक निदेशकों की समिति

प्रकार्यात्मक निदेशकों की समिति का गठन एक वित्तीय वर्ष में 4,000 करोड़ रुपए की कुल सीमा के अध्यधीन वित्तीय और लीज सहायता में वृद्धि करने और पात्रता शर्तों में छूट प्रदान करने सहित किसी पृथक योजना और परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए तक कि वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार इस सिमति में निम्नलिखित सदस्य थे :

श्री एम.के. गोयल	अध्यक्ष
श्री आर. नागराजन	सदस्य
श्री ए.के. अग्रवाल	सदस्य

कंपनी सचिव ने समिति सचिव के रूप में कार्य किया

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान प्रकार्यात्मक निदेशकों की समिति की छः बैठकें आयोजित की गईं।

4.6 जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य बहुत से संभावित जोखिमों की निगरानी करना और विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियों और कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं की जांच करना है। इसके अलावा यह समिति कंपनी के प्रचालन और अन्य संबंधित मामलों में उत्पन्न होने वाले जोखिमों के उन्मूलन हेतु भी कार्रवाई शुरू करती है।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

श्री एम.के. गोयल	अध्यक्ष
श्री आर. नागराजन	सदस्य
श्री ए.के. अग्रवाल	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं।

4.7 केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत कंपनियों (सीपीएसयू) के आईपीओ में निवेश के लिए निदेशकों की समिति

केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत कंपनियों (सीपीएसयू) के आईपीओ में निवेश के लिए निदेशकों की समिति का गठन केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत कंपनियों और उपक्रमों के आईपीओ में इक्विटी निवेश का अनुमोदन करने के लिए और अन्य संबंधित मामले जैसे इक्विटी वापस लेने/उनकी बिक्री करने के लिए निर्णय, आईपीओ के जरिए लगाए जाने वाले शेयरों की संख्या, मामला दर मामला आधार पर प्रत्येक कंपनी में अलग निवेश सीमा आदि का निर्धारण करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

श्री एम.के. गोयल	अध्यक्ष
श्री आर. नागराजन	सदस्य
श्री ए.के. अग्रवाल	सदस्य
श्री जे.एन. प्रसन्ना कुमार	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के आईपीओ में निवेश के लिए निदेशकों की समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं।

4.8 निदेशकों की सिद्धांत समिति

सिद्धांत समिति का गठन कंपनी के एक जागरूक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु सैद्धांतिक व्यापारिक प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जा रहा है।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

श्री एम. के. गोयल	अध्यक्ष
श्री विजय मोहन कौल	सदस्य
श्री योगेश चन्द्र गर्ग	सदस्य

4.9 निदेशकों की सीएसआर और स्थायी विकास समिति

सीएसआर और स्थायी विकास समिति का गठन कंपनी के सीएसआर और स्थायी विकास संबंधी कार्यकलापों को दिशानिर्देश देने और विभिन्न सीएसआर और एसडी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करने हेतु किया गया है।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

श्री योगेश चंद्र गर्ग	अध्यक्ष
श्री विजय मोहन कौल	सदस्य
श्री ए. के. अग्रवाल	सदस्य

कंपनी सचिव को समिति के सचिव के रूप में जारी रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान निदेशकों की सीएसआर और स्थायी विकास समिति की नौ (9) बैठकें आयोजित की गईं।

5. आम सभा

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम सभाओं के विवरण निम्नानुसार हैं :

एजीएम	दिनांक	दिन	समय	स्थान	विशेष संकल्प
25वीं	28 सितंबर, 2011	बुधवार	प्रातः 10 बजे	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली–110010	कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया
26वीं	21 सिंतबर, 2012	शुक्रवार	प्रातः 10 बजे	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली–110010	कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया
27वीं	26 सितंबर, 2013	गुरुवार	प्रातः 10 बजे	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली–110010	कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान डाक द्वारा मत (पोस्टल बैलट) के जरिए कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया । मई/जून 2014 के दौरान, डाक द्वारा मत के द्वारा सदस्यों की सहमति से तीन विशेष संकल्प और पारित किए गए जिसका परिणाम 20 जून 2014 को अध्यक्ष द्वारा घोषित किया गया। तदनुसार आगामी वार्षिक आम सभा तक डाक द्वारा मत के माध्यम से कोई भी विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव नहीं किया गया।

6. सहायक कंपनियां

कंपनी के पास ऐसी कोई सहायक कंपनियां नहीं हैं, जिनका गठन भारत में किया गया हो और जिनका टर्नओवर अथवा निवल मूल्य (अर्थात प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित राशियां) तत्काल पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष में कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के क्रमशः समेकित टर्नओवर अथवा निवल मूल्य से 20% अधिक हो।

गैर सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्तों की कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की गई। सहायक कंपनियों के वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की गई।

7. प्रकटन

(1) कंपनी ने अपने प्रमोटर, निदेशक अथवा प्रबंधन, उनके संबंधियों या अपनी सहायक कंपनियों के साथ कोई वास्तविक प्रकृति के लेनदेन नहीं किए हैं, जिनसे कंपनी का हित किसी भी प्रकार से बाधित हो या उस पर कोई प्रभाव पड़े। इसके अलावा संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन के विवरण वार्षिक रिपोर्ट में वार्षिक लेखाओं के भाग–ग "लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां" में नोट संख्या 6.1 में प्रस्तुत किए गए हैं।

(2) पिछले तीन वर्ष के दौरान सेबी, स्टॉक एक्सचेंज अथवा पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा न तो कोई शास्ति अधिरोपित की गई है और न ही कोई प्रतिबंध लगाया गया है।

(3) कंपनी द्वारा लागू की गई "कपटरोधी नीति" के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी में ऐसी धोखाधड़ी अथवा संभावित धोखाधड़ी जिसमें कंपनी के कार्मिकों (संविदागत कार्मिकों सहित) के साथ साथ शेयरधारक, परामर्शदाता, वेंडर, पूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता, संविदाकार, ऋणदाता, ऋणकर्ता, बाह्य एजेंसियां और/अथवा कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले अन्य पक्षकारों के शामिल होने की संभावना हो, के बारे में रिपोर्ट करने के लिए एक 'विसिल ब्लोअर तंत्र' स्थापित किया गया है। इसके अलावा कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कार्मिक लेखापरीक्षा समिति के साथ कभी भी बातचीत कर सकता है।

(4) कंपनी की लेखाबही में ऐसा कोई भी व्यय डेबिट नहीं किया गया जो कंपनी के व्यापारिक उद्देश्यों के लिए न किया गया हो। इसके अलावा ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया जो निजी प्रकृति का और निदेशक बोर्ड तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।

(5) सूचीबद्ध करार के खंड 49 की गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन/अननुपालन संबंधी विवरण नीचे **अनुबंध– I** में दिए गए हैं ।

(6) कंपनी में जोखिम मूल्यांकन और उनको कम करने अथवा उन्मूलन के बारे में बोर्ड को सूचित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। कंपनी का निदेशक मंडल इन प्रक्रियाओं की आवधिक रूप से समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जोखिमों का प्रबंधन एक उचित परिभाषित ढांचे के माध्यम से किया जा रहा है।

(7) वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी ने भारतीय सनदि लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों और यथालागू सीमा तक कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

8. संचार के साधन

कंपनी संचार को संपूर्ण निगमित शासन ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक मानती है और इसलिए कंपनी से जुड़े सभी बाह्य लोगों के साथ निरंतर, दक्ष और संगत संचार पर लगातार जोर दे रही है। कंपनी अपने शेयरधारकों को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक आमसभा, समाचार पत्रों और वेबसाइट के माध्यम से प्रकटन कर सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं देती है। कंपनी निवेशक सम्मेलन के जरिए इनकी सूचना अपने संस्थागत शेयरधारकों को भी देती है। कंपनी के तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और इनको वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.pfcindia.com पर भी उपलब्ध हैं और उन्हें वृहद विस्तार के लिए स्टॉक एक्सचेंज को भी प्रस्तुत किया गया है।

कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दी जाती है, जिसमें अन्य जानकारी के साथ साथ लेखा–परीक्षित लेखे, समेकित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट, निगमित शासन संबंधी रिपोर्ट शामिल होती है। यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सभी सदस्यों और अन्य पात्र व्यक्तियों को परिचालित की जाती है।

9. सीईओ/सीएफओ द्वारा अधिप्रमाणन

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अंतर्गत यथावश्यक सीईओ अर्थात श्री एम. के. गोयल, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं सीएफओ अर्थात श्री आर. नागराजन, निदेशक (वित्त) द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र 27 मई, 2014 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

10. शेयरधारकों की सूचना

1) वार्षिक आम बैठक

तारीख	समय	स्थान
26 सितंबर, 2014	प्रातः 10 बजे	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली–110010

2) वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वित्तीय कलेंडर (संभावित)

विवरण	तारीख
वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015
पहली तीन तिमाहियों के लिए अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के भीतर घोषित किए जाएंगे।
लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	लेखापरीक्षित लेखाओं की घोषणा 30 मई, 2015 को या उससे पहले की जाएगी।
वार्षिक आम सभा (आगामी वर्ष)	सितंबर, 2015

3) खाताबही बंद करने की तारीख

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही दोनों दिनों को शामिल करते हुए 12 सितंबर, 2014 से 26 सितंबर, 2014 तक बंद रहेगी।

4) लाभांश का भुगतान

कंपनी के निदेशक बोर्ड ने कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 0.20 रुपए प्रति शेयर के अंतिम लाभांश का भुगतान करने की सिफारिश की है, जिसका भुगतान वार्षिक आमसभा में आपके अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा। यह लाभांश कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी पर फरवरी, 2014 में पहले भुगतान किए गए 8.80 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अलावा है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कुल लाभांश की राशि 9 रुपए प्रति शेयर है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान हेतु रिकॉर्ड की गई तारीख 11 सितंबर, 2014 है। यदि लाभांश की घोषणा वार्षिक आम सभा में कर दी जाती है, तो इसका भुगतान वार्षिक आमसभा की तारीख से 30 दिन के भीतर शेयरधारकों को किया जाएगा।

5) लाभांश का ऐतिहासिक विवरण

वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी (करोड़ रु.)	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (करोड़ रु.)	लाभांश की दर (%)	भुगतान की तारीख (अंतरिम और अंतिम)
2008–09	1147.77	459.11	40%	5 मार्च, 2009 (अंतरिम) और 29 सितंबर, 2009 (अंतिम)
2009–10	1147.77	516.50	45%	12 फरवरी, 2010 (अंतरिम) और 29 सितंबर, 2010 (अंतिम)
2010–11	1147.77(अंतरिम)	401.72	35%	31 जनवरी, 2011 (अंतरिम)
	1319.93 (अंतिम)	197.99	15%	8 अक्तूबर, 2011 (अंतिम)
	योग	599.71	50%	–
2011–12	1319.93(अंतरिम)	659.97	50%	17 फरवरी, 2012 (अंतरिम)
	1320.00 (अंतिम)	132.00	10%	3 अक्तूबर, 2012 (अंतिम)
	योग	791.97	60%	–
2012–13	1320.00(अंतरिम)	792.01	60%	13 फरवरी, 2013 (अंतरिम)
	1320.00 (अंतिम)	132.00	10%	7 अक्तूबर, 2013 (अंतिम)
	योग	924.01	70%	–

6. स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करना

पीएफसी के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध हैं :

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई)
स्क्रिप कोड : पीएफसी ई क्यू	स्क्रिप कोड : 532810
स्टॉक कोड (आईएसआईएन) : आईएनई 134ई01011	

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान एनएसई और बीएसई को कर दिया गया है।

7) बाजार मूल्य डेटा

माह	उच्च (रु.)		निम्न (रु.)		समापन मूल्य (रु.)	
	एनएसई	बीएसई	एनएसई	बीएसई	एनएसई	बीएसई
अप्रैल, 2013	202.00	201.95	178.40	178.40	194.85	195.10
मई, 2013	209.30	209.50	181.10	181.15	183.05	183.05
जून, 2013	185.35	185.00	131.20	131.35	144.10	144.40
जुलाई, 2013	152.20	152.20	104.25	104.60	108.10	108.35
अगस्त, 2013	123.80	123.75	97.30	97.40	109.10	108.80
सितंबर, 2013	138.00	137.95	104.80	104.80	130.90	130.80
अक्तूबर, 2013	40.00	139.95	120.10	120.30	134.40	134.60
नवंबर, 2013	160.00	159.30	134.10	133.60	159.15	158.75
दिसंबर, 2013	170.20	169.90	145.60	146.00	166.95	167.05
जनवरी, 2014	169.75	169.70	128.75	129.00	136.15	135.85
फरवरी, 2014	166.00	165.90	130.05	130.30	164.60	164.50
मार्च, 2014	199.00	198.85	157.75	157.60	193.20	193.40

8) सूचकांकों की तुलना में निष्पादन

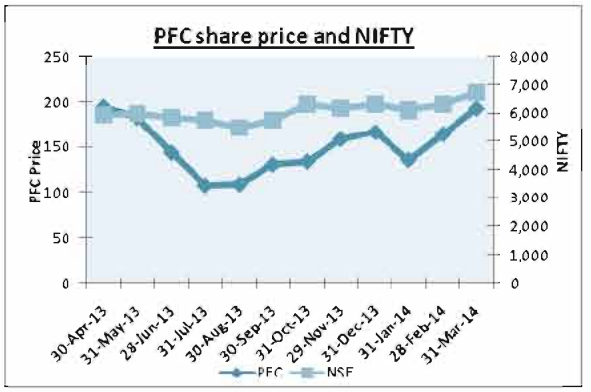

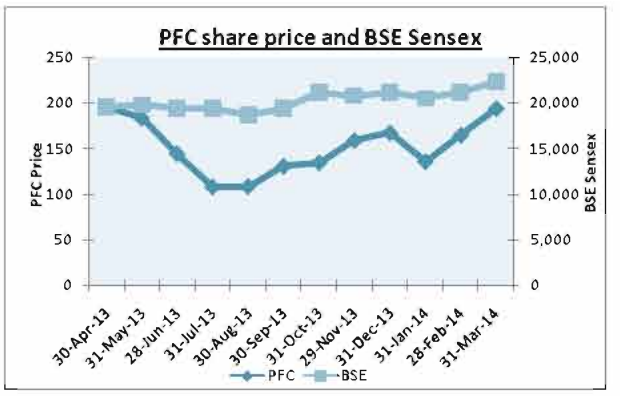

9) पंजीयक और अंतरण एजेंट

पंजीकृत कार्यालय

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि.
'कावेरी हाउस'
46, अवेन्यू 4,
स्ट्रीट नं.1, बंजारा हिल्स,
हैदराबाद– 500034, भारत
दूरभाष : +91 4023312454
टोल फ्री नं. 1800 4258282
फैक्स : +91 4023311968

संप्रेषण हेतु पता

17–24, विट्ठल राव नगर
मधापुर,
हैदराबाद–500081
आंध्र प्रदेश, भारत
दूरभाष : +91 4023420815–28
फैक्स : +91 4023420814/59
ईमेल : einward.ris@karvy.com
वेबसाइट : www.karvycomputershare.com

10) शेयर अंतरण प्रणाली

भौतिक खंड के अंतर्गत शेयरों का अंतरण हमारे पंजीयक और अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि. के माध्यम से किया जाता है।

सूचीबद्ध करार के खंड 47 (ग) के अनुक्रम में कंपनी द्वारा शेयर अंतरण संबंधी औपचारिकताओं के अपेक्षित अनुपालन की पुष्टि के लिए व्यावसायिक कंपनी सचिव से अर्द्धवार्षिक आधार पर एक प्रमाणपत्र निर्धारित समयावधि के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ कुल स्वीकृत पूंजी और जारी की गई तथा सूचीबद्ध कुल पूंजी के मिलान हेतु शेयर पूंजी के पुनर्मिलान के लिए व्यावसायिक कंपनी सचिव द्वारा भी लेखापरीक्षा की जाती है। शेयर पूंजी के पुनर्मिलान और लेखपरीक्षा रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की जाती है कि कुल जारी की गई/प्रदत्त पूंजी भौतिक रूप में जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के साथ धारित डी–मटीरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या से मेल खाती है।

11) डिमेट उच्चंत खाते के विवरण

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार डीमेट उच्चंत खाते में शेयरों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
i)	वर्ष की शुरुआत अर्थात 1 अप्रैल, 2013 को उच्चंत खाते में पड़े बकाया शेयरों और शेयरधारकों की समेकित संख्या	51	5482
ii)	वर्ष 2013–14 के दौरान उच्चंत खाते से शेयरों के अंतरण हेतु कंपनी से पहल करने वाले शेयरधारकों की संख्या	2	137
iii)	वर्ष 2013–14 के दौरान उच्चंत खाते से जिन शेयरधारकों के शेयर अंतरित किए गए उनकी संख्या	2	137
iv)	वर्ष के अंत में अर्थात 31 मार्च, 2014 को उच्चंत खाते में बकाया शेयरों और शेयरधारकों की समेकित संख्या	49	53455345

उपर्युक्त शेयरों के संदर्भ में वोट देने के अधिकार को तब तक रद्द रखा जाएगा जब तक कि ऐसे शेयरों के वास्तविक अभिरक्षक उसके लिए दावा नहीं करते हैं।

12) शेयरधारिता का विवरण

➤ 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

राशि	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	शेयरों की कुल संख्या	राशि	शेयरों का %
1–5000	197409	95.94%	23325694	233256940	1.77%
5001–10000	5257	2.56%	3782356	37823560	0.29%
10001–20000	1505	0.73%	2196835	21968350	0.17%
20001–30000	406	0.20%	1032011	10320110	0.08%
30001–40000	161	0.08%	572424	5724240	0.04%
40001–50000	119	0.06%	554779	5547790	0.04%
50001–100000	272	0.13%	2016731	20167310	0.15%
100001 और उससे अधिक	624	0.30%	1286559874	12865598740	97.46%
योग	205753	100%	1320040704	13200407040	100%

● 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता पैटर्न

श्रेणी	शेयरों की कुल संख्या	इक्विटी का %
भारत के राष्ट्रपति	98055589	72.80%
विदेशी संस्थागत निवेशक	147507931	11.17%
भारतीय वित्तीय संस्थान	103905702	7.87%
म्युचुअल फंड	36472372	2.76%
निवासी व्यक्ति विशेष	34265692	2.60%
निगमित निकाय	29431567	2.23%
समाशोधन सदस्य	3274768	0.25%
एचयूएफ	1551616	0.12%
कार्मिक	1035314	0.08%
अनिवासी भारतीय	849264	0.06%
बैंक	670484	0.05%
न्यास	119665	0.01%
विदेशी नागरिक	740	0.00%
योग	1320040704	100.00%

13) शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार एनएसडीएल, सीडीएसएल के साथ धारित और भौतिक मोड में शेयरों की संख्या

श्रेणी	शेयरों की संख्या	जारी की गई कुल पूंजी का %
एनएसडीएल	1310019321	99.00%
सीडीएसएल	10007310	1.00%
भौतिक	14073	0.00%
योग	1320040704	100.00%

14) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर उसका संभावित प्रभाव

➤ **कार्मिक स्टॉक विकल्प :**

वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान स्वीकृत किए गए 87,888 विकल्पों में से कंपनी ने कार्मिकों द्वारा स्टॉक विकल्प का प्रयोग करने पर चालू वर्ष के दौरान 83,306 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान 4,255 इक्विटी शेयर का आबंटन कार्मिकों द्वारा स्टॉक विकल्प का प्रयोग करके किया गया। इसका प्रयोग करने पर प्रत्येक विकल्प से 10 रु. का पूर्णतः प्रदत्त एक इक्विटी शेयर बढ़ेगा। तथापि विकल्पों का प्रयोग वेस्टिंग की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात 10 रु. प्रति विकल्प का भुगतान कर 29 जुलाई, 2012 तक किया जा सकता है। इस प्रकार शेष बचे 327 विकल्प यदि इस अवधि की समाप्ति तक कार्मिकों के द्वारा प्रयोग नहीं किए गए तो समाप्त हो जाएंगे।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए पात्र कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 92964 विकल्प स्वीकृत किए गए हैं। हालांकि स्वीकृत किए गए 92,964 विकल्पों में से 69,954 विकल्पों का नकद रूप में निपटान कर दिया गया है और 1,572 विकल्प रद्द कर दिए गए हैं।

इस प्रकार शेष बचे 21,438 इक्विटी शेयर का आबंटन वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कार्मिकों द्वारा स्टॉक विकल्प का उपयोग करके किया गया।

➤ कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट जारी नहीं किए गए हैं।

15. पत्राचार के लिए पता

पंजीकृत कार्यालय :
"ऊर्जानिधि",
1, बाराखंभा लेन,
कनाट प्लेस,
नई दिल्ली–110001

कंपनी सचिव
श्री मनोहर बलवानी,
दूरभाष : +91 1123456020
फैक्स : +91 1123456786
ईमेलः investorsgrievance@pfcindia.com

अनुबंध क

गैर अपरिहार्य आवश्यकताएं

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 की गैर अपरिहार्य आवश्यकताओं की स्थिति निम्नानुसार है :

1. **बोर्ड :** कंपनी की अध्यक्षता एक कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है। कंपनी के निदेशक मंडल में किसी भी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति समेकित रूप से 9 (नौ) वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की गई।

2. **मेहनताना समिति :** अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा अन्य निदेशकों की नियुक्ति और उनके मेहनताने का निर्धारण कंपनी के संगम ज्ञापन के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हालांकि केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार कंपनी ने तीन स्वतंत्र निदेशकों वाली नामांकन, पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति" का गठन किया है।

3. **शेयरधारकों के अधिकार :** निगमित शासन रिपोर्ट के "साधन और संचार" शीर्ष के अंतर्गत किए गए उल्लेखानुसार कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी उन्हें दिखाया जाता है।

4. **लेखापरीक्षा अर्हताएं : वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए लेखापरीक्षा संबंधी कोई अर्हताएं नहीं हैं।**

5. **बोर्ड के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण :** बोर्ड के सदस्यों द्वारा समय समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में भाग लिया जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु भी एक नीति तैयार की गई है।

6. **गैर कार्यपालक बोर्ड सदस्यों के मूल्यांकन हेतु व्यवस्था :** कंपनी द्वारा अभी तक इस व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है।

7. **विसिल ब्लोअर नीति :** कंपनी ने अलग से कोई "विसिल ब्लोअर नीति" नहीं अपनाई है। हालांकि कंपनी द्वारा अपनाई गई "कपटरोधी नीति" के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी ने धोखाधड़ी अथवा संभावित धोखाधड़ी जिसमें कार्मिकों (संविदागत कार्मिकों सहित) के साथ साथ शेयरधारक, परामर्शदाता, वेंडर, पूर्तिकर्ता, सेवाप्रदाता, संविदाकार, ऋणतादा, ऋणकर्ता, वाह्य एजेंसियां और/अथवा अन्य कोई ऐसा पक्षकार जिसके कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध हैं, शामिल है, के बारे में रिपोर्ट करने के लिए एक विसिल ब्लोअर व्यवस्था लागू है।

निगमित शासन संबंधी प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्य,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन,

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए निगमित शासन संबंधी शर्तों के अनुपालन की जांच भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ साथ उपर्युक्त कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के साथ सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 में यथाउल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार की है।

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है। हमारी जांच ऊपर दिए गए दिशानिर्देशों में उल्लेखित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन के समीक्षा तक ही सीमित है। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में अपने ष्टिकोण की कोई अभिव्यक्ति है।

हमारे ष्टिकोण में और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त सूचीबद्ध करार (करारों) के खण्ड 49 में यथाउल्लिखित निगमित शासन संबंधी शर्तों के साथ साथ सार्वजनिक उद्यम विभाग ,द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी जीवन क्षमता के लिए कोई आश्वासन है और न ही प्रभावशीलता अथवा कोई दक्षता है, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

कृते
संजय ग्रोवर एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
संजय ग्रोवर
सीपी सं.3850

दिनांक : 25.08.2013
स्थानः नई दिल्ली

व्यापारिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

भाग–क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	एल 65910डीएल1986जीओआई024862
कंपनी का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत पता	"ऊर्जानिधि", 1, बाराखंभा लेन, कनॉट प्लेस नई दिल्ली–110001
वेबसाइट	www.pfcindia.com
ईमेल आईडी	mb@pfcindia.com
रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष	2013–14
ऐसे क्षेत्र जिनमें कंपनी व्यापार कर रही है (औद्योगिक गतिविधि कोड–वार)	64990 (बीमा और पेंशन निधियन संबंधी कार्यकलापों को छोड़कर अन्य वित्तीय सेवा कार्यकलाप)
कंपनी के तीन महत्वपूर्ण उत्पादों और सेवाओं की सूची जो कंपनी विनिर्मित करती है/प्रदान करती है (तुलन–पत्र में दर्शाए अनुसार)	(i) रुपी आवधिक ऋण (आरटीएल) (ii) अल्पकालिक ऋण (एसटीएल) (iii) क्रेता की लाइन ऑफ क्रेडिट (बीएलसी)
ऐसे प्रमुख स्थानों की संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापारिक कार्यकलाप किए जाते हैं : **I. अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या** **II. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या**	 शून्य दो क्षेत्रीय कार्यालय – मुंबई और चेन्नई
कंपनी जिन बाजारों को सेवाएं प्रदान करती हैं–स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय	राष्ट्रीय

भाग–ख : कंपनी के वित्तीय विवरण (31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार)

प्रदत्त पूंजी (आईएनआर)	1,320.04 करोड़ रु.
कुल टर्नओवर (आईएनआर) (प्रचालन से प्राप्त राजस्व)	21,522.42 करोड़ रु.*
कर पश्चात कुल लाभ (आईएनआर)	5,417.75 करोड़ रु.
कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पर कुल खर्च (%)	वित्तीय वर्ष 2012–13 के पीएटी का 1%
*15.04 करोड़ रुपए के अन्य आय को शामिल नहीं किया गया है।	
ऐसे निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) कार्यकलापों की सूची जिनमें व्यय किया गया है:–	अनुबंध में सूचीबद्ध

भाग–ग: अन्य विवरण

क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?	हां
क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी के बीआर संबंधी प्रयासों में प्रतिभागिता करती हैं?यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों की संख्या दर्शाएं)	मूल कंपनी के व्यापारिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रयास सहायक कंपनियों के लिए लागू हैं।
क्या कोई अन्य संगठन/निकाय (अर्थात पूर्तिकर्ता, वितरक आदि) हैं जो कंपनी के साथ व्यापार करते हैं, कंपनी के व्यापारिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रयासों में भाग लेते हैं?यदि हां तो ऐसे संगठन/निकायों का प्रतिशत दर्शाएं (30% से कम, 30% से 60%, 60% से अधिक)	नहीं

भाग–घ: व्यापारिक उत्तरदायित्व (बीआर) संबंधी सूचना

1. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के विवरण

क) बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के विवरण

डीआईएन संख्या	00239813
नाम	श्री एम.के. गोयल
पदनाम	निदेशक (वाणिज्यिक) के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार

ख: बीआर प्रमुख के विवरण

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री मनोहर बलवानी
3.	पदनाम	कंपनी सचिव
4.	दूरभाष संख्या	011–23456020
5.	ईमेल आईडी	mb@pfcindia.com

2. सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (उत्तर हां/न में)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामाजिक, पर्यावरणीय और व्यापार हेतु आर्थिक जिम्मेदारियों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा–निर्देशों (एनवीजी) के अंतर्गत व्यापारिक उत्तरदायित्व के नौ क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनके विवरण निम्नानुसार हैं :

पी1 – व्यापार संचालन सिद्धांत, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए
पी2 – व्यापार के अंतर्गत ऐसा माल और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने संपूर्ण जीवनकाल के दौरान स्थायित्व प्रदान करने में योगदान दें।
पी3 – व्यापार में कार्मिकों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
पी4 – व्यापार में सभी शेयरधारकों विशेष रूप से सुविधाविहीन, सुभेद्य और जो हाशिए पर हैं अर्थात जो मुख्यधारा से नहीं जुड़े हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए।
पी5 – व्यापार में मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिएं।
पी6 – व्यापार में पर्यावरण की रक्षा और उसे स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।
पी7 – यदि आप जनता को प्रभावित करने वाले व्यवसाय से जुड़े हैं तो इसके लिए एक नियामक नीति बनाई जानी चाहिए और यह कार्य जवाबदेह ढंग से किया जाना चाहिए।
पी8 – व्यापार में समाहारी वृद्धि और समान विकास किया जाना चाहिए।
पी9 – व्यापार में अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को जवाबदेह ढंग से सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए और उनका उचित सम्मान किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	प्रश्न	व्यापार सिद्धांत	उत्पाद उत्तरदायित्व	कार्मिक कल्याण	पणधारक सहभागिता और सीएसआर	मानवाधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	सीएसआर	उपभोक्ता संबंध
		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास... के लिए कोई नीति/ नीतियां हैं?	हां	पीएफसी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते यह सिद्धांत सीमित रूप से लागू करती है	हां	हां	यह नीति कंपनी की मानव संसाधन नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल है	हां	यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल है	हां	यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल है
2.	क्या नीति संबंधित शेयरधारकों के साथ परामर्श से तैयार की गई है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
3.	क्या नीति राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
4.	क्या नीति निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित की गई है? यदि हां क्या इस पर एमडी/ स्वामी/सीईओ/उपयुक्त मण्डल निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गएँ ह?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–

5.	**क्या कंपनी में नीतियों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए निदेशक मण्डल की कोई विशेष समिति / निदेशक / अधिकारी नामित किया गया है?**	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
6.	**नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक दर्शाएं**	#	–	नीति आंतरिक दस्तावेज होने के नाते केवल कार्मिकों के लिए ही उपलब्ध है।	#	–	#	–	#	–
7.	**क्या नीति के बारे में सभी संगत आंतरिक और बाह्य शेयरधारकों को औपचारिक सूचना दी गई है?**	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
8.	**क्या कंपनी ने नीति / नीतियों के कार्यान्वयन हेतु आंतरिक अवसंरचना मौजूद है?**	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
9.	**क्या कंपनी ने नीति / नीतियों से संबंधित शेयरधारकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए नीति / नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है?**	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
10.	**क्या कंपनी ने किसी आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति की कार्य प्रणाली की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन किया है?**	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–

*htpp://www.pfcindia.com/Content/code_of_conduct.aspx*
htpp://www.pfcindia.com/Content/Anti_Fraud_Policy.aspx
htpp://www.pfcindia.com/Content/Fair_Practices_Code.aspx
htpp://www.pfcindia.com/Content/CSR%20and%20SD%20POLICY.aspx

2.क. यदि उपर्युक्त क्रम संख्या 1 में किसी सिद्धांत का उत्तर "नहीं" है, तो कृपया स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों नहीं है: (दो विकल्प तक टिक करें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है	लागू नहीं								
2.	कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वह विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करे और उनका कार्यान्वयन करें									
3.	कंपनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय अथवा जनशक्ति संबंधी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं									
4.	आगामी छः माह के भीतर ऐसा किए जाने की योजना है									
5.	आगामी एक वर्ष के भीतर ऐसा किए जाने की योजना है									
6.	अन्य कोई कारण (कृपया विनिर्दिष्ट करें)									

3. व्यापारिक उत्तरदायित्व से संबंधित शासन व्यवस्था

- **वह अंतराल बताएं जिसमें निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समितियां अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंपनी के व्यापारिक उत्तरदायित्व निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं। क्या यह मूल्यांकन 3 माह, 3–6 माह, वार्षिक और 1 वर्ष से अधिक अवधि पर किया जाता है।**

  एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में सीएसआर और स्थायी विकास समिति का गठन किया गया है जो कंपनी के सीएसआर और स्थायी विकास संबंधी कार्यकलापों का मार्गदर्शन करेगी और सीएसआर तथा स्थायी विकास संबंधी विभिन्न परियोजनाएं शुरू करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करेगी। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान इस समिति की नौ बैठकें आयोजित की गईं।

- **क्या कंपनी व्यापारिक उत्तरदायित्व अथवा स्थायी विकास संबंधी कोई रिपोर्ट प्रकाशित करती है?इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है?इसका प्रकाशन किस अंतराल पर किया जाता है?**

  वित्तीय वर्ष 2013–14 से वार्षिक रिपोर्ट के रूप एक भाग के रूप में प्रकाशित की गई है। यह रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

भाग–ङ. : सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत 1

1. **क्या सिद्धांत, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति में केवल कंपनी को ही शामिल किया गया है?हां/न। क्या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/पूर्तिकर्ताओं/संविदाकारो/गैर–सरकारी संगठनों/अन्य के लिए भी लागू है?**

   पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (पीएफसीएल) विद्युत क्षेत्र का एक अग्रणी वित्तीय संस्थान और एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु निधि और गैर निधि आधारित सहायता प्रदान करता है। यह विद्युत क्षेत्र में निवेश को चैनलाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इस क्षेत्र के विकास हेतु एक वाहन (साधन) के रूप में कार्य करता है। इसके ग्राहकों में राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियां, केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत कंपनियां, विद्युत विभाग, निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियां (स्वतंत्र विद्युत उत्पादक कंपनियों सहित), संयुक्त क्षेत्र की विद्युत कंपनियां आदि शामिल हैं। पीएफसी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा–निर्देशों के आधार पर अपने ऋण प्रचालन के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया संहिता (एफपीसी) का विकास किया है जिसका उद्देश्य कंपनी के ऋणकर्ताओं को इस बात का आश्वासन देना है कि कंपनी अपने व्यापारिक लेनदेनों में निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

   पीएफसी बेहतर प्रबंधन के एक अभिन्न भाग के रूप में निगमित शासन पर भी विचार करती है और अपनी सभी कार्रवाइयों में व्यावसायिक, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कंपनी ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार संचालन और सिद्धांत संहिता तथा एक कपटरोधी नीति तैयार की है।

   निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार संचालन और सिद्धांत संहिता एक ऐसी समेकित आचार संहिता है जो कंपनी के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के लिए समान रूप से लागू है। यह कंपनी के मिशन और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कंपनी के विजन तथा मूल्यों के अनुसार है और इसका उद्देश्य कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंधन में सैद्धांतिक और प्रक्रियागत पारदर्शिता बढ़ाना है।

   कंपनी ने एक कपटरोधी नीति भी अपनाई है जिससे कि कंपनी में किसी भी धोखाधड़ी अथवा संभावित धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित की जा सके। इसका उद्देश्य सतत कानूनी और सैद्धांतिक संगठनात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना है, इसके लिए नियंत्रण स्थापित करने हेतु जिम्मेदारी सौंपी गई है और धोखाधड़ी / संभावित धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने और संभावित धोखाखड़ीपूर्ण बर्ताव की जांच करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस नीति के कार्यक्षेत्र का विस्तार कंपनी में धोखाधड़ी अथवा संभावित धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग और जांच के लिए किया गया है, जिसमें कार्मिकों (संविदागत कार्मिकों सहित) के साथ साथ शेयरधारक, परामर्शदाता, वेंडर, पूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता, संविदाकार, ऋणदाता, ऋणकर्ता, बाह्य एजेंसियां और/अथवा ऐसे कोई अन्य पक्षकार शामिल हैं जिनके कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध हैं।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कितने शेयरधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से कितने प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया गया?यदि ऐसा है, तो उसके विवरणों, लगभग 50 या उससे अधिक शब्दों में दें।**

   वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी को कपटरोधी नीति के अंतर्गत कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष की शुरुआत में लंबित एक शिकायत के अलावा वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी के शेयरधारकों से 37 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 31 मार्च, 2014 तक 36 शिकायतों (94.74%) का समाधान किया गया। शेष बची दो शिकायतों में से एक शिकायत का समाधान अप्रैल, 2014 में किया गया है।

इसके अलावा वर्ष की शुरुआत में लंबित 4 शिकायतों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी को इसके बॉण्ड धारकों से 721 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसमें से 31 मार्च, 2014 तक 721 शिकायतों (99.45%) का समाधान किया गया। शेष बची 4 शिकायतों का भी समाधान किया जाना है।

<u>सिद्धांत 2</u>

1. **अपने ऐसे तीन उत्पादों अथवा सेवाओं की सूची तैयार करें, जिनकी डिजाइन के कारण सामाजिक अथवा पर्यावरण संबंधी चिंताएं, जोखिम और/अथवा अवसर उत्पन्न हुए हैं।**

   पीएफसी के पास नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सावधि ऋण, पट्टा वित्तपोषण आदि जैसे वित्तीय उत्पाद हैं जो स्थायी हैं और पर्यावरण की दृष्टि से बाध्यकर हैं। ऋण स्वीकृत करते समय पीएफसी पर्यावरणीय स्वीकृतियों के साथ–साथ इस संबंध में अपनी कुछ शर्तें विहित करता है।

   नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान देने तथा त्वरित व्यापार विकास तेजी लाने के लिए पीएफसी में एक समर्पित नवीकरणीय ऊर्जा समूह गठित किया गया है जिनमें पवन, बायोमास, लघु जल विद्युत, सौर ऊर्जा परियोजनाएं आदि शामिल हैं। कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए विशेष ब्याज दरें प्रस्तावित करती है और सभी प्रकार की नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करती है।

   पीएफसी ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी अर्थात पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की स्थापना की है जो ऊर्जा के हरित (नवीकरणीय और गैर–पारंपरिक) स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है।

2. **ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रत्येक यूनिट के संदर्भ में संसाधनों के उपयोग (ऊर्जा जल, कच्चा माल आदि) संबंधी निम्नलिखित विवरण दें (वैकल्पिक) :**

   चूंकि पीएफसी केवल वित्तीय उत्पाद देती है, अतः नीचे दिए गए प्रश्न सिद्धांत 2 के लिए लागू नहीं हैं।

i. **संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में गत वर्ष से स्रोत, उत्पादन, वितरण के दौरान प्राप्त की गई कमी?**

   लागू नहीं

II. **पूर्ववर्ती वर्ष से उपभोक्ताओं (ऊर्जा, जल) द्वारा उपयोग के दौरान हासिल की गई कमी**

   लागू नहीं।

3. **क्या कंपनी में स्थायी स्रोत (परिवहन सहित) के बदले प्रक्रियाएं लागू की गई हैं?**

   लागू नहीं।

4. **क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों जिनमें कंपनी के कार्यस्थल के आसपास वाले समुदाय शामिल हैं, से माल और सेवाएं प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और सक्षमता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।**

   लागू नहीं।

5. **क्या कंपनी में उत्पादों और अवशिष्ट पदार्थों को रिसाइकिल करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्ट की रिसाइकलिंग का प्रतिशत (<5%, 5-10%, >10% के रूप में अलग अलग) क्या है? इसके विवरण 50 अथवा अधिक शब्दों में दें।**

   लागू नहीं

<u>सिद्धांत 3</u>

1. **कृपया कार्मिकों की कुल संख्या दर्शाएं।**

   31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार पीएफसी में 446 कार्मिक हैं।

2. **कृपया अस्थायी रूप से, संविदागत/आकस्मिक आधार पर नियुक्त किए गए कार्मिकों की कुल संख्या दर्शाएं।**

   पीएफसी में कोई भी आकस्मिक/संविदागत कार्मिक नहीं है। हालांकि पीएफसी समय समय पर आवश्यकता के आधार पर एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए दैनिक आधार पर कार्मिकों की सेवाएं अवश्य लेता हैं। दैनिक आधार पर कार्यरत ऐसे कार्मिक पीएफसी के रोल पर नहीं हैं, बल्कि वे संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी के रोल में हैं।

3. **कृपया स्थायी आधार पर नियुक्त महिला कार्मिकों की संख्या दर्शाएं।**

   31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के रोल में 88 महिला कार्मिक हैं।

4. **कृपया स्थायी आधार पर नियुक्त अन्यथा सक्षम कार्मिकों की संख्या दर्शाएं।**

   31 मार्च, 2014की स्थिति के अनुसार कंपनी के रोल में 10 अन्यथा सक्षम कार्मिक हैं।

5. **क्या आपके यहां कोई ऐसा कोई कार्मिक एसोसिएशन है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता दी गई है?**

   पीएफसी में पीएफसी कार्मिक यूनियन, पीएफसी, एससी/एसटी/ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन और पीएफसी कार्यपालक एसोसिएशन हैं।

6. **आपके कितने प्रतिशत स्थायी कार्मिक इस मान्यता प्राप्त कार्मिक एसोसिएशन के सदस्य हैं?**

   हमारे सभी स्थायी कार्मिक इन मान्यता प्राप्त कार्मिक एसोसिएशनों के सदस्य हैं।

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में और इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित बाल श्रम, बलात श्रम, अस्वैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की संख्या दर्शाएं।

क्र.सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई शिकायतों की संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रम/बलात श्रम / अस्वैच्छिक श्रम	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य
3.	भेदभावपूर्ण नियोजन	शून्य	शून्य

8. आपके नीचे उल्लिखित कितने प्रतिशत कार्मिकों को गत वर्ष में संरक्षा और कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया?

- स्थायी कार्मिक – 82%
- स्थायी महिला कार्मिक – 77%
- आकस्मिक/अस्थायी/संविदागत कार्मिक – शून्य
- अन्यथा सक्षम कार्मिक – 33%

<u>सिद्धांत 4</u>

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य शेयरधारकों का नेटवर्क तैयार किया है?हां/नहीं

कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के लिए, आंतरिक शेयरधारक कार्मिक हैं तथा बाह्य शेयरधारक वे हैं जो कंपनी के कार्यकलापों तथा प्रचालनों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक, समाजिक और पूरे रूप से प्रभावित होते हैं तथा वे भी हैं जो वृहद रूप से समाज और जाति के आधार पर प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं होते हैं।

2. क्या उपर्युक्त में से कंपनी ने अलाभकर, सुभेद्य और मुख्यधारा से परे (मार्जिनलाइज्ड) शेयरधारकों की पहचान की है?

आरक्षित श्रेणी के सभी कार्मिकों (एससी/एसटी/ओबीसी/अन्यथा सक्षम/अल्पसंख्यक) कार्मिकों की पहचान अलाभकर, सुभेद्य और मुख्य धारा से परे शेयरधारकों के रूप में की गई है। जहां तक बाह्य शेयरधारकों का संबंध है, तो कंपनी ने नक्सल प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले एससी/एसटी/ओबीसी, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्यथा सक्षम लोगों और ऐसे लोगों जो उन क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां बिजली की उपलब्धता कम है की पहचान अलाभकर, सुभेद्य और मुख्य धारा से परे शेयरधारकों के रूप में तथा विपत्तियों से प्रभावित जाति के रूप में की है।

3. क्या कंपनी ने अलाभकर, सुभेद्य और मुख्य धारा से परे शेयरधारकों के लिए किसी विशेष पहल की शुरुआत की है?यदि ऐसा है तो कृपया उसके विवरण 50 अथवा उससे अधिक शब्दों में दें।

भर्ती के लिए और विभिन्न स्तरों पर ऐसे लोगों (सभी आरक्षित श्रेणी के कार्मिक (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी और अल्पसंख्यक) की कैरियर प्रोन्नति के लिए भारत सरकार के सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है। पीडब्ल्यूडी के व्यक्तियों के लाभार्थ विभिन्न अवसंरचनात्मक व्यवस्थाएं की गईं। ऐसी श्रेणी के कार्मिकों के बच्चों के साथ साथ अन्य बच्चों को को प्राप्तांकों के प्रतिशत में विशेष छूट देते हुए प्रतिभा पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इस श्रेणी में आने वाले कार्मिकों के कल्याण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अलग संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि आरक्षित श्रेणी के कार्मिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से विभिन्न चयन और पदोन्नति समितियों में सदस्य के रूप में उपयुक्त स्तर के आरक्षित श्रेणी के किसी व्यक्ति को नामित किया जाए।

इसके अलावा समाज के एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए द्वारा अपनी कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों जैसे सीआईडीसी, आईजीआईएटी, एल एंड टी, सीआरआईएसपी, सीआईपीईटी, एमपीसीओएन, एनबीसीएफडीसी, एनएचएफडीसी, एनएसकेएफडीसी इत्यादि के द्वारा विभिन्न दक्षता विकास कार्यक्रम के लिए निधियां उपलब्ध करायी गई है। ये एक अल्पाकालिक व्यवसायिक कार्यक्रम हैं जो व्यवसाय या स्वव्यवसाय प्रदान करते हैं। कुछ परियोजनाओं ने वैसे लोगों जिनके पास बिजली की उपलब्ध नहीं हैं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्रकाश उपलब्ध कराया है ।

<u>सिद्धांत 5</u>

1. क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति के अंतर्गत केवल कंपनी को ही शामिल किया जाता है अथवा यह समूह/संयुक्त उद्यम/पूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ)/अन्य लोगों के लिए भी लागू होती है?

पीएफसी समाहारी वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के जरिए अपने कार्मिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बेहतर प्रबंधन प्रक्रियाओं का अनुपालन करता है। कंपनी एक खुला द्वार नीति का अनुपालन करती है, जिसके जरिए कार्मिक शीर्ष प्रबंधन के साथ आवश्यकतानुसार बातचीत कर सकते हैं, इस प्रकार वे कंपनी के प्रबंधन और वृद्धि में भी योगदान देते हैं। कल्याण उपायों का प्रभावी पैकेज देकर कार्मिकों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जाती है, जिसमें व्यापक बीमा, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य सुविधाएं शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को स्वस्थ कार्यबल प्राप्त होता है। पीएफसी अपने मानव संसाधनों के कौशल उन्नयन पर विशेष जोर देता है। यह कॉर्पोरेट जगत में अपनाई जा रही सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं के अनुरूप अपनी प्रक्रियाओं की बेंचमार्किंग करता है। कंपनी अपने कार्मिकों की क्षमताओं के सतत उन्नयन की आवश्यकता पर बल देती है और उन्हें ऐसे सभी साधन संसाधन उपलब्ध कराती है कि वे इस क्षेत्र में हो रहे नवीनतम विकास से भलीभांति परिचित हो सकें। कंपनी एक ज्ञान आधारित कारोबार का प्रचालन करती है और अपने कार्मिकों के इन कौशलों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी विभिन्न प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए एक वार्षिक प्रशिक्षण योजना तैयार करती है। आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से सभी स्तर के कार्मिकों को जरूरी व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप मानव संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाता है और उच्च उत्पादकता स्तर सुनिश्चित किया जाता है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया?**

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों के विवरण निम्नानुसार हैं :

विवरण	शिकायतों की संख्या		
	इक्विटी शेयरधारक	बॉण्ड धारक	कपटरोधी नीति के अंतर्गत
शुरुआत में लंबित	1	4	शून्य
वर्ष के दौरान प्राप्त	37	721	शून्य
वर्ष के दौरान निपटाई गई	36	721	शून्य
वर्ष के अंत में निपटान हेतु लंबित	2	4	शून्य
निपटाई गई शिकायतों का %	94.74%	99.45%	शून्य

<u>सिद्धांत 6</u>

1. **क्या सिद्धांत छह से संबंधित नीति केवल कंपनी के लिए लागू होती है अथवा यह समूह/संयुक्त उद्यमों/पूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/एनजीओ/अन्य के लिए भी लागू होती है?**

   सीएसआर और एसडी नीति पूरी कंपनी के लिए हैं।

2. **क्या कंपनी में वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि का समाधान करने के लिए कोई रणनीतियां तैयार की गई हैं/कोई प्रयास शुरू किए गए हैं?हां/न। यदि हां, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें।**

   पीएफसी एक सामाजिक रूप से जागरूक संगठन है और संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) द्वारा घोषित वैश्विक समझौतों के 9 सिद्धांतों का पूरी तरह से समर्थन करता है, जिसमें मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और श्रमिक अधिकार जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वैश्विक समझौते के इन सिद्धांतों को कंपनी की विभिन्न संगठनात्मक नीतियों में शामिल किया जाता है, इस प्रकार सहज ढंग से इनके कार्यान्वयन को सुकर बनाया जाता है।

   पीएफसी उचित योजना और निर्णय करके समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है जो सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को वास्तविक रूप से कम करने के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। पीएफसी ऐसे कार्यकलापों का लगातार समर्थन करता है, जिनका उद्देश्य वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना हो तथा साथ ही यह तमाम विविधताओं के बावजूद जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पृथ्वी की प्राकृतिक क्षमता की रक्षा के लिए भी प्रयासरत है।

3. **क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करती है?हां/न।**

   चूंकि पीएफसी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है अतः यह प्रश्न लागू नहीं होता है।

4. **क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास व्यवस्था से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, कृपया 50 अथवा उससे अधिक शब्दों में उसके विवरण दें। यदि हां, क्या पर्यावरणीय अनुपालन के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है?**

   उपर्युक्त प्रश्न पीएफसी के लिए लागू नहीं होता है क्योंकि यह कोई विनिर्माण कंपनी नहीं है। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के विकास और वित्तपोषण की उभरती हुई संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के निधियन हेतु एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया है। जहां एक ओर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक अलग सहायक कंपनी है, वहीं दूसरी ओर आपकी कंपनी अभी भी बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का निधियन करती जा रही है और कंपनी ने एक समर्पित नवीकरणीय ऊर्जा समूह है जो पवन, बायोमास, लघु जल विद्युत परियोजनाओं और सौर ऊर्जा आदि सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार विकास में तेजी लाने के लिए ध्यान देता है। कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए विशेष ब्याज दरें प्रस्तावित करती है और सभी प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के निधियन हेतु विचार कर रही है।

   आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य और निजी क्षेत्रों के लिए 246.5 मेगावाट के कुल क्षमता वाली परियोजना हेतु सात ऋणों के लिए 845.87 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 457 करोड़ रुपए की राशि भी संवितरित की है।

   31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी ने कुल 1412 मेगावाट की उत्पादन क्षमता को संचित रूप से सहायता प्रदान की है, इसके लिए 4409 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई और 8927 करोड़ रूपए की एकीकृत परियोजना लागत के साथ सभी प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 3074 करोड़ की राशि संवितरित की गई।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कोई अन्य प्रयास शुरू किए हैं?हां/न। यदि हां, कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें।**

   हां, सीएआर के कार्यकलाप के भाग के रूप में पीएफसी के कुछ जारी नवीकरणीय ऊर्जा पहल नीचे सूचीबद्ध हैं :

क्र. सं.	ऊर्जा दक्ष परियोजना
1.	टेरी के द्वारा सूक्ष्म सौर पीवी पावर प्लांट की स्थापना से स्वच्छ और भरोसेमंद विद्युत के प्रावधान द्वारा प्रचालनात्मक विश्वसनीयता तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सेवा गुणवत्ता के सुधार के लिए परियोजना।
2.	एसईसीआई के द्वारा झारखंड के जिलाः गिरीडीह, धनबाद और बोकारो के गांवों की गलियों में सौर प्रकाश प्रणाली की आपूर्ति, संस्थापन और प्रवर्तन के लिए परियोजना।
3.	क्रेडा के द्वारा छत्तीसगढ़ के चयनित ब्लॉकों में सौर लालटेन के लिए वितरण परियोजना

4.	एसईसीआई के द्वारा हरियाणा राज्य के तीन गांवों में लघु/सूक्ष्म ऑफ ग्रिड सौर पीवी विद्युत प्लांट की आपूर्ति, संस्थापन और प्रवर्तन के लिए परियोजना।
5.	क्रेडा के द्वारा छत्तीसगढ़ के चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों में सौर पीवी प्रणाली और बायोमास कुक स्टोव के आपूर्ति, संस्थापन और प्रवर्तन के लिए परियोजना।
6.	एसईसीआई के द्वारा उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर जिले के कलिंग इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंस (केआईएसएस) में 500 केडब्ल्यूपी की एकीकृत क्षमता वाली ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पीवी (आरटीएसपीवी) परियोजना की आपूर्ति, संस्थापन और प्रवर्तन के लिए परियोजना।
7.	ईईएसएल के द्वारा आंध्र प्रदेश के आठ जिलों के गांवों में एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली की आपूर्ति, संस्थापन और प्रवर्तन के लिए परियोजना।
8.	क्रेडा द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर कर्नाटक के 45 गैर–बिजली वाले गांवों में विद्युतीकरण की परियोजना।
9.	ईईएसएल द्वारा मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में बीड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एलईडी आधारित गृह प्रकाश की परियोजना।

6. **क्या रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा उत्सर्जन/अपशिष्ट सृजन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा यथाविहित सीमाओं के भीतर है?**

   लागू नहीं।

7. **31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लंबित (अर्थात संतोषजनक ढंग से जिनका समाधान नहीं किया गया है) सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या।**

   लागू नहीं।

सिद्धांत 7

1. **क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैंबर अथवा एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, केवल ऐसे बड़े एसोसिएशन का नाम बताएं जिनके साथ आपकी कंपनी के व्यापारिक संबंध हों?**

   हां, पीएफसी एससीओपीई, एफआईसीसीआई, पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री तथा केंद्रीय कृषि और विद्युत बोर्ड, एएसएसओसीएचएएम, सीआईआई तथा विश्व ऊर्जा परिषद का सदस्य है।

2. **क्या आपने जनता की भलाई के लिए अथवा सार्वजनिक सुधार या उन्नति के लिए उपर्युक्त एसोसिएशनों के जरिए इस मुहिम की वकालत/समर्थन किया है? हां/न। यदि हां, व्यापक क्षेत्रों (ड्रॉप बॉक्स, शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समाहारी विकास नीतियों, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, स्थायी व्यापार सिद्धांत, अन्य) की जानकारी विनिर्दिष्ट करें।**

   पीएफसी सार्वजनिक चीजों की उन्नति और सुधार के लिए उपर्युक्त एसोसिएशनों द्वारा चलाई गई पहलों का समर्थन करता है।

सिद्धांत 8

1. **क्या सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुक्रम में कंपनी ने कोई विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/प्रयास/परियोजनाएं शुरू की हैं?यदि हां तो विवरण दें।**

   पीएफसी ने पहले से ही सीएसआर नीति लागू की है। सीएसआर नीति का प्राथमिक जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि कंपनी अपने सीएसआर संबंधी प्रयासों के जरिए समाहारी वृद्धि और एक समान विकास को सहायता प्रदान करने के लिए परियोजनाएं पूरी करती है।

   सीएसआर नीति के कार्यान्वयन के लिए इस प्रकार की पहल की जाती है जिससे कि विकास को सुकर बनाया जा सके। इसके लिए लोगों, ग्रह और लाभ के बीच स्वास्थ्यकर संबंध बनाए रखना आवश्यक है और कंपनी ने इस पर अमल किया है। पीएफसी की सीएसआर नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि :

   - संगठन में प्रत्येक स्तर पर अधिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना, अपने व्यापार का प्रचालन जहां एक ओर मितव्ययी सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी ढंग से करना, वहीं दूसरी ओर अपने सभी शेयरधारकों के हितों को मान्यता प्रदान करना है।
   - अपनी सीएसआर प्रयासों के जरिए पीएफसी के लिए सामुदायिक सुभेक्षा पैदा करना और पीएफसी की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जबाबदेह छवि को बढ़ावा देने हेतु सहायता करना।

2. **क्या कार्यक्रमों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन आंतरिक दल/ अपने स्वयं के फाउंडेशन/बाह्य एनजीओ/सरकारी ढांचों/किसी अन्य संगठन द्वारा किया गया।**

   सीएसआर और एसडी नीतियों के अंतर्गत ली गई परियोजनाओं का कार्यान्वयन केंद्र सरकार/अर्द्धसरकारी और प्रतिष्ठित निजी संगठनों के जरिए किया जाता है।

3. **क्या आपने अपने प्रयासों का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?**

   कार्यान्वित एजेंसी द्वारा परियोजना पूरी होने के पश्चात परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन जहां कहीं संभव होता है कुछ विकास के बाद बाह्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है – राशि भारतीय रुपयों में और शुरू की गई परियोजनाओं के विवरण?**

   आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 में सीएसआर और एसडी पहलों के लिए 44.38 करोड़ रूपए आबंटित किए थे। तथापि, वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, पीएफसी ने 70.21 करोड़ रूपए की परियोजनाओं/कार्यकलापों को मंजूरी दी, और वित्तीय वर्ष 2013–14, 2012–13 और 2011–12 में सीएसआर और एसडी कार्यकलापों के लिए 46.52 करोड़ रूपए की राशि वितरित की। वर्ष के दौरान पीएफसी ने सौर ऊर्जा, कौशल विकास, विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत आदि के क्षेत्र में बहुत से कार्यकलाप कार्यान्वित किए थे।

पीएफसी ने विभिन्न राज्यों में बहुत से कार्यक्रमों जैसे 'दी एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रचालनात्मक विश्वसनीयता तथा सेवा गुणवत्ता में सुधार करना (7.54 करोड़ रुपए)', 'झारखंड के गिरीडीह, धनबाद और बोकारो में सौर स्ट्रीट प्रकाश प्रणाली की आपूर्ति, संस्थापन और प्रवर्तन (1.05 करोड़ रुपए)' 'हरियाणा राज्य के तीन गांवों में लघु/सूक्ष्म ऑफ ग्रिड सौर पीवी विद्युत प्लांट की आपूर्ति, संस्थापन और प्रवर्तन (3.84 करोड़ रुपए)' 'सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) के द्वारा भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में 500 केडब्ल्यूपी की ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पीवी की आपूर्ति, संस्थापन और प्रवर्तन' (2.03 करोड़ रुपए) का समर्थन किया है।

पीएफसी ने विभिन्न एजेंसियों जैसे निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीएस), एल एंड टी, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रीयल स्टाफ परफॉर्मेंस (सीआरआईएसपी), अनुसंधान एवं औद्योगिक कार्मिक निष्पादन (सीआरआईएसपी), राष्ट्रीय विकलांग वित्तीय और विकास निगम (एनएचएफडीसी) और राष्ट्रीय सफाई कार्मिक वित्तीय और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) इत्यादि, 'छत्तीसगढ़ के चयनित ब्लॉकों में सौर लालटेन का वितरण' (1.58 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) द्वारा छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्र में सौर पीवी प्रणाली और बायोमास कुक स्टोव की आपूर्ति, संस्थापन और प्रवर्तन (5 करोड़ रुपए) द्वारा एससी/एसटी/ओबीसी/ महिला, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पीडब्ल्यूडी तथा सफाई कार्मिकों के लिए दक्षता विकास कार्यक्रम का भी समर्थन किया है।

इसके अलावा, पीएफसी ने टीएचडीसी के द्वारा उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यकलापों के लिए 3 करोड़ रुपए का तथा उड़ीसा के साइक्लोन तूफान "फैलिन" प्रभावित क्षेत्रों के लिए "मुख्य मंत्री राहत कोष" में 1करोड़ रुपए का योगदान योगदान किया है। पीएफसी ने ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएससल) के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के आठ जिलों के गांवों में एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली के आपूर्ति, संस्थापन और प्रवर्तन की परियोजना के लिए 5.34 करोड़ रुपए तथा मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले के बीड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एलईडी आधारित होम लाइटिंग के लिए 5.45 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पीएफसी ने कर्नाटक नवीरकणीय ऊर्जा विकास लिमिटेड (केआरईडीएल) के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर कर्नाटक के 45 गैर बिजली वाले गांवों में विद्युतीकरण के लिए 6.85 करोड़ रुपए तथा मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले के चंदेरी टाउन के चयनित वार्डों में जल वितरण पाइपलाइन के लिए चंदेरी नगरपालिका बोर्ड को 3.56 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए हैं। सीएसआर और एसडी के तहत लिए गए सभी पहल नेशनल सीएसआर हब को रिपोर्ट किए गए थे।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किए हैं कि सामुदायिक विकास संबंधी प्रयास समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाए गए हैं? कृपया 50 अथवा उससे अधिक शब्दों में स्पष्ट करें।**
पीएफसी द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसियों/निजी एजेंसियों द्वारा किया गया। कार्यान्वयन तंत्र उद्योग जगत में मौजूद सर्वश्रेष्ठ शर्तों के अनुसार तैयार की गई हैं और तदनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सामुदायिक लाभ अक्षरशः सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा पीएफसी की नीति के अनुसार जहां कहीं आवश्यक होता है वहां प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया जाएगा। यह अध्ययन परियोजना समाप्त होने के बाद व्यापक स्तर पर समाज पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक निश्चित समयावधि के पश्चात किया जाएगा।

<u>सिद्धांत 9</u>

1. **वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपभोक्ताओं की कितने प्रतिशत शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं।**
यह 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ताओं की कोई भी शिकायतें लंबित नहीं थी ।

2. **क्या कंपनी उत्पाद लेबल पर और इसके अलावा स्थानीय विधियों के अनुसार यथावश्यक उत्पाद सूचना देती है?**
लागू नहीं।

3. **क्या कंपनी के विरुद्ध किसी शेयरधारक द्वारा अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं, गैर–जिम्मेदाराना विज्ञापन और/अथवा गैर–प्रतिस्पर्धी बर्ताव के संबंध में पिछले 5 वर्षों के दौरान कोई मामला दायर किया गया है और 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लंबित है? यदि हां, कृपया 50 अथवा उससे अधिक शब्दों में उसके विवरण दें।**
लागू नहीं।

4. **क्या आपकी कंपनी कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि मुहिम चलाती है?**
पीएफसी में उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त करने के लिए आवधिक रूप से विद्युत कंपनियों के साथ ढांचागत बैठकें आयोजित की जाती हैं और उपभोक्ताओं के कार्यालय/परियोजना स्थल पर पीएफसी के कार्यपालकों द्वारा आवधिक रूप दौरे किए जाते हैं। मूल्यांकन, ऋण दस्तावेज तैयार करने और विभिन्न परियोजनाओं के लिए पीएफसी कार्यालय का दौरा करने वाले उपभोक्ताओं को ऋणों के संवितरण के दौरान संबंधित पक्षकारों के साथ नियमित रूप से लिखित/दूरभाष पर बातचीत की जाती है।

उपभोक्ता फीडबैक फॉर्म भेजकर वर्ष में कम से एक बार उभोक्ताओं के फीडबैक प्राप्त किए जाते हैं। पीएफसी के लिए उपभोक्ताओं की संतुष्टि के स्तर की संपूर्ण रेटिंग निर्धारित करने के लिए सभी फीडबैक फार्म का मिलान किया जाता है। उपभोक्ताओं के फीडबैक के रुझान और संभावित उपायों को व्यवस्थित सुधार की दृष्टि से निर्णय लेने के लिए प्रबंधन समीक्षा बैठक (एमआरएम) में प्रस्तुत किया जाता है।

प्रतिक्रियाओं के आधार पर एक सुधारात्मक और संरक्षात्मक कार्य रिकार्ड (सीएपीआर) तैयार किया जाता है। इसकी शुरुआत पर व्यवस्थित सुधार के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई यदि कोई है, के बारे में उपभोक्ता को सूचित किया जाता है।

पीएफसी ने एक स्थायी विकास (एसडी) नीति तैयार की है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉर्पोरेशन सामाजिक, वित्तीय और पर्यावरणीय संसाधनों के विकास हेतु नए मार्ग प्रशस्त करते हुए सामाजिक रूप से जवाबदेह निगम के रूप में उभकर सामने आए और भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने हेतु उनकी क्षमताओं के साथ कोई समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अपने स्थायी विकास (एसडी) प्रयासों के जरिए कंपनी समाज की सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को कम करने की आवश्यकता पर जोर देती और पर्यावरण के पारिस्थितिकीय संतुलन की रक्षा हेतु प्रयास करती है।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट का अनुबंध

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम (वित्तीय वर्ष 2013–14)
1.	टीईआरआई के जरिए सूक्ष्म सौर पीवी पावर प्लांटों की स्थापना कर स्वच्छ और विश्वसनीय विद्युत के प्रावधान के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की प्रचालनात्मक विश्वसनीयता और सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए परियोजना।
2.	चंदेरी कस्बे के म्युनिसिपल बोर्ड के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य के अशोक नगर जिला स्थित चंदेरी कस्बे के चुनिंदा गांवों में जल वितरण पाइपलाइन के लिए परियोजना।
3.	एसईसीआई के जरिए झारखंड राज्य के गिरीडीह, धनबाद और बोकारो जिलों के गांव में सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और कमिशनिंग के लिए परियोजना।
4.	क्रेडा (सीआरईडीए) के जरिए छत्तीसगढ़ राज्य के चुनिंदा ब्लॉकों में सौर लालटेनों के वितरण के लिए परियोजना।
5.	एसईसीआई के जरिए हरियाणा राज्य के तीन गांवों में सूक्ष्म/लघु ऑफ ग्रिड सोलर पीवी पावर प्लांट की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए परियोजना।
6.	क्रेडा के जरिए छत्तीसगढ़ राज्य में चुनिंदा आंगनबाड़ी केंद्रों में सोलर पीवी सिस्टम और बायो मास कुक स्टोव की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए परियोजना।
7.	एसईसीआई के जरिए उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (केआईएसएस) में 500 केडब्ल्यूपी की एकीकृत क्षमता वाली ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पीवी (आरटीएसपीवी) परियोजनाओं के लिए आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग हेतु परियोजना।
8.	ईईएसएल के जरिए अरुणाचल प्रदेश के आठ जिलों के प्रायः सभी गांवों में एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और कमिशनिंग के लिए परियोजना।
9.	केआरईडीएल के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए कर्नाटक के 45 विद्युत विहीन गांवों/पुरवों के विद्युतीकरण हेतु परियोजना।
10.	ईईएसएल के जरिए मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में बीड़ी श्रमिकों के लिए एलईडी आधारित घरेलू लाइटिंग हेतु परियोजना।
11.	सीआईडीसी के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (1000 लोगों) के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।
12.	आईजीआईएटी के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (500 लोगों) के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।
13.	एल एंड टी कंस्ट्रक्शन के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (1200 लोगों) के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के लिए परियोजना।
14.	आईजीआईएटी के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (300 लोगों) के लिए कंट्रोल और ऑटोमेशन तथा आईटी से संबंधित पाठ्यक्रमों में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए परियोजना।
15.	सीआरआईएसपी के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (300 लोगों) के लिए आईटी से संबंधित पाठ्यक्रमों में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए परियोजना।
16.	सीआईपीईटी के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग लोगों/महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (600 लोगों) के लिए कौशल विकास कार्यक्रम हेतु परियोजना।
17.	एमपीसीओएन लिमिटेड के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग लोगों/महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (1000 लोगों) के लिए डिंडोरी (मध्य प्रदेश) में कौशल विकास कार्यक्रम हेतु परियोजना।
18.	एमपीसीओएन लिमिटेड के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग लोगों/महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (500 लोगों) के लिए बस्तर क्षेत्र (छत्तीसगढ़) में कौशल विकास कार्यक्रम हेतु परियोजना।
19.	एनबीसीएफडीसी के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग लोगों/महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (500 लोगों) के लिए चुनिंदा राज्यों में कौशल विकास कार्यक्रम हेतु परियोजना।
20.	राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) के जरिए 4230 विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को कौशल विकास प्रशिक्षण।
21.	एनएसकेएफडीसी के जरिए महिला सफाई कार्मिकों और उनके आश्रितों के लाभार्थ कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।
22.	उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास से संबंधित कार्यकलाप।
23.	उड़ीसा राज्य में तूफानी चक्रवात 'फेलिन' से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास से संबंधित कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता/मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान।

पी एफ सी
PFC

तुलन-पत्र

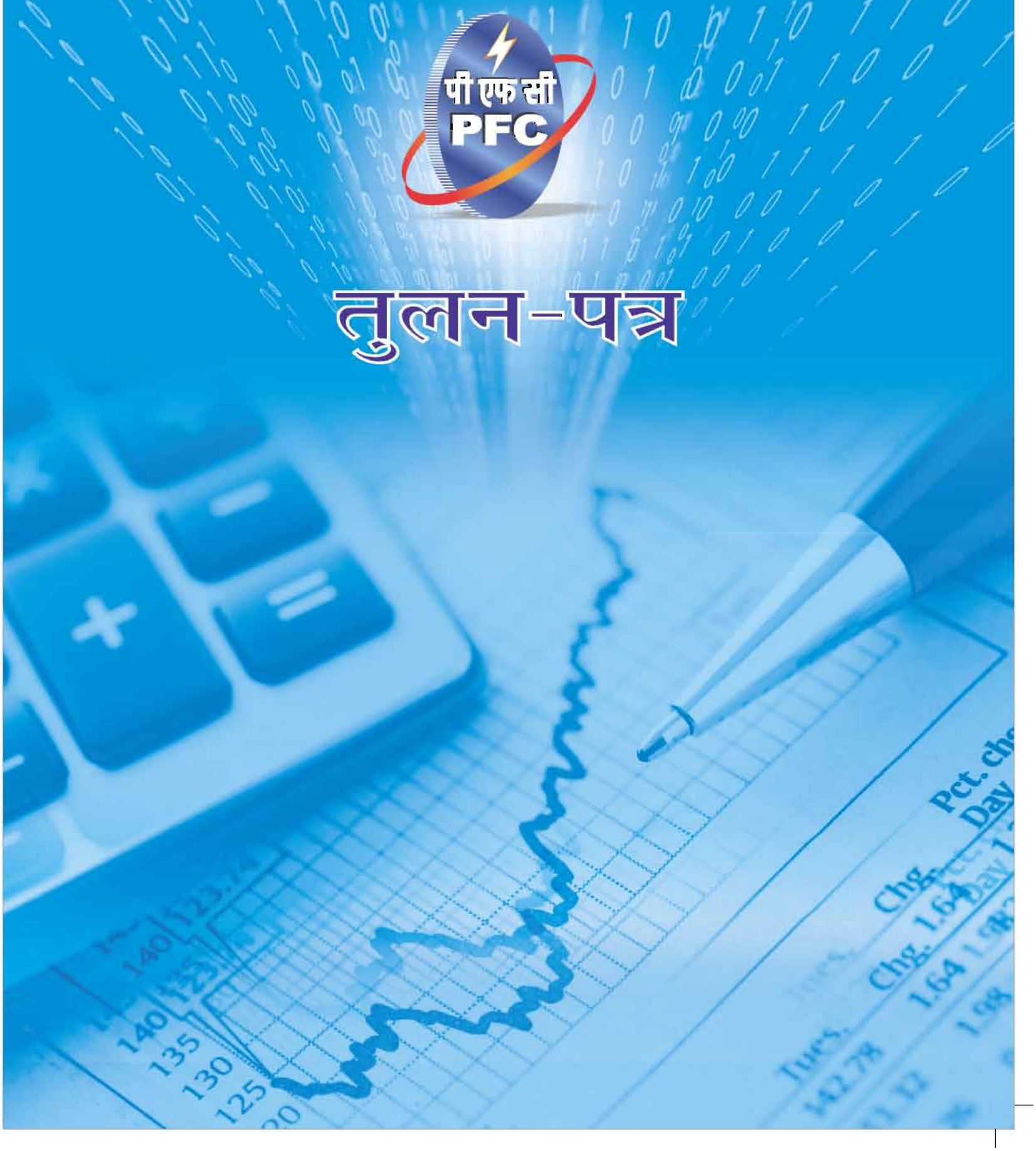

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च, 2014 को तुलन–पत्र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	टिप्पणीं भाग–क		31.03.2014 को		31.03.2013 को
क	**इक्विटी और देयताएं**					
(1)	**शेयरधारकों की निधि**					
(i)	शेयर पूंजी	1	1,320.04		1,320.02	
(ii)	आरक्षित एवं अधिशेष	2	26,054.57	27,374.61	22,256.13	23,576.15
(2)	**गैर–चालू देयताएं**					
(i)	दीर्घावधि ऋण	3				
	प्रतिभूत		22,776.66		6,636.67	
	अप्रतिभूत		1,19,714.91	142,491.57	1,14,514.19	1,21,150.86
(ii)	स्थगित कर देयताएं (निवल) (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 14–अन्य लेखा टिप्पणियां)			274.22		219.79
(iii)	अन्य दीर्घावधि देयताएं	4		347.62		539.80
(iv)	दीर्घावधि प्रावधान	5		473.04		162.33
(3)	**चालू देयताएं**					
(i)	दीर्घावधि ऋण (अप्रतिभूत) की चालू परिपक्वता	3	15,409.00		9,612.08	
(ii)	अल्पावधि ऋण	3				
	प्रतिभूत		0.00		860.55	
	अप्रतिभूत		1,314.49		7,849.42	
(iii)	अन्य चालू देयताएं	4	6,261.75		5,063.82	
(iv)	अल्पावधि प्रावधान	5	217.80	23,203.04	193.99	23,579.86
	कुल			1,94,164.10		1,69,228.79
ख	**परिसंपत्तियां**					
(1)	**गैर–चालू परिसंपत्तियां**					
(i)	अचल परिसंपत्तियां					
	मूर्त परिसंपत्तियां	6	102.31		101.39	
	घटाएं : संचित मूल्य ह्रास		34.13	68.18	30.83	70.56
	अमूर्त परिसंपत्तियां		7.78		7.87	
	घटाएं : संचित परिशोधन		5.33	2.45	4.09	3.78
(ii)	गैर–चालू निवेश	7				
	व्यापार		12.00		12.00	
	अन्य		336.34	348.34	145.66	157.66
(iii)	दीर्घावधि ऋण	8				
	प्रतिभूत		1,33,815.75		1,07,157.80	
	अप्रतिभूत		34,976.36	1,68,792.11	35,366.37	1,42,524.17
(iv)	अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	9		209.68		376.07
(2)	**चालू परिसंपत्तियां**					
(i)	चालू निवेश	10	3.83		3.83	
(ii)	नकदी एवं बैंक शेष	11	60.14		4,753.81	
(iii)	दीर्घावधि ऋणों की चालू परिपक्वता	8				
	प्रतिभूत		15,114.00		12,318.01	
	अप्रतिभूत		2,928.95		3,137.84	
(iv)	अल्पावधि ऋण	8				
	प्रतिभूत		912.98		1,000.00	
	अप्रतिभूत		1,483.20		1,416.11	
(v)	अन्य चालू परिसंपत्तियां	9	4,240.24	24,743.34	3,466.95	26,096.55
	कुल			1,94,164.10		1,69,228.79
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		**भाग ख**				
अन्य लेखा टिप्पणियां		**भाग ग**				

भाग क से भाग ग तक टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग हैं

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता./–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–00701892

हस्ता./–
एम. के. गोयल
निदेशक (वाणिज्य) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00239813

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एन के भार्गव एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर संख्या –000429एन

हस्ता./–
(एन के भार्गव)
भागीदार
सदस्य संख्या–080624

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर संख्या – 000862एन

हस्ता./–
(वी के गुरेजा)
भागीदार
सदस्य संख्या–016521

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 27.05.2014

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण		टिप्पणी भाग–क	31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	
I.	**प्रचालन से राजस्व**					
	ब्याज	12	20,978.71		16,922.91	
	अन्य प्रचालन आय	12	543.71	21,522.42	343.23	17,266.14
II.	**अन्य आय**					
	अन्य आय	13		15.04		6.41
III	**कुल राजस्व (I + II)**			21,537.46		**17,272.55**
IV.	**व्यय**					
	ब्याज, वित्त एवं अन्य प्रभार	14		13,199.59		10,991.08
	बॉण्ड इश्यू व्यय	15		79.09		97.33
	कार्मिक लाभ व्यय	16		79.56		80.94
	आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान			469.89		80.85
	निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान			(0.15)		(0.003)
	मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	6		4.93		5.70
	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायी विकास व्यय			63.23		16.30
	अन्य व्यय	17		83.30		42.12
	पूर्व अवधि मदें (निवल)	18		(0.29)		(8.81)
	कुल व्यय			13,979.15		**11,305.51**
V.	**विशिष्ट और असाधारण मदें एवं कर पूर्व लाभ (III-IV)**			7,558.31		**5,967.04**
VI.	विशिष्ट मदें		0.00		0.00	
VII.	**असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (V-VI)**			7,558.31		**5,967.04**
VIII.	असाधारण मदें			0.00		0.00
IX.	**कर पूर्व लाभ (VII-VIII)**			7,558.31		**5,967.04**
X.	**कर व्यय**					
	(1) चालू कर					
	चालू वर्ष के लिए		2,075.81		1,543.57	
	पिछले वर्षों के लिए		10.32	2,086.13	(128.49)	1,415.08
	(2) स्थगित कर देयता (+)/आस्ति (–)			54.43		132.36
XI.	**सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (हानि) (IX-X)**			5,417.75		**4,419.60**
XII.	**रु. 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर के अनुसार आय (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 15 –अन्य लेखा टिप्पणियां)**					
	(1) बुनियादी (₹)			41.04		**33.48**
	(2) (डाइल्यूटिड) (₹)			41.04		**33.48**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**भाग ख**				
	अन्य लेखा टिप्पणियां	**भाग ग**				

भाग क से भाग ग तक टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग हैं

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

हस्ता./–
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–00701892

हस्ता./–
एम. के. गोयल
निदेशक (वाणिज्य) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00239813

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एन के भार्गव एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर संख्या –000429एन

हस्ता./–
(एन के भार्गव)
भागीदार
सदस्य संख्या–080624

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर संख्या – 000882एन

हस्ता./–
(वी के गुरेजा)
भागीदार
सदस्य संख्या–016521

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 27.05.2014

टिप्पणी – भाग क–1
शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2014 को	31.03.2013 को
क	**अधिकृत : :**		
	₹ 10/– प्रति शेयर मूल्य के 2,00,00,00,000 शेयर		
	(पिछले वर्ष ₹ 10/– प्रति शेयर मूल्य के 2,00,00,00,000 शेयर)	2,000.00	2,000.00
	कुल	2,000.00	2,000.00
ख	**जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त :**		
	₹ 10/– प्रति शेयर मूल्य के 1,32,00,15,011 पूर्ण चुकता शेयर		
	(पिछले वर्ष ₹ 10/– प्रति शेयर मूल्य के 1,31,99,31,705 पूर्ण चुकता शेयर)	1,320.02	1,319.93
	जोड़े : ₹ 10/– प्रति शेयर मूल्य के 25,693 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर		
	(पिछले वर्ष ₹ 10/– प्रति शेयर मूल्य के 83,306 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर)	0.02	0.09
	कुल	1,320.04	1,320.02

टिप्पणियां :–

1. कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों की संख्या और शेयरों की निर्दिष्ट संख्या संबंधी जानकारी :–

शेयर धारकों के नाम :		31.03.2014	31.03.2013
भारत के राष्ट्रपति	शेयर धारण प्रतिशत	72.80*	73.72
	धारित शेयरों की संख्या	96,09,55,589	97,30,61,665
	राशि (करोड़ रुपए में)	960.96	973.06
भारतीय जीवन बीमा निगम	शेयर धारण प्रतिशत	7.80	5.77
	धारित शेयरों की संख्या	10,28,99,599	7,61,64,471
	राशि (करोड़ रुपए में)	102.90	76.16

2. पीएफसी– ईएसओपी 2010 नाम की कंपनी की शेयर विकल्प योजना के अंतर्गत कंपनी की पारिश्रमिक समिति ने 23 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2009–10 के लिए 88,040 करोड़ शेयर जारी करने की मंजूरी प्रदान की। ये शेयर 29 जुलाई, 2011 से प्रभावी होने थे तथा 30 अगस्त, 2012 को हुई बैठक में समिति ने वित्त वर्ष 2010–11 के लिए 92,964 शेयर जारी करने का अनुमोदन किया। ये शेयर कंपनी के नियमित कार्मिकों के लिए 30 अप्रैल, 2012 से जारी किए जाने थे और इन्हें पीएफसी इम्प्लाइज वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से जारी किया जाना था। वित्त वर्ष 2009–10 के लिए प्रति शेयर मूल्य ₹ 176.05/– और वित्त वर्ष 2010–11 के लिए प्रति शेयर ₹ 160.75/– मूल्य निर्धारित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत ₹ 10/– अंकित मूल्य का एक शेयर ₹ 10/– प्रति शेयर का भुगतान करने पर इक्विटी शेयर में परिवर्तित किया जाना था।

वित्त वर्ष 2009–10 के लिए 88,040 शेयरों में से कंपनी ने 87,888 शेयर आबंटित किए, कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत स्टाक विकल्प अपनाते हुए 83,306 इक्विटी शेयर आबंटित किए। वित्त वर्ष 2010–11 के लिए 92,964 शेयर मंजूर किए गए जिनमें से 69,954 शेयरों का निपटान नकदी के जरिए किया गया और पिछले वित्त वर्ष के दौरान 1572 शेयर विकल्प रद्द कर दिए गए तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत शेयर विकल्प का इस्तेमाल करते हुए 21,438 इक्विटी शेयर जारी किए गए।

*भाग–ग : अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 19.2 देखें।

टिप्पणी – भाग क–2
संचित कोष एवं अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	विवरण		31.03.2014 को		31.03.2013 को
(क)	**प्रतिभूत प्रीमियम संचित कोष**				
	प्रारंभिक शेष	4,094.50		4,092.67	
	जोड़े : वर्ष के दौरान संवर्धन*	1.87		1.51	
	घटाएं : इश्यू व्यय (एफपीओ)	0.00	4,096.37	(0.32)	4,094.50
(ख)	**डिबेंचर मोचन संचित कोष**				
	प्रारंभिक शेष	274.85		55.79	
	जोड़े : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित				
	(देखें, भाग ग–अन्य लेखा टिप्पणियां, की टिप्पणी संख्या 4)	271.23	546.08	219.06	274.85
(ग)	**अन्य**				
	(i) **आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1)(vii क) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए संचित कोष**				
	प्रारंभिक शेष	1,409.01		1,158.61	
	जोड़ें : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	321.43	1,730.44	250.40	1,409.01
	(देखें, भाग ग–अन्य लेखा टिप्पणियां, की टिप्पणी संख्या 5)				
	(ii) **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii क) के अंतर्गत वर्ष 1996–97 तक सृजित विशेष संचित कोष**		599.85		599.85
	(iii) **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत वर्ष 1997–98 तक सृजित और अनुरक्षित विशेष संचित कोष**				
	प्रारंभिक शेष	7,139.87		5,982.06	
	जोड़ें : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	1,484.74		1,155.90	
	जोड़े : सामान्य संचित कोष से अंतरित	0.00		1.91	
	जोड़े : अधिशेष से अंतरित **	37.65		0.00	
	घटाएं : सामान्य संचित कोष को अंतरित (तुलन पत्र शीर्ष)	(17.80)	8,624.46	0.00	7,139.87
	(iv) **सीएसआर और एसडी संचित कोष**				
	प्रारंभिक शेष	18.85		0.00	
	घटाएं : अधिशेष को अंतरित				
	(देखें, भाग ग–अन्य लेखा टिप्पणियां के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 21.2)	(18.85)	0.00	18.85	18.85
	(v) **सामान्य संचित कोष**				
	प्रारंभिक शेष	3,034.49		2,594.40	
	जोड़े : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	542.00		442.00	
	जोड़े : विशेष संचित कोष से अंतरित	17.80		0.00	
	घटाएं : विशेष संचित कोष को अंतरित	0.00	3,594.29	1.91	3,034.49

(vi) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण विभेद खाता (देखें, भाग ग–अन्य लेखा टिप्पणियां के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 11)				
प्रारंभिक शेष	(477.97)		(515.41)	
जोड़े : वर्ष के दौरान निवल वृद्धि	(231.24)	(709.21)	37.44	(477.97)
(घ) अधिशेष				
प्रारंभिक शेष	6,162.68		4,904.21	
जोड़ें : सीएसआर और एसडी संचित कोष से अंतरित	18.85		0.00	
घटाएं : आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत विशेष संचित कोष को अंतरित **	(37.65)		0.00	
जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विनियोजन से रखा गया अधिशेष	1,428.41	7,572.29	1,258.47	6,162.68
		26,054.57		22,256.13
टिप्पणी : लाभ और हानि विनियोजन				
वर्ष के लिए कर उपरांत लाभ		5,417.75		4,419.60
घटाएं : सीएसआर और एसडी संचित कोष				
सीएसआर और एसडी संचित कोष को अंतरित (पिछले वर्षों से संबंधित)	0.00		16.39	
सीएसआर और एसडी संचित कोष से अंतरित (पिछले वर्षों से संबंधित)	0.00		(9.30)	
सीएसआर और एसडी संचित कोष को अंतरित (चालू वर्ष से संबंधित)	0.00	0.00	11.76	18.85
घटाएं : संचित कोष को अंतरित				
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (vii क) के अंतर्गत खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए संचित कोष को अंतरित	321.43		250.40	
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (vii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष संचित कोष को अंतरित	1,464.74		1,155.90	
डिबेंचर मोचन आरक्षित	271.23		219.06	
सामान्य संचित कोष	542.00	2,599.40	442.00	2,067.36
घटाएं : लाभांश और कॉर्पोरेट लाभांश कर				
अंतरिम लाभांश	1,161.64		792.01	
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	26.40		132.00	
अंतरिम लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश कर	197.41		128.48	
प्रस्तावित कॉर्पोरेट लाभांश कर	4.49	1,389.94	22.43	1,074.92
कुल		1,428.41		1,258.47

*कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 107ए और 107बी क्रमशः 0.03% और 0.14% प्रीमियम पर जारी किए जाने से हुई वृद्धि, जिससे 25,693 इक्विटी शेयरों के इश्यू से 0.42 करोड़ रुपए प्रीमियम सहित कुल प्राप्ति 1.45 करोड़ रुपए की हुई।

**मूल्यांकन वर्ष 2013–14 के लिए आय कर विवरणी के अनुसार दावाकृत कटौती की समानता के लिए अंतरित राशि।

टिप्पणी–भाग क–3

ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को चालू	गैर–चालू	कुल	31.03.2013 को चालू	गैर–चालू	कुल
क. दीर्घावधि ऋण						
I. प्रतिभूति						
बॉण्ड्स						
इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या 1 से 12)	0.00	361.55	361.55	0.00	361.55	361.55
कर मुक्त बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या 13 से 38)	0.00	11,275.11	11,275.11	0.00	6,275.12	6,275.12
अन्य बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या 39 से 45)	0.00	11,140.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00
उप जोड़ (I)	0.00	22,776.66	22,776.66	0.00	6,636.67	6,636.67
II. अप्रतिभूत						
क) बॉण्ड्स						
अन्य बॉण्ड्स/डिबेंचर (देखें, टिप्पणी संख्या 46 और 47)	10,399.90	89,528.17	99,928.07	3,262.90	95,434.62	98,697.52
गौण बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या 48)	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
विदेशी मुद्रा नोट्स (देखें, टिप्पणी संख्या 50)	0.00	1,088.82	1,088.82	0.00	986.40	986.40
	10,399.90	94,416.99	1,04,816.89	3,262.90	96,421.02	99,683.92
ख) विदेशी मुद्रा ऋण						
विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) (देखें, टिप्पणी संख्या 51)	24.57	265.36	289.93	19.98	251.49	271.47
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण (देखें, टिप्पणी संख्या 52)	3,674.53	3,872.56	7,547.09	0.00	6,946.68	6,946.68
विदेशी मुद्रा ऋण (बैंकों से एफसीएनआर (बी) ऋण)	0.00	0.00	0.00	219.20	0.00	219.20
	3,699.10	4,137.92	7,837.02	239.18	7,198.17	7,437.35
ग) रुपया सावधि ऋण						
रुपया सावधि ऋण (बैंकों से) (देखें, टिप्पणी संख्या 53)	810.00	21,160.00	21,970.00	3,980.00	10,895.00	14,875.00
रुपया सावधि ऋण (वित्तीय संस्थानों से) (देखें, टिप्पणी संख्या 54)	500.00	0.00	500.00	2,130.00	0.00	2,130.00
	1,310.00	21,160.00	22,470.00	6,110.00	10,895.00	17,005.00
उप जोड़ (II)	15,409.00	1,19,714.91	1,35,123.91	9,612.08	1,14,514.19	1,24,126.27
ख. अल्पावधि ऋण						
रुपया सावधि ऋण						
I. प्रतिभूत						
सावधि जमा के प्रति ऋण	0.00	0.00	0.00	860.55	0.00	860.55
कुल जोड़ (I)	0.00	0.00	0.00	860.55	0.00	860.55
II. अप्रतिभूत						
वाणिज्यिक पेपर (देखें, टिप्पणी संख्या 55)	1,314.49	0.00	1,314.49	4,890.20	0.00	4,890.20
कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ ओडी/ सीसी/लाइन क्रेडिट	0.00	0.00	0.00	2,959.22	0.00	2,959.22
उप जोड (II)	1,314.49	0.00	1,314.49	7,849.42	0.00	7,849.42
कुल (क) +(ख)	16,723.49	1,42,491.57	1,59,215.06	18,322.05	1,21,150.86	1,39,472.91

टिप्पणियां :–
31.03.2014 को बकाया इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	विमोचन की तारीख	विमोचन का ब्यौरा	प्रतिभूति का स्वरूप
1	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2011-12) शृंखला-III	21.11.2011	8.75%	3.23	22 नवम्बर–18	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटनकी तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों के सिवाय जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत
2	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2011-12) शृंखला - IV	21.11.2011	8.75%	8.83	22 नवम्बर–18	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य	
3	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2010-11) शृंखला-3	31.03.2011	8.50%	6.13	01 अप्रैल–18	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	31.03.2014 को कंपनी के 3971.21 करोड़ रुपये के विशेष बही ऋणों पर प्रभार तथा नई दिल्ली में जंगपुरा स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत।
4	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2010-11) शृंखला-4	31.03.2011	8.50%	22.75	01 अप्रैल–18	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य	
5	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86 सी शृंखला	30.03.2012	8.72%	0.95	31 मार्च–18	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 6 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटनकी तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की चालू और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों के सिवाय जिन पर वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान जारी किए गए इन्फ्राबॉण्ड के लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।
6	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86 डी शृंखला	30.03.2012	8.72%	2.75	31 मार्च–18	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 6 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य	
7	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86 ए शृंखला	30.03.2012	8.43%	9.04	31 मार्च–17	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की चालू और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों के सिवाय जिन पर वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान जारी किए गए इन्फ्राबॉण्ड के लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।
8	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86 बी शृंखला	30.03.2012	8.43%	17.81	31 मार्च–17	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य	

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	विमोचन की तारीख	विमोचन का ब्यौरा	प्रतिभूति का स्वरूप
9	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2011-12) शृंखला-I	21.11.2011	8.50%	32.43	22 नवम्बर–16	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।
10	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2011-12) शृंखला-II	21.11.2011	8.50%	51.15	22 नवम्बर–16	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य	
11	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2010-11) शृंखला-1	31.03.2011	8.30%	66.80	1 अप्रैल–16	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	31.03.2014 को कंपनी के रु. 3,971.21 करोड़ रुपये के विशेष बही ऋणों पर प्रभार तथा नई दिल्ली में जंगपुरा स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत।
12	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2010-11) शृंखला-2	31.03.2011	8.30%	139.68	1 अप्रैल–16	बॉण्डधारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य	
		कुल		**361.55**			

31.03.2014 को बकाया इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	विमोचन की तारीख	प्रतिभूति का स्वरूप
13	कर–मुक्त बॉण्ड (2013–14) – शृंखला–3ए	16.11.2013	8.67%	1,067.38	16 नवम्बर–33	कंपनी के कुल बही ऋणों (उन ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से सुरक्षित, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डो का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
14	कर–मुक्त बॉण्ड (2013–14) – शृंखला–3बी	16.11.2013	8.92%	861.96	16 नवम्बर–33	
15	कर–मुक्त बॉण्ड (2013–14) –शृंखला–2ए	16.11.2013	8.54%	932.70	16 नवम्बर–28	कंपनी के कुल बही ऋणों (उन ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से सुरक्षित, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
16	कर–मुक्त बॉण्ड (2013–14) –शृंखला–2बी	16.11.2013	8.79%	353.32	16 नवम्बर–28	
17	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला–107बी	30.08.2013	8.46%	1,011.10	30 अगस्त–28	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोडकर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
18	कर–मुक्त बॉण्ड (2012–13) ट्रांचे - II - शृंखला II	28.03.2013	7.04%	3.32	28 मार्च–28	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।
19	कर–मुक्त बॉण्ड (2012–13) ट्रांचे - II - शृंखला II	28.03.2013	7.54%	65.88	28 मार्च–28	
20	कर–मुक्त बॉण्ड (2012–13) ट्रांचे - I - शृंखला II	04.01.2013	7.36%	136.84	4 जनवरी–28	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत ।
21	कर–मुक्त बॉण्ड (2012–13) ट्रांचे - I - शृंखला II	04.01.2013	7.86%	220.16	4 जनवरी–28	
22	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 95बी	29.11.2012	7.38%	100.00	29 नवम्बर–27	चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत । अंतर्निहित प्रतिभूति सहित कंपनी की सभी चालू और भावी प्राप्तियों/ऋण परिसंपत्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।
23	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 94बी	22.11.2012	7.38%	25.00	22 नवम्बर–27	
24	कर–मुक्त बॉण्ड (2011–12) ट्रांचे - I - शृंखला II	01.02.2012	8.30%	1,280.58	1 फरवरी–27	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।
25	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 80 बी	25.11.2011	8.16%	209.34	25 नवम्बर–26	कंपनी की सभी चालू और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर वित्तीय वर्ष 2010–11 में जारी इन्फ्रा बॉण्ड के लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत ।
26	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 79बी	15.10.2011	7.75%	217.99	15 अक्टूबर–26	
27	कर–मुक्त बॉण्ड (2013–14) – शृंखला–1ए	16-11-2013	8.18%	325.07	16 नवम्बर–23	कंपनी के कुल बही ऋणों (उन ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से प्रतिभूत, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
28	कर–मुक्त बॉण्ड (2013–14) शृंखला–1बी	16-11-2013	8.43%	335.47	16 नवम्बर–23	

29	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला –107ए	30-08-2013	8.01%	113.00	30 अगस्त–23	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोडकर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
30	कर–मुक्त बॉण्ड (2012–13) ट्रांचे- II - शृंखला I	28-03-2013	6.88%	47.64	28 मार्च– 23	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।
31	कर–मुक्त बॉण्ड (2012–13) ट्रांचे- II - शृंखला I	28-03-2013	7.38%	48.52	28 मार्च– 23	
32	कर–मुक्त बॉण्ड (2012–13) ट्रांचे- I - शृंखला I	04-01-2013	7.19%	176.99	4 जनवरी–23	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।
33	कर–मुक्त बॉण्ड (2012–13) ट्रांचे- I - शृंखला I	04-01-2013	7.69%	165.76	4 जनवरी–23	
34	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 95ए	29-11-2012	7.22%	30.00	29 नवम्बर–21	चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत। अंतर्निहित प्रतिभूति सहित कंपनी की सभी चालू और भावी प्राप्तियों/ऋण परिसंपत्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।
35	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 94ए	22-11-2012	7.21%	255.00	22 नवम्बर–21	
36	कर–मुक्त बॉण्ड (2011–12) ट्रांचे- I - शृंखला I	01.02.2012	8.20%	2,752.55	1 फरवरी–22	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।
37	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 80ए	25.11.2011	8.09%	334.31	25 नवम्बर–21	कंपनी की सभी चालू और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर वित्तीय वर्ष 2010–11 में जारी इन्फ्रा बॉण्ड के लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।
38	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 79ए	15.10.2011	7.51%	205.23	15 अक्टूबर–21	
		कुल		11,275.11		

31.03.2014 को बकाया कर–योग्य बॉण्ड्स (प्रतिभूत) का ब्यौरा इस प्रकार है :

39	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 112 सी	31.01.2014	9.70%	270.00	31 जनवरी–21	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोडकर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
40	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 112बी	31.01.2014	9.70%	270.00	31 जनवरी–20	
41	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 113बी	03.03.2014	9.69%	2,240.00	3 मार्च–19	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोडकर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
42	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 112 ए	31.01.2014	9.70%	270.00	31 जनवरी–19	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोडकर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।

43	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 109	07.10.2013	9.81%	4,500.00	7 अक्टूबर–18	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोडकर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/ अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/ पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
44	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 108	27.09.2013	9.80%	1,600.00	27 सितम्बर–16	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोडकर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/ अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/ पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
45	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 110	05.12.2013	9.58%	1,990.00	5 दिसम्बर–15	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोडकर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/ अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/ पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
		कुल		**11,140.00**		
46	46 2022–XIX शृंखला के अंतर्गत रुपये 379.67 करोड़ मूल्य (पिछले वर्ष रुपए 351.22 करोड़) के जीरो कूपन अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड 30.12.2022 को रु. 750.00 करोड़ के अंकित मूल्य [रु. 370.33 करोड़ (पिछले वर्ष रुपए 398.78 करोड़) के निवल अपरिशोधित ब्याज के साथ, पर विमोचन योग्य हैं।					
47	अप्रतिभूत कर योग्य (गैर–संचयी) बॉण्डों का ब्यौरा इस प्रकार है :–					

क्र.सं.	बॉण्ड शृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (करोड़ रुपये में)
1	71–सी शृंखला	9.05%	15–दिसंबर–30	192.70
2	66–सी शृंखला	8.85%	15–जून–30	633.00
3	103 शृंखला	8.94%	25–मार्च–28	2,807.00
4	102 - ए (III) शृंखला	8.90%	18–मार्च–28	403.00
5	101–बी शृंखला	9.00%	11–मार्च–28	1,370.00
6	77–बी शृंखला	9.45%	1–सितंबर–26	2,568.00
7	76–बी शृंखला	9.46%	1–अगस्त–26	1,105.00
8	71–बी शृंखला	9.05%	15–दिसंबर–25	192.70
9	66–बी शृंखला	8.75%	15–जून–25	832.00
10	66–बी शृंखला	8.75%	15–जून–25	700.00
11	65– शृंखला	8.70%	14–मई–25	1,087.50
12	65– शृंखला	8.70%	14–मई–25	250.00
13	64– शृंखला	8.95%	30–मार्च–25	492.00
14	63– शृंखला	8.90%	15–मार्च–25	184.00
15	62–बी शृंखला	8.80%	15–जनवरी–25	1,172.60
16	61–शृंखला	8.50%	15–दिसंबर–24	351.00
17	57–बी शृंखला	8.60%	7–अगस्त–24	866.50
18	85–डी शृंखला	9.26%	15–अप्रेल–23	736.00
19	102–ए (II) शृंखला	8.90%	18–मार्च–23	403.00
20	102–बी शृंखला	8.87%	18–मार्च–23	70.00
21	100–बी शृंखला	8.84%	4–मार्च–23	1,310.00
22	92–सी शृंखला	9.29%	21–अगस्त–22	640.00
23	91–बी शृंखला	9.39%	28–जून–22	2,695.20
24	88–सी शृंखला	9.48%	15–अप्रैल–22	184.70
25	78–बी शृंखला	9.44%	23–सितंबर–21	1,180.00
26	76–ए शृंखला	9.36%	1–अगस्त–21	2,589.40

क्र.सं.	बॉण्ड शृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (करोड़ रुपये में)
27	75–सी शृंखला	9.61%	29–जून–21	2,084.70
28	74– शृंखला	9.70%	9–जून–21	1,693.20
29	XXVIII शृंखला	8.85%	31–मई–21	600.00
30	73– शृंखला	9.18%	15–अप्रैल–21	1,000.00
31	72– बी शृंखला	8.99%	15–जनवरी–21	1,219.00
32	71– ए शृंखला	9.05%	15–दिसंबर–20	192.70
33	70 शृंखला	8.78%	15–नवंबर–20	1,549.00
34	68–बी शृंखला	8.70%	15–जुलाई–20	1,424.00
35	66–ए शृंखला	8.65%	15–जनवरी–20	500.00
36	65– शृंखला	8.70%	14–मई–20	162.50
37	65– शृंखला	8.70%	14–मई–20	1,175.00
38	85–सी शृंखला	9.30%	15–अप्रैल–20	79.50
39	64–शृंखला	8.95%	30–मार्च–20	492.00
40	87–डी शृंखला	9.42%	20–मार्च–20	650.80
41	63– शृंखला	8.90%	15–मार्च–20	184.00
42	100–ए शृंखला	8.86%	4–मार्च–20	54.30
43	99–बी शृंखला	8.82%	20–फरवरी–20	733.00
44	62–ए शृंखला	8.70%	15–जनवरी–20	845.40
45	61– शृंखला	8.50%	15–दिसंबर–19	351.00
46	60–बी शृंखला	1 वर्षीय आईएनसीएमटीबीएमके+179बीपीएस	20–नवंबर–19	925.00
47	59–बी शृंखला	8.80%	15–अक्तूबर–19	1,216.60
48	57–बी शृंखला	8.60%	7–अगस्त–19	866.50
49	90–बी शृंखला	9.41%	1–जून–19	391.00
50	98 (III) शृंखला	8.72%	8–फरवरी–19	324.00
51	82–सी शृंखला	9.70%	15–दिसंबर–18	2,060.00
52	52–सी शृंखला	11.25%	28–नवंबर–18	1,950.60
53	51–सी शृंखला	11.00%	15–सितंबर–18	3,024.40
54	XLIX - बी शृंखला	10.85%	11–अगस्त–18	428.60
55	XLVIII - सी शृंखला	10.55%	15–जुलाई–18	259.70
56	XLVII - सी शृंखला	9.68%	9–जून–18	780.70
57	104–बी शृंखला	8.30%	15–मई–18	351.00
58	102 – ए(I) शृंखला	8.90%	18–मार्च–18	403.00
59	101 – ए शृंखला	8.95%	11–मार्च–18	3,201.00
60	99 – ए शृंखला	8.77%	20–फरवरी–18	2.00
61	98 – (II) शृंखला	8.72%	8–फरवरी–18	324.00
62	72–ए शृंखला	8.97%	15–जनवरी–18	144.00
63	97– शृंखला	8.75%	15–जनवरी–18	1,000.00
64	XL - सी शृंखला	9.28%	28–दिसंबर–17	650.00
65	XVIII शृंखला	7.87%	13–नवंबर–17	25.00
66	93 –बी शृंखला	8.91%	15–अक्तूबर–17	950.00
67	XVII शृंखला	8.21%	3–अक्तूबर–17	25.00
68	92–ए शृंखला	9.01%	21–अगस्त–17	50.00
69	92–बी शृंखला	9.27%	21–अगस्त–17	1,930.00
70	91–ए शृंखला	9.40%	29–जून–17	107.50
71	90–ए शृंखला	9.61%	1–जून–17	552.90
72	XIII शृंखला	9.60%	24–मई–17	65.00
73	XXXV शृंखला	9.96%	18–मई–17	530.00
74	XIII शृंखला	9.60%	16–मई–17	125.00
75	89–ए शृंखला	9.52%	2–मई–17	2,595.00
76	88–बी शृंखला	9.66%	15–अप्रैल–17	100.20
77	XXXIV शृंखला	9.90%	30–मार्च–17	500.50
78	XXXIII - बी शृंखला	9.90%	22–मार्च–17	561.50
79	87 – सी शृंखला	9.59%	20–मार्च–17	217.50

क्र.सं.	बॉण्ड शृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (करोड़ रुपये में)
80	87–बी शृंखला	9.72%	20–मार्च–17	23.00
81	84 शृंखला	9.33%	17–फरवरी–17	1,521.20
82	98 (I) शृंखला	8.72%	8–फरवरी–17	324.00
83	82–बी शृंखला	9.64%	15–दिसंबर–16	825.00
84	XXXI– ए शृंखला	8.78%	11–दिसंबर–16	1,451.20
85	XVIII शृंखला	7.87%	13–नवंबर–16	25.00
86	XVII शृंखला	8.21%	3–अक्तूबर–16	25.00
87	XXIX –ए शृंखला	8.80%	7–सितंबर–16	250.00
88	77–ए शृंखला	9.41%	1–सितंबर–16	1,083.60
89	75–बी शृंखला	9.62%	29–जून–16	360.00
90	106–बी शृंखला	8.27%	25–जून–16	3,033.00
91	104–ए शृंखला	8.35%	15– मई–16	4,000.00
92	XXVII –ए शृंखला	8.20%	17–मार्च–16	1,000.00
93	XXVI – शृंखला	7.95%	24–फरवरी–16	1,261.80
94	XXV –शृंखला	7.60%	30–दिसंबर–15	1,734.70
95	52–बी शृंखला	11.30%	28–नवंबर–15	5.80
96	XVIII शृंखला	7.87%	13–नवंबर–15	25.00
97	XVII शृंखला	8.21%	3–अक्तूबर–15	25.00
98	50–सी शृंखला	10.70%	25–अगस्त–15	80.80
99	68–ए शृंखला	8.25%	15–जुलाई–15	147.00
100	106–ए शृंखला	8.29%	25 जून–15	1,250.00
101	65 शृंखला	8.70%	14–मई–15	1,337.50
102	89–बी शृंखला	9.46%	2– मई–15	2,056.00
103	85–ए शृंखला	9.51%	15–अप्रैल–15	661.30
104	64 शृंखला	8.95%	30–मार्च–15	492.00
105	63 शृंखला	8.90%	15–मार्च–15	184.00
106	83 शृंखला	9.55%	13–जनवरी–15	1,292.30
107	61 शृंखला	8.50%	15–दिसंबर–14	351.00
108	82 शृंखला	9.63%	15–दिसंबर–14	2,100.00
109	96 शृंखला	8.90%	14–दिसंबर–14	1,903.00
110	XVIII शृंखला	7.87%	13–नवंबर–14	25.00
111	XXI –बी शृंखला	7.00%	2–नवंबर–14	51.90
112	59–ए शृंखला	8.45%	15–अक्तूबर–14	288.20
113	93–ए शृंखला	8.85%	15–अक्तूबर–14	1,788.00
114	XVII शृंखला	8.21%	3–अक्तूबर–14	25.00
115	58–बी शृंखला	8.45%	17–सितंबर–14	331.10
116	57–बी शृंखला	8.60%	7–अगस्त–14	866.50
117	75–ए शृंखला	9.64%	29–जून–14	555.00
118	55–बी शृंखला	7.50%	11–मई–14	146.90
			कुल	**99,548.40**

48 अप्रतिभूत गौण बॉण्डों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	बॉण्ड शृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (करोड़ रुपये में)
1	सबोर्डिनेटिड टिअर–II बॉण्ड	9.70%	21–फरवरी–24	2,000.00
2	सबोर्डिनेटिड टिअर–II बॉण्ड	9.65%	13–जनवरी 24	1,000.00
3	सबोर्डिनेटिड टिअर–II बॉण्ड	8.19%	14–जनवरी 23	800.00
		कुल		**3,800.00**

49 31.3.2014 को रुपए 6.90 करोड़ के बॉण्ड (पिछले वर्ष रु. 7.40 करोड़) पीएफसी लिमिटेड एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट द्वारा रखे गए और रु. 0.50 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.50 करोड़) पीएफसी लिमिटेड ग्रेज्युइटी ट्रस्ट द्वारा धारित हैं।

50 18 करोड़ अमरीकी डॉलर मूल्य के विदेशी मुद्रा 6.61% सीनियर नोट्स (यूएसपीपी–I), जिनका मूल्य रुपए में 1,088.62 करोड़ (पिछले वर्ष रुपए 986.40 करोड़) है, 5.9.2017 को विमोचन योग्य हैं।

टिप्पणियां :–

51 विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) की 31.03.2014 को बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र.स.	ऋण	31.03.2014 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपये में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.37	30–जून–2035
2	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2034
3	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2034
4	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2033
5	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2033
6	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2032
7	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2032
8	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2031
9	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2031
10	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2030
11	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2030
12	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2029
13	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2029
14	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2028
15	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	0.25	15–अक्टूबर–2028
16	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	0.03	30–जून–2028
17	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2028
18	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	1.75	15–अप्रैल–2028
19	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	0.03	31–दिसम्बर–2027
20	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2027
21	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	2.08	15–अक्टूबर–2027
22	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	0.06	30–जून–2027
23	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2027
24	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	2.20	15–अप्रैल–2027
25	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	0.43	31–दिसम्बर–2026
26	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2026
27	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	2.41	15–अक्टूबर–2026
28	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	0.43	30–जून–2026
29	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2026
30	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.03	15–अप्रैल–2026
31	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	0.51	31–दिसम्बर–2025
32	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2025
33	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.03	15–अक्टूबर–2025
34	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	1.11	30–जून–2025
35	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2025
36	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.03	15–अप्रैल–2025
37	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	3.04	31–दिसम्बर–2024
38	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2024
39	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.03	15–अक्टूबर–2024
40	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	3.67	30–जून–2024
41	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2024
42	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2024
43	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	3.71	31–दिसम्बर–2023
44	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2023
45	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2023

46	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2023
47	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2023
48	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2023
49	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	31–दिसम्बर–2022
50	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2022
51	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2022
52	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2022
53	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2022
54	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2022
55	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	31–दिसम्बर–2021
56	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2021
57	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2021
58	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2021
59	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2021
60	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2021
61	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	31–दिसम्बर–2020
62	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2020
63	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2020
64	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2020
65	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2020
66	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2020
67	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	31–दिसम्बर–2019
68	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2019
69	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2019
70	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2019
71	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2019
72	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2019
73	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	31–दिसम्बर–2018
74	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2018
75	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2018
76	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2018
77	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2018
78	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2018
79	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	31–दिसम्बर–2017
80	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2017
81	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2017
82	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2017
83	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2017
84	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2017
85	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	31–दिसम्बर–2016
86	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2016
87	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2016
88	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2016
89	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2016
90	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2016
91	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	31–दिसम्बर–2015
92	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2015
93	केएफडब्ल्यू II	5.1499%	1.83	30–दिसम्बर–2015
94	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2015
95	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2015

96	केएफडब्ल्यू I	0.7500%	1.57	30–जून–2015
97	केएफडब्ल्यू II	5.1499%	1.83	30–जून–2015
98	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2015
99	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	31–दिसम्बर–2014
100	केएफडब्ल्यू I	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2014
101	केएफडब्ल्यू II	5.1499%	1.83	30–दिसम्बर–2014
102	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2014
103	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2014
104	केएफडब्ल्यू I	0.7500%	1.57	30–जून–2014
105	केएफडब्ल्यू II	5.1499%	1.83	30–जून–2014
106	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2014
		कुल	**289.93**	

52 विदेशी बैंकों / वित्तीय संस्थानों से लिए गए सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋणों की 31.03.2014 को बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र.स.	ऋण	31.03.2014 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपये में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	एसएलएन–XIII	1.7815%	756.13	6–मार्च–2017
2	एसएलएन–IX	1.8379%	744.14	24–फरवरी–2017
3	एसएलएन–VIII	1.6857%	408.71	23–सितम्बर–2016
4	एसएलएन–VIII	1.6857%	451.34	25–सितम्बर–2015
5	एसएलएन–XII	2.0797%	1,512.25	31–अगस्त–2015
6	एसएलएन–VII	1.8690%	1,814.70	29–मार्च–2015
7	एसएलएन–XIII	1.7815%	756.13	6–मार्च–2015
8	एसएलएन–IX	1.8379%	703.81	25–फरवरी–2015
9	एसएलएन–VIII	1.6857%	399.89	24–सितम्बर–2014
		कुल	**7,547.09**	

टिप्पणियां :–

53 31.03.2014 को बकाया रुपया सावधि ऋण (बैंकों से) का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र.स.	ऋण	31.03.2014 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपये में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	इंडियन बैंक	10.20%	100.00	18–मार्च–2022
2	केनरा बैंक	10.24%	500.00	29–मार्च–2021
3	ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10.25%	75.00	29–मार्च–2021
4	बैंक ऑफ इंडिया	10.20%	200.00	28–मार्च–2021
5	सिंडिकेट बैंक	10.25%	140.00	28–मार्च–2021
6	बैंक ऑफ इंडिया	10.20%	300.00	27–मार्च–2021
7	ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10.25%	91.00	21–मार्च–2021
8	सिंडिकेट बैंक	10.25%	150.00	20–मार्च–2021
9	सिंडिकेट बैंक	10.25%	175.00	19–मार्च–2021
10	इंडियन बैंक	10.20%	100.00	18–मार्च–2021
11	केनरा बैंक	10.20%	105.00	30–मार्च–2020
12	सिंडिकेट बैंक	10.25%	35.00	30–मार्च–2020
13	ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10.25%	75.00	29–मार्च–2020
14	सिंडिकेट बैंक	10.25%	140.00	28–मार्च–2020
15	ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10.25%	92.00	21–मार्च–2020
16	सिंडिकेट बैंक	10.25%	150.00	20–मार्च–2020
17	सिंडिकेट बैंक	10.25%	175.00	19–मार्च–2020
18	इंडियन बैंक	10.20%	100.00	18–मार्च–2020
19	सिंडिकेट बैंक	10.25%	35.00	30–मार्च–2019
20	ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10.25%	75.00	29–मार्च–2019

21	केनरा बैंक	10.20%	453.38	28–मार्च–2019
22	केनरा बैंक	10.20%	546.62	28–मार्च–2019
23	एचडीएफसी बैंक	10.23%	200.00	28–मार्च–2019
24	ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10.25%	92.00	21–मार्च–2019
25	यूको बैंक	10.20%	500.00	18–मार्च–2019
26	यूको बैंक	10.20%	500.00	14–मार्च–2019
27	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.25%	160.00	30–सितम्बर–2018
28	बैंक ऑफ इंडिया	10.20%	470.00	20–सितम्बर–2018
29	बैंक ऑफ इंडिया	10.20%	500.00	20–सितम्बर–2018
30	बैंक ऑफ बड़ौदा	10.25%	490.00	31–मार्च–2018
31	इलाहाबाद बैंक	10.25%	500.00	30–मार्च–2018
32	बैंक ऑफ इंडिया	10.20%	30.00	30–मार्च–2018
33	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.25%	15.00	30–मार्च–2018
34	केनरा बैंक	10.20%	220.00	29–मार्च–2018
35	बैंक ऑफ बड़ौदा	10.25%	250.00	29–मार्च–2018
36	केनरा बैंक	10.20%	280.00	28–मार्च–2018
37	एचडीएफसी बैंक	10.23%	150.00	28–मार्च–2018
38	बैंक ऑफ बड़ौदा	10.25%	285.00	28–मार्च–2018
39	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	10.25%	150.00	28–मार्च–2018
40	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	10.25%	250.00	21–मार्च–2018
41	देना बैंक	10.25%	275.00	21–मार्च–2018
42	देना बैंक	10.25%	225.00	21–मार्च–2018
43	बैंक ऑफ बड़ौदा	10.25%	300.00	20–मार्च–2018
44	बैंक ऑफ बड़ौदा	10.25%	350.00	19–मार्च–2018
45	बैंक ऑफ इंडिया	10.20%	1,000.00	14–मार्च–2018
46	विजया बैंक	10.20%	250.00	15–दिसम्बर–2017
47	आंध्रा बैंक	10.25%	30.00	15–दिसम्बर–2017
48	विजया बैंक	10.20%	700.00	31–जुलाई–2017
49	बैंक ऑफ बड़ौदा	10.25%	65.00	30–मार्च–2017
50	एचडीएफसी बैंक	10.23%	150.00	28–मार्च–2017
51	इंडियन बैंक	10.20%	60.00	27–मार्च–2017
52	भारतीय स्टेट बैंक	10.15%	142.00	25–मार्च–2017
53	भारतीय स्टेट बैंक	10.15%	143.00	25–दिसम्बर–2016
54	भारतीय स्टेट बैंक	10.15%	143.00	25–सितम्बर–2016
55	भारतीय स्टेट बैंक	10.15%	143.00	25–जून–2016
56	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.25%	60.00	28–अप्रैल–2016
57	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.25%	320.00	27–अप्रैल–2016
58	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.25%	110.00	24–अप्रैल–2016
59	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.25%	230.00	21–अप्रैल–2016
60	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.25%	180.00	20–अप्रैल–2016
61	बैंक ऑफ बड़ौदा	10.25%	230.00	30–मार्च–2016
62	बैंक ऑफ बड़ौदा	10.25%	770.00	29–मार्च–2016
63	इंडियन बैंक	10.20%	60.00	27–मार्च–2016
64	भारतीय स्टेट बैंक	10.15%	143.00	25–मार्च–2016
65	भारतीय स्टेट बैंक	10.15%	143.00	25–दिसम्बर–2015
66	सेन्ट्रल स्टेट बैंक	10.25%	30.00	15–अक्टूबर–2015

67	जम्मू एंड कश्मीर बैंक	10.25%	40.00	15–अक्टूबर–2015
68	जम्मू एंड कश्मीर बैंक	10.25%	560.00	15–अक्टूबर–2015
69	विजया बैंक	10.20%	200.00	1–अक्टूबर–2015
70	भारतीय स्टेट बैंक	10.15%	143.00	25–सितम्बर–2015
71	केनरा बैंक	10.20%	425.00	1–सितम्बर–2015
72	केनरा बैंक	10.20%	75.00	31–अगस्त–2015
73	इंडियन बैंक	10.20%	500.00	12–जुलाई–2015
74	फेडरल बैंक	10.55%	300.00	30–जून–2015
75	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	10.25%	400.00	29–जून–2015
76	कॉर्पोरेशन बैंक	10.25%	750.00	29–जून–2015
77	कॉर्पोरेशन बैंक	10.25%	250.00	28–जून–2015
78	सुमितोमो मितसुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन	10.15%	100.00	28–मई–2015
79	आंध्रा बैंक	10.25%	310.00	1–मई–2015
80	आंध्रा बैंक	10.25%	500.00	28–अप्रैल–2015
81	केनरा बैंक	10.20%	500.00	16–अप्रैल–2015
82	पंजाब नैशनल बैंक	10.25%	500.00	15–अप्रैल–2015
83	बैंक ऑफ इंडिया	10.20%	500.00	15–अप्रैल–2015
84	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	10.25%	350.00	30–मार्च–2015
85	इंडियन बैंक	10.20%	60.00	27–मार्च–2015
86	एचडीएफसी बैंक	10.50%	250.00	24–सितम्बर–2014
87	क्रेडिट सुइसे एजी	10.45%	150.00	14–मई–2014
		कुल	**21,970.00**	

54 31.03.2014 को बकाया रुपया सावधि ऋण (वित्तीय संस्थानों से) का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र.स.	ऋण	31.03.2014 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपए में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	सिडबी	9.75%	500.00	30–अप्रैल–2014

55 31.03.2014 को बकाया वाणिज्यिक पेपर की बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र.स.	ऋण	31.03.2014 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपये में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	सीपी–56	10.63%	1,250.00	15–जुलाई–2014
2	सीपी–57	9.30%	100.00	15–अप्रैल–2014
	घटाएं–अपरिशोधित वित्तीय प्रभार*		(35.51)	
		कुल	**1,314.49**	

* वाणिज्यिक पेपर पर अपरिशोधित वित्तीय प्रभार 31.03.2014 को 35.51 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 109.80 करोड़ रुपए) था।

टिप्पणीः– भाग–क–4

अन्य दीर्घावधि एवं चालू देयताएं

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.3.2014 को			31.3.2013 को		
	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल
भारत सरकार से ब्याज सब्सिडी निधि (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 11–अन्य लेखा टिप्पणियां)	**21.93**	**101.94**	**123.87**	33.06	112.72	145.78
ब्याज अंतर–निधि–केएफडब्ल्यू (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 7–अन्य लेखा टिप्पणियां)	**0.00**	**54.63**	**54.63**	0.00	54.73	54.73
प्राप्त अग्रिम/सहायक कंपनियों को देय राशि (उस पर देय ब्याज सहित) (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 6.5–अन्य लेखा टिप्पणियां)	**163.70**	**160.95**	**324.65**	3.58	295.60	299.18
आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत भारत सरकार को देय राशि (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 12(i) –अन्य लेखा टिप्पणियां)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.25	0.00	0.25
उप जोड़	**185.63**	**317.52**	**503.15**	36.89	463.05	499.94
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं:						
बॉण्डों पर	**5,874.55**	**0.00**	**5,874.55**	4,771.01	0.00	4,771.01
ऋण पर	**92.11**	**0.00**	**92.11**	119.15	0.00	119.15
उप जोड़	**5,966.66**	**0.00**	**5,966.66**	4,890.16	0.00	4,890.16
अदा न किया गया/दावा न किया गयाः						
बॉण्ड्स	**4.54**	**0.00**	**4.54**	4.71	0.00	4.71
बॉण्डों पर ब्याज	**1.96**	**0.00**	**1.96**	3.21	0.00	3.21
लाभांश	**1.45**	**0.00**	**1.45**	1.20	0.00	1.20
उप जोड़	**7.95**	**0.00**	**7.95**	9.12	0.00	9.12
अन्य	**101.51**	**30.10**	**131.61**	127.65	76.75	204.40
उप जोड़	**101.51**	**30.10**	**131.61**	127.65	76.75	204.40
कुल योग	**6,261.75**	**347.62**	**6,609.37**	**5,063.82**	**539.80**	**5,603.62**

टिप्पणीः– भाग–क–5

समेकित प्रावधान–दीर्घावधि और अल्पावधि

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31.3.2014 को			31.3.2013 को		
	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल
I. कार्मिक लाभ **						
कार्मिकों का आर्थिक पुनर्वास	**0.12**	**1.12**	**1.24**	0.12	1.19	1.31
अवकाश नकदीकरण	**0.99**	**19.67**	**20.66**	1.14	19.25	20.39
कार्मिक कल्याण व्यय	**0.92**	**14.96**	**15.88**	1.15	12.14	13.29
ग्रेज्युइटी/सेवानिवृत्ति निधि	**0.93**	**0.00**	**0.93**	1.63	0.00	1.63
उप जोड़	**2.96**	**35.75**	**38.71**	4.04	32.58	36.62
II. अन्य						
आयकर (निवल)	**96.44**	**23.05**	**119.49**	20.86	11.62	32.48
सीएसआर और एसडी व्यय (देखें, भाग–ग की टिप्पणी संख्या 21–अन्य लेखा टिप्पणियां)	**32.33**	**0.00**	**32.33**	0.00	0.00	0.00
मानक परिसंपत्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान (देखें, भाग–ग की टिप्पणी संख्या 22–अन्य लेखा टिप्पणियां)	**55.18**	**414.24**	**469.42**	14.66	118.13	132.79
प्रस्तावित अंतिम लाभांश**	**26.40**	**0.00**	**26.40**	132.00	0.00	132.00
प्रस्तावित कॉरपोरेट लाभांश कर **	**4.49**	**0.00**	**4.49**	22.43	0.00	22.43
उप जोड़	**214.84**	**437.29**	**652.13**	189.95	129.75	319.70
कुल योग	**217.80**	**473.04**	**690.84**	**193.99**	**162.33**	**356.32**

*** (देखें भाग–ग की टिप्पणी संख्या 20.2–अन्य लेखा टिप्पणियां)*

टिप्पणी:– भाग–क–6

समेकित अचल परिसंपत्तियां

(रु. करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास					निवल ब्लॉक	
	1.4.2013 को प्रारंभिक शेष	संवर्धन/ समायोजन	मूल्यह्रास/ समायोजन	31.3.2014 को अंतिम शेष	1.4.2013 को प्रारंभिक शेष	1.4.2013 से 31.3.2014 की अवधि के लिए	पूर्व अवधि समायोजन	वापस/ पश्चलिखित	31.3.2014 को अंतिम शेष	31.3.2014 को	31.3.2013 को
I. मूर्त परिसंपत्तियां : स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां											
भूमि (फ्री होल्ड)	3.38	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38
भूमि (लीज होल्ड)	37.87	0.00	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.87	37.87
भवन	24.92	0.00	0.00	24.92	7.20	0.89	0.00	0.00	8.09	16.83	17.72
ईडीपी उपकरण	13.81	0.71	0.24	14.28	10.59	1.42	0.00	0.18	11.83	2.45	3.22
कार्यालय एवं अन्य उपकरण	13.84	0.47	0.17	14.14	7.67	0.91	0.00	0.09	8.49	5.65	6.17
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	7.49	0.18	0.11	7.56	5.30	0.43	0.00	0.08	5.65	1.91	2.19
वाहन	0.08	0.10	0.02	0.16	0.07	0.02	0.00	0.02	0.07	0.09	0.01
कुल	**101.39**	**1.46**	**0.54**	**102.31**	**30.83**	**3.67**	**0.00**	**0.37**	**34.13**	**68.18**	**70.56**
पूर्व वर्ष	98.88	3.91	1.40	101.39	27.13	4.22	(0.01)	0.51	30.83	70.56	71.75
II. अमूर्त परिसंपत्तियां : खरीदा गया सॉफ्टवेयर (उपयोगी जीवन–5 वर्ष)	**7.87**	**0.01**	**0.10**	**7.78**	**4.09**	**1.26**	**(0.02)**	**0.00**	**5.33**	**2.45**	**3.78**
पिछले वर्ष	6.86	1.01	0.00	7.87	2.60	1.48	0.01	0.00	4.09	3.78	4.26
III. चालू पूंजी कार्य– अमूर्त परिसंपत्तियां **	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
पूर्व वर्ष	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

** सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग

टिप्पणी:– भाग–क–7

समेकित गैर चालू निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को		31.03.2013 को	
(क) व्यापार निवेश (उद्धृत)				
I. इक्विटी निवेश–				
लागत पर मूल्यांकित				
पीटीसी लिमिटेड के रु. 10/– प्रति शेयर मूल्य के 1,20,00,000 (पिछले वर्ष 1,20,00,000) पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर	**12.00**		12.00	
उप जोड़	**12.00**		**12.00**	
(ख) अन्य निवेश (अनुद्धृत–गैर व्यापार)				
I. इक्विटी निवेश				
नेशनल पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के रु. 10/– प्रति शेयर मूल्य के 21,87,015 (पिछले वर्ष 21,87,015) पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर **	**2.19**		2.19	
पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के रु 10/– प्रति शेयर मूल्य के 32,20,000 (पिछले वर्ष 28,00,000) पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर (देखें, भाग–ग की टिप्पणी संख्या–6.6(ii)–अन्य लेखा टिप्पणियां)	**3.22**		2.80	
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज (प्रा) लिमिटेड के रु 10/– प्रति शेयर मूल्य के 2,25,00,000 (पिछले वर्ष 2,25,00,000) पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर **	**22.50**		22.50	
सहायक कंपनियों के रु 10/– प्रति शेयर मूल्य के 10,07,50,000 (पिछले वर्ष 2,66,40,000) पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर **	**100.75**		26.64	
II. अधिमानी शेयर				
सहायक कंपनियों के रु 10/– प्रति शेयर मूल्य के 20,00,00,000 (पिछले वर्ष 8,40,00,000) पूर्ण चुकता 10% पूर्ण परिवर्तनीय अधिमानी शेयर **		**200.00**		84.00
III. अन्य				
–लागत पर मूल्यांकित (घटाएं : अस्थाई के सिवाय, मूल्यह्रास यदि कोई हो)				
केएसके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" फंड की 76,82,816 (पिछले वर्ष 76,82,816) यूनिटें (अंकित मूल्य रु. 10/– प्रति यूनिट) (देखें भाग–ग की टिप्पणी संख्या 6.6 (i)–अन्य लेखा टिप्पणियां)	**7.68**		7.68	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**0.00**	**7.68**	0.15	7.53
उप जोड़		**336.34**		**145.66**
कुल		**348.34**		**157.66**

विवरण	बही समायोजित मूल्य	बाजार मूल्य
समग्र उद्धृत निवेश	12.00	81.17
(पिछले वर्ष)	(12.00)	(71.46)
समग्र अनुद्धृत (गैर व्यापार) निवेश	336.34	-
(पिछले वर्ष)	(145.66)	-
कुल	**348.34**	**81.17**
(पिछले वर्ष)	**(157.66)**	**(71.46)**

** (देखें भाग–ग की टिप्पणी संख्या 6.2–अन्य लेखा टिप्पणियां)

टिप्पणी–भाग क–8
ऋण

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को			31.03.2013 को		
	चालू परिपक्वताएं (12 महीने)	गैर–चालू	कुल	चालू परिपक्वताएं (12 महीने)	गैर–चालू	कुल
क. दीर्घावधि ऋण						
I प्रतिभूत ऋण						
क) शोध्य समझे गए						
राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य बिजली निगमों, केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों को रुपया सावधि ऋण (आरटीएल्स)	**12,822.05**	**1,14,952.56**	**1,27,774.61**	10,741.69	91,997.07	1,02,738.76
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को रुपया सावधि ऋण	**1,047.01**	**16,706.58**	**17,753.59**	989.56	13,269.75	14,259.31
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को विदेशी मुद्रा ऋण	**30.32**	**47.78**	**78.10**	27.46	70.76	98.22
राज्य विद्युत संस्थाओं को विदेशी मुद्रा ऋण	**12.83**	**25.66**	**38.49**	0.00	0.00	0.00
क्रेता ऋण सुविधा	**67.94**	**492.07**	**560.01**	10.20	122.36	132.56
ऋणदाताओं को पट्टा वित्त सुविधा **	**33.15**	**209.39**	**242.54**	49.95	235.12	285.07
उपकरण विनिर्माताओं को रुपया सावधि ऋण	**247.69**	**810.65**	**1,058.34**	224.83	688.79	913.62
ऋणों पर प्रोदभूत और देय आय	**438.65** **14,699.64**	**0.00** **1,33,244.69**	**438.65** **1,47,944.33**	35.23 12,078.92	0.00 1,06,383.85	35.23 1,18,462.77
ख) अन्य						
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को आरटीएल –एनपीए	**414.68**	**581.74**	**996.42**	196.77	723.01	919.78
घटाएं : सहायक व्यय के लिए प्रावधान	**88.62** **326.06**	**107.42** **474.32**	**196.04** **800.38**	27.70 169.07	72.30 650.71	100.00 819.78
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को एफसीएल –एनपीए	**110.37**	**120.92**	**231.29**	77.80	136.93	214.73
घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	**22.07** **88.30**	**24.18** **96.74**	**46.25** **185.04**	7.78 70.02	13.69 123.24	21.47 193.26
उप जोड़ (I)	**15,114.00**	**1,33,815.75**	**1,48,929.75**	**12,318.01**	**1,07,157.80**	**1,19,475.81**

II. अप्रतिभूत ऋण												
क) शोध्य समझे गए												
राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य बिजली निगमों, केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों को रुपया सावधि ऋण (आरटीएल्स)	**2,683.35**		**25,746.29**		**28,429.64**		3,005.33		32,068.20		35,073.53	
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को रुपया सावधि ऋण	**206.05**		**8,018.88**		**8,224.93**		115.64		3,146.20		3,261.84	
राज्य विद्युत संस्थाओं को विदेशी मुद्रा ऋण	**0.00**		**0.00**		**0.00**		11.99		34.87		46.86	
क्रेता ऋण सुविधा	**0.00**		**11.17**		**11.17**		4.87		87.57		92.44	
ऋणों पर प्रोदभूत और देय आय	**39.55**	**2,928.95**	**0.00**	**33,776.34**	**39.55**	**36,705.29**	0.01	3,137.84	0.00	35,336.84	0.01	38,474.68
उप जोड़ (II)		**2,928.95**		**33,776.34**		**36,705.29**		**3,137.84**		**35,336.84**		**38,474.68**
कुल (I + II)		**18,042.95**		**1,67,592.09**		**1,85,635.04**		**15,455.85**		**1,42,494.64**		**1,57,950.49**
ख. बॉण्ड्स												
I अप्रतिभूत बॉण्ड्स/डिबेंचर												
राज्य विद्युत निगमों से बॉण्ड्स/ डिबेंचर		**0.00**		**1,170.50**		**1,170.50**		0.00		0.00		0.00
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से बॉण्ड्स/ डिबेंचर		**0.00**		**29.52**		**29.52**		0.00		29.53		29.53
कुल भाग–ख		**0.00**		**1,200.02**		**1,200.02**		0.00		29.53		29.53
ग. अल्पावधि ऋण												
I प्रतिभूत ऋण–शोध्य समझे गए												
राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य बिजली निगमों को कार्यशील पूंजी ऋण		**812.98**		**0.00**		**812.98**		1,000.00		0.00		1,000.00
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को कार्यशील पूंजी ऋण		**100.00**		**0.00**		**100.00**		0.00		0.00		0.00
उप जोड़ (I)		**912.98**		**0.00**		**912.98**		1,000.00		0.00		1,000.00
II अप्रतिभूत ऋण–शोध्य समझे गए												
राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य बिजली निगमों को कार्यशील पूंजी ऋण		**1,483.08**		**0.00**		**1,483.08**		1,416.11		0.00		1,416.11
ऋणों पर प्रोदभूत और देय आय		**0.12**		**0.00**		**0.12**		0.00		0.00		0.00
उप जोड़ (II)		**1,483.20**		**0.00**		**1,483.20**		1,416.11		0.00		1,416.11
कुल ग (I + II)		**2,396.18**		**0.00**		**2,396.18**		2,416.11		0.00		2,416.11
कुल योग (क+ख+ग)		**20,439.13**		**1,68,792.11**		**1,89,231.24**		**17,871.96**		**1,42,524.17**		**1,60,396.13**

** (देखें, भाग ग की टिप्पणी 9 (क)(i) – अन्य लेखा टिप्पणियां)

टिप्पणी–भाग क–9
समेकित अन्य परिसंपत्तियां

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को						31.03.2013 को					
	चालू		गैर–चालू		कुल		चालू		गैर–चालू		कुल	
क. ऋण एवं अग्रिम												
I ऋण (शोध्य समझे गए)*												
क) कार्मिकों को (प्रतिभूत)	**2.51**		**15.55**		**18.06**		2.34		15.23		17.57	
ख) कार्मिकों को (अप्रतिभूत)	**5.32**	**7.83**	**35.70**	**51.25**	**41.02**	**59.08**	4.11	6.45	27.26	42.49	31.37	48.94
II अग्रिम (अप्रतिभूत शोध्य समझे गए)												
निम्नांकित को नकदी या वस्तु अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम :												
क) सहायक कंपनियों को (उन पर वसूली योग्य ब्याज सहित) (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 6.4–अन्य लेखा टिप्पणियां)	**162.02**		**92.97**		**254.99**		0.10		219.44		219.54	
ख) कार्मिकों को	**0.81**		**0.00**		**0.81**		0.77		0.00		0.77	
ग) पूर्व अदा किए गए व्यय	**2.11**		**0.00**		**2.11**		2.02		0.00		2.02	
घ) अन्य	**99.72**		**0.33**		**100.05**		79.64		0.30		79.94	
ङ) अग्रिम आयकर और स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	**0.00**		**53.37**		**53.37**		0.00		105.05		105.05	
च) प्रतिभूति जमा राशि	**3.55**	**268.21**	**0.02**	**146.69**	**3.57**	**414.90**	3.25	85.78	0.27	325.06	3.52	410.84
ख अन्य परिसंपत्तियां												
I प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं:												
क) ऋण आस्तियों पर ब्याज	**3,865.26**		**0.00**		**3,865.26**		3,257.45		0.00		3,257.45	
ख) अन्य प्रभार	**15.63**		**0.00**		**15.63**		16.11		0.00		16.11	
ग) कार्मिकों को ऋणों पर ब्याज	**0.25**		**11.74**		**11.99**		0.23		8.52		8.75	
घ) जमा राशियों और प्रोत्साहन पर ब्याज	**0.00**	**3,881.14**	**0.00**	**11.74**	**0.00**	**3,892.88**	26.05	3,299.84	0.00	8.52	26.05	3,308.36
ग ऋण एवं अग्रिम (अप्रतिभूत–अन्य)												
अनुत्पादक आस्तियां (एनपीएज)	**104.77**		**0.00**		**104.77**		84.14		0.00		84.14	
घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	**21.71**	**83.06**	**0.00**	**0.00**	**21.71**	**83.06**	9.26	74.88	0.00	0.00	9.26	74.88
कुल		**4,240.24**		**209.68**		**4,449.92**		**3,466.95**		**376.07**		**3,843.02**

* नोट:
ऋण और अग्रिमों में निम्नांकित शामिल हैं :

विवरण	31.03.2014 को शेष	2013–14 के दौरान अधिकतम	31.032013 को शेष	2012–13 के दौरान अधिकतम
निदेशकों को दिए गए ऋण	**0.15**	**0.26**	0.11	0.25
कार्मिकों को दिए गए ऋण	**46.95**	**52.41**	37.85	43.23
कार्मिकों को दिए गए ऋण	**11.98**	**13.74**	10.98	12.46
कुल	**59.08**	**66.41**	48.94	55.94

टिप्पणी–भाग क–10
चालू निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण		31.03.2014 को		31.03.2013 को
क. इक्विटी लिखत– निम्नतर लागत अथवा उचित मूल्य पर स्क्रिप वार मूल्यांकित (व्यापार एवं उद्धृत)				
पीजीसीआईएल के 5,39,349 शेयर (पिछले वर्ष– 5,39,349 इक्विटी शेयर) (अंकित मूल्य रु. 10/– प्रति शेयर पूर्ण चुकता) रु. 52/– प्रति शेयर खरीदे गए	2.80		2.80	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	0.00	2.80	0.00	2.80
आरईसी लिमिटेड के 97,952 शेयर (पिछले वर्ष– 97,952 शेयर) (अंकित मूल्य रु. 10/– प्रति शेयर पूर्ण चुकता) रु. 105/– प्रति शेयर लागत पर खरीदे गए	1.03		1.03	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	0.00	1.03	0.00	1.03
कुल		3.83		3.83
विवरण		**बही समायोजित मूल्य**		**बाजार मूल्य**
उद्धृत निवेश का समग्र		**3.83**		**7.91**
(पिछले वर्ष)		**(3.83)**		**(7.75)**
कुल		3.83		7.91
(पिछले वर्ष)		**(3.83)**		**(7.75)**

टिप्पणी–भाग क–11
नकद और बैंक शेष

(₹ in crore)

विवरण		31.03.2014 को		31.03.2013 को
क. समेकित नकदी और नकदी समतुल्य				
i) निम्नांकित के साथ चालू खाते में शेष				
भारतीय रिजर्व बैंक	0.05		0.05	
अनुसूचित बैंक	0.23	0.28	2.81	2.86
ii) हस्तगत चैक		58.36		0.01
iii) एस्क्रो कलेक्शन बैंकर के साथ पब्लिक इश्यू खाता		0.00		165.37
iv) अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा (मूल परिपक्वता 3 महीने तक)		0.00		4,579.58
उप जोड़ (I)		58.64		4,747.82
ख. अन्य बैंक शेष				
i) बॉण्डों पर ब्याज, लाभांश आदि का भुगतान करने के लिए अनुसूचित बैंकों के साथ चालू खाते में शेष		1.50		1.25
ii) अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा (मूल परिपक्वता 3 महीने लेकिन 12 महीने तक)	0.00		4.74	
iii) अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा (मूल परिपक्वता 12 महीने से अधिक)	0.00	0.00	0.00	4.74
उप जोड़ (II)		1.50		5.99
कुल		60.14		4,753.81

टिप्पणी–भाग क–12
प्रचालनों से समेकित राजस्व

(रु. करोड़ में)

	विवरण		31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष
I.	**ब्याज**				
	ऋणों पर ब्याज		**20,953.45**		16,893.51
	पट्टा संबंधी आय		**25.26**		29.40
	उप जोड़ (I)		**20,978.71**		**16,922.91**
II.	**अन्य प्रचालनगत आय**				
	ऋणों पर पूर्व अदा किया गया प्रीमियम		**182.74**		10.96
	ऋणों पर अग्रिम शुल्क		**34.54**		39.69
	प्रबंधन, एजेंसी और गारंटी शुल्क		**142.64**		115.56
	ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क	**4.15**		4.34	
	घटाएं : माफ किए गए ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क	**(0.75)**	**3.40**	0.00	4.34
	अधिशेष निधि से आय		**161.89**		156.16
	आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत नोडल एजेंसी शुल्क (देखे, भाग ग की टिप्पणी संख्या 12(ii) –अन्य लेखा टिप्पणियां)		**18.50**		16.52
	उप जोड़ (II)		**543.71**		**343.23**
	कुल		**21,522.42**		**17,266.14**

टिप्पणी–भाग क–13
अन्य आय

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
दीर्घावधि निवेशों पर लाभांश/ब्याज आय	**1.92**	2.12
चालू निवेश पर लाभांश आय	**0.22**	0.25
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	**0.01**	0.01
दीर्घावधि निवेश की बिक्री पर लाभ	**0.00**	0.05
आय कर रिफंड पर ब्याज	**2.42**	0.18
विविध आय	**8.11**	3.80
अति देयताएं पश्च लिखित	**2.36**	0.00
कुल	**15.04**	**6.41**

टिप्पणी–भाग क–14
समेकित ब्याज, वित्त एवं अन्य प्रभार

(रु. करोड़ में)

	विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	
I.	**ब्याज**				
	बॉण्डों पर	**10,682.71**		8,579.57	
	ऋणों पर	**1,644.01**		1,772.32	
	ब्याज सब्सिडी निधि पर भारत सरकार को	**10.70**		19.00	
	ऋणकर्ताओं को समय पर पुनर्भुगतान के लिए छूट	**205.90**		167.46	
	स्वैप प्रीमियम (निवल)	**8.38**	**12,551.70**	13.45	10,551.80
II.	**अन्य प्रभार**				
	प्रतिबद्धता और एजेंसी शुल्क	**0.41**		1.13	
	वाणिज्यिक पेपर पर वित्तीय प्रभार	**192.22**		200.74	
	गारंटी, सूचीकरण और ट्रस्टीशिप शुल्क	**2.11**		1.99	
	विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्रबंधन शुल्क	**0.25**		64.44	
	बैंक/अन्य प्रभार	**0.03**	**195.02**	0.07	268.37
	सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिम पर अदा किया गया ब्याज	**6.56**		7.63	
	घटाएं : सहायक कंपनियों को दिए गए अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	**(6.21)**	**0.35**	(4.70)	2.93
III.	निवल अंतरण/ट्रांजेक्शन विनिमय हानि (+/लाभ (–))		**452.52**		167.98
	कुल		**13,199.59**		**10,991.08**

टिप्पणी–भाग क–15
समेकित बॉण्ड निर्गम व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
आवेदन निधि पर ब्याज	**39.28**	61.27
क्रेडिट रेटिंग शुल्क	**3.50**	2.84
अन्य निर्गम व्यय	**32.24**	24.97
स्टाम्प ड्यूटी फीस	**4.07**	8.25
कुल	**79.09**	**97.33**

टिप्पणी–भाग क–16
कार्मिक लाभ व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
वेतन और मजदूरी और बोनस	**59.83**	63.54
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**6.23**	5.95
कार्मिक कल्याण	**9.31**	7.61
कार्मिकों के आवासीय भवनों के लिए किराया (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 11(ख) –अन्य लेखा टिप्पणियां)	**4.19**	3.84
कुल	**79.56**	**80.94**

टिप्पणी–भाग क–17
समेकित अन्य व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
प्रशासनिक व्यय		
कार्यालय किराया	**0.50**	0.54
विद्युत और जल प्रभार	**1.39**	1.38
बीमा	**0.04**	0.04
मरम्मत और अनुरक्षण	**2.54**	2.38
मुद्रण और लेखन सामग्री	**1.68**	0.92
यात्रा एवं वाहन	**7.49**	7.40
डाक, टेलीग्राफ और टेलीफोन व्यय	**1.73**	1.47
व्यावसायिक एवं परामर्शी प्रभार	**0.65**	0.82
विविध व्यय *	**18.84**	19.39
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	**0.09**	0.04
लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	**0.59**	0.48
सेवा कर	**3.99**	5.93
दरें और कर	**0.88**	0.78
पीएमसी (विद्युत मंत्रालय) में अंशदान	**0.30**	0.55
उप जोड़ (I)	**40.71**	42.12
अन्य		
आर–एपीडीआरपी व्यय	**42.59**	0.00
उप जोड़ (II)	**42.59**	0.00
कुल योग (I + II)	**83.30**	**42.12**
*** नोटः**		
1) विविध व्यय में निम्नांकित शामिल हैं –		
पुस्तकें और पत्रिकाएं	**0.05**	0.04
विज्ञापन	**4.65**	5.25
सदस्यता और अंशदान	**0.67**	0.60
मनोरंजन	**0.53**	0.49
सम्मेलन एवं बैठक व्यय	**0.97**	1.15
सुरक्षा व्यय	**1.37**	1.10
प्रशिक्षण	**0.73**	0.65
ईडीपी व्यय	**1.74**	2.04
व्यापार प्रोत्साहन/संबंधित व्यय	**0.31**	0.17
आयकर पर ब्याज	**5.51**	4.07
2) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक में निम्नांकित शामिल हैं :–		
लेखा परीक्षक शुल्क	**0.20**	0.15
कर परीक्षण शुल्क	**0.05**	0.04
अन्य प्रमाणन सेवाएं	**0.34**	0.29

टिप्पणी – भाग क–18

समेकित पूर्वावधि मदें (निवल)

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	
पूर्व अवधि व्यय :				
ब्याज और अन्य प्रभार	**0.30**		1.18	
निर्गम व्यय	**0.19**		0.00	
कार्मिक एवं प्रशासन व्यय –सीएसआर	**0.00**		(16.39)	
कार्मिक एवं प्रशासन–अन्य	**(0.76)**		0.28	
मूल्यह्रास	**(0.02)**	**(0.29)**	0.00	(14.93)
घटाएं पूर्वावधि आय				
ब्याज आय	**0.00**		(3.47)	
अन्य आय	**0.00**	**0.00**	(2.65)	(6.12)
कुल		**(0.29)**		**(8.81)**

भाग ख

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. **वित्तीय ब्यौरे तैयार करने का आधार**

वित्तीय विवरण आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार प्रोद्भवन विधि का प्रयोग करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन मंडल को रिपोर्टिंग अवधि की निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों, देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित), आय और व्यय की मात्राएं रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक आकलनों और अनुमानों की आवश्यकता पड़ती है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिस अवधि में परिणाम ज्ञात होते हैं और/या साकार होते हैं।

2. **आय/व्यय को मान्यता**

2.1 आय और व्यय (नीचे वर्णित के अतिरिक्त) की गणना उपचय आधार पर की जाती है।

2.1.1 गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों और पैरा 6.2 के उपबंध में वर्णित परिसंपत्तियों पर आय, की गणना उसकी प्राप्ति के वर्ष में की जाती है। किंतु, संबद्ध परिसंपत्ति के गैर–निष्पादक परिसंपत्ति बनने से पहले अप्राप्य मान्य आय अथवा पैरा 6.2 के परंतुक के संदर्भ में मान्य आय, जो देय रही लेकिन 6 महीने से अधिक की अवधि तक अप्राप्य रही हो, उसका व्युत्क्रम कर दिया जाता है।

2.1.2 कार्बन क्रेडिट के अधीन आय की गणना उस वर्ष की जाती है जिस वर्ष वह कंपनी को प्राप्त हुई हो।

2.2 ऋणकर्ताओं द्वारा समय पर भुगतान के कारण दी जाने वाली छूट की गणना, समूची देय राशि निर्धारित समय पर प्राप्त हो जाने के बाद की जाती है।

2.3 वाणिज्यिक पेपरों और जीरो कूपन (डीप डिस्काउंट बॉण्ड) पर छूट/वित्तीय प्रभार/ब्याज निर्धारित अवधि की समाप्ति पर आनुपातिक आधार पर परिशोधित किया जाता है।

2.4 शेयरों के इश्यू (निर्गम) पर व्यय प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

2.5 लाभांश पर आय की गणना लाभांश की घोषणा के वर्ष में की जाती है।

2.6 ऋणकर्ताओं के खातों में वसूलियां ऋण समझौते के अनुसार विनियोजित की जाती हैं।

2.7 कंपनी मूलधन की देय किस्तों की मांग ऋण समझौतों के अनुसार करती है। पुनर्भुगतान को पूर्ववर्ती संवितरण के प्रति समायोजित किया जाता है, भले ही विभिन्न संवितरणों पर प्रभारित ब्याज की दर कोई भी क्यों न हो।

2.8 पूर्व अवधि आय/व्यय और रुपए 5000/– तक पूर्व अदा किए गए व्ययों को लेखे के स्वाभाविक शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

3. **स्थायी परिसंपत्तियां/मूल्यह्रास**

3.1 स्थायी परिसंपत्तियों का संचित मूल्यह्रास कम करते हुए ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाया जाता है, परंतु यह नियम उन परिसंपत्तियों पर लागू नहीं होता, जिन्हें सक्रिय उपयोग से हटा कर निपटान के लिए रखा गया हो। ऐसी परिसंपत्तियों का मूल्य बही मूल्य से कम या निवल प्राप्य मूल्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

3.2 अचल परिसंपत्तियों में संवर्धनों को अनुमोदित बिलों के आधार पर या जिन मामलों में अंतिम बिल अभी प्राप्त/अनुमोदित किए जाने हैं, उन मामलों में संविदाओं के अनुसार किए गए कार्य के अनुमानित मूल्य के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

3.3 कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 में निर्धारित दरों के अनुरूप, लीज परिसंपत्तियों से भिन्न परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान अवलिखित मूल्य पद्धति पर किया गया है।

3.4 वर्ष के दौरान अर्जित की गयी 5000 रुपए तक मूल्य की स्थायी परिसंपत्तियों को पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है।

4. **अमूर्त परिसंपत्तियां/परिशोधन**

4.1 साफ्टवेयर जैसी अमूर्त परिसंपत्तियों को अधिग्रहण की लागत के रूप में दर्शाया जाता है, और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर कंपनी द्वारा अनुमानित परिसंपत्ति की जीवन अवधि के लिए किया जाता है।

5. **निवेश**

5.1 सूचीबद्ध वर्तमान निवेशों का मूल्यांकन स्क्रिपवार निम्नतर लागत पर या उचित मूल्य पर किया जाता है।

5.2 गैर–सूचीबद्ध वर्तमान निवेशों का मूल्यांकन निम्नतर लागत पर या उचित मूल्य के आधार पर किया जाता है।

5.3 दीर्घावधि निवेश लागत के आधार पर मूल्यांकित किए जाते हैं। अस्थायी निवेशों को छोड़कर ऐसे निवेशों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है। किंतु, मूल्य में वृद्धि होने या उनके मूल्यों में कमी का कारण समाप्त हो जाने के बाद मूल्यह्रास को वापस ले लिया जाता है।

5.4 अस्थायी निवेश को छोड़कर, म्यूचुअल फंड्स/उद्यम पूंजी निधि में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यह्रास, यदि कोई हो, घटाते हुए लागत के आधार पर किया जाता है। किंतु, मूल्य में वृद्धि होने या उनके मूल्यों में कमी का कारण समाप्त हो जाने के बाद मूल्यह्रास को वापस ले लिया जाता है।

6. ऋणों और अग्रिमों के प्रति प्रावधान/बट्टे खाते डालना

6.1 पीएफसी चूंकि सरकारी स्वामित्व वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, इसलिए इसे रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल मानदंडों से छूट प्राप्त है। किंतु, कंपनी ने 01.04.2003 से स्वयं के प्रूडेंशियल मानदंड तैयार किए हैं, जिनमें समय–समय पर संशोधन किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएफसी को अपने दिनांक 28.07.2010 के पत्र के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) का दर्जा दिया है। तदनुसार, पीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी (आईएफसी) पर लागू सीआरएआर नियमों का पालन करती है।

6.2 विद्युत मंत्रालय और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रूडेंशियल मानदंडों के अनुसार, परिसंपत्ति तथा पट्टे पर धारित परिसंपत्ति, जिसके संबंध में ऋण की मूल किस्तें, ब्याज और/या अन्य प्रभार देय हों, लेकिन 6 माह से अधिक की अवधि तक जिनका भुगतान न किया गया हो, सावधि–ऋण जिसमें अदा न किया गया ब्याज और अन्य देयताएं शामिल हैं, जब किस्तें और/या ब्याज का 6 माह या उससे अधिक की अवधि तक भुगतान न किया गया हो, ऐसी राशि जो देय हो परंतु जिसका 6 माह से या उससे अधिक की अवधि तक बिल डिस्काउंटिंग स्कीम के अंतर्गत भुगतान न किया गया हो और ऐसी कोई राशि, जो परिसंपत्तियों की बिक्री या दी गई सेवाओं या किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के कारण देय हों, परंतु जिसका 6 माह या अधिक की अवधि तक भुगतान न किया गया हो, गैर–निष्पादन परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

परंतु निम्नलिखित परिसंपत्तियों को गैर–निष्पादन परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा और इन ऋणों पर आय प्राप्ति आधार पर मान्य होगी :–

(i) भारतीय रिजर्व बैंक के 14 मई, 2002 के अ.शा. पत्र डीबीएस एफडीआई संख्या 1285/01.02.00/2001–02 और भारतीय रिजर्व बैंक के 11.11.2008 के पत्र स. डीबीओडी बीपी सं. 7675/21.04.048/2008–09 के साथ पठित 01 फरवरी, 2002 के परिपत्र सं. डीबीएस, एफआईडी सं. सी–11/01.02.00/2001–02 के अनुसार क्रियान्वयन के अधीन परियोजनाओं के संबंध में ऋणों को बैंकों पर समय–समय पर लागू अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की परिसंपत्ति वर्गीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।

(ii) ऐसी सुविधा जिसके लिए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई हो या राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय योजना आबंटन से या राज्य सरकार को दिए गए ऋण से कटौती का वचन उस तारीख से अधिकतम 12 माह की अवधि के लिए दिया गया हो जिस तारीख से पीएफसी की देय राशि का ऋणकर्ता द्वारा भुगतान किया गया हो।

(iii) ऐसी एकीकृत विद्युत संस्था को संवितरित ऋण, जिसे राज्यों के विभाजन के कारण विभाजित कर दिया गया हो, पीएफसी परिसंपत्तियों एवं देयताओं के विभाजन के लिए जारी सरकारी आदेश का तब तक पालन करेगी, जब तक उसके लिए किसी न्यायालय द्वारा रोक न लगा दी जाए और मामला न्यायालय में लंबित हो।

(iv) किसी ऋणकर्ता द्वारा किसी विवाद के कारण पीएफसी की राशि का भुगतान, उसके देय होने की तारीख से अधिकतम 12 माह की अवधि तक न किए जाने की स्थिति में, देय राशि के उस भाग को, जिसका ऋणकर्ता द्वारा शोधन न किया गया हो, विवादास्पद आय तभी माना जाएगा जब उसकी वास्तव में प्राप्ति हो जाएगी। लेखा बहियों में पहले से मान्य मान ली गई किसी विवादास्पद आय को बदल दिया जाएगा। विवादास्पद देय राशि का अर्थ है, प्रतिबद्धता प्रभारों, दांडिक ब्याज आदि के कारण देय ऐसी राशि जिसका समाधान कुछ विवादों के कारण नहीं हुआ है तथा किसी विवाद को निदेशक मंडल के अनुमोदन से मामले के गुण–दोष के आधार पर स्वीकार किया जाएगा।

6.3 ऋणों, अन्य क्रेडिटों तथा पट्टाधारित परिसंपत्तियों के लिए अलाभकारी परिसंपत्ति (एनपीए) वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड निम्नलिखित हैं :–

(i)	अधिकतम 18 माह तक की अवधि वाली अलाभकारी परिसंपत्ति (एनपीए)	:	अवमानक परिसंपत्ति
(ii)	18 माह से अधिक अवधि वाली अलाभकारी परिसंपत्ति (एनपीए)	:	संदिग्ध परिसंपत्ति
(iii)	जब पीएफसी द्वारा परिसंपत्ति का निर्धारण हानि परिसंपत्ति के रूप में किया गया हो या जब परिसंपत्ति 36 माह से अधिक संदिग्ध रही हो, इनमें जो भी पहले हो।	:	हानि परिसंपत्ति

परिसंपत्तियों के वर्गीकरण एवं प्रावधान करने के प्रयोजन हेतु :

(क) सरकारी और निजी क्षेत्र की विद्युत संस्थाओं को प्रदान की गई सुविधाओं पर निम्नांकित अपवादों के साथ ऋणकर्तावार विचार किया गया है :

i) सरकारी क्षेत्र के ऋण, जहां प्रत्येक परियोजना से नकदी प्रवाह अलग से पहचाना जाने योग्य है और उसी परियोजना पर लागू होता है, पीएफसी ऐसे ऋणों को परियोजनावार आधार पर वर्गीकृत करेगी।

(ख) ऋणकर्ता द्वारा प्रतिभूति समझौते के अनुपालन में पीएफसी के पास जमा कराई गई धरोहर राशि और साथ ही प्रतिभूति समझौते के अनुपालन में उपलब्ध किसी अन्य प्रतिभूति को उपरि वर्णित प्रावधानों के संदर्भ में घटाया जा सकता है।

(ग) किसी भी पद्धति द्वारा पुनर्निधारित और/या पुनः मोलभाव किए गए और/या पुनर्गठित ऋण, चाहे वे मूलधन के लिए हों या ब्याज राशि के लिए, के अधीन एनपीए (गैर निष्पादक परिसंपत्तियां) तब तक मानक श्रेणी के अंतर्गत उन्नयन नहीं की जाएंगी, जब तक कि पुनर्गठित और/या पुनर्निधारित और/या पुनः मोलभाव की गई शर्तों के अधीन संतोषजनक निष्पादन का एक वर्ष पूरा न हो गया हो।

(घ) ब्याज पुनर्गठन, जो पीएफसी द्वारा सामान्यतः पिछले ऊंची ब्याज वाले ऋणों को कम ब्याज वाले ऋणों में परिवर्तित करते हुए ऋणकर्ताओं की सहायता के लिए किया जाता है, पर पुनर्निधारण/ऋण पुनर्गठन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(ङ) उपर्युक्त पैराग्राफ 6.2(i) के अंतर्गत आने वाली सुविधाओं को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के परिसंपत्ति वर्गीकरण संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों, जो समय समय पर बैंकों पर लागू होते हैं, के अनुरूप वर्गीकृत किया जाएगा, लेकिन पीएफसी प्रूडेंशियल मानदंडों के अनुसार ऐसी सुविधाओं के लिए प्रावधान समय–समय पर लागू किया जाएगा।

6.4 गैर–निष्पादन परिसंपत्तियों (खरीद और पट्टा संपत्ति किराया के अलावा अन्य परिसंपत्तियों) में नीचे दी गयी दरों पर प्रावधान किया गया है :–

(i) अवमानक परिसंपत्ति : **10%**

(ii) संदिग्ध परिसंपत्ति :

(क) राज्य/केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के प्रतिष्ठान द्वारा गारंटीकृत ऐसा प्रतिभूत भाग/सुविधाएं जिनके लिए राज्य विभाग को केन्द्रीय योजना आबंटन या ऋण से छूट का वचन दिया गया हो :

1 वर्ष तक : **20%**

1 से 3 वर्ष : **30%**

3 से अधिक : **100%**

(ख) अप्रतिभूत* : **100%**

* केंद्र/राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी प्रतिष्ठान द्वारा गारंटीकृत ऋण (सुविधा) जिसके लिए राज्य विभाग को योजना आबंटन या ऋण आबंटन या ऋण से कटौती का वचन दिया गया हो, को प्रावधान के प्रयोजन के लिए सुरक्षित समझा जाएगा।

(iii) हानि परिसंपत्ति : **100%**

समस्त हानि परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाला जाएगा। यदि हानि परिसंपत्ति को किसी कारण बहियों में रखने की अनुमति होगी तो **100%** बकाया राशि का प्रावधान किया जाएगा।

6.5 किराया खरीद और पट्टे पर धारित परिसंपत्तियों के संदर्भ में प्रावधान गैर–बैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकार या धारण न करने वाली) कंपनियां प्रडेंशियल मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2007, जो दिनांक 1 जुलाई, 2013 के परिपत्र के तहत जारी किए गए और जिनमें तत्पश्चात समय समय पर संशोधन किए गए, के अनुसार किया जाएगा।

ऊपर वर्णित पैरा 9(2) को निम्नांकित रूप में पुनर्गठित किया गया है :–

"पट्टा और किराया खरीद परिसम्पत्तियां"

(2) किराया खरीद और पट्टे पर धारित परिसंपत्तियों के संदर्भ में प्रावधान निम्नांकित अनुसार किया जाएगा :

किराया खरीद परिसंपत्तियां

(i) किराया खरीद परिसंपत्तियों के संदर्भ में, निम्नांकित को घटा कर कुल देय (कालातीत और भावी किश्तों को मिला कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा।

(क) लाभ एवं हानि खाते में क्रेडिट न किए गए वित्त प्रभार और अपरिपक्व वित्त प्रभार के रूप में अग्रसारित किए गए; और

(ख) आधारभूत परिसंपत्ति के ह्रासित मूल्य।

स्पष्टीकरण : इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए परिसंपत्ति के ह्रासित मूल्य की गणना परिसंपत्ति की मूल लागत के आधार पर की जाएगी, जिसमें सीधी पंक्ति पद्धति के अनुसार प्रति वर्ष 20% की दर से मूल्य ह्रास किया जाएगा; और पुरानी परिसंपत्ति के मामले में मूल लागत ऐसी पुरानी परिसंपत्ति को खरीदने के लिए अदा की गई वास्तविक लागत को समझा जाएगा।

किराया खरीद और पट्टा आधारित परिसंपत्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

(ii) किराया खरीद और पट्टा आधारित परिसंपत्तियों के संदर्भ में अतिरिक्त प्रावधान निम्नांकित अनुसार होंगे :

(क) जहां किराया प्रभार या पट्टा किराया 12 महीने तक बाकी हो।	शून्य
(ख) जहां किराया प्रभार या पट्टा किराया 12 महीने से अधिक लेकिन 24 महीने तक बाकी हो।	निवल बही मूल्य का 10%
(ग) जहां किराया प्रभार या पट्टा किराया 24 महीने से अधिक लेकिन 36 महीने तक बाकी हो।	निवल बही मूल्य का 40%
(घ) जहां किराया प्रभार या पट्टा किराया 36 महीने से अधिक लेकिन 48 महीने तक बाकी हो।	निवल बही मूल्य का 70%
(ङ) जहां किराया प्रभार या पट्टा किराया 48 महीने से अधिक के लिए बाकी हो	निवल बही मूल्य का 100%

(iii) किराया खरीद/पट्टा धारित परिसंपत्ति की अंतिम किश्त की निर्धारित तारीख के बाद 12 महीने की अवधि समाप्त होने पर, उसके समूचे निवल बही मूल्य के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाएगा।

6.6 मानक परिसंपत्तियां (किराया खरीद और पट्टा धारित परिसंपत्तियों सहित)

(गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां प्रूडेंशियल मानदंड (रिजर्व बैंक) दिशा निर्देश 2007 और समय–समय पर परवर्ती संशोधन, के पैरा 9(ए) के अनुसार)।

मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान* बकाया राशि के 0.25% की दर से किया जाएगा, जिसकी गणना अनुत्पादक परिसंपत्तियों के निवल मूल्य पर नहीं की जाएगी। मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान सकल अग्रिमों के निवल पर नहीं किया जाएगा।यह प्रावधान सकल ऋण परिसंपत्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा, लेकिन इसे तुलन–पत्र में 'मानक परिसंपत्तियों के लिए आकस्मिक प्रावधान' के रूप में अलग से दिखाया जाएगा।

*मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान के प्रयोजन के लिए, मानक परिसंपत्तियों का अर्थ होगा मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण एवं अग्रिम।

6.7 ऋण की शर्तों का पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण या पुनः मोलभाव करना :

(i) पीएफसी, निम्नलिखित तीन चरणों के अंतर्गत कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित नीतिगत ढांचे के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण समझौते की शर्तों का एक बार से ज्यादा पुनर्गठन नहीं करेगा अथवा पुनः समय सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी अथवा उन पर पुनः बातचीत नहीं की जाएगी –

(क) वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने से पूर्व।

(ख) वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने के पश्चात परंतु परिसंपत्तियों को अवमानक वर्गीकृत करने से पूर्व।

(ग) वाणिज्यक उत्पादन के आरंभ होने और परिसंपत्तियों को अवमानक वर्गीकृत करने के पश्चात।

परन्तु, उपरोक्त तीन चरणों के प्रत्येक चरण में मूलधन तथा ब्याज का पुनर्गठन और/अथवा पुनः समय–सीमा निर्धारण और/अथवा पुनः मोल–भाव अधित्याग अथवा बिना अधित्याग के किया जा सकता है, जो ऐसे पुनर्गठन अथवा पुनः समय–सीमा निर्धारण या पुनः मोल–भाव के पैकेज के हिस्से के रूप में किया जाएगा।

परन्तु यह भी उपबंधित है कि विशिष्ट परिस्थितियों में, लिखित में दर्ज किए कारणों के चलते, पीएफसी, निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ किसी परियोजना के सीओडी से पूर्व ऋण समझौते की शर्तों को दूसरी बार पुनर्गठन/पुनः समय–सीमा निर्धारण/पुनः मोल–भाव करने पर विचार कर सकती है।

परन्तु यह और भी कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में इस खण्ड की अनुप्रयोज्यता के प्रयोजनार्थ सीओडी* से पूर्व पुनर्भुगतान समय–सीमा पर बिना मूलधन या ब्याज के अधित्याग** किए पुनर्गठन/पुनः समय–सीमा निर्धारण/पुनः मोल–भाव नहीं किया जाएगा।

*जहां सीओडी लागू न हो, वहां परियोजनाओं के पूरा होने की तारीख।

** अधित्याग शब्द का अर्थ सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के संदर्भ में प्रभावी उपबन्धों को लागू करने के परियोजनार्थ पुनर्गठन/पुनः समय सीमा निर्धारण/पुनः मोल–भाव के भाग के रूप में मूलधन की और/अथवा देय ब्याज और/अथवा भविष्य में लागू ब्याज दर की माफी/कमी होगा।

(ii) पुनर्गठित/पुनः समय सीमा निर्धारित/पुनः मोल–भाव किए गए ऋण की जमा राशि में कमी हेतु उपबंध :

उस स्थिति में जब परिसंपत्तियों को आंशिक रूप से प्रतिभूत किया गया हो तो ऋणों को पुनर्गठित करते हुए और/अथवा पुनः समय सीमा निर्धारित करते हुए/अथवा पुनः बातचीत करते हुए, प्रूडेंशियल मानदंडों के अनुसार वर्तमान मूल्य आधार पर अपेक्षित उपबंधों के अलावा उपलब्ध जमा राशि के बराबर व्यवस्था की जाए।

(iii) पुनर्गठित/पुनः समय सीमा निर्धारित/पुनः मोल–भाव किए गए मानक ऋण पर कार्रवाई:

उपर्युक्त प्रथम दो चरणों के किसी भी चरण में ही मात्र मूलधन की किश्तों का पुनर्गठन अथवा पुनः समय सीमा निर्धारण अथवा पुनः बातचीत किए जाने से मानक श्रेणी की परिसंपत्तियों को अवमानक श्रेणी की परिसंपत्तियों में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा, यदि परियोजना की पुनः जांच की जाती है और पीएफसी के निदेशक मंडल द्वारा अथवा परियोजना हेतु ऋण को संस्वीकृत करने वाले अधिकारी से एक पद वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतिगत ढांचे के भीतर व्यवहार्य पाया जाता है।

परंतु यह उपबंधित है कि पूर्ववर्ती प्रथम दो चरणों में से किसी भी चरण में ब्याज का पुनः निर्धारण अथवा पुनः मोल–भाव या पुनर्गठन किसी मानक परिसंपत्ति को अवमानक श्रेणी के अंतर्गत अव–वर्गीकृत नहीं करेगा, परन्तु इसमें यह शर्त होगी कि यदि ब्याज की किसी राशि को ब्याज मद में समायोजन के कारण माफ किया गया हो, जैसा कि बाद में निर्दिष्ट किया गया है, तो उसे बट्टे खाते में डाला जाएगा या उसके प्रति शत–प्रतिशत प्रावधान किया जायेगा।

(iv) पुनर्गठित/पुनः समय सीमा निर्धारित/पुनः मोल–भाव की गई अवमानक ऋण की परिसंपत्तियों पर कार्रवाई :

किसी अवमानक परिसंपत्ति के मूलधन की किश्तों के पुनर्गठन अथवा पुनः समयसीमा निर्धारण या पुनः मोल–भाव किए जाने के मामले में उसे एक वर्ष की समाप्ति तक उसी श्रेणी में रखा जाएगा और समायोजन के जरिए उस पर बट्टे खाते में डाली गई पिछली बकाया ब्याज राशि सहित पूर्व निश्चित ब्याज, जिसे बाद में ब्याज भाग में विनिर्दिष्ट किया गया हो, को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा अथवा उसके प्रति शत–प्रतिशत प्रावधान किया जायेगा।

(v) ब्याज का समायोजन :

उस स्थिति में जहां पुनर्गठन अथवा पुनर्निर्धारण अथवा पुनः मोल–भाव के कारण ब्याज दर में कमी की जानी हो, ब्याज के समायोजन का परिकलन, ऋण पर वर्तमान में लागू ब्याज दर (ऋणकर्ता पर लागू जोखिम दर के लिए समायोजित अनुसार) तथा कम की गई दर और अदा किए जाने वाले भावी ब्याज के चालू मान के जोड़ (जोखिम में वृद्धि हेतु समायोजित, ढांचागत ऋण पर वर्तमान में लागू दर से छूट) जिसे पुनर्गठन या पुनर्निर्धारण या पुनः मोल–भाव प्रस्ताव में यथा विनिर्दिष्ट किया गया हो, के अनुसार किया जायेगा।

(vi) वित्त पोषित ब्याज :

गैर–निष्पादन परिसंपत्तियों के संबंध में ब्याज के वित्त पोषण के मामले में, जहां वित्त पोषित ब्याज को आय माना गया हो, वित्त पोषित ब्याज की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी।

(vii) पुनर्गठित/पुनर्निधारित/पुनः मोल–भाव किए गए अवमानक इन्फ्रास्ट्रक्चर (ढांचागत) ऋण हेतु अर्हता :

जिन अवमानक परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनः मोल–भाव किया गया हो और/ अथवा पुनर्गठन किया गया हो चाहे वह मूलधन की किश्त या ब्याज राशि के संबंध में हो और चाहे किसी भी क्रियाविधि द्वारा किया गया हो, उसका मानक श्रेणी में उन्नयन पुनर्गठन और/अथवा पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनः मोल–भाव की शर्तों के अंतर्गत एक वर्ष तक संतोषजनक निष्पादन के बाद ही किया जायेगा।

जिन अवमानक परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनः मोल–भाव किया गया हो और/अथवा पुनर्गठन किया गया हो चाहे वह मूलधन की किश्त या ब्याज राशि के संबंध में हो और चाहे किसी भी क्रियाविधि द्वारा किया गया हो, उसके परिसंपत्ति वर्गीकरण का अपकर्ष नहीं किया जायेगा, बशर्ते पुनर्गठन और/अथवा पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनः मोल–भाव की शर्तों के तहत एक वर्ष तक उनका संतोषजनक निष्पादन किया गया हो।

(viii) प्रावधान का उत्क्रमण :

गैर–निष्पादन बुनियादी ढांचा ऋण के प्रति गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा किए गए प्रावधान*, जिन्हें उपरोक्त पैरा 6.7 (iii) की शर्तों के संदर्भ में 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ऋण की पूर्ण वसूली होने तक जारी रहेंगे।

*ऐसे प्रावधान जो किसी पुनर्गठित/पुनः समय सीमा निर्धारित/पुनः मोल–भाव किए गए ऋण पर ब्याज अधित्याग के लिए किए गए हों।

(ix) ऋण का इक्विटी में संपरिवर्तन :

जहां ब्याज के रूप में देय राशि को इक्विटी अथवा किसी अन्य ऋणयत्र में परिवर्तित कर दिया जाता है और परिणामवरूप इसकी आय के रूप में पहचान की जाती है, इस प्रकार पहचान की गई आय की राशि के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी ताकि इस प्रकार से पहचान की गई आय के प्रभाव को नकारा जा सके।

परन्तु, यह उपबंधित है कि यदि ब्याज को उद्धृत इक्विटी में संपरिवर्तित कर दिया जाता है, तो किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं होगी।

परन्तु, यह और भी उपबंधित है कि ऐसे मामलों में संपरिवर्तन की तिथि पर ब्याज आय की इक्विटी के बाजार भाव पर पहचान की जाए, जो कि ब्याज में संपरिवर्तित इक्विटी की राशि से अधिक न हो।

(x) ऋण का डिबेंचर में संपरिवर्तन :

जहां गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों के संबंध में मूलधन राशि और/अथवा ब्याज राशि का डिबेंचर में संपरिवर्तन कर दिया जाए ऐसे डिबेंचरों को आरंभ से ही गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां माना जाएगा और उसे उसी परिसंपत्ति के वर्गीकरण में रखा जाएगा जो संपरिवर्तन पूर्व ऋण पर लागू था और उसके लिए नियमों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा।

(xi) यह मानदंड उन ऋणों पर लागू होंगे जिनका पुनर्गठन/अथवा पुनः समय सीमा निर्धारण और/अथवा पुनः मोल–भाव किया गया हो और जो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से प्रतिभूत मानक/अवमानक परिसंपत्ति हों।

उपर्युक्त पैरों के लिए पुनर्गठित/पुनः समय सीमा निर्धारित/पुनः बातचीत में मूलधन और ब्याज से संबंधित समझौते की शर्तें कवर होंगी।

तथापि यह खंड निम्नलिखित परिसंपत्तियों पर लागू नहीं होगा :

(क) एक संपत्ति जिस पर केंद्रीय योजनागत आबंटन अथवा किसी राज्य विभाग को ऋण के माध्यम से केंद्रीय/राज्य सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के उपक्रम की गारंटी प्राप्त हो।

(ख) पैरा 6.2 (i) के तहत आने वाले ऋण।

7. विदेशी मुद्रा लेन देन :

7.1 लेखा मानक–11 के अनुसार निम्नलिखित लेन देन की लेखाओं में प्रविष्टि संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर की गई हैं :

(i) विदेशी मुद्रा में व्यय एवं आय, तथा

(ii) विदेशी मुद्रा ऋणों के अंतर्गत ऋण स्वरूप ली गई तथा दी गई राशि।

7.2 लेखा मानक–11 के अनुसार लेखाओं की समाप्ति की तारीख पर प्रचलित विनिमिय दरों पर निम्नलिखित शेष राशि को भारतीय मुद्रा में अंतरित किया गया है :–

(i) विदेशी मुद्रा ऋण देयताएं।

(ii) विदेशी बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते में रखी गई निधियां।

(iii) विदेशी बैंकों में दी गई गारंटियों से संबंधित आकस्मिक देयताएं।

(iv) विदेश में अर्जित की गई, किंतु भारत में प्रेषित/प्राप्त नहीं की गई आय।

(v) विदेशी मुद्रा में मंजूर किए गए ऋण।

(vi) विदेशी मुद्रा ऋण/ऋणपोषण पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं व्यय एवं आय।

7.3 जब कभी भी कंपनी ने वायदा दर संविदा अर्थात् वायदा विनिमय संविदा का सार लिखत में निष्पादित किया है तो संव्यवहार की तारीख को वायदा दर और विनिमय दर के बीच के अंतर राशि को लेखा मानक–11 के अनुसार संविदा की अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया गया है।

7.4 केएफडब्ल्यू, जर्मनी से लिए गए ऋण के मामले में विनिमय हानि होने पर उसे वर्ष के अंत में करार के अनुसार ब्याज विभेदी निधि लेखा–केएफडब्ल्यू में डेबिट किया गया है।

7.5 लेखा मानक (एएस)–11 के पैराग्राफ 46ए के अनुसरण में, दीर्घावधि मुद्रा मौद्रिक मदों के विनिमय अंतर को उनकी शेष अवधि में परिशोधन किया गया हे।

8. डेरिवेटिव लेनदेन

8.1 डेरिवेटिव लेनदेन में, तुलन–पत्र की परिसंपत्तियों या देयताओं का बचाव करने हेतु वायदा, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप तथा मुद्रा और विदेशी मुद्रा विकल्प शामिल है।

8.2 इन डेरिवेटिव लेनदेन का उपयोग हेजिंग के उद्देश्य हेतु किया जाता है, न कि व्यापार या सट्टे के लिए। इनकी गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है और इसे बाजार के लिए चिह्नित नहीं किया जाता है।

9. भारत सरकार से अनुदान :

9.1 जहां अनुदानग्राही को अनुदान की प्रथम प्रतिपूर्ति की गई है, वहां उन्हें भारत सरकार से वसूलनीय राशि के रूप में लेखाओं में प्रविष्ट किया गया है तथा राशि मिल जाने पर उसे चुकता राशि के रूप में दर्शाया गया है।

9.2 जहां अनुदान भारत सरकार से अग्रिम के रूप में प्राप्त हुआ है, वहां उन्हें तब तक चालू देयताओ के रूप में दर्शाया गया है, जब तक उनका भुगतान अनुदान प्राप्तकर्ता को नहीं किया गया है।

10. ब्याज सब्सिडी निधियां

10.1 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पात्र ऋणकर्ता के लिए ब्याज सब्सिडी निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) आधार पर प्राप्त होने पर ब्याज सब्सिडी निधि में क्रेडिट की गई है और ब्याज की मांगों से संबंधित तारीखों को ऋण की पात्र अवधि तक ऋणकर्ता को प्रदान की गई है। ब्याज सब्सिडी फंड में कोई वृद्धि/कमी को संबंधित स्कीम की समाप्ति पर समायोजित/प्रभार मुक्त किया गया है।

10.2 स्कीम में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर ब्याज सब्सिडी निधि को लाभ एवं हानि लेखा में डेबिट करके बकाया शेष को ब्याज के साथ सब्सिडी निधि में जमा किया गया है।

11. पुनर्गठित–त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम निधि (आर.एपीडीआरपी फंड)

11.1 पात्र ऋणकर्ताओं को ऋण देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी) के अतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि की कंपनी को होने वाले लाभ या हानि रहित पश्चानुपश्च व्यवस्था है।

12. सहायक कंपनियों पर आय/प्राप्ति/व्यय

12.1 सहायक कंपनियां पर हुए व्यय को "संबंधित सहायक कंपनियों से वसूलनीय राशि" खाते मे डेबिट किया गया है।

12.2 श्रम दिवसों (कर्मचारियों) के संबंध में व्यय सहायक कंपनियों को आबंटित किए जाते हैं और प्रशासनिक ऊपरी व्यय अनुमानित आधार पर सहायक कंपनियों को प्रभाजित किए जाते हैं। प्रत्यक्ष व्यय संबंधित सहायक कंपनियों के नाम में डाले जाते हैं।

12.3 सहायक कंपनियों (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में प्रोन्नत की गई) से वसूलनीय राशि पर ब्याज को पीएफसी की नीति के अनुसार क्षेत्र के ऋणकर्ता (श्रेणी क) को उत्पादन परियोजना ऋण/स्कीम (उत्पादन) के लिए लागू ब्याज दर पर लेखाओं में लिया गया है।

12.4 विद्युत क्रेताओं से प्रतिबद्धता अग्रिम के रूप में सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त राशि को कंपनी में अंतर कंपनी ऋण के रूप में लगाया गया है और इन ऋणों के अप्रयुक्त भाग पर ब्याज परस्पर सहमत दरों पर लगाया गया है।

12.5 सहायक कंपनियों (अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के लिए निगमित) के लिए तैयार अर्हता संबंधी अनुरोध दस्तावेज (आरएफक्यू)/प्रस्ताव संबंधी अनुरोध दस्तावेज (आरएफपी) सहायक कंपनियों को उतने ही मूल्य पर प्रदान किए जाते हैं, जितना कि संभावित बोलीदाताओं को इन दस्तावेज की बिक्री से सहायक कंपनियों को राशि प्राप्त होती है। सहायक कंपनी में प्राप्त होने पर यह राशि खातों में कंपनी की आय में दिखाई जाती है।

12.6 कंपनी अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं में विकास कार्य के लिए व्यय करती है। किए गए व्यय को अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के विकास के लिए संबंधित सहायक कंपनियों से वसूलनीय राशि के रूप में दर्शाया गया है। जब विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना का परित्याग कर दिया जाता है, तब वसूल न होने की सीमा तक उसके प्रावधान/बट्टे खाते में डालने पर विचार किया जाता है।

13. कार्मिक कल्याण

13.1 भविष्यनिधि, ग्रेच्युटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के फायदे

वर्ष के दौरान भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए कंपनी द्वारा प्रदत्त/देय अंशदान को लाभ–हानि विवरण में दर्शाया गया है। कार्मिकों को दी जाने वाली ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति के बाद के फायदों, जैसे चिकित्सा सुविधा, आर्थिक पुनर्वास लाभ और सेवानिवृत्ति के बाद व्यवस्थापन भत्ते का निर्धारण लेखांकन मानक–15(संशोधित) के अनुसार किया जाता है।

13.2 अन्य कार्मिक लाभ

बीमारी अवकाश, अर्जित अवकाश, सेवा पंचाट योजना आदि के बारे में कंपनी की जिम्मेदारी बीमांकन प्रणाली से की जाती है और लेखांकन मानदंडों–15(संशोधित) के अनुसार इसके लिए धन की व्यवस्था की जाती है।

14. आयकर

14.1 वर्तमान आयकर समेत आयकर की गणना लागू होने वाले कर कानूनों और आस्थगित कर प्रभार या देयता के अनुसार की जाती है जो आय पर कर की गणना संबंधी लेखांकन मानदंड–22 के अंतर्गत होता है (इसमें अवधि के दौरान लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर की वजह से होने वाले कर प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है)।

आस्थगित कर प्रभार या ऋण और तत्संबंधी कर दायित्व या आस्तियों की गणना अधिनियम की तारीख अथवा तुलन–पत्र में दी गई तारीख को अंतिम रूप से निर्धारित दर से की गयी है। आस्थगित कर आस्तियों का आकलन और उनका अग्रेषण उस सीमा तक किया गया है जहां तक इस बात का यथोचित यकीन हो कि इस तरह की आस्थगित कर आस्तियों के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

14.2 चूंकि कंपनी के निदेशक मंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि उसका आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (8) के अंतर्गत बनाई और चलाई जा रही विशेष आरक्षित निधि से निकासी का कोई इरादा नहीं है, इसलिए इस तरह की विशेष आरक्षित निधि आरक्षण के योग्य नहीं है क्योंकि इससे लेखे में स्थायी अंतर आ जाता है। कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से मिले स्पष्टीकरण का पालन करते हुए कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं की है।

15. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन मानदंड–3 में निर्धारित नकदी प्रवाह विवरण संबंधी अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है।

भाग-ग

अन्य लेखा टिप्पणियां

1. कंपनी एक सरकारी कंपनी है जो ऊर्जा क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कार्य करती है।
2. आकस्मिक देयताएं:

(करोड़ रुपए में)

(क)	क्रम संख्या	विवरण	31.03.2014 के अनुसार राशि	31.03.2013 के अनुसार राशि
	1.	विदेशी मुद्रा में जारी की गई गारंटी 41.4 लाख अमरीकी डॉलर (31.03.2013 के अनुसार 75.4 लाख अमरीकी डॉलर)	25.07	41.34
	2.	घरेलू मुद्रा में जारी की गई गारंटी	299.20	335.57
	3.	कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	0.04	0.04
	4.	स्वीकृत ऋणों के सापेक्ष 'लेटर ऑफ कंफर्ट' के द्वारा ऋण लेने वालों के बकाया भुगतान वायदे	2,274.96	4,247.61
		योग	2,599.27	4,624.56

(ख) आयकर विभाग द्वारा पिछले वर्षों के लिए की गई कुल 49.87 करोड़ रुपए (31.03.2013 के अनुसार 55.93 करोड़ रु.) की अतिरिक्त मांग का विरोध किया जा रहा है। आयकर विभाग ने भी कंपनी को कुल 79.26 करोड़ रुपए (31.03.2013 के अनुसार 67.96 करोड़ रुपए) की राहत देने के सीआईटी (ए) के आदेशों के विरुद्ध आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की है। इसका भी विरोध किया जा रहा है। प्रबंधन ने कोई प्रावधान करने की जरूरत नहीं समझी है क्योंकि कंपनी पर हस्तांतरित कर देयताओं की संभावना नगण्य हैं।

3. आयकर विभाग द्वारा (अपील प्राधिकरणों द्वारा दी गई कुल राहत) मूल्यांकन वर्ष 2001-02 से 2011-12 के लिए की गई 55-10 करोड़ रुपए की कुल मांग के लिए प्रावधान किया गया है और कंपनी ने इसका प्रतिवाद किया है।

4. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने परिपत्र संख्या 6/3/2001 सीएल वी दिनांक 18.04.2002 के तहत पब्लिक इश्यू द्वारा जारी डिबेंचरों के मूल्य की 50% रिडेंप्शन रिजर्व (डीआरआर) की उपयुक्तता निर्धारित की है। बाद में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, ने अपने परिपत्र संख्या 11/02/2012-सीएल -वी(ए) दिनांक 11.02.2013 द्वारा डीआरआर की उपयुक्तता संशोधित कर 25% कर दी है।

   इस संबंध में कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, से स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया है लेकिन अभी इसकी प्रतीक्षा है। स्पष्टीकरण की प्राप्ति में देरी होने से कंपनी बॉण्ड/डिबेंचरों के पब्लिक इश्यू के लिए डीआरआर का सृजन कर रही है जो पब्लिक इश्यू का @ 50% है, जिसके लिए 11.02.2013 के पूर्व शेयर विवरण–पत्र दाखिल किए गए हैं और बाद के पब्लिक इश्यू के लिए यह @25% है।

5. विदेशी मुद्रा वास्तविक खर्च और आय:

(करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष
ए.	विदेशी मुद्रा में व्यय		
i)	विदेशी संस्थानों से प्राप्त ऋणों पर ब्याज	249.69	187.78
ii)	वित्तीय एवं अन्य प्रभार	9.58	74.88
iii)	यात्रा व्यय	कोई नहीं	0.13
iv)	प्रशिक्षण व्यय	0.25	0.11
बी.	विदेशी मुद्रा में आय	कोई नहीं	कोई नहीं

6.1 संबंधित पार्टी विवरण:

प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति:

नाम	अवधि
श्री एम के गोयल, निदेशक (वाणिज्यिक) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार	27.07.2007 से निदेशक (वाणिज्यिक) और 13.09.2013 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार
श्री सतनाम सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.08.2008 से 13.09.2013 तक
श्री आर. नागराजन, निदेशक (वित्त)	31.07.2009 से प्रभावी
श्री ए. के. अग्रवाल, निदेशक (परियोजना)	13.07.2012 से प्रभावी

प्रबंधकीय वेतन:

(करोड़ में)

	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		अन्य निदेशक	
	31.03.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	31.03.2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	31.03.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	31.03.2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
वेतन एवं भत्ते	0.49	0.51	1.17	1.00
भविष्य निधि एवं अन्य कल्याण निधि में अंशदान	0.02	0.04	0.11	0.09
अन्य उपलब्धियां / भुगतान	0.04	0.09	0.27	0.24
योग	**0.55**	**0.64**	**1.55***	**1.33**

*अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले श्री एम. के. गोयल, निदेशक (वाणिज्यिक) के वेतन में शामिल राशि।

उपर्युक्त उपलब्धियों के अलावा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों को रु. 2,000/- कंपनी रुपए प्रतिमाह के भुगतान पर एक महीने में 1,000 किलो मीटर तक की निजी यात्रा के लिए स्टाफ कार उपयोग करने की सुविधा भी शामिल है।

6.2 वृहद विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) के रूप में प्रोत्साहित कंपनियों सहित सहायक/संयुक्त उपक्रम के रूप में भारत में निगमित कंपनियों की शेयर पूंजी में निवेश नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	कंपनियों के नाम	निवेश की तिथि	निर्दिष्ट शेयरों की संख्या	स्वामित्व का %	राशि (करोड़ में)
ए	**सहायक कंपनियां (I)**				
1.	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	09.04.2008	50,000	100%	0.05
2.	(ए) पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (इक्विटी शेयर)	29.07.2011 08.12.2011 29.03.2012 21.03.2013 18.06.2013 07.10.2013	50,000 44,50,000 4,90,000 2,10,00,000 1,36,00,000 6,04,10,000	100%	100.00
	(बी) पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (वरीयता शेयर)	21.03.2013 18.06.2013 07.10.2013	8,40,00,000 5,44,00,000 6,16,00,000	100%	200.00
3.	पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिस लिमिटेड	01.09.2011	1,00,000	100%	0.10
4.	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड	15.04.2008 11.10.2011	15,000 35,000	100%	0.05
	उप-योग (ए)		**30,02,00,000**		**300.20**
बी	**बड़ी–बड़ी विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) के रूप में प्रोत्साहित सहायक कंपनियां (II)**				
1.	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	05.09.2006	50,000	100%	0.05
2.	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	05.09.2006	50,000	100%	0.05
3.	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	14.09.2006	50,000	100%	0.05
4.	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	31.01.2007	50,000	100%	0.05
5.	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	31.03.2008	50,000	100%	0.05
6.	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	27.01.2010	50,000	100%	0.05
7.	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	27.01.2010	50,000	100%	0.05
8.	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	27.01.2010	50,000	100%	0.05
9.	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	30.07.2012	50,000	100%	0.05
10.	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	24.03.2014	50,000	100%	0.05
11.	ओड़िशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	27.03.2014	50,000	100%	0.05
	उप-योग (बी)		**5,50,000**		**0.55**
सी	**संयुक्त उपक्रम कंपनियां (I)**				
1	नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	18.12.2008 03.09.2010	8,33,000 13,54,015	16.66%	2.19
2.	एनर्जी एफिशन्सी सर्विसेज लिमिटेड	21.01.2010 26.03.2013	6,25,000 2,18,75,000	25%	22.50
	उप-योग (सी)		**2,46,87,015**		**24.69**
	योग (ए) + (बी) + (सी)		**32,54,37,015**		**325.44**

(i) वित्तीय विवरणों को लेखा संबंधी मानक 21 समेकित वित्तीय विवरण और लेखा संबंधी मानक 27 संयुक्त उपक्रमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार समेकित किया गया है।

(ii) सहायक कंपनियों को बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर सफल बोलीदाताओं को सौंपने के उद्देश्य से बड़ी-बड़ी विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए भारत सरकार के आदेश के अधीन विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) के रूप में शामिल किया गया था। इन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण लेखा संबंधी मानक-21 के पैराग्राफ 11 के अनुसार बिना समेकित किए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के तहत अपेक्षित अनुसार संलग्न किया गया है।

6.3 31.03.2014 को परिसंपत्ति, देयताएं, आकस्मिक देयताएं और पूंजीगत प्रतिबद्धता में कंपनियों की हिस्सेदारी और इस समयावधि के लिए संयुक्त उद्यम कंपनियों के संदर्भ में उनके बिना लेखा परीक्षण के वित्तीय ब्यौरे पर आधारित आय तथा खर्च निम्नवत् है: (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2014 को			31.03.2013 को		
		एनपीईएल	ईईएसएल	कुल	एनपीईएल	ईईएसएल	कुल
	स्वामित्व (%)	**16.66**	**25**		16.66	25	
क	परिसंपत्ति						
	गैर मौजूदा परिसंपत्ति	**0.03**	**1.99**	**2.02**	0.00	0.25	**0.25**
	मौजूदा परिसंमत्ति	**1.13**	**29.61**	**30.74**	1.35	30.66	**32.01**
	कुल	**1.16**	**31.60**	**32.76**	**1.35**	**30.91**	**32.26**
ख	देयताएं						
	गैर मौजूदा देयताएं	**-**	**0.08**	**0.08**	-	0.02	**0.02**
	मौजूदा देयताएं	**0.03**	**4.80**	**4.83**	0.23	5.01	**5.24**
	कुल	**0.03**	**4.88**	**4.91**	**0.23**	**5.03**	**5.26**
ग	आकस्मिक देयताएं	-	-	-	-	-	-
घ	पूंजीगत वायदे	-	**5.52**	**5.52**	-	-	-
		समयावधि के लिए			समयावधि के लिए		
ङ	कुल आय	**0.11**	**8.39**	**8.50**	**0.12**	**6.58**	**6.70**
च	कुल खर्च	**0.12**	**7.13**	**7.25**	**0.41**	**4.23**	**4.64**

6.4 संबंधित अनुदानों पर वसूली जाने वाली राशि (इन पर ब्याज सहित) की विस्तृत जानकारी निम्नवत् है:– (रु. करोड़ में)

सहायक कंपनियों के नाम	राशि 31.03.2014 को	राशि 31.03.2013 को	31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम	31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	**7.88**	7.00	**7.88**	7.00
उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	**92.97**	90.31	**106.62**	90.31
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	**3.32**	2.80	**3.33**	2.80
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	**57.00**	40.41	**57.00**	40.41
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	**68.37**	60.50	**68.42**	60.50
साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	**4.50**	3.26	**4.50**	3.26
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	**3.89**	2.89	**3.89**	2.89
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	**11.28**	9.84	**11.30**	9.84
देवघर मेगा पावर लिमिटेड	**5.00**	2.43	**5.01**	2.43
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	**0.40**	0.00	**0.40**	0.00
पीएफसी कैपिटल एडवाजरी सर्विसिज लिमिटेड	**0.36**	0.10	**0.49**	0.10
चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	**0.01**	-	**0.01**	-
ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	**0.01**	-	**0.01**	-
कुल	**254.99**	**219.54**	**268.86**	**219.54**

6.5 बिजली दलालों और अन्य भुगतान योग्य राशि के रूप में सहायकों को भुगतान की जाने वाली राशि (ब्याज सहित) की विस्तृत जानकारी निम्नवत् है: (रु. करोड़ में)

सहायक कंपनियों के नाम	राशि 31.03.2014 को	राशि 31.03.2013 को	31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम	31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिकतम
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	**5.39**	3.54	**5.40**	3.54
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	**0.00**	0.03	**0.00**	(0.05)
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	**56.47**	52.97	**56.47**	52.97
उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	**67.57**	62.57	**67.57**	62.57
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	**63.72**	58.92	**63.72**	58.92
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	**61.16**	56.17	**61.16**	56.17
साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	**22.24**	20.69	**22.24**	20.69
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	**21.08**	19.27	**21.08**	19.27
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	**27.02**	25.02	**27.02**	25.02
कुल	**324.65**	**299.18**	**324.66**	**299.10**

6.6

(i) "छोटा खूबसूरत है" निधि में निवेश :–

कंपनी ने छोटा खूबसूरत है, निधि की इकाइयों में 7.68 करोड़ रुपए (31.03.2013 को) निवेश किए हैं। इस कोष का अंकित मूल्य प्रति इकाई 10 रु. है। 31.03.2014 को एनएवी 9.70 प्रति इकाई (31.03.2013 को 9.77 प्रति इकाई था) है। छोटा खूबसूरत है, कोष में लंबी अवधि के लिए निवेश होता है इसलिए वर्तमान परिपेक्ष्य में एनएवी में उतार–चढ़ाव को अस्थायी माना गया है।

(ii) पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड की इक्विटी (अनुद्धृत) में निवेश :–

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीइएक्स) द्वारा पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) को बढ़ावा दिया गया। 31.03.2014 को प्राधिकृत पूंजीगत हिस्सा 100 करोड़ रुपए है जिनमें से 10 रुपए प्रत्येक के 8 करोड़ इक्विटी शेयर और 10 रुपए प्रत्येक के दो करोड़ अधिमान्य शेयर है। 31.03.2014 को पीएक्सआईएल की प्रदत्त इक्विटी शेयर राशि 46.47 करोड़ रुपए है। एक्सआईएल की प्रदत्त राशि में से कंपनी को 3.22 करोड़ रुपए (31.03.2013 को 2. 80 करोड़ रुपए) मिले।

7. इंटरेस्ट डिफरेंशियल फंड (आईडीएफ)– केएफडब्ल्यू

केएफडब्ल्यू और पीएफसी के बीच समझौते के मुताबिक आईडीएफ केवल ऋणकर्ताओं को ही उपलब्ध कराया जाता है और इसका उपयोग ऋण के अंतर्गत विनिमय में उतार–चढ़ाव के जोखिम की भरपाई के लिए किया जाएगा तथा अतिरिक्त राशि का उपयोग समझौते के अनुसार किया जाएगा। आईडीएफ फंड में बकाया राशि को एक अलग कोष के अंतर्गत रखा गया है, जिसका नाम है– इंटरेस्ट डिफरेंशियल फंड– केएफडब्ल्यू और इसे देयता के रूप में दिखाया गया है। 16.56 करोड़ रुपए (31.03.2013 को 15.21 करोड़ रुपए) के विनिमय अंतर हस्तांतरण के बाद 31.03.2014 को 54.63 करोड़ रुपए (31.03.2013 को 54.63 करोड़) की कुल राशि जमा हुई।

8. विदेशी मुद्रा देयताएं जिनका बचाव डेरिवेटिव लिखत या अन्य किसी उपाय से नहीं किया गया है।

विदेशी मुद्रा की देयताएं	विदेशी मुद्रा (करोड़ में)	
	31.03.2014	31.03.2013
अमेरिकी डॉलर	**791.93**	805.90
यूरो	**20.87**	22.80
जापानी येन	**36,807.40**	41,643.20

9. (क) <u>01.04.2001 के बाद वित्तीय लीज के तहत परिसंपत्ति :</u>

(i) लीज पर परिसंपत्ति में कुल निवेश और तुलन–पत्र पर कम से कम प्राप्त हुए मौजूदा मूल्य और बिना कमाई की वित्तीय आय का मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को	31.03.2013 को
भविष्य में वसूली जाने वाली न्यूनतम लीज (कुल निवेश) का योग	**433.52**	500.33
वसूली जाने वाली वर्तमान लीज का मूल्य	**242.54**	285.07
बिना कमाई की वित्तीय आय	**190.98**	215.26
भविष्य में वसूली जाने वाली न्यूनतम लीज (कुल निवेश) के योग का परिपक्व मुनाफा		
एक वर्ष के बाद नहीं	**54.34**	70.77
एक वर्ष के बाद और पांच वर्ष के बाद नहीं	**102.87**	127.55
पांच वर्ष के बाद	**276.31**	302.01
कुल	**433.52**	**500.33**
वसूली जाने वाली लीज भुगतान की वर्तमान मूल्य का वर्गीकरण		
एक वर्ष के बाद नहीं	**33.15**	45.93
एक वर्ष के बाद और पांच वर्ष के बाद नहीं	**33.11**	53.44
पांच वर्ष के बाद	**176.28**	185.70
कुल	**242.54**	**285.07**

(ii) वायु टर्बाइन जनरेटर (19.07.2004 को शुरू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2004 में कंपनी ने वित्तीय लीज के रूप में 88.90 करोड़ कंपनी रुपए मंजूर किए। दिसंबर 2006 में यह राशि घटाकर 88.85 करोड़ कंपनी रुपए कर दी गई थी। 31.03.2014 को कुल निवेश 4.21 करोड़ कंपनी रुपए का रहा। 15 वर्ष की समयावधि में लीज का किराया लिया जाना है। 19.07.2004 से शुरू इस समयावधि में 10 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और पांच वर्ष द्वितीयक समयावधि के हैं।

(iii) वायु टर्बाइन जनरेटर (18.05.2004 को शुरू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2004 में कंपनी ने वित्तीय लीज के रूप में 98.44 करोड़ कंपनी रुपए मंजूर किए थे। 31.03.2014 को कुल निवेश 22.53 करोड़ कंपनी रुपए रहा। 20 वर्ष की समयावधि में लीज का किराया लिया जाना है। 18.05.2004 से शुरू इस समयावधि में 10 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और अगले दस वर्ष द्वितीयक समयावधि के हैं।

(iv) वायु टर्बाइन जनरेटर (09.06.2005 को शुरू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2004 में कंपनी ने वित्तीय लीज के रूप में 93.51 करोड़ कंपनी रुपए मंजूर किए थे। 31.03.2014 को कुल निवेश 1.96 करोड़ कंपनी रुपए रहा। 19 वर्ष 11 महीने की समयावधि में लीज का किराया लिया जाना है। 09.06.2005 से शुरू इस समयावधि में 10 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और अधिकतम 9 वर्ष 11 महीने द्वितीयक समयावधि के हैं।

(v) वायु टर्बाइन जनरेटर (18.05.2011 को शुरू किए गए) के लिए वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 2008 में कंपनी ने वित्तीय लीज के रूप में 228.94 करोड़ कंपनी रुपए मंजूर किए थे। 31.03.2014 को कुल निवेश 404.82 करोड़ कंपनी रुपए रहा। 25 वर्ष की समयावधि में लीज का किराया लिया जाना है। 01.01.2012 से शुरू इस समयावधि में 18 वर्ष प्राथमिक समयावधि के और अधिकतम सात वर्ष द्वितीयक समयावधि के हैं।

ख) परिचालन लीज

कंपनी के लीज परिचालन में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं–

कार्मिकों को कार्यालय और आवास उपलब्ध कराने के लिए भवनों की लीज का प्रबंध किया गया है। सेवा और शर्तों पर आपसी सहमति के आधार पर इनका नवीनीकरण और निरस्तीकरण किया जा सकता है। कार्मिकों के आवास के लिए की गई लीज का किराया 4.19 करोड़ (गत वर्ष 31 मार्च 2013 को 3.84 करोड़) का भुगतान होना है। कार्मिकों के आवासों एवं उनके हित में होने वाले व्यय के संबंध में लीज भुगतान का नोट पैरा क–16 में दिया गया है, जबकि कार्यालयों के भवनों के संबंध में लीज भुगतान एवं अन्य व्यय का नोट पैरा क–17 में दिया गया है।

10. त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम के तहत सब्सिडी (एजी एंड एसपी):

(i) कंपनी ने 23 सितंबर 1997 को भारत सरकार को पत्र संख्या डी.ओ नंबर. 32024/17/97–पीएफसी और 7 मार्च 2003 को ओ.एम.नंबर 32024/23/2008–पीएफसी लिखकर वास्तविक भुगतान अवधि पर ध्यान दिए बिना बिलंब अवधि और पुनर्भुगतान अवधि के लिए सांकेतिक ब्याज दर पर वास्तविक लागत का मूल्यांकन कर सब्सिडी प्राप्त की। ब्याज पर मिलने वाली सब्सिडी की धनराशि प्राप्त किए जाने के बाद जब तक ऋणकर्ता के एकाउंट में पास नहीं होती, तब तक उसे ब्याज के लिए बनाए गए सब्सिडी निधि खाते में रखा जाता है। सांकेतिक दर और दावा किए जाने वाली अवधि तथा वास्तविक भुगतान की अवधि के बीच अंतर के प्रभार को संबंधित योजनाओं की समाप्ति पर ही जांचा जा सकता है। हालांकि प्रत्येक परियोजना के लिए तय मानकों के आधार पर (इस तरह के कुछ निश्चित पूर्वानुमानों पर आधारित है कि निर्धारित अवधि में प्रत्येक प्रोजेक्ट की स्थिति वैसी ही रहेगी) कंपनी का अनुमान है कि एजी एंड एसपी स्कीम के तहत नौवीं योजना में 31 मार्च, 2014 को निवल अतिरिक्त धनराशि 6.32 करोड़ और दसवीं योजना में 74.53 करोड़ व्यय होंगे, इसमें कोई गिरावट नहीं होगी। इस शुद्ध अतिरिक्त धनराशि का आकलन समग्र आधार पर किया गया। अगर स्कीम की निर्धारित अवधि, पुनर्भुगतान, ऋण का पुनर्निर्धारण, पूर्व भुगतान या ब्याज दर का पुनर्निर्धारण होता है, तो ये अनुमानित धनराशि बदल सकती है। ब्याज सब्सिडी निधि में किसी भी तरह की वृद्धि या गिरावट होने पर संबंधित स्कीम की समाप्ति पर धनराशि को वापस, समायोजित अथवा अधिभार मुक्त कर दिया जाएगा।

(ii) ब्याज सब्सिडी निधि मद के तहत शेष धनराशि को देयता के तौर पर दर्शाया गया है, जो त्वरित एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के तहत ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी की धनराशि है। इसे ऋणकर्ता की भविष्य में होने वाली देयता के विरुद्ध उनको दिया जाता है। इसका ब्यौरा निम्नलिखित है :–

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2014 को	31.03.2013 को
ब्याज सब्सिडी निधि की प्रारंभिक जमा पूंजी (वित्त वर्ष के पहले दिन)	**145.78**	376.21
जोड़– अवधि के दौरान प्राप्ति	–	–
–अवधि के दौरान प्राप्त ब्याज	**10.70**	18.99
–समय से परियोजना न पूरी करने पर ऋणकर्ता द्वारा वापसी	–	–
घटाव– ऋणकर्ताओं को ब्याज पर दी जाने वाली सब्सिडी की एमओपी को वापसी :	**32.61**	49.42
(क) नौवीं योजना में शुद्ध अतिरिक्त अनुमान	–	–
(ख) समय पर परियोजना पूरी न करने पर	–	–
(ग) दसवीं योजना में निवल अतिरिक्त अनुमान	–	200.00
ब्याज सब्सिडी निधि की अंतिम जमा पूंजी	**123.87**	**145.78**

11. कंपनी ने 'द एफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स' के एएस–11 के पैरा 46ए के तहत लंबी अवधि विदेशी मुद्रा संबंधी मामलों पर आने वाले अंतर के परिशोधन की कवायद शुरू कर दी। परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2014 को फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस एकाउंट (एफसीएमआईटीडीए) में 709.21 करोड़ (31 मार्च, 2013 को 477.97 करोड़) हैं। इसे तुलन–पत्र में 'इक्विटी एवं देनदारी' और 'आरक्षित और बचत' मद के तहत दर्शाया गया है।

12. (i) ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिशा–निर्देशों के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना में पुनर्गठित–त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी) के संचालन के लिए कंपनी को नोडल एजेंसी बनाया है। ऊर्जा मंत्रालय ने 8 जुलाई, 2013 को अग्रिम आदेश जारी कर 12वीं और 13वीं योजना में पार्ट–ए परियोजनाओं को तीन से पांच वर्ष की अवधि में पूरा करने की बाबत इस व्यवस्था को जारी रखा।

स्कीम के तहत परियोजना को दो हिस्सों में बांटा गया है। भाग क–इसके तहत ऊर्जा लेखांकन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का आधारभूत डाटा और आईटी पर आधारित उपभोक्ता सुविधा केंद्र विकसित किए जाते हैं। भाग ख–इसके तहत परियोजनाओं का वितरण और सशक्तिकरण किया जाता है। भारत सरकार भाग–क के लिए सौ प्रतिशत ऋण प्रदान करती है और 25% (विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को 90% तक) ऋण भाग–ख की परियोजनाओं को देती है। भाग–ख की परियोजनाओं के लिए शेष धन पीएफसी/आरईसी जैसे वित्तीय संस्थाओं अथवा निजी संसाधनों के माध्यम से जुटाया जा सकता है। आर–एपीडीआरपी के दिशा–निर्देशों के अनुसार भाग–क के तहत दिए जाने वाले ऋण को ब्याज सहित अनुदान में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी तरह आर–एपीडीआरपी के दिशा–निर्देशों के अनुसार भाग–ख की परियोजनाओं के लिए दिए जाने वाले 50 प्रतिशत (विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को 90% तक) ऋण को अनुदान में बदला जा सकता है। कार्यक्रम की अन्य गतिविधियों को भाग ग के तहत शामिल किया गया है।

आर–एपीडीआरपी के तहत समुचित जन उपयोगी कार्यों के लिए कंपनी के माध्यम से ऋण दिया जाता है। भुगतान की गई धनराशि, जिसे आर–एपीडीआरपी के दिशा–निर्देशों के तहत अनुदान में परिवर्तित नहीं किया गया है, उसे ऋणकर्ता भारत सरकार को ब्याज सहित वापस चुकाएंगे।

ब्यौरा निम्न प्रकार है–

(करोड़ रुपए में)

विवरण	ऋणकर्ताओं से वसूली जाने वाली धनराशि और भारत सरकार को देय		आर–एपीडीआरपी निधि		भारत सरकार को देय धनराशि (सावधि जमा पर अर्जित ब्याज)	
	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2012-13
वित वर्ष के पहले दिन प्रारंभिक जमा	**6,694.63**	**5,502.88**	**0.00**	**0.00**	**0.25**	**11.09**
अवधि के दौरान वृद्धि	640.00	1,217.45	640.00	1,217.45	0.00	1.03
वसूली/धन वापसी /अवधि के दौरान बदलाव	(18.78)	(25.70)	(640.00)	(1,217.45)	(0.25)	11.93
अंतिम जमा (अ)	**7,315.85**	**6,694.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.19**
जमा ब्याज, कोई देय नहीं (एफडी पर अर्जित ब्याज) (ब)					0.00	0.06
आर–एपीडीआरपी के तहत ऋण पर ब्याज						
(i) जमा पर देय नहीं						
प्रारंभिक जमा	1,327.94	775.24				
अवधि के दौरान वृद्धि	627.24	552.70				
एकत्रित विलंब ब्याज में ट्रांसफर	(340.43)					
जमा ब्याज देय में ट्रांसफर	(9.66)					
अंतिम जमा	1,605.09	1,327.94				
(ii) प्रोद्भूत एवं देय						
प्रारंभिक जमा	0.00					
अवधि के दौरान वृद्धि	9.66					
भारत सरकार को वसूली एवं वापसी	(5.97)					
अंतिम जमा	3.69					
आर–एपीडीआरपी के तहत ऋण पर ब्याज (स) = (i + ii)	**1,608.78**	**1,327.94**				
एकत्रित विलंब ब्याज						
प्रारंभिक जमा	0.00					
अवधि के दौरान वृद्धि	340.43					
भारत सरकार को वसूली एवं वापसी	(1.51)					
अंतिम शेष (द)	**338.92**					
एकत्रित विलंब ब्याज पर ब्याज						
(i) जमा, लेकिन देय नहीं						
प्रारंभिक जमा	0.00					
अवधि पर वृद्धि	4.48					
जमा ब्याज और देय में ट्रांसफर	(3.06)					
अंतिम जमा	1.42					
(ii) जमा एवं देय						
प्रारंभिक जमा	0.00					
अवधि के दौरान वृद्धि	3.06					
वसूली और भारत सरकार को वापसी	(0.85)					
अंतिम जमा	2.21					
एकत्रित विलंब ब्याज पर ब्याज (ई) = (i + ii)	**3.63**					
अंतिम जमा (अ+ब+स+द+इ)	**9,267.18**	**8,022.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.25**

(ii) 31 मार्च, 2014 को नोडल एजेंसी द्वारा पीएफसी को दिया जाने वाला शुल्क और व्यय की अदायगी की कुल धनराशि इस प्रकार है–

(करोड़ रुपए में)

	31.03.2014 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान	31.03.2013 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान	संचित	
			31.03.2014	31.03.2013
नोडल एजेंसी शुल्क *	18.50	16.52	163.79	145.29
व्यय की अदायगी	(21.81)**	21.81	61.86	83.67
कुल	**(3.31)**	**38.33**	**225.65**	**228.96**

* केवल सेवा कर के लिए

** 2012-13 वित्त वर्ष के लिए उत्क्रमण

(iii) विद्युत मंत्रालय के 20 अगस्त, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/03/2008 एपीडीआरपी के अनुसार कुल प्राप्त की जाने वाली धनराशि नोडल एजेंसी के शुल्क और वास्तविक व्यय की अदायगी–850 करोड़ अथवा 1.7 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iv) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आर–एपीडीआरपी स्कीम के संदर्भ में 20 अगस्त, 2010 को कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/03/2008–एपीडीआरपी के अनुसार 31 मार्च, 2013 तक नोडल एजेंसी की फीस स्वीकृत परियोजना के लिए एक प्रतिशत की दर से तय की गई। यह शुल्क तीन अलग–अलग चरणों में लिया जाता है।

विद्युत मंत्रालय ने 15 जुलाई, 2013 को लिखित पत्र में सूचित किया कि विभाग के व्यय के नियम के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना की आर–एपीडीआरपी स्कीम के लिए नोडल एजेंसी की फीस स्वीकृत परियोजना की लागत का 0.5 प्रतिशत तक सीमित की जाती है।

15 जुलाई, 2013 को लिखित पत्र में ऊर्जा मंत्रालय ने ये भी संकेत दिया कि अगर व्यय विभाग सहमति प्रदान करता है तो नोडल एजेंसी के उच्च शुल्क के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इसी तरह कंपनी ने ऊर्जा मंत्रालय को 22 अगस्त, 2013 को एक लिखित प्रस्ताव दिया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना से आर–एपीडीआरपी स्कीम के तहत प्रोजेक्ट की मंजूरी और उसके तहत वास्तविक व्यय की अदायगी पर नोडल एजेंसी को 0.50 प्रतिशत की दर से शुल्क देने पर विचार किया जाए। यह प्रस्ताव मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए नोडल एजेंसी की फीस और व्यय की अदायगी (एक अप्रैल, 2012 से लागू) को ऊर्जा मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15 जुलाई, 2013 को लिखित रूप से अस्थायी तौर पर अंतिम रूप दे दिया। इसी प्रकार नोडल एजेंसी की शुल्क से होने वाली आय 18.50 करोड़ (वित्त वर्ष 2013–14 में 18.43 करोड़ और वित्त वर्ष 2012–13 में 0.07 करोड़) को मंजूरी दे दी। इसमें आर–एपीडीआरपी पर विनियोज्य व्यय के कारण 42.59 करोड़ राशि का लेखांकन अलग से किया गया है, जिसे भाग क–17–अन्य व्यय के नोट में दर्शाया गया है।

13.1 कंपनी वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि में मानक परिसंपत्तियों को चरणबद्ध रूप से 0.0833% की वार्षिक दर से वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू की गई लेखा संबंधी नीति के अनुसार 31.03.2015 को यह दर 0.25% लाने के लिए प्रावधान तैयार कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 25-07-2013 के पत्र द्वारा सभी नई परिसंपत्तियों के लिए आरंभ से ही 0.25% की दर का प्रावधान करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, कंपनी ने 30.09.2013 को अर्धवार्षिक वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देते हुए चालू वर्ष के दौरान सृजित सभी नई मानक संपत्तियों के लिए 0.25% की दर जुटाने के लिए अपनी लेखा संबंधी नीतियों में परिवर्तन किया है। निदेशक मंडल ने अपनी 27.03.2014 को आयोजित बैठक में मानक संपत्तियों के प्रावधानों में तेजी लाने का निर्णय लिया, ताकि इसकी दर 31 मार्च, 2015 की बजाय 31.03.2014 को ही 0.25% पर लाई जा सके। इसलिए वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया परिसंपत्तियों की 0.25% मानक संपत्तियों के लिए प्रावधान तैयार करने हेतु 31.03.2014 से प्रभावी तिमाही के दौरान लेखा संबंधी नीतियों में दोबारा परिवर्तन किया गया है। 31.03.2014 के अनुसार मानक परिसंपत्ति प्रावधान रुपए 469.42 करोड़ (31.03.2013 के अनुसार रुपए 132.79 करोड़) का है। लेखा संबंधी नीतियों में परिवर्तन के कारण 31.03.2014 को समाप्त वर्ष में लाभ में रुपए 156.47 करोड़ की कमी हुई है।

13.2 कंपनी एक सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, इसलिए यह रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल से संबंधित निर्देशों से मुक्त है। हालांकि कंपनी ने 01.04.2003 से अपने प्रूडेंशियल प्रतिपादित किए हैं, जिन्हें समय-समय संशोधित किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 19-04-2007 के द्वारा कंपनी के प्रूडेंशियल को अपनी प्रारंभिक मंजूरी दी थी और तत्पश्चात बाद के वित्तीय वर्षों के लिए भी इनकी वैधता बढ़ा दी थी। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए लागू प्रूडेंशियल का ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 23.05.2012 के द्वारा अनुमोदन कर दिया था जिसके अनुसार कंपनी पर 31/03/2012 तक लागू प्रूडेंशियल 31.03.2013 तक या अगले आदेशों तक जारी रहेगें।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी अधिसूचना दिनांक 12.12.2006 द्वारा डिपॉजिट लेने वाली और क्रमबद्ध रूप से महत्वपूर्ण सरकारी स्वामित्व की एनबीएफसी को पिछली तिथि से प्रूडेंशियल मानदंडों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अधीन लाने का प्रस्ताव किया था और सरकारी कंपनियों को सरकार के परामर्श से एनबीएफसी के नियमन के विभिन्न तत्वों के अनुपालन के लिए रोड़ मैप जमा करने की सलाह दी थी। तदनुसार, कंपनी समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के अनुसार रोड़ मैप जमा कर रही हैं, जिनके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 तक छूट दी गई थी।

रोड़ मैप और उसके बाद के पत्राचार के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 25.07.2013 द्वारा मानक परिसंपत्तियों के प्रावधान बनाने से संबंधित कुछ विशेष मुद्दों पर सलाह दी थी और सूचित किया था कि परिसंपत्तियों के पुनर्गठन/ पुनर्निर्धारण/ पुनर्विचारविमर्श (आर/ आर/ आर) से संबंधित मामले और क्रेडिट सघनता मानदंड विचाराधीन हैं और आने वाले समय में इन्हें वापस लाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनी को 31.03.2016 तक रिजर्व बैंक के मितव्ययी मानदंडों का अनुपालन करने के लिए कदम उठाने की सलाह दी। कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 07.10.2013 के द्वारा उपरोक्त निर्देशों को लागू करने की अपनी रणनीति के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि (आर/ आर/ आर) परिसंपत्तियों और क्रेडिट सघनता मानदंडों से संबंधित मामलों के बारे में यह जानकारी दी गई कि कंपनी रिजर्व बैंक के अगले निर्देशों तक इन मामलों में अपने लागू मानदंडों का अनुकरण करेगी।

अब रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 3 अप्रैल, 2014 द्वारा तक केंद्र/ राज्य सरकार स्थितियों के विवरण के बारे में क्रेडिट सघनता मानदंडों के संबंध में 31.03.2016 तक छूट दी थी। (आर/ आर/आर) से संबंधित मामले में रिजर्व बैंक ने कंपनी को अपने बैंक के परिपत्र डीएनबीएस.सीओ.पीडी.न. 367/03.10.01/2013-14 दिनांक 23.01.2014 में दिए गए निर्देशों को पालन करने की सलाह दी। इस संबंध में कंपनी ने पत्र दिनांक 25.04.2014 द्वारा रिजर्व बैंक के विचार-विमर्श के लिए (आर/ आर/ आर) परिसंपत्तियों पर रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुपालन को लागू करने की रणनीति प्रस्तुत की है और यह भी उल्लेख किया है कि पीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में अगले आदेश जारी करने तक अपने लागू मितव्ययी मानदंडों में निहित पुनर्गठित प्रावधानों का अनुपालन करेगी। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 15.05.2014 द्वारा रिजर्व बैंक से कंपनी द्वारा प्रेषित कार्यान्वयन रणनीति पर विचार करने का अनुरोध किया। रिजर्व बैंक के उत्तर की प्रतीक्षा है। क्योंकि कंपनी (आर/ आर/ आर) के संबंध में ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित मानदंडों का अनुपालन कर रही है, इसलिए प्रबंधन का यह मत है कि (आर/ आर/ आर) पर रिजर्व बैंक के मानदंड वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कंपनी पर लागू होने योग्य नहीं हैं।

14. रुपए 274.22 करोड़ (31.03.2013 के अनुसार रुपए 219.79 करोड़) की निवल आस्थगित कर देयताओं को आय पर करों के लिए लेखा संबंधी मानक-22 के अनुसार प्रगणित किया गया है।

निवल आस्थगित कर देयताओं का विवरण नीचे दिया गया है: -

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
(क) आस्थगित कर परिसंपत्ति (+)		
(i) आयकर अधिनियम के अधीन कटौती न किए जाने वाले व्यय का प्रावधान	**23.28**	7.82
(ख) आस्थगित कर देयताएं (-)		
(i) मूल्यह्रास	**(1.42)**	(1.04)
(ii) लीज आय	**(79.95)**	(95.00)
(iii) परिशोधन	**(0.83)**	(1.29)
(iv) गैर-परिशोधित विनिमय हानि (निवल)	**(215.30)**	(130.28)
निवल आस्थगित कर देयताएं (-)/ परिसंपत्ति (+)	**(274.22)**	**(219.79)**

15. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आय प्रति शेयर पर जारी लेखा संबंधी मानक 20 के अनुपालन में आय प्रति शेयर की गणना (मूल एवं डाइल्यूटिड) इस प्रकार है :-

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
अंश के रूप में प्रयुक्त कर के बाद शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	**5,417.75**	4,419.60
अंश के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (मूल)	**132,00,31,803**	131,99,82,855
अंश के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (डाइल्यूटिड)	**132,00,39,328**	131,99,90,939
आय प्रति शेयर (मूल और डाइल्यूटिड) (₹)	**41.04**	33.48
अंकित मूल्य प्रति शेयर (₹)	**10**	10

16. कंपनी की सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों के प्रति कोई देयता बकाया नहीं है।

17. लीज भूमि परिशोधन में नहीं है क्योंकि यह लगातार लीज पर है।

18. देयताओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वाली परिसंपत्तियों को आमतौर पर वर्ष के अंत में एसबीआई की टीटी बिक्री दर में बदल दिया गया है: -

क्रम सं.	विनिमय दर	31.03.2014	31.03.2013
1	अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपया	60.49	54.80
2	जापानी येन/भारतीय रुपया	0.5903	0.5847
3	यूरो/भारतीय रुपया	83.48	70.28

ऋण अनुबंध में एसबीआई टीटी बिक्री दर के अलावा कोई विशेष प्रावधान होने के मामले में दर को संबंधित ऋण दर में निर्दिष्ट होने के रूप में लिया गया है।

19.1 कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रुपए 1,000/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 3,87,59,000 तक ओवरसब्सिक्रप्शन रखने के विकल्प सहित 75,00,000 कर मुक्त बॉण्ड (प्रतिभूत) का पब्लिक इश्यू जारी किया था। चालू वित्त वर्ष के दौरान इससे रुपए 3875.90 करोड़ जुटाए गए। 14 नवंबर, 2013 को प्रतिभूति जुटाई गई और 16 नवंबर, 2013 को बॉण्ड आबंटित किए गए। ये बॉण्ड 19 नवंबर, 2013 को बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुए। बॉण्ड इश्यू की कार्रवाई के प्रस्ताव का दस्तावेज में उल्लिखित उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है।

19.2 वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, भारत सरकार ने गोल्ड मैन सेच एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (एएमसी) द्वारा शुरू की गई गोल्ड मैन सेज सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडिड नामक निधि स्थापित की है। तदनुसार, मार्च 2014 में भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय ने विनिवेश विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुए कंपनी रुपए 10/- अंकित मूल्य के 1,21,06,076 इक्विटी शेयर्स का एएमसी को बेचकर विनिवेश किया है। इस विनिवेश के बाद कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में भारत सरकार की होल्डिंग घटकर 72.80% (31.03.2013 के अनुसार 73.72%) हो गई।

20.1 लेखा प्रणाली – 15 के मानकों के अनुसार घोषणा

क. भविष्य निधि

कंपनी, भविष्य निधि के लिए एक अलग ट्रस्ट के जरिए नियत दर से स्थायी सहयोग राशि उपलब्ध कराती है। इस कार्यकाल के लिए कोष में सहयोग निधि को खर्च के रूप में दर्शाया जाता है और इसे लाभ तथा हानि के ब्योरे में रखा जाता है। ट्रस्ट को सुनिश्चित करना होता है कि सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर लाभ दिया जाए। हालांकि, सदस्यों को निर्दिष्ट दर के अनुसार लाभ का भुगतान करने में किसी तरह की कमी की भरपाई कंपनी द्वारा ही की जाएगी। कंपनी का अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता नहीं होगी और इसलिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

ख. ग्रेच्युटी

कंपनी की एक निश्चित ग्रेच्युटी योजना होती है और एक अलग ट्रस्ट इसका प्रबंधन करता है। इसके लिए, कंपनी के कार्मिकों द्वारा सेवाकाल के कुल वर्ष के आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन कर अधिकतम राशि 10 लाख देने का प्रावधान किया गया है।

ग. पेंशन

कंपनी की एक निश्चित भागीदारी पेंशन योजना है, जो सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देशों के आधार पर होती है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। हर महीने नियोक्ता का हिस्सा कोश में जमा कराया जाता है। कॉर्पोरेशन के कार्मिक को योजना के अनुसार पेंशन दी जाती है।

घ. सेवा निवृत्ति के बाद स्वास्थ्य योजना (पीआरएमएस)

कंपनी की सेवा निवृत्ति के बाद स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवा निवृत्त कार्मिक और उस पर निर्भर उसके परिवार के सदस्यों के लिए सूची में सम्मिलित अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। वे, बहिरंग रोगियों के इलाज पर खर्च रकम कंपनी द्वारा निर्धारित निश्चित राशि से पा सकते हैं।

ङ. सेवा निवृत्ति लाभ

सेवा निवृत्ति लाभ में कार्मिक और उसके परिवार के लिए गृह नगर में बसना शामिल है।

च. अवकाश

कंपनी, कार्मिकों को अर्जित अवकाश और अर्ध–वेतन छुट्टी का लाभ देती है, जो छह महीने के आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन पर जमा की जाती हैं। सेवाकाल के दौरान किसी भी समय अधिकतम तीन सौ दिनों का अर्जित अवकाश जमा किया जा सकता है। अर्ध–वेतन छुट्टी इकट्ठा करने की कोई सीमा नहीं होती है। सेवाकाल के दौरान अर्जित अवकाश के बदले नकदी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इस दौरान अर्ध–वेतन छुट्टी के बदले या 10 वर्ष के पहले कंपनी से अलग होने/सेवा निवृत्ति पर नकदी प्राप्त की जा सकती। 10 वर्ष के सेवाकाल के बाद कंपनी से अलग होने या सेवा निवृत्ति पर अर्जित अवकाश और अर्ध–वेतन छुट्टी दोनों के बदले अधिकतम तीन सौ दिनों के लिए प्राप्त की जा सकती है।

ऊपर बताई गई योजनाएं (घ, ङ और च) अनिधिक हैं और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इन्हें मान्यता दी गई है।

लाभ और हानि, तुलन–पत्र के ब्यौरे में शामिल किए गए विभिन्न स्वीकार्य लाभों की संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है।
(कोष्ठक ( ) में दिए गए आंकड़े 31.03.2013 के हैं)

i) लाभ और हानि के ब्यौरे में बताए गए खर्च

(रुपए करोड़ में)

	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
वर्तमान सेवा मूल्य	1.35 (1.18)	0.45 (0.36)	1.89 (1.89)
लाभ देयता पर ब्याज लागत	1.29 (1.12)	0.76 (0.67)	1.63 (1.42)
नियोजित परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	-1.28 (-1.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
वर्ष में मान्य कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	-0.50 (0.40)	1.54 (0.46)	2.65 (2.37)
लाभ और हानि के खाते में मान्य खर्च	*0.86 (1.48)	*2.75 (1.49)	6.17 (5.68)

(*) 0.07 करोड़ (31.3.2013 को 0.13 करोड़), 0.58 करोड़ (31.3.2013 को 0.58 करोड़) और 0.11 करोड़ (31.3.2013 को 0.04 करोड़) क्रमशः ग्रेच्युटी, अवकाश और पीआरएमएस के लिए सहायक कंपनियों को दी गई राशि के रूप में शामिल हैं।

ii) तुलन–पत्र में मान्य राशि

(रुपए करोड़ में)

	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
31.3.2014 को देयता का वर्तमान मूल्य (i)	17.98 (16.16)	11.75 (9.50)	20.66 (20.39)
31.03.2014 को नियोजित परिसंपत्तियों का न्यायसंगत मूल्य (ii)	17.12 (14.67)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
अंतर (II) (I)	-0.86 (-1.48)	-11.75 (-9.50)	-20.66 (-20.39)
तुलन पत्र में मान्य कुल परिसंपत्ति/(देनदारी)	-0.86 (-1.48)	-11.75 (-9.50)	-20.66 (-20.39)

iii) मान्य देयता लाभ के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रुपए करोड़ में)

	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
01.04.2013 को देयता का वर्तमान मूल्य	16.16 (14.03)	9.50 (8.33)	20.39 (17.74)
ब्याज लागत	1.29 (1.12)	0.76 (0.67)	1.63 (1.42)
सेवा लागत	1.35 (1.18)	0.45 (0.36)	1.89 (1.89)
लाभों का भुगतान	-0.51 (-0.62)	-0.50 (-0.32)	-5.90 (-3.03)
देयता पर कुल बीमांकित (लाभ)/हानि	-0.31 (0.45)	1.54 (0.46)	2.65 (2.37)
31.03.2014 को मान्य देयता लाभ का वर्तमान मूल्य	17.98 (16.16)	11.75 (9.50)	20.66 (20.39)

iv) नियोजित परिसंपत्ति के न्यायसंगत मूल्य में परिवर्तन (रुपए करोड़ में)

	ग्रेच्युटी	पीएमआरएस	अवकाश
1.04.2013 को नियोजित परिसंपत्ति का न्यायसंगत मूल्य	14.67 (14.03)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
नियोजित परिसंपत्ति पर संभावित लाभ	1.28 (1.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
नियोक्ता द्वारा योगदान	1.48 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
लाभों का भुगतान	-0.51 (-0.62)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
बीमांकित लाभ/(हानि)	0.20 (0.04)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
31.03.2014 को नियोजित परिसंपत्ति का न्यायसंगत मूल्य	17.12 (14.67)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

v) महंगाई दर में एक प्रतिशत बढ़ोत्तरी/कमी का असर पीआरएमएस की स्वास्थ्य लागत के लिए देयता पर निम्न प्रकार से पड़ेगा :–

1% से लागत वृद्धि रुपए 1.72 करोड़

1% से लागत में कमी रुपए-1.79 करोड़

vi) वर्ष के दौरान, कंपनी ने ग्रेच्युटी ट्रस्ट के लिए 0.86 करोड़ रुपए, पीआरएमएस के लिए 2.75 करोड़ रुपए अवकाश पर 6.17 करोड़ रुपए और पेंशन के लिए शून्य करोड़ रुपए की देयता उपलब्ध कराई (31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान ग्रेच्यूटी ट्रस्ट में 1.48 करोड़, पीआरएमएस में 1.62 करोड़, अवकाश के लिए 6.04 करोड़ और पेंशन की ग्रेच्युटी ट्रस्ट के लिए 0.69 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। उपर्युक्त राशि में सहायक कंपनियों को आबंटित रुपए 0.07 करोड़ (31.03.2013 को 0.13 करोड़), रुपए 0.58 करोड़ (31.03.2013 को 0.58 करोड़) और रुपए 0.11 करोड़ (31.03.2013 को 0.04 करोड) की राशि क्रमशः ग्रेच्युटी, अवकाश और पीएमआरएस के लिए शामिल है।

छ. अन्य कार्मिक लाभः–

वर्ष समाप्ति पर लाभ और हानि के ब्यौरे के बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान, कार्मिकों के आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम के लिए 0.05 करोड़ रुपए (31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 0.08 करोड़) और कार्मिकों के दीर्घावधि सेवा पुरस्कार पुरस्कार के लिए 0.74 करोड़ रुपए (31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 0.37 करोड़) का प्रावधान रखा गया।

ज. नियोजित परिसंपत्ति की विस्तृत जानकारी :– ग्रेच्युटी

31.03.2014 को नियोजित परिसंपत्ति की विस्तृत जानकारी निम्न है :–

(करोड़ रुपए में)

क्र.स.	विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
i)	सरकारी सुरक्षा	9.69	8.53
ii)	कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां /ऋण पत्र	6.82	5.61
	कुल	16.51	14.14

बीमांकित पूर्वानुमान

बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रयोग में लाए गए प्रमुख पूर्वानुमान है :–

उपयोग में लाई गई विधि	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट
रियायत दर	8.50%
परिसंपत्ति पर संभावित दर पर लाभ – ग्रेच्युटी	8.70%
भविष्य में वेतन बढ़ोत्तरी	6.50%

बीमांकित मूल्यांकन में आगामी वेतन वृद्धि के अनुमान के लिए महंगाई, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में मांग और आपूर्ति जैसे अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखा गया।

20.2 लेखा मानक– 29 में आवश्यक प्रावधान का ब्यौरा (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च, 2013 तक के हैं।) इस प्रकार हैं–

(करोड़ रुपए में)

प्रावधान	प्रारंभिक जमा (वित्त वर्ष में पहली अप्रैल को) (1)	वर्ष के दौरान वृद्धि (2)	प्रदत्त/वर्ष के दौरान समायोजित (3)	अंतिम जमा 4 = (1+2-3)
सेवानिवृत्ति के पश्चात मेडिकल स्कीम	9.50 (8.33)	2.75 (1.62)	0.50 (0.45)	11.75 (9.50)
ग्रेच्युटी	1.48 (0.64)	0.86 (1.48)	1.48 (0.64)	0.86 (1.48)
सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभ के लिए प्रावधान(पेंशन)	0.15 (6.60)	0.00 (0.69)	0.08 (7.14)	0.07 (0.15)
अवकाश भुगतान	20.39 (17.74)	6.17 (6.04)	5.90 (3.39)	20.66 (20.39)
कार्मिकों के लिए आर्थिक पुनर्वास योजना	1.31 (1.24)	-0.05 (0.08)	0.02 (0.01)	1.24 (1.31)

(करोड़ रुपए में)

प्रावधान	प्रारंभिक जमा (वित्त वर्ष में पहली अप्रैल को) (1)	वर्ष के दौरान वृद्धि (2)	प्रदत्त /वर्ष के दौरान समायोजित (3)	अंतिम जमा 4 = (1+2-3)
बोनस /इंसेंटिव /मुआवजा	27.00 (26.32)	10.41 (19.50)	19.19 (18.82)	18.22 (27.00)
सामान भत्ता	0.08 (0.07)	0.01 (0.01)	0.00 (0.00)	0.09 (0.08)
सेवा पुरस्कार	3.71 (3.33)	0.74 (0.38)	0.41 (0.00)	4.04 (3.71)
आय कर	3,419.83 (2,000.83)	2,081.03 (1,547.63)	870.42 (128.63)	4,630.44 (3,419.83)
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	132.00 (132.00)	26.40 (132.00)	132.00 (132.00)	26.40 (132.00)
प्रस्तावित कॉर्पोरेट लाभांश कर	22.43 (21.41)	4.49 (22.43)	22.43 (21.41)	4.49 (22.43)

21. कंपनी ने भारी उद्योग एवं सरकारी उद्यम मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के आधार पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निर्बाध विकास (सीएसआर एंड एसडी) नीति बनाई है। कंपनी ने अक्तूबर, 2013 में सीएसआर नीति को मंजूरी दी, इसके अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष की कर अदायगी के बाद होने वाले कुल लाभ का एक प्रतिशत प्रत्येक वित्त वर्ष सीएसआर और एसडी गतिविधियों के लिए आबंटित किया जाएगा। एक निश्चित वर्ष के लिए आबंटित धनराशि अगर सीएसआर और एसडी गतिविधियों पर नहीं व्यय हो पाती, तो उसे आगामी दो वित्त वर्षों के अंदर व्यय करना होगा और अगर यह धनराशि इस दौरान व्यय नहीं हो पाई, तो उसे अलग से बनाए गए निर्बाध विकास निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

जैसा कि सीएसआर और एसडी गतिविधियों के लिए आबंटित धनराशि को निर्धारित समय के अंदर खर्च करने की बाध्यता है, एएस 29 के अनुपालन में चालू वित्त वर्ष में सीएसआर और एसडी गतिविधियों के लिए 31 मार्च, 2013 को आरक्षित धनराशि 18.85 करोड़ थी। सीएसआर और एसडी गतिविधियों पर व्यय धनराशि को समायोजित करने के बाद 31 जुलाई, 2014 को 32.33 करोड़ रुपए शेष थे।

22. (i) कंपनी ने 31 दिसंबर, 2013 तक बकाया धनराशि की पुष्टि के लिए कर्जदारों को पत्र भेजे, जिनके उत्तर सभी कर्जदारों से प्राप्त किए जा चुके हैं।

(ii) पिछले सात वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2014 तक कोई भी भुगतान/बॉण्ड्स/ बॉण्ड्स पर ब्याज और लाभांश शेष नहीं है। हालांकि दावेदारों की ट्रांसफर औपचारिकताओं में विलंब के चलते 0.56 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष में 0.56 करोड़) की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

23. कंपनी की पूंजी निधि, जोखिम भारित परिसंपत्तियां और पूंजी जोखिम समायोजित अनुपात (सीआरएआर) निम्नलिखित हैं–

	मद	31.03.2014 वित्त वर्ष 2013–14	31.03.2013 वित्त वर्ष 2012–13
i)	पूंजी निधि –ए टियर एक(करोड़ में)	25,641.72	22,163.36
	–बी टियर दो (करोड़ में)	5,751.93	1,541.80
ii)	जोखिम भारित परिसंपत्तियां (करोड़ में)	1,56,154.40	1,34,412.85
iii)	सीआरएआर	20.10%	17.64%
iv)	सीआरएआर–टियर एक पूंजी	16.42%	16.49%
v)	सीआरएआर–टियर दो पूंजी	3.68%	1.15%

24. 31 मार्च, 2014 तक कंपनी ने रियल एस्टेट सेक्टर में कोई कार्य नहीं किया।

25. सेगमेंट रिर्पोटिंग पर लेखा मानक 17 में कंपनी के पास मात्र एक रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट है।

26. जब भी ऐसा करना व्यावहारिक हुआ तो पूर्व के आंकड़ों को पुनर्व्यवस्थित और युक्तिसंगत बनाया गया।

27. आंकड़ों को दो दशमलव के निकटतम करोड़ पर राउंड ऑफ किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	**हस्ता./–**	**हस्ता./–**
(मनोहर बलवानी)	**(आर. नागराजन)**	**(एम.के.गोयल)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	निदेशक (वाणिज्यिक) और अध्यक्ष एवं
	डीआईएन–00701892	प्रबंध निदेशक
		डीआईएन–00239813

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

एन.के. भार्गव एंड कंपनी	के.बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000429एन	फर्म पंजीकरण संख्या.000862एन
हस्ता./–	**हस्ता./–**
(एन.के.भार्गव)	**(वी.के.गुरेजा)**
भागीदार	भागीदार
सदस्यता संख्या. 080624	**सदस्यता संख्या. 016521**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27.05.2014

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रु. करोड़ में)

	विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	
I.	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**				
	कर पूर्व निवल लाभ एवं असाधारण मदें	**7,558.31**		**5,967.04**	
	जोड़े : निम्नांकित हेतु समायोजन				
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि (निवल)	**0.08**		0.03	
	मूल्यह्रास/परिशोधन	**4.93**		5.70	
	जीरो कूपन बॉण्ड का परिशोधन	**102.74**		135.98	
	विदेशी मुद्रा विनियम हानि	**414.06**		163.76	
	निवेश के मूल्य में कमी	**(0.15)**		0.00	
	आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	**469.89**		80.85	
	लाभांश/ब्याज और निवेश की बिक्री पर लाभ	**(2.14)**		(8.29)	
	सीएसआर व्यय और स्थायी व्यय के लिए प्रावधान	**63.23**		16.30	
	आयकर अधिनियम के अंतर्गत ब्याज के लिए प्रावधान	**5.22**		4.07	
	सेवानिवृत्ति लाभ/अन्य कल्याणकारी व्ययों/मजदूरी संशोधन के लिए प्रावधान	**9.73**		11.63	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालनगत लाभ :	**8,625.90**		**6,377.07**	
	बढ़ोतरी/कमी :				
	संवितरित ऋण (निवल)	**(28,935.10)**		(30,256.10)	
	अन्य चालू परिसंपत्तियां	**(661.80)**		(1,138.20)	
	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण अंतर खाता	**(231.24)**		37.44	
	देयताएं एवं प्रावधान	**989.44**		1,438.89	
	असाधारण मदों से पूर्व नकदी प्रवाह	**(20,212.80)**		**(23,540.90)**	
	असाधारण मदें	**0.00**		0.00	
	कर पूर्व, प्रचालन से नकदी आवक/जावक	**(20,212.80)**		**(23,540.90)**	
	प्रदत्त आय कर	**(2,015.57)**		(1,554.02)	
	आय कर रिफंड	**57.96**		5.56	
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**(22,170.41)**		**(25,089.36)**
II.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**				
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री/कमी – समायोजन	**0.17**		0.05	
	अचल परिसंपत्तियों की खरीद	**(1.47)**		(4.13)	
	चालू कार्य पूंजी में बढ़ोतरी/कमी	**0.00**		0.45	
	सहायक कंपनियों में निवेश	**(190.11)**		(105.05)	
	लाभांश/ब्याज और निवेश की बिक्री पर लाभ	**2.14**		8.29	
	अन्य निवेश	**(0.42)**		7.22	
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		**(189.69)**		**(93.17)**
III.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**				
	इक्विटी शेयरों का निर्गम	**0.44**		1.60	
	बॉण्डों का निर्गम (प्रीमियम सहित)	**28,575.45**		31,142.02	
	बॉण्डों का मोचन	**(7,431.91)**		(9,753.90)	
	दीर्घावधि ऋणों की उगाही	**14,464.00**		1,700.00	
	दीर्घावधि ऋणों का पुनर्भुगतान	**(8,999.00)**		(1,239.50)	
	विदेशी मुद्रा ऋण (निवल)	**67.27**		2,653.46	
	वाणिज्यिक पेपर (निवल)	**(3,650.00)**		5,000.00	
	सावधि जमाओं के बदले लिए गए ऋण/कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ओडी/सीसी/ऋण व्यवस्था (निवल)	**(3,819.77)**		(251.43)	
	ब्याज सब्सिडी निधि	**(21.91)**		(230.43)	
	अदावाकृत बॉण्ड (निवल)	**(0.17)**		(0.56)	
	पिछले वर्ष के अंतरिम लाभांश का भुगतान (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित)	**(154.43)**		(153.41)	

चालू वर्ष के अंतरिम लाभांश का भुगतान (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित)		(1,359.05)		(920.49)
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह			17,670.92		27,947.36
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि/कमी			(4,689.18)		2,764.83
जोड़े : वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य			4,747.82		1,982.99
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य			**58.64**		**4,747.82**
अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य का विवरण:					
हस्तगत चैक, डाक प्राधिकारियों के पास अग्रदाय तथा बैंकों में शेष			**58.64**		168.24
अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा			**0.00**		4,579.58
			58.64		**4,747.82**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(मनोहर बलराम)
कंपनी सचिव

हस्ता./–
आर नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 00701892

हस्ता./–
(एम.के.गोयल)
निदेशक (वाणिज्यिक) और
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00239813

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एन के मार्गव एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या: 000429N

हस्ता./–
(एन.के. भार्गव)
भागीदार
सदस्य संख्या - 080624

के.बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या: 000862N

हस्ता./–
(वी.के.गुरेजा)
भागीदार
सदस्य संख्या - 016521

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2014

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

वित्तीय विवरणों के बारे में रिपोर्ट

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2014 के अनुसार तुलन–पत्र और समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व :

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है ताकि उनसे कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उपधारा (3 सी) के संदर्भ में लेखा मानकों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और उसके नकदी प्रवाह की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जा सके। इस दायित्व के अंतर्गत वित्तीय विवरणों को तैयार करना और उनके प्रस्तुतीकरण के संबंध में विभागीय नियंत्रण की रूप–रेखा तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और रख–रखाव शामिल है ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति का ऐसा सही–सही और उचित स्वरूप प्रकट किया जा सके, जो किसी महत्वपूर्ण मिथ्या कथन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, से मुक्त हो।

लेखा–परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखा–परीक्षा के आधार पर राय जाहिर करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानदंडों के अनुसार अपनी लेखा–परीक्षा की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा–परीक्षा की योजना इस तरह बनाएं और कार्यान्वित करें कि लेखा–परीक्षा के आधार पर इस बात का तर्कसंगत आश्वासन मिल सके कि ये वित्तीय विवरण किसी महत्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

किसी भी लेखा–परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणपत्रों की जांच का कार्य भी शामिल है। चुनी जाने वाली प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की मिथ्या कथन, जो चाहे धोखा–धड़ी या त्रुटि के कारण हुई हों, के जोखिम मूल्यांकन सहित, लेखा–परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। लेखा–परीक्षक परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा–परीक्षा प्रक्रियाएं तय करने के लिए आंतरिक नियंत्रण संबंधी कंपनी की तैयारी और वित्तीय विवरणों के निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण पर विचार करता है। लेखा परीक्षण में प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ–साथ प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखा–परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध करवाती है।

हमारी राय :

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निम्नांकित के बारे में एक सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं :

क) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2014 को कंपनी की स्थिति का;

ख) लाभ एवं हानि लेख के मामले में उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का, और

ग) नकदी प्रवाह के मामले में उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह का।

महत्त्वपूर्ण विचारणीय विषय

अपनी राय को सीमित संशोधित किए बिना, हम भाग–ग अन्य लेखा टिप्पणियों के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 13.2 की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। यह टिप्पणी वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान (आर/आर/आर) यानी पुनर्गठन/पुनः समय निर्धारण/पुनः मोलभाव के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रूडेंशियल मानदंडों की प्रयोजनीयता से संबंधित है।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं के बारे में रिपोर्ट :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4ए) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथा संशोधित) की अपेक्षानुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ (4) और (5) में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :–

क) हमने ऐसी समस्त जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त किए, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा–परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;

ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा–परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।

ग) इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप है।

घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता, और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में वर्णित लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

ङ) 31 मार्च, 2014 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों और निदेशक मंडल द्वारा लिखित रूप में दी गई सूचना के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खंड (जी) के संदर्भ में कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2014 को निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।

कृते एन. के. भार्गव एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या–000429एन

हस्ता./–
एन.के. भार्गव
भागीदार
सदस्य संख्या–080624

कृते के बी चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या–000862एन

हस्ता./–
वी के गुरेजा
भागीदार
सदस्य संख्या–016521

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2014

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक
(अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं के बारे में रिपोर्ट के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित अनुसार)

1. (क) कंपनी ने समुचित रिकॉर्डों का रखरखाव किया है, जिनमें उपलब्ध सूचना के आधार पर पूरे विवरण तथा स्थायी परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति को दर्शाया गया है।

   (ख) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष की समाप्ति पर स्थायी परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन चरणबद्ध ढंग से करता है। हमारी राय में, वास्तविक सत्यापन की आवृत्ति कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों के स्वरूप को देखते हुए युक्तिसंगत है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वास्तविक सत्यापन के दौरान प्रबंधन को कोई महत्वपूर्ण विसंगति नज़र नहीं आयी।

   (ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों के किसी विशेष भाग का विक्रय नहीं किया है और कंपनी में उपलब्ध परिसंपत्तियों की स्थिति प्रभावित नहीं हुई है।

2. कंपनी का मुख्य उद्देश्य विद्युत क्षेत्र के लिए वित्त उपलब्ध कराना है तथा कंपनी, वस्तुओं और किसी प्रकार के सामान के क्रय/विक्रय में संलग्न नहीं हैं, अतः कंपनी (लेखा–परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैराग्राफ 4 का खंड (ii) कंपनी पर लागू नहीं होता।

3. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण न तो लिया है और न ही उन्हें दिया है। तदनुसार, कंपनी (लेखा–परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(iii) (ए)(बी)(सी) और (डी) कंपनी पर लागू नहीं होते।

4. कंपनी के कारोबार के स्वरूप को देखते हुए और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारे द्वारा की गई संवीक्षा के आधार पर और हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट है कि कंपनी की गतिविधियों में माल सूची का क्रय और सामान का विक्रय शामिल नही है। हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी में स्थायी परिसंपत्तियों के क्रय के संबंध में और कंपनी के आकार और उसके कारोबार के स्वरूप के अनुसार, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया है। हमारी लेखा–परीक्षा के दौरान, हमें स्थायी परिसंपत्तियों के क्रय के संबंध में आंतरिक नियंत्रण में किसी बड़ी त्रुटि को दूर करने में कोई निरंतर विफलता दिखाई नहीं दी है।

5. हमारे द्वारा प्रयोग की गई लेखा–परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय है कि वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता हो।

6. कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

7. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है, जो कंपनी के आकार और उसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप है।

8. कंपनी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है इसलिए इस पर लागत रिकॉर्डों के रख रखाव के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन प्रावधान लागू नहीं होते।

9. कंपनी द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर, सांविधिक बकाया के संबंध में हमारी रिपोर्ट है कि :

   (क) कंपनी यथोचित प्राधिकरणों को अविवादास्पद सांविधिक बकाया जिसमें उस पर लागू भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, धन कर आदि शामिल है, आमतौर पर नियमित रूप से जमा करती रही है और कंपनी के लेखों के अनुसार, उपर्युक्त बकाया के संबंध में ऐसी कोई विवादास्पद राशि देय नहीं है जो 31 मार्च, 2014 को 6 माह से अधिक की अवधि से बकाया हो।

   (ख) कंपनी के रिकॉर्डों के अनुसार आयकर/धनकर/सेवाकर आदि के संबंध में कंपनी के लेखों के अनुसार, ऐसी कोई राशि बकाया नहीं है जो कंपनी ने किसी विवाद के कारण जमा न की हो।

10. 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अंत में कंपनी की कोई संचित हानियां नहीं हैं और न ही उसे हमारी लेखा–परीक्षा के अंतर्गत शामिल वित्त वर्ष में या उससे ठीक पूर्व के वित्त वर्ष में कोई नकद हानियां हुई हैं।

11. हमारी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या डिबेंचर धारकों को बकाया राशि चुकाने में कोई चूक नहीं की है।

12. कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं किए हैं। किंतु, कुछ मामलों में कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्राप्त किया है और विधिवत रूप से गिरवी रखा है। कंपनी ने इन संपार्श्विक प्रतिभूति को प्रलेखित करने के लिए प्रतिभूति न्यासी/एजेंट की व्यवस्था की है और समुचित रिकॉर्ड रखने का प्रबंध किया है।

13. कंपनी न तो चिटफंड कंपनी है और न ही निधि/म्युचुअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी है, इसलिए आदेश के खंड 4 (xiii) की अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

14. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों और डिबेंचरों में कोई व्यापार या कारोबार नहीं कर रही है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारा कहना है कि कंपनी द्वारा सभी निवेश अपने नाम से धारित किए गए हैं।

15. कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से दूसरों के द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में गारंटियां दी हैं। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि दी गई गारंटियों की शर्तें प्रथम दृष्ट्या में कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

16. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी द्वारा लिए गए सावधि ऋणों का उपयोग आमतौर पर उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जिस प्रयोजन के लिए वे लिए गए थे।

17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के तुलन–पत्र की पूरी जांच करने के बाद, हमारी यह राय है कि कंपनी ने अल्पावधि आधार पर ली गई किसी भी निधि का उपयोग दीर्घावधि निवेश में नहीं किया है।

18. कंपनी के रिकॉर्डों के अनुसार और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल पार्टियों एवं कंपनियों को अधिमानी शेयरों का आबंटन नहीं किया है। इसलिए कंपनी (लेखा–परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 का खंड 4 (xviii) कंपनी पर लागू नहीं होता।

19. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा निर्गमित प्रतिभूत बॉण्डों के लिए प्रतिभूति/प्रभार सृजित किया गया है।

20. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने करमुक्त बॉण्डों (ट्रांशे–I) के सार्वजनिक निर्गम से उगाही गई धनराशि के अंतिम उपयोग का प्रकटीकरण किया है तथा उसे सत्यापित किए जाने के बाद सही पाया गया है।

21. हमारी पूर्ण जानकारी और लेखा–परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने अथवा कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी किए जाने की कोई सूचना या रिपोर्ट नहीं मिली है।

कृते एन. के. मार्गव एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या–000429एन

हस्ता./–
एन.के. मार्गव
भागीदार
सदस्य संख्या–080624

कृते के बी चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या–000862एन

हस्ता./–
वी के गुरेजा
भागीदार
सदस्य संख्या–016521

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2014

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड,
ऊर्जानिधि, 1, बाराखंभा लेन,
कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली–110001

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी "गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2008" की अपेक्षानुसार, उक्त निर्देश के पैरा 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामले, कुछ सीमा तक कॉर्पोरेशन पर लागू हैं तथा हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. कंपनी, गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार में लगी हुई है तथा उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 10.02.1998 को पूर्व में जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 14.00004 के बदले में दिनांक 28.07.2010 का प्रमाण पत्र संख्या बी 14.00004 है।

2. दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना संख्या 134 से 140 के द्वारा एनबीएफसी विनियमों में किए गए संशोधनों के अनुसार, सरकारी कंपनियों को लिक्विड परिसंपत्तियों एवं रिजर्व निधियों के सृजन एवं सार्वजनिक जमा स्वीकार करने के लिए आरबीआई अधिनियम के प्रावधानों तथा प्रूडेंशियल मानदंडों से संबंधित निर्देशों की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की गई है। आरबीआई के दिनांक 01 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र संख्या 145 के गैर–बैंकिंग वित्तीय (गैर–जमा स्वीकार्य या होल्डिंग) कंपनी प्रूडेंशियल मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश 2007 द्वारा छूट को अधिसूचित किया गया था।

3. कंपनी द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया गया है।

4. 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए, कॉर्पोरेशन द्वारा लेखांकन मानकों, आय गत मन्यता, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान तथा ऋण मानदंडों के लिए कंपनी द्वारा तैयार एवं विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रूडेंशियल मानदंडों का पालन किया गया है, जिनका महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में संदर्भ/वर्णन है।

कृते एन. के. भार्गव एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या–000429एन

हस्ता./–
एन.के. भार्गव
भागीदार
सदस्य संख्या–080624

कृते के बी चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या–000862एन

हस्ता./–
वी के गुरेजा
भागीदार
सदस्य संख्या–016521

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुरूप में 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक उनकी प्रोफेशनल संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा विहित स्वंतत्र के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। 27 मई, 2014 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा उन्होंने यह कार्य समाप्त कर दिया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के आधार पत्र देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखा रिकॉर्डों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके लिए कंपनी अधिनियम की धारा 619(4) के अधीन सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर कोई पूरक टिप्पणी करना अपेक्षित हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए
और उनकी ओर से

हस्ता./–
(तनुजा एस. मित्तल)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 जून, 2014

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च, 2014 को समेकित तुलन–पत्र

(रु. करोड़ में)

	विवरण	टिप्पणी भाग–क		31.03.2014 को		31.03.2013 को
क	**इक्विटी और देयताएं**					
	(1) शेयरधारकों की निधि					
	(क) शेयर पूंजी	1	1,320.04		1,320.02	
	(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	26,202.23	27,522.27	22,359.70	23,679.72
	(2) गैर–चालू देयताएं					
	(क) दीर्घावधि ऋण	3				
	प्रतिभूत		22,776.66		6,636.67	
	अप्रतिभूत		1,19,714.91	1,42,491.57	1,14,514.19	1,21,150.86
	(ख) स्थगित कर देयताएं (निवल) (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 16 – समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां)			273.00		218.63
	(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	4		347.62		539.81
	(घ) दीर्घावधि प्रावधान	5		473.19		162.35
	(3) चालू देयताएं					
	(क) दीर्घावधि ऋण (अप्रतिभूत) की चालू परिपक्वता	3	15,409.00		9,612.08	
	(ख) अल्पावधि ऋण	3				
	प्रतिभूत		0.24		860.55	
	अप्रतिभूत		1,314.49		7,849.42	
	(ग) व्यापार देयताएं		2.54		2.69	
	(घ) अन्य चालू देयताएं	4	6,266.05		5,067.75	
	(ङ) अल्पावधि प्रावधान	5	219.74	23,212.06	195.50	23,587.99
	कुल			1,94,319.71		1,69,339.36
ख.	**परिसंपत्तियां**					
	(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां					
	(क) अचल परिसंपत्तियां	6				
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां		104.00		102.40	
	घटाएं : संचित मूल्य ह्रास		34.85	69.15	31.24	71.16
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		7.80		7.89	
	घटाएं : संचित परिशोधन		5.35	2.45	4.10	3.79
	(iii) पूंजी कार्य प्रगति पर			0.66		0.00
	(ख) गैर–चालू निवेश	7				
	व्यापार		12.00		12.00	
	अन्य		11.60	23.60	11.03	23.03
	(ग) दीर्घावधि ऋण	8				
	प्रतिभूत		1,33,839.83		1,07,157.80	
	अप्रतिभूत		34,976.36	1,68,816.19	35,366.37	1,42,524.17
	(घ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां					
	(i) अनुसूचित बैंकों में नियतकालिक जमा (मूल परिपक्वता 12 महीने से अधिक)	11	27.36		22.85	
	(ii) अन्य	9	210.62	237.98	376.80	399.65
	(2) चालू परिसंपत्तियां					
	(क) चालू निवेश	10	3.83		3.83	
	(ख) व्यापार प्राप्तियां					
	छह महीने से अधिक		1.11		2.25	
	अन्य		5.93		4.12	
	(ग) नकदी एवं बैंक शेष	11	459.44		4,957.48	
	(घ) दीर्घावधि ऋणों की चालू परिपक्वता	8				
	प्रतिभूत		15,114.80		12,318.01	
	अप्रतिभूत		2,928.95		3,137.84	
	(ङ) अल्पावधि ऋण	8				
	प्रतिभूत		912.98		1,000.00	
	अप्रतिभूत		1,483.20		1,416.11	
	(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	9	4,259.44	25,169.68	3,477.92	26,317.56
	कुल			1,94,319.71		1,69,339.36

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां भाग ख
समेकित अन्य लेखा टिप्पणियां भाग ग
भाग क से भाग ग तक टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग हैं

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	**हस्ता./–**	**हस्ता./–**
मनोहर बलवानी	**आर. नागराजन**	**एम. के. गोयल**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	निदेशक (वाणिज्यिक) और
	डीआईएन - 00701892	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
		डीआईएन - 00239813

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

हस्ता./–	**हस्ता./–**
कृते एन के भार्गव एंड कंपनी	कृते के बी चांदना एंड कंपनी
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 000429N	एफआर संख्या: 000862N
(एन के भार्गव)	**(वी के गुरेजा)**
भागीदार	भागीदार
सदस्य संख्या–080624	**सदस्य संख्या–016521**

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 27.05.2014

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता

(रु. करोड़ में)

विवरण		टिप्पणी सं	31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	
I.	**प्रचालन से राजस्व**					
	(क) ब्याज आय	12	**20,980.45**		16,922.90	
	(ख) अन्य प्रचालन आय	12	**634.08**		388.52	
II.	**अन्य आय**					
	अन्य आय	13	**14.69**		6.00	
III.	**कुल (I+II)**		**21,629.22**		**17,317.42**	
IV.	**व्यय**					
	ब्याज, वित्त एवं अन्य प्रभार	14	**13,207.09**		10,995.46	
	बॉण्ड इश्यू व्यय	15	**79.09**		97.33	
	कार्मिक लाभ व्यय	16	**91.01**		90.82	
	आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान		**470.22**		80.85	
	निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		**(0.15)**		(0.003)	
	मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	6	**5.23**		5.96	
	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायी विकास व्यय		**63.23**		16.30	
	अन्य व्यय	17	**89.31**		46.10	
	पूर्व अवधि मदें (निवल)	18	**(0.23)**		(8.92)	
	कुल व्यय		**14,004.80**		**11,323.90**	
V.	**विशिष्ट और असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**7,624.42**		**5,993.52**	
VI.	**विशिष्ट मदें**		**0.00**		0.00	
VII.	**असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**7,624.42**		**5,993.52**	
VIII.	**असाधारण मदें**		**0.00**		0.00	
IX.	**कर पूर्व लाभ (VII-VIII)**		**7,624.42**		**5,993.52**	
X.	**कर व्यय**					
	(1) चालू कर					
	चालू वर्ष के लिए		2098.03		1,551.98	
	पिछले वर्षों के लिए		10.18	**2,108.21**	(128.08)	**1,423.90**
	(2) स्थगित कर देयता (+)/आस्ति (–)			**54.37**		**131.88**
XI.	**सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (हानि) (IX-X)**			**5,461.84**		**4,437.74**
XII.	**रु. 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर के अनुसार आय (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 15 –अन्य लेखा टिप्पणियां)**					
	(1) बुनियादी (रुपए)			**41.38**		**33.62**
	(2) डाइल्यूटिड (रुपए)			**41.38**		**33.62**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**भाग ख**				
	अन्य लेखा टिप्पणियां	**भाग ग**				

भाग क से भाग ग तक टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	**हस्ता./–**	**हस्ता./–**
मनोहर बलवानी	**आर. नागराजन**	**एम. के. गोयल**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	निदेशक (वाणिज्यिक) और
	डीआईएन - 00701892	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
		डीआईएन - 00239813

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

हस्ता./–	**हस्ता./–**
कृते एन के भार्गव एंड कंपनी	कृते के बी चांदना एंड कंपनी
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफआर संख्या: 000429N	एफआर संख्या: 000862N
(एन के भार्गव)	**(वी के गुरेजा)**
भागीदार	भागीदार
सदस्य संख्या–080624	**सदस्य संख्या–016521**

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 27.05.2014

टिप्पणी–भाग क–1
समेकित शेयर पूंजी

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को	31.03.2013 को
अधिकृत :		
रु. 10/– प्रति शेयर मूल्य के 2,00,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष रु. 10/– प्रति शेयर मूल्य के 2,00,00,00,000 शेयर)	**2,000.00**	2,000.00
	2,000.00	2,000.00
जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त :		
रु. 10/– प्रति शेयर मूल्य के 1,32,00,15,011 पूर्ण चुकता शेयर (पिछले वर्ष रु. 10/– प्रति शेयर मूल्य के 1,31,99,31,705 पूर्ण चुकता शेयर)	**1,320.02**	1,319.93
जोड़े : रु. 10/– प्रति शेयर मूल्य के 25,693 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रु. 10/– प्रति शेयर मूल्य के 83,306 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर)	**0.02**	0.09
कुल	**1,320.04**	1,320.02

टिप्पणियां :–

1. कंपनी में 5% से अधिक प्रदत्त इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों की संख्या और शेयरों की निर्दिष्ट संख्या संबंधी जानकारी :–

शेयर धारकों के नाम		31.03.2014	31.03.2013
भारत के राष्ट्रपति	शेयर धारण प्रतिशत	**72.80 ***	73.72
	धारित शेयरों की संख्या	**96,09,55,589**	97,30,61,665
	राशि (करोड़ रुपए में)	**960.96**	973.06
भारतीय जीवन बीमा निगम	शेयर धारण प्रतिशत	**7.80**	5.77
	धारित शेयरों की संख्या	**10,28,99,599**	7,61,64,471
	राशि (करोड़ रुपए में)	**102.90**	76.16

2. पीएफसी– ईएसओपी 2010 नाम की कंपनी की शेयर विकल्प योजना के अंतर्गत कंपनी की पारिश्रमिक समिति ने 23 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2009–10 के लिए 88,040 करोड़ शेयर जारी करने की मंजूरी प्रदान की। ये शेयर 29 जुलाई, 2011 से प्रभावी होने थे तथा 30 अगस्त, 2012 को हुई बैठक में समिति ने वित्त वर्ष 2010–11 के लिए 92,964 शेयर जारी करने का अनुमोदन किया। ये शेयर कंपनी के नियमित कार्मिकों के लिए 30 अप्रैल, 2012 से जारी किए जाने थे और इन्हें पीएफसी इम्प्लाइज वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से जारी किया जाना था। वित्त वर्ष 2009–10 के लिए प्रति शेयर मूल्य रु. 176.05/– और वित्त वर्ष 2010–11 के लिए प्रति शेयर रु. 160.75/– मूल्य निर्धारित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत रु. 10/– अंकित मूल्य का एक शेयर रु. 10/– प्रति शेयर का भुगतान करने पर इक्विटी शेयर में परिवर्तित किया जाना था।

वित्त वर्ष 2009–10 के लिए 88,040 शेयरों में से कंपनी ने 87,888 शेयर आबंटित किए, कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत स्टाक विकल्प अपनाते हुए 83,306 इक्विटी शेयर आबंटित किए। वित्त वर्ष 2010–11 के लिए 92,964 शेयर मंजूर किए गए जिनमें से 89,954 शेयरों का निपटान नकदी के जरिए किया गया और पिछले वित्त वर्ष के दौरान 1572 शेयर विकल्प रद्द कर दिए गए तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत शेयर विकल्प का इस्तेमाल करते हुए 21,438 इक्विटी शेयर जारी किए गए।

* भाग–ग : अन्य लेखा टिप्पणियां की टिप्पणी संख्या 21.2 देखें।

टिप्पणी–भाग क–2
समेकित आरक्षित एवं अधिशेष

(रु. करोड़ में)

विवरण		31.03.2014 को		31.03.2013 को
(क) प्रतिभूत प्रीमियम आरक्षित				
प्रारंभिक शेष	**4,094.50**		4,092.67	
जोड़ें : वर्ष के दौरान संवर्धन*	**1.87**		1.51	
घटाएं : इश्यू व्यय (एफपीओ)	**0.00**	**4,096.37**	(0.32)	4,094.50
(ख) डिबेंचर मोचन आरक्षित				
प्रारंभिक शेष	**274.85**		55.79	
जोड़ें : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित देखें, भाग ग–अन्य लेखा टिप्पणियां, की टिप्पणी संख्या 4	**271.23**	**546.08**	219.06	274.85
(ग) अन्य				
(i) **आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (vii क) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित**				
प्रारंभिक शेष	**1,409.01**		1,158.61	
जोड़ें : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित देखें	**321.43**	**1,730.44**	250.40	1,409.01
(ii) **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत वर्ष 1996–97 तक सृजित विशेष आरक्षित**		**599.85**		599.85
(iii) **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत वर्ष 1997–98 तक सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित**				
प्रारंभिक शेष	**7,139.87**		5,982.06	
जोड़ें : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	**1,465.04**		1,155.90	
जोड़ें : सामान्य आरक्षित से अंतरित	**0.00**		1.91	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरित**	**37.65**	**8,642.56**	0.00	7,139.87
(iv) **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1सी के सांविधिक आरक्षित**				
प्रारंभिक शेष	**0.00**		0.00	
जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	**2.65**	**2.65**	0.00	0.00
(v) **सीएसआर और एसडी आरक्षित**				
प्रारंभिक शेष	**18.85**		0.00	
घटाएं : अधिशेष को अंतरित (देखें, भाग ग–अन्य लेखा टिप्पणियां के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 23)	**(18.85)**	**0.00**	18.85	18.85
(vi) **सामान्य आरक्षित**				
प्रारंभिक शेष	**3,034.49**		2,594.40	
जोड़ें : लाभ एवं हानि विनियोजन से अंतरित	**542.00**		442.00	
घटाएं : विशेष आरक्षित को अंतरित	**0.00**	**3,576.49**	1.91	3,034.49
(vii) **विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण विभेद खाता** (देखें, भाग ग–अन्य लेखा टिप्पणियां के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 13)				
प्रारंभिक शेष	**(477.97)**		(515.41)	
जोड़ें : वर्ष के दौरान निवल वृद्धि	**(231.24)**	**(709.21)**	37.44	(477.97)
(घ) अधिशेष				
प्रारंभिक शेष	**6,266.25**		4,989.64	
जोड़ें : सीएसआर और एसडी आरक्षित से अंतरित	**18.85**		0.00	
घटाएं : आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत विशेष आरक्षित को अंतरित **	**(37.65)**		0.00	
जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विनियोजन से रखा गया अधिशेष	**1,469.55**	**7,717.00**	1,276.61	6,266.25
		कुल # **26,202.23**		**22,359.70**

विवरण		31.03.2014 को		31.03.2013 को
टिप्पणी : लाभ एवं हानि विनियोजन				
वर्ष के लिए कर उपरांत लाभ		**5,461.84**		4,437.74
घटाएं : सीएसआर आरक्षित				
सीएसआर और एसडी संचित कोष को अंतरित (पिछले वर्षों से संबंधित)	**0.00**		16.39	
सीएसआर और एसडी संचित कोष से अंतरित (पिछले वर्षों से संबंधित)	**0.00**		(9.30)	
सीएसआर और एसडी संचित कोष अंतरित (चालू वर्ष से संबंधित)	**0.00**	**0.00**	11.76	18.85
घटाएं : संचित कोष को अंतरित				
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (vii क) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए संचित कोष को अंतरित	**321.43**		250.40	
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (vii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष संचित कोष को अंतरित	**1,465.04**		1,155.90	
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1सी के सांविधिक संचित कोष को अंतरित	**2.65**		0.00	
डिबेंचर विमोचन संचित कोष	**271.23**		219.06	
सामान्य आरक्षित	**542.00**	**2,602.35**	442.00	2,067.36
घटाएं : लाभांश और कॉर्पोरेट लाभांश कर				
अंतरिम लाभांश	**1,161.64**		792.01	
प्रस्तावित अंतरिम लाभांश	**26.40**		132.00	
अंतरिम लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश कर	**197.41**		128.48	
प्रस्तावित कॉर्पोरेट लाभांश कर	**4.49**	**1,389.94**	22.43	1,074.92
कुल#		**1,469.55**		**1,276.61**

*** कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 107ए और 107बी क्रमशः 0.03 % और 0.14% प्रीमियम पर जारी किए जाने से हुई वृद्धि, जिससे 25,693 इक्विटी शेयरों के इश्यू से 0.42 करोड़ रुपए प्रीमियम सहित कुल प्राप्ति 1.45 करोड़ रुपऐ की हुई।**

**** मूल्यांकन वर्ष 2013–14 के लिए आय कर विवरणी के अनुसार दावाकृत कटौती की समानता के लिए अंतरित राशि।**

 # वर्ष के दौरान हुई बढ़ोतरी में संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थानों के शेयर के रूप में रुपऐ 0.83 करोड़ निवल (पिछले वर्ष रु.1.30 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी–भाग क–3
समेकित ऋण

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को			31.03.2013 को		
	चालू	गैर–चालू	कुल	चालू	गैर–चालू	कुल
क. दीर्घावधि ऋण						
I. प्रतिभूत						
क) बॉण्ड्स						
इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या 1 से 12)	**0.00**	**361.55**	**361.55**	0.00	361.55	361.55
कर मुक्त बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या 13 से 38)	**0.00**	**11,275.11**	**11,275.11**	0.00	6,275.12	6,275.12
अन्य बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या 39 से 45)	**0.00**	**11,140.00**	**11,140.00**	0.00	0.00	0.00
उप जोड़ (I)	**0.00**	**22,776.66**	**22,776.66**	**0.00**	**6,636.67**	**6,636.67**
II. अप्रतिभूत						
क) बॉण्ड्स						
अन्य बॉण्ड्स/डिबेंचर (देखें, टिप्पणी संख्या 46 और 47)	**10,399.90**	**89,528.17**	**99,928.07**	3,262.90	95,434.62	98,697.52
गौण बॉण्ड्स (देखें, टिप्पणी संख्या 48)	**0.00**	**3,800.00**	**3,800.00**	0.00	0.00	0.00
विदेशी मुद्रा नोट्स (देखें, टिप्पणी संख्या 50)	**0.00**	**1,088.82**	**1,088.82**	0.00	986.40	986.40
	10,399.90	**94,416.99**	**1,04,816.89**	3,262.90	96,421.02	99,683.92
ख) विदेशी मुद्रा ऋण						
विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) (देखें, टिप्पणी संख्या 51)	**24.57**	**265.36**	**289.93**	19.98	251.49	271.47
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण (देखें, टिप्पणी संख्या 52)	**3,674.53**	**3,872.56**	**7,547.09**	0.00	6,946.68	6,946.68
विदेशी मुद्रा ऋण (बैंकों से एफसीएनआर (बी) ऋण)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	219.20	0.00	219.20
	3,699.10	**4,137.92**	**7,837.02**	239.18	7,198.17	7,437.35
ग) रुपया सावधि ऋण						
रुपया सावधि ऋण (बैंकों से) (देखें, टिप्पणी संख्या 53)	**810.00**	**21,160.00**	**21,970.00**	3,980.00	10,895.00	14,875.00
रुपया सावधि ऋण (वित्तीय संस्थानों से) (देखें, टिप्पणी संख्या 54)	**500.00**	**0.00**	**500.00**	2,130.00	0.00	2,130.00
	1,310.00	**21,160.00**	**22,470.00**	6,110.00	10,895.00	17,005.00
उप जोड़ (II)	**15,409.00**	**1,19,714.91**	**1,35,123.91**	**9,612.08**	**1,14,514.19**	**1,24,126.27**
ख. अल्पावधि ऋण						
रुपया सावधि ऋण						
I. प्रतिभूत						
सावधि जमा के प्रति ऋण	**0.24**	**0.00**	**0.24**	860.55	0.00	860.55
कुल जोड़ (I)	**0.24**	**0.00**	**0.24**	**860.55**	**0.00**	**860.55**
II. अप्रतिभूत						
वाणिज्यिक पेपर (देखें, टिप्पणी संख्या 55)	**1,314.49**	**0.00**	**1,314.49**	4,890.20	0.00	4,890.20
कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ ओडी/ सीसी/ लाइन आफ क्रेडिट	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2,959.22	0.00	2,959.22
उप जोड़ (II)	**1,314.49**	**0.00**	**1,314.49**	**7,849.42**	**0.00**	**7,849.42**
कुल (क)+(ख)	**16,723.73**	**1,42,491.57**	**1,59,215.30**	**18,322.05**	**1,21,150.86**	**1,39,472.91**

टिप्पणी :–
31.03.2014 को बकाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपए में)	विमोचन की तारीख	विमोचन का ब्यौरा	प्रतिभूत का स्वरूप
1	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2011–12) शृंखला–3	21.11.2011	8.75%	3.23	22 नवम्बर–18	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों के सिवाय जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत
2	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2011–12) शृंखला–4	21.11.2011	8.75%	8.83	22 नवम्बर–18	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य	
3	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2010–11) शृंखला–3	31.03.2011	8.50%	6.13	01 अप्रैल–18	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	31.03.2014 को कंपनी के 3971.21 करोड़ रुपये के विशेष बही ऋणों पर प्रभार तथा नई दिल्ली में जंगपुरा स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत।
4	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2010–11) शृंखला–4	31.03.2011	8.50%	22.75	01 अप्रैल–18	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 7 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य	
5	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86सी शृंखला	30.03.2012	8.72%	0.95	31 मार्च–18	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 6 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की चालू और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों के सिवाय जिन पर वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान जारी किए गए इन्फ्राबॉण्ड के लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत
6	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86डी शृंखला	30.03.2012	8.72%	2.75	31 मार्च–18	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 6 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य	
7	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86ए शृंखला	30.03.2012	8.43%	9.04	31 मार्च–17	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की चालू और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों के सिवाय जिन पर वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान जारी किए गए इन्फ्राबॉण्ड के लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत
8	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स 86बी शृंखला	30.03.2012	8.43%	17.81	31 मार्च–17	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य	

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपये में)	विमोचन की तारीख	विमोचन का ब्यौरा	प्रतिभूत का स्वरूप
9	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2011-12) शृंखला-I	21.11.2011	8.50%	32.43	22–नवम्बर–16	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत
10	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2011-12) शृंखला-II	21.11.2011	8.50%	51.15	22–नवम्बर–16	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य	
11	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2010-11) शृंखला-1	31.03.2011	8.30%	66.80	1–अप्रैल–16	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को सममूल्य पर विमोचन योग्य	31.03.2014 को कंपनी के रु. 3,971.21 करोड़ रुपये के विशेष बही ऋणों पर प्रभार तथा नई दिल्ली में जंगपुरा स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत।
12	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स (2010-11) शृंखला-2	31.03.2011	8.30%	139.68	1–अप्रैल–16	बॉण्ड धारक द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आबंटन की तारीख से 5 वर्ष और एक दिन बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य, अन्यथा आबंटन की तारीख से 10 वर्ष बाद पड़ने वाली तारीख को संचयी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के साथ सममूल्य पर विमोचन योग्य	
		कुल		**361.55**			

31.03.2014 को बकाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	बॉण्ड शृंखला	आबंटन की तारीख	वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपए में)	विमोचन की तारीख	प्रतिभूति का स्वरूप
13	कर–मुक्त बॉण्ड (2013-14) - शृंखला–3ए	16-11-2013	8.67%	1,067.38	16 नवम्बर–33	कंपनी के कुल बही ऋणों (उन ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से प्रतिभूत, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
14	कर–मुक्त बॉण्ड (2013-14) - शृंखला–3बी	16-11-2013	8.92%	861.96	16 नवम्बर–33	
15	कर–मुक्त बॉण्ड (2013-14) - शृंखला–2ए	16-11-2013	8.54%	932.70	16 नवम्बर–28	कंपनी के कुल बही ऋणों (उन ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से प्रतिभूत, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
16	कर–मुक्त बॉण्ड (2013-14) - शृंखला–2बी	16-11-2013	8.79%	353.32	16 नवम्बर–28	
17	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 107बी	30-08-2013	8.46%	1,011.10	30 अगस्त–28	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोडकर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
18	कर–मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांचे–II–शृंखला–II	28-03-2013	7.04%	3.32	28 मार्च–28	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत
19	कर–मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांचे–II–शृंखला–II	28-03-2013	7.54%	65.88	28 मार्च–28	
20	कर–मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांचे–I–शृंखला–II	04-01-2013	7.36%	136.84	4 जनवरी–28	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।
21	कर–मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांचे–I–शृंखला–II	04-01-2013	7.86%	220.16	4 जनवरी–28	
22	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 95 बी	29-11-2012	7.38%	100.00	29 नवम्बर–27	चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित। अंतर्निहित प्रतिभूति सहित कंपनी की सभी चालू और भावी प्राप्तियों/ऋण परिसंपत्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।
23	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 94 बी	22-11-2012	7.38%	25.00	22 नवम्बर–27	
24	कर–मुक्त बॉण्ड (2011-12) ट्रांचे–I–शृंखला–II	01.02.2012	8.30%	1,280.58	1 फरवरी–27	कंपनी की सभी चालू और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।
25	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 80 बी	25.11.2011	8.16%	209.34	25 नवम्बर–26	कंपनी की सभी चालू और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर वित्तीय वर्ष 2010–11 में जारी इन्फ्रा बॉण्ड के लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।
26	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 79 बी	15.10.2011	7.75%	217.99	15 अक्टूबर–26	
27	कर–मुक्त बॉण्ड (2013-14) - शृंखला–1ए	16-11-2013	8.18%	325.07	16 नवम्बर–23	कंपनी के कुल बही ऋणों (उन ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रभार से प्रतिभूत, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान /पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुर्नभुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
28	कर–मुक्त बॉण्ड (2013-14) - शृंखला–1बी	16-11-2013	8.43%	335.47	16 नवम्बर–23	

29	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 107ए	30-08-2013	8.01%	113.00	30 अगस्त–23	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोडकर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुर्नभुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
30	कर–मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांचे–II–शृंखला–I	28-03-2013	6.88%	47.64	28 मार्च–23	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत
31	कर–मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांचे–II–शृंखला–I	28-03-2013	7.38%	48.52	28 मार्च–23	
32	कर–मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांचे–I–शृंखला–I	04-01-2013	7.19%	176.99	4 जनवरी–23	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।
33	कर–मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांचे–I–शृंखला–I	04-01-2013	7.69%	165.76	4 जनवरी–23	
34	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 95 ए	29-11-2012	7.22%	30.00	29 नवम्बर–22	चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित। अंतर्निहित प्रतिभूति सहित कंपनी की सभी चालू और भावी प्राप्तियों/ऋण परिसंपत्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।
35	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 94 ए	22-11-2012	7.21%	255.00	22 नवम्बर–22	
36	कर–मुक्त बॉण्ड (2011-12) ट्रांचे– I–शृंखला–I	01.02.2012	8.20%	2,752.55	1 फरवरी–22	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।
37	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 80 ए	25.11.2011	8.09%	334.31	25 नवम्बर–21	कंपनी की सभी चालू और भावी प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़ कर जिन पर वित्तीय वर्ष 2010–11 में जारी इन्फ्रा बॉण्ड के लिए विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित तथा गिन्डी, चेन्नई स्थित अचल संपत्तियों पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत।
38	कर–मुक्त बॉण्ड शृंखला 79 ए	15.10.2011	7.51%	205.23	15 अक्टूबर–21	
		कुल		**11,275.11**		
31.03.2014 को बकाया कर–योग्य बॉण्ड्स (प्रतिभूत) का ब्यौरा इस प्रकार है :						
39	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 112 सी	31.01.2014	9.70%	270.00	31 जनवरी– 21	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोडकर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
40	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 112 बी	31.01.2014	9.70%	270.00	31 जनवरी– 20	
41	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 113	03.03.2014	9.69%	2,240.00	3 मार्च–19	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोडकर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
42	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 112 ए	31.01.2014	9.70%	270.00	31 जनवरी–19	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोडकर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।

43	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 109	07.10.2013	9.81%	4,500.00	7 अक्टूबर–18	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोडकर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से प्रतिभूत, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
44	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 108	27.09.2013	9.80%	1,600.00	27 सितम्बर– 16	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
45	कर–योग्य बॉण्ड शृंखला 110	05.12.2013	9.58%	1,990.00	5 दिसम्बर–2015	कंपनी की कुल प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार दर्ज हो) पर प्रथम समनुरूप प्रभार से सुरक्षित, परन्तु, इसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय सहित बॉण्डों का भुगतान/पुनर्भुगतान तथा लेन–देन दस्तावेज के अंतर्गत/अनुरूप बॉण्डधारकों और/या अन्यों को कंपनी द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान योग्य अन्य राशियां शामिल नहीं हैं।
		योग		**11,140.00**		
46	2022–XIX शृंखला के अंतर्गत रुपए 379.67 करोड़ मूल्य (पिछले वर्ष रुपए 351.22 करोड़) के जीरो कूपन अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड 30.12.2022 को रु. 750.00 करोड़ के अंकित मूल्य [रु. 370.33 करोड़ (पिछले वर्ष रुपए 398.78 करोड़) के निवल अपरिशोधित ब्याज के साथ] पर विमोचन योग्य हैं।					
47	अप्रतिभूत कर योग्य (गैर–संचयी) बॉण्डों का ब्यौरा इस प्रकार है :–					

क्र.सं.	बॉण्ड शृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (करोड़ रुपए में)
1	71–सी शृंखला	9.05%	15–दिसंबर–30	192.70
2	66–सी शृंखला	8.85%	15–जून–30	633.00
3	103 शृंखला	8.94%	25–मार्च–28	2,807.00
4	102–ए (III) शृंखला	8.90%	18–मार्च–28	403.00
5	101–बी शृंखला	9.00%	11–मार्च–28	1,370.00
6	77–बी शृंखला	9.45%	1–सितंबर–26	2,568.00
7	76–बी शृंखला	9.46%	1–अगस्त–26	1,105.00
8	71–बी शृंखला	9.05%	15–दिसंबर–25	192.70
9	66–बी शृंखला	8.75%	15–जून–25	832.00
10	66–बी शृंखला	8.75%	15–जून–25	700.00
11	65– शृंखला	8.70%	14–मई–25	1,087.50
12	65– शृंखला	8.70%	14–मई–25	250.00
13	64– शृंखला	8.95%	30–मार्च–25	492.00
14	63– शृंखला	8.90%	15–मार्च–25	184.00
15	62–बी शृंखला	8.80%	15–जनवरी–25	1,172.60
16	61–शृंखला	8.50%	15–दिसंबर–24	351.00
17	57–बी शृंखला	8.60%	7–अगस्त–24	866.50
18	85–डी शृंखला	9.26%	15–अप्रैल–23	736.00
19	102–ए (II) शृंखला	8.90%	18–मार्च–23	403.00
20	102–बी शृंखला	8.87%	18–मार्च–23	70.00
21	100–बी शृंखला	8.84%	4–मार्च–23	1,310.00
22	92–सी शृंखला	9.29%	21–अगस्त–22	640.00
23	91–बी शृंखला	9.39%	29–जून–22	2,695.20
24	88–सी शृंखला	9.48%	15–अप्रैल–22	184.70
25	78–बी शृंखला	9.44%	23–सितंबर–21	1,180.00
26	76–ए शृंखला	9.36%	1–अगस्त–21	2,589.40

क्र.सं.	बॉण्ड शृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (करोड़ रुपये में)
27	75–सी शृंखला	9.61%	29–जून–21	2,084.70
28	74–शृंखला	9.70%	9–जून–21	1,693.20
29	XXVIII-शृंखला	8.85%	31–मई–21	600.00
30	73–शृंखला	9.18%	15–अप्रैल–21	1,000.00
31	72–बी शृंखला	8.99%	15–जनवरी–21	1,219.00
32	71–ए शृंखला	9.05%	15–दिसंबर–20	192.70
33	70 शृंखला	8.78%	15–नवंबर–20	1,549.00
34	68–बी शृंखला	8.70%	15–जुलाई–20	1,424.00
35	66–ए शृंखला	8.65%	15–जनवरी–20	500.00
36	65–शृंखला	8.70%	14–मई–20	162.50
37	65–शृंखला	8.70%	14–मई–20	1,175.00
38	85–सी शृंखला	9.30%	15–अप्रैल–20	79.50
39	64–शृंखला	8.95%	30–मार्च–20	492.00
40	87–डी शृंखला	9.42%	20–मार्च–20	650.80
41	63–शृंखला	8.90%	15–मार्च–20	184.00
42	100–ए शृंखला	8.86%	4–मार्च–20	54.30
43	99–बी शृंखला	8.82%	20–फरवरी–20	733.00
44	62–ए शृंखला	8.70%	15–जनवरी–20	845.40
45	61– शृंखला	8.50%	15–दिसंबर–19	351.00
46	60–बी शृंखला	1 वर्षीय INCMTBMK+179बीपीएस	20–नवंबर–19	925.00
47	59–बी शृंखला	8.80%	15–अक्तूबर–19	1,216.60
48	57–बी शृंखला	8.60%	7–अगस्त–19	866.50
49	90–बी शृंखला	9.41%	1–जून–19	391.00
50	98 (III) शृंखला	8.72%	8–फरवरी–19	324.00
51	82–सी शृंखला	9.70%	15–दिसंबर–18	2,060.00
52	52–सी शृंखला	11.25%	28–नवंबर–18	1,950.60
53	51–सी शृंखला	11.00%	15–सितंबर–18	3,024.40
54	XLIX बी शृंखला	10.85%	11–अगस्त–18	428.60
55	XLVIII–सी शृंखला	10.55%	15–जुलाई–18	259.70
56	XLVII–सी शृंखला	9.68%	9–जून–18	780.70
57	104बी शृंखला	8.30%	15–मई–18	351.00
58	102–ए (I) शृंखला	8.90%	18–मार्च–18	403.00
59	101–ए शृंखला	8.95%	11–मार्च–18	3,201.00
60	99–ए शृंखला	8.77%	20–फरवरी–18	2.00
61	98 (II) शृंखला	8.72%	8–फरवरी–18	324.00
62	72–ए शृंखला	8.97%	15–जनवरी–18	144.00
63	97– शृंखला	8.75%	15–जनवरी–18	1,000.00
64	XL–सी शृंखला	9.28%	28–दिसंबर–17	650.00
65	XVIII शृंखला	7.87%	13–नवंबर–17	25.00
66	93–बी शृंखला	8.91%	15–अक्तूबर–17	950.00
67	XVII शृंखला	8.21%	3–अक्तूबर–17	25.00
68	92–ए शृंखला	9.01%	21–अगस्त–17	50.00
69	92–बी शृंखला	9.27%	21–अगस्त–17	1,930.00
70	91–ए शृंखला	9.40%	29–जून–17	107.50
71	90–ए शृंखला	9.61%	1–जून–17	552.90
72	XIII शृंखला	9.60%	24–मई–17	65.00
73	XXXV शृंखला	9.96%	18–मई–17	530.00
74	XIII शृंखला	9.60%	16–मई–17	125.00
75	89–ए शृंखला	9.52%	2–मई–17	2,595.00
76	88–बी शृंखला	9.66%	15–अप्रैल–17	100.20
77	XXXIV शृंखला	9.90%	30–मार्च–17	500.50
78	XXXIII –बी शृंखला	9.90%	22–मार्च–17	561.50
79	87–सी शृंखला	9.59%	20–मार्च–17	217.50

क्र.सं.	बॉण्ड शृंखला	कूपन दर	विमोचन की तारीख	राशि (करोड़ रुपये में)
80	87–बी शृंखला	9.72%	20–मार्च–17	23.00
81	84 शृंखला	9.33%	17–फरवरी–17	1,521.20
82	98 (I) शृंखला	8.72%	8–फरवरी–17	324.00
83	82–बी शृंखला	9.64%	15–दिसंबर–16	825.00
84	XXXI–ए शृंखला	8.78%	11–दिसंबर–16	1,451.20
85	XVIII शृंखला	7.87%	13–नवंबर–16	25.00
86	XVII शृंखला	8.21%	3–अक्तूबर–16	25.00
87	XXIX –ए शृंखला	8.80%	7–सितंबर–16	250.00
88	77–ए शृंखला	9.41%	1–सितंबर–16	1,083.60
89	75–बी शृंखला	9.62%	29–जून–16	360.00
90	106–बी शृंखला	8.27%	25–जून–16	3,033.00
91	104–ए शृंखला	8.35%	15– मई–16	4,000.00
92	XXVII –ए शृंखला	8.20%	17–मार्च–16	1,000.00
93	XXVI – शृंखला	7.95%	24–फरवरी–16	1,261.80
94	XXV –शृंखला	7.60%	30–दिसंबर–15	1,734.70
95	52–बी शृंखला	11.30%	28–नवंबर–15	5.80
96	XVIII शृंखला	7.87%	13–नवंबर–15	25.00
97	XVII शृंखला	8.21%	3–अक्तूबर–15	25.00
98	50–सी शृंखला	10.70%	25–अगस्त–15	80.80
99	68–ए शृंखला	8.25%	15–जुलाई–15	147.00
100	106–ए शृंखला	8.29%	25 जून–15	1,250.00
101	65 शृंखला	8.70%	14–मई–15	1,337.50
102	89–बी शृंखला	9.46%	2–मई–15	2,056.00
103	85–ए शृंखला	9.51%	15–अप्रैल–15	661.30
104	64 शृंखला	8.95%	30–मार्च–15	492.00
105	63 शृंखला	8.90%	15–मार्च–15	184.00
106	83 शृंखला	9.55%	13–जनवरी–15	1,292.30
107	61 शृंखला	8.50%	15–दिसंबर–14	351.00
108	82 शृंखला	9.63%	15–दिसंबर–14	2,100.00
109	96 शृंखला	8.90%	14–दिसंबर–14	1,903.00
110	XVIII शृंखला	7.87%	13–नवंबर–14	25.00
111	XXI –बी शृंखला	7.00%	2–नवंबर–14	51.90
112	59–ए शृंखला	8.45%	15–अक्तूबर–14	288.20
113	93–ए शृंखला	8.85%	15–अक्तूबर–14	1,788.00
114	XVII शृंखला	8.21%	3–अक्तूबर–14	25.00
115	58–बी शृंखला	8.45%	17–सितंबर–14	331.10
116	57–बी शृंखला	8.60%	7–अगस्त–14	866.50
117	75–ए शृंखला	9.64%	29–जून–14	555.00
118	55–बी शृंखला	7.50%	11–मई–14	146.90
			योग	**99,548.40**
48	अप्रतिभूत गौण बॉण्डों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :			
1	सबोर्डिनेटिड टिअर–II बॉण्ड	9.70%	21–फरवरी–24	2,000.00
2	सबोर्डिनेटिड टिअर–II बॉण्ड	9.65%	13–जनवरी 24	1,000.00
3	सबोर्डिनेटिड टिअर–II बॉण्ड	8.19%	14–जनवरी 23	800.00
			योग	**3,800.00**
49	31.3.2014 को रुपए 6.90 करोड़ के बॉण्ड (पिछले वर्ष रु 7.40 करोड़) पीएफसी लिमिटेड एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट द्वारा रखे गए और रु. 0.50 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.50 करोड़) पीएफसी लिमिटेड ग्रेज्युइटी ट्रस्ट द्वारा धारित हैं।			
50	18 करोड़ अमरीकी डॉलर मूल्य के विदेशी मुद्रा 6.61 % सीनियर नोट्स (यूएसपीपी–I), जिनका मूल्य रुपए में 1,088.62 करोड़ (पिछले वर्ष रुपए 986.40 करोड़) है, 5.9.2017 को विमोचन योग्य हैं।			

टिप्पणियां :–

51	विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) की 31.03.2014 को बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:–			
क्र.स.	**ऋण**	**31.03.2014 को वार्षिक ब्याज दर**	**राशि (करोड़ रुपये में)**	**पुनर्भुगतान की तारीख**
1	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.37	30–जून–2035
2	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2034
3	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2034
4	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2033
5	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2033
6	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2032
7	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2032
8	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2031
9	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2031
10	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2030
11	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2030
12	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2029
13	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2029
14	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2028
15	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	0.25	15–अक्टूबर–2028
16	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	0.03	30–जून–2028
17	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2028
18	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	1.75	15–अप्रैल–2028
19	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	0.03	31–दिसम्बर–2027
20	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2027
21	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	2.08	15–अक्टूबर–2027
22	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	0.06	30–जून–2027
23	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2027
24	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	2.20	15–अप्रैल–2027
25	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	0.43	31–दिसम्बर–2026
26	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2026
27	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	2.41	15–अक्टूबर–2026
28	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	0.43	30–जून–2026
29	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2026
30	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.03	15–अप्रैल–2026
31	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	0.51	31–दिसम्बर–2025
32	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2025
33	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.03	15–अक्टूबर–2025
34	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	1.11	30–जून–2025
35	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2025
36	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.03	15–अप्रैल–2025
37	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	3.04	31–दिसम्बर–2024
38	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2024
39	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.03	15–अक्टूबर–2024
40	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	3.67	30–जून–2024
41	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2024
42	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2024
43	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	3.71	31–दिसम्बर–2023
44	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2023
45	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2023

क्र.स.	ऋण	31.03.2014 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपये में)	पुनर्भुगतान की तारीख
46	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2023
47	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2023
48	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2023
49	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	31–दिसम्बर–2022
50	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2022
51	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2022
52	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2022
53	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2022
54	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2022
55	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	31–दिसम्बर–2021
56	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2021
57	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2021
58	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2021
59	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2021
60	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2021
61	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	31–दिसम्बर–2020
62	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2020
63	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2020
64	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2020
65	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2020
66	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2020
67	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	31–दिसम्बर–2019
68	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2019
69	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2019
70	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2019
71	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2019
72	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2019
73	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	31–दिसम्बर–2018
74	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2018
75	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2018
76	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2018
77	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2018
78	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2018
79	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	31–दिसम्बर–2017
80	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2017
81	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2017
82	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2017
83	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2017
84	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2017
85	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	31–दिसम्बर–2016
86	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2016
87	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2016
88	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2016
89	केएफडब्ल्यू।	0.7500%	1.57	30–जून–2016
90	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2016

क्र.स.	ऋण	31.03.2014 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपये में)	पुनर्भुगतान की तारीख
91	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	31–दिसम्बर–2015
92	केएफडब्ल्यू I	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2015
93	केएफडब्ल्यू II	5.1499%	1.83	30–दिसम्बर–2015
94	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2015
95	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2015
96	केएफडब्ल्यू I	0.7500%	1.57	30–जून–2015
97	केएफडब्ल्यू II	5.1499%	1.83	30–जून–2015
98	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2015
99	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	31–दिसम्बर–2014
100	केएफडब्ल्यू I	0.7500%	1.57	30–दिसम्बर–2014
101	केएफडब्ल्यू II	5.1499%	1.83	30–दिसम्बर–2014
102	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अक्टूबर–2014
103	क्रेडिट नैशनल फ्रांस	2.0000%	4.55	30–जून–2014
104	केएफडब्ल्यू I	0.7500%	1.57	30–जून–2014
105	केएफडब्ल्यू II	5.1499%	1.83	30–जून–2014
106	एशियाई विकास बैंक	0.5934%	4.33	15–अप्रैल–2014
		कुल	289.93	

52 विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋणों की 31.03.2014 को बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र.स.	ऋण	31.03.2014 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपए में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	एसएलएन–XIII	1.7815%	756.13	6–मार्च–2017
2	एसएलएन–IX	1.8379%	744.14	24–फरवरी–2017
3	एसएलएन–VIII	1.6857%	408.71	23–सितम्बर–2016
4	एसएलएन–VIII	1.6857%	451.34	25–सितम्बर–2015
5	एसएलएन– XII	2.0797%	1,512.25	31–अगस्त–2015
6	एसएलएन– VII	1.8690%	1,814.70	29–मार्च–2015
7	एसएलएन–XIII	1.7815%	756.13	6–मार्च–2015
8	एसएलएन–IX	1.8379%	703.81	25–फरवरी–2015
9	एसएलएन–VIII	1.6857%	399.89	24–सितम्बर–2014
		कुल	7,547.09	

टिप्पणियां :–				
53	31.03.2014 को बकाया रुपया सावधि ऋण (बैंकों से) का ब्यौरा इस प्रकार है:–			
क्र.स.	ऋण	31.03.2014 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपये में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	इंडियन बैंक	10.20%	100.00	18–मार्च–2022
2	केनरा बैंक	10.24%	500.00	29–मार्च–2021
3	ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10.25%	75.00	29–मार्च–2021
4	बैंक ऑफ इंडिया	10.20%	200.00	28–मार्च–2021
5	सिंडिकेट बैंक	10.25%	140.00	28–मार्च–2021
6	बैंक ऑफ इंडिया	10.20%	300.00	27–मार्च–2021
7	ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10.25%	91.00	21–मार्च–2021
8	सिंडिकेट बैंक	10.25%	150.00	20–मार्च–2021
9	सिंडिकेट बैंक	10.25%	175.00	19–मार्च–2021
10	इंडियन बैंक	10.20%	100.00	18–मार्च–2021
11	केनरा बैंक	10.20%	105.00	30–मार्च–2020
12	सिंडिकेट बैंक	10.25%	35.00	30–मार्च–2020
13	ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10.25%	75.00	29–मार्च–2020
14	सिंडिकेट बैंक	10.25%	140.00	28–मार्च–2020
15	ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10.25%	92.00	21–मार्च–2020
16	सिंडिकेट बैंक	10.25%	150.00	20–मार्च–2020
17	सिंडिकेट बैंक	10.25%	175.00	19–मार्च–2020
18	इंडियन बैंक	10.20%	100.00	18–मार्च–2020
19	सिंडिकेट बैंक	10.25%	35.00	30–मार्च–2019
20	ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10.25%	75.00	29–मार्च–2019
21	केनरा बैंक	10.20%	453.38	28–मार्च–2019
22	केनरा बैंक	10.20%	546.62	28–मार्च–2019
23	एचडीएफसी बैंक	10.23%	200.00	28–मार्च–2019
24	ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10.25%	92.00	21–मार्च–2019
25	यूको बैंक	10.20%	500.00	18–मार्च–2019
26	यूको बैंक	10.20%	500.00	14–मार्च–2019
27	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.25%	160.00	30–सितम्बर–2018
28	बैंक ऑफ इंडिया	10.20%	2470.00	20–सितम्बर–2018
29	बैंक ऑफ इंडिया	10.20%	500.00	20–सितम्बर–2018
30	बैंक ऑफ बड़ौदा	10.25%	490.00	31–मार्च–2018
31	इलाहाबाद बैंक	10.25%	500.00	30–मार्च–2018
32	बैंक ऑफ इंडिया	10.20%	30.00	30–मार्च–2018
33	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.25%	15.00	30–मार्च–2018
34	केनरा बैंक	10.20%	220.00	29–मार्च–2018
35	बैंक ऑफ बड़ौदा	10.25%	250.00	29–मार्च–2018
36	केनरा बैंक	10.20%	280.00	28–मार्च–2018
37	एचडीएफसी बैंक	10.23%	150.00	28–मार्च–2018
38	बैंक ऑफ बड़ौदा	10.25%	285.00	28–मार्च–2018
39	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	10.25%	150.00	28–मार्च–2018
40	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	10.25%	250.00	21–मार्च–2018
41	देना बैंक	10.25%	275.00	21–मार्च–2018
42	देना बैंक	10.25%	225.00	21–मार्च–2018
43	बैंक ऑफ बड़ौदा	10.25%	300.00	20–मार्च–2018
44	बैंक ऑफ बड़ौदा	10.25%	350.00	19–मार्च–2018
45	बैंक ऑफ इंडिया	10.20%	1,000.00	14–मार्च–2018
46	विजया बैंक	10.20%	250.00	15–दिसम्बर–2017
47	आंध्रा बैंक	10.25%	30.00	15–दिसम्बर–2017
48	विजया बैंक	10.20%	700.00	31–जुलाई–2017
49	बैंक ऑफ बड़ौदा	10.25%	65.00	30–मार्च–2017
50	एचडीएफसी बैंक	10.23%	150.00	28–मार्च–2017

51	इंडियन बैंक	10.20%	60.00	27–मार्च–2017
52	भारतीय स्टेट बैंक	10.15%	142.00	25–मार्च–2017
53	भारतीय स्टेट बैंक	10.15%	143.00	25–दिसम्बर–2016
54	भारतीय स्टेट बैंक	10.15%	143.00	25–सितम्बर–2016
55	भारतीय स्टेट बैंक	10.15%	143.00	25–जून–2016
56	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.25%	60.00	28–अप्रैल–2016
57	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.25%	320.00	27–अप्रैल–2016
58	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.25%	110.00	24–अप्रैल–2016
59	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.25%	230.00	21–अप्रैल–2016
60	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.25%	180.00	20–अप्रैल–2016
61	बैंक ऑफ बड़ौदा	10.25%	230.00	30–मार्च–2016
62	बैंक ऑफ बड़ौदा	10.25%	770.00	29–मार्च–2016
63	इंडियन बैंक	10.20%	60.00	27–मार्च–2016
64	भारतीय स्टेट बैंक	10.15%	143.00	25–मार्च–2016
65	भारतीय स्टेट बैंक	10.15%	143.00	25–दिसम्बर–2015
66	सेन्ट्रल स्टेट बैंक	10.25%	30.00	15–अक्टूबर–2015
67	जम्मू एंड कश्मीर बैंक	10.25%	40.00	15–अक्टूबर–2015
68	जम्मू एंड कश्मीर बैंक	10.25%	560.00	15–अक्टूबर–2015
69	विजया बैंक	10.20%	200.00	1–अक्टूबर–2015
70	भारतीय स्टेट बैंक	10.15%	143.00	25–सितम्बर–2015
71	केनरा बैंक	10.20%	425.00	1–सितम्बर–2015
72	केनरा बैंक	10.20%	75.00	31–अगस्त–2015
73	इंडियन बैंक	10.20%	500.00	12–जुलाई–2015
74	फेडरल बैंक	10.55%	300.00	30–जून–2015
75	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	10.25%	400.00	29–जून–2015
76	कार्पोरेशन बैंक	10.25%	750.00	29–जून–2015
77	कार्पोरेशन बैंक	10.25%	250.00	28–जून–2015
78	सुमितोमो मितसुई बैंकिंग कार्पोरेशन	10.15%	100.00	28–मई–2015
79	आंध्रा बैंक	10.25%	310.00	1–मई–2015
80	आंध्रा बैंक	10.25%	500.00	28–अप्रैल–2015
81	केनरा बैंक	10.20%	500.00	16–अप्रैल–2015
82	पंजाब नैशनल बैंक	10.25%	500.00	15–अप्रैल–2015
83	बैंक ऑफ इंडिया	10.20%	500.00	15–अप्रैल–2015
84	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	10.25%	350.00	30–मार्च–2015
85	इंडियन बैंक	10.20%	60.00	27–मार्च–2015
86	एचडीएफसी बैंक	10.50%	250.00	24–सितम्बर–2014
87	क्रेडिट सुइसे एजी	10.45%	150.00	14–मई–2014
		कुल	**21,970.00**	

54 31.03.2014 को बकाया रुपया सावधि ऋण (वित्तीय संस्थानों से) का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र.स.	ऋण	31.03.2014 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपए में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	सिडबी	9.75%	500.00	30–अप्रैल–2014

55 31.03.2014 को बकाया वाणिज्यिक पेपर की बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र.स.	ऋण	31.03.2014 को वार्षिक ब्याज दर	राशि (करोड़ रुपये में)	पुनर्भुगतान की तारीख
1	सीपी–56	10.63%	1,250.00	15 –जुलाई–2014
2	सीपी–57	9.30%	100.00	15 –अप्रैल–2014
	घटाएं–अपरिशोधित वित्तीय प्रभार*		(35.51)	
		कुल	**1,314.49**	

* वाणिज्यिक पेपर पर अपरिशोधित वित्तीय प्रभार 31.03.2014 को 35.51 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 109.80 करोड़ रुपए) था।

टिप्पणी :– भाग–क–4
समेकित अन्य दीर्घावधि एवं चालू देयताएं

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31.3.2014 को			31.3.2013 को		
	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल
भारत सरकार से ब्याज सब्सिडी निधि (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 12(ii)–अन्य समेकित लेखा टिप्पणियां)	**21.93**	**101.94**	**123.87**	33.06	112.72	145.78
ब्याज अंतर–निधि–केएफडब्ल्यू (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 9–अन्य लेखा टिप्पणियां)	**0.00**	**54.63**	**54.63**	0.00	54.73	54.73
सहायक कंपनी से प्राप्त अग्रिम/सहायक को देय राशि (उस पर देय ब्याज सहित) (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 8.3–अन्य लेखा टिप्पणियां)	**158.31**	**160.95**	**319.26**	0.00	295.61	295.61
आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत भारत सरकार को देय राशि (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 14(i) –अन्य लेखा टिप्पणियां)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.25	0.00	0.25
उप जोड़	**180.24**	**317.52**	**497.76**	33.31	463.06	496.37
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं :						
बॉण्डों पर	**5,874.55**	**0.00**	**5,874.55**	4,771.01	0.00	4,771.01
ऋण पर	**92.11**	**0.00**	**92.11**	119.15	0.00	119.15
उप जोड़	**5,966.66**	**0.00**	**5,966.66**	4,890.16	0.00	4,890.16
अदा न किया गया/दावा न किया गया :						
बॉण्ड्स	**4.54**	**0.00**	**4.54**	4.71	0.00	4.71
बॉण्डों पर ब्याज	**1.96**	**0.00**	**1.96**	3.21	0.00	3.21
लाभांश	**1.45**	**0.00**	**1.45**	1.20	0.00	1.20
उप जोड़	**7.95**	**0.00**	**7.95**	9.12	0.00	9.12
अन्य	**111.20**	**30.10**	**141.30**	135.16	76.75	211.91
कुल योग#	**6,266.05**	**347.62**	**6,613.67**	**5,067.75**	**539.81**	**5,607.56**

वर्ष के दौरान संवर्द्धन के अंतर्गत संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थानों के 3.58 करोड़ रुपए के निवल (पिछले वर्ष 2.67 करोड़ रुपए) शेयर शामिल हैं।

टिप्पणी :– भाग–क–5
समेकित प्रावधान–दीर्घावधि और अल्पावधि

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31.3.2014 को			31.3.2013 को		
	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल
I. कार्मिक लाभ**						
कार्मिकों का आर्थिक पुनर्वास	**0.12**	**1.12**	**1.24**	0.12	1.19	1.31
अवकाश नकदीकरण	**0.99**	**19.74**	**20.73**	1.14	19.27	20.41
कार्मिक कल्याण व्यय	**0.92**	**14.96**	**15.88**	1.15	12.14	13.29
ग्रेज्युइटी/सेवानिवृत्ति निधि	**0.94**	**0.02**	**0.96**	1.63	0.00	1.63
उपजोड़	**2.97**	**35.84**	**38.81**	4.04	32.60	36.64
II. अन्य						
आयकर (निवल)	**98.37**	**23.05**	**121.42**	22.37	11.62	33.99
सीएसआर और एसडी व्यय (देखें, भाग–ग की टिप्पणी संख्या 23–अन्य लेखा टिप्पणियां)	**32.33**	**0.00**	**32.33**	0.00	0.00	0.00
मानक परिसंपत्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान (देखें, भाग–ग की टिप्पणी संख्या 15.1–अन्य लेखा टिप्पणियां)	**55.18**	**414.30**	**469.48**	14.66	118.13	132.79
प्रस्तावित अंतिम लाभांश**	**26.40**	**0.00**	**26.40**	132.00	0.00	132.00
प्रस्तावित कॉर्पोरेट लाभांश कर**	**4.49**	**0.00**	**4.49**	22.43	0.00	22.43
उपजोड़	**216.77**	**437.35**	**654.12**	191.46	129.75	321.21
कुल योग#	**219.74**	**473.19**	**692.93**	**195.50**	**162.35**	**357.85**

वर्ष के दौरान संवर्द्धन के अंतर्गत संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थानों के 0.43 करोड़ रुपए के निवल (पिछले वर्ष 0.78 करोड़ रुपए) शेयर शामिल हैं।
** (देखें भाग–ग की टिप्पणी संख्या 22.2–अन्य लेखा टिप्पणियां)

टिप्पणी :– भाग–क–6
समेकित अचल परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास					निवल ब्लॉक	
		1.4.2013 को प्रारंभिक शेष	संवर्धन/ समायोजन	मूल्यह्रास/ समायोजन	31.3.2014 को अंतिम शेष	1.4.2013 को प्रारंभिक शेष	1.4.2013 से 31.3.2014 की अवधि के लिए	पूर्व अवधि समायोजन	वापस/ पश्चलिखित	31.3.2014 को अंतिम शेष	31.3.2014 को	31.3.2013 को
I.	मूर्त परिसंपत्तियां :											
	स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां											
	भूमि (फ्री होल्ड)	3.38	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38
	भूमि (लीज होल्ड)	37.87	0.00	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.87	37.87
	भवन	24.92	0.00	0.00	24.92	7.20	0.89	0.00	0.00	8.09	16.83	17.72
	ईडीपी उपकरण	14.57	0.97	0.24	15.30	10.93	1.64	0.00	0.17	12.40	2.90	3.64
	कार्यालय एवं अन्य उपकरण	14.03	0.85	0.19	14.69	7.71	0.97	0.00	0.09	8.59	6.10	6.32
	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	7.55	0.24	0.11	7.68	5.33	0.44	0.00	0.07	5.70	1.98	2.22
	वाहन	0.08	0.10	0.02	0.16	0.07	0.02	0.00	0.02	0.07	0.09	0.01
	कुल	**102.40**	**2.16**	**0.56**	**104.00**	**31.24**	**3.96**	**0.00**	**0.35**	**34.85**	**69.15**	**71.16**
	पिछले वर्ष	99.63	4.17	1.40	102.40	27.29	4.48	(0.01)	0.52	31.24	71.16	72.34
II.	**अमूर्त परिसंपत्तियां : खरीदा गया सॉफ्टवेयर (उपयोगी जीवन–5 वर्ष)**	**7.89**	**0.01**	**0.10**	**7.80**	**4.10**	**1.27**	**(0.02)**	**0.00**	**5.35**	**2.45**	**3.79**
	पिछले वर्ष	6.88	1.01	0.00	7.89	2.61	1.48	0.01	0.00	4.10	3.79	4.27
III.	चालू पंजी कार्य–. अमूर्त परिसंपत्तियां**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य#	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00
		0.00	**0.66**	**0.00**	**0.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.66**	**0.00**
	पिछले वर्ष	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

वर्ष के दौरान संवर्द्धन के अंतर्गत संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थानों के 1.04 करोड़ रुपए के निवल (पिछले वर्ष 0.05 करोड़ रुपए) शेयर शामिल हैं।
** सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग

टिप्पणी :– भाग–क–7
समेकित गैर चालू निवेश

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को		31.03.2013 को	
(क) व्यापार निवेश				
I. इक्विटी निवेश (उद्धृत)				
- लागत पर मूल्यांकित				
पीटीसी लिमिटेड के रु. 10/– प्रति शेयर मूल्य के 1,20,00,000 (पिछले वर्ष 1,20,00,000) पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर	**12.00**		12.00	
उप जोड़	**12.00**		12.00	
(ख) अन्य निवेश (अनुद्धृत और गैर व्यापार)				
I. इक्विटी निवेश–लागत पर मूल्यांकित				
पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के रु 10/– प्रति शेयर मूल्य के 32,20,000 (पिछले वर्ष 28,00,000) पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर (देखें, भाग–ग की टिप्पणी संख्या–8.4(ii)–अन्य लेखा टिप्पणियां)	**3.22**		2.80	
सहायक कंपनियों के रु 10/– प्रति शेयर मूल्य के 7,00,000 (पिछले वर्ष 7,00,000) पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर। (देखें, भाग–ग की टिप्पणी संख्या–2.1–अन्य लेखा टिप्पणियां)	**0.70**		0.70	
III. अन्य				
- लागत पर मूल्यांकित (घटाएं : अस्थाई के सिवाय, मूल्यह्रास यदि कोई हो)				
केएसके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" फंड की 76,82,816 (पिछले वर्ष 76,82,816) यूनिटें (अंकित मूल्य रु. 10/– प्रति यूनिट) (देखें, भाग–ग की टिप्पणी संख्या–8.4(i)–अन्य लेखा टिप्पणियां)	**7.68**		7.68	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**0.00**	**7.68**	0.15	7.53
उप जोड़		**11.60**		11.60
कुल		**23.60**		**23.03**

विवरण	बही समायोजित मूल्य	बाजार मूल्य
समग्र उद्धृत निवेश	12.00	81.17
(पिछले वर्ष)	(12.00)	(71.46)
समग्र अनुद्धृत (गैर व्यापार) निवेश	11.60	-
(पिछले वर्ष)	(11.03)	-
कुल	**23.60**	81.17
(पिछले वर्ष)	**(23.03)**	(71.46)

टिप्पणी–भाग क–8 ऋण
समेकित ऋण

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को						31.03.2013 को					
	चालू परिपक्वताएं (12 महीने)		गैर–चालू		कुल		चालू परिपक्वताएं (12 महीने)		गैर–चालू		कुल	
क.दीर्घावधि ऋण												
I प्रतिभूत ऋण												
क)शोध्य समझे गए												
राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य बिजली निगमों, केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों को रुपया सावधि ऋण (आरटीएल्स)	12,822.05		1,14,952.56		1,27,774.61		10,741.69		91,997.07		1,02,738.76	
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को रुपया सावधि ऋण	1,047.81		16,730.66		17,778.47		989.56		13,269.75		14,259.31	
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को विदेशी मुद्रा ऋण	30.32		47.78		78.10		27.46		70.76		98.22	
राज्य विद्युत संस्थाओं को विदेशी मुद्रा ऋण	12.83		25.66		38.49		0.00		0.00		0.00	
क्रेता ऋण सुविधा	67.94		492.07		560.01		10.20		122.36		132.56	
ऋणदाताओं को पट्टा वित्त सुविधा**	33.15		209.39		242.54		49.95		235.12		285.07	
उपकरण विनिर्माताओं को रुपया सावधि ऋण	247.69		810.65		1,058.34		224.83		688.79		913.62	
ऋणों पर प्रोदभूत और देय आय	438.65	14,700.44	0.00	1,33,268.77	438.65	1,47,969.21	35.23	12,078.92	0.00	1,06,383.85	35.23	1,18,462.77
ख) अन्य												
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को आरटीएल –एनपीए	414.68		581.74		996.42		196.77		723.01		919.78	
घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान	88.62	326.06	107.42	474.32	196.04	800.38	27.70	169.07	72.30	650.71	100.00	819.78
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को एफसीएल –एनपीए	110.37		120.92		231.29		77.80		136.93		214.73	
घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	22.07	88.30	24.18	96.74	46.25	185.04	7.78	70.02	13.69	123.24	21.47	193.26
उप जोड़ (I)		15,114.80		1,33,839.83		1,48,954.63		12,318.01		1,07,157.80		1,19,475.81

II. अप्रतिभूत ऋण												
क) शोध्य समझे गए												
राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य बिजली निगमों, केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों को रुपया सावधि ऋण (आरटीएल्स)	**2,683.35**		**25,746.29**		**28,429.64**		3,005.33		32,068.20		35,073.53	
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को रुपया सावधि ऋण	**206.05**		**8,018.88**		**8,224.93**		115.64		3,146.20		3,261.84	
राज्य विद्युत संस्थाओं को विदेशी मुद्रा ऋण	**0.00**		**0.00**		**0.00**		11.99		34.87		46.86	
क्रेता ऋण सुविधा	**0.00**		**11.17**		**11.17**		4.87		87.57		92.44	
उपकरण विनिर्माताओं को आरटीएल्स	**0.00**		**0.00**		**0.00**		0.00		0.00		0.00	
ऋणों पर प्रोदभूत और देय आय	**39.55**	**2,928.95**	**0.00**	**33,776.34**	**39.55**	**36,705.29**	0.01	3,137.84	0.00	35,336.84	0.01	**38,474.68**
उप जोड़ (II)		**2,928.95**		**33,776.34**		**36,705.29**		**3,137.84**		**35,336.84**		**38,474.68**
कुल (I+II)		**18,043.75**		**1,67,616.17**		**1,85,659.92**		**15,455.85**		**1,42,494.64**		**1,57,950.49**
ख.बॉण्ड्स												
I अप्रतिभूत बॉण्ड्स/डिबेंचर												
राज्य विद्युत निगमों से बॉण्ड्स/डिबेंचर		**0.00**		**1,170.50**		**1,170.50**		0.00		0.00		0.00
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से बॉण्ड्स/डिबेंचर		**0.00**		**29.52**		**29.52**		0.00		29.53		29.53
कुल भाग–ख		**0.00**		**1,200.02**		**1,200.02**		**0.00**		**29.53**		**29.53**
ग. अल्पावधि ऋण												
I प्रतिभूत ऋण–शोध्य समझे गए												
राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य बिजली निगमों को कार्यशील पूंजी ऋण		**812.98**		**0.00**		**812.98**		1,000.00		0.00		1,000.00
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को कार्यशील पूंजी ऋण		**100.00**		**0.00**		**100.00**		0.00		0.00		0.00
उप जोड़ (I)		**912.98**		**0.00**		**912.98**		1,000.00		0.00		1,000.00
II अप्रतिभूत ऋण–शोध्य समझे गए												
राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य बिजली निगमों को कार्यशील पूंजी ऋण		**1,483.08**		**0.00**		**1,483.08**		1,416.11		0.00		1,416.11
ऋणों पर प्रोदभूत और देय आय		**0.12**		**0.00**		**0.12**		0.00		0.00		0.00
उप जोड़ (II)		**1,483.20**		**0.00**		**1,483.20**		**1,416.11**		**0.00**		**1,416.11**
कुल ग (I +II)		**2,396.18**		**0.00**		**2,396.18**		**2,416.11**		**0.00**		**2,416.11**
कुल योग (क+ख+ग)		**20,439.93**		**1,68,816.19**		**1,89,256.12**		**17,871.96**		**1,42,524.17**		**1,60,396.13**

** (देखें, भाग ग की टिप्पणी 11 (क)– अन्य लेखा टिप्पणियाँ)

टिप्पणी–भाग क–9
समेकित अन्य परिसंपत्तियां

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को						31.03.2013 को					
	चालू		गैर–चालू		कुल		चालू		गैर–चालू		कुल	
ऋण एवं अग्रिम												
ऋण (शोध्य समझे गए)												
क) कार्मिकों को (प्रतिभूत)	**2.51**		**15.55**		**18.06**		2.34		15.23		17.57	
ख) कार्मिकों को (अप्रतिभूत)	**5.32**	**7.83**	**35.70**	**51.25**	**41.02**	**59.08**	4.11	6.45	27.26	42.49	31.37	48.94
अग्रिम (अप्रतिभूत शोध्य समझे गए)												
निम्नांकित को नकदी या वस्तु अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम :												
क) सहायक कंपनियों को (उन पर वसूली योग्य ब्याज सहित) (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 8.2– अन्य लेखा टिप्पणियां)	**164.81**		**92.21**		**257.02**		2.37		219.35		221.72	
ख) कार्मिकों को	**1.31**		**0.54**		**1.85**		1.16		0.45		1.61	
ग) पूर्व अदा किए गए व्यय	**2.12**		**0.16**		**2.28**		2.03		0.15		2.18	
घ) अन्य	**101.28**		**1.13**		**102.41**		82.24		0.41		82.65	
ङ) अग्रिम आयकर और स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	**3.64**		**53.51**		**57.15**		2.18		105.07		107.25	
च) प्रतिभूति जमा राशि	**3.60**	**276.76**	**0.08**	**147.63**	**3.68**	**424.39**	3.28	93.26	0.36	325.79	3.64	419.05
अन्य परिसंपत्तियां												
प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं												
क) ऋण आस्तियों पर ब्याज	**3,865.81**		**0.00**		**3,865.81**		3,257.45		0.00		3,257.45	
ख) अन्य प्रभार	**15.63**		**0.00**		**15.63**		16.11		0.00		16.11	
ग) कार्मिकों को ऋणों पर ब्याज	**0.25**		**11.74**		**11.99**		0.23		8.52		8.75	
घ) जमा राशियों और निवेशों प्रोत्साहन पर ब्याज	**10.10**	**3,891.79**	**0.00**	**11.74**	**10.10**	**3,903.33**	29.54	3,303.33	0.00	8.52	29.54	3,311.85
ऋण एवं अग्रिम (अप्रतिभूत–अन्य)												
अनुत्पादक आस्तियां (एनपीएज)	**104.77**		**0.00**		**104.77**		84.14		0.00		84.14	
घटाएं : आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	**21.71**	**83.06**	**0.00**	**0.00**	**21.71**	**83.06**	9.26	74.88	0.00	0.00	9.26	74.88
कुल #		**4,259.44**		**210.62**		**4,470.06**		**3,477.92**		**376.80**		**3,854.72**

 # वर्ष के दौरान संवर्द्धन के अंतर्गत संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थानों के 1.78 करोड़ रुपए के निवल (पिछले वर्ष 2.89 करोड़ रुपए) शेयर शामिल हैं।

टिप्पणी–भाग क–10
समेकित चालू निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण		31.03.2014 को		31.03.2013 को
क. इक्विटी लिखत– निम्नतर लागत अथवा उचित मूल्य पर स्क्रिप वार मूल्यांकित (व्यापार एवं उद्धृत)				
पीजीसीआईएल के 5,39,349 शेयर (पिछले वर्ष– 5,39,349 शेयर) (अंकित मूल्य रु. 10/– प्रति शेयर पूर्ण चुकता) रु. 52/– प्रति शेयर खरीदे गए	2.80		2.80	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	0.00	2.80	0.00	2.80
आरईसी लिमिटेड के 97,952 शेयर (पिछले वर्ष– 97,952 शेयर) (अंकित मूल्य रु. 10/– प्रति शेयर पूर्ण चुकता) रु. 105/– प्रति शेयर लागत पर खरीदे गए	1.03		1.03	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	0.00	1.03	0.00	1.03
कुल		**3.83**		**3.83**

विवरण	बही समायोजित मूल्य	बाजार मूल्य
उद्धृत निवेश का समग्र	**3.83**	**7.91**
(पिछले वर्ष)	**(3.83)**	(7.75)
कुल	**3.83**	**7.91**
(पिछले वर्ष)	**(3.83)**	**(7.75)**

टिप्पणी – भाग क–11
समेकित नकद और बैंक शेष

(रु. करोड़ में)

विवरण		31.03.2014 को		31.03.2013 को
क. नकदी और नकदी समतुल्य				
i) निम्नांकित के साथ चालू खाते में शेष				
a. भारतीय रिजर्व बैंक	0.05		0.05	
b. अनुसूचित बैंकों	3.17	3.22	3.29	3.34
ii) हस्तगत चैक		58.36		0.62
iii) एस्क्रो कलेक्शन बैंकर के साथ पब्लिक इश्यू खाता		0.00		165.37
iv) अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा (मूल परिपक्वता 3 महीने तक)		1.25		4,686.64
उप जोड़ (क)		62.83		4,855.97
ख. अन्य बैंक शेष				
i) बॉण्ड्स पर ब्याज, लाभांश आदि का भुगतान करने के लिए अनुसूचित बैंकों के साथ चालू खाते में शेष		1.50		1.25
ii) अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा (मूल परिपक्वता 3 महीने लेकिन 12 महीने तक)		395.11		100.26
उप जोड़ (ख)		396.61		101.51
iii) अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा (मूल परिपक्वता 12 महीने से अधिक)		27.36		22.85
उप जोड़ (ग)		27.36		22.85
कुल (क)+(ख)+(ग) #		486.80		4,980.33

वर्ष के दौरान संवर्धन के अंतर्गत संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थानों के 28.34 करोड़ रुपए के (पिछले वर्ष 27.11 करोड़ रुपए) शेयर शामिल हैं।

टिप्पणी – भाग क–12
प्रचालनों से समेकित राजस्व

(रु. करोड़ में)

विवरण		31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष
(क) ब्याज				
ऋणों पर ब्याज		**20,955.19**		16,893.50
पट्टा संबंधी आय		**25.26**		29.40
उप जोड़ (I)		**20,980.45**		16,922.90
(ख) अन्य प्रचालनगत आय				
ऋणों पर पूर्व अदा किया गया प्रीमियम		**182.74**		10.96
ऋणों पर अग्रिम शुल्क		**35.57**		36.69
ऋणों पर सेवा प्रभार		**0.00**		0.00
प्रबंधन, एजेंसी और गारंटी शुल्क		**148.95**		117.33
ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क	**4.15**		4.34	
घटाएं : माफ किए गए ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क	**(0.75)**	**3.40**	0.00	4.34
अधिशेष निधि से आय		**203.29**		169.12
आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत नोडल एजेंसी शुल्क (देखे, भाग ग की टिप्पणी संख्या 14(ii)–अन्य लेखा टिप्पणियां)		**18.50**		16.52
परामर्शी कार्यों से आय		**41.63**		30.56
उप जोड़ (II)		**634.08**		388.52
कुल (I)+(II) #		**21,614.53**		**17,311.42**

वर्ष के दौरान संवर्द्धन के अंतर्गत संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थानों के 8.48 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6.70 करोड़ रुपये) के शेयर शामिल हैं।

टिप्पणी–भाग क–13
अन्य समेकित आय

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
गैर–चालू निवेशों पर लाभांश/ब्याज आय	**1.92**	2.13
चालू निवेश पर लाभांश आय	**0.22**	0.25
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	**0.01**	0.01
गैर–चालू निवेश की बिक्री पर लाभ	**0.00**	0.05
आय कर रिफंड पर ब्याज	**2.42**	0.18
विविध आय	**7.73**	3.34
अत्यधिक देयताएं पश्च लिखित	**2.39**	0.04
कुल#	**14.69**	**6.00**

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थान के 0.02 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.01 करोड़ रुपए) के शेयर शामिल हैं।

टिप्पणी – भाग क–14
समेकित ब्याज, वित्त एवं अन्य प्रभार

(रु. करोड़ में)

	विवरण		31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष
I	**ब्याज**				
	बॉण्डों पर	10,682.71		8,579.57	
	ऋणों पर	1,644.05		1,772.32	
	ब्याज सब्सिडी निधि पर भारत सरकार को	10.70		19.00	
	ऋणकर्ताओं को समय पर पुनर्भुगतान के लिए छूट	205.90		167.46	
	स्वैप प्रीमियम (निवल)	8.38	12,551.74	13.45	10,551.80
II	**अन्य प्रभार**				
	प्रतिबद्धता और एजेंसी शुल्क	0.41		1.13	
	वाणिज्यक कागज पर वित्तीय प्रभार	192.22		200.74	
	गारंटी, सूचीकरण और ट्रस्टीशिप शुल्क	2.11		1.99	
	विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्रबंधन शुल्क	0.25		64.44	
	बैंक/अन्य प्रभार	0.03		0.07	
	परामर्शी सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष ओवरहैड्स	8.02	203.04	4.58	272.95
	सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिम पर अदा किया गया ब्याज	6.56		7.63	
	घटाएं : सहायक कंपनियों को दिए गए अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	(6.77)	(0.21)	(4.90)	2.73
III	**निवल अंतरण/ट्रांजेक्शन विनिमय हानि (+/लाभ (–))**		452.52		167.98
	कुल (I+II+ III)		13,207.09		10,995.46

टिप्पणी – भाग क–15
समेकित बॉण्ड निर्गम व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
आवेदन निधि पर ब्याज	39.28	61.27
क्रेडिट रेटिंग शुल्क	3.50	2.84
अन्य निर्गम व्यय	32.24	24.97
स्टाम्प ड्यूटी फीस	4.07	8.25
कुल	79.09	97.33

टिप्पणी – भाग क–16
समेकित कार्मिक हितलाभ व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी और बोनस	69.15	71.96
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	7.44	6.85
कार्मिक कल्याण	9.95	8.06
कार्मिकों के आवासीय भवनों के लिए किराया (देखें, भाग ग की टिप्पणी संख्या 11(ख) –अन्य लेखा टिप्पणियां)	4.47	3.95
कुल #	91.01	90.82

 # संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थान के 0.93 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.79 करोड़ रुपए) के शेयर शामिल हैं।

टिप्पणी – भाग क–17
अन्य समेकित व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
प्रशासनिक व्यय		
कार्यालय किराया	**1.25**	1.31
विद्युत और जल प्रभार	**1.62**	1.57
बीमा	**0.05**	0.05
मरम्मत और अनुरक्षण	**2.87**	2.51
मुद्रण और लेखन सामग्री	**1.81**	0.97
यात्रा एवं वाहन	**9.18**	8.42
डाक, टेलीग्राफ और टेलीफोन व्यय	**1.96**	1.64
व्यावसायिक एवं परामर्शी प्रभार	**1.30**	1.18
विविध व्यय*	**20.48**	20.43
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	**0.10**	0.04
लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	**0.66**	0.55
सेवा कर	**4.00**	5.93
दरें और कर	**1.14**	0.95
पीएमसी (विद्युत मंत्रालय) में अंशदान	**0.30**	0.55
उप जोड़ (I)	**46.72**	46.10
अन्य		
आर–एपीडीआरपी व्यय	**42.59**	0.00
उप जोड़ (II)	**42.59**	0.00
कुल योग (I+II)#	**89.31**	**46.10**

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थान के 1.46 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1.16 करोड़ रुपये) के शेयर शामिल हैं।

*** नोटः**

1)	**समेकित विविध व्यय में निम्नांकित शामिल हैं –**		
	पुस्तकें और पत्रिकाएं	**0.05**	0.04
	विज्ञापन	**4.72**	5.52
	सदस्यता और अंशदान	**0.67**	0.60
	मनोरंजन	**0.58**	0.55
	सम्मेलन एवं बैठक व्यय	**1.07**	1.19
	सुरक्षा व्यय	**1.42**	1.11
	प्रशिक्षण	**0.75**	0.65
	ईडीपी व्यय	**1.83**	2.04
	व्यापार प्रोत्साहन/संबंधित व्यय	**0.35**	0.17
	उपकरण किराया प्रभार	**0.00**	0.00
	आय कर पर ब्याज	**5.51**	4.07
2)	**लेखा परीक्षक पारिश्रमिक में निम्नांकित शामिल हैं :–**		
	लेखा परीक्षक शुल्क	**0.25**	0.19
	कर परीक्षण शुल्क	**0.06**	0.05
	अन्य प्रमाणन सेवाएं	**0.35**	0.31
	किए गए व्यय की अदायगी	**0.00**	0.00

टिप्पणी – भाग क–18
समेकित पूर्वावधि मदें (निवल)

(रु. करोड़ में)

विवरण		31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष
पूर्वावधि व्यय :				
ब्याज और अन्य प्रभार	**0.34**		1.18	
निर्गम व्यय	**0.19**		0.00	
कार्मिक एवं प्रशासन व्यय –सीएसआर	**0.00**		(16.39)	
कार्मिक एवं प्रशासन–अन्य	**(0.74)**		0.37	
मूल्यह्रास	**(0.02)**	**(0.23)**	0.00	(14.84)
घटाएं पूर्व अवधि आय				
ब्याज आय	**0.00**		(3.27)	
अन्य आय	**0.00**	**0.00**	(2.65)	(5.92)
कुल #		**(0.23)**		**(8.92)**

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थान के 0.04 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.06 करोड़ रुपए) के शेयर शामिल हैं।

भाग–ख

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी), उसकी सहायक कंपनी संयुक्त उद्यम कंपनी और सहयोगी कंपनी से संबंधित है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं :–

i) कंपनी और इसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस) 21–समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार मे अंतः–समूह शेष और अंतः–समूह संव्यवहार को पूरी तरह हटाने के बाद परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही–मूल्य के साथ जोड़ कर पंक्ति–दर–पंक्ति आधार पर संयोजित किए गए हैं? जिसके परिणामस्वरूप लाभों अथवा हानियों को अप्राप्त दिखाया गया है।

ii) संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरण लेखांकन मानक (एएस) 27–संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार में अप्राप्त लाभों अथवा हानियों के यथानुपातिक शेयर को हटाने के बाद परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के संबंध में पंक्ति–दर–पंक्ति आधार पर यथानुपातिक समेकन पद्धति को अपना कर संयोजित किए गए हैं।

iii) समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान संव्यवहारों एवं अन्य घटनाओं के लिए समान लेखा नीतियां अपना कर तैयार किए गए हैं, और लेखा संबंधी टिप्पणियों में अन्यथा उल्लिखित को छोड़ कर, यथासंभव उसी रीति से दर्शाए गए हैं, जिस रीति से कंपनी के पृथक वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए हैं।

iv) ऐसी सहयोगी कंपनियों, जिनमें सहायक कंपनी के माध्यम से, कंपनी की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 20 प्रति ात से अधिक इक्विटी है, में कंपनी के निवेशों का लेखांकन समेकित वित्तीय विवरण में, लेखा मानक (एएस) 23–'सहयोगी कंपनियों में निवेश के लिए लेखांकन' का अनुपालन करते हुए इक्विटी पद्धति का प्रयोग करके किया गया है।

ख. वे सहायक एवं सहयोगी कंपनियाँ, जिन सहायक एवं सहयोगी कंपनियों में निवेश समेकित नहीं किया गया है, उनका लेखांकन, लेखा मानक (एएस) 13–निवेशों का लेखांकन, के अनुसार नीति संख्या 6.3 के अनुसार किया गया है।

ग. अन्य महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण सर्वमान्य लेखांकन सिद्धांतों और कंपनी (लेखामानक) नियमावली, 2006 द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के संबंधित उपबंधों के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर परंपरागत लागत के अनुसार तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण की तैयारी करने के लिए प्रबंध मंडल को रिपोर्टिंग अवधि की उल्लिखित परिसंपत्तियों, देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित), राजस्व एवं व्यय में विचारित अनुमान एवं धारणाएं बनानी होती हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिस अवधि में परिणाम ज्ञात होते हैं और/या साकार होते हैं।

2. आय/व्यय की मान्यता

2.1 आय तथा व्यय (निम्नलिखित को छोड़ कर) की प्रोद्भवन आधार पर लेखाओं में प्रविष्टि की जाती है।

2.1.1 गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों पर तथा लेखा नीतियों के पैराग्राफ 6.2 के परंतुक में उल्लिखित परिसंपत्तियों पर आय उसकी प्राप्ति के वर्ष में मानी जाती है। परंतु संबंधित परिसंपत्तियों के गैर–निष्पादन परिसंपत्तियां बनने से पहले अप्राप्त मान्य आय या पैराग्राफ 6.2 के परंतुक में उल्लिखित परिसंपत्तियों के संबंध में मान्य आय, जो छह माह की अवधि तक बकाया, किंतु अप्रदत्त रही हो, का व्युत्क्रम कर दिया जाएगा।

2.1.2 हेड कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत प्रदत्त आय को उस वर्ष की आय में माना जाता है, जिस वर्ष में वह कंपनी को प्राप्त होती है।

2.2 ऋणकर्ताओं द्वारा समय पर भुगतान करने संबंधी छूट को उस वर्ष की आय माना जाता है, जिस वर्ष में वह कंपनी को प्राप्त होती है।

2.3 वाणिज्यिक पेपरों तथा जीरो कूपन बॉण्डों (डिस्काउंट बॉण्ड) पर छूट/वित्तीय प्रभार/ब्याज निर्धारित अवधि की संपत्ति पर आनुपातिक आधार पर परिशोधित होती है।

2.4 शेयर के निर्गम पर हुए व्यय को शेयरों के निर्गम से प्राप्त शेयर प्रीमियम से प्रभारित किया गया है।

2.5 लाभांश से आय को लाभांश की घोषणा के वर्ष में लेखाओं में लिया गया है।

2.6 ऋणकर्ता लेखों में, वसूली को ऋण करारों के अनुसार प्रभाजित किया गया है।

2.7 कंपनी ऋण करारों के अनुसार बकाया मूल किस्तों की मांग करती है। चुकौती राशि को पूर्व के संवितरणों में समायोजित किया गया है, भले ही ब्याज दर विभिन्न संवितरणों पर प्रभारित की जा रही हो।

2.8 पूर्व अवधि के व्ययों/आय और रु. 5000/– तक के पूर्व प्रदत्त व्ययों को सामान्य लेखा शीर्षों में प्रभारित किया गया है।

2.9 परामर्श सेवा से प्राप्त आय को संबंधित परामर्श संविदाओं की शर्तों के अनुसार समग्र कार्यक्षेत्र के संबंध में यथानुपातिक किए गए कार्य की वास्तविक प्रगति के प्रबंधन द्वारा निर्धारण के आधार पर लेखाओं में लिया गया है।

2.10 अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्पेशल परपज व्हीकल्स)/स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के विकास के लिए सलाह एवं पेशेवर सेवाओं की फीस, सफल बोलीदाता को परियोजना स्थानांतरित करने पर ही देय होती है एवं तदनुसार इस प्रकार के स्थानांतरण के समय ही, उसे खाते में लिखा जाता है।

3. विविध (प्रारंभिक) व्यय

जो व्यय लेखा मानक–26 के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियां नहीं हैं, उन्हें उसी वर्ष में पूर्णतया अपलिखित किया जाएगा, जिस वर्ष में उन्हें लिखा गया है।

4. स्थायी परिसंपत्तियां / मूल्यह्रास

4.1 स्थाई परिसंपत्ति को परंपरागत लागत पर कम संचित मूल्यह्रास पर दर्शाया गया है, जबकि सक्रिय उपयोग से निवृत्त तथा निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्ति को कम अंकित मूल्य अथवा निवल वसूलनीय मूल्य पर दर्शाया गया है।

4.2 स्थाई परिसंपत्तियों में वृद्धि को अनुमोदित बिलों के आधार पर या जिन मामलों में अंतिम बिल अभी प्राप्त / अनुमोदित किए जाने हैं, उन मामलों में संविदाओं के अनुसार किए गए कार्य के अनुमानित मूल्य के आधार पर पूंजीकृत जा रहा है।

4.3 कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–XIV में यथाविहित दरों के अनुरूप, लीज परिसंपत्तियों से भिन्न परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान अवलिखित मूल्य पद्धति पर किया गया है।

4.4 वर्ष के दौरान रु. 5000 / – तक की लागत वाली अर्जित स्थाई परिसंपत्ति की मद का पूर्णतः मूल्यह्रास किया गया है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां / परिशोधन

5.1 सॉफ्टवेयर जैसी अमूर्त परिसंपत्तियों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है और परिशोधन कंपनी द्वारा अनुमानित परिसंपत्तियों की पूरी अवधि तक सीधी रेखा पद्धति द्वारा किया गया है।

6. निवेश

6.2 सूचीबद्ध वर्तमान निवेशों का मूल्य निर्धारण निम्नतर लागत या उचित मूल्य पर स्क्रिपवार किया गया है।

6.3 असूचीबद्ध वर्तमान निवेशों का मूल्य निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर निम्नतर लागत या उचित मूल्य पर किया गया है।

6.4 दीर्घकालिक निवेश का मूल्य निर्धारण लागत पर किया गया है। अस्थाई निवेश को छोड़ कर अन्य निवेशों में कमी के लिए प्रावधान इन निवेशों के मूल्य में किया गया है। परतु, मूल्य में कमी उस समय बदल जाती है जब मूल्य में वृद्धि होती है या यदि कमी का कारण लंबे समय तक नहीं रहता है।

6.5 म्यूचुअल फंड / जोखिम पूंजी निधि में निवेश अस्थाई निवेश को छोड़ कर अन्य निवेशों में कमी को घटा कर दिया गया है। परंतु मूल्य में कमी उस समय बदल जाती है, जब मूल्य में वृद्धि होती है या यदि कमी का कारण लंबे समय तक नहीं रहता है।

7. ऋणों और अग्रिमों के संबंध में प्रावधान / बट्टे खाते में डालना

प्रूडेंशियल मानदंड

7.1 पीएफसी चूंकि सरकारी स्वामित्वाधीन गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, अतः प्रूडेंशियल मानदंड के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तथापि कंपनी ने वित्त वर्ष 01.04.2003 से प्रूडेंशियलता का अपना सैट तैयार किया है, जिसे समय–समय पर संशोधित किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएफसी को दिनांक 28.07.2010 के अपने पत्र द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) का दर्जा दिया है। तदनुसार, पीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी पर लागू सीआरएआर अनुरक्षित करती है।

7.2 निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रूडेंशियल मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति पर तथा पट्टाधृत परिसंपत्ति जिसके संबंध में ऋण की मूल किश्तें, ब्याज और / या अन्य प्रभार देय हों, लेकिन 6 माह से अधिक की अवधि तक जिनका भुगतान न किया गया हो, सावधि ऋण जिसमें भुगतान न किया गया ब्याज और देय शामिल हैं, जब किश्तें और / या ब्याज का 6 माह या उससे अधिक की अवधि तक भुगतान न किया गया हो, ऐसी राशि जो देय हो परंतु जिसका 6 माह से या उससे अधिक की अवधि तक बिल पट्टा स्कीम के अंतर्गत भुगतान न किया गया हो और ऐसी कोई राशि जो परिसंपत्तियों की बिक्री या दी गई सेवाओं या किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के कारण देय हो परंतु जिसका 6 माह या उससे अधिक की अवधि तक भुगतान न किया गया हो, गैर–निष्पादन परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत की गई है।

परंतु, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को गैर–निष्पादन परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा और इन ऋणों पर आय प्राप्ति आधार पर मान्य होगी।

(i) भारतीय रिजर्व बैंक के 14 मई, 2002 के अ.भा. पत्र डीबीएस एफआईडी सं 1285 / 01–02–00 / 2001–02 और भारतीय रिजर्व बैंक के 11–11–2008 के पत्र सं डीबीओडी बीपी सं 7675 / 21.04..048 / 2008–09 के साथ पठित 01 फरवरी, 2002 के परिपत्र सं डीबीएस, एफआईडी सं सी–11 / 01–02 / 2001–02 के अनुसार क्रियान्वयन के अधीन परियोजनाओं से संबंधित ऋण।

(ii) ऐसी सुविधा, जिसके लिए केंद्र / राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई हो या राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय योजना आबंटन से या राज्य सरकार को दिए गए ऋण से कटौती का वचन उस तारीख से अधिकतम 12 माह की अवधि के लिए दिया गया हो, जिस तारीख से पीएफसी की देय राशि का ऋणकर्ता द्वारा भुगतान न किया गया हो।

(iii) ऐसी एकीकृत विद्युत कंपनी को संवितरित ऋण, जिसे राज्यों के विभाजन के कारण विभाजित कर दिया गया हो, पीएफसी परिसंपत्तियों एवं देयताओं के विभाजन के लिए जारी सरकारी आदेश का तब तक पालन करेगी जब तक उसके लिए किसी न्यायालय द्वारा उसे अधिस्थगित न कर दिया जाए और केवल न्यायालय में विचाराधीन हो।

(iv) जिस तारीख से पीएफसी की देय राशि का ऋणकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, उस तरीख से अधिकतम 12 माह की अवधि के लिए किसी विवाद के कारण देय राशि का ऐसा भाग जिसका ऋणकर्ता द्वारा शोधन न किया गया हो। विवादास्पद आय को तभी मान्य माना जाएगा, जब उसकी वास्तव में प्राप्ति हो जाएगी। लेखा पुस्तिकाओं में पहले से मान्य मान ली गई किसी विवादास्पद आय को बदल दिया जाएगा। विवादास्पद देय राशि का अर्थ वित्तीय प्रभारों जैसे प्रतिबद्धता प्रभारों, दांडिक ब्याज आदि के कारण देय राशि से है और ऐसे कुछ विवादों के कारण जिन का समाधान नहीं हुआ है, ऋणकर्ता द्वारा शोधित न की गई पुनर्निर्धारित ब्याज के कारण विवादास्पसद विभेदी आय से है। विवाद को निदेशक मंडल के अनुमोदन से मामले के आधार पर स्वीकार किया जाएगा।

7.3 ऋणों, अन्य क्रेडिटों तथा पट्टाधृत परिसंपत्तियों के लिए गैर–निष्पादन परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड निम्नलिखित हैं :–

(i)	अधिकतम 18 माह तक की अवधि वाली गैर–निष्पादन परिसंपत्ति	:	अवमानक परिसंपत्ति
(ii)	18 माह से अधिक अवधि वाली गैर–निष्पादन परिसंपत्ति	:	संदिग्ध परिसंपत्ति
(iii)	जब पीएफसी द्वारा परिसंपत्ति हानि परिसंपत्ति के रूप में अभिनिर्धारित की गई हो या जब परिसंपत्ति 36 माह से अधिक अशोध्य रही हो इनमें से जो भी पहले हो	:	हानि परिसंपत्ति

परिसंपत्तियों के वर्गीकरण एवं प्रावधान करने के प्रयोजन हेतु :

(क) सरकारी और निजी क्षेत्र की विद्युत संस्थाओं को प्रदान की गई सुविधाओं पर ऋणकर्तावार विचार किया गया है :

i) सरकारी क्षेत्र के ऋण, जहां प्रत्येक परियोजना से नकदी प्रवाह अलग से पहचाने जाने योग्य है और उसी परियोजना पर लागू होता है, पीएफसी ऐसे ऋणों को परियोजनावार आधार पर वर्गीकृत करेगी।

(ख) ऋणकर्ता द्वारा प्रतिभूति समझौते के अनुपालन में पीएफसी के पास जमा कराई गई प्रतिभूति जमा और साथ ही प्रतिभूति समझौते के अनुपालन में उपलब्ध किसी अन्य प्रतिभूति के मूल को ऊपर वर्णित प्रावधानों के संदर्भ में घटाया जा सकता है।

(ग) किसी भी पद्धति द्वारा पुनर्निधारित और/या पुनः मोलभाव किए गए और/या पुनर्गठित ऋण, चाहे वे मूलधन के लिए हों या ब्याज राशि के लिए, के अधीन एनपीए (गैर निष्पादक परिसंपत्तियां) तब तक मानक श्रेणी तक उन्नयन नहीं की जाएंगी, जब तक कि पुनर्गठित और/या पुनर्निधारित और/या पुनः मोलभाव की गई शर्तों के अधीन संतोषजनक निष्पादन का एक वर्ष पूरा न हो गया हो।

(घ) ब्याज पुनर्गठन, जो पीएफसी द्वारा सामान्यतः पिछले ऊंची ब्याज वाले ऋणों को कम ब्याज वाले ऋणों में परिवर्तित करते हुए ऋणकर्ताओं की सहायता के लिए किया जाता है, पर पुनर्निधारण/ऋण पुनर्गठन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(ङ) उपर्युक्त पैराग्राफ 6.2(i) के अंतर्गत आने वाली सुविधाओं को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के परिसंपत्ति वर्गीकरण संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों, जो समय समय पर बैंकों पर लागू होते हैं, के अनुरूप वर्गीकृत किया जाएगा, लेकिन ऐसी सुविधाओं के लिए प्रावधान समय समय पर लागू पीएफसी प्रूडेंशियल मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

7.4 गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों (किराया खरीद और पट्टे पर धारित परिसंपत्तियों को छोड़ कर) में नीचे दी गई दरों पर प्रावधान किया गया है :–

(i)	अव–मानक परिसंपत्ति	:	10%
(ii)	संदिग्ध परिसंपत्ति –		
	(क) राज्य/केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत सहित ऐसा प्रतिभूत भाग/सुविधाएं जिनके लिए राज्य विभाग को योजना आबंटन या ऋण आबंटन या ऋण से कटौती का वचन दिया गया है		
	1 वर्ष तक	:	20%
	1 से 3 वर्ष	:	30%
	3 वर्ष से अधिक	:	100%
	(ख) अप्रतिभूत*	:	100%

*केंद्र/राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी प्रतिष्ठान द्वारा गारंटीकृत ऋण (सुविधा) जिसके लिए राज्य विभाग को योजना आबंटन या ऋण आबंटन या ऋण से कटौती का वचन दिया गया हो, को प्रावधान के प्रयोजन के लिए सुरक्षित समझा जाएगा।

(iii)	हानि परिसंपत्ति	:	100%

समस्त हानि परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाला जाएगा। यदि हानि परिसंपत्ति को किसी कारण बहियों में रखने की अनुमति होगी तो 100% बकाया राशि का प्रावधान किया जाएगा।

7.5 किराया खरीद और पट्टे पर धारित परिसंपत्तियों के संदर्भ में प्रावधान गैर–बैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकार या धारण न करने वाली) कंपनियों के प्रूडेंशियल मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2007, जो दिनांक 1 जुलाई, 2013 के परिपत्र के तहत जारी किए गए और जिनमें परवर्ती संशोधन किए गए, के अनुसार किया जाएगा।

ऊपर वर्णित पैरा 9(2) को निम्नांकित रूप में पुनर्गठित किया गया है :–

"पट्टा और किराया खरीद परिसम्पत्तियां"

(2) किराया खरीद और पट्टे पर धारित परिसंपत्तियों के संदर्भ में प्रावधान निम्नांकित अनुसार किया जाएगा :

किराया खरीद परिसंपत्तियां

(i) किराया खरीद परिसंपत्तियों के संदर्भ में, निम्नांकित को घटा कर कुल देय (कालातीत और भावी किश्तों को मिला कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा।

(क) लाभ एवं हानि खाते में क्रेडिट न किए गए वित्त प्रभार और अपरिपक्व वित्त प्रभार के रूप में अग्रषित किए गए; और

(ख) आधारभूत परिसंपत्ति के ह्रासित मूल्य।

स्पष्टीकरण : इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए परिसंपत्ति के ह्रासित मूल्य की गणना परिसंपत्ति की मूल लागत के आधार पर की जाएगी, जिसमें सीधी पंक्ति पद्धति के अनुसार प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की दर से मूल्य ह्रास किया जाएगा; और पुरानी परिसंपत्ति के मामले में मूल लागत ऐसी पुरानी परिसंपत्ति को खरीदने के लिए अदा की गई वास्तविक लागत को समझा जाएगा।

किराया खरीद और पट्टा आधारित परिसंपत्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

किराया खरीद और पट्टा आधारित परिसंपत्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

(ii) किराया खरीद और पट्टा आधारित परिसंपत्तियों के संदर्भ में अतिरिक्त प्रावधान निम्नांकित अनुसार होंगे :

(क)	जहां किराया प्रभार या पट्टा किराया 12 महीने तक बाकी हो	शून्य
(ख)	जहां किराया प्रभार या पट्टा किराया 12 महीने से अधिक लेकिन 24 महीने तक बाकी हो	निवल बही मूल्य का 10%
(ग)	जहां किराया प्रभार या पट्टा किराया 24 महीने से अधिक लेकिन 36 महीने तक बाकी हो	निवल बही मूल्य का 40%
(घ)	जहां किराया प्रभार या पट्टा किराया 36 महीने से अधिक लेकिन 48 महीने तक बाकी हो	निवल बही मूल्य का 70%
(ङ)	जहां किराया प्रभार या पट्टा किराया 48 महीने से अधिक के लिए बाकी हो	निवल बही मूल्य का 100%

(iii) किराया खरीद/पट्टा धारित परिसंपत्ति की अंतिम किश्त की निर्धारित तारीख के बाद 12 महीने की अवधि समाप्त होने पर, उसके समूचे निवल बही मूल्य के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाएगा।

7.6 मानक परिसंपत्तियां (किराया खरीद और पट्टा धारित परिसंपत्तियों सहित) (गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां प्रूडेंशियल मानदंड (रिजर्व बैंक) दिशा निर्देश 2007 और समय–समय पर परवर्ती संशोधन, के पैरा 9(ए) के अनुसार)।

मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान' बकाया राशि के 0.25: की दर से किया जाएगा, जिसकी गणना अनुत्पादक परिसंपत्तियों के निवल मूल्य पर नहीं की जाएगी। मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान सकल अग्रिमों के निवल पर नहीं किया जाएगा बल्कि यह प्रावधान सकल ऋण परिसंपत्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा, लेकिन इसे तुलन–पत्र में 'मानक परिसंपत्तियों के लिए आकस्मिक प्रावधान' के रूप में अलग से दिखाया जाएगा।

*मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान के प्रयोजन के लिए, मानक परिसंपत्तियों का अर्थ होगा मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण एवं अग्रिम।

7.7 ऋण की शर्तों का पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण या पुनः मोल–भाव करना :

(i) पीएफसी, निम्नलिखित चरणों के तहत कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित नीतिगत ढांचे के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण समझौते की शर्तों का एक बार से ज्यादा पुनर्गठन नहीं करेगा अथवा पुनः समय सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी अथवा उन पर पुनः बातचीत नहीं की जाएगी –

(क) वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने से पूर्व।

(ख) वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने के पश्चात्, परंतु परिसंपत्तियों को अवमानक वर्गीकृत करने से पूर्व।

(ग) वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ होने और परिसंपत्तियों को अवमानक वर्गीकृत करने के पश्चात्।

परन्तु, उपरोक्त तीन चरणों के प्रत्येक चरण में मूलधन तथा ब्याज का पुनर्गठन और/अथवा पुनः समय–सीमा निर्धारण और/अथवा पुनः मोल–भाव अधित्याग अथवा बिना अधित्याग के किया जा सकता है, जो ऐसे पुनर्गठन अथवा पुनः समय–सीमा निर्धारण या पुनः मोल–भाव के पैकेज के हिस्से के रूप में किया जाएगा।

परन्तु, यह भी उपबंधित है कि विशिष्ट परिस्थितियों में, लिखित में दर्ज किए कारणों के चलते, पीएफसी, निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ किसी परियोजना के सीओडी से पूर्व ऋण समझौते की शर्तों को दूसरी बार पुनर्गठन/पुनः समय–सीमा निर्धारण/पुनः मोल–भाव करने पर विचार कर सकती है।

परन्तु यह और भी कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में इस खण्ड की अनुप्रयोज्यता के प्रयोजनार्थ सीओडी' से पूर्व पुनर्भुगतान समय–सीमा पर बिना मूलधन या ब्याज के अधित्याग** किए पुनर्गठन/पुनः समय–सीमा निर्धारण/पुनः मोल–भाव नहीं किया जाएगा।

*जहां सीओडी लागू न हो, वहां परियोजनाओं के पूरा होने की तारीख।

**अधित्याग शब्द का अर्थ सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के संदर्भ में प्रभावी उपबन्धों को लागू करने के परियोजनार्थ पुनर्गठन/पुनः समय सीमा निर्धारण/पुनः मोल–भाव के भाग के रूप में मूलधन की और/अथवा देय ब्याज और/अथवा भविष्य में लागू ब्याज दर की माफी/कमी होगा।

(ii) पुनर्गठित/पुनः समय सीमा निर्धारित/पुनः मोल–भाव किए गए ऋण की जमा राशि में कमी हेतु उपबंध :

उस स्थिति में जब परिसंपत्तियों को आंशिक रूप से प्रतिभूत किया गया हो तो ऋणों को पुनर्गठित करते हुए और/अथवा पुनः समय सीमा निर्धारित करते हुए/अथवा पुनः बातचीत करते हुए, प्रूडेंशियल मानदंडों के अनुसार वर्तमान मूल्य आधार पर अपेक्षित उपबंधों के अलावा उपलब्ध जमा राशि के बराबर व्यवस्था की जाए।

(iii) पुनर्गठित/पुनः समय सीमा निर्धारित/पुनः मोल–भाव किए गए मानक ऋण पर कार्रवाई:

उपर्युक्त प्रथम दो चरणों के किसी भी चरण में ही मात्र मूलधन की किश्तों का पुनर्गठन अथवा पुनः समय सीमा निर्धारण अथवा पुनः बातचीत किए जाने से मानक श्रेणी की परिसंपत्तियों को अवमानक श्रेणी की परिसंपत्तियों में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा, यदि परियोजना की पुनः जांच की जाती है और पीएफसी के निदेशक मंडल द्वारा अथवा परियोजना हेतु ऋण को संस्वीकृत करने वाले अधिकारी से एक पद वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतिगत ढांचे के भीतर जीवनक्षम पाया जाता है।

परंतु यह उपबंधित है कि पूर्ववर्ती प्रथम दो चरणों में से किसी भी चरण में ब्याज का पुनः निर्धारण अथवा पुनः मोल–भाव या पुनर्गठन किसी मानक परिसंपत्ति को अवमानक श्रेणी के अंतर्गत अव–वर्गीकृत नहीं करेगा, परन्तु इसमें यह शर्त होगी कि यदि ब्याज की किसी राशि को ब्याज मद में समायोजन के कारण माफ किया गया हो, जैसा कि बाद में निर्दिष्ट किया गया है, तो उसे बट्टे खाते में डाला जायेगा या उसके प्रति शत–प्रतिशत प्रावधान किया जायेगा।

(iv) पुनर्गठित/पुनः समय सीमा निर्धारित/पुनः मोल–भाव की गई अवमानक ऋण की परिसंपत्तियों पर कार्रवाई :

किसी अवमानक परिसंपत्ति के मूलधन की किश्तों के पुनर्गठन अथवा पुनः समय–सीमा निर्धारण या पुनः मोल–भाव किए जाने के मामले में उसे एक वर्ष की समाप्ति तक उसी श्रेणी में रखा जायेगा और समायोजन के जरिए उस पर बट्टे खाते में डाली गई पिछली बकाया ब्याज राशि सहित पूर्व निश्चित ब्याज, जिसे बाद में ब्याज भाग में विनिर्दिष्ट किया गया हो, को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा अथवा उसके प्रति शत–प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा।

(v) ब्याज का समायोजन :

उस स्थिति में जहां पुनर्गठन अथवा पुनर्निर्धारण अथवा पुनः मोल–भाव के कारण ब्याज दर में कमी की जानी हो, ब्याज के समायोजन का परिकलन, ऋण पर वर्तमान में लागू ब्याज दर (ऋणकर्ता पर लागू जोखिम दर के लिए समायोजित अनुसार) तथा कम की गई दर और अदा किए जाने वाले भावी ब्याज के चालू मान के जोड़ (जोखिम में वृद्धि हेतु समायोजित, ढांचागत ऋण पर वर्तमान में लागू दर से छूट) जिसे पुनर्गठन या पुनर्निर्धारण या पुनः मोल–भाव प्रस्ताव में यथा विनिर्दिष्ट किया गया हो, के अनुसार किया जाएगा।

(vi) वित्त पोषित ब्याज :

गैर–निष्पादन परिसंपत्तियों के संबंध में ब्याज के वित्त पोषण के मामले में, जहां वित्त पोषित ब्याज को आय माना गया हो, वित्त पोषित ब्याज की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी।

(vii) पुनर्गठित/पुनर्निधारित/पुनः मोल–भाव किए गए अवमानक इन्फ्रास्ट्रक्चर (ढांचागत) ऋण हेतु अर्हता :

जिन अवमानक परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनः मोल–भाव किया गया हो और/ अथवा पुनर्गठन किया गया हो चाहे वह मूलधन की किश्त या ब्याज राशि के संबंध में हो और चाहे किसी भी क्रियाविधि द्वारा किया गया हो, उसका मानक श्रेणी में उन्नयन पुनर्गठन और/अथवा पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनः मोल–भाव की शर्तों के तहत एक वर्ष तक संतोषजनक निष्पादन के बाद ही किया जाएगा।

जिन अवमानक परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनः मोल–भाव किया गया हो और/अथवा पुनर्गठन किया गया हो चाहे वह मूलधन की किश्त या ब्याज राशि के संबंध में हो और चाहे किसी भी क्रियाविधि द्वारा किया गया हो, उसके परिसंपत्ति वर्गीकरण का अपकर्ष नहीं किया जायेगा, बशर्ते पुनर्गठन और/अथवा पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनः मोल–भाव की शर्तों के तहत एक वर्ष तक उनका संतोषजनक निष्पादन किया गया हो।

(viii) प्रावधान का उत्क्रमण :

गैर–निष्पादन बुनियादी ढांचा ऋण के प्रति गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा किए गए प्रावधान', जिन्हें उपरोक्त पैरा 6.7 (iii) की शर्तों के संदर्भ में 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ऋण की पूर्ण वसूली होने तक जारी रहेंगे।

*ऐसे प्रावधान जो किसी पुनर्गठित/पुनः समय सीमा निर्धारित/पुनः मोल–भाव किए गए ऋण पर ब्याज अधित्याग के लिए किए गए हों।

(ix) ऋण का इक्विटी में संपरिवर्तन :

जहां ब्याज के रूप में देय राशि को इक्विटी अथवा किसी अन्य लिखत में परिवर्तित कर दिया जाता है और परिणामवरूप आय के रूप में पहचान की जाती है, इस प्रकार पहचान की गई आय की राशि के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी ताकि इस प्रकार से पहचान की गई आय के प्रभाव को नकारा जा सके।

परन्तु, यह उपबंधित है कि यदि ब्याज को उद्धृत इक्विटी में संपरिवर्तित कर दिया जाता है, तो किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं होगी।

परन्तु, यह भी उपबंधित है कि ऐसे मामलों में संपरिवर्तन की तिथि पर ब्याज आय की इक्विटी के बाजार भाव पर पहचान की जाए, जो कि ब्याज में संपरिवर्तित इक्विटी की राशि से अधिक न हो।

(x) ऋण का डिबेंचर में संपरिवर्तन :

जहां गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों के संबंध में मूलधन राशि और/अथवा ब्याज राशि का डिबेंचर में संपरिवर्तन कर दिया जाए ऐसे डिबेंचरों को आरंभ से ही गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां माना जाएगा और उसे उसी परिसंपत्ति के वर्गीकरण में रखा जाएगा जो संपरिवर्तन पूर्व ऋण पर लागू था और उसके लिए नियमों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा।

(xi) यह मानदंड उन ऋणों पर लागू होंगे, जिनका पुनर्गठन/अथवा पुनः समय सीमा निर्धारण और/अथवा पुनः मोल–भाव किया गया हो और जो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से प्रतिभूत मानक/अवमानक परिसंपत्ति हों।

उपर्युक्त पैरों के लिए पुनर्गठित/पुनः समय सीमा निर्धारित/पुनः बातचीत में मूलधन और ब्याज से संबंधित समझौते की शर्तें कवर होंगी।

तथापि यह खंड निम्नलिखित परिसंपत्तियों पर लागू नहीं होगा :

(क) एक संपत्ति जिस पर केंद्रीय योजनागत आबंटन अथवा किसी राज्य विभाग को ऋण के माध्यम से केंद्रीय/राज्य सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के उपक्रम की गारंटी प्राप्त हो।

(ख) पैरा 6.2 (i) के अंतर्गत आने वाले ऋण।

8. विदेशी मुद्रा लेन देन :

8.1 लेखा मानक–11 के अनुसार निम्नलिखित लेन देन की लेखाओं में प्रविष्टि संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर की गई हैं :

(i) विदेशी मुद्रा में व्यय एवं आय, तथा

(ii) विदेशी मुद्रा ऋणों के अंतर्गत ऋण स्वरूप ली गई तथा ऋण दी गई राशि।

8.2 लेखा मानक–11 के अनुसार लेखाओं की समाप्ति की तारीख पर प्रचलित विनिमिय दरों पर निम्नलिखित शेष राशि को भारतीय मुद्रा में अंतरित किया गया है :–

(i) विदेशी मुद्रा ऋण देयताएं।

(ii) विदेशी बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते में रखी गई निधियां।

(iii) विदेशी बैंकों में दी गई गारंटियों से संबंधित आकस्मिक देयताएं।

(iv) विदेश में अर्जित की गई, किंतु भारत में प्रेषित/प्राप्त नहीं की गई आय।

(v) विदेशी मुद्रा में मंजूर किए गए ऋण।

(vi) विदेशी मुद्रा ऋण/ऋणपोषण पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं व्यय एवं आय।

8.3 जब कभी भी कंपनी ने वायदा दर संविदा अर्थात् वायदा विनिमय संविदा का सार लिखत में निष्पादित किया है तो संव्यवहार की तारीख को वायदा दर और विनिमय दर के बीच के अंतर राशि को लेखा मानक–11 के अनुसार संविदा की अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया गया है।

8.4 केएफडब्ल्यू, जर्मनी से लिए गए ऋण के मामले में विनिमय हानि होने पर उसे वर्ष के अंत में करार के अनुसार ब्याज विभेदी निधि लेखा–केएफडब्ल्यू में डेबिट किया गया है।

8.5 लेखा मानक (एएस)–11 के पैराग्राफ 46ए के अनुसरण में, दीर्घावधि मुद्रा मौद्रिक मदों के विनिमय अंतर को उनकी शेष अवधि में परिशोधन किया गया है।

9 डेरिवेटिव लेनदेन

9.1 डेरिवेटिव लेनदेन में, तुलन–पत्रक की परिसंपत्तियों या देयताओं का बचाव करने हेतु वायदा, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप तथा मुद्रा और विदेशी मुद्रा विकल्प भाामिल है।

9.2 इन डेरिवेटिव लेनदेन का उपयोग हेजिंग के उद्देश्य हेतु किया जाता है और न कि व्यापार या सट्टे के लिए। इनकी गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है और इसे बाजार के लिए चिह्नित नहीं किया जाता है।

10 भारत सरकार से अनुदान :

10.1 जहां अनुदानग्राही को अनुदान की प्रथम प्रतिपूर्ति की गई है, वहां उन्हें भारत सरकार से वसूलनीय राशि के रूप में लेखाओं में प्रविष्ट किया गया है तथा राशि मिल जाने पर उसे चुकता के रूप में दर्शाया गया है।

10.2 जहां अनुदान भारत सरकार से अग्रिम के रूप में प्राप्त हुआ है, वहां उन्हें तब तक चालू देयताओं के रूप में दर्शाया गया है, जब तक उनका भुगतान अनुदान प्राप्तकर्ता को नहीं किया गया है।

11 ब्याज सब्सिडी निधियां

11.1 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पात्र ऋणकर्ता के लिए ब्याज सब्सिडी निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) आधार पर प्राप्त होने पर ब्याज सब्सिडी निधि में क्रेडिट की गई है और ब्याज की मांगों से संबंधित तारीखों को ऋण की पात्र अवधि तक ऋणकर्ता को प्रदान की गई है। ब्याज सब्सिडी फंड में कोई वृद्धि/कमी को संबंधित स्कीम की समाप्ति पर समायोजित/प्रभार मुक्त किया गया है।

11.2 स्कीम में विनिर्दिष्टि दरों पर प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर ब्याज सब्सिडी निधि को लाभ एवं हानि लेखा में डेबिट करके बकाया भोश को ब्याज के साथ सब्सिडी निधि में जमा किया गया है।

12 पुनर्गठित–त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम निधि

12.1 पात्र ऋणकर्ताओं को ऋण देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी) के अतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि की कंपनी को होने वाले लाभ या हानि रहित पश्चानुपश्च व्यवस्था है।

13 सहायक कंपनियों पर आय/प्राप्ति/व्यय

13.1 सहायक कंपनियां पर हुए व्यय को "संबंधित सहायक कंपनियों से वसूलनीय राशि" खाते मे डेबिट किया गया है।

13.2 श्रम दिवसों (कार्मिकों) के संबंध में व्यय सहायक कंपनियों को आबंटित किए जाते हैं और प्रशासनिक ऊपरी व्यय अनुमानित आधार पर सहायक कंपनियों को प्रभाजित किए जाते हैं। प्रत्यक्ष व्यय संबंधित सहायक कंपनियों के नाम में डाले जाते हैं।

13.3 सहायक कंपनियों (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में प्रोन्नत की गई) से वसूलनीय राशि पर ब्याज को पीएफसी की नीति के अनुसार क्षेत्र के ऋणकर्ता (श्रेणी क) को उत्पादन परियोजना ऋण/स्कीम (उत्पादन) के लिए लागू ब्याज दर पर लेखाओं में लिया गया है।

13.4 विद्युत क्रेताओं से प्रतिबद्धता अग्रिम के रूप में सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त राशि को कंपनी में अंतर कंपनी ऋण के रूप में लगाया गया है और इन ऋणों के अप्रयुक्त भाग पर ब्याज परस्पर सहमत दरों पर लगाया गया है।

13.5 सहायक कंपनियों (अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के लिए निगमित) के लिए तैयार अर्हता संबंधी अनुरोध दस्तावेज (आरएफक्यू)/प्रस्ताव संबंधी अनुरोध दस्तावेज (आरएफपी) सहायक कंपनियों को उतने ही मूल्य पर प्रदान किए जाते हैं, जितना कि संभावित बोलीदाताओं को इन दस्तावेज की बिक्री से सहायक कंपनियों को राशि प्राप्त होती है। सहायक कंपनी में प्राप्त होने पर यह राशि खातों में कंपनी की आय में दिखाई जाती है।

13.6 कंपनी अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं में विकास कार्य के लिए व्यय करती है। किए गए व्यय को अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के विकास के लिए संबंधित सहायक कंपनियों से वसूलनीय राशि के रूप में दर्शाया गया है। जब विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना का परित्याग कर दिया जाता है, तब वसूल न होने की सीमा तक उसके प्रावधान/बट्टे खाते में डालने पर विचार किया जाता है।

14. कार्मिक कल्याण

14.1 भविष्यनिधि, ग्रेच्युटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के फायदे

वर्ष के दौरान भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए कंपनी द्वारा प्रदत्त/देय अंशदान को लाभ–हानि विवरण में दर्शाया गया है। कार्मिकों को दी जाने वाली ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति के बाद के फायदों, जैसे चिकित्सा सुविधा, आर्थिक पुनर्वास लाभ और सेवानिवृत्ति के बाद व्यवस्थापन भत्ते का निर्धारण लेखांकन मानक–15(संशोधित) के अनुसार किया जाता है।

14.2 अन्य कार्मिक लाभ

बीमारी अवकाश, अर्जित अवकाश, सेवा पंचाट योजना आदि के बारे में कंपनी की जिम्मेदारी बीमांकन प्रणाली से की जाती है और लेखांकन मानदंडों–15(संशोधित) के अनुसार इसके लिए धन की व्यवस्था की जाती है।

15. आयकर

15.1 वर्तमान आयकर समेत आयकर की गणना लागू होने वाले कर कानूनों और आस्थगित कर प्रभार या देयता के अनुसार की जाती है जो आय पर कर की गणना संबंधी लेखांकन मानदंड–22 के तहत होता है (इसमें अवधि के दौरान लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर की वजह से होने वाले कर प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है)।

आस्थगित कर प्रभार या ऋण और तत्संबंधी कर दायित्व या आस्तियों की गणना अधिनियम की तारीख अथवा तुलन–पत्र में दी गयी तारीख को अंतिम रूप से निर्धारित दर से की गयी है। आस्थगित कर आस्तियों का आकलन और उनका अग्रेषण उस सीमा तक किया गया है जहां तक इस बात का यथोचित यकीन हो कि इस तरह की आस्थगित कर आस्तियों के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

15.2 चूंकि कंपनी के निदेशक मंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि उसका आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (8) के तहत बनाई और चलाई जा रही विशेष आरक्षित निधि से निकासी का कोई इरादा नहीं है, इसलिए इस तरह की विशेष आरक्षित निधि आरक्षण के योग्य नहीं है क्योंकि इससे लेखे में स्थायी अंतर आ जाता है। कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से मिले स्पष्टीकरण का पालन करते हुए कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं की है।

16. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन मानदंड–3 में निर्धारित नकदी प्रवाह विवरण संबंधी अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है।

भाग–ग

लेखे संबंधी अन्य समेकित टिप्पणियां

1. एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने के कार्य में लगी है।

2 नीचे दिये गये समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड), उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के संयुक्त लेखों को प्रदर्शित करते हैं :–

सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों के नाम	निगमन का देश (निम्न तिथि तक)	शेयरधारिता का अनुपात और लेखांकन अवधि		लेखों की स्थिति
		31.03.2014	31.03.2013	01.04.2013 - 31.03.2014
सहायक कंपनियां				
पीएफसी कंसलटिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	भारत	100%	100%	लेखा परीक्षित
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसी जैल)	भारत	100%	100%	लेखा परीक्षित
पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिज लिमिटेड (पीएफसीकैस)	भारत	100%	100%	लेखा परीक्षित
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी)	भारत	100%	100%	लेखा परीक्षित
संयुक्त उद्यम कंपनियां				
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	भारत	16.66%	16.66%	लेखा परीक्षण नहीं हुआ
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड	भारत	25%	25%	लेखा परीक्षण नहीं हुआ

2.1 नीचे दी गई सहायक कंपनियों (भारत में पंजीकृत) के वित्तीय विवरण लेखांकन मानदंड–21 के अनुच्छेद 11 के अनुरूप समेकित नहीं किये गये हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि सहायक कंपनी का नियंत्रण अस्थायी हो तो उसे समेकित लेखे में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी कंपनी को केवल इसलिए अधिगृहीत कर अपने स्वामित्व में रखा जाता है ताकि उसे बाद में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए सफल बोली लगाने वाले को सौंपा जा सके :–

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	निवेश की तारीख	शेयरधारिता का अनुपात (निम्न तिथि तक)		राशि (रू. करोड में)
			31.03.2014	31.03.2013	
	सहायक कंपनिया:				
1.	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	05.09.2006	100%	100%	0.05
2.	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	05.09.2006	100%	100%	0.05
3.	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	14.09.2006	100%	100%	0.05
4.	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	31.01.2007	100%	100%	0.05
5.	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	31.03.2008	100%	100%	0.05
6.	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	27.01.2010	100%	100%	0.05
7.	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	27.01.2010	100%	100%	0.05
8.	तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	27.01.2010	100%	100%	0.05
9.	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	30.07.2012	100%	100%	0.05
10.	चेय्युर इंफ्रा लिमिटेड	24.03.2014	100%	–	0.05
11.	ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	27.03.2014	100%	–	0.05
		कुल			**0.55**

उपर्युक्त सहायक कंपनियों को भारत सरकार के अधिदेश से विशेष प्रयोजनीय वाहन (यानी स्पेशल परपज व्हीकल–एसपीवी) के रूप में अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाओं और स्वतंत्र ट्रांसमिशन परियोजनाओं के विकास के लिए निगमित किया गया था ताकि पूरा होने पर इन्हें बोली लगाने की प्रक्रिया के जरिए सफल बोली लगाने वाले को सौंपा जा सके।

निम्नांकित सहायक कंपनियों (पीएफसीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक) का वित्तीय विवरण यहां संलग्न नहीं किया गया है, क्योंकि ये सहायक कंपनियां निविदा प्रक्रिया की समाप्ति पर सफल बोली लगाने वालों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं :–

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	हस्तांतरण की तारीख
	सहायक कंपनियां :	
1.	पत्रान ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	13.11.2013
2.	आर ए पी पी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12.03.2014
3.	पुरुलिया एवं खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	09.12.2013
4.	दरभंगा–मोतीहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	10.12.2013
	कुल	

इसके अलावा स्वतंत्र ट्रांसमिशन परियोजनाओं के विकास के लिए तीन सहायक कंपनियां (पीएफसीसीएल के पूर्ण स्वामित्व वाली) गठित की गई है!, जिन्हें बाद में बोली लगाने की प्रक्रिया के माध्यम से सफल बोली लगाने वाले को सौंप दिया जाएगा :

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	निवेश की तिथि	शेयरधारिता का अनुपात		राशि (रू.करोड़ में)
			31.03.2014	31.03.2013	
	सहायक कंपनियां				
1.	डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीएफसीसी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	20.12.2011	100%	100%	0.05
2.	बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	21.10.2013	-	-	0.05
3.	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	21.10.2013	-	-	0.05
	कुल				**0.15**

2.2 कंपनी ने सहायक कंपनी को प्रवर्तित किया और उसके शेयर अंकित मूल्य पर अधिगृहीत किए। इसलिए सद्भाव या पूंजी आरक्षी की आवश्यकता नहीं पड़ी।

3. आकस्मिक देयताएं

(क) (रु.करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	राशि 31.03.2014	राशि 31.03.2013
1.	विदेशी मुद्रा में जारी डिफॉल्ट गारंटी–4.14 लाख अमेरिकी डॉलर (31.03.2013 तक 7.54 लाख अमेरिकी डॉलर)	**25.07**	41.34
2.	घरेलू मुद्रा में जारी गारंटी	**299.20**	335.57
3.	कंपनी पर ऐसे दावे जो ऋण नहीं माने गए हैं	**0.04**	0.04
4.	स्वीकृत ऋणों के प्रति लैटर आफ कम्फर्ट के रूप में ऋणकर्ताओं के प्रति बकाया संवितरण प्रतिबद्धताएं	**2,274.96**	4,247.61
	कुल	**2,599.27**	4,624.56

(ख) आयकर विभाग द्वारा पिछले वर्षों के लिए 49.87 करोड़ (31.03.2013 को रु. 55.93 करोड़) की मांग की गयी है जिसे चुनौती दी जा रही है। इसके अलावा आयकर विभाग ने कंपनी को रु.79.26 करोड़ (31.03.2013 तक रू.67.96 करोड़) की राहत दिए जाने के सीआईटी (ए) के आदेश के खिलाफ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में अपील दायर की है। इसी को चुनौती दी जा रही है। प्रबंधन इसके लिए प्रावधान करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता क्योंकि कंपनी पर कर देयता बनने की संभावना नगण्य है।

4. पूंजी अनुबंधों के सिलसिले में पूरे किए जाने वाले ऐसे अनुबंधों की अनुमानित राशि रू. 5.52 करोड़ (31.03.2013 तक शून्य) है, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

5. आकलन वर्ष 2001–02 से 2011–12 की अवधि के लिए आयकर विभाग द्वारा की गई रु. 55.10 करोड़ की अतिरिक्त मांग (अपील प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त शुद्ध राहत) के लिए प्रावधान कर दिया गया है और इसे चुनौती दी जा रही है।

6. कॉर्पोरेट मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने परिपत्र संख्या 6/3/2001–सीएल–5 दिनांक 18.4.2002 के अंतर्गत सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से 50% मूल्य के डिबेंचर जारी करने के लिए डिबेंचर मांग प्रारक्षण (डीआरआर) की पर्याप्तता निर्धारित की है, बाद में एमओसीए ने अपने परिपत्र संख्या 11/2/2012–सीएल–5 (क) दिनांक 11.02.2013 के माध्यम से डीआरआर की पर्याप्तता को संशोधित कर 25% कर दिया।

इस संबंध में कंपनी ने एमओसीए से स्पष्टीकरण मांगा है, जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है। स्पष्टीकरण प्राप्ति के लंबित रहने पर कंपनी इस इश्यू के लिए 50% की दर से सार्वजनिक बॉन्ड/डिबेंचर इश्यू के लिए डीआरआर का सर्जन कर रही है, जिसके लिए निर्गम पुस्तिका 11.02.2013 से पहले दायर कर दी गई है और बाद के सार्वजनिक निर्गम के लिए 25% की सीमा तय की गई है।

7. विदेशी मुद्रा वास्तविक बहिर्गमन और अर्जन :

(रू.करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	31.03.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष
क	**विदेशी मुद्रा में व्यय**		
i)	विदेशी संस्थाओं से ऋणों पर ब्याज	**249.69**	187.78
ii)	वित्तीय एवं अन्य प्रभार	**9.58**	74.88
iii)	यात्रा व्यय	**Nil**	0.13
iv)	प्रशिक्षण व्यय	**0.25**	0.11
ख	**विदेशी मुद्रा में आय**	**0.07**	Nil

8.1 सबंधित पार्टी के ब्यौरे
महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

नाम	अवधि
श्री एम के गोयल निदेशक (वाणिज्यिक) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार)	27.07.2007 से निदेशक वाणिज्यिक तथा 13.09.2013 से सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार
श्री सतनाम सिंह , **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**	दिनाक 1.08.2008 से 13.09.2013
श्री आर. नागराजन, निदेशक (वित)	दिनांक 31.07.2009 से
श्री ए. के. अग्रवाल, निदेशक (परियोजना)	दिनांक 13.07.2012 से
सहायक कंपनियां	
श्री एन. डी. त्यागी, सीईओ, पीएफसी, कंसल्टिंग लिमिटेड	दिनांक 25.03.2008 से 02.12.2013
श्रीमती नलिनी वंजानी, सीईओ, पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिज लिमिटेड	दिनांक 17.12.2012 से
श्री सी. गंगोपाध्याय, सीईओ, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	दिनांक 03.12.2013 से
श्री सी. गंगोपाध्याय, निदेशक, पावर इक्विटी कैपिटल एडवाजर्स प्रा. लिमिटेड	दिनांक 13.10.2009 से
श्री ए. चक्रवर्ती, सीईओ, पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	14.09.2012 से
संयुक्त उद्यम संस्थान	
श्री जगदीश आर भंडारी, चेयरमैन, नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	11.12.2008 से
श्री सौरव कुमार, प्रबंध निदेशक, एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसिज लिमिटेड	07.05.2013 से
श्री अनिल कुमार अग्रवाल, चेयरमैन एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसिज लिमिटेड	09.12.2013 तक
श्री पी. ठक्कर, चेयरमैन, एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसिज लिमिटेड	10.12.2013 से
श्री एस. एन. गांगुली, निदेशक, एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसिज लिमिटेड	19.11.2013 से
श्री रामराव मोडली काली वेंकटा, निदेशक, एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसिज लिमिटेड	31.10.2013 तक
श्री अशोक अवस्थी, निदेशक, एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसिज लिमिटेड	10.12.2013 तक
श्री महेन्द्र सिंह, निदेशक, एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसिज लिमिटेड	10.07.2013 तक

(रू.करोड़ में)

विवरण	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		अन्य निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी	
	31.03.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	31.03.2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	31.03.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	31.03.2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
वेतन एवं भत्ते	**0.49**	0.51	**1.79**	1.42
भविष्य निधि तथा अन्य कल्याण निधि में अंशदान	**0.02**	0.04	**0.17**	0.10
अन्य परिलब्धियां/भुगतान	**0.04**	0.09	**0.32**	0.25
जोड़	**0.55**	0.64	**2.28***	1.77

***श्री एम. के. गोयल, निदेशक (वाणिज्यिक) का वेतन इसमें शामिल है, जो सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए थे।**

उपरोक्त परिलब्धियों के अलावा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं अन्य निदेशकों को प्रति माह ₹ दो हजार के भुगतान पर महीने में अधिकतम एक हजार किलोमीटर प्राइवेट यात्रा करने सहित स्टाफ कार के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।

8.2 संबद्ध सहायक कंपनियों से वसूली योग्य राशि (ब्याज सहित) का ब्यौरा इस प्रकार है :

(रू.करोड़ में)

सहायक कंपनी का नाम	31.03.2014 को राशि	31.03.2013 का राशि	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम राशि	31.03.2013 को समाप्त वर्षके दौरान अधिकतम राशि
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	**7.88**	7.00	**7.88**	7.00
ओड़िशा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	**92.97**	90.31	**106.62**	90.31
कोस्टल कर्नाटक प्रा. लिमिटेड	**3.32**	2.80	**3.33**	2.80
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	**57.00**	40.41	**57.00**	40.41
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	**68.37**	60.50	**68.42**	60.50
साखी गोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	**4.50**	3.26	**4.50**	3.26
घोघर पल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	**3.89**	2.89	**3.89**	2.89
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	**11.28**	9.84	**11.30**	9.84
देवघर मेगा पावर लिमिटेड	**5.00**	2.43	**5.01**	2.43
चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	**0.01**	-	**0.01**	-
ओड़िशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	**0.01**	-	**0.01**	-
पीएफसीसीएल की सहायक कंपनियां	**2.79**	2.28	**2.79**	2.28
कुल	**257.02**	221.72	**270.76**	221.72

8.3 बिजली प्राप्तकर्ताओं द्वारा दी गई राशियों तथा अन्य देय राशियों के संबंध में सहायक कंपनियों को देय राशियों का ब्यौरा इस प्रकार है–

(रू.करोड़ में)

सहायक कंपनियों का नाम	31.03.2014 को राशि	31.03.2013 को राशि	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम राशि	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम राशि
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	**56.47**	52.97	**56.47**	52.97
ओड़िशा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	**67.57**	62.57	**67.57**	62.57
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	**63.72**	58.92	**63.72**	58.92
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	**61.16**	56.17	**61.16**	56.17
साखी गोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	**22.24**	20.69	**22.24**	20.69
घोघर पल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	**21.08**	19.27	**21.08**	19.27
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	**27.02**	25.02	**27.02**	25.02
जोड़	**319.26**	295.61	**319.26**	295.61

8.4

(i) स्मॉल इज ब्यूटीफुल'' कोष में निवेश :

कंपनी का ''स्मॉल इज ब्यूटीफुल'' कोष की यूनिटों में रू. 7.68 करोड़ (31.03.2013 को रू.7.68 करोड़) का निवेश बकाया है। कोष की इकाइयों का अंकित मूल्य रू.10 प्रति यूनिट है। 31.03.2014 को शुद्ध आस्ति मूल्य रू. 9.70 प्रति यूनिट (31.03.2013 को यह रू. 9.77 प्रति यूनिट) था। चूंकि ''स्मॉल इज ब्यूटीफुल'' कोष में निवेश दीर्घकालीन निवेश है। मौजूदा परिदृश्य में शुद्ध आस्ति मूल्यों में उतार–चढ़ाव अस्थायी माना जा रहा है।

(ii) पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड की इक्विटी (अनुद्धृत) में निवेश :

पावर एक्सचेंज इंडिया लि. (पिक्सिल) का प्रवर्तन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) ने किया है। 31.03..2014 को इसकी अधिकृत हिस्सा पूंजी रू. 100 करोड़ है जिसमें रू. 10 प्रति शेयर मूल्य के 8 करोड़ इक्विटी शेयर और रू. 10 प्रति शेयर मूल्य के रू. 2 करोड़ अधिमानी शेयर शामिल हैं। पिक्सिल की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 31.03.2014 को रू. 46.47 करोड है। कंपनी ने पिक्सिल की चुकता पूंजी में से रू. 3.22 करोड़ (31.03.2013 को रू. 2.80 करोड) निवेश किए हैं।

9. ब्याज अंतर निधि (इंटरेस्ट डिफरेंशियल फंड) – के.एफ.डब्ल्यू।

केएफडब्ल्यू और पीएफसी के बीच समझौते के अनुसार आईडीएफ पूरी तरह कर्जदारों की है और इसका उपयोग इस ऋण के सिलसिले में विनिमय संबंधी जोखिमों में को पूरा करने में किया जाएगा और ज्यादा होने पर समऔर इसे दायित्व के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है। 31.03.2013 को रू. 16.56 करोड़ के विनिमय अंतर (31.03.2013 को रू.15.21 करोड़) को अंतरित करने के बाद कुल संचित राशि रू. 54.63 करोड़ (31.03.2013 को रू. 54.73 करोड़) हो गई।

10. विदेशी मुद्रा देयताएं, जो डरिवेटिव विलेख द्वारा अथवा अन्यथा परिभाषित नहीं है।

विदेशी मुद्रा में देयताएं	विदेशी मुद्रा (करोड़ में)	
	31.03.2014	31.03.2013
अमरीकी डॉलर	**791.93**	805.90
यूरो	**20.87**	22.80
जेपीवाई	**36,807.40**	41,643.20

11. (क) 01.04. 2001 के बाद वित्तीय पट्टे पर परिसंपत्तियां

(i) तुलन–पत्र जारी करने की तारीख को पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों में सकल निवेश और न्यूनतम मूल्य प्राप्यों का वर्तमान मूल्य तथा अनर्जित वित्तीय आय की लागत नीचे की तालिका में दी गई है :

(रू.करोड में)

विवरण	**31.03.2014 को**	**31.03.2013 को**
भावी न्यनूतम लीज भुगतानों का योग	433.52	500.33
वसूलनीय लीज भुगतानों का वर्तमान मूल्य	242.54	285.07
अनर्जित वित्तीय आय	**190.98**	215.26
भावी वसूलनीय न्यूनतम लीज भुगतानों की परिपक्वता स्थिति (सकल निवेश)		
एक साल से अधिक नहीं	54.34	70.77
एक साल से अधिक और पांच साल से कम	102.87	127.55
पांच साल से अधिक	276.31	302.01
योग	**433.52**	**500.33**
वसूलनीय लीज भुगतानों की वर्तमान कीमत का विवरण		
एक साल से अधिक नहीं	33.15	45.93
एक साल से अधिक और पांच साल से कम	33.11	53.44
पांच साल से अधिक	176.28	185.70
योग	**242.54**	**285.07**

(ii) कंपनी ने साल 2004 में वायु टर्बाइन जनरेटर (19.07.2004 को लगाए गए) को फाइनेंस करने के लिए रू. 88.90 करोड़ की राशि वित्तीय लीज के रूप में मंजूर की थी। यह राशि दिसंबर 2006 में घटाकर रू. 88.85 लाख कर दी गई। 31.03.2014 को कुल निवेश रू. 4.21 करोड़ के स्तर पर पहुंचा। लीज रेंट 15 साल की अवधि के अन्दर वसूल किया जाना है, जो 19.07.2004 से शुरू होती है इसमें 10 साल की प्राथमिक अवधि और पांच साल की माध्यमिक अवधि शामिल है।

(iii) कंपनी ने साल 2004 में वायु टर्बाइन जनरेटर (18.05.2004 को लगाए गए) को फाइनेंस करने के लिए रू. 98.44 करोड़ की राशि वित्तीय लीज के रूप में मंजूर की थी। 31.03.2014 को कुल निवेश रू. 25.53 करोड़ के स्तर पर पहुंचा। लीज रेंट 20 साल की अवधि के अन्दर वसूल किया जाना है, जो 18.05.2004 से शुरू होती है इसमें 10 साल की प्राथमिक अवधि और 10 साल की माध्यमिक अवधि शामिल है।

(iv) कंपनी ने साल 2004 में वायु टर्बाइन जनरेटर (09.06.2005 को लगाए गए) को फाइनेंस करने के लिए रू. 93.51 करोड़ की राशि वित्तीय लीज के रूप में मंजूर की थी। 31.03.2014 को कुल निवेश रू. 01.96 करोड़ के स्तर पर पहुंचा। लीज रेंट 19 साल 11 माह की अवधि के अन्दर वसूल किया जाना है, जो 09.06.2005 से शुरू होती है इसमें 10 साल की प्राथमिक अवधि और 9 साल 11 माह की माध्यमिक अवधि शामिल है।

(v) कंपनी ने साल 2008 में वायु टर्बाइन जनरेटर (18.05.2011 को लगाए गए) को फाइनेंस करने के लिए रू. 228.94 करोड़ की राशि वित्तीय लीज के रूप में मंजूर की थी। 31.03.2014 को कुल निवेश रू. 404.82 करोड़ के स्तर पर पहुंचा। लीज रेंट 25 वर्ष की अवधि के अंदर वसूल किया जाना है, जो 01.01.2012 से शुरू होती है इसमें 18 वर्ष की प्राथमिक अवधि और 7 वर्ष की माध्यमिक अवधि शामिल है।

(ख) संचालनात्मक पट्टे :

कंपनी के संचालनात्मक पट्टे इस प्रकार हैं :

कार्यालयों और कार्मिकों के आवासीय उपयोग के परिसर पट्टे पर लिए गए हैं जिनका नवीकरण आम तौर पर आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित शर्तों पर किया जाता है और रद्द भी किया जा सकता है। कार्मिकों के आवासीय परिसरों के लिए लीज भुगतान हेतु वसूलियों के निवल के रूप में रू. 4.47 करोड़ (31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष में रू. 3.95 करोड़) शामिल है। कार्मिकों के आवासीय परिसरों के लिए किए जाने वाले पट्टे के भुगतान को टिप्पणी भाग क 16–समेकित कार्मिक लाभ व्यय के तहत कार्मिकों के आवास के किराए के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अधिकारियों के परिसरों के लिए पट्टे के भुगतान को टिप्पणी क 17–समेकित अन्य व्यय के तहत कार्यालय किराये के रूप में दर्शाया गया है।

12 **त्वरित उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एस पी) के तहत सब्सिडी**

(i) कंपनी ने भारत सरकार के पत्र सं.डी.ओ.सं. 32024/17/97–पीएफसी दिनांक 23.09.1997 और ओ.एम. सं 32024/23/2001 पीएफसी दिनांक 07.03.2003 में निर्दिष्ट सांकेतिक ब्याज दरों के अनुसार शुद्ध वर्तमान दर पर भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त की और इसमें वास्तविक पुनर्भुगतान समयावधि, अधिस्थगन अवधि और पुनर्भुगतान के समय का कोई ध्यान नहीं रखा गया। ऋण सब्सिडी के रूप में प्राप्त, उधार लेने वालों को लौटाई जाने वाली राशि को ब्याज सब्सिडी कोष के खाते में रखा गया है। सांकेतिक दर में अंतर का प्रभाव और दावों तथा वास्तविक भुगतान के बीच समय के अंतर को संबंधित कार्यक्रमों के पूरा हो जाने के बाद ही आकलित किया जा सकता है। तथापि, हर परियोजना के लिए लगाए गए अनुमानों के अनुसार (यह मानते हुए कि प्रत्येक ऋण/परियोजना अवधि में ये समान रहेंगे) कंपनी ने 31.03.2014 को नौवीं और दसवीं योजना में त्वरित उत्पादन और आपूर्ति (एजी एंड एसपी) कार्यक्रमों के तहत क्रमशः रू. 6.32 करोड़ और रू. 74.53 करोड़ की शुद्ध अतिरिक्त राशि का अनुमान लगाया है, इसमें किसी तरह की कमी नहीं आयी है। यह शुद्ध अतिरिक्त राशि समग्र आधार पर आकलित की गई है न कि एकल आधार पर और अनुमानित अवधि में अनुमानों, जैसे ऋण आस्थगन अवधि, पुनर्भुगतान अवधि, समय से पहले भुग तान, ब्याज दरों में बदलाव और ऋणों के पुनर्गठन आदि से इनमें भी अंतर आ सकता है। ब्याज सब्सिडी कोष में किसी भी बढ़ोतरी/कमी को संबंधित कार्यक्रम के पूरा हो जाने पर वापस या समायोजित/रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) ब्याज सब्सिडी कोष शीर्ष के तहत देयता के रूप में प्रदर्शित अतिशेष भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय से प्राप्त सब्सिडी को दर्शाता है। इसे त्वरित उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के तहत भविष्य में पैदा होने वाली ब्याज देयताओं के प्रति उधार लेने वालों को वापस किया जाना है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(रू.करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को	31.03.2013 को
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक अधिशेष (वित्तीय वर्ष के पहले दिन के अनुसार)	**145.78**	376.21
जोड़े : अवधि के दौरान प्राप्त	–	–
: अवधि के दौरान प्राप्त ब्याज	**10.70**	18.99
: समय पर परियोजना शुरू न होने के कारण ऋण प्राप्त कर्ता द्वारा लौटाई गई राशि	–	–
घटाएं : ऋण प्राप्तकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी	**32.61**	49.42
विद्युत मंत्रालय को लौटाई गई		
(क) नवीं योजना में अनुमानित शुद्ध आधिक्य	–	–
(ख) परियोजना समय पर शुरू न होने के कारण	–	–
(ग) दसवीं योजना में अनुमानित शुद्ध आधिक्य	–	200.00
ब्याज सब्सिडी निधि का अंतिम अधिशेष	**123.87**	**145.78**

13. कंपनी ने ए एस–11 के पैरा 46ए के अधीन अपनी अवधि के बाद दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा मदों पर 'विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर को चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया था। परिणामस्वरूप 31.03.2014 को फॉरिन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस एकाउंट (एफसीएमआईटीडीए) के अधीन अधिशेष रू. 709.21 करोड़ (31.03.2013 के अनुसार रू. 477.97 करोड़) था, जो 'आरक्षित एवं अधिशेष शीर्ष' के अंतर्गत तुलन–पत्र के 'इक्विटी एवं देयता' खंड में अलग मद के रूप में दर्शाया गया है।

14. (i) भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने 11वीं योजना के दौरान पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी) को लागू करने के लिए कंपनी को अपने मार्ग–दर्शन के अंतर्गत संचालन एवं संबद्ध सेवाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 8.7.2013 के आदेश के द्वारा भाग–क परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने सहित 12वीं और 13वीं योजना में आर–एपीडीआरपी को जारी रखने की सहमति प्रदान की है।

इस योजना के अधीन परियोजनाओं को दो भागों में रखा गया है। भाग–क में बेस लाइन डाटा की स्थापना और ऊर्जा गणना के लिए आई टी अनुप्रयोग के साथ–साथ आई टी आधारित ग्राहक सेवा केंद्रों की स्थापना की परियोजनाएं शामिल हैं। भाग ख में–नियमित वितरण को मजबूती प्रदान करने वाली परियोजनाएं शामिल हैं। भारत सरकार भाग–क के लिए शत–प्रतिशत ऋण और भाग ख के लिए 25% तक (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90 %तक) ऋण उपलब्ध कराती है। भाग ख परियोजनाओं के लिए बकाया राशि पीएफसी/आरईसी बहुस्तरीय संस्थानों या अपने संसाधनों से जुटायी जा सकती है। भाग–क के अधीन ऋण और उसके ब्याज को आर–ए पी डी आर पी के निर्देशों के अनुसार अनुदान में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार भाग बी परियोजनाओं के लिए 50% (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90% तक) ऋण आर–एपीडीआरपी के निर्देशों के अनुसार अनुदान में परिवर्तित किया जाएगा। कार्यक्रम की गतिविधियों को भाग–ग में शामिल किया गया है। आर–एपीडीआरपी के अधीन ऋणों को वांछनीय उपयोग के लिए वितरित किया जाता है। इस प्रकार वितरित राशि जो आर–एपीडीआरपी निर्देशों के अनुसार अनुदान में परिवर्तनीय है उसका पुनर्भुगतान ऋण लेने वाले से प्राप्ति के बाद ब्याज सहित सरकार को कर दिया जाएगा।

ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(रू.करोड़ में)

विवरण	भारत सरकार को दी जाने वाली राशि तथा ऋण प्राप्तकत्ताओं से प्राप्त की जाने वाली राशि		आर–एपीडीआरपी निधि		भारत सरकार को अदा की जाने वाली राशि (सावधि जमा पर आने वाला ब्याज)	
	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
	2013-14	**2012-13**	**2013-14**	**2012-13**	**2013-14**	**2012-13**
वित्तीय वर्ष की पहली तारीख को प्रारंभिक बकाया	**6,694.63**	**5,502.88**	**0.00**	**0.00**	**0.25**	**11.09**
अवधि के दौरान संवर्धन	640.00	1,217.45	640.00	1,217.45	0.00	1.03
अवधि के दौरान वसूलियां/वापसी/परिवर्तन	(18.78)	(25.7)	(640.00)	(1,217.45)	(0.25)	11.93
अंतिम शेष (क)	**7,315.85**	**6,694.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.19**
ब्याज प्रोद्भूत, किंतु देय नहीं (एफडी पर अर्जित ब्याज) **(ख)**					0.00	0.06
आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत ऋण पर ब्याज शेष						
(i) प्रोद्भूत, किंतु देय नहीं						
प्रारंभिक शेष	1,327.94	775.24				
अवधि के दौरान संवर्द्धन	627.24	552.70				
संचित अधिस्थगन ब्याज में अंतरित	(340.43)					
अर्जित तथा देय ब्याज में अंतरित	(9.66)					
अंतिम बकाया	1,605.09	1,327.94				
(II) प्रोद्भूत तथा देय						
प्रारंभिक शेष	0.00					
अवधि के दौरान संवर्धन	9.66					
वसूल करके भारत सरकार को लौटायी गई राशि	(5.97)					
अंतिम शेष	3.69					
आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत ऋण पर ब्याज (ग) =1+2	**1,608.78**	**1,327.94**				
संचित अधिस्थगन अवधि ब्याज						
प्रारंभिक शेष	0.00					
अवधि के दौरान संवर्धन	340.43					
वसूल करके भारत सरकार को लौटाई गई राशि	(1.51)					
अंतिम शेष (घ)	**338.92**					
संचित अधिस्थगन अवधि ब्याज पर ब्याज						
(I) अर्जित किंतु देय नहीं						
प्रारंभिक शेष	0.00					
अवधि के दौरान संवर्धन	4.48					
अर्जित एंव देय ब्याज में अंतरित	(3.06)					
अंतिम शेष	1.42					
(ii)) अर्जित एवं देय						
प्रारंभिक शेष	0.00					
अवधि के दौरान संवर्धन	3.06					
वसूली तथा भारत सरकार को वापसी	(0.85)					
अंतिम शेष	2.21					
संचित स्थगन ब्याज पर ब्याज (ङ) =(i+ii)	**3.63**					
अंतिम बकाया (क+ख+ग+घ+ङ)	**9,267.18**	**8,022.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.25**

(ii) 31.03.2014 को प्रमुख एजेंसी शुल्क तथा पीएफसी द्वारा प्राप्त किया गया/प्राप्त किए जाने योग्य खर्चे की अदायगी इस प्रकार है:

(रू करोड. में)

	वित्तीय वर्ष 31.03.2014 को समाप्त	वित्तीय वर्ष 31.03.2014 को समाप्त	निम्नांकित अवधि तक संचित	
			31.03.2014	31.03.2013
प्रमुख एजेंसी शुल्क *	18.50	16.52	163.79	145.29
किए गए खर्चे की अदायगी	(21.81)**	21.81	61.86	83.67
कुल	**(3.31)**	**38.33**	**225.65**	**228.96**

* विशेष रूप से सेवा कर के लिए

**वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए उत्क्रमण

(iii) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/03/2008–एपीडीआरपी दिनांक 20 अगस्त, 2010 के अनुसार प्रमुख एजेंसी शुल्क तथा वास्तविक व्यय की अदायगी से प्राप्य कुल राशि रू. 850 करोड़ अथवा आर–एपीडीआरपी के भाग क तथा ख के अंतर्गत संभावित व्यय का 1.7%, दोनों में से जो भी कम हो, से अधिक नहीं हो सकती।

(iv) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/3/2008–एपीडीआरपी दिनांक 20 अगस्त, 2010 के अनुसार 31.03.2013 तक आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत प्रमुख एजेंसी शुल्क परियोजना की स्वीकृत लागत का एक प्रतिशत हिसाब में लिया गया है, जो तीन चरणों में विभाजित है–0.40% परियोजना की मंजूरी के समय, 0.30% अनुदान के संवितरण के समय तथा शेष 0.30% परियोजना (भाग–क) के पूर्ण हो जाने तथा परियोजना क्षेत्रों (भाग–ख) की औसत तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि (एटी एंड सी) का मूल्यांकन करने के बाद हिसाब में लिया गया है। इसके अलावा पीएफसी कार्मिक व्यय और आर–एपीडीआरपी के संचालन के लिए आबंटन योग्य व्यय सहित वास्तविक व्यय उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदा किया गया/अदा किए जाने योग्य है।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 15.07.2013 के अपने पत्र में यह सूचित किया था कि व्यय विभाग के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर–एपीडीआरपी कार्यक्रम का प्रमुख एजेंसी शुल्क स्वीकृत परियोजना मूल्य अथवा वास्तविक व्यय, दोनों में से जो भी कम हो, का 0.5% तक सीमित होगा।?

विद्युत मंत्रालय के पत्र दिनांक 15.07.2013 में यह भी कहा गया था कि व्यय विभाग की सहमति से प्रमुख एजेंसी के किसी अन्य उच्चतर शुल्क के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इसी के अनुरूप कंपनी ने विद्युत मंत्रालय को (दिनांक 22.08.2013 के हमारे पत्र के तहत) प्रस्ताव भेजा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना से आर–एपीडीआरपी मंजूरियों और आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय की अदायगी (पीएफसी कार्मिक व्यय को छोड़कर) पर 0.50% प्रमुख एजेंसी शुल्क पर विचार किया जाये। उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

उपर्यूक्त के लंबित रहते 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रमुख एजेंसी शुल्क/व्यय अदायगी को वर्ष (01.04.2012 से प्रभावी) के दौरान अस्थाई आधार पर हिसाब में लिया गया है, जैसा कि विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15.07.2013 के पत्र में व्यय विभाग ने निर्देश दिया था। तदनुरूप वर्ष के दौरान प्रमुख एजेंसी शुल्क आय के रूप में रुपए 18.50 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए रू.18.43 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 12–13 के लिए रू.0.07 करोड़) हिसाब में लिए गए हैं। इसके अलावा आर–एपीडीआरपी को आबंटित किए जाने योग्य रू. 42.59 करोड़ को अलग से हिसाब में लिया गया है और लेखा टिप्पणी भाग–क–17 समेकित अन्य व्यय के अंतर्गत दर्शाया गया है (इसमें वित्तीय वर्ष 2012–13 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से वसूल किए जाने योग्य रू. 21.81 करोड़ शामिल हैं)।

15.1 वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान शुरू की गई लेखा–नीति के अनुरूप धारक कंपनी (पीएफसी) विभिन्न चरणों में तीन वर्ष की अवधि के दौरान 0.0833%/प्रतिवर्ष की दर से मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान कर रही है ताकि 31 मार्च, 2015 तक इसे 0.25% पर लाया जा सके। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने दिनांक 25.07.2013 के अपने पत्र में निर्देश दिया था कि सभी नई परिसंपत्तियों के लिए प्रारंभ से ही 0.25 % की दर से प्रावधान किए जा सकते हैं। तदनुरूप कम्पनी ने चालू वर्ष के दौरान 30.09.2013 को अर्द्धवार्षिक वित्तीय ब्यौरा तैयार करते समय नई मानक परिसम्पत्तियों के लिए 0.25% की दर से प्रावधान करने के लिए अपनी अनुलेखा नीति में परिवर्तन किया है। 27 मार्च, 2014 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने मानक परिसम्पत्तियों के लिए बढ़ाने का निर्णय किया ताकि 31 मार्च, 2015 के स्थान पर 31 मार्च, 2014 को ही 0.25% प्रावधान का लक्ष्य पूरा किया जा सके। इसलिए 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुई तिमाही में अनुलेखा नीति में फिर से बदलाव किया गया ताकि 1 अप्रैल, 2013 से प्रारंभ हुए वित्तीय वर्ष के अंत तक मानक परिसम्पत्तियों के लिए 0.25 % की दर से प्रावधान किया जा सके। अनुलेखा नीति में इस बदलाव के कारण वर्ष 31.03.2014 में होने वाले लाभ में रू.156.47 करोड़ की कमी आई है। 31.03.2014 को समेकित मानक परिसंपत्ति के लिए रू. 469.48 करोड़ (31.03.2013 को रू.132.79 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

15.2 सरकार के स्वामित्व में आने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते पीएफसी को प्रूडेंशियल नियमों से संबंधित रिजर्व बैंक के निर्देशों से छूट प्राप्त है। परंतु, 1 अप्रैल, 2003 से कंपनी ने स्वयं के प्रूडेंशियल नियम बनाए हैं जो समय–समय पर संशोधित किए जाते रहे हैं। विद्यूत मंत्रालय, भारत सरकार ने आरंभ में कंपनी के प्रूडेंशियल नियमों को दिनांक 19.04.2007 के अपने पत्र के जरिए अनुमोदित कर दिया था और बाद में परवर्ती वित्तीय वर्षों के लिए उनकी वैधता का विस्तार कर दिया था। उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 23.05.2012 के अपने पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए प्रूडेंशियल नियमों को अनुमोदित कर दिया है, जो कंपनी पर 31.03.2012 की भांति 31.03.2013 तक अथवा अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने दिनांक 12.12.2006 की अपनी अधिसूचना के जरिए जमा राशि स्वीकार करने वाली तथा सरकार के स्वामित्व वाली सभी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से कहा है कि वे एक निश्चित तिथि (जिसके बारे में बाद में निर्णय किया जाएगा) से प्रूडेंशियल नियमों के बारे में निर्देशों का अनुपालन करें। इसके साथ ही सरकारी कंपनियों को सरकार के साथ परामर्श और तालमेल बिठाते हुए गैर–बैंकिग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के विनियमन के विभिन्न तत्वों के अनुरूप एक कार्य–योजना पेश करने की राय दी गई है। इसी के अनुरूप पीएफसी समय–समय पर रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई कार्य–योजनाएं प्रस्तुत करती रही है।

प्रस्तुत किए गए प्रारूप और बाद के पत्राचार की प्रतिक्रिया में रिजर्व बैंक के दिनांक 25.07.2013 के पत्र में मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान से संबंधित मामलों पर सुझाव दिए गए हैं और यह जानकारी दी गई है कि परिसंपत्तियों तथा ऋण सघनता नियमों के पुनर्गठन/पुनः समय–सीमा निर्धारण/पुनः मोल–भाव (आर/आर/आर) पर विचार किया जा रहा है तथा जल्द ही इस विषय में प्रतिक्रिया दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने कंपनी को 31.03.2016 तक रिजर्व बैंक प्रूडेंशियल नियमों के अनुरूप कदम उठाने का सुझाव दिया है। कंपनी ने रिजर्व बैंक के दिनांक 07.10.2013 के पत्र के अंतर्गत उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप अपनी कार्यान्वयन नीति से आरबीआई को अवगत् कराया है। जहां तक परिसंपत्तियों तथा ऋण सघनता नियमों के आर/आर/आर से संबंधित मामलों का सवाल है, रिजर्व बैंक से आगे के निर्देश मिलने तक कम्पनी द्वारा वर्तमान प्रचलित नियमों का पालन जारी रहेगा।

रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 03.04.2004 में 31 मार्च, 2016 तक केंद्र/राज्य सरकार निकायों से संबंधित मामलों में ऋण सघनता नियमों से छूट दी गई है। आर/आर/आर से संबंधित मामलों में रिजर्व बैंक ने कम्पनी को आरबीआई के परिपत्र डीएनबीएस.सीओ.पीडी.संख्या 367/03.01.01/2013–14 दिनांक 23.01.2013 में दिए गए निर्देशों का पालन करने का सुझाव दिया है। इस संबंध में कम्पनी ने रिजर्व बैंक को अपने पत्र दिनांक 25.04.2014 में परिसंपत्तियों के आर/आर/आर से संबंधित रिजर्व बैंक के निर्देशों के

अनुरूप अपनी कार्यान्वयन रणनीति से अवगत् कराया है। पीएफसी ने रिजर्व बैंक द्वारा इस विषय में आगे के निर्देश मिलने तक वर्तमान प्रचलित प्रूडेंशियल नियमों में निहित पुनर्निमाण प्रावधानों को जारी रखने से संबंधित वक्तव्य दिया है। उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.05.2014 में रिजर्व बैंक से कंपनी की कार्यान्वयन रणनीति पर विचार करने का निवेदन किया गया है। रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया अभी प्रतीक्षित है। कम्पनी उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर/आर/आर से संबंधित नियमों का पालन कर रही है, अतः वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए आर/आर/आर से संबंधित रिजर्व बैंक के नियम कंपनी पर लागू नहीं होते।

16. लेखा मानक–22 के अनुसार आय पर करों के लिए निवल आस्थगित कर देयता रू.273.00 करोड़ (31.03.2013 को रू. 218.63 करोड़) आंकी गई है।

ऐसी आस्थगित कर देयताओं का विवरण निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2014 को	31.03.2013 को
(a) आस्थगित कर परिसंपत्ति (+)		
(i) ऐसे व्ययों के लिए प्रावधान जो आयकर अधिनियम के अधीन घटाने योग्य नहीं	24.11	8.48
(ii) प्रारम्भिक व्यय 0.46	0.56	
(b) आस्थगित कर देयताएं (-)		
(i) अवमूल्यन	(1.49)	(1.10)
(ii) लीज़ आय	(79.95)	(95.00)
(iii) परिशोधन	(0.83)	(1.29)
(iv) अपरिशोधित विनिमय घाटा (कुल)	(215.30)	(130.28)
निवल आस्थगित कर देयताएं (-)/ संसाधन (+)	**(273.00)**	(218.63)

17. प्रति शेयर अर्जन के बारे में इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक–20 के अनुपालन में प्रति शेयर आय की गणना (आधारभूत और मिश्रित) निम्नानुसार है:–

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
कर पश्चात शुद्ध लाभ, गुणक के रूप में (करोड़ रुपये)	5,461.84	4,437.74
विभाजक के रूप में इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (बेसिक)	132,00,31,803	131,99,82,855
वभाजक के रूप में इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (मिश्रित)	132,00,39,328	131,99,90,939
प्रति शेयर आय (बेसिक और मिश्रित)	41.38	33.62
प्रति शेयर अंकित मूल्य	10	10

18. कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों (एक सहायक कंपनी, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को छोड़कर जहां बकाया मूलधन की राशि 0.10 करोड़ (31.03.2013 को शून्य) रुपए है), की ओर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कोई बकाया राशि नहीं है।

19. पट्टे पर धारित भूमि परिशोधित नहीं है, क्योंकि यह बेमियादी पट्टे पर धारित है।

20. विदेशी मुद्रा में दिखायी गयी देयताओं और आस्तियों को आम तौर पर साल के अंत में भारतीय स्टेट बैंक की टीटी बिक्री दरों में निम्न प्रकार से बदल दिया गया है :-

क्र. सं	विनिमय दर	31.03.2014	31.03.2013
1	अमरीकी डालर/भारतीय रुपया	60.49	54.80
2	जापानी येन/भारतीय रुपया	0.5903	0.5847
3	यूरो/भारतीय रुपया	83.48	70.28

ऋण अनुबंध में विशिष्ट प्रावधान होने पर एसबीआई टीटी बिक्री दर से अलग दर संबंधित ऋण अनुबंध में निर्धारित अनुसार ली गयी है।

21.1 कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में 3,87,59,000 बॉण्डों के ओवर सबक्रिप्शन का विकल्प रखते हुए रू.1,000 अंकित मूल्य के 75,00,000 कर मुक्त बॉण्डों (सुरक्षित) का सार्वजनिक निर्गम जारी किया और इससे 3875.90 करोड़ रुपए अर्जित किए। प्रतिभूति का निर्माण 14.11.2013 को किया गया और 16 नवंबर, 2013 को बॉण्डों का आबंटन कर दिया गया। बॉण्ड 19.11.2013 को मुंबई के बीएसई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो गए हैं। जारी किए गए बॉण्डों से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल ऑफर डाक्यूमेंट में उल्लिखित कार्यों के लिए किया गया है।

21.2 भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान गोल्डमैन सैक सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम ('जीएस सीपीएसई बीइईएस') नामक एक निधि बनाई। इसका शुभारंभ गोल्डमैन सैक ऐसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (एएमसी) ने किया था। तदनुसार, मार्च, 2014 में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने विनिवेश विभाग के माध्यम से 1,21,06,076 इक्विटी शेयर 10 रुपये (प्रति शेयर) के अंकित मूल्य पर एएमसी को बेच दिए। विनिवेश के पश्चात् कंपनी में भारत सरकार की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी घटकर 72.80% (जो 31 मार्च, 2013 को 73.72% थी) रह गई है।

22.1 लेखांकन मानदंड–15 के अनुसार उद्घोषणा :

क. भविष्य निधि

कंपनी, भविष्य निधि के लिए एक अलग ट्रस्ट के जरिए नियत दर से स्थायी सहयोग राशि उपलब्ध कराती है। इस कार्यकाल के लिए कोष में सहयोग निधि को खर्च के रूप में दर्शाया जाता है और इसे लाभ तथा हानि के ब्योरे में रखा जाता है। ट्रस्ट को सुनिश्चित करना होता है कि सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर लाभ दिया जाए। हालांकि, सदस्यों को निर्दिष्ट दर के अनुसार लाभ का भुगतान करने में किसी तरह की कमी की भरपाई कंपनी द्वारा ही की जाएगी। कंपनी का अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता नहीं होगी और इसलिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

ख. ग्रेच्युटी

कंपनी की एक निश्चित ग्रेच्युटी योजना होती है और एक अलग ट्रस्ट इसका प्रबंधन करता है। इसके लिए, कंपनी के कार्मिकों द्वारा सेवाकाल के कुल वर्ष के आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन कर अधिकतम राशि रू. 10 लाख देने का प्रावधान किया गया है।

ग. पेंशन

कंपनी की एक निश्चित भागीदारी पेंशन योजना है, जो सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देशों के आधार पर होती है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। हर महीने नियोक्ता का हिस्सा कोष में जमा कराया जाता है। कॉर्पोरेशन के कार्मिक को योजना के अनुसार पेंशन दी जाती है।

घ. सेवा निवृत्ति के बाद स्वास्थ्य योजना (पीआरएमएस)

कंपनी की सेवा निवृत्ति के बाद स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवा निवृत्त कार्मिक और उस निर्भर उसके परिवार के सदस्यों के लिए सूची में सम्मिलित अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। उन्हें बहिरंग रोगी उपचार (ओपीडी) के रूप में किए गए खर्च की भरपाई भी की जाती है, परंतु यह भरपाई कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा तक की

ङ. सेवा निवृत्ति लाभ

सेवा निवृत्ति लाभ में कार्मिक और उसके परिवार के लिए गृह नगर में बसना शामिल है।

च. <u>अवकाश</u>

कंपनी, कार्मिकों को अर्जित अवकाश और अर्ध–वेतन छुट्टी का लाभ देती है, जो छह महीने के आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन पर जमा की जाती हैं। सेवाकाल के दौरान किसी भी समय अधिकतम तीन सौ दिनों का अर्जित अवकाश जमा किया जा सकता है। अर्ध–वेतन छुट्टी इकट्ठा करने की कोई सीमा नहीं होती है। सेवाकाल के दौरान अर्जित अवकाश के बदले नकदी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इस दौरान अर्ध–वेतन छुट्टी के बदले या 10 वर्ष के पहले कंपनी से अलग होने/सेवा निवृत्ति पर नकदी प्राप्त की जा सकती। 10 वर्ष के सेवाकाल के बाद कंपनी से अलग होने या सेवा निवृत्ति पर अर्जित अवकाश और अर्ध–वेतन छुट्टी दोनों के बदले अधिकतम तीन सौ दिनों के लिए प्राप्त की जा सकती है।

ऊपर बताई गई योजनाएं (घ, ङ और च) अनिधिक हैं और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इन्हें मान्यता दी गई है।

लाभ और हानि, तुलन–पत्रक के ब्यौरे में शामिल किए गए विभिन्न स्वीकार्य लाभों की संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है। {कोष्ठक ( ) में दिए गए आंकडें 31.03.2013 के हैं}

i) लाभ और हानि के ब्यौरे में बताए गए खर्च

(रुपये करोड़ में)

	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
वर्तमान सेवा मूल्य	1.35 (1.18)	0.45 (0.36)	1.89 (1.89)
लाभ देयता पर ब्याज लागत	1.29 (1.12)	0.76 (0.67)	1.63 (1.42)
नियोजित परिसम्पत्तियों पर संभावित लाभ	-1.28 (-1.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
वर्ष में मान्य कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	-0.50 (0.40)	1.54 (0.46)	2.65 (2.37)
लाभ और हानि के खाते में मान्य खर्च	*0.88 (1.48)	*2.75 (1.49)	*6.23 (5.68)

(*) : 0.07 करोड़ (31.3.2013 को रू.0.13 करोड़),रू. 0.58 करोड़ (31.3.2013 को रू.0.58 करोड़) और रू. 0.11 करोड़ (31.3.2013 को रू. 0.04 करोड़) क्रमशः ग्रेच्युटी, अवकाश और पीआरएमएस के लिए सहायक कंपनियों को दी गई राशि के रूप में शामिल हैं।

ii) तुलन–पत्र में मान्य राशि

(रुपये करोड़ में)

	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
31.3.2014 को देयता का वर्तमान मूल्य (i)	17.98 (16.16)	11.75 (9.50)	20.73 (20.39)
31.03.2014 को नियोजित परिसंपत्तियों का न्यायसंगत मूल्य (ii)	17.10 (14.67)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
अंतर (ii) (i) -0.88	-11.75 (-1.48)	-20.73 (-9.50)	(-20.39)
तुलन–पत्र में मान्य कुल परिसंपत्ति/(देयता)	-0.88 (-1.48)	-11.75 (-9.50)	-20.73 (-20.39)

iii) परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रू. करोड़ में)

	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
01.04.2013 को दायित्व का वर्तमान मूल्य	16.16 (14.03)	9.50 (8.33)	20.40 (17.74)
ब्याज लागत	1.29 (1.12)	0.76 (0.67)	1.63 (1.42)
वर्तमान सेवा लागत	1.35 (1.18)	0.45 (0.36)	1.89 (1.89)
प्रदत्त हितलाभ	-0.51 (-0.62)	-0.50 (-0.32)	-5.90 (-3.03)
दायित्वों पर निवल बीमांकिक (अभिलाभ) / हानि	-0.31 (0.45)	1.54 (0.46)	2.65 (2.37)
31.03.2014 को परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	17.98 (16.16)	11.75 (9.50)	20.73 (20.39)

iv) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रू. करोड़ में)

	ग्रेच्युटी	पीआरएमएस	अवकाश
1.04.2013 को नियोजित परिसंपत्ति का न्यायसंगत मूल्य	14.67 (14.03)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
नियोजित परिसंपत्ति पर संभावित लाभ	1.28 (1.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
नियोक्ता द्वारा योगदान	1.48 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
लाभों का भुगतान	-0.51 (-0.62)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
बीमांकिक लाभ / (हानि)	0.20 (0.04)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
31.03.2014 को नियोजित परिसंपत्ति का न्यायसंगत मूल्य	17.12	0.00	0.00

v) महंगाई दर में एक प्रतिशत बढ़ोत्तरी / कमी का असर पीआरएमएस की स्वास्थ्य लागत के लिए देयता पर निम्न पड़ेगा :–

1% से लागत वृद्धि रुपए 1.72 करोड़

1% से लागत में कमी रुपऐ -1.79 करोड़

vi) वर्ष के दौरान, कंपनी ने ग्रेच्युटी ट्रस्ट के लिए रू. 0.88 करोड़, पीआरएमएस के लिए रू.2.75 करोड़ अवकाश पर 6.23 करोड़ रुपए और पेंशन के लिए शून्य रू.करोड़ की देयता उपलब्ध कराई (31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान ग्रेच्यूटी ट्रस्ट में 1.48 करोड़, पीआरएमएस में रू.1.62 करोड़, अवकाश के लिए रू.6.04 करोड़ और पेंशन की ग्रेच्यूटी ट्रस्ट के लिए 0.69 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। उपरोक्त राशि में सहायक कंपनियों को आबंटित रुपए 0.07 करोड़ (31.03.2013 को रू. 0.13 करोड़), रुपए 0.58 करोड़ (31.03.2013 को रू.0.58 करोड़) और रुपए 0.11 करोड़ (31.03.2013 को रू. 0.04 करोड़) की राशि क्रमशः ग्रेच्युटी, अवकाश और पीएमआरएस के लिए शामिल है।

छ. **अन्य कार्मिक लाभ**

वर्ष समाप्ति पर लाभ और हानि के ब्यौरे के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान, कार्मिकों के आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम के लिए रू. 0.05 करोड़ रुपए (31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रू. 0.08 करोड़) और कार्मिकों के दीर्घावधि सेवा पुरस्कार पुरस्कार के लिए रू. 0.74 करोड़ रुपए (31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रू.0.37 करोड़) का प्रावधान रखा गया।

ज. नियोजित परिसंपत्ति की विस्तृत जानकारी :– ग्रेच्युटी

31.03.2014 को नियोजित परिसंपत्ति की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :–

(रु.करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
i)	सरकारी सुरक्षा	9.69	8.53
ii)	कॉरपोरेट प्रतिभूतियां / ऋण पत्र	6.82	5.61
	कुल	**16.51**	**14.14**

बीमांकिक पूर्वानुमान

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयोग में लाए गए प्रमुख पूर्वानुमान है :–

उपयोग में लाई गई विधि	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट
रियायत दर	8.50%
परिसंपत्ति पर संभावित दर पर फायदा – ग्रेच्युटी	8.70%
भविष्य में वेतन बढ़ोत्तरी	6.50%

बीमांकिक मूल्यांकन में आगामी वेतन वृद्धि के अनुमान के लिए महंगाई, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में मांग और आपूर्ति जैसे अन्य संबंधित कारको को ध्यान में रखा गया।

22.2 लेखा मानक– 29 में आवश्यक प्रावधान का ब्यौरा (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च, 2013 तक के हैं।) इस प्रकार हैं–

(रू. करोड़ में)

प्रावधान	प्रारंभिक शेष (वित्त वर्ष में 1 अप्रैल को) (1)	वर्ष के दौरान वृद्धि (2)	प्रदत्त /वर्ष के दौरान समायोजित (3)	अंतिम शेष 4 = (1+2-3)
सेवानिवृत्ति के पश्चात मेडिकल स्कीम	9.50 (8.33)	2.75 (1.62)	0.50 (0.45)	11.75 (9.50)
ग्रेच्युटी	1.48 (0.64)	0.88 (1.48)	1.48 (0.64)	0.88 (1.48)
सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभ के लिए प्रावधान (पेंशन)	0.15 (6.60)	0.00 (0.69)	0.07 (7.14)	0.08 (0.15)
अवकाश भुगतान	20.41 (17.74)	6.22 (6.06)	5.90 (3.39)	20.73 (20.41)
कार्मिकों के लिए आर्थिक पुनर्वास योजना	1.31 (1.24)	-0.05 (0.08)	0.02 (0.01)	1.24 (1.31)
बोनस /इंसेंटिव /मुआवजा	29.83 (28.17)	12.44 (23.12)	22.08 (21.46)	20.19 (29.83)
सामान भत्ता	0.08 (0.07)	0.01 (0.01)	0.00 (0.00)	0.09 (0.08)
सेवा पुरस्कार	3.71 (3.33)	0.74 (0.38)	0.41 (0.00)	4.04 (3.71)
आय कर	3,420.56 (2,003.24)	2,102.82 (1,556.04)	885.17 (138.72)	4,638.21 (3,420.56)
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	132.00 (132.00)	26.40 (132.00)	132.00 (132.00)	26.40 (132.00)
प्रस्तावित कार्पोरेट लाभांश कर	22.43 (21.41)	4.49 (22.43)	22.43 (21.41)	4.49 (22.43)

23. कंपनी ने भारी उद्योग एवं सरकारी उद्यम मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के आधार पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निर्बाध विकास (सीएसआर एंड एसडी) नीति बनाई है। कंपनी ने अक्तूबर, 2013 में सीएसआर नीति को मंजूरी दी, इसके अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष की कर अदायगी के बाद होने वाले कुल लाभ का एक प्रतिशत प्रत्येक वित्त वर्ष सीएसआर और एसडी गतिविधियों के लिए आबंटित किया जाएगा। एक निश्चि वर्ष के लिए आबंटित धनराशि अगर सीएसआर और एसडी गतिविधियों पर नहीं व्यय हो पाती, तो उसे आगामी दो वित्त वर्षों के अंदर व्यय करना होगा और अगर यह धनराशि इस दौरान व्यय नहीं हो पाई, तो उसे अलग से बनाए गए सतत विकास निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

जैसा कि सीएसआर और एसडी गतिविधियों के लिए आबंटित धनराशि को निर्धारित समय के अंदर खर्च करने की बाध्यता है, एएस 29 के अनुपालन में चालू वित्त वर्ष में सीएसआर और एसडी गतिविधियों के लिए 31 मार्च, 2013 को आरक्षित धनराशि रू. 18.85 करोड़ थी। सीएसआर और एसडी गतिविधियों पर व्यय धनराशि को समायोजित करने के बाद 31 जुलाई, 2014 को रू. 32.33 करोड़ शेष थे।

24. कंपनी ने 31 दिसंबर, 2013 तक बकाया धनराशि की पुष्टि के लिए ऋणकर्ताओं को पत्र भेजे, जिनके जवाब सभी ऋणकर्ताओं से प्राप्त किए जा चुके हैं।

(i) पिछले सात वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2014 तक कोई भी भुगतान/बॉण्ड्स/बॉण्ड्स पर ब्याज और लाभांश शेष नहीं है। हालांकि दावेदारों की ट्रांसफर औपचारिकताओं में विलंब के चलते रू. 0.56 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष में रू. 0.56 करोड़) की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(ii) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य–व्यापार के दौरान वसूली होने की स्थिति में ऋणों और अग्रिमों का मूल्य 31 मार्च, 2014को तुलन–पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

26. संविदा करार/ठेका आबंटन पत्र निर्गम के निष्पादन के फलस्वरूप अर्जित रु. 7.33 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 4.40 करोड़) के इन्वॉइस मूल्यों के संदर्भ में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई तथा उक्त धनराशि को क्रमशः परिसंपत्ति एवं देयताओं से सेट ऑफ कर दिया गया है।
27. कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटीकरण की आवश्यकता को उनके लेखा–परीक्षित खातों में उपलब्ध सीमा तक प्रकट किया गया है।
28. कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों ने 31.03.2014 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान रीयल एस्टेट सेक्टर में कोई खरीद–फरोख्त नहीं की है।
29. कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के पास खंड (सेगमेंट) रिपोर्टिंग संबंधी लेखा मानक–17 के अनुसार रिपोर्ट योग्य एक से अधिक खंड नहीं हैं।
30. पिछले वर्ष के आंकड़ों को व्यावहारिकता के अनुसार तुलनीय बनाने के लिए पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
31. अंकों को निकटतम रु. करोड़ में दशमलव के दो स्थान तक पूर्णांकित किया गया है।

भाग–क (1 से 18), भाग–ख और भाग–ग की टिप्पणियां समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
(मनोहर बलवानी)	**(आर. नागराजन)**	**(एम.के.गोयल)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	निदेशक (वाणिज्यिक) और अध्यक्ष एवं
	डीआईएन–00701892	प्रबंध निदेशक
		डीआईएन–00239813

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

एन.के. भार्गव एंड कंपनी	**के.बी. चांदना एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या. 000429एन	फर्म पंजीकरण संख्या.00082एन
हस्ता.	हस्ता.
(एन.के.भार्गव)	**(वी.के.गुरेजा)**
भागीदार	भागीदार
सदस्यता संख्या. 080624	सदस्यता संख्या. 016521

स्थान: नई दिल्ली।
दिनांक: 27.05.2014

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(रु. करोड़ में)

	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2014 को		समाप्त वर्ष 31.03.2013 को	
I.	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	कर पूर्व निवल लाभ एवं असाधारण मदें	**7,624.42**		**5,993.52**	
	जोड़े : निम्नांकित हेतु समायोजन				
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि (निवल)	0.08		0.03	
	मूल्यह्रास/परिशोधन	5.23		5.96	
	जीरो कूपन बॉण्ड का परिशोधन	102.74		135.98	
	विदेशी मुद्रा विनियम हानि	414.06		163.76	
	निवेश के मूल्य में कमी	(0.15)		0.00	
	आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	469.95		80.85	
	लाभांश/ब्याज और निवेश की बिक्री पर मुनाफा	(2.14)		(11.67)	
	सीएसआर व्यय और स्थायी व्यय के लिए प्रावधान	63.23		16.30	
	आयकर अधिनियम के अंतर्गत ब्याज के लिए प्रावधान	5.22		4.07	
	सेवानिवृत्ति लाभ/अन्य कल्याणकारी व्ययों/मजदूरी संशोधन के लिए प्रावधान	9.80		11.64	
	प्राप्त ब्याज	(13.21)		(9.32)	
	अदा किया गया ब्याज	0.01		0.02	
	बट्टे खाते डाले गए प्रारंभिक व्यय	0.00		0.00	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालनगत लाभ :	**8,679.24**		**6,391.14**	
	बढ़ोतरी/कमी :				
	ऋण परिसंपत्तियां (निवल)	**(28,959.96)**		(30,256.10)	
	अन्य चालू परिसंपत्तियां	(966.67)		(1,148.76)	
	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण अंतर खाता	(231.24)		37.44	
	देयताएं एवं प्रावधान	986.23		1,433.97	
	असाधारण मदों से पूर्व नकदी प्रवाह	**(20,492.40)**		**(23,542.31)**	
	असाधारण मदें	0.00		0.00	
	कर पूर्व, प्रचालन से नकदी आवक/जावक	**(20,492.40)**		**(23,542.31)**	
	प्रदत्त आय कर	(2,038.83)		(1,564.97)	
	आय कर रिफंड	57.97		5.56	
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**(22,473.26)**		**(25,101.72)**
II.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री/कमी – समायोजन	0.17		0.05	
	अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(2.81)		(4.38)	
	चालू कार्य पूंजी में बढ़ोतरी/कमी	0.00		0.45	
	सहायक कंपनियों में निवेश	0.00		(0.25)	
	प्राप्त ब्याज	13.21		12.43	
	लाभांश/ब्याज और निवेश की बिक्री पर लाभ	2.14		8.29	
	अन्य निवेश	(3.51)		5.85	
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		**9.20**		**22.44**
III.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	इक्विटी शेयरों का निर्गम	0.44		1.60	
	बॉण्डों का निर्गम	28,575.45		31,142.02	
	बॉण्डों का मोचन	(7,431.91)		(9,753.90)	
	दीर्घावधि ऋणों की उगाही	14,464.00		1,700.00	
	दीर्घावधि ऋणों का पुनर्भुगतान	(8,999.00)		(1,239.50)	
	विदेशी मुद्रा ऋण (निवल)	67.27		2,653.46	
	अदा किया गया ब्याज	0.00		0.00	
	वाणिज्यिक पेपर (निवल)	(3,650.00)		5,000.00	
	सावधि जमाओं के बदले लिए गए ऋण/कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ओडी/सीसी/ऋण व्यवस्था (निवल)	(3,819.77)		(251.43)	

ब्याज सब्सिडी निधि	(21.91)		(230.43)	
अदावाकृत बॉण्ड (निवल)	(0.17)		(0.56)	
पिछले वर्ष के अंतरिम लाभांश का भुगतान (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित)	(153.41)		(154.43)	
चालू वर्ष के अंतरिम लाभांश का भुगतान (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित)	(1,359.05)		(920.49)	
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		17,670.92		27,947.36
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि/कमी		(4,793.14)		2,868.08
जोड़े : वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		4,855.97		1,987.89
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य#		62.83		4,855.97
अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य का विवरण				
हस्तगत चैक, डाक प्राधिकारियों के पास अग्रदाय तथा बैंकों में शेष		61.58		169.33
अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा		1.25		4,686.64
		62.83		4,855.97

इसमें 2.87 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.45 करोड़ रुपए) संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के शेयर के रूप में शामिल हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.
(मनोहर बलराम)
कंपनी सचिव

हस्ता.
आर. नागराजन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन . 00701892

हस्ता.
(एम.के.गोयल)
निदेशक (वाणिज्यिक) और अध्यक्ष
एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन . 00239813

समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एन के भार्गव एंड कंपनीए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या – 000429एन

हस्ता.
(एन.के.भार्गव)
भागीदार
सदस्य संख्या : 080624

के.बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या –00082एन

हस्ता.
(वी.के.गुरेजा)
भागीदार
सदस्य संख्या : 016521

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2014

समेकित वित्तीय विवरण के बारे में स्वतंत्र लेखा–परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में

निदेशक मंडल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हमने संलग्न पावन फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") और उसकी सहायक कंपनियों के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण कर लिया है जिसमें 31 मार्च, 2014 को समेकित तुलन–पत्र, समेकित लाभ–हानि विवरण और उस वक्त समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अन्य व्याख्यात्मक जानकारी भी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है ताकि समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य–निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह के कारे में सत्य और निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सके। कंपनी के उत्तरदायित्वों में समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों को तैयार करना, उन्हें लागू करना तथा उनका अनुरक्षण भी शामिल है जिससे कंपनी के बारे में ऐसा सत्य और निष्पक्ष चित्र सामने आए जो किसी भी मिथ्या कथन से मुक्त हो, चाहे ऐसा मिथ्या कथन धोखाधड़ी से हो अथवा त्रुटि से।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपने लेखापरीक्षण के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में अपनी राय व्यक्त करना है। हम जो लेखा परीक्षा करते हैं वह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार होती है। इन मानदंडों में अपेक्षा की गयी है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा परीक्षण इस तरह से नियोजित तथा निष्पादित करें जिससे समेकित वित्तीय विवरणों के किसी महत्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त होने का युक्तिसंगत आश्वासन मिले।

लेखा परीक्षण के दौरान ऐसी प्रक्रियाएं अपनानी होती हैं, जिनसे समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों और घोषणाओं के लेखापरीक्षित साक्ष्य देखे सकें। इसके लिए चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर करती हैं जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों से उत्पन्न जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे ऐसे कथन धोखाधड़ी से हुए हों या त्रुटि से। ऐसे जोखिम आकलन करते समय लेखापरीक्षक इस बात पर विचार करता है कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने और उसे सही–सही प्रस्तुत करते समय परिस्थितियों के अनुरूप कौन सी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं अपनायीं, जिनसे कंपनी की यथार्थ और स्पष्ट स्थिति का पता चल सके। लेखापरीक्षा करते समय कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लगाये गये लेखांकन अनुमानों के युक्तिपूर्ण होने का आकलन करने के साथ–साथ समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का भी मूल्यांकन किया जाता है।

हमारा मानना है कि हमें जो लेखापरीक्षा प्रमाण मिले हैं वे पर्याप्त हैं और लेखापरीक्षा संबंधी हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं।

हमारी राय

हमारी राय में और हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण से निम्नांकित के बारे में यथार्थ और स्पष्ट स्थिति का पता चलता है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है :

(क) समेकित तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2014 को कंपनी के हालात;

(ख) समेकित लाभ–हानि विवरण के मामले में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में लाभ; और

(ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह।

महत्त्वपूर्ण विचारणीय विषय

अपनी राय को क्वालिफाई किए बिना, हम भाग ग–अन्य लेखा टिप्पणियों के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 15.2 की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। यह टिप्पणी वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान आर/आर/आर यानी पुनर्गठन/पुनः समय निर्धारण/पुनः मोलभाव के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकसम्मत मानदंडों की प्रयोजनीयता से संबंधित है।

अन्य मामले

जहां तक 4 सहायक कंपनियों और 2 संयुक्त उपक्रमों का सवाल है, हमने उनकी कोई लेखा परीक्षा नहीं की। उनके वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों ने किया है जिनकी रिपोर्टें हमें उपलब्ध कराई गईं और हमारी राय में सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों से संबंधित राशि अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों की कुल आस्तियों, कुल आमदनी और शुद्ध नकदी प्रवाह का ब्यौरा जिस सीमा तक समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, वह इस प्रकार है :

अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित

(रु. करोड़ में)

कंपनी	कुल आस्तियां	कुल आमदनी	शुद्ध नकदी प्रवाह
पीएफसी कंसल्टिंग लि. (शत–प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	136.47	55.19	(0.56)
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लि. (शत–प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	312.48	22.71	(105.80)
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स लि. (शत–प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	0.05	0.00	0.01
पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिज लि. (शत–प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	6.11	6.29	(0.01)
कुल	**455.11**	**84.19**	**(106.36)**

हम यह भी सूचित करते हैं कि नीचे वर्णित दो संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण लेखापरीक्षा अधीन हैं। इन संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद हमें सौंपे गए। उक्त संयुक्त उद्यमों के संदर्भ में शामिल की गई राशियां पूरी तरह से इन्हीं वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं। यदि इन वित्तीय विवरणों की बकाया राशि में कोई समायोजन होगा, तो उसका परिणामी प्रभाव संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों पर भी पड़ेगा। परंतु सापेक्षिक संदर्भों में इन उद्यमों के आकार को देखते हुए समेकन में उनका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। समेकित वित्तीय विवरण में दर्शाए गए इन संयुक्त उद्यमों की कुल आस्तियों, कुल राजस्व और कुल नकदी प्रवाह का वर्णन नीचे दिया गया है।

प्रबंधन द्वारा प्रमाणित

(रु. करोड़ में)

कंपनी	कुल आस्तियां	कुल आमदनी	शुद्ध नकदी प्रवाह
नेशलल पावर एक्सचेंज लि. (संयुक्त उद्यम)	1.15	0.11	(0.14)
एनर्जी एफिशिएंसी प्रा. लि. (संयुक्त उद्यम)	31.62	8.39	2.40
कुल	**32.77**	**8.50**	**2.26**

हम सूचित करते हैं कि कंपनी के प्रबंधन ने समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप–धारा (3सी) के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानदंड (एएस)–21 "समेकित वित्तीय विवरण," लेखांकन मानदंड (एएस)–27 "संयुक्त उपक्रमों में हित के बारे में वित्तीय संसूचना" के अनुसार तैयार किये हैं।

कृते एन. के. भार्गव एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या–000429एन

हस्ता./–
एन.के. भार्गव
भागीदार
सदस्य संख्या–080624

कृते के. बी. चांदना एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर संख्या–000862एन

हस्ता./–
वी. के. गुरेजा
भागीदार
सदस्य संख्या–016521

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2014

निदेशक रिपोर्ट का अनुलग्नक–4

कंपनी अधिनियम 256 की धारा 212 (1) (ई) के अनुपालन में सहायक कंपनी से संबंधित विवरण

सहायक कंपनी का नाम	तारीख जिससे वह सहायक कंपनी बनी	सहायक कंपनी का वित्त वर्ष समाप्त होने की तारीख	31मार्च, 2014 को कंपनी द्वारा धारित सहायक कंपनी के शेयरों की संख्या		सहायक कंपनी के लाभ/(हानि) की समग्र निवल मात्रा, जिसका संबंध होल्डिंग कंपनी के खातों के साथ है (रु करोड़ में)			
					होल्डिंग कंपनी के खातों से संबंधित		होल्डिंग कंपनी के खातों से संबंधित नहीं	
			शेयरों की संख्या और अंकित मूल्य	होल्डिंग का स्तर	31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी बनने से पहले पिछले वित्त वर्षों के लिए	31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी बनने से पहले पिछले वित्त वर्षों के लिए
पीएफसी कंसल्टिंग लि.	25 मार्च, 2008	31 मार्च, 2014	10 रु प्रत्येक मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर	100%	26.96	102.38	–	–
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	30 मार्च, 2011	31 मार्च, 2014	10 रु प्रत्येक मूल्य के 100000000 इक्विटी शेयर और 10 रु प्रत्येक मूल्य के 200000000 इक्विटी शेयर	100%	13.26	2.02	–	–
पावर कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेस लि.	18 जुलाई, 2011	31 मार्च, 2014	10 रु प्रत्येक मूल्य के 100000 इक्विटी शेयर	100%	3.03	.90	–	–
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजरी प्रा. लि	11 अक्टूबर, 2011	31 मार्च, 2014	10 रु प्रत्येक मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर					
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लि.	10 फरवरी, 2006	31 मार्च, 2014	10 रु प्रत्येक मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर	100%	–	–	–	–
कोस्टल कर्नाटक पावर लि.	10 फरवरी, 2006	31 मार्च, 2014	10 रु प्रत्येक मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर	100%	–	–	–	–
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लि.	1 मार्च, 2006	31 मार्च, 2014	10 रु प्रत्येक मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर	100%	–	–	–	–
ओडिशा इंटिग्रेटिड पावर लि.	24 अगस्त, 2008	31 मार्च, 2014	10 रु प्रत्येक मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर	100%				(0.22)
कोस्टल तमिलनाडु पावर लि.	19 जनवरी, 2007	31 मार्च, 2014	10 रु प्रत्येक मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर	100%				0.02
साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लि.	21 मई, 2008	31 मार्च, 2014	10 रु प्रत्येक मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर	100%				(0.01)
घोघरपल्ली इंटिग्रेटिड पावर कं लि.	22, मई, 2008	31 मार्च, 2014	10 रु प्रत्येक मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर	100%				(0.01)
तातिया आंध्र मेगा पावर लि.	17 अप्रैल, 2009	31 मार्च, 2014	10 रु प्रत्येक मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर	100%	–	–	–	–
देवघर मेगा पावर लि.	26 अप्रैल, 2012	31 मार्च, 2014	10 रु प्रत्येक मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर	100%	–	–	–	–
ओडिशा इंफ्रा पावर लि.	23 जनवरी, 2014	31 मार्च, 2014	10 रु प्रत्येक मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर	100%	–	–	–	–
चेयूर इन्फ्रा लि.	21 जनवरी, 2014	31 मार्च, 2014	10 रु प्रत्येक मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर	100%	–	–	–	–

डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लि.*	15 नवंबर, 2011	31 मार्च, 2014	10 रु प्रत्येक मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर	100%	–	–	–	–
बल्लभगढ़– जीएन ट्रांमिशन कंपनी लि.*	9 सितंबर, 2013	31 मार्च, 2014	10 रु प्रत्येक मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर	100%	–	–	–	–
टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लि.	9 सितंबर, 2013	31 मार्च, 2014	10 रु प्रत्येक मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर	100%	–	–	–	–

*पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड की सहायक कंपनियां। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों में 10 रुपये प्रत्येक के 50,000 इक्विटी शेयर पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड और उसके नामितों द्वारा धारित हैं। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 212 की अपेक्षा के अनुपालन में उन सहायक कंपनियों के वार्षिक खाते, निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न हैं, जिनके वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए हैं।

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

(आर नागराजन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 0070701892

(एम के गोयल)
निदेशक (वाणिज्यिक) एवं
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00239813

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 अगस्त, 2014

सहायक कंपनियाँ

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड 178

छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड 194

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड 204

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड 213

साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड 223

घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड 233

तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड 242

देवघर मेगा पावर लिमिटेड 252

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड 261

उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड 272

चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड 283

उड़ीसा इंफ्रापावर लिमिटेड 291

डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 299

टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 310

बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 319

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 328

पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसिस लिमिटेड 343

पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजर्स प्राइवेट लिमिटेड 357

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

निदेशक रिपोर्ट, 2013–14

सेवा में,

सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशकों को वित्त वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी के निष्पादन पर छठी (6वीं) वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरण और 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय विवरण

(आंकड़े लाख रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	2013–14	2012–13	परिवर्तित %
1.	कुल आय	5,519.20	3,648.85	↑ 51.25
2.	कुल व्यय	1,433.70	1,310.28	↑ 9.42
3.	कर पूर्व लाभ और असाधारण मदें	4,085.50	2,338.57	74.70
4.	असाधारण मदें (निवल)	–	–	–
5.	कर पूर्व लाभ	4,085.50	2,338.57	↑ 74.70
6.	कर के लिए प्रावधान			
	– वर्तमान कर	1,389.72	759.47	–
	– आस्थगित कर	(0.17)	(59.24)	–
7.	कर पश्चात लाभ	2,695.95	1,638.34	↑ 64.55
8.	पूर्ववर्ती वर्ष से आगे लाया गया लाभ	10,237.26	8,598.91	–
9.	तुलन–पत्र में लाया गया संचित लाभ	12,933.21	10,237.26	–

वित्तीय निष्पादन

i) राजस्व

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की कुल आय 3648.85 लाख रुपए से बढ़कर 5519.20 लाख रुपए हो गई है और इस प्रकार इसमें 51.25% की वृद्धि दर्शायी गई है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 1049.37 लाख रुपए की अन्य आय भी अर्जित की है जिसमें बैंकों में जमा 993.25 लाख रुपए की अधिशेष निधियों पर अर्जित ब्याज और 56.12 लाख रुपए की विविध आय शामिल है।

II) व्यय

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान आपकी कंपनी ने गत वर्ष में 1310.28 लाख रुपए के कुल व्यय की तुलना में 1433.70 लाख रुपए का कुल व्यय किया है। इस प्रकार व्यय में 9.42% की वृद्धि दर्शाई गई है।

iii) लाभ

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2012–13 में 2338.57 लाख रुपए की तुलना में 4085.50 लाख रुपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। इस प्रकार इसमें 74.70% की वृद्धि दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष में कर पश्चात लाभ भी 1638. 34 लाख रुपए से बढ़कर 2695.95 लाख रुपए हो गया है,!

iv) लाभांश

कंपनी के व्यवसाय के लिए संसाधनों को संरक्षित करने के उद्देश्य से आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2013–14 के लिए कोई भी लाभांश घोषित न करने और कंपनी की आरक्षित और अधिशेष निधियों में वृद्धि करने के लिए लाभ को आगे ले जाने का निर्णय लिया है।

v) शेयर पूंजी

कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5,00,000 लाख रुपए (पांच लाख रुपए मात्र) है, जिसमें प्रत्येक 10 रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखी जाती है।

प्रचालन संबंधी विशेषताएं

आपकी कंपनी की स्थापना अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) और आईटीपी के विकास सहित विद्युत क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई हैं। प्रचालन संबंधी विशेषताएं क्रमशः निम्नानुसार हैं:

- बिहार में एक नई यूएमपीपी के लिए बिहार के बांका जिले के ककवाड़ा गांव के निकट साईट हेतु सचिव (ऊर्जा विभाग), बिहार सरकार द्वारा 22 अप्रैल, 2013 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
- पावर स्टेशन के लिए भूमि हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत अधिनिर्णय पत्र अगस्त, 2013 में जारी किया गया। भूमि की लागत आईडीसीओ के पास जमा कर दी गई है और उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के भेदाबहल में उड़ीसा की पहली यूएमपीपी के लिए अधिनिर्णय पत्र के अनुसार भूमि की लागत के भुगतान की प्रक्रिया प्रगति पर है।
- चेय्यूर और उड़ीसा यूएमपीपी के लिए विकासकर्ता के चयन हेतु बोली प्रक्रिया सितंबर, 2013 में जारी किए गए नए मॉडल बोली दस्तावेजों (एमबीडी) के आधार पर शुरू की गई। आरएफपी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख क्रमशः सितंबर और अक्टूबर, 2014 है।
- चेय्यूर यूएमपीपी के मुख्य प्लांट के लिए एमओईएफ द्वारा पर्यावरण स्वीकृति सितंबर, 2013 में प्रदान की गई।
- पीएफसीसीएल को नबंबर, 2013 में हरियाणा राज्य में जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा वित्तीय प्राप्त सहायता योजना के कार्यान्वयन हेतु परियोजना प्रबंधन और डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु एक नया कार्य प्राप्त हुआ।
- 31 नवंबर, 2013 को बोली प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पैट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, एक आईटीपी एसपीवी मैसर्स टेक्नो इलेक्ट्रिक और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किया गया।
- 09 दिसंबर, 2013 को बोली प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पुरुलिया एंड खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, एक अन्य आईटीपी एसपीवी को मैसर्स एसेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किया गया।
- पीएफसीसीएल को जनवरी, 2014 में मैसर्स हिंदुजा नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एपीसीपीडीसीएल की 1040 मेगावाट पीपीपी के लिए मौजूदा पीपीए का मसौदा पुनः तैयार करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु एक नया कार्य प्राप्त हुआ।
- परियोजना के लिए भूमि की लागत तमिलनाडु सरकार (जीाओटीएन) के पास जमा कर दी गई है और लगभग 45 एकड़ भूमि का कब्जा जिला कलेक्टर (कांचीपुरम) के नाम पर लिया गया है।
- झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) के विभाजन हेतु हस्तांतरण योजना 06 जनवरी, 2014 को अधिसूचित की गई। पीएफसीसीएल इस संदर्भ में झारखंड सरकार को परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है।
- उड़ीसा यूएमपीपी के लिए भूमि अधिग्रहण तथा कोयला ब्लॉकों के अधिग्रहण तथा रख–रखाव हेतु 23 जनवरी, 2014 को उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड नामक एक एसपीवी का गठन किया गया।
- उड़ीसा यूएमपीपी के लिए पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में एमओईएफ की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (थर्मल) द्वारा फरवरी, 2014 में सिफारिश की गई।
- 12 मार्च, 2014 को बोली प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, एक अन्य आईटीपी एसपीवी मैसर्स स्टरलाइट ग्रिड लिमिटेड, सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किया गया।
- पीएफसीसीएल को जून, 2014 में मेघालय राज्य में सुधार और पुनर्गठन के कार्यान्वयन हेतु एक नया कार्य प्राप्त हुआ।

अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी)

भारत में अधिक क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं के विकास के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने नबंबर, 2005 में अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) अर्थात 400 मेगावाट सुपर थर्मल पावर परियोजनओं (पिट हैड और आयातित कोयला दोनों पर अधारित) के लिए पहल शुरू की। इन परियोजनाओं के विकास हेतु पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) को एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया। पावर फाइनेंस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के संपूर्ण कार्य संचालन हेतु प्राधिकृत किया है।

अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं का विकास विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी "डीबीएफओटी आधार पर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना से विद्युत की खरीद के लिए दिशा–निर्देश" के अंतर्गत किया जाना है। इन परियोजनाओं को एकल स्थान पर बड़ी क्षमता के परिणामस्वरूप मापन की मितव्ययिता का लाभ मिलेगा, सुपर क्रिटीकल प्रौद्योगिकी के कारण उत्सर्जन में कमी और उपर्युक्त कारणों तथा विकासकर्ता के चयन हेतु अपनाई जाने वाली टैरिफ आधारित अंतरराष्ट्रीय बोली प्रक्रिया से कम टैरिफ का लाभ मिलेगा।

अब तक मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और बिहार राज्यों में स्थापित की जाने वाली 16 अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं की पहचान की गई है।

आज की तारीख तक 15 विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) यूएमपीपी के लिए गठित किया गया है। इनमें से 13 एसपीवी का गठन पर्यावरण एवं वन स्वीकृति, एयरपोर्ट प्राधिकरण की स्वीकृति, तटवर्ती विनियम जोन स्वीकृति, रक्षा संबंधी स्वीकृति जैसी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने और संबंधित एसपीवी के नाम पर आवश्यक संपर्क जैसे जल, ईंधन (पिट हैड परियोजनाओं के मामले में) आदि के लिए कार्य शुरू करने हेतु किया गया है। उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार टैरिफ आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाता को एसपीवी हस्तांतरित करने के लिए बोली प्रक्रिया का भी संचालन करना होगा। इन 13 एसपीवी में से 4 एसपीवी सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे यूएमपीपी के साथ आगे नहीं बढ़ने का निश्चय किया है और इस प्रकार विद्युत मंत्रालय ने इस परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया है। एसपीवी को हटाने/एसपीवी का नाम कंपनी के रजिस्ट्रार (आरओसी) के रिकॉर्ड से काटने का भी काम शुरू हो चुका है। 11 यूएमपीपी के लिए कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में पीएफसी द्वारा बाकी दो एसपीवी (उड़ीसा इंफ्रापावर लिमिटेड और चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड) की स्थापना चेय्यूर युएमपीपी के लिए जमीन धारण के लिए तथा उड़ीसा यूएमपीपी के लिए कोल ब्लॉक और जमीन धारण करने के लिए की गई। इन एसपीवी का हस्तांतरण इन परियोजनाओं से संबंधित विद्युत खरीदारों को किया जाएगा। कोल ब्लॉक भूमि, कोल ब्लॉक लाइसेंस, पावर प्लांट भूमि तथा यूएमपीपी के कॉरिडोर के लिए भूमि के धारण हेतु बिहार राज्य में तथा दूसरे यूएमपीपी के लिए झारखंड राज्य में एसपीवी की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

वर्ष के दौरान, विद्युत मंत्रालय के निर्देश पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यूएमपीपी के लिए पूर्ववर्ती बोली प्रक्रिया वापस ले ली गई। विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित एमबीडी पर उड़ीसा यूएमपीपी के लिए बोली प्रक्रिया वर्ष के दौरान पुनः शुरू की गई। वर्ष के दौरान चेय्यूर यूएमपीपी के लिए भी संशोधित एमबीडी पर बोली प्रक्रिया शुरू की गई। चेय्यूर और उड़ीसा यूएमपीपी के लिए बोली सौंपने की अंतिम तारीख क्रमशः 22 सितंबर, 2014 तथा 07 अक्टूबर, 2014 है।

जारी अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं

क्रम सं.	यूएमपीपी	प्रकार
1.	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड, सुंदरगढ़ यूएमपीपी उड़ीसा	घरेलू कोयला आधारित
2.	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड, छत्तीसगढ़ यूएमपीपी	घरेलू कोयला आधारित
3.	साखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड, उड़ीसा अतिरिक्त यूएमपीपी 1	घरेलू कोयला आधारित
4.	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड, उड़ीसा अतिरिक्त यूएमपीपी 2	घरेलू कोयला आधारित
5.	देवघर मेगा पावर लिमिटेड, झारखंड द्वितीय यूएमपीपी	घरेलू कोयला आधारित
6.	बिहार यूएमपीपी	घरेलू कोयला आधारित
7.	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड, चेय्यूर यूएमपीपी तमिलनाडु	आयातित कोयला आधारित
8.	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड, महाराष्ट्र यूएमपीपी	आयातित कोयला आधारित
9.	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड, कर्नाटक यूएनपीपी	आयातित कोयला आधारित
10.	गुजरात द्वितीय यूएमपीपी	आयातित कोयला आधारित
11.	तमिलनाडु द्वितीय यूएमपीपी	आयातित कोयला आधारित

स्वतंत्र ट्रांसमिशन परियोजनाएं (आईटीपी)

विद्युत मंत्रालय ने ट्रांसमिशन सेवाओं की प्रतियोगी अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने और पारेषण लाइनों में निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारेषण प्रणालियों के विकास और सुदृढ़ीकरण हेतु टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया भी शुरू की है।

प्रत्येक पारेषण परियोजना के लिए विद्युत मंत्रालय बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) नियुक्त करता है। बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य, मार्ग की पहचान, सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना, सब–स्टेशनों, यदि कोई है, के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ करना, आवश्यक होने पर वन स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करना और परियोजना के लिए विकासकर्ता के चयन हेतु बोली प्रक्रिया प्रारंभ करने का कार्य करता है।

मार्च, 2014 तक, 12 विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी), 2 पीएफसी के द्वारा तथा अन्य 10 पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के द्वारा आईटीपी के पूर्णतः स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में की गई थी। इन 12 एसपीवी में से, बोकारो–कोडरमा मैथन पारेषण कंपनी लिमिटेड दिसंबर 2010 में परिसमाप्त हुई तथा 4 (चार) एसपीवी 31 मार्च, 2013 तक सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दी गई थी। वर्ष 2013–14 के दौरान पीएफसी ने चार (4) और एसपीवी सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दी।

बचे हुए आईटीपी के तीन (3) एसपीवी में से टोरेंट पावर लिमिटेड (एसपीवी–डीजीईएन पारेषण कंपनी लिमिटेड) की डीजीईएनटीपीएस (1200 मेगावाट) के साथ संबद्ध स्वतंत्र पारेषण परियोजना अर्थात पारेषण परियोजना के लिए बोली प्रक्रिया वर्ष के दौरान पूर्ण की गई तथा आशय का पत्र सफल बोलीदाता को 19 मई, 2014 को जारी किया गया।

वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय ने पीएफसी कंसल्टिंग लि. को टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के जरिए कार्यान्वित की जाने वाली 2 (दो) नई स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में नियुक्ति किया। पीएफसी कंसल्टिंग लि. ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में निम्नलिखित 2 (दो) नए एसपीवी गठित किए:

(i) पारेषण परियोजना– "टांडा एक्सपैंशन टीपीएस (2x660 मेगावाट) के लिए एटीएस" के लिए टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीटीसीएल)

(ii) पारेषण परियोजना "उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXXIII के लिए बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बीजीएनटीसीएल)

उपर्युक्त दो एसपीवी के लिए बोली प्रक्रिया को सीईए की सलाह पर ईपीसी संविदा मिलने से संबंधित मुद्दे तथा टीटीसीएल के मामले में टांडा एक्सपैंशन, टीपीएस के लिए भूमि अधिग्रहण और बीजीएनटीसीएल के मामले में एनपीसीएल और एस्सार पावर (झारखंड) के बीच में विवाद को स्थगित रखा गया।

इन स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया जारी है।

जुलाई, 2014 में विद्युत मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित चार और स्वतंत्र पारेषण योजनाएं जिन्हें टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के द्वारा कार्यान्वित किया जाना है स्थापित किया गया।

(i) उत्तर क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना, एनआरएसएस–XXXV

(ii) सिपत एसटीपीएस के लिए अतिरिक्त प्रणाली सुदृढ़ीकरण

(iii) पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तथा दूसरे उत्पादन परियोजना में आईपीपीएस के लिए प्रणाली सुदृढ़ीकरण

(iv) छत्तीसगढ़ आईपीपीएस के लिए अतिरिक्त प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना (भाग–ख)

उपर्युक्त चार स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के लिए एसपीवी के गठन की प्रक्रिया जारी है।

नागापट्टनम / कुड्डालोर क्षेत्र – पैकेज–सी (मधुगिरि–नरेंद्र 765 केवी डी/सी लाइन, कोल्हापुर–पढ़गे 765 केवी डी/सी लाइन – एक सीकेटी वाया पुणे) की आईपीपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली विषयक पारेषण परियोजना के लिए अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी 31वीं बैठक में योजना को डी–नोटीफाई करने की सिफारिश की क्योंकि परियोजना के कुछ घटकों को या तो हटा दिया गया था या फिर किसी अन्य पारेषण परियोजना के साथ उन्हें आमेलित कर दिया गया था। विद्युत मंत्रालय इस योजना को डी–नोटीफाई करने के की प्रक्रिया में है।

उपभोक्ता आधार

आपकी कंपनी विद्युत क्षेत्र में एक अग्रणी परामर्शी संगठन बनने की दिशा में अग्रसर है। दी गई सेवाओं की गुणवत्ता और संतुष्टि के आधार पर उपभोक्ताओं ने बार–बार आदेश देकर कंपनी पर अपना भरोसा जताया है। कंपनी के उपभोक्ता आधार में सार्वजनिक अर्थात राज्य / केंद्रीय स्वामित्व वाली विद्युत क्षेत्र की कंपनियों (एफपीएसयू / सीपीएसयू) के साथ–साथ निजी क्षेत्र की कंपनियां (आईपीपी), राज्य विद्युत नियामक आयोग और राज्य सरकारें शामिल हैं।

उपभोक्ताओं के प्राफाइल सहित जिन राज्यों में पीएफसीसीएल ने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं के विवरण निम्नानुसार हैं:

उपभोक्ता	संख्या
राज्य की कंपनियां	22
लाइसेंस धारक / आईपीपी	7
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	6
राज्य सरकारें	4
नियामक आयोग	3
केंद्र सरकार के विभाग / मंत्रालय	1
योग	43

पीएफसीसीएल ने भारत के आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पुद्दुचेरी, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे 21 राज्यों / संघ राज्यों में फैले 43 उपभोक्ताओं के लिए 81 से अधिक कार्य पूर्ण किए हैं।

वर्तमान में पीएफसीसीएल, जिन परियोजनाओं का कार्य कर रहा है उनकी एकीकृत क्षमता 50,000 मेगावाट (यूएमपीपी सहित) से अधिक है और यह वर्तमान में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी "डीवीएफओटी के आधार पर स्थापित थर्मल पावर स्टेशनों से विद्युत की खरीद हेतु दिशानिर्देश" के अनुसार राजस्थान और झारखंड की सरकारों के लिए विद्युत की खरीद हेतु महत्वपूर्ण परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है और एनएमडीसी तथा एमसीएल के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए थर्मल पावर प्लांटों की स्थापना हेतु संयुक्त उद्यम भागीदार के चयन का कार्य कर रहा है।

पीएफसीसीएल झारखंड, केरल, बिहार और मेघालय जैसे राज्यों में राज्य विद्युत बोर्डों (एसईवी) के सुधार और पुनर्गठन का कार्य भी कर रहा है।

सहायक कंपनियों की स्थापना

निदेशकों की पिछली रिपोर्ट की तारीख से कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली निम्नलिखत दो (2) नई कंपनियों की स्थापना की गई:

(i) "उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–xxxiii" के लिए पारेषण परियोजना हेतु 09 सितंबर 2013 को बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई।

(ii) "टांडा विस्तार टीपीएस (2x660 मेगावाट) के लिए एटीएस" हेतु पारेषण परियोजना के लिए 09 सितंबर 2013 को टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई।

सहायक कंपनियों का हस्तांतरण

निदेशकों की पिछली रिपोर्ट की तारीख से कंपनी ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली निम्नलिखित चार (4) कंपनियों का हस्तांतरण किया है, जिनके विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	एसपीवी का नाम	सफल बोलीदाता	हस्तांतरण की तारीख
1.	पैट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	13.11.2013
2.	पुरुलिया एंड खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	स्टरलाइट ग्रिड लिमिटेड	09.12.2013
3.	दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	एसेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	10.12.2013
4.	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	स्टरलाइट ग्रिड लिमिटेड	12.03.2014

आज की तारीख के अनुसार कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली तीन (3) सहायक कंपनियां हैं। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 212 के अनुसरण में आवश्यक विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध– I में दिया गया है।

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुक्रम में आपकी कंपनी ने सीएसआर समिति का गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं:

1.	श्री एम के गोयल	अध्यक्ष
2.	श्री आर नागराजन	निदेशक
3.	श्री ए के अग्रवाल	निदेशक

उपर्युक्त समिति लागू विधियों के अनुसार कंपनी की सीएसआर नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

वर्ष 2014–15 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी के साथ 25 अप्रैल 2014 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

राजभाषा

कंपनी के सरकारी कार्यों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

सार्वजनिक जमा राशियां

कंपनियां (जमाराशियों की स्वीकारोक्ति) नियमावली 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 (क) के अंतर्गत कंपनी ने 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कोई भी सावधि जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

मानव संसाधन विकास

प्रबंधन मानव संसाधन विकास पर विशेष रूप से ध्यान देता है। कार्मिकों के कंपनी की प्रमुख परिसंपत्ति होने के नाते उन्हें लगातार प्रशिक्षित किया गया जिससे कि वे अपनी प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निरंतर मूल्यांकन करते हुए तेजी से बदलते परिवेश के साथ तालमेल बिठा सकें।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मैसर्स जैन चोपड़ा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वित्त 2013–14 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी के लेखाओं पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणियां, अवलोकन अथवा आरक्षण नहीं पाए गए हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाली आय और बर्हिगमन

चूंकि कंपनी के प्रचालन में कोई भी विनिर्माण अथवा संसाधन गतिविधियां शामिल नहीं है, अतः कंपनियां (निदेशकों के बोर्ड की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी विवरण लागू नहीं हैं।

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 217 (1) (ड.) के प्रावधानों के अंतर्गत यथावश्यक विवरण अनुबंध– I। में दिए गए हैं ।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कार्मिकों के विवरण

कंपनी पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है और कंपनी में कार्यरत सभी कार्मिक पीएफसी के ही कार्मिक हैं। हालांकि वर्तमान में कंपनी में कार्यरत कार्मिकों से संबंधित सभी भुगतान सीधे कंपनी द्वारा किए जा रहे हैं।

कंपनी में कार्यरत किसी भी कार्मिक को कंपनी (कार्मिकों के विवरण) संशोधन नियमावली, 2011 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं से अधिक अथवा के समतुल्य मेहनताना प्राप्त नहीं हुआ है। तदनुसार, कार्मिकों के विवरण संबंधी कोई विवरण पत्र संलग्न करना आवश्यक नहीं है।

निदेशक

पीएफसी द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुक्रम में निदेशकों की पिछली रिपोर्ट की तारीख से श्री एम के गोयल, निदेशक (वाणिज्यिक), पीएफसी ने 13.09.2013 से पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। श्री एम के गोयल द्वारा श्री सतनाम सिंह के स्थान पर 13.09.2013 से सीएमडी, पीएफसी का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप श्री सतनाम सिंह का कंपनी के निदेशक/अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके अलावा कंपनी के निदेशक श्री एम के गोयल द्वारा

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी) के सीएमडी का प्रभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप 13.09.2013 से कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष का प्रभार ग्रहण किया गया।

इसके अलावा श्री ए. के. अग्रवाल, निदेशक (परियोजनाएं), पीएफसी को 23 सितंबर, 2013 से कंपनी का अपर निदेशक नियुक्त किया गया। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 (1) के प्रावधानों के अनुसार श्री ए. के. अग्रवाल आगामी वार्षिक आमसभा की तारीख तक अपने पद पर बने रहेंगे। निदेशक मंडल सिफारिश करता है कि श्री ए. के. अग्रवाल को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए जवाबदेह होंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के प्रावधानों के अनुसार श्री आर. नागराजन कंपनी की आगामी वार्षिक आम सभा में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते उन्हें पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा।

उपर्युक्त परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं:

1.	श्री एम. के. गोयल	अध्यक्ष / निदेशक (वाणिज्य और सीएमडी, पीएफसी)
2.	श्री आर. नागराजन	निदेशक / निदेशक (वित्त), पीएफसी
3.	श्री ए. के. अग्रवाल	निदेशक / निदेशक (परियोजनाएं), पीएफसी

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री सतनाम सिंह द्वारा दिए गए उल्लेखनीय और मूल्यवान योगदान के लिए उनकी हार्दिक प्रशंसा करता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री सी. गंगोपाध्याय ने दिनांक 03 दिसंबर, 2013 से श्री एन. डी. त्यागी के स्थान पर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का प्रभार ग्रहण किया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

सी एंड एजी ने अपने दिनांक 21 अगस्त. 2014 के पत्र के जरिए 31 मार्च. 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर टिप्पणी दी है। इस संबंध में सी एंड एजी द्वारा जारी किए गए पत्र की प्रति अनुबंध–III में दी गई है।

सी एंड एजी की टिप्पणी और उस पर प्रबंधन का जबाब नीचे दिया गया है :–

क्र. सं.	सी एंड ए जी की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
	लाभ और हानि विवरण प्रचालन से राजस्व (नोट सं. 15)– 4469. 83 लाख रुपए उपर्युक्त में 5 स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) अर्थात विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी), जिन्हें सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है, के संबंध में बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कंपनी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेजों की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय के रूप में 200.00 लाख रुपए की राशि शामिल है। आईटीपी के लिए बोलीदाताओं के चयन हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक बोली दस्तावेजों (एसबीडी) के अंतर्गत यह आवश्यक है कि बीपीसी द्वारा एकत्र किए गए आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय सीधे एसपीवी के खाते में जमा की जानी चाहिए। इस प्रकार कंपनी को आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री से प्राप्त होनेवाली 200 लाख रुपए की राशि संगत	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) को विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा पांच स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में इसकी अधिसूचना प्रकाशित की गई है। विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक बोली दस्तावेजों में ही यह विहित किया गया है कि आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय विशेष प्रयोजनीय वाहन के पक्ष में स्थानांतरित की जाए। हालांकि मानक बोली दस्तावेजों में यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय चयनित बोलीदाता को स्थानांतरित की जाए। चूंकि आईटीपी के लिए बोली दस्तावेज पीएफसीसीएल द्वारा विकसित किए गए हैं, अतः आरएफपी दस्तावेज में यह प्रावधान किया गया है कि दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय का भुगतान पीएफसीसीएल के पक्ष में किया जाए। तदनुसार, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने
	आईटीपी के पांच (5) एसपीवी के खातों में स्थानांतरित करनी चाहिए थी। एसबीडी के उपबंध का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप "अन्य प्रचालन आय" (नोट सं. 15) के साथ–साथ "लाभ" शीर्ष के अंतर्गत 200 लाख रुपए अधिक और "अन्य चालू देयताएं" (नोट सं. 6) में 200 लाख रुपए कम दर्शाए गए हैं।	इसे अपनी खातावही में अन्य प्रचालन आय के रूप में शामिल किया है। विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा जारी पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार गठित अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की दिनांक 15.06.2012 को आयोजित बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष ने विद्युत मंत्रालय से निविदा दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय रखने संबंधी मुद्दे का निराकरण करने का अनुरोध किया।विद्युत मंत्रालय का निर्णय लंबित होने के कारण कंपनी ने मौजूदा प्रक्रिया का अनुपालन किया और उसे अन्य प्रचालन आय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया है। इस प्रकार अन्य प्रचालन आय (नोट सं.–15) के साथ–साथ लाभ शीर्ष के अंतर्गत 200 लाख रुपए की अधिक राशि नहीं दर्शाई गई है और न ही अन्य चालू देयताएं (नोट सं.–6) के अंतर्गत 200 लाख रुपए की राशि कम दर्शाई गई है।

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत यथावश्यक आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

- वित्त वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और वास्तविक प्रकटन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि वित्त वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया है।
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे एक निरंतर कार्यरत कंपनी के रूप में तैयार किए हैं।

स्वीकारोक्ति

निदेशक केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और सहायता के लिए कार्यरत उनकी संगत एजेंसियों, कॉर्पोरेशनों के प्रति कंपनी का उनके द्वारा किए गए उत्साहवर्धन हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कंपनी विशेषरूप से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, सांविधिक लेखापरीक्षकों, बैंकर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कार्मिकों के प्रति उनके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

एम. के. गोयल

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 अगस्त, 2014

(एम. के. गोयल)
अध्यक्ष

अनुबंध – I

सहायक कंपनियों में कंपनियों के हित से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2012 के अनुसार विवरण

क्रम सं.	सहायक कंपनी का नाम	डी जी ई एन ट्रांसमिशन कंपनी लि.	बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लि.	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लि.
1.	सहायक कंपनी का वित्त वर्ष को समाप्त हुआ	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2014
2.	वह तारीख जिससे यह सहायक कंपनी बनी	15 नवंबर, 2011	09 सितंबर 2013	09 सितंबर 2013
3.	(क) सहायक कंपनियों के वित्त वर्ष के अंत में सहायक कंपनी ने पी एफ सी कंसल्टिंग लिमिटेड के साथ – साथ इसके नामितियों द्वारा धारक शेयरों की संख्या (ख) सहायक कंपनियों के वित्त वर्ष की समाप्ति पर धारक कंपनी के हित की सीमा	प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 एक्विटी शेयर 100 प्रतिशत	प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 एक्विटी शेयर 100 प्रतिशत	प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 एक्विटी शेयर 100 प्रतिशत
4.	जहां तक धारक कंपनियों के सदस्यों का संबंध है, तो धारक कंपनी के लाभ/हानि की निबल एकीकृत राशि (क) धारक कंपनी के लेखाओं में: I) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ii) जब से यह धारक कंपनी की एक सहायक कंपनी बनी है, तब से सहायक कंपनियों के पूर्ववर्ती वित्त वर्ष (वर्षों) के लिए (ख) धारक कंपनी के लेखाओं से इतरः i) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ii) जब से यह धारक कंपनी की एक सहायक कंपनी बनी है, तब से सहायक कंपनियों के पूर्ववर्ती वित्त वर्ष (वर्षों) के लिए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

कंपनी (निदेशकों की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन), नियमावली 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 के धारा के 217 (1) (ड.) के अंतर्गत विवरणों का प्रकटन निम्नानुसार है:

(क) ऊर्जा का संरक्षण

(क)	किए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय	कंपनी ऊर्जा के संरक्षण के लिए समय – समय पर यथावश्यक उपाय करेगी।
(ख)	ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए क्रियान्वित किए जा रहे अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई हैं	इस संबंध में कोई विशेष निवेश नहीं किया गया है।
(ग)	ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए उपर्युक्त (क) और (ख) में दर्शाए गए उपायों का प्रभाव और माल के उत्पादन की लागत पर उसका परिणामी प्रभाव	लागू नहीं
(घ)	अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों के संबंध में नियमावली के अनुबंध के फार्म–क के अनुसार उत्पादन की प्रति यूनिट बिजली की खपत और कुल ऊर्जा खपत	लागू नहीं

(ख) प्रौद्योगिकी आमेलन

नियमावली के अनुबंध फार्म (ख) के अनुसार प्रौद्योगिकी आमेलन के किए गए प्रयास
फार्म (ख) : आमेलन के संदर्भ में विवरणों के प्रकटन हेतु फार्म

अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)

1.	ऐसे विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान और विकास किया गया	वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई भी विशिष्ट अनुसंधान और विकास कार्य नहीं किया है
2.	उपर्युक्त अनुसंधान और विकास कार्यों के परिणाम स्वरूप प्राप्त लाभ	लागू नहीं
3.	भावी कार्य योजना	लागू नहीं
4.	अनुसंधान और विकास कार्यों पर व्ययः (क) पूंजीगत (ख) आवर्ती (ग) योग (घ) कुल टर्न ओवर के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर किया गया कुल व्यय	 शून्य शून्य शून्य लागू नहीं

प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवोद्भव अनुबंध–II

1.	प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवोद्भव की दिशा में किए गए कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा	इस संदर्भ में कोई विशिष्ट प्रयास नहीं किए गए हैं।
2.	उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ अर्थात उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात के विकल्प स्थापित करना आदि	लागू नहीं
3.	आयात की गई प्रौद्योगिकी (वित्त वर्ष की शुरूआत से पिछले पांच वर्ष के दौरान आयात की गई) के मामले में निम्नलिखित सूचना दी जाए : (क) आयात की प्रौद्योगिकी (ख) आयात करने का वर्ष (ग) क्या प्रौद्योगिकी का पूर्णतः आमेलन किया गया है? (घ) यदि पूरी तरह से आमेलित नहीं किया गया है, तो ऐसे क्षेत्र जहां इसे लागू नहीं किया गया है, इसके कारण और भावी कार्य योजनाएं	 लागू नहीं

(ग) विदेशी विनिमय से अर्जन और बहिर्गमन : शून्य।

अनुबंध–।।।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि ये कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 19 मई, 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अंतर्गत पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी दस्तावेजों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से की गई पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनित जांच तक ही सीमित है। हमारी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगा, जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं:

I. **लाभ और हानि विवरण**

प्रचालन से प्राप्त राजस्व (नोट सं.–15)–4489.83 लाख रुपए

अन्य प्रचालन आय–904.60 लाख

उपर्युक्त में 5 स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) अर्थात विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी), जिन्हें सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है, के संबंध में बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कंपनी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेजों की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय के रूप में 200.00 लाख रुपए की राशि शामिल है।

आईटीपी के लिए बोलीदाताओं के चयन हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक बोली दस्तावेजों (एसवीडी) के अंतर्गत यह आवश्यक है कि बीपीसी द्वारा एकत्र किए गए आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय सीधे एसपीवी के खाते में जमा की जानी चाहिए। इस प्रकार कंपनी को आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री से प्राप्त होनेवाली 200 लाख रुपए की राशि संगत आईटीपी के पांच (5) एसपीवी के खातों में स्थानांतरित करनी चाहिए थी। एसवीडी के उपबंध का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप "अन्य प्रचालन आय" (नोट सं. 15) के साथ–साथ "लाभ" शीर्ष के अंतर्गत 200 लाख रुपए अधिक और "अन्य चालू देयताएं" (नोट सं. 6) में 200 लाख रुपए कम दर्शाए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और की ओर से

(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक और
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड – ।।।
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 अगस्त, 2014

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिनमें 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र और लाभ तथा हानि विवरण के साथ–साथ उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए संलग्न नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य स्पष्टीकरणों के साथ वांछित सूचना शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो जो कंपनी अधिनियम 2013 के भाग 133 के मामले में व्यवसाय मामला मंत्रालय के जेनरल सर्कुलर 15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम 1956 ("अधिनियम") में संदर्भित लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी, डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का कार्यान्वयन और संगत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों । इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक कंपनी की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है जिससे कि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सके जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं । किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वूपर्ण अनुमानों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

दृष्टिकोण

1. हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथा आवश्यक सूचना विहित ढंग से प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं;
   - (क) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति
   - (ख) लाभ और हानि विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ और
   - (ग) नगदी प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनियां (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के अनुसार यथा आवश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में कंपनी के लिए लागू सीमा के अनुसार उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विर्निदिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

(ख) हमारे दृष्टिकोण से जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई और रखी गई है;

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं अर्थात उनसे मेल खाते हैं;

(घ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के भाग 133 के मामले में व्यवसाय मामला मंत्रालय के जेनरल सर्कुलर 15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम 1956 ("अधिनियम") में संदर्भित लेखांकन मानकों के साथ सभी वास्तविक संदर्भों में उनके अनुरूप हैं;

(ङ) निदेशकों की अनअर्हकता से संबंधित कंपनी अधिनियम की धारा 274 की उप धारा (1) के खंड (छ) की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कंपनी वित्त मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 21.10.2003 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) के संदर्भ में एक सरकारी कंपनी है।

अशोक चोपड़ा
भागीदार
सदस्यता संख्या 017199

कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 002198 एन

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19 मई, 2014

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए है।

इस संबंध में हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. (क) कंपनी ने उचित रिकॉर्ड तैयार किए हैं जिनमें उपलब्ध सूचना के आधार पर स्थायी परिसंपत्तियों के विवरण और स्थिति सहित पूर्ण जानकारी दी गई है।

   (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे दृष्टिकोण से कंपनी के आकार तथा परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए स्थायी परिसंपत्तियों के सत्यापन का अंतराल उचित है।

   (ग) सूचना के अनुसार ऐसे सत्यापन के दौरान बही रिकॉर्डों की तुलना में कोई वास्तविक कमी नहीं पाई गई।

   (घ) समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी भी स्थायी परिसंपत्ति का निपटान नहीं किया गया।

2. कंपनी परामर्श सेवाओं के व्यवसाय में संलग्न है और इसलिए कंपनी के पास कोई इनवेंटरी नहीं है; अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (ii) कंपनी के लागू नहीं है।

3. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों से अथवा उन्हें ऋण के रूप में न तो कोई ऋण अथवा अग्रिम लिया है और न ही स्वीकृत किया है।

4. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में निर्धारित परिसंपत्तियों की खरीद और सेवाओं की बिक्री के संदर्भ में इसके व्यापार की प्रकृति और कंपनी के आकार के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। तथापि कार्मिकों द्वारा खरीदी गई परिसंपत्तियों और उन्हें प्रतिपूर्ति की गई राशियों के मामले में कंपनी द्वारा परिसंपत्तियों की खरीद के लिए अन्यथा विहित आंतरिक नियंत्रणों का अनुपालन नहीं किया जाता है, ऐसे मामलों के लिए कंपनी ने एक अलग प्रक्रिया निर्धारित की है। कंपनी में इनवेंटरी की खरीद और माल की बिक्री नहीं की गई है। सामान्यतः स्वीकार लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी के बही और रिकॉर्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर हमने उपर्युक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में बड़ी कमियों को दूर करने में कंपनी की लगातार कोई विफलता नहीं देखी है।

5. हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर हमारा यह मानना है कि अवधि के दौरान ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए गए जिनका उल्लेख कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में करने की आवश्यकता है।

6. कंपनी के रिकॉर्डों की हमारे द्वारा की गई जांच और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के आधार पर हमारे दृष्टिकोण से कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्य संगत प्रावधानों अथवा धारा 58क, 58कक के निहितार्थ जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।

7. हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मौजूद है जो कंपनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है।

8. हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार लागत रिकॉर्डों का रखरखाव कंपनी के कार्यकलापों के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

9. (क) कंपनी आयकर, सेवा कर और इसके लिए लागू अन्य सांविधिक बकाया राशियों सहित अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान सामान्यतः नियमित रूप से कर रही है।

   (ख) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर और सेवा कर के संदर्भ में देय कोई अविवादित सांविधिक देयता नहीं हैं जो 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए देय हैं।

10. कंपनी एक लाभ कमाने वाली कंपनी है, अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (x) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

11. हमें उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर धारक से कोई ऋण नहीं लिया है, अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xi) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

12. कंपनी ने शेयर, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रखकर सुरक्षा आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम स्वीकृत नहीं किए हैं।

13. कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि / म्यूचुअल लाभ अर्जित करने वाली निधि /सोसाइटी नहीं है, अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xiii) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

14. कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेश में व्यावसाय अथवा कारोबार नहीं करती है, अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xiv) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से अन्य लोगों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. चूंकि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर धारक से कोई ऋण नहीं लिया है, अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xvi) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के तुलन–पत्र की पूर्ण जांच के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक निधियां नहीं उठायी हैं।

18. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षकारों को प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं, अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xix) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

20. कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई पूंजी अर्जित नहीं की है, अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xx) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

21. लागू की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पायी गई अथवा इसकी सूचना नहीं दी गई।

अशोक चोपड़ा
भागीदार
सदस्यता संख्या 017199

कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 002198 एन

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19 मई, 2014

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	3	500,000	500,000
(ख) आरक्षित और अधिदेश निधियां	4	1,293,321,036	1,023,725,671
		1,293,621,036	1,024,225,671
(2) चालू देयताएं			
(क) व्यवसायिक देयताएं	5	17,100,407	9,011,285
(ख) अन्य चालू देयताएं	6	38,708,144	19,580,687
(ग) अल्पकालिक प्रावधान	7	15,042,056	28,215,321
		70,850,607	56,787,293
योग		1,364,671,643	1,081,012,964
I. परिसंपत्तियां			
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां			
(क) अचल परिसंपत्तियां			
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	8	5,191,144	4,966,932
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		–	–
(ख) गैर–चालू निवेश	9	1,500,000	2,500,000
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	5,493,689	5,477,068
(घ) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	11	4,454,607	4,502,543
		18,639,440	17,446,541
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) व्यावसायिक प्राप्तियां	12	91,099,368	73,584,681
(ख) नकदी और बैंक में जमा राशियां	13	1,149,515,026	912,045,189
(ग) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	11	67,096,845	42,937,723
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	40,320,974	34,998,870
		1,348,032,203	1,063,566,423
योग		1,364,671,643	1,061,012,964
निगमित सूचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	21 से 42		

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सी. गंगोपाध्याय) **(आर. नागराजन)** **(एम. के. गोयल)**
सीईओ **निदेशक** **अध्यक्ष**

(रचना गुप्ता सिंह)
कंपनी सचिव

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 4002198 एन)

(अशोक चोपड़ा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 017199

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19 मई, 2014

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लाभ और हानि विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
I. प्रचालन से प्राप्त राजस्व	15	446,982,912	272,059,699
II. अन्य आय	16	104,937,504	92,825,311
III. **कुल राजस्व (I + II)**		551,920,416	364,885,010
IV. **व्यय**			
परामर्श सेवाओं के लिए व्यय	17	32,768,337	19,838,389
कर्मिकों के लाभार्थ व्यय	18	59,768,310	79,010,592
मूल्यह्रास और रेहन संबंधी व्यय	8	2,120,928	2,060,321
अन्य व्यय	19	38,523,209	31,745,931
पूर्वावधि आइटम (निवल)	20	1,892,16	(1,727,236)
कुल व्यय		143,370,000	131,027,997
V. **आपवादिक और असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (III-IV)**		408,550,417	233,857,013
VI. आपवादिक मदें		–	–
VII. **असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (V-VI)**		408,550,417	233,857,013
VIII. असाधारण मदें		–	–
IX. **कर पूर्व लाभ (VII-VIII)**		408,550,417	233,857,013
X. **कर संबंधी व्यय**			
(1) चालू कर			
चालू वर्ष के लिए		140,215,822	79,587,837
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए		(1,244,146)	(3,621,043)
		136,971,676	75,948,794
(2) अस्थगित कर परिसंपत्तियां		(16,824)	(5,924,219)
XI. **प्रचालन शुरू करने से अब तक की अवधि के लिए लाभ (IX-X)**		289,595,365	163,834,438
XII. प्रचालन बाधित होने से लाभ		–	–
XIII. प्रचालन बाधित होने का कर संबंधी व्यय		–	–
XIV. प्रचालन बाधित होने से लाभ (कर पश्चात) (XII-XIII)		–	–
XV. अवधि के लिए लाभ (कर पश्चात) (XI+XIV)		259,595,365	163,834,438
XVI. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन			
(1) आधारभूत	37	5,392	3,277
(2) मिश्रित (डाइल्यूटिड)	37	5,392	3,277
निगमित सूचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	21 से 42		

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सी. गंगोपाध्याय) **(आर. नागराजन)** **(एम. के. गोयल)**
सीईओ **निदेशक** **अध्यक्ष**

(रचना गुप्ता सिंह)
कंपनी सचिव

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 4002198 एन)

(अशोक चोपड़ा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 017199

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19 मई, 2014

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क. प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:		
कर पूर्व लाभ	408,550,417	233,857,013
के लिए समायोजन		
जोड़ें : मूल्यह्रास	2,120,928	2,060,321
जोड़ें : अचल परिसंपत्तियों का निपटान	46,000	
घटाएं: वापस बट्टेखाते डालने के लिए मूल्यह्रास	(12,477)	–
घटाएं : वापस बट्टेखाते डालने के लिए प्रावधान	–	(193,923)
घटाएं : ब्याज आय	(104,921,663)	(92,614,882)
कार्यकारी पूंजी के परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	305,783,205	143,108,529
निम्नलिखित में वृद्धि/कमी के लिए समायोजन		
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	(17,514,897)	(3,306,706)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(243,354,233)	(106,707,190)
ऋण और अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(17,050,811)	(17,807,011)
चालू देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	16,887,087	(7,206,720)
कर पूर्व प्रचालनों से नकदी अंतर्प्रवाह/बर्हिगमन	39,730,731	6,079,902
घटाएं : भुगतान किए गए कर	(146,838,003)	(98,651,440)
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	(109,10,272)	(90,571,538)
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(2,390,858)	(2,132,008)
अचल परिसंपत्तियों में समायोजन	11,995	–
ब्याज से होने वाली आय	104,921,663	92,614,882
सहायक कंपनियों के शेयरों में निवेश	1,000,000	(2,000,000)
निवेश संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	103,543,000	88,482,873
ग. वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	–	–
नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में निवल वृद्धि/कमी (क+ख+ग)	(5,562,272)	(2,088,665)
योग : अवधि की शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां*	6,342,549	8,431,214
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य राशि	780,277	8,342,549
नकदी और नकदी समतुल्य राशियों के विवरण*		
बैंकों में जमा राशियां	780,277	190,349
तीन माह तक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा राशियां	–	–
हाथ में मौजूदा चैक	–	6,152,200
	780,277	6,342,549

नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणियां

नकदी और बैंकों में जमा राशियों पर टिप्पणी के अंतर्गत दर्शाई गई तीन माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा राशियों अर्थात 1,14,87,34,749 रुपए (गत वर्ष 90,57,02,620 रुपए) पर चालू परिसंपत्तियों में परिवर्तन के भाग के रूप में विचार किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सी. गंगोपाध्याय)	(आर. नागराजन)	(एम. के. गोयल)
सीईओ	निदेशक	अध्यक्ष

(रचना गुप्ता सिंह)
कंपनी सचिव

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 4002198 एन)

(अशोक चोपड़ा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 017199

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19 मई, 2014

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. निगमित सूचना

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) की स्थापना स्वतंत्र पारेषण परियोजना (आईटीपी) के विकास सहित विद्युत क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए 25 मार्च 2006 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी के रूप में की गई। कंपनी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रमाणपत्र 25 अप्रैल 2008 को प्राप्त किया गया।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

(क) तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण संचित आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत जारी प्रतिष्ठान अनुमान के अनुसार कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(ख) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि, राजस्व और रिपोर्ट किए गए व्यय पर विचार करते हुए अनुमान और पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं उन्हें मूर्तरूप दिया जाता है।

(ग) अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियां, संचित मूल्यह्रास और सुधार कार्य संबंधी हानियों, यदि कोई हैं को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शायी जाती हैं। ऐसी परिसंपत्तियां जो सक्रिय रूप से प्रयोग में नहीं लायी जाती हैं और उन्हें निपटान के लिए रखा गया है, उन्हें बही मूल्य अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य की तुलना में कम बताया जाता है। ऐतिहासिक लागत में परिसंपत्ति के वांछनीय प्रयोग हेतु उसे कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए लागू सभी लागतें शामिल होती हैं। पूर्व में किए गए मूल्यांकन के अनुसार उपयोगी अवधि/निष्पादन के मानकों में वृद्धि के परिणामस्वरूप मौजूदा परिसंपत्तियों पर व्यय में वृद्धि को संगत परिसंपत्तियों में योगा जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके अधिग्रहण की लागत पर रिकॉर्ड किया जाता है।

(घ) ऋण लागत

ऋण लागतें जो अधिग्रहण, स्थायी परिसंपत्तियों, जिनके अपेक्षित उपयोग हेतु तैयार होने में काफी समय लगता है, के निर्माण के लिए लागू होती हैं, का पूंजीकरण ऐसी परिसंपत्तियों के लागत के एक भाग के रूप में उस अवधि के बीच किया जाता है जिस तक ऐसी परिसंपत्तियां उपयोग के लिए तैयार होती हैं। अन्य ऋण लागतों को उस वर्ष के लाभ और हानि लेखे में से प्रमारित किया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होती हैं।

(ङ) मूल्यह्रास / ब्याज स्थगन अवधि (आमेलन)

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का लाभ कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची xiv के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति द्वारा प्रो राटा आधार पर प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान अधिग्रहीत स्थायी परिसंपत्तियों के आइटमों जिनकी लागत 5000 रुपए है का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्तियों जैसे साफ्टवेयर आदि का आमेलन स्टेट लाइन पद्धति के माध्यम से कंपनी द्वारा परिसंपत्ति की अनुमानित उपयोगिता अवधि के लिए किया जाता है। हालांकि 1,00,000/– रुपए से कम लागत वाले एकल साफ्टवेयर का पूरी तरह से आमेलन अधिग्रहण के वर्ष में ही किया जाता है।

(च) निवेश

ऐसे निवेश जो वसूली के लिए तैयार हालत में होते हैं और जिन्हें एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोकने का इरादा नहीं है को चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेश दीर्घकालीन निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।

चालू निवेश का मूल्यांकन अलग निवेश के आधार पर निर्धारित लागत और स्पष्ट बाजार मूल्य की तुलना में कम लागत पर किया जाता है। दीर्घकालीन निवेश लागत आधार पर किए जाते हैं। अस्थायी से इतर डिमिन्यूजन के लिए प्रावधान ऐसे निवेश के मूल्य के अनुसार किया जाता है।

(छ) धारक कंपनी द्वारा किया गया व्यय

धारक कंपनी द्वारा कंपनी की ओर से किए गए व्यय की वसूली संचित आधार पर की जाती है।

(ज) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह के विवरण नकदी प्रवाह पर आधारित लेखांकन मानक (एएस) – 3 में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

(झ) राजस्व वसूली

जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया जाता, आय की गणना संचित आधार पर की जाती है।

(i) परामर्श सेवाओं से होने वाली आय की गणना संगत परामर्श संविदाओं के अनुसार कार्य की कुल संभावना के संदर्भ में समानुपातिक रूप से किए गए कार्य की वास्तविक प्रगति के प्रबंधन द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ii) अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विशेष प्रयोजनीय वाहन) / स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के विकास हेतु परामर्श और व्यावसायिक सेवाओं के लिए शुल्क सफल बोलीदाता को परियोजना के हस्तांतरण पर ही देय होती है और तदनुसार ऐसे हस्तांतरण के समय ही इसकी गणना की जाती है।

(III) अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं और स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के विकास हेतु कार्य करने वाले कार्मिकों की लागत संगत परियोजनाओं में व्यय किए गए कार्यदिवस के अनुसार (प्रबंधन द्वारा यथामूल्यांकित) समानुपातिक आधार पर कंपनी की लागत से प्रभारित की जाती है।

(iv) ऊपर की गई गणना के अनुसार परामर्श शुल्क वित्त अधिनियम,1994 के अंतर्गत देय सेवा कर के निवल मूल्य के समतुल्य है।

(v) ब्याज की गणना संचित आधार पर की जाती है।

(vi) निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ को कंपनी से अधिकार हस्तांतरण पर रिकॉर्ड किया जाता है और उसका निर्धारण निवेश के बिक्री मूल्य और आगे ले जाने वाले मूल्य के बीच अंतर के रूप में किया जाता है। लाभांश उस समय रिकॉर्ड किए जाते हैं जब आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(vii) सहायक कंपनियों से वसूल की जाने वाली राशि पर ब्याज की गणना समय–समय पर यथालागू राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं (श्रेणी क) की परियोजना ऋण / स्कीम (उत्पादन) के लिए लागू धारक कंपनी (पीएफसी) की ब्याज दर पर की जाती है।

(viii) स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) और अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज / अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) दस्तावेज की बिक्री से होने वाली आय की गणना उनकी प्राप्ति पर की जाती है।

(ञ) सरकारी विभागों / एजेंसियों से देयताओं के लिए प्रावधान

वसूली के लिए लगातार की जा रही पहल के अंतर्गत राशियों और केंद्र / राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्र सरकार की सहकारी समितियों से देय राशियों के लिए ग्राहकों के साथ तैयार किए गए अंतिम विवरण में संदेहास्पद राशियों के रूप में प्रावधान किया जाता है अथवा किसी विवाद के मामले और प्रबंधन के उस विशेष ग्राहक / मामले में मध्यस्थतम / न्यायालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया जाता है। ऐसी राशियों को बट्टेखाते तब डाला जाता है जब यह मान लिया जाता है कि अब उनकी वसूली संभव नहीं है।

(ट) आय पर लागू कर

कराधान संबंधी प्रावधानों में आय कर और आस्थगित कर के लिए प्रावधान शामिल हैं। वर्तमान आय कर के लिए प्रावधान आय कर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुसार लागू दरों पर किया गया है इसमें ब्याज संबंधी देयता, यदि कोई है, शामिल है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की गणना कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक 22 के अंतर्गत निहित सिद्धांतों के अनुसार की गई है।

(ठ) कार्मिक लाभ

ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर स्थानांतरण यात्रा भत्ता, कार्मिकों को दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार, विदाई समारोह, सेवानिवृत्ति पर उपहार और आर्थिक पुनर्वास योजना से संबंधित कार्मिक लाभों के मद में देयताओं का निर्धारण धारक कंपनी अर्थात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वार्षिक आधार पर वर्ष की समाप्ति में वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है। कंपनी ऐसी विभिन्न निधियों में अंशदान करती है जिनका रख–रखाव और प्रबंधन धारक कंपनी द्वारा किया जाता है और जिनकी नियुक्ति उसके द्वारा की जाती है।

(ड) पूर्व में अदा किए गए और पूर्वावधि व्यय

5000 रुपए और उससे कम के पूर्व में अदा किए गए व्यय और पूर्वावधि व्यय / आय को लेखाओं के प्राकृतिक शीर्ष से प्रभारित किया जाता है।

(ढ) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(i) किसी प्रावधान की वसूली उस समय की जाती है जब कंपनी के समक्ष अतीत की किसी घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में कोई बाध्यता उत्पन्न होती है और इस बात की संभावना होती है कि संसाधनों का बहिर्गमन ऐसी बाध्यता का समाधान करने के लिए आवश्यक होगा और जिसके संदर्भ में एक वास्तविक अनुमान लगाया जा सकता है। प्रबंधन के अनुमान पर आधारित प्रावधानों के निर्धारण के लिए तुलन–पत्र की तारीख को ऐसी बाध्यता का निराकरण करना आवश्यक है और इसके लिए वर्तमान मूल्य पर कोई छूट नहीं दी जाती है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को की जाती है और उनका समायोजन इस प्रकार किया जाता है कि ये प्रबंधन के वर्तमान अनुमानों को प्रदर्शित करें।

(ii) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तुलन–पत्र की तारीख को उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रबंधन / स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के अनुसार किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को की जाती है और उनका समायोजन इस प्रकार किया जाता है कि वे प्रबंधन के वर्तमान अनुमानों को प्रदर्शित करें।

(ण) स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं

विशेष स्वतंत्र पावर परियोजना पर व्यय को "संबंधित विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) से वसूल की जाने वाली और ऋण तथा अग्रिम के रूप में दर्शायी गयी राशि" खाते से डेबिट किया जाता है।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी)
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

(राशि रूपए में)

3. शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत :		
प्रत्येक 10 रूपए के 50000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 50000) इक्विटी शेयर	500,000	500,000
जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर		
प्रत्येक 10 रूपए के 50000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 50000) इक्विटी शेयर	500,000	500,000
योग	500,000	500,000

(क) 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार बकाया शेयरों और शेयर पूंजी की राशि का मिलान

	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि (रु.)	शेयरों की संख्या	राशि (रु.)
अवधि के शुरूआत में	50,000	500,000	50,000	500,000
अवधि के दौरान जारी	–	–	–	–
अवधि के अंत में बकाया	50,000	500,000	50,000	500,000

(ख) इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें / अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य 10 रु. प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट देने के लिए पात्र है।

(ग) धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर

कंपनी द्वारा जारी किए गए 50,000 इक्विटी शेयरों में से इसकी धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर निम्नानुसार हैं:

(राशि रूपए में)

	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*		
प्रत्येक 10 रूपए पूर्ण प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 50,000)	500,000	500,000

घ. कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के विवरण

	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारिता का %	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारिता का %
प्रत्येक 10 रूपए पूर्णतः प्रदत्त पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*	50,000	100%	50,000	100%
	50,000	100%	50,000	100%

* इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखे जाते हैं।

4. आरक्षित और अधिशेष निधियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
लाभ और हानि लेखे के विवरण में अधिशेष राशि		
वर्ष की शुरूआत में बकाया	1,023,725,571	859,891,233
योगें: वर्ष का लाभ	259,595,366	163,834,438
वर्ष की समाप्ति पर बकाया	1,293,321,038	1,023,725,671
योग	1,293,321,038	1,023,725,671

5. व्यावसायिक देयताएं

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
व्यावसायिक देयताएं		
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	1,014,883	–
– सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम से इतर अन्य क्रेडिटरों की कुल बकाया देयताएं	16,085,624	9,011,285
योग	17,100,407	9,011,285

6. अन्य चालू देयताएं

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
जमानत राशि/सुरक्षा जमा राशि	653,750	653,750
सफल विकासकर्ता को देय राशि	19,038,813	6,965,004
ग्राहकों से लिया गया अग्रिम	10,116,060	5,500,00
देय टीडीएस	3,410,703	3,070,684
भुगतान किया गया सेवा कर	1,886,310	–
परामर्श पर सेवा कर (संचित)	347,504	877,564
देय व्यय	3,257,004	2,493,685
योग	38,708,144	19,560,687

7. अल्पावधि प्रावधान

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
कर्मचारियों की लाभ हेतु प्रावधान	15,042,058	25,411,568
अन्य		
कराधान – आय कर	–	2,803,753
योग	15,042,058	29,215,321

9. अचल परिसंपत्तियां

	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
विवरण	1 अप्रैल, 2013 को अथशेष बकाया	वृद्धि/ समायोजन	मूल्यह्रास/ समायोजन	31 मार्च, 2014 को इतिशेष	1 अप्रैल, 2013 को अथशेष बकाया	वर्ष के लिए	आहरित / वापस लिखी गई	31 मार्च, 2014 को इतिशेष	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च,. 2013 की स्थिति के अनुसार
I. मूर्त परिसंपत्तियां :										
अर्जित परिसंपत्तियां										
फर्नीचर और फिक्चर	636,347	506,754	–	1,143,101	241,400	137,805	–	379,205	763,896	394,947
ईडीपी उपस्कर	6,201,187	1,179,690	–	7,380,857	2,873,899	1,730,594	–	4,604,293	2,778,584	3,327,468
अन्य कार्यालयी उपकरण	1,439,694	704,214	58,000	2,085,908	195,177	252,529	12,482	435,224	1,650,684	1,244,517
योग	8,277,208	2,390,658	58,000	10,609,856	3,310,276	2,120,928	12,482	5,418,723	5,191,144	4,966,932
पूर्ववर्ती वर्ष	6,145,199	2,132,009	–	8,277,208	1,249,955	2,060,321	–	3,310,276	4,966,932	
II. अमूर्त परिसंपत्तिः										
कंप्यूटर साफ्टवेयर	44,120	–	–	44,120	44,120	–	–	44,120	–	–
योग	44,120	–	–	44,120	44,120	–	–	44,120	–	–
पूर्ववर्ती वर्ष	44,120	–	–	44,120	44,120	–	–	44,120	–	–

09. गैर –चालू निवेश (राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संबंधी निवेश (लागत पर मूल्यांकित)		
उद्धृत न किए गए इक्विटी लिखत		
सहायक कंपनियों में निवेश		
डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त 50,000 (31 मार्च, 2013 तक 50,000) इक्विटी शेयर	500,00	500,00
बल्लभगढ़ जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त 50,000 (31 मार्च, 2013 तक शून्य) इक्विटी शेयर	500,00	–
टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त 50,000 (31 मार्च, 2013 तक शून्य) इक्विटी शेयर	500,00	–
पैट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त शून्य (31 मार्च, 2013 तक 50,000) इक्विटी शेयर	–	500,000
पुरूलिया खडगपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त शून्य (31 मार्च, 2013 तक 50,000) इक्विटी शेयर		
दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त शून्य (31 मार्च, 2013 तक 50,000) इक्विटी शेयर	–	500,000
आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त शून्य (31 मार्च, 2013 तक 50,000) इक्विटी शेयर	–	500,000
योग	1,500,000	2,500,000

नोट : कंपनी ने एकीकृत पारेषण परियोजना के संदर्भ में जिन नियंत्रित विशेष प्रयोजनीय वाहन की स्थापना की है जिसके लिए कंपनी को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है, उनके विवरण निम्नानुसार है:

कंपनी का नाम	गठन की तारीख	विनिवेश की तारीख
1.डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	15 नवम्बर, 2011	–
2.पैट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	19 दिसम्बर, 2012	13 नबंबर, 2013
3.पुरूलिया खडगपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	15 दिसम्बर, 2012	09 दिसंबर, 2013
4.दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	18 दिसम्बर, 2012	10 दिसंबर, 2013
5.आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	20 दिसम्बर, 2012	12 मार्च, 2014
6.बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	09 सिंतबर, 2013	–
7.टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	09 सिंतबर, 2013	–

10. आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल) (राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर देयता		
(i) आयकर रिटर्न तथा लेखा की बही में अचल परिसंपत्तियों के लिए ली गई रकम के बीच अंतर	(518,889)	(534,606)
आस्थगित कर परिसंपत्ति		
(i) बुरे और संदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान	899,783	–
(ii) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	5,112,795	6,011,672
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	5,493,669	5,477,066

11. ऋण और अग्रिम (राशि रूपए में)

विवरण	दीर्घावधि		अल्पावधि	
	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
सुरक्षा जमा राशि				
प्रतिभूत, शोध्य माने गए	–	–	–	–
अप्रतिभूत, शोध्य माने गए	–	426,300	337,400	134,600
संदेहास्पद	–	–	–	–
	–	426,300	337,400	134,600
संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम				
प्रतिभूत, शोध्य माने गए	–	–	–	–
अप्रतिभूत, शोध्य माने गए	–	–	39,900,725	24,286,873
संदेहास्पद	–	–	39,900,725	24,286,873
*डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	–	–	15,113,844	11,474,630
पैट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	–	–	–	2,403,811
आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	–	–	–	2,119,258
पुरूलिया खडगपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	–	–	–	4,788,498
दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	–	–	–	492
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	–	–	–	–
बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	–	–	3,934,557	–
टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	–	–	3,825,537	–
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	–	–	17,026,587	3,500,089
			39,900,726	24,286,873
नकद अथवा वस्तु रूप में वसूल किए जाने वाले अग्रिम				
प्रतिभूत, शोध्य माने गए**	–	–	840,000	2,774,700
अप्रतिभूत, शोध्य माने गए	–	–	108,241	103,886
संदेहास्पद	–	–	–	–
	–	–	948,241	2,878,586
****बैंक गारंटी के विरूद्ध सुरक्षित**				
अन्य ऋण और अग्रिम				
अग्रिम कर, टीडीएस और एफबीटी	–	–	16,963,171	8,902,897
सेंवेट क्रेडिट और अग्रिम सेवा कर की राशियां	–	–	3,907,698	1,322,044
पूर्व में अदा किए गए व्यय	–	–	52,663	51,716
अन्य लोगों से प्राप्त होने वाली राशियां	–	–	1,761,047	1,768,130
कार्मिकों को दिए गए अग्रिम				
प्रतिभूत, शोध्य माने गए	–	–	–	–
अप्रतिभूत, शोध्य माने गए	4,454,607	4,076,243	4,225,702	3,593,177
संदेहास्पद	–	–	–	–
	4,454,607	4,076,243	4,225,702	3,593,177
योग	4,454,607	4,076,243	4,225,702	3,593,177

12. व्यावसायिक प्राप्तियां* (राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
ऐसी बकाया राशियां जो वास्तविक रूप से भुगतान की तारीख से 6 माह से अधिक अवधि से देय हैं		
प्रतिभूत, शोध्य माने गए	–	–
अप्रतिभूत, शोध्य माने गए	9,691,050	21,556,775
संदेहास्पद	2,547,200	–
घटाएं: अशोध्य तथा संदेहास्पद कर्जों का प्रावधान	2,547,200	–
	9,691,050	21,556,775
अन्य कर्जे		
प्रतिभूत, शोध्य माने गए	–	–
अप्रतिभूत, शोध्य माने गए	61,408,308	52,027,886
संदेहास्पद	–	–
घटाएं: अशोध्य तथा संदेहास्पद कर्जों का प्रावधान	–	–
	61,408,308	52,027,886
योग	91,099,358	73,584,661

*व्यावसायिक प्राप्तियों में धारक कंपनी से देय 3,68,80,902 रुपए (गत वर्ष 3,19,42,192 रुपए) की राशि शामिल है । इस्के अलावा सहायक कंपनियों के लिए जनशक्ति प्रभार के रूप में 1,58,75,606 रुपए (गत वर्ष 1,60,83,152 रुपए) जो सफल बोलीदाता की पहचान होने के बाद देय होगी और सफल बोलीदाता को सहायक कंपनी के हस्तांतरण पर उसे अन्य कर्ज के रूप में माना जाएगा।

13. नकदी और नकदी समतुल्य (राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
नकदी और नकदी समतुल्य		
(क) अनुसूचित बैंकों के चालू खातों में जमा राशियां:	780,277	190,349
(ख) 03 माह तक की मूल परिपक्वता अवधि के साथ बैंकों में जमा खाते	–	–
(ग) हाथ में मौजूदा चैक	–	6,152,200
बैंकों में जमा अन्य राशियां		
03 माह तक की मूल परिपक्वता अवधि के साथ बैंकों में जमा खाते*	1,148,734,749	905,702,620
	1,148,734,749	905,702,620
योग	1,149,515,026	912,045,169
12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले खातों में जमा राशियों में उपर्युक्त राशियां शामिल हैं	273,519,000	228,529,000

14. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
संचित ब्याज परंतु बैंको में सावधि जमा पर देय नहीं	28,064,874	29,814,097
संचित ब्याज परंतु सहायक कंपनियों से प्राप्त होने वाली राशि पर नहीं	5,039,328	1,935,306
ग्राहकों से प्राप्त होने वाली राशि (निवल)	7,218,772	3,249,467
योग	40,320,974	34,998,870

15. प्रचालन से प्राप्त राजस्व

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
परामर्श सेवाओं से आय	356,522,912	268,559,699
अन्य प्रचालन आय	90,480,000	3,500,000
योग	446,982,912	272,059,699

16. अन्य आय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
बैंकों से प्राप्त ब्याज	99,325,270	90,614,996
सहायक कंपनियों से ब्याज के रूप में आय	5,596,393	1,999,886
विविध आय	15,841	16,505
वापस बट्टेखाते डालने के लिए अतिरिक्त प्रावधान	–	198,923
योग	104,937,504	92,825,311

17. परामर्श सेवाओं के लिए व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
उप परामर्श प्रभार	31,408,901	18,423,787
विज्ञापन व्यय	850,962	1,018,420
सम्मेलन एवं बैठक व्यय	508,474	496,182
योग	32,768,337	19,938,389

18. कार्मिक लाभार्थ व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
वेतन एवं भत्ते	52,803,028	49,408,819
कार्य निष्पादन संबद्ध वेतन और अन्य	7,705,796	18,528,810
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		
भविष्य निधि में अंशदान	3,480,786	3,073,843
अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान	2,516,540	2,617,622
ग्रेच्युटी निधि में अंशदान	471,712	1,001,018
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	640,146	298,885
कार्मिक कल्याण	2,368,322	4,081,595
योग	69,768,310	79,010,592

19. अन्य व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
कार्यालय का किराया (ग्राउंड रेंट सहित)	2,980,843	2,670,197
प्रशासनिक व्यय	229,741	152,122
विज्ञापन व्यय	–	2,380,13
विद्युत और जल प्रभार	1,567,026	1,617,038
साइड कार्यालय का व्यय	883,293	86,149
सुधार कार्य एवं रखरखाव	178,069	210,253
यात्रा और यात्रा भत्ता	12,582,247	9,181,462
पोस्टेज, टेलीग्राफ	237,834	220,459
पुस्तकें एवं समाचार पत्र–पत्रिकाएं	4,869	4,991
मनोरंजन व्यय	511,819	524,544
दरें और कर (गृह कर और जमीन किराया सहित)	76,226	465,261
सेवा कर पर ब्याज	2,466,737	1,827,415
टीडीएस और आय कर पर भुगतान किया गया ब्याज	–	–
बट्टेखाते में परिसंपत्तियां	2,947	428
अशोध्य और संदेहास्पद कर्ज के लिए प्रावधान	33,523	–
बीमा	2,647,200	–
बैंक प्रभार	60,883	64,251
बैठक व्यय	2,330	3,170
कार्यालय रखरखाव व्यय	688,552	330,564
मूल्यह्रास (धारक कंपनी द्वारा आबंटित)	555,183	821,042
मुद्रण और स्टेशनरी	3,999,923	4,647,095
कानूनी और व्यावसायिक व्यय	488,910	372,080
सुरक्षा व्यय	359,760	381,448
टेलीफोन व्यय	167,104	133,817
वाहन किराया और संचालन व्यय	1,248,851	1,185,988
लेखापरीक्षकों को भुगतान	2,114,493	593,072
लेखापरीक्षक के रूप में	300,000	300,000
कर लेखापरीक्षा शुल्क	75,000	45,000
प्रमाणन शुल्क	100,000	100,000
व्यय की प्रतिपूर्ति	10,000	50,000
प्रशिक्षण व्यय	1,635,599	1,269,091
आउटसोर्सिंग व्यय	2,275,415	2,019,754
अन्य व्यय	39,231	77,703
योग	38,523,209	31,745,931

20. पूर्वावधि मदें

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
क–आय	–	1,974,274
ख–व्यय	(1,892,16)	(2,470,38)
योग	(1,892,16)	1,727,238

21. कंपनी के सभी कार्मिक धारक कंपनी अर्थात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से हैं। ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ और अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति निधि आदि में कंपनी के अंशदान से संबंधित देयताओं का उल्लेख लेखाबही में किया गया है। ये राशियां धारक कंपनी द्वारा वास्तविक मूल्यांकन / की गई गणना के अधार पर आबंटित राशि के रूप में दर्शायी गई हैं। इनके लिए राशियां एनटीपीसी लिमिटेड को भुगतान की जाती हैं।

22. खाताबहियों में निम्नलिखित साझा व्यय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी को देय दर्शाए गए हैं :

व्यय	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार ₹	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹
मूल्यह्रास	3,999,923	4,647,095
विद्युत और जल प्रभार	1,251,550	1,595,663
कर्मचारी कल्याण	–	276,305
भवन कर और ग्राउंड रेंट	2,466,737	1,827,415
बीमा (वाहनों से इतर)	60,883	27,029
पोस्टेज और टेलीग्राम	56,388	148,269
पीएफ लेखापरीक्षा शुल्क	10,714	8,730
फुटकर व्यय	352,696	423,438
टेलीफोन व्यय	138,957	153,504
योग	8,337,846	9,107,468

23. ऐसी राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक तौर पर जबावदेह है – शून्य रुपए (गत वर्ष – शून्य रुपए)

24. पूंजीगत प्रतिबद्धता – शून्य रुपए (पूर्ववर्ती अवधि – शून्य रुपए)

25. कंपनी केवल एक ही क्षेत्र अर्थात परामर्श सेवाएं प्रदान करने का कार्य करती है और इसका प्रचालन केवल भारत में है। अत: सेग्मेंट रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक (एएस) – 17 के अनुसार आगे और कोई प्रकटन आवश्यक नहीं है।

26. जहां कहीं भी कोई व्यय धारक कंपनी के साथ साझा किया जाता है, स्रोत पर कर की कटौती और यथा लागू अन्य सांविधिक अनुपालनों से संबंधित प्रक्रियागत और अन्य सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन धारक कंपनी द्वारा किया जाता है।

27. कंपनी द्वारा धारित परिसंपत्तियों की प्रकृति और उन पर प्रभारित मूल्यह्रास की दर को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन के दृष्टिकोण से परिसंपत्तियों के इंपेयरमेंट के लिए और आगे कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है।

28. एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अंतर्गत यथापरिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशियों के विवरण

(कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर)	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार ₹	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹
प्रत्येक गणना अवधि की समाप्ति पर किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई मूलधन की राशि और उस पर देय ब्याज		
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय		
मूलधन	1,014,883	–
उपर्युक्त पर देय ब्याज	–	–
अवधि के दौरान निर्धारित दिन के पश्चात पूर्तिकर्ता को भुगतान की राशियों के साथ–साथ कंपनी द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि	–	–

भुगतान में विलंब की अवधि के लिए देय व्यय की राशि (जिनका भुगतान किया गया है, परंतु वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद) परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज की राशि नहीं योगी गई है	–	–
अवधि के अंत में संचित और भुगतान के लिए शेष ब्याज की राशि	–	–
यहां तक कि आगामी वर्ष में, उस तारीख तक जब तक कि उपर्युक्त देय ब्याज का वास्तविक रूप से भुगतान सूक्ष्म उद्यम को नहीं कर दिया जाता है, देय और बकाया अन्य ब्याज की राशि।	–	–

29. लेखापरीक्षकों का मेहनताना (राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष		
	शुल्क	सेवा कर	योग	शुल्क	सेवा कर	योग
लेखापरीक्षा शुल्क	300,000	37,080	337,080	300,000	37,080	337,080
कर लेखापरीक्षा शुल्क	75,000	9,270	84,270	45,000	5,562	50,562
सर्टिफिकेशन शुल्क	100,000	12,360	112,360	100,000	12,360	112,360
व्यय की प्रतिपूर्ति	10,000	1,236	11,238	50,000	6,180	56,180

30. कंपनी ने 12 माह के प्रचालन चक्र को अपनाया है। चालू और गैर–चालू का वर्गीकरण उपर्युक्त प्रचालन चक्र के आधार पर किया गया है।

31. कंपनी ने वित्त अधिनियम 2013 की धारा 106 के संदर्भ में स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना 2013 को अपनाया था। प्राप्त कारण बताओ नोटिस (एससीएन), किए गए आवेदन को क्यों न अस्वीकार किया जाए, का उत्तर विधिवत रूप से दिया गया। देयता, यदि कोई है, जो उत्पन्न होगी, पर उपर्युक्त एससीएन के अंतिम निपटान के समय विचार किया जाएगा।

32. ऋणकर्ताओं और क्रेडिटरों की बकाया राशियां कंपनी की खाता बही के अनुसार हैं। कंपनी ने विभिन्न पक्षकारों को पत्र जारी किए हैं जो कंपनी की खाता बही के अनुसार उनकी बकाया राशियों की पुष्टि के लिए इन शीर्षों के अंतर्गत शामिल हैं, जिनके लिए कुछ संगत पक्षकारों की पुष्टि प्रतीक्षित है।

33. लेखांकन मानक 21 के पैरा 11 के अनुसार किसी सहायक कंपनी को समेकन के दौरान अलग रखा जाना चाहिए जब नियंत्रण अस्थायी रूप से लागू करने का इरादा हो क्योंकि सहायक कंपनी की स्थापना निकट भविष्य में इसके आगामी निपटान के उद्देश्य से की जाती है और इसे विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए रखा जाता है। अतः सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को धारक कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं किया जाता है।

34. सहायक कंपनी की स्थापना

कंपनी ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली दो सहायक कंपनियों की स्थापना की है, जिनके विवरण निम्नांनुसार हैं:

• बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बीजीटीसीएल) 09 सितंबर, 2013 को

• टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टी टी सी एल) – 09 सितंबर, 2013 को सभी कंपनियों की स्थापना अंतरराष्ट्रीय बोली प्रक्रिया के जरिए आई टी पी के विकास और उसे सफल बोलीदाता को हस्तांतरित करने के लिए एस पी वी के रूप में कार्य करने हेतु 5 लाख रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ की गयी। पी एफ सी सी एल ने सभी एस पी वी के इक्विटी शेयरों में 5 लाख रुपए का निवेश किया है। दोनों एस पी वी का पहला लेखांकन वर्ष 09 सितंबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक माना जाएगा।

35. संविदा करार के निष्पादन के अनुसार मांग किए बीजक का मूल्य / अधिनिर्णय का पत्र जारी किया जाना जिसके संबंध में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है, उसकी गणना 7,32,67,193 रुपए (गत वर्ष 4,39,71,845 रुपए) के रूप में की गई है, यह राशि क्रमशः परिसंपत्तियों और देयताओं से सेटऑफ कर दी गई है।

36. लेखांकन मानक 18 – 'संबंधित पक्षकार प्रकटन' के अनुसार प्रकटन –

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। परामर्श कारोबार की प्रकृति और कंपनी की भावी वृद्धि के उद्देश्य से इसके दैनिक प्रचालनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी शक्तियां (बोर्ड स्तर पर प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को छोड़कर) निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को प्रत्यायोजित की गई हैं।

(क) संबंधित पक्षकारों के नाम और संबंध का स्वरूप/प्रकृति

क्रं. सं.	संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध का स्वरूप
1.	धारक कंपनी	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2.	सहायक कंपनियां	डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पूर्व में डीजीइएन और उत्तराखंड ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड)
		13 नबंबर, 2013 तक पैट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
		09 दिसंबर, 2013 तक पुरूलिया खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
		10 दिसंबर, 2013 तक दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
		12 मार्च, 2014 तक आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
		बल्लमगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
		टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
3.	समान सहायक कंपनियां अर्थात धारक कंपनी की सहायक कंपनियां	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (पूर्व में अकलतरा पावर लिमिटेड)
		कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
		कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
		उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड
		कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
		डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
		साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
		धोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
		तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
		पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
		पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसेज लिमिटेड
		पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजर प्राइवेट लिमिटेड
		देवघर मेगा पावर लिमिटेड
		चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
		उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड
4.	महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक	

कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक सीईओ, जो पूर्णकालिक आधार पर कार्यरत हैं, को छोड़कर धारक कंपनी (पीएफसी) द्वारा अंशकालिक आधार पर तैनात किए गए कार्मिक हैं। निदेशकों को कोई भी सिटिंग फीस का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण निम्नानुसार हैं –

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	त्यागपत्र की तारीख
1.	श्री एम. के. गोयल*	निदेशक	13.09.2013	जारी
2.	श्री सतनाम सिंह**	अध्यक्ष	01.08.2008	12.09.2013
3.	श्री आर. नागराजन	निदेशक	21.10.2008	जारी
4.	श्री ए. के. अग्रवाल	निदेशक	23.09.2013	जारी
5.	श्री एन. डी. त्यागी	सीईओ	25.03.2008	02.12.2013
6.	श्री सी. गंगोपाध्याय	सीईओ	03.12.2013	जारी

* 25 मार्च, 2008 से 12 सितंबर, 2013 तक की अवधि के लिए निदेशक

**25 मार्च, 2008 से 31 जुलाई, 2008 तक की अवधि के लिए निदेशक

(ख) संबंधित पक्षकारों से लेनदेन के विवरण (राशि रूपए में)

क्र. सं.	विवरण	धारक कंपनी	सहायक कंपनियां कंपनियां	समान सहायक कार्मिक	प्रमुख प्रबंधकीय	योग
1	परामर्श आय					
	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	120,819,439	155,619,560	–	–	276,438,998
	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष	143,077,078	11,915,998	–	–	276,438,998
2	अन्य प्रचालन आय (आरएफक्यू /आरएफपी) की बिक्री से)					
	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	70,060,00	–	–	–	70,060,00
	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष	–	–	–	–	–
3	भुगतान किया मैहनताना सीईओ					
	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	–	–	–	6,816,380	5,616,380
	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष	–	–	–	4,440,918	4,40,918
4	व्यय का भुगतान					
	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	8,337,848	–	–	–	8,337,848
	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष	9,107,468	–	–	–	9,107,488
5	वर्ष के दौरान सहायक कंपनियों में निवेश					
	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	–	1,000,000	–	–	1,000,000
	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष	–	2,000,000	–	–	2,000,000
6	ब्याज से होने वाली आय					
	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	–	5,596,393	–	–	5,596,393
	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष	–	1,999,886	–	–	1,999,886
7 I)	इति शेष निवेश					
	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	–	1,500,000	–	–	1,500,000
	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष	–	2,500,000	–	–	2,500,000
ii)	फुटकर कर्जदार					
	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	36,880,902	15,875,606	–	–	52,756,508
	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष	31,842,182	16,083,162	–	–	48,025,344
III)	वसूली योग्य राशि					
	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	17,026,587	22,874,138	–	–	39,900,725
	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष	3,500,088	20,788,784	–	–	24,286,873

* समान सहायक कंपनियों के लिए किए गए कार्य के संदर्भ में धारक कंपनी को बिलिंग की गई है (विकासशील आरएफपी और आरएफक्यू दस्तावेज) जिसने आगे उस राशि की वसूली संगत सहायक कंपनी से की।

37. कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित "प्रति शेयर अर्जन" पर लेखांकन मानक 20 के संदर्भ में प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत और डायल्यूट किए गए) की गणना निम्नानुसार की गई है :

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार ₹	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार ₹
1.	शेयर का सामान्य मूल्य (रूपए)	10	10
2.	इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या)	50,000	50,000
3.	कर पश्चात निवल लाभ (रूपए)	269,595,365	163,834,438
4.	प्रति शेयर आधारभूत अर्जन (रूपए)	5,392	3,277
5.	प्रति शेयर मिश्रित अर्जन (रूपए)	5,392	3,277

38. ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण (संराशिकरण), सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर स्थानांतरण यात्रा भत्ता, कार्मिकों को दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार, सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह, उपहार और आर्थिक पुनर्वास योजना के संदर्भ में कार्मिक लाभों के मद में देयताएं वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर धारक कंपनी अर्थात पीएफसी लिमिटेड द्वारा वार्षिक रूप से निर्धारित की जाती हैं। कंपनी धारक कंपनी द्वारा बनाई गई और प्रबंधित विभिन्न निधियों में और उनके द्वारा यथा संविभाजित अंशदान करती है।

39. (क) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी) ने छुट्टी नकदीकरण के रूप में 32,36,588 रुपए (गत वर्ष 46,98,247रुपए), कार्मिकों को ग्रेच्युटी के रूप में 4,71,712 रुपए (गत वर्ष 1,00,1,018 रुपए), सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ के रूप में 6,40,146 रुपए (गत वर्ष 2,98,885 रुपए), दीर्घकालीन सेवा मेडल के रूप में 5,01,362 रुपए (गत वर्ष 4,77,902 रुपए), बैगेज भत्ता के रूप में 5781 रुपए (गत वर्ष 10,944 रुपए) और अर्थिक पुनर्वास योजना के रूप में 43,846 रुपए (गत वर्ष 61,780 रुपए) की राशि कार्मिकों के लाभार्थ वसूल की है, जिसका कंपनी द्वारा विधिवत भुगतान किया गया है।

(ख) लेखांकन मानक– 29 में जरूरी प्रावधानों के विवरण, (ब्रैकेट में दिए आंकड़े गत वर्ष के आंकड़े को प्रदर्शित करते हैं) निम्नानुसार हैं :–

के लिए प्रावधान	अथशेष राशि	अवधि के दौरान	अवधि के दौरान चुकायी गई/ समायोजित की गई	इतिशेष राशि
बोनस और प्रोत्साहन, आधारभूत योगदान	25,411,568	13,670,413	24,039,925	15,042,056
	(18,166,928)	(33,447,530)	(28,202,890)	(25,411,568)
आयकर	2,803,753	140,215,822	143,019,575	
	(23,763,778)	(79,587,837)	(100,527,862)	(2,803,753)

40. विदेशी मुद्रा में लेन–देन (आय / व्यय) शून्य रुपए (गत वर्ष शून्य रुपए) । आंकडों को अन्यथा उल्लेख नहीं किए जाने की स्थिति में निकटतम रुपए के रूप में राउंड ऑफ किया गया है।

41. प्रबंधन के दृष्टिकोण से कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर चालू परिसंपत्तियों और अग्रिमों का मूल्य 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र में उल्लिखित मूल्य की तुलना में कम नहीं होगा।

42. कंपनी ने चालू वर्ष के वर्गीकरण के साथ पुष्टि के लिए आवश्यक होने पर पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत/री–ग्रुप किया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सी. गंगोपाध्याय) **(आर. नागराजन)** **(एम. के. गोयल)**
सीईओ **निदेशक** **अध्यक्ष**

(रचना गुप्ता सिंह)
कंपनी सचिव

समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
जैन चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 4002198 एन)
(अशोक चोपड़ा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 017199

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19 मई, 2014

सुदृढ़ भविष्य के लिए सहबद्धता का ऊर्जस्वन

छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

निदेशक रिपोर्ट, 2013–14

सेवा में,

सदस्यगण

निदेशकों को 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के निष्पादन पर आठवीं (8वीं) वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रचालनात्मक कार्यकलाप

आपकी कंपनी की स्थापना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में छत्तीसगढ़ यूएमपीपी के लिए एक विशेष प्रयोजनीय वाहन के तौर पर 10 फरवरी, 2006 को की गई, जो कि यूएमपीपी के क्रम में पांचवीं अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना है। परियोजना के लिए स्थल छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले की उदयपुर तहसील स्थित सलका / खमरिया गांव में अवस्थित है।

परियोजना से विद्युत की खरीद 7 राज्यों द्वारा की जाएगी जिसमें छत्तीसगढ़ (2000 मेगावाट), महाराष्ट्र (1000 मेगावाट), गुजरात (425 मेगावाट), मध्य प्रदेश (275 मेगावाट), गोवा (200 मेगावाट), दादरा और नगर हवेली (50 मेगावाट), दमन और द्वीव (50 मेगावाट) शामिल हैं।

कोयला मंत्रालय द्वारा कंपनी को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की हथदेव आनन्द कोलफील्ड्स में पुता परोगिया कोल ब्लॉक (692.16 मिट्रिक टन) और पिंडारखी कोल ब्लॉक (421.51 मिट्रिक टन) नामक दो कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए हैं। आपकी कंपनी ने विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा आरएफक्यू वापस लिए जाने की सूचना कोयला मंत्रालय (एमओसी) को देने के साथ–साथ यह भी सूचित किया है कि कोयला ब्लॉकों से संबंधित कार्यकलाप केवल तभी संचालित किए जा सकते हैं जब पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार द्वारा "जीओ" क्षेत्र के अंतर्गत कोयला ब्लॉकों को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है अथवा कोयला मंत्रालय (एमओसी), भारत सरकार द्वारा नए कोयला ब्लॉक आबंटित कर दिए जाते हैं।

छत्तीसगढ़ यूएमपीपी के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994 के अंतर्गत धारा 4 की अधिसूचना नबंबर, 2009 में जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ यूएमपीपी के लिए धारा 6 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण अधिसूचना स्थानीय प्रतिरोध और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ यूएमपीपी के लिए आबंटित कोयला ब्लॉकों की स्वीकृति से संबंधित अस्पष्टता के कारण जारी नहीं की जा सकी।

जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने परियोजना के लिए 135 एमसीएम जल आबंटित किया है। जल की आपूर्ति हाइड्रो स्ट्रक्चर / एनीकट / चेकडैम का निर्माण कर रेहर नदी से की जाएगी। आपकी कंपनी ने जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार को सूचित किया कि जल उपयोग शुरू करने की अवधि के विस्तार पर केवल तब विचार किया जाए, जब छत्तीसगढ़ यूएमपीपी के लिए आबंटित कोयला ब्लॉकों के लिए स्वीकृति प्राप्त हो जाती है अथवा नए कोयला ब्लॉक आबंटित हो जाते हैं।

परियोजना के लिए विचारार्थ विषयों (टीओआर) की शर्तों की वैधता के विस्तार हेतु आवेदन पर 07– 08 जनवरी, 2013 को आयोजित 'विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति' की बैठक में भी चर्चा की गई। पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने अपने दिनांक 28.11.2013 के पत्र के जरिए विचारार्थ विषयों (टीओआर) की वैधता अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया है और परियोजना के लिए टीओआर हेतु नए सिरे से आवेदन करने की सलाह दी है। यह प्रस्ताव किया गया है कि छत्तीसगढ़ यूएमपीपी को आबंटित कोयला ब्लॉकों के लिए स्वीकृति प्राप्त हो जाने अथवा कोयला मंत्रालय (एमओसी)/ विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा नए कोयला ब्लॉक आबंटित हो जाने के पश्चात ही नए टीओआर के लिए आवेदन किया जाए।

परियोजना के निर्माण हेतु रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से रक्षा संबंधी मंजूरी अगस्त, 2010 में प्राप्त हुई। इसके अलावा, जिला प्रशासन के सहयोग से नवंबर 2010 के मध्य से स्थल पर तकनीकी अध्ययन करने के लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं, परंतु स्थानीय जनता के प्रतिरोध के कारण अध्ययन पूरे नहीं किए जा सके। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से नागर विमानन संबंधी स्वीकृति 25.08.2011 को प्राप्त की गई।

परियोजना के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) 15 मार्च, 2010 को जारी किया गया और आरएफक्यू प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख प्रारंभ में 3 मई, 2010 निर्धारित की गई थी जिसके बाद यह 14 बार बढ़ाई गई थी। विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 1.10.2013 के पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ यूएमपीपी आरएफक्यू हटाने का निर्देश दिया तथा यह भी निर्देश दिया कि इस परियोजना के लिए आरएफक्यू संशोधित मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) पर केवल नये कोल ब्लॉक के मिलने या छत्तीसगढ़ यूएमपीपी को कोल ब्लॉक मिलने की पुष्टि होने पर की जाएगी।

बोली प्रक्रिया की अवधि को और 730 दिन अर्थात 31 मार्च, 2013 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2015 करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सीईआरसी में 02 जनवरी, 2013 को एक याचिका दायर की गई। सीईआरसी में याचिका पर सुनवाई 26 मार्च, 2013 को आयोजित की गई। सीईआरसी ने बोली प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयावधि का

30 सितंबर, 2014 तक विस्तार करने की स्वीकृति प्रदान की है।

जिला स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास (आर एंड आर) समिति द्वारा दिए गए सुझावों को विधिवत रूप से शामिल करते हुए आर एंड आर नीति छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई है।

वित्तीय समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रारंभ नहीं किए हैं। तथापि, वर्ष के दौरान कंपनी ने परियोजना के विकास में 7.40 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है जिसे जारी पूंजीगत कार्य मद में स्थानांतरित किया गया है। 31 मार्च, 2014 तक कंपनी द्वारा किया गया कुल व्यय 44.05 करोड़ रुपए है।

लाभांश

चूंकि आपकी कंपनी ने अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू नहीं किए हैं, अतः वित्त वर्ष 2013–14 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

शेयर पूंजी

कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5,00,000 रुपए (पांच लाख रुपए मात्र) है, जिसमें प्रत्येक 10 रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखी जाती है।

प्रतिबद्धता अग्रिम

आपकी कंपनी ने सभी खरीदारों से 400,000,000 रुपए (चालीस करोड़ रुपए मात्र) का संपूर्ण प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त किया है।

सावधि जमा

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कोई भी सावधि जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाला अर्जन और बहिर्गमन

चूंकि कंपनी के प्रचालन में कोई भी विनिर्माण अथवा संसाधन संबंधी गतिविधियां शामिल नहीं है, अतः इसके संदर्भ में कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी विवरण लागू नहीं हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय से कोई भी अर्जन अथवा बहिर्गमन नहीं हुआ है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मैसर्स एन. के. एस. चौहान एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्त वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी के लेखाओं पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी, अवलोकन अथवा आरक्षण नहीं हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कार्मिकों के विवरण

कंपनी के अपने रोल में कोई भी कार्मिक नहीं है। अतः कंपनी (कार्मिकों के विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत यथानिर्धारित कार्मिकों के विवरण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के प्रावधानों के अनुसार श्री एन. डी. त्यागी की जगह पर 03 फरवरी, 2014 से श्री सी. गंगोपाध्याय को कंपनी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है और वे वार्षिक आम बैठक होने तक इस पर पर बने रहेंगे। कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों ने श्री सी. गंगोपाध्याय को निदेशक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित किया, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए जवाबदेह होंगे ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के प्रावधानों के अनुसार श्री योगेश जुनेजा और श्री उमेश कुमार अग्रवाल, निदेशक आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए उन्होने प्रस्ताव किया है।

आपका निदेशक मंडल कंपनी के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री एन डी त्यागी द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी हार्दिक प्रशंसा करता है।

उपर्युक्त परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य हैं :

श्री ए. के. अग्रवाल	अध्यक्ष
श्री सी गंगोपाध्याय	निदेशक
श्री के श्रीधर	निदेशक
श्री योगेश जुनेजा	निदेशक
श्री उमेश कुमार अग्रवाल	निदेशक (छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनिधि)
श्री अशोक चव्हान	निदेशक (महाराष्ट्र राज्य के प्रतिनिधि)
श्री मनु श्रीवास्तव	निदेशक (मध्य प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

सी एंड एजी ने अपने दिनांक 30 जून 2014 के पत्र के जरिए निर्णय लिया है कि उन्होंने 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इस संबंध में सी एंड एजी द्वारा जारी किए गए पत्र की प्रति अनुबंध –। में दी गई है।

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत यथावश्यक आपके निदेशक सुनिश्चित / पुष्टि करते हैं कि :

- वित्त वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और वास्तविक प्रकटन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि वित्त वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया है।
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे एक निरंतर कार्यरत कंपनी के रूप में तैयार किए हैं।

स्वीकारोक्ति

निदेशक केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रति कंपनी को उनके द्वारा दी गई सहायता, किए गए उत्साहवर्धन हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कंपनी विशेषरूप से भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, सांविधिक लेखापरीक्षकों और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रति उनके निरंतर सहयोग, सुझाव और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
(ए. के.अग्रवाल)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 अगस्त, 2014

अनुबंध –।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि ये कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 23 मई 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और की ओर से

(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा और
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड –।।।
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जून, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड

हमने 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड ("कंपनी") के तुलन–पत्र और लाभ तथा हानि विवरण के साथ–साथ उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए संलग्न नगदी प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य स्पष्टीकरणों के साथ संबंधित सूचना/टिप्पणी की लेखापरीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग 133 के मामले में व्यवसाय मामला मंत्रालय के जनरल सर्कुलर 15/2013 दिनांक 13 सितंबर, 2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 ("अधिनियम") में संदर्भित लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी, डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का कार्यान्वयन और संगत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों । इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक्षक कंपनी की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है जिससे कि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सके जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं । किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथा आवश्यक सूचना विहित ढंग से प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं;

(क) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति

(ख) लाभ और हानि विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ / हानि; और

(ग) नगदी प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह विवरण।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के अनुसार यथावश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में कंपनी के लिए लागू सीमा के अनुसार उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनीय से आवश्यक थे;

(ख) हमारे दृष्टिकोण से जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई और रखी गई है;

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं अर्थात उनसे मेल खाते हैं;

(घ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग 133 के मामले में व्यवसाय मामला मंत्रालय के जनरल सर्कुलर 15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") में संदर्भित लेखांकन मानकों के साथ सभी वास्तविक संदर्भों में उनके अनुरूप हैं;

(ड़) निदेशकों की अनअर्हता से संबंधित कंपनी अधिनियम की धारा 274 की उप धारा (1) के खंड (छ) की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कंपनी वित्त मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 21.10.2003 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) के संदर्भ में एक सरकारी कंपनी है।

कृते एन. के. एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
फर्म पंजीयन संख्या 013940एन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एन. के. एस. चौहान
भागीदार
सदस्यता संख्या 088185

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ (1) में 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' वाले भाग में संदर्भित)

1. निर्धारित परिसंपत्तियों के मामले में :

(क) हमारे दृष्टिकोण में तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड तैयार किए हैं जिनमें उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति शामिल है।

(ख) हमें बताए अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन ने निर्धारित परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन कर लिया है, जो हमारे दृष्टिकोण में कंपनी के आकार और प्रकृति के दृष्टिकोण से उचित है। ऐसे सत्यापन के दौरान कोई वास्तविक कमी नहीं पाई गई।

(ग) हमें बताए अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी निर्धारित परिसंपत्ति का निपटान नहीं किया है।

2. कंपनी के पास कोई इंवेटरी नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 4(ii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षकारों से अथवा को वर्ष के दौरान कंपनी ने ऋण, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत के रूप में न तो कोई ऋण अथवा अग्रिम लिया है और न ही स्वीकृत किया है। इसलिए आदेश के खंड 4 III (क) से (छ) लागू नहीं होते हैं।

4. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार और इसके व्यापार, अचल परिसंपत्तियों और व्यय के लिए भुगतान की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने कंपनी की उपर्युक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में बड़ी कमियों को दूर न कर पाने की कोई घटना नहीं देखी ।

5. हमारे दृष्टिकोण में और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर हमारा यह मानना है कि अवधि के दौरान संविदा अथवा करार के अनुक्रम में ऐसे कोई लेनदेन किए गए जिनका उल्लेख कंपनी अधिनियम, 1956 धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में करने की आवश्यकता है।

6. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 और उसके नियमों के अंतर्गत भाग 58क और 58क क के तहत जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

7. आंतरिक लेखापरीक्षण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

8. जैसा कि हमें जानकारी है, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित कोई कानून जारी नहीं किया है।

9. (क) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी आयकर और अन्य सांविधिक बकाया राशियों सहित अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान संबंधित प्राधिकारियों को धारक कंपनी के माध्यम से सामान्यतः नियमित रूप से कर रही है। हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित सांविधिक देयताओं की बकाया राशि उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए देय नहीं है।

   (ख) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर की कोई भी देय राशि नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा न किया गया हो।

10. हमारे दृष्टिकोण में कंपनी की चालू वित्तीय वर्ष के अंत में संचित हानि हैं। हालांकि कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

11. किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर धारक का कोई भुगतान बकाया नहीं है, अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

12. हमें दी गई सूचना और कंपनी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं दिया है।

13. कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि/आपसी लाभ अर्जित करने वाली निधि, न्यास/सोसाइटी नहीं है। अतः आदेश का खंड 4 (xiii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

14. चूंकि कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेश में व्यावसाय अथवा कारोबार नहीं करती है, अतः आदेश का खंड 4(xiv) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी सावधि ऋण नहीं लिया है, अतः आदेश के खंड 4 (xvi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के तुलन–पत्र और कंपनी के नकदी प्रभाव विवरण की पूर्ण जांच के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अल्पावधि आधार पर ली गई निधियों का दीर्घकालीन प्रयोजनीयों के लिए निवेश नहीं किया है। कंपनी ने दीर्घकालीन निधियों का उपयोग स्थायी कार्यशील पूंजी को छोड़कर अल्पावधि संपत्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए नहीं किया है।

18. कंपनी द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान धारक कंपनी और इसके नामतियों के जरिए आरंभिक आबंटन को छोड़कर कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों और कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

20. कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यू जारी कर कोई पूंजी अर्जित नहीं की है।

21. लेखाओं की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने के प्रयोजन से लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पायी गई और न ही कोई रिपोर्ट की गई है।

कृते एन. के. एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
फर्म पंजीयन संख्या 013940एन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एन. के. एस. चौहान
भागीदार
सदस्यता संख्या 088165

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
(पूर्ववर्ती अकलतरा पावर लि.)
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	3	500,000	500,000
(ख) आरक्षित और अधिशेष निधियां	4	(20,797)	(20,797)
		479,203	479,203
(2) गैर–चालू देयताएं			
(क) दीर्घकालीन ऋण	5	471,725,053	452,893,702
(ख) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	6	208,099,428	152,758,901
		679,824,481	605,652,603
(3) चालू देयताएं			
अन्य चालू देयताएं	7	4,745,849	4,986,164
		4,745,849	4,986,164
योग		685,049,33	611,117,970
II. परिसंपत्तियां			
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां			
(क) स्थायी परिसंपत्तियां			
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	8	294,387	378,440
(ii) जारी पूंजीगत कार्य	9	440,533,321	366,520,902
(ख) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	10	228,349,959	228,349,959
(ग) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	11	1,58,58,750	15,858,750
		685,036,417	611,108,051
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	12	12,765	9,768
(ख) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	13	151	151
		12,916	9,919
योग		685,049,333	611,117,970
निगमित सूचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	14		
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	15 से 39		

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेजा) **निदेशक** | **(के. श्रीधर)** **निदेशक** | **(ए. के. अग्रवाल)** **अध्यक्ष**

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
एन. के. एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
(फर्म पंजीयन संख्या 013940एन)

एन. के. एस. चौहान
भागीदार
सदस्यता संख्या 088165

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
(पूर्ववर्ती अलकतरा पावर लि.)
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लाभ और हानि विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
I. प्रचालन से प्राप्त राजस्व		–	–
II. अन्य आय		–	–
III. **कुल राजस्व (I+II)**		–	–
IV. व्यय		–	–
कुल व्यय		–	–
V. **आपवादिक और असाधारण मद और कर पूर्व लाभ/ (हानि) (III-IV)**		–	–
VI. आपवादिक मद		–	–
VII. **असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		–	–
VIII. असाधारण मद		–	–
IX. **कर पूर्व लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		–	–
X. **कर संबंधी व्यय**			
(1) चालू कर		–	–
(2) आस्थगित कर		–	–
XI. **प्रचालन शुरू होने से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (IX-X)**		–	–
XII. **प्रचालन बाधित होने से लाभ/(हानि)**		–	–
XIII. **प्रचालन बाधित होने का कर संबंधी व्यय**		–	–
XIV. **प्रचालन बाधित होने से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (XII-XIII)**		–	–
XV. **अवधि के लिए लाभ (हानि) (XI+XIV)**		–	–
XVI. **प्रति इक्विटी शेयर अर्जन**			
(1) आधारभूत	33	–	–
(2) मिश्रित	33	–	–
निगमित सूचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	14		
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	15 से 39		

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेजा) **निदेशक** | **(के. श्रीधर)** **निदेशक** | **(ए. के. अग्रवाल)** **अध्यक्ष**

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
एन. के. एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
(फर्म पंजीयन संख्या 013940एन)

एन. के. एस. चौहान
भागीदार
सदस्यता संख्या 088165

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
(पूर्ववर्ती अकलतरा पावर लि.)
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क. प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	–	–
कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	–	–
निम्नलिखित में वृद्धि/कमी के लिए समायोजन		
देयताएं और प्रावधान	55,100,012	50,446,031
प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	55,100,012	50,446,031
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
जारी पूंजीगत कार्य	(73,928,366)	(91,735,914)
निवेश संबंधी कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	(73,928,366)	(91,735,914)
ग. वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
दीर्घकालीन ऋण से लाभ	18,831,351	41,102,016
वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	18,831,351	41,102,016
नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में निवल वृद्धि / कमी (क+ख+ग)	2,997	(187,867)
योग : वर्ष की शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	9,768	197,635
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य राशि	12,765	9,768
बैंक में जमा राशियां	12,765	9,768

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेजा) निदेशक | **(के. श्रीधर)** निदेशक | **(ए. के. अग्रवाल)** अध्यक्ष

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
एन. के. एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
(फर्म पंजीयन संख्या 013940एन)

एन. के. एस. चौहान
भागीदार
सदस्यता संख्या 088165

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
(पूर्ववर्ती अकलतरा पावर लि.)
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. निगमित सूचना

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कंपनी की स्थापना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी), भारत सरकार का एक उपक्रम के पूर्ण स्वाामित्व वाली मैसर्स अकलतरा पावर लि. नामक एक कंपनी के रूप में 10 फरवरी, 2006 को मैसर्स अकलतरा पावर लिमिटेड के नाम से की गई और बाद में 10 दिसंबर, 2009 से इसका नाम छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (वर्तमान नाम) कर दिया गया। कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रमाणपत्र 25 अप्रैल, 2008 को जारी किया गया। कंपनी एक विशेष प्रयोजनीय वाहन के रूप में है, जिसकी स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य में 4000 मेगावाट क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना के प्रयोजनीय से भूमि अधिग्रहण, सांविधिक स्वीकृतियों, जिसमें पर्यावरण और वन स्वीकृति आदि शामिल हैं, से संबंधित आरंभिक कार्य को सुकर बनाने के लिए की गई।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

(क) तैयारी का आधार

कंपनी सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुरूप अपने वित्तीय विवरण संचित आधार पर ऐतिहासिक लागत परम्परा के अंतर्गत तैयार करती है।

(ख) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि, राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों पर विचार करते हुए अनुमान और पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं और/अथवा उन्हें मूर्तरूप दिया जाता है।

(ग) आय / व्यय को मान्यता

आय और व्यय (नीचे दर्शाए अनुसार को छोड़कर) की गणना संचित आधार पर की जाती है। पीएफसी / पीएफसीसीएल को देय अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के विकास हेतु परामर्श और व्यावसायिक सेवा शुल्क की गणना कंपनी को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किए जाने वाले वर्ष में की जाएगी।

(घ) स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां चालू / संचित मूल्यह्रास को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शायी जाती हैं। कंपनी सभी प्रत्यक्ष लागतों को पूंजीकृत करती है जिसमें ऐसी परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक ऋण लागत शामिल हैं।

(ङ) मूल्यह्रास

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का लाभ कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची xiv के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लिखित डाउन मूल्य पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान 5000 रुपए तक की लागत वाली अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियों की मदों का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

(च) जारी पूंजीगत कार्य

भूमि सर्वेक्षण / अध्ययन / अन्वेषण / परामर्श / प्रशासन / मूल्यह्रास / ब्याज आदि पर किए गए व्यय को जारी पूंजीगत कार्य के रूप में माना गया है।

(छ) ऋण

परियोजना के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय का वित्तपोषण धारक कंपनी / खरीददारों द्वारा किया जाता है और उसे अप्रतिभूत दीर्घकालीन ऋण के रूप में माना जाता है। ब्याज की वसूली उनके द्वारा नियोजित की गई निधियों पर की जाती है।

(ज) ऋण और अग्रिम

धारक कंपनी (पीएफसी) के पास कंपनी द्वारा रखी गई अधिशेष निधि को अल्पावधि कालीन ऋण और अग्रिमों के रूप में समूहबद्ध किया गया है और धारक कंपनी से ऐसी निधियों पर ब्याज का दावा किया गया है।

(झ) निवेश

निवेश लागत आधार पर दर्शाए जाते हैं।

(ञ) ऋण लागत

पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए ऋण पर ब्याज को छोड़कर ऋण लागत को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है क्योंकि उनका पूंजीकरण परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक किया जाता है।

(ट) आरंभिक व्यय

आरंभिक व्यय उस वर्ष में बट्टे खाते में डाले जाते हैं जिसमें वास्तविक ऐसे व्यय किए गए हैं।

(ठ) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताएं उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं और उन्हें नोट के रूप में प्रकट किया जाता है।

(ड) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण उस पर संशोधित लेखांकन मानक – 3 में विहित प्रत्यक्ष प्रद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

नोट सं. 3. शेयर पूंजी

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृतः		
प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर		
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
कुल जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर	500,000	500,000

क.रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का मिलान

इक्विटी शेयर	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि (रू.)	शेयरों की सं.	राशि (रू.)
वर्ष के प्रारंभ में बकाया	50,000	500,000	50,000	500,000
योग : वर्ष के दौरान जारी	–	–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया बकाया	50,000	500,000	50,000	500,000

ख. इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य 10 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट देने के लिए पात्र है।

कंपनी के परिसमापन के मामले में इक्विटी शेयरधारक सभी प्राथमिक राशियों के विवरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

ग. धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर

कंपनी द्वारा जारी किए गए 50,000 इक्विटी शेयरों में से इसकी धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर निम्नानुसार हैं:

(राशि रूपए में)

	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 का
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी		
प्रत्येक 10 रूपए पूर्णतः प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष: 50,000)	500,000	500,000

घ. कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के विवरण

विवरण	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
	शेयरों की सं.	श्रेणी में धारित %	शेयरों की सं.	श्रेणी में धारित %
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर				
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*	50,000	100%	50,000	100%
योग	50,000	100%	50,000	100%

* इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखे जाते हैं।

नोट सं. 4. आरक्षित और अधिशेष निधियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
<u>लाभ और हानि लेखे के विवरण में अधिशेष राशि</u>		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया	(20,797)	(20,797)
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	–	–
वर्ष के अंत में बकाया	(20,797)	(20,797)
योग	(20,797)	(20,797)

नोट सं. 5. दीर्घ – कालिक ऋण

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
<u>अप्रतिभूत</u>		
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम		
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी	71,725,053	52,893,702
<u>अन्य ऋण और अग्रिम (प्रतिबद्धता अग्रिम)</u>		
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड	200,000,000	200,000,000
दादर और नगर हवेली	5,000,000	5,000,000
दमन और द्वीव	5,000,000	5,000,000
गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	27,500,000	27,500,000
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड	100,000,000	100,000,000
एम पी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	42,500,000	42,500,000
मुख्य विद्युत अभियंता, गोवा सरकार का कार्यालय	20,000,000	20,000,000
	400,000,000	400,000,000
योग	471,725,053	452,893,702

अप्रतिभूत ऋणों के लिए पुनर्भुगतान की शर्तें

संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम और अन्य ऋण और अग्रिम	सफल बोलीदाता को कंपनी के स्थानांतरण की तारीख से 15 दिन के भीतर पुनर्भुगतान हेतु देय

नोट सं. 6. अन्य दीर्घ–कालीन देयताएं

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
दीर्घ कालीन ऋणों पर संचित ब्याज, परन्तु देय नहीं	208,099,428	152,758,901
योग	208,099,428	152,758,901

नोट सं. 7. अन्य चालू देयताएं

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य देय राशियां		
फुटकर देयताएं (स्रोत पर कर की कटौती)	4,633,778	2,359,038
देय व्यय	111,871	2,627,126
योग	4,745,649	4,986,164

नोट सं. 8. मूर्त परिसंपत्तियां

(राशि रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निबल ब्लाक	
	1.4.2013 को अथशेष बकाया	वृद्धि / समायोजन	कटौती / समायोजन	31.3.2014 को इतिशेष	1.4.2013 को अथशेष	वर्ष के लिए	आहरित / वापस लिखी गई	31.3.2014 को इतिशेष	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार
स्वयं की परिसंपत्तियां										
ईडीपी उपस्कर	227,700	–	–	227,700	124,930	41,108	–	166,038	61,662	102,770
कार्यालयी उपकरण	209,524	–	–	209,524	43,620	23,077	–	66,697	142,827	165,904
फर्नीचर और फिक्चर	218,712	–	–	218,712	108,946	19,868	–	128,814	89,898	109,766
योग	**655,936**	–	–	**655,936**	**277,496**	**84,053**	–	**361,549**	**294,387**	**378,440**
पूर्ववर्ती वर्ष	**655,937**	–	–	655,937	157,920	119,577	–	277,496	378,440	–

नोट सं. 9. जारी पूंजीगत कार्य

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
जारी प्रारंभिक पूंजीगत कार्य (आईडीसी)	365,305,249	273,449,758
योग : निर्माण अवधि के दौरान व्यय से स्थानांतरित (नोट– 14)	74,012,419	91,855,491
	439,317,668	365,305,249
भूमि के लिए पूंजीगत व्यय	1,215,653	1,215,653
योग	**440,533,321**	366,520,902

नोट सं. 10. दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
अप्रतिभूत और सही मानी गई		
पूंजी अग्रिम (भूमि के लिए)	**228,349,959**	228,349,959
योग	**228,349,959**	228,349,959

नोट सं. 11. अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
संबंधित पक्षकारों से प्राप्त होने वाली, परन्तु देय नहीं (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि., धारक कंपनी)	**15,858,750**	15,858,750
योग	**15,858,750**	15,858,750

नोट सं. 12. नकदी और नकदी समतुल्य

(राशि रूपए में)

विवरण	गैर चालू 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	चालू 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
बैंकों में बकाया राशियां		
चालू खाते में	**12,765**	9,768
योग	**12,765**	9,768

नोट सं. 13. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(राशि रूपए में)

विवरण	गैर चालू 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	चालू 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अप्रतिभूत, सही माना गया		
अन्य		
स्रोत पर कर की कटौती, वापसी योग्य	**151**	**151**
योग	**151**	**151**

नोट सं. 14. निर्माण अवधि के दौरान व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
व्यय		
जन शक्ति प्रभार	**5,879,877**	19,384,475
लेखापरीक्षक को भुगतान		
–लेखापरीक्षक के रूप में	**87,781**	131,672
विज्ञापन व्यय	**1,676,852**	9,866,202
परामर्श प्रभार	**1,787,505**	2,394,972
सम्मेलन और बैठकें	**72,134**	136,255
कार्यालयी सत्कार	**57,117**	8,043
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	**212,582**	720,684
सदुपयोग की गई राशि पर ब्याज व्यय	**59,965,527**	55,366,372
मूल्यह्रास	**84,053**	119,577
टेलीफोन व्यय	**67,353**	47,574
दौरा और यात्रा व्यय	**959,029**	431,941
वाहन का किराया	**832,755**	833,585
कार्यालय किराया	**569,721**	556,182
आउटसोर्सिंग व्यय	**896,929**	888,979
मुद्रण और स्टेशनरी	**204,403**	172,548
अन्य प्रशासनिक व्यय	**658,801**	794,430
योग	**74,012,419**	**91,855,491**

15. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कंपनी को विद्युत की खरीद करने वाली कंपनियों (खरीदारों) से संगत खरीदारों और सफल बोलीदाता के साथ विद्युत खरीद करार के माध्यम से परियोजना के पूर्ण होने पर विद्युत के विनिर्दिष्ट भाग के आबंटन के विरूद्ध अंशदान के रूप में 40,00,00,000 रुपए का संपूर्ण प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त प्रतिबद्धता अग्रिम को तुलन–पत्र में दीर्घकालिक ऋण के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी उपर्युक्त प्रतिबद्धता अग्रिम पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु कंपनी/धारक कंपनी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस प्रतिबद्धता अग्रिम पर ब्याज का भुगतान किया गया है। वित्तपोषण करार की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त प्रतिबद्धता अग्रिम और उस पर संचित ब्याज की राशि सफल बोलीदाता को धारक कंपनी द्वारा कंपनी के हस्तांतरण की तारीख से 15 दिन के भीतर खरीददारों को देय होगी।

16. पीएफसी के साथ वित्तपोषण करार के अनुसार खरीदारों से प्राप्त 40,00,00,000 रुपए का प्रतिबद्धता अग्रिम कंपनी की ओर से परियोजना के लिए व्यय को पूरा करने और प्रतिबद्धता अग्रिम की खर्च न की गई शेष राशि को अल्पावधि ऋण और अग्रिम के रूप में निवेश करने /धारित करने हेतु धारक कंपनी (पीएफसी) को दिया गया, जिसे तुलन–पत्र में अन्य गैर –चालू परिसंपत्तियां शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

17. कंपनी पीएफसी को अपनी ओर से किए गए व्यय पर ब्याज का भुगतान करने के साथ–साथ धारक कंपनी की नीति के अनुसार निर्धारित दरों पर प्रतिबद्धता अग्रिम को परियोजना के लिए प्रयोग में लाई गई और उपयोग न की गई निधियों के रूप में विभाजित कर प्रतिबद्धता अग्रिम पर खरीददारों को भी ब्याज का भुगतान करती है। प्रयोग में लाई गई निधियों पर प्रभारित ब्याज की दर पीएफसी में "राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता (श्रेणी 'क')" के अंतर्गत ऋणकर्ताओं के लिए समय–समय पर निर्धारित परियोजना ऋण/ योजना (उत्पादन) हेतु लागू दरों के समतुल्य है और उपयोग न की गई राशि पर ब्याज दर पीएफसी से प्राप्त/देय ब्याज "पीएफसी की मासिक औसत अल्पावधि निक्षेप दर" के अनुरूप है। उपयोग न की गई निधियों पर ब्याज पीएफसी से देय है और उसका भुगतान खरीददारों को किया जाता है। इस वर्ष के लिए ब्याज संबंधी व्यय उपयोग की गई राशि पर 5,99,65,527 रुपए (गतवर्ष 5,53,66,372 रुपए) के अलावा, इसमें खरीदारों से अग्रिम राशि की प्राप्ति से पहले पीएफसी द्वारा व्यय की राशि पर पीएफसी से प्राप्त / देय 99,65,530 रुपए (गतवर्ष 45,28,019 रुपए) की राशि शामिल है। इस प्रकार देय ब्याज (पीएफसी से प्राप्त निबल ब्याज) को "जारी पूंजीगत कार्य" शीर्ष के अंतर्गत पूंजीकृत किया गया है। खरीदारों को देय ब्याज को संचित परंतु देय नहीं किया गया है और उसे अन्य दीर्घकालीन देयताएं शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

18. कंपनी ने पीएफसीएल / पीएफसीसीएल द्वारा प्रदान की गई परामर्श और व्यावसायिक सेवाओं के लिए पीएफसीएल / पीएफसीसीएल को शुल्क के रूप में 50,00,00,000 रुपए और लागू करों की राशि का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। पीएफसीएल / पीएफसीसीएल को देय परामर्श और व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु शुल्क परियोजना के लिए सफल बोलीदाता का चयन हो जाने और सफल बोलीदाता को कंपनी के हस्तांतरण पर ही देय होगा। इसलिए पीएफसीएल/ पीएफसीसीएल को देय शुल्क के लिए देयता विषयक कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि यह राशि कंपनी के स्थानांतरण के मामले में सफल बोलीदाता को कंपनी के हस्तांतरण वाले वर्ष में प्रभारित की जाएगी।

19. परियोजना की स्थापना की योजना के अनुसार योजना की संभावनाएं तलाशने और आरंभिक विकास कार्य के लिए संपूर्ण व्यय जिसमें 50,00,00,000 रुपए का व्यावसायिक शुल्क और लागू कर तथा नियोजित निधियों पर ब्याज शामिल है, की वसूली परियोजना के सफल बोलीदाता से इसकी धारक कंपनी से कंपनी की 100% इक्विटी शेयरधारिता की खरीद हेतु अधिग्रहण मूल्य के रूप में की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी और इसकी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को सफल बोलीदाता को स्थानांतरित माना जाएगा।

20. 22.83 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ सरकार को पूर्ववर्ती वर्षों में धारा 4 अग्रिम के रूप में प्रक्रिया के समय 2331.84 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु किया गया है। भूमि की लागत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्रमशः एकल फसल और दोहरी फसल के रूप में संशोधित की गई है। इस प्रकार अब भूमि की अनुमानित लागत लगभग 196 करोड़ रुपए है जो धारा 6 के पूर्ण होने और उसके लिए मांग प्राप्त होने के पर देय होगी, अतः इसकी देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

21. सीएसपीएल परियोजना के लिए कुल 135 एमसीएम जल का अनुमान लगाया है। इसके लिए रेहर और इसकी सहायक नदियों पर कुल 8 हाइड्रोस्ट्रक्चरों का निर्माण किया जाएगा। हाइड्रोस्ट्रक्चर के निर्माण की लागत प्रति एमसीएम 4 करोड़ रुपए है; इस प्रकार इसकी कुल लागत 540 करोड़ रुपए होगी। 2.70 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान पूर्ववर्ती वर्षों में सर्वेक्षण प्रभार के रूप में 540 करोड़ रुपए के 0.05% की दर से पहले ही किया जा चुका है। अभी तक सर्वेक्षण कार्य जारी है, अतः इस संबंध में देयता हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन पर पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए भी जवाबदेह है। इस संबंध में देयता की मात्रा का निर्धारण संबंधित सरकारी प्राधिकारियों द्वारा सामाजिक आर्थिक अध्ययन पूर्ण और अनुमोदित होने तक वर्तमान में संभव नहीं है।

22. कंपनी के लिए सभी कार्य पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा किया जा रहा है। पीएफसीसीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक के अनुसार कंपनी के लिए कार्मिकों द्वारा वास्तविक रूप से बिताए गए कार्य दिवसों के आधार पर कंपनी की लागत के अनुसार पीएफसीसीएल द्वारा प्रभारित अपने कार्मिकों की जनशक्ति लागत के रूप में 58,79,877 रुपए (गतवर्ष 1,93,84,475 रुपए) का जनशक्ति प्रभार वसूल किया गया और इसमें श्री एन. डी. त्यागी (निदेशक) का 1,74,518 रुपए (गतवर्ष 5,79,800 रुपए), श्री योगेश जुनेजा (निदेशक) का 3,61,518 रुपए (गतवर्ष 4,65,400 रुपए) और श्री दामोदर बालापुरे (निदेशक) का शून्य रुपए (गतवर्ष 5,20,00 रुपए) का प्रभार शामिल है।

23. अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शाए गए व्यय मुख्य रूप से पीएफसी / पीएफसीसीएल द्वारा एसपीवी को आबंटित किए जाते हैं । यह आबंटन इन कंपनियों द्वारा किए गए व्यय के मूल्यांकन के अनुसार किया जात है । पीएफसी / पीएफसीसीएल द्वारा किए गए ऐसे व्यय के संदर्भ में मूल सहायक बिल पीएफसी / पीएफसीसीएल के नाम पर होते हैं और उनके पास ही रखे जाते हैं जिनकी प्रतियां कंपनी के पास भी उपलब्ध हैं । पीएफसी / पीएफसीसीएल इन कंपनियों के लिए यथालागू "स्रोत पर कर की कटौती और सेवा कर आदि" से संबंधित सभी सांविधिक प्रावाधानों का अनुपालन कर रही हैं ।

24. पूंजीकृत किए जाने हेतु आवश्यक सभी व्यय सहित निर्माण अवधि के दौरान व्यय (नोट 14) से संबंधित विवरण तैयार किए गए हैं और उन्हें जारी पूंजीगत कार्य शीर्ष में शामिल किया गया है।

25. (i) पूंजी लेखा पर क्रियान्वित करने हेतु शेष बची संविदाओं की अनुमानित और उपलब्ध न कराई गई राशि 1,92,21,600 रुपए (गतवर्ष 1,92,21,600 रुपए) है।

(ii) कंपनी की आकस्मिक देयताएं और वर्ष के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार कंपनी के विरूद्ध उसके द्वारा स्वीकार न किए गए दावों की राशि भूमि के लिए 196 करोड़ रुपए (गत वर्ष 196 करोड़ रुपए) और हाइड्रो स्ट्रक्चर के लिए 540 करोड़ रुपए (गत वर्ष 540 करोड़ रुपए) है। कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए भी जवाबदेह है। इस संबंध में देयता की मात्रा का निर्धारण वर्तमान में संभव नहीं है क्योंकि संबंधित सरकारी प्राधिकारियों द्वारा सामाजिक आर्थिक अध्ययन पूर्ण और अनुमोदित नहीं किया गया है (नोट संख्या 20 देखें)।

26. बोर्ड के दृष्टिकोण में कंपनी के व्यवसाय, अन्य चालू परिसंपत्तियों और तुलन–पत्र में दर्शाए अनुसार ऋण और अग्रिमों की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत मान्यता से अनुमान है कि उनकी कम से कम इतनी लागत आएगी जितनी लागत का उल्लेख किया गया है।

27. चूंकि कंपनी में कोई कार्मिक नहीं है, अतः लेखांकन मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार बाध्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

28. कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसीएल) / धारक कंपनी, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) (पीएफसीएल के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी) और विद्युत की खरीद करने वाले राज्यों के कार्मिक हैं और उन्हें कंपनी में अंशकालिक आधार पर नियोजित किया गया है।

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार ऐसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पदावधि समाप्त होने की तारीख
1	श्री ए. के. अग्रवाल	अध्यक्ष	23.08.2012	जारी
2	श्री सी. गंगोपाध्याय	निदेशक	03.02.2014	जारी
3	श्री के. श्रीधर	निदेशक	17.12.2008	जारी
4	श्री योगेश जुनेजा	निदेशक	17.02.2010	जारी
5	श्री मनु श्रीवास्तव*	निदेशक	14.05.2012	जारी
6	श्री ए. एस. चक्रान*	निदेशक	24.12.2010	जारी
7	श्री उमेश कुमार अग्रवाल*	निदेशक	17.02.2010	जारी
8	श्री एन. डी. त्यागी	निदेशक	17.02.2010	02.02.2014

*विद्युत की खरीद करने वाले राज्यों से

29. लेखांकन मानक 18 – "संबंधित पक्षकार प्रकटन" के अनुसार प्रकटन;

छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड के बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं जिन पर पीएफसी / पीएफसीसीएल के नामितियों का नियंत्रण होता है।

लेखाओं में दर्शाए अनुसार और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित संबंधित पक्षकारों के लेखाओं में उस अवधि के दौरान अधिकतम क्रेडिट बकाया राशि के विवरण निम्नानुसार हैं :

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड — चालू वर्ष – 7,27,94,121 रुपए
गतवर्ष – 5,28,93,702रुपए

संबंधित पक्षकारों के विवरण निम्नानुसार हैं :

(क) संबंधित पक्षकारों के नाम और संबंधों का स्वरूप :–

क्र.सं.	संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति
1.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	धारक कंपनी
2.	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
3.	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
4.	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
5.	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
6.	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
7.	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
8.	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
9.	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी

क्र.सं.	संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति
10.	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
11.	पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
12.	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
13.	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
14.	उड़ीसा इंफ्रापावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
15.	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
16.	डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
17.	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12.03.2014 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
18.	पेट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	13.11.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
19.	पुरुलिया खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	09.12.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
20.	दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	10.12.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
21.	बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
22.	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम

संबंधित पक्षकार लेनदेन केवल धारक कंपनी (पीएफसी) के साथ ही किए गए हैं। विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	व्यय	31 मार्च 2014 (रुपए)	31 मार्च 2013 (रुपए)
1.	वर्ष के लिए देय ब्याज पर व्यय	9,965,530	4,528,019
2.	जनशक्ति प्रभार*	5,879,877	19,384,475
3.	**इतिशेष बकाया राशि:**		
(क)	दीर्घकालीन ऋणों पर संचित ब्याज, परन्तु देय नहीं	16,260,446	6,294,916
(ख)	प्राप्त होने वाला ब्याज	15,858,750	15,858,750
(ग)	दीर्घकालिक ऋण	71,725,053	52,893,702

*पीएफसीसीएल द्वारा प्रभारित

30. कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाएं एक अथवा दो वर्ष (वर्षों) की अवधि के लिए कार्यालय परिसर के पट्टे पर प्रचालन से संबंधित हैं । इन पट्टा व्यवस्थाओं का आपसी तौर सहमति के आधार पर स्वीकार शर्तों पर सामान्यतः नवीनीकरण किया जाता है । कार्यालय परिसरों के संदर्भ में पट्टों के लिए किया गया भुगतान 5,69,721 रुपए (गत वर्ष 5,56,182 रुपए) है और इसे नोट –14 "निर्माण अवधि के दौरान व्यय" में 'किराया' के अंतर्गत शामिल किया गया है।
31. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के अंतर्गत अधिसूचित सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है । हालांकि समयांतर से संबंधित आस्थगित कर देयता / परिसंपत्ति के संदर्भ में लेखांकन मानक (एएस) – 22 कंपनी के लिए इस दृष्टि से लागू नहीं है कि कंपनी अभी निर्माण चरण पर है और इसका प्रचालन अभी शुरू किया जाना है।
32. लेखापरीक्षकों का मेहनताना (सेवा कर सहित)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
1.	लेखापरीक्षा शुल्क	87,781	131,672

32. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक–20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत और मिश्रित) की गणना निम्नानुसार की जाती है:

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
1	शेयर का सामान्य मूल्य (रूपए)	10	10
2	इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या)	50,000	50,000
3	कर पश्चात निबल लाभ (रूपए)	–	–
4	प्रति शेयर अर्जन (रूपए)	–	–

34. कंपनी ने दीर्घकालिक ऋण शीर्ष के अंतर्गत शामिल विभिन्न पक्षकारों को कंपनी की लेखा बही के अनुसार उनकी बकाया राशियों की पुष्टि के लिए पत्र भेजे हैं, संगत पक्षकारों से जिनकी पुष्टि की प्रतीक्षा है।
35. कंपनी के पास वर्ष के अंत में लघु उद्योग (स्मॉल–स्केल) यूनिटों की कोई बकाया राशियां नहीं हैं, अतः ब्याज का कोई प्रावधान बनता ही नहीं है। इसके अलावा, प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत शामिल उद्यमों को देय कोई भी बकाया राशियां नहीं हैं।
36. कंपनी अधिनियम, 1956 की नई अनुसूची VI के भाग–।। के पैरा 5 (ii), (iii) और (viii) प्रावधानों के अनुरूप ज्यादातर अतिरिक्त सूचना कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि परियोजना अभी भी विकास चरण पर है और कंपनी को अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप अभी शुरू करने हैं। लागू सूचना निम्नानुसार उपलब्ध करायी गई है :

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय – शून्य (गत वर्ष – शून्य)

(ख) विदेशी विनिमय से आय – शून्य (गत वर्ष – शून्य)

37. कंपनी अभी प्रचालनरत नहीं है, तथापि कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू और गैर चालू के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 12 माह की अवधि को अपनाया है।
38. अन्यथा उल्लेख न किए जाने की स्थिति में आंकड़ों को निकटतम रुपए के रूप में राउंडऑफ कर दिया गया है।
39. कंपनी ने आवश्यक होने पर चालू के वर्ष के वर्गीकरण के साथ पुष्टि के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत /री–ग्रुप किया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेजा) **निदेशक** | **(के. श्रीधर)** **निदेशक** | **(ए. के. अग्रवाल)** **अध्यक्ष**

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
एन. के. एस. चौहान एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
(फर्म पंजीयन संख्या 013940एन)

एन. के. एस. चौहान
भागीदार
सदस्यता संख्या 088165

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

निदेशक की रिपोर्ट 2013–14

सेवा में,

सदस्यगण

निदेशकों को 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के निष्पादन पर आठवीं (8वीं) वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रचालनात्मक कार्यकलाप

आपकी कंपनी की स्थापना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में कर्नाटक राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) के विकास के लिए 10 फरवरी, 2006 को की गई।

परियोजना से विद्युत की खरीद 5 राज्यों द्वारा की जाएगी जिसमें कर्नाटक (1500 मेगावाट), महाराष्ट्र (1000 मेगावाट), तमिलनाडु (1000 मेगावाट), राजस्थान (300 मेगावाट) और केरल (200 मेगावाट) शामिल हैं।

सचिव (विद्युत), भारत सरकार (जीओआई) ने भी मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार से प्रस्तावित अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के लिए नए स्थल के संबंध में यथाशीघ्र उपयुक्त सुझाव देने का अनुरोध किया था। माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने भी मुख्यमंत्री, कर्नाटक सरकार से प्रस्तावित अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के लिए नए स्थल के संबंध में यथाशीघ्र उपयुक्त सुझाव देने हेतु अनुरोध किया गया था। इसके अलावा माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने भी मुख्यमंत्री, कर्नाटक सरकार को सूचित किया कि यदि पोर्ट से कोयले के परिवहन के लिए कंवेयर बैल्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो लगभग 1065 एकड़ भूमि की और यदि कोयले के परिवहन के लिए एमजीआर प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है तो लगभग 1230 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी । इसके प्रतिक्रिया स्वरूप मुख्यमंत्री, कर्नाटक सरकार ने दक्षिण कन्नड जिले में स्थल का प्रस्ताव किया है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसीएल) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीसीए) के अधिकारियों के एक दल द्वारा स्थल का दौरा किया गया और स्थल के मुद्दे का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए स्थल की दौरा रिपोर्ट 20 जून, 2013 को कर्नाटक सरकार को भेजी गई।

वित्तीय समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रारंभ नहीं किए हैं। तथापि, वर्ष के दौरान कंपनी ने परियोजना के विकास में 52.19 लाख रूपए की राशि खर्च की है जिसे जारी पूंजीगत कार्य मद में स्थानांतरित किया गया है। 31 मार्च 2014 तक कंपनी द्वारा किया गया कुल व्यय 337.83 लाख रूपए है।

लाभांश

चूंकि आपकी कंपनी ने अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू नहीं किए हैं अतः कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

शेयर पूंजी

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5,00,000 रूपए (जिसमें प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर शामिल है) है। कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखी जाती है।

प्रतिबद्धता अग्रिम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को विद्युत की खरीद करने वाले राज्यों से कोई प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त नहीं हुआ है।

सावधि जमा

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कोई भी सावधि जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाली आय और बर्हिगमन

चूंकि कंपनी के प्रचालन में कोई भी विनिर्माण अथवा संसाधन गतिविधियां शामिल नहीं है, अतः कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी विवरण लागू नहीं हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय से कोई भी आय अथवा बर्हिगमन नहीं हुआ है।

लेखा–परीक्षक

मैसर्स जी. दिनेश नारायण एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वित्त 2013–14 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

कंपनी के लेखाओं पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी, अवलोकन अथवा अर्हता नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कार्मिकों के विवरण

कंपनी के अपनी नामावली (रोल) में कोई भी कार्मिक नहीं है। अतः कंपनी (कार्मिकों के विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत यथा निर्धारित कार्मिकों के विवरण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के प्रावधानों के अनुसार श्री सुबीर मूलचंदानी, निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते अपनी पुरानी नियुक्ति के लिए प्रस्ताव देंगे।

वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

1	श्री ए.के. अग्रवाल	अध्यक्ष
2	श्री सुबीर मूलचंदानी	निदेशक
3	श्री ए के गुप्ता	निदेशक
4	श्री आर रहमान	निदेशक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

सी एंड एजी ने अपने दिनांक 02 जुलाई 2014 के पत्र के जरिए 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर सांविधिक लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इस संबंध में सी एंड एजी द्वारा जारी किए गए पत्र की प्रति अनुबंध 1 में दी गई है।

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत यथावश्यक आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और वास्तविक अंतर से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि वित्तीय वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया है।
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे एक जारी (निरंतर कार्यरत) कंपनी के रूप में तैयार किए हैं।

स्वीकारोक्ति

निदेशक केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रति कंपनी को उनके द्वारा दी गई सहायता, सहयोग और किए गए उत्साहवर्धन हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कंपनी विशेषरूप से भारत के नियंत्रक और महालेखा–परीक्षक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, सांविधिक लेखा–परीक्षकों और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रति उनके निरंतर सहयोग, सुझाव और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–

(ए.के. अग्रवाल)

अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 अगस्त, 2014

अनुबंध–।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा–परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा–परीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि ये कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 20 मई, 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड के लेखाओं पर सांविधिक लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(तनुजा एस मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक और
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा मंडल – ।।।
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02 जुलाई, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड

हमने 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार मैसर्स कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड ("कंपनी) के तुलन–पत्र और लाभ तथा हानि विवरण के साथ–साथ उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए संलग्न नकदी प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य स्पष्टीकरणों के साथ संबंधित सूचना की लेखापरीक्षा की है ।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो जो कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग 133 के मामले में व्यवसाय मामला मंत्रालय के जनरल सर्कुलर 15/2013 दिनांक 13 सितंबर, 2013 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") में संदर्भित लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी, डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का कार्यान्वयन और संगत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के अंतर्गत यह आवश्यक है कि हम लेखा–परीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखा–परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखा–परीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा–परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों । इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक कंपनी की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है जिससे कि ऐसी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सके जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं। किसी लेखा–परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वूपर्ण अनुमानों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा यथा आवश्यक सूचना विहित ढंग से प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं;

(क) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति;

(ख) लाभ और हानि विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ / हानि और

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनियां (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के साथ पठित कंपनी (लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के अनुसार यथा आवश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में कंपनी के लिए लागू सीमा के अनुसार उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विर्निदिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

(ख) हमारे दृष्टिकोण से जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई और रखी गई है;

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं अर्थात उनसे मेल खाते हैं;

(घ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के भाग 133 के मामले में व्यवसाय मामला मंत्रालय के जनरल सर्कुलर 15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") में संदर्भित लेखांकन मानकों के साथ सभी वास्तविक संदर्भों में उनके अनुरूप हैं;

(ङ) निदेशकों की अनर्हता से संबंधित कंपनी अधिनियम की धारा 274 की उप धारा (1) के खंड (छ) की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कंपनी वित्त मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 21.10.2003 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) के संदर्भ में एक सरकारी कंपनी है।

कृते जी. दिनेश नारायन एंड कंपनी
फर्म पंजीयन सं.000644एन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एन. डी.गुप्ता
भागीदार
सदस्यता संख्या 016150

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 मई, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ (1) में 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' वाले भाग में संदर्भित)

1. कंपनी के पास जारी पूंजीगत कार्य के अलावा कोई स्थाई परिसंपत्ति नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 4(i) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
2. कंपनी के पास कोई इंवेटरी नहीं है।
3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षकारों से अथवा को वर्ष के दौरान कंपनी ने ऋण, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत के रूप में न तो कोई ऋण अथवा अग्रिम लिया है और न ही स्वीकृत किया है।
4. हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, स्थाई परिसंपत्तियों और सेवाओं की खरीद/बिक्री के साथ इसके व्यापार की प्रक्रिया और कंपनी के आकार के अनुरूप वहां पूर्ण आंतरिक नियंत्रण है। लेखा–परीक्षा के दौरान हमने आंतरिक नियंत्रण में किसी बड़ी कमजोरी को सही करने में कोई असफलता नहीं देखी है ।
5. हमारे द्वारा अपनायी गई लेखा–परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारा यह मानना हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसे कोई लेन–देन नहीं किए गए जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है।
6. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 और उसके नियमों के अंतर्गत भाग 58क और 58क क के तहत जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।
7. आंतरिक लेखापरीक्षण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
8. जैसा कि हमें जानकारी है, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित कोई कानून जारी नहीं किया है।
9. (क) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी आयकर और अन्य सांविधिक बकाया राशियों सहित अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान संबंधित प्राधिकारियों को धारक कंपनी के माध्यम से सामान्यतः नियमित रूप से कर रही है। हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित सांविधिक देयताओं की बकाया राशि उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए देय नहीं है।

   (ख) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर की कोई भी देय राशि नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा न किया गया हो।
10. हमारे दृष्टिकोण में कंपनी की चालू वित्तीय वर्ष के अंत में संचित हानि हैं। हालांकि कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।
11. किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर धारक का कोई भुगतान बकाया नहीं है, अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।
12. हमें दी गई सूचना और कंपनी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं दिया है।
13. हमारे दृष्टिकोण में कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि / म्युचुअल लाभ अर्जित करने वाली न्यास / सोसाइटी नहीं है, अतः आदेश का खंड 4 (xiii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।
14. चूंकि कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेश में व्यवसाय अथवा कारोबार नहीं करती है, अतः आदेश का खंड 4(xiv) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।
15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।
16. कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी सावधि ऋण नहीं लिया है, अतः आदेश के खंड 4 (xvi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के तुलन–पत्र और कंपनी के नकदी प्रभाव विवरण की पूर्ण जांच के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अल्पकालिक आधार पर ली गई निधियों का दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए निवेश नहीं किया है। कंपनी ने दीर्घकालीन निधियों का उपयोग स्थायी कार्यशील पूंजी को छोड़कर अल्पकालिक संपत्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए नहीं किया है।
18. कंपनी द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान धारक कंपनी और इसके नामतियों के जरिए आरंभिक आबंटन को छोड़कर कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों और कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया है।
19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।
20. कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यू जारी कर कोई पूंजी अर्जित नहीं की है।
21. लेखाओं की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने के प्रयोजन से लागू की गई लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखा–परीक्षा के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पायी गई और न ही कोई रिपोर्ट की गई है।

कृते जी. दिनेश नारायन एंड कंपनी
फर्म पंजीयन सं.000644एन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एन. डी. गुप्ता
भागीदार
सदस्यता संख्या 016150

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 मई, 2014

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	3	500,000	500,000
(ख) आरक्षित और अधिदेश	4	(20,802)	(20,802)
		479,198	479,198
(2) गैर–चालू देयताएं			
(क) दीर्घकालीन ऋण	5	15,856,931	14,710,860
(ख) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	6	17,387,401	13,308,338
		33,244,332	28,019,198
(3) चालू देयताएं			
(क) अन्य चालू देयताएं	7	70,225	70,225
		70,225	70,225
योग		33,793,755	28,568,621
II. परिसंपत्तियां			
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां			
(क) अचल परिसंपत्तियां			
(i) जारी पूंजीगत कार्य	8	33,783,327	28,563,971
		33,783,327	28,563,971
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	9	10,428	4,650
		10,428	4,650
योग		33,793,755	28,568,621
निगमित सूचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	10		
वित्तीय विवरण पर अन्य टिप्पणियां	11 से 29		

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान) **(ए. के. गुप्ता)** **(ए.के. अग्रवाल)**
निदेशक **निदेशक** **अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और की ओर से
जी. दिनेश नारायण एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
(फर्म पंजीकरण संख्या 000644 एन)

(एन. डी. गुप्ता)
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 016150

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 मई, 2014

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लाभ और हानि विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
I. प्रचालन से प्राप्त राजस्व		–	–
II. अन्य आय		–	–
III. कुल राजस्व (I+II)		–	–
IV. व्यय		–	–
कुल व्यय		–	–
V. आपवादिक और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		–	–
VI. असाधारण मद		–	–
VII. असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/ (हानि)(V-VI)		–	–
VIII. असाधारण मद		–	–
IX. कर पूर्व लाभ/ (हानि) (VI-VII)		–	–
X. कर संबंधी व्यय			
(1) चालू कर		–	–
(2) आस्थगित कर		–	–
XI. प्रचालन शुरू होने से अवधि के लिए लाभ/ (हानि) (IX-X)		–	–
XII. प्रचालन बाधित होने से लाभ/ (हानि)		–	–
XIII. प्रचालन बाधित होने का कर संबंधी व्यय		–	–
XIV. प्रचालन बाधित होने से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (XII-XIII)		–	–
XV. वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ/(हानि) (XI+XIV)		–	–
XVI. प्रति इक्विटी शेयर लाभार्जन			
(1) आधारभूत	22	–	–
(2) मिश्रित (डाइल्यूटिड)	22	–	–
निगमित सूचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	10		
वित्तीय विवरण पर अन्य टिप्पणियां	11 से 29		

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान) **(ए. के. गुप्ता)** **(ए.के. अग्रवाल)**
निदेशक **निदेशक** **अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और की ओर से
जी. दिनेश नारायण एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
(फर्म पंजीकरण संख्या 000644 एन)

(एन. डी. गुप्ता)
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 016150

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 मई, 2014

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
क प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	–	–
कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	–	–
निम्नलिखित में वृद्धि / कमी के लिए समायोजन		
देयताएं और प्रावधान	4,079,063	3,498,555
प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	4,079,063	3,498,555
ख निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
जारी पूंजीगत कार्य	(5,219,356)	(4,107,393)
निवेश संबंधी कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	(5,219,356)	(4,107,393)
ग वित्त पोषण संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
दीर्घकालीन ऋण से लाभ	1,146,071	516,288
वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	1,146,071	516,288
नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में निबल वृद्धि / कमी (क+ख+ग)	5,778	(92,550)
जोडें : वर्ष की शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	4,650	97,200
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य राशि	10,428	4,650
बैंक में जमा राशियां	10,428	4,650

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान)	(ए. के. गुप्ता)	(ए.के. अग्रवाल)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और की ओर से
जी. दिनेश नारायण एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
(फर्म पंजीकरण संख्या 000644 एन)

(एन. डी. गुप्ता)
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 018150

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 मई, 2014

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. निगमित सूचना

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी), भारत सरकार का उपक्रम की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में 10 फरवरी, 2006 को की गई। कंपनी को 23 नवंबर, 2006 को व्यावसायिक कार्यकलाप शुरू करने हेतु प्रमाणपत्र जारी किया गया। कंपनी की स्थापना एक विशेष प्रयोजनीय वाहन के रूप में की गई जिससे कि कर्नाटक राज्य में 4000 मेगावाट क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण, सांविधिक स्वीकृतियों, जिसमें पर्यावरण और वन स्वीकृति आदि शामिल हैं, से संबंधित आरंभिक कार्य पूरा करने में सहायता की जा सके।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

(क) तैयारी का आधार

कंपनी सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुरूप अपने वित्तीय विवरण संचित आधार पर ऐतिहासिक लागत परम्परा के अंतर्गत तैयार करती है।

(ख) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि, राजस्व और रिपोर्ट किए गए व्यय पर विचार करते हुए अनुमान और पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं और/अथवा उन्हें मूर्तरूप दिया जाता है।

(ग) आय / व्यय की मान्यता

आय और व्यय (नीचे दर्शाए अनुसार को छोड़कर) की गणना संचित आधार पर की जाती है।

पीएफसी / पीएफसीसीएल को देय अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के विकास हेतु परामर्श और व्यावसायिक सेवा शुल्क की गणना कंपनी को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किए जाने वाले वर्ष में की जाएगी।

(घ) स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां संचित मूल्यह्रास और सुधार कार्य संबंधी हानियों, यदि कोई हैं को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शायी जाती हैं। कंपनी सभी प्रत्यक्ष लागतों को पूंजीकृत करती है जिसमें ऐसी परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक ऋण लागत शामिल हैं।

(ङ) मूल्यह्रास / ऋणमोचन अवधि

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का लाभ कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची xiv के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति द्वारा प्रो राटा आधार पर प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि / कटौती पर मूल्यह्रास उस तारीख से/तक प्रो राटा आधार पर प्रभारित किया जाता है जिसमें परिसंपत्तियां उपयोग / निपटान के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

वर्ष के दौरान अधिग्रहीत स्थायी परिसंपत्तियों के आइटमों जिनकी लागत 5000 रूपए है का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है।

(च) जारी पूंजीगत कार्य

भूमि सर्वेक्षण / अध्ययन / अन्वेषण / परामर्श / प्रशासन / मूल्यह्रास / ब्याज आदि पर किए गए व्यय को जारी पूंजीगत कार्य के रूप में माना गया है।

(छ) ऋण

परियोजना के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय का वित्त पोषण धारक कंपनी / खरीदारों द्वारा किया जाता है और उसे अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण के रूप में माना जाता है। ब्याज की वसूली उन्हें जारी की निधियों पर की जाती है।

(ज) ऋण और अग्रिम

धारक कंपनी (पीएफसी) के पास कंपनी द्वारा रखी गई अधिशेष निधि को ऋण और अग्रिमों के रूप में माना गया है और धारक कंपनी से ऐसी निधियों पर ब्याज का दावा किया गया है।

(झ) निवेश

निवेश लागत आधार पर दर्शाये जाते हैं।

(ञ) ऋण लागत

ऋण लागत की वसूली लाभ और हानि विवरण में पूंजीगत परिसंपत्तियों को छोड़कर उस वर्ष के लिए की जाती है जिसमें यह किया गया है क्योंकि पूंजीगत परिसंपत्तियों को पूंजीकरण परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक किया जाता है।

(ट) आरंभिक व्यय

आरंभिक व्यय को उस वर्ष में बट्टे खाते में डाले जाते हैं जिसमें ऐसे व्यय किए गए हैं।

(ठ) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताएं उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं परंतु उन्हें उपलब्ध सूचना / प्रबंधन के निर्णय के आधार पर नोट के रूप में प्रकट किया जाता है।

(ड) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण पर लेखांकन मानक – 3 में विहित प्रत्यक्ष प्रद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट सं. 3. शेयर पूंजी (राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृतः		
प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर		
प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
कुल जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर	500,000	500,000

क. रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का मिलान

इक्विटी शेयर	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
	शेयरों की सं.	राशि (रू.)	शेयरों की सं.	राशि (रू)
वर्ष की शुरूआत में बकाया	50,00	500,000	50,000	500,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी	–	–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया बकाया	50,000	500,000	50,000	500,000

ख. इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें / अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य 10 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शैयरधारक प्रति शेयर एक वोट देने के लिए पात्र है।

कंपनी के परिसमापन के मामले में इक्विटी शेयरधारक सभी प्राथमिक राशियों के विवरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

ग. धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर

कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों में से इसकी धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर निम्नानुसार हैं:

	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	(राशि रूपए में) 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*		
प्रत्येक 10 रूपए पूर्णतः प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष: 50,000)	500,000	500,000

घ. कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के विवरण

	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
	शेयरों की सं.	श्रेणी में धारिता का %	शेयरों की सं.	श्रेणी में धारिता का%
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर				
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*	50,000	100%	50,000	100%
योग	50,000	100%	50,000	100%

* 50,000 (गत वर्ष 50,000) इक्विटी शेयरों में से 600 (गत वर्ष 600) शेयर धारक कंपनी – पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नामितियों द्वारा अपने पास रखे जाते हैं।

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट सं. 4. आरक्षित और अधिशेष निधियां (राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
लाभ और हानि लेखे के विवरण में अधिशेष राशि		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया	(20,802)	(20,802)
वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)	–	–
वर्ष के अंत में बकाया	(20,802)	(20,802)
योग	(20,802)	(20,802)

नोट सं. 5. दीर्घकालिक ऋण (राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
संबंधित पक्षकार से ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत)		
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी)	15,856,931	14,710,860
योग	15,856,931	14,710,860
अप्रतिभूत ऋण के लिए पुनर्भुगतान की अवधि		
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम	सफल बोलीदाता को कंपनी के स्थानांतरण की तारीख से 15 दिन के भीतर पुर्नभुगतान हेतु देय	

नोट सं. 6. अन्य दीर्घकालीन देयताएं (राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
दीर्घ कालीन ऋणों पर संचित ब्याज, परन्तु देय नहीं	17,387,401	13,308,338
योग	17,387,401	13,308,338

नोट सं. 7. अन्य चालू देयताएं (राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य देय राशियां		
सांविधिक देयताएं (स्रोत पर कर की कटौती)	7,023	7,023
देय व्यय	63,202	63,202
योग	70,225	70,225

नोट सं. 8. जारी पूंजीगत कार्य (राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
जारी प्रारंभिक पूंजीगत कार्य	28,563,971	24,456,578
जोडें : निर्माण अवधि के दौरान व्यय से स्थानांतरित (नोट– 10)	5,219,356	4,107,393
योग	33,783,327	28,563,971

नोट सं. 9. नकदी और नकदी समतुल्य राशियां (राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
बैंकों में जमा राशियां		
चालू खाते में	10,428	4,650
योग	10,428	4,650

नोट सं. 10. निर्माण अवधि के दौरान व्यय

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	(राशि रूपए में) 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
व्यय		
जन शक्ति प्रभार	314,499	–
बैंक प्रभार	1,222	550
लेखापरीक्षक को भुगतान		
–लेखापरीक्षक के रूप में	70,225	105,338
कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	5,777	17,422
परामर्श प्रभार	190,999	286,481
सम्मेलन और बैठक व्यय	34,346	97,898
उपयोग किए गए अंश पर ब्याज	4,079,063	3,498,556
अन्य प्रशासनिक व्यय	523,226	101,148
योग	5,219,356	4,107,393

11. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कंपनी को विद्युत की खरीद करने वाली कंपनियों (खरीदारों) से संगत खरीदारों और सफल बोलीदाता के साथ विद्युत खरीद करार के माध्यम से परियोजना के पूर्ण होने पर विद्युत के विनिर्दिष्ट भाग के आबंटन के विरूद्ध अंशदान के रूप में 40,00,00,000 रूपए (गतवर्ष 40,00,00,000 रूपए) का संपूर्ण प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त होने वाला है। हालांकि, प्रतिबद्धता अग्रिम की राशि अभी भी प्राप्त की जानी है।

12. परियोजना की स्थापना संबधी योजना के अनुसार परियोजना की संभावनाओं का पता लगाने और आरंक्षिक खुदाई संबंधी कार्य के लिए कंपनी द्वारा किए गए संपूर्ण व्यय, जिसमें नियोजित की गई निधियों पर ब्याज और 50,00,00,000/– रु. का व्यावसायिक शुल्क और यथालागू कर शामिल हैं, की वसूली परियोजना के सफल बोलीदाता से कंपनी की 100% शेयरधारिता की खरीद के लिए अधिग्रहण मूल्य के रूप में इसकी धारक कंपनी (पीएफसी लिमिटेड) की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप दोनों के बीच किए जाने वाले खरीद करार के अनुसार कंपनी अपनी समस्त परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ ऐसे बोलीदाता को हस्तांतरित मानी जाएगी।

13. कंपनी ने पीएफसी/पीएफसीसीएल द्वारा प्रदान की गई परामर्श और व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पीएफसी/पीएफसीसीएल को 50,00,00,000/– रु. की राशि और यथालागू करों का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। सलाहकार और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएफसीएल/पीएफसीसीएल को यह शुल्क केवल तभी देय होगा जब कंपनी के लिए सफल बोलीदाता का चयन कर लिया जाएगा और कंपनी उसे सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी जाएगी। अतः पीएफसीएल/पीएफसीसीएल को देय शुल्क के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि यह राशि उसी वर्ष प्रभारित की जाएगी, जिस वर्ष में कंपनी का हस्तांतरण सफल बोलीदाता को किया जाएगा।

14. कंपनी के लिए सभी कार्य पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा किया गया है। पीएफसीसीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक के अनुसार कंपनी के लिए कार्मिकों द्वारा वास्तविक रूप से बिताए गए कार्य दिवसों के आधार पर कंपनी की लागत के अनुसार पीएफसीसीएल द्वारा प्रभारित अपने कार्मिकों की जनशक्ति लागत के रूप में 3,14,499 रूपए (गतवर्ष शून्य रूपए) का जनशक्ति प्रभार वसूल किया गया और इसमें श्री आर रहमान (निदेशक) का 162,158 रूपए (गत वर्ष शून्य रूपए) का प्रभार शामिल है।

15. परियोजना के विकास पर सभी व्यय पीएफसी लि. द्वारा अपनी निधियों से किया गया। कंपनी पीएफसी लि. को कंपनी की ओर से उसके द्वारा किए गए व्यय पर ब्याज का भुगतान करती है। इस प्रकार देय ब्याज को जारी पूंजीगत कार्य शीर्ष के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाता है। प्रयोग में लाई गई निधियों पर प्रभारित ब्याज की दर पीएफसी में "राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं (श्रेणी 'क')" के अंतर्गत ऋणकर्ताओं के लिए समय–समय पर निर्धारित परियोजना ऋण / योजना (उत्पादन) हेतु लागू दरों के समतुल्य है। खाताबही में 40,79,063/– रूपए (गतवर्ष 34,98,556/–रूपए) की कुल ब्याज राशि संचित हुई है। ब्याज की राशि को जारी पूंजीगत कार्य शीर्ष के अंतर्गत पूंजीकृत किया गया है। देय ब्याज की राशि को अन्य दीर्घकालिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है।

16. अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शाए गए व्यय मुख्य रूप से पीएफसी / पीएफसीसीएल द्वारा एसपीवी को आबंटित किए जाते हैं । एसपीवी से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय 100% आधार पर तथा साझा व्यय विभिन्न एसपीवी और सेवाओं के आबंटन के बीच होता है। पीएफसी / पीएफसीसीएल द्वारा किए गए ऐसे व्यय के संदर्भ में मूल सहायक बिल पीएफसी / पीएफसीसीएल के नाम पर होते हैं और उनके पास ही रखे जाते हैं जिनकी प्रतियां कंपनी के पास भी उपलब्ध हैं । पीएफसी / पीएफसीसीएल इन कंपनियों के लिए यथालागू "स्रोत पर कर की कटौती और सेवा कर आदि" से संबंधित सभी सांविधिक प्रावाधानों का अनुपालन कर रही हैं ।

17. पूंजीकृत किए जाने हेतु आवश्यक सभी व्यय सहित निर्माण अवधि (नोट 10) के दौरान व्यय से संबंधित विवरण तैयार किए गए हैं और उन्हें जारी पूंजीगत कार्य शीर्ष में शामिल किया गया है।

18. (i) पूंजी लेखा पर क्रियान्वित करने हेतु शेष बची संविदाओं की अनुमानित और उपलब्ध न कराई गई राशि शून्य रूपए (गतवर्ष शून्य रूपए) है।
(ii) कंपनी की आकस्मिक देयताएं और अवधि के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार कंपनी के विरूद्ध उसके द्वारा स्वीकार न किए गए दावों की राशि शून्य रूपए (गत वर्ष शून्य रूपए) है।

19. कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसीएल) / धारक कंपनी, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) (पीएफसीएल के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी) के कार्मिक हैं और उन्हें कंपनी में अंशकालिक आधार पर नियोजित किया गया है।
31.03.2014 की स्थिति के अनुसार ऐसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण निम्नानुसार हैं

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पदावधि समाप्त होने की तारीख
1	श्री ए के अग्रवाल	अध्यक्ष	13.08.2012	जारी
2	श्री आर रहमान	निदेशक	08.06.2011	जारी
3	श्री ए के गुप्ता	निदेशक	17.12.2008	जारी
4	श्री एस मूलचंदानी	निदेशक	17.08.2011	जारी

20. लेखांकन मानक एएस18 – "संबंधित पक्षकार प्रकटन" के अनुसार प्रकटन;
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड के मंडल द्वारा लिए जाते हैं जिन पर पीएफसी / पीएफसीसीएल के नामितियों का नियंत्रण होता है। :

क्र.सं.	संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति
1.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी लि.)	धारक कंपनी
2.	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
3.	छत्तीसगढ़ सर्गुजा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
4.	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
5.	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
6.	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
7.	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
8.	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
9.	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
10.	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
11.	पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
12.	पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजर्स प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
13.	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
14.	उड़ीसा इंफ्रापावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
15.	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
16.	डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
17.	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12.03.2014 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
18.	पेट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	13.11.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
19.	पुरुलिया खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	09.12.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
20.	दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	10.12.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
21.	बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
22.	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम

लेखाओं में तैयार किए अनुसार और संबंधित पक्षकारों के लेखाओं में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रबंधन द्वारा प्रमाणित उस अवधि के दौरान अधिकतम डेबिट बकाया राशि – 1,59,14,113 रूपए (गतवर्ष – 1,47,10,860 रूपए) हैं।

संबंधित पक्षकारों द्वारा लेनदेन केवल धारक कंपनी (पीएफसी) के साथ ही किए गए हैं। विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ₹	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹
1.	वर्ष के दौरान लिए गए दीर्घकालीन ऋण	1,146,071	516,288
2.	वर्ष के लिए ब्याज संबंधी व्यय	4,079,063	3,498,556
3.	जनशक्ति प्रभार*	314,499	–
4.	इतिशेष बकाया राशि		
(क)	दीर्घकालीन ऋण पर संचित, परंतु देय नहीं ब्याज	17,387,401	13,308,338
(ख)	दीर्घकालीन ऋण	15,856,931	14,710,860

*पीएफसीसीएल द्वारा प्रभारित

21. लेखा–परीक्षकों का मेहनताना (सेवा कर सहित)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ₹	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹
1.	लेखा–परीक्षा शुल्क	70,225	105,338

22. कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक–20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत और मिश्रित) की गणना निम्नानुसार की जाती है :

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ₹	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹
1	शेयर का सामान्य मूल्य (रूपए)	10	10
2	इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या)	50,000	50,000

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ₹	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹
3	कर पश्चात निवल लाभ (रूपए)	–	–
4	प्रति शेयर अर्जन (रूपए)	–	–

23. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के अंतर्गत अधिसूचित सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है। हालांकि समयांतर से संबंधित आस्थगित कर देयता / परिसंपत्ति के संदर्भ में लेखांकन मानक (एएस) – 22 कंपनी के लिए इस दृष्टि से लागू नहीं है क्योंकि कंपनी अभी निर्माण चरण पर है और इसका प्रचालन अभी शुरू किया जाना है।

24. चूंकि कंपनी में कोई भी कार्मिक नहीं हैं, अतः लेखांकन मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार बाध्यता का प्रश्न ही नहीं उठता।

25. कंपनी के पास वर्ष के अंत में लघु उद्योग (स्माल–स्केल) यूनिटों की कोई बकाया राशियां नहीं हैं, अतः ब्याज का कोई प्रावधान बनता ही नहीं है। इसके अलावा, प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत शामिल उद्यमों को देय कोई भी बकाया राशियां नहीं हैं।

26. कंपनी अधिनियम, 1956 की नई अनुसूची VI के भाग–।। के पैरा 5 (ii), (iii) और (viii) प्रावधानों के अनुरूप ज्यादातर अतिरिक्त सूचना कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि परियोजना अभी भी विकास चरण पर है और कंपनी को अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप अभी शुरू करने हैं। लागू सूचना निम्नानुसार उपलब्ध करायी गई है :

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय – शून्य (गत वर्ष – शून्य)

(ख) विदेशी विनिमय से आय – शून्य (गत वर्ष – शून्य)

27. कंपनी अभी प्रचालनरत नहीं है, तथापि कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू और गैर चालू के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 12 माह की अवधि को अपनाया है ।

28. अन्यथा उल्लेख न किए जाने की स्थिति में आंकड़ों को निकटतम रूपए के रूप में राउंडऑफ कर दिया गया है।

29. कंपनी ने आवश्यक होने पर चालू के वर्ष के वर्गीकरण के साथ पुष्टि के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत /री–ग्रुप किया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान)
निदेशक

(ए. के. गुप्ता)
निदेशक

(ए.के. अग्रवाल)
अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और की ओर से
जी. दिनेश नारायण एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
(फर्म पंजीकरण संख्या 000644 एन)

(एन. डी. गुप्ता)
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 016150

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 मई, 2014

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी)

निदेशक रिपोर्ट 2013–14

सेवा में,

सदस्यगण

निदेशकों को 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के निष्पादन पर 8वीं (आठवीं) वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखाओं के लेखा–परीक्षित विवरण और उन पर लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रचालनात्मक कार्यकलाप

महाराष्ट्र में अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) के विकास हेतु आपकी कंपनी की स्थापना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1 मार्च, 2008 को की गई।

परियोजना से विद्युत की खरीद 5 राज्यों द्वारा की जाएगी जिसमें महाराष्ट्र (2000 मेगावाट), राजस्थान (500 मेगावाट), मध्य प्रदेश (500 मेगावाट), छत्तीसगढ़ (500 मेगावाट) और कर्नाटक (500 मेगावाट) शामिल हैं।

राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में यूएमपीपी की स्थापना के लिए देवगढ़ तहसील के निकट "मुंगे" नामक स्थल का सुझाव दिया था। हालांकि स्थल पर स्थानीय विरोध के कारण, सचिव (विद्युत), भारत सरकार ने मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार से वैकल्पिक स्थान (स्थानों) का सुझाव देने अथवा "मुंगे" नामक स्थल पर मौजूदा स्थानीय मुद्दों के समाधान हेतु अनुरोध किया है।

सचिव (विद्युत), भारत सरकार की अध्यक्षता में विद्युत मंत्रालय ने 8 मार्च 2011 को आयोजित पीएफसी की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) को जारी रखा जाए।

सीएमडी, पीएफसी ने 18 सितंबर, 2012 को माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार और केन्द्रीय विद्युत मंत्री के साथ चर्चा के दौरान महाराष्ट्र में यूएमपीपी की स्थापना के लिए नए स्थान की पहचान हेतु अनुरोध किया।

पीएफसीसीएल प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) से यूएमपीपी की स्थापना के लिए संभावित स्थल की पहचान हेतु लगातार अनुरोध करता रहा है।

महाराष्ट्र सरकार ने 24 मई, 2013 को सूचित किया है कि कोंकण क्षेत्र के पारिस्थितिकीय और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के अध्ययन हेतु श्री एम. गाडगिल की अध्यक्षता में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई, जिसने यह सिफारिश की थी कि कोंकण क्षेत्र में भविष्य में उच्च क्षमता वाली कोई ताप विद्युत परियोजना के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए अब भारत सरकार ने श्री कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक और समिति गठित की है जो गाडगिल समिति की सिफारिशों का अध्ययन करेगी और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी सूचित किया है कि जब तक कि इन सिफारिशों को भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया जाता है तब तक कोंकण क्षेत्र में ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु स्थल का अंतिम रूप से चयन नहीं किया जा सकता है।

वित्तीय समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रारंभ नहीं किए हैं। तथापि, वर्ष के दौरान कंपनी ने परियोजना के विकास में 70.27 लाख रूपए की राशि खर्च की है जिसे जारी पूंजीगत कार्य मद में स्थानांतरित किया गया है। 31 मार्च, 2014 तक कंपनी द्वारा किया गया कुल व्यय 646.48 लाख रूपए है।

लाभांश

चूंकि आपकी कंपनी ने अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू नहीं किए हैं अतः वर्ष 2013–14 के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

शेयर पूंजी

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5,00,000 लाख रूपए (प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर शामिल) है। वर्ष के दौरान कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखी जाती है।

प्रतिबद्धता अग्रिम

आपकी कंपनी को विद्युत के सभी खरीदार राज्यों से 40,00,00,000 रूपए (चालीस करोड़ रूपए मात्र) का संपूर्ण प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त हुआ है।

सावधि जमा

कंपनी ने वर्ष 2013–14 के दौरान कोई भी सावधि जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाला अर्जन और बहिर्गमन

चूंकि कंपनी के प्रचालन में कोई भी विनिर्माण अथवा संसाधन गतिविधियां शामिल नहीं है, अतः कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी विवरण लागू नहीं हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, विदेशी विनिमय से कोई भी अर्जन अथवा बहिर्गमन नहीं हुआ है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मैसर्स एम. डी. गुजराती एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा वित्त 2013–14 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी के लेखाओं पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी, अवलोकन अथवा अर्हता नहीं हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कार्मिकों के विवरण

कंपनी के अपने रोल में कोई भी कार्मिक नहीं है। अतः कंपनी (कार्मिकों के विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत यथा निर्धारित कार्मिकों के विवरण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

निदेशक

वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य हैं :

1.	श्री आर. नागराजन	अध्यक्ष
2.	श्री आलोक सूद	निदेशक
3.	श्री योगेश जुनेजा	निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) प्रावधानों के अनुसार श्री योगेश जुनेजा, निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते पुनर्नियुक्ति के लिए उन्हें प्रस्ताव दिया जाएगा।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

सी एंड एजी ने अपने दिनांक 08 जुलाई, 2014 के पत्र के जरिए उल्लेख किया है कि उन्होंने 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर सांविधिक लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इस संबंध में सी एंड एजी द्वारा जारी किए गए पत्र की प्रति अनुबंध 1 में दी गई है।

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क क) के अंतर्गत यथावश्यक आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और वास्तविक प्रकटन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि वित्तीय वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया है।
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे एक जारी (निरंतर कार्यरत) कंपनी के रूप में तैयार किए हैं।

स्वीकारोक्ति

निदेशक केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रति कंपनी को उनके द्वारा दी गई सहायता, किए गए उत्साहवर्धन हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कंपनी विशेषरूप से भारत के नियंत्रक और महा लेखा–परीक्षक, विद्युत मंत्रालय, सांविधिक लेखा–परीक्षकों और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रति उनके निरंतर सहयोग, सुझाव और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–

(आर. नागराजन)

अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 12 अगस्त, 2014

अनुबंध 1

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि ये कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 21 मई, 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(तनुजा एस मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक और
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड – III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08 जुलाई, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (कंपनी) के तुलन–पत्र और लाभ तथा हानि विवरण के साथ–साथ उसी वर्ष के लिए संलग्न नगदी प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य स्पष्टीकरणों के साथ संबंधित सूचना की लेखापरीक्षा की है ।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के बारे में व्यवसाय मामला मंत्रालय के सामान्य सर्कुलर 15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2012 के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 ("कंपनी") में संदर्भित लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी, डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का कार्यान्वयन और संगत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के अंतर्गत यह आवश्यक है कि हम लेखा–परीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखा–परीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा–परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों । इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखा–परीक्षक कंपनी की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है जिससे कि ऐसी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सके जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं न कि किसी के आंतरिक नियंत्रण के प्रभाव पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि जो लेखा–परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वो हमारी लेखा–परीक्षा दृष्टिकोण को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और तर्कसंगत है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा यथा आवश्यक सूचना विहित ढंग से इस प्रकार से प्रदान करते हैं जिससे कि वे भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकें।

(i) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति

(ii) लाभ और हानि विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ / हानि और

(iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कानून की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 ("आदेश"), कंपनी (लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के अनुसार यथाआवश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विर्निदिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

अनुबंध 1

2. अधिनियम की धारा 227 (3) के यथापेक्षित के अनुरूप, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा–परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;

(ख) हमारे दृष्टिकोण से जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई और रखी गई है;

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं

(घ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग 133 के लिए व्यापार मामला मंत्रालय के सामान्य सर्कुलर 15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पढ़े जाने वाले संदर्भित लेखांकन मानकों के साथ सभी वास्तविक संदर्भों में उनके अनुरूप हैं; तथा

(ङ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खंड (छ) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अनर्हता नहीं है क्योंकि वित्त मंत्रालय के कंपनी मामला विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी एस आर 829 (ड़) दिनांक 21.10.2013 के मामले में एक सरकारी कंपनी के अधीन पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।

कृते एम. डी गुजराती एंड कंपनी

(फर्म पंजीयन सं. 005301एन)

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आर. के. अग्रवाल

(भागीदार)

सदस्यता संख्या 076984

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 21.05.2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ (1) में 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' वाले भाग में संदर्भित)

1. कंपनी के पास अपनी पूंजी के अलावा कोई स्थाई परिसंपत्ति नहीं है। इसलिए खंड 4;पद्ध के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

2. कंपनी के पास कोई इंवेटरी नहीं है। इसलिए खंड 4;पपद्ध के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों से अथवा को वर्ष के दौरान कंपनी ने ऋण के रूप में न तो कोई ऋण अथवा अग्रिम लिया है और न ही स्वीकृत किया है। इसलिए खंड 4(iii) (क) से (ज) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

4. हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, स्थाई परिसंपत्तियों के खरीद/बिक्री के साथ इसके व्यापार की स्थिति और कंपनी के आकार पूर्ण आंतरिक नियंत्रण दर्शाने वाले हैं। लेखा परीक्षण के दौरान हमने आंतरिक नियंत्रण में किसी बड़ी कमजोरी को सही करने के दौरान कोई असफलता नहीं देखी है ।

5. हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा लेखा प्रक्रिया के अनुसार हमारी राय यह है कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसे कोई लेन–देन नहीं किए गए जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है।

6. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 और उसके नियमों के अंतर्गत भाग 58क और 58क क के अंतर्गत जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

7. आंतरिक लेखापरीक्षण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

8. जैसा कि हमें जानकारी है, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित कोई कानून जारी नहीं किया है।

9. (क) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी आयकर और अन्य सांविधिक बकाया राशियों सहित अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान संबंधित प्राधिकारियों को धारक कंपनी के माध्यम से सामान्यतः नियमित रूप से कर रही है। हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित सांविधिक देयताओं की बकाया राशि उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर की कोई भी देय राशि नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा न किया गया हो।

10. हमारे दृष्टिकोण में कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर हानि संचित की है। तथापि, चालू वित्तीय अवधि में कंपनी को कोई नकद हानि नहीं हुई है।

11. अवधि के दौरान वित्तीय संस्थान अथवा बैंक डिबेंचर धारक के पास कोई भी देय बकाया नहीं था, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर धारक से कोई ऋण नहीं लिया है, अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

12. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं दिया है।

13. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि/म्युचुअल लाभ अर्जित करने वाली न्यास / सोसाइटी नहीं है, अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैराग्राफ 4 का खंड (xiii) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

14. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना के अनुसार चूंकि कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेश में व्यावसाय अथवा कारोबार नहीं करती है, अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैराग्राफ 4 का खंड (xiv) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने दूसरों द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. कंपनी के रिकॉर्ड्स के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर धारक से कोई सावधि ऋण नहीं लिया है, अतः कंपनी के पैराग्राफ 4 का खंड (xvi) का प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के तुलन–पत्र और कंपनी के नकदी प्रभाव विवरण की पूर्ण जांच के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अल्पकालिक आधार पर ली गई निधियों का दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए निवेश नहीं किया है। कंपनी ने दीर्घकालीन निधियों का उपयोग स्थायी कार्य पूंजी को छोड़कर अल्पकालिक संपत्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए नहीं किया है।

18. कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों और कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

20. कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यू जारी कर कोई पूंजी अर्जित नहीं की है।

21. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार खातों की सही और निष्पक्ष सम्मति प्रस्तुत करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पाई गई और न ही कोई रिपोर्ट की गई है।

कृते एम. डी. गुजराती एंड कंपनी
(एफआरएन 005301एन)
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आर. के. अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 076984

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21 मई, 2014

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रूपए में)

विवरण		नोट संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
I.	**इक्विटी और देयताएं**			
	(1) शेयरधारकों की निधियां			
	(क) शेयर पूंजी	3	500,000	500,000
	(ख) आरक्षित और अधिशेष निधियां	4	(37,865)	(37,865)
			462,135	462,135
	(2) गैर-चालू देयताएं			
	(क) दीर्घकालीन ऋण	5	400,000,000	400,000,000
	(ख) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	6	155,687,280	122,531,567
			555,687,280	522,531,567
	(3) चालू देयताएं			
	(क) अन्य चालू देयताएं	7	3,635,854	1,809,723
	(ख) अल्पकालिक प्रावधान	8	–	61
			3,635,854	1,809,789
	योग		559,785,269	524,803,486
II.	**परिसंपत्तियां**			
	(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां			
	(क) स्थायी परिसंपत्तियां			
	(i) जारी पूंजीगत कार्य	9	64,648,205	57,621,737
	(ख) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	10	140,000,856	110,683,420
			204,649,061	168,305,157
	(2) चालू परिसंपत्तियां			
	(क) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	11	10,053	7,275
	(ख) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	12	355,126,155	356,491,054
			355,136,208	356,498,329
	योग		559,785,269	524,803,486

निगमित सूचना	1	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2	
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	13	
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	14 से 35	

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेजा)	(आलोक सूद)	(आर. नागराजन)
निदेशक	**निदेशक**	**अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते एम. डी गुजराती एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीयन सं. 005301एन)

आर. के. अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 76984

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21 मई, 2014

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लाभ और हानि विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण		नोट संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
I.	प्रचालन से प्राप्त राजस्व		–	–
II.	अन्य आय		–	198
III.	**कुल राजस्व (I + II)**		–	198
IV.	व्यय		–	–
	कुल व्यय		–	–
V.	**आपवादिक और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ (III-IV)**		–	198
VI.	असाधारण मद		–	–
VII.	**असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (V-VI)**		–	198
VIII.	असाधारण मद		–	–
IX.	**कर पूर्व लाभ (VII-VIII)**		–	198
X.	**कर संबंधी व्यय:**			
	(1) चालू कर		–	61
	(2) आस्थगित कर		–	–
XI.	**अवधि के लिए जारी प्रचालन से लाभ (IX-X)**		–	137
XII.	**प्रचालन बाधित होने से लाभ**		–	–
XIII.	**प्रचालन बाधित होने का कर संबंधी व्यय**		–	–
XIV.	**प्रचालन बाधित होने से लाभ (कर पश्चात) (XII-XIII)**		–	–
XV.	**कर पश्चात अवधि के लिए लाभ (XI+XIV)**		–	137
XVI.	**प्रति इक्विटी शेयर लाभार्जन**			
	(1) आधारभूत	26	–	0
	(2) मिश्रित (डाइल्यूटिड)	26	–	0
निगमित सूचना		1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		2		
निर्माण अवधि के दौरान व्यय		13		
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां		14 से 35		

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेजा)	(आलोक सूद)	(आर. नागराजन)
निदेशक	**निदेशक**	**अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते एम. डी गुजराती एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीयन सं. 005301एन)

आर. के. अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 76984

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21 मई, 2014

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
क. प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	–	137
कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पहले लाभ	–	137
निम्नलिखित में वृद्धि/कमी के लिए समायोजन		
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	(29,317,436)	(30,548,377)
ऋण और अग्रिम	1,364,899	6,629,497
देयताएं और प्रावधान	34,981,783	30,824,285
प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	7,029,246	6,905,542
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
जारी पूंजीगत कार्य	(7,026,468)	(6,982,612)
निवेश संबंधी कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	(7,026,468)	(6,982,612)
ग. वित्त पोषण संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	–	–
	–	–
नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में निवल वृद्धि/कमी(क + ख + ग)	2,778	(77,070)
योगें: वर्ष की शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	7,275	84,345
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	10,053	7,275
बैंक में जमा राशियां	10,053	7,275

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेजा)	(आलोक सूद)	(आर. नागराजन)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते एम. डी गुजराती एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीयन सं. 005301एन)

आर. के. अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 76984

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21 मई, 2014

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. निगमित सूचना

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड की स्थापना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी), भारत सरकार का एक उपक्रम के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 01 मार्च, 2006 को की गई। कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रमाणपत्र 29 सितंबर 2006 को जारी किया गया। कंपनी की स्थापना एक विशेष प्रयोजनीय वाहन के रूप में की गई जिससे कि महाराष्ट्र राज्य में 4000 मेगावाट क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण सांविधिक स्वीकृतियों, जिसमें पर्यावरण और वन स्वीकृति आदि शामिल हैं, से संबंधित आरंभिक कार्य पूरा करने में सहायता की जा सके।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(क) तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुरूप ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत सचिंत आधार पर तैयार किए गए हैं।

(ख) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टाधीन अवधि के लिए रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि, राजस्व और व्यय में अनुमान और पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं और/अथवा उन्हें मूर्तरूप दिया जाता है।

(ग) आय / व्यय की मान्यता

आय और व्यय (नीचे दर्शाए अनुसार को छोड़कर) की गणना संचित आधार पर की जाती है। पीएफसी / पीएफसीसीएल को देय अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के विकास हेतु परामर्श और व्यावसायिक सेवा शुल्क की गणना कंपनी को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किए जाने वाले वर्ष में की जाएगी।

(घ) स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां चालू/संचित मूल्यह्रास को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शायी जाती हैं। कंपनी सभी प्रत्यक्ष लागतों को पूंजीकृत करती है जिसमें ऐसी परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक ऋण लागत शामिल हैं।

(ङ) मूल्यह्रास

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का लाभ कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची xiv के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान 5000 रूपए तक की लागत वाली अधिग्रहीत स्थाई परिसंपत्तियों के आइटमों का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

(च) जारी पूंजीगत कार्य

सर्वेक्षण / अध्ययन / अन्वेषण / परामर्श / प्रशासन / मूल्यह्रास / ब्याज आदि पर किए गए व्यय को जारी पूंजीगत कार्य के रूप में माना गया है।

(छ) ऋण

परियोजना के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय का वित्तपोषण धारक कंपनी / खरीदारों द्वारा किया जाता है और उसे असुरक्षित दीर्घकालीन ऋण के रूप में समूहबद्ध किया जाता है। ब्याज की वसूली उन्हें जारी की निधियों पर की जाती है।

(ज) ऋण और अग्रिम

धारक कंपनी (पीएफसी) के पास कंपनी द्वारा रखी गई अधिशेष निधि को अल्पकालिक ऋण और अग्रिम के रूप में माना गया है और धारक कंपनी से ऐसी निधियों पर ब्याज का दावा किया गया है।

(झ) निवेश

निवेश लागत आधार पर दर्शाए जाते हैं।

(ञ) ऋण लागत

ऋण लागत की वसूली लाभ और हानि विवरण में पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए ऋण पर ब्याज को छोड़कर उस वर्ष में की जाती है जिसमें यह ऋण लिया गया है, जिसका पूंजीकरण परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक किया जाता है।

(ट) आरंभिक व्यय

आरंभिक व्यय को उस वर्ष में बट्टे खाते में डाला जाता है जिसमें ऐसा व्यय किया गया है।

(ठ) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है बल्कि उन्हें नोट के रूप में प्रकट किया जाता है।

(ड) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण संशोधित लेखा–मानक – 3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है ।

नोट संख्या 3–शेयर पूंजी

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत :		
प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर		
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त 500,00 इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
कुल जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूंजी	500,000	500,000

क. रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का मिलान

इक्विटी शेयर	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
	राशि शेयरों की संख्या	(रूपए में)	राशि शेयरों की संख्या	(रूपए में)
वर्ष के आरंभ में बकाया राशि	50,000	500,000	50,000	500,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी शेयर	–	–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया राशि	50,000	500,000	50,000	500,000

(ख) इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य 10 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट देने के लिए पात्र है।

कंपनी के परिसमापन के मामले में इक्विटी शेयरधारक सभी प्राथमिक राशियों के विवरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

(ग) धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर

कंपनी द्वारा जारी किए गए 50,000 इक्विटी शेयरों में से इसकी धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर निम्नानुसार हैं:

(राशि रूपए में)

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2014 को
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2012 को 50,000)	500,000	500,000

(घ) कंपनी में कुल 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों का शेयरों का विवरण।

	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2014 को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारिता का%	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारिता का%
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर				
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*	50,000	100%	50,000	100%
योग	50,000	100%	50,000	100%

* इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखे जाते हैं।

नोट संख्या 4–आरक्षित और अधिशेष निधियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
लाभ और हानि विवरण में अधिशेष राशि		
वर्ष के आरंभ में बकाया राशि	(37,865)	(38,002)
वर्ष के लिए लाभ	–	137
वर्ष के अंत में बकाया राशि	(37,865)	(37,865)
योग	(37,865)	(37,865)

नोट संख्या 5–दीर्घकालिक ऋण

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत)		
प्रतिबद्धता अग्रिम		
अजमेर वीवीएनएल	18,000,000	18,000,000
बीईएससीओएम (बेसकॉम)	50,000,000	50,000,000
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	50,000,000	50,000,000
जयपुर वीवीएनएल	18,000,000	18,000,000
जोधपुर वीवीएनएल	14,000,000	14,000,000
महाराष्ट्र राज्य वितरण कंपनी लिमिटेड	200,000,000	200,000,000
मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	50,000,000	50,000,000
योग	400,000,000	400,000,000

अप्रतिभूत ऋणों के पुनर्भुगतान की शर्तें

अन्य ऋण और अग्रिम	सफल बोलीदाता को कंपनी के स्थानांतरण की तारीख से 15 दिन के भीतर पुर्नभुगतान हेतु देय

नोट संख्या 6. अन्य दीर्घ–कालीन देयताएं

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
दीर्घ कालीन ऋणों पर संचित ब्याज, परन्तु देय नहीं	155,687,280	122,531,567
योग	155,687,280	122,531,567

नोट संख्या 7. अन्य चालू देयताएं

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
सांविधिक देयताएं (स्रोत पर कर की कटौती)	3,572,652	1,746,521
देय व्यय	63,202	63,202
योग	3,635,854	1,809,723

नोट संख्या 8. अल्पकालिक प्रावधान

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
आय कर के लिए प्रावधान	–	61
योग	–	61

नोट संख्या 9. जारी पूंजीगत कार्य

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक जारी पूंजीगत कार्य	57,621,737	50,639,125
जोडें : निर्माण अवधि के दौरान व्यय से स्थानांतरित (नोट– 13)	7,026,468	6,982,612
योग	64,648,205	57,621,737

नोट संख्या 10. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
संबंधित पक्षकारों से प्राप्त होने वाला परंतु देय नहीं ब्याज (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. धारक कंपनी)	140,000,856	110,683,420
योग	140,000,856	110,683,420

नोट संख्या 11. नकदी और नकदी समतुल्य राशियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
बैंकों में जमा राशियां		
चालू खाते में	10,053	7,275
योग	10,053	7,275

नोट संख्या 12. अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
असुरक्षित, शोध्य माना गया		
संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. धारक कंपनी)	354,438,481	356,487,996
अन्य		
स्रोत पर कर की कटौती (भारत सरकार द्वारा वापसी योग्य)	687,674	3,058
योग	355,126,155	356,491,054

नोट संख्या 13. निर्माण अवधि के दौरान व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	
व्यय				
जन शक्ति प्रभार		–		77,224
बैंक प्रभार		222		1,550
लेखापरीक्षक को भुगतानः				
–लेखापरीक्षक के रूप में		70,225		105,338
कानूनी और व्यावसायिक प्रभार		50,279		50,144
परामर्श प्रभार		59,846		290,798
सम्मेलन और बैठक व्यय		–		97,898
उपयोग किए गए अंश पर ब्याज	6,719,229		6,258,187	
उपयोग न किए गए अंश पर ब्याज	30,002,113		30,551,435	
घटाएं : उपयोग न किए गए अंश पर ब्याज से आय	30,002,113	6,719,229	30,551,435	6,258,187
अन्य प्रशासनिक व्यय		126,667		101,473
योग		7,026,468		6,982,612

14. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार विद्युत के खरीददारों को उन्हें आबंटित विद्युत के संगत शेयर के बदले में प्रतिबद्धता अग्रिम का भुगतान करना आवश्यक है, इसके लिए कंपनी को दिए गए प्रतिबद्धता अग्रिम पर ब्याज के भुगतान की कोई बाध्यता लागू नहीं है। तदनुसार, उनके द्वारा भुगतान किए गए प्रतिबद्धता अग्रिम पर ब्याज के भुगतान के लिए कोई बाध्यता अथवा प्रतिबद्धता के बिना खरीदार से प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त हुआ। परंतु कंपनी के निर्णय के अनुसार खरीदार से प्राप्त प्रतिबद्धता अग्रिम पर कंपनी ने ब्याज संबंधी देयता का प्रावधान किया है। वित्त पोषण करार की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त प्रतिबद्धता अग्रिम और उस पर संचित ब्याज की राशि सफल बोलीदाता को धारक कंपनी द्वारा कंपनी के हस्तांतरण की तारीख से 15 दिन के भीतर खरीदारों को देय होगी।

15. पीएफसी के साथ वित्त पोषण करार के अनुसार खरीददारों और सफल बोलीदाता के साथ विद्युत खरीद करार के माध्यम से परियोजना के पूरे होने पर उन्हें प्रदान किए जाने वाले विद्युत के विनिर्दिष्ट कोटा के सापेक्ष उनके अंशदान के रूप में प्राप्त 40,00,00,000 रूपए का कुल प्रतिबद्धता अग्रिम कंपनी की ओर से परियोजना के लिए किए जाने वाले व्यय को पूरा करने और प्रतिबद्धता अग्रिम की खर्च न की गई शेष राशि को अल्पकालिक ऋण और अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज को जमा राशि के रूप में निवेश करने / धारित करने हेतु धारक कंपनी (पीएफसी) को दिया गया जिसे तुलन–पत्र में अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। उपर्युक्त प्रतिबद्धता अग्रिम को तुलन–पत्र में दीर्घकालिक ऋण के रूप में दर्शाया गया है।

16. कंपनी पीएफसी को अपनी ओर से किए गए व्यय पर ब्याज का भुगतान करने के साथ–साथ धारक कंपनी की नीति के अनुसार निर्धारित दरों पर प्रतिबद्धता अग्रिम को परियोजना के लिए प्रयोग में लाई गई और उपयोग न की गई निधियों के रूप में विभाजित कर प्रतिबद्धता अग्रिम पर खरीदारों को भी ब्याज का भुगतान करती है। प्रयोग में लाई गई निधियों पर प्रभारित ब्याज की दर पीएफसी में "राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता (श्रेणी 'क')" के अंतर्गत ऋणकर्ताओं के लिए समय–समय पर निर्धारित परियोजना ऋण/योजना (उत्पादन) हेतु लागू दरों के समतुल्य है और उपयोग न की गई राशि पर ब्याज दर पीएफसी से प्राप्त/देय ब्याज "पीएफसी की मासिक औसत अल्पकालिक जमा दर" के अनुरूप है। उपयोग न की गई निधियों पर ब्याज पीएफसी से देय है और उसका भुगतान खरीदारों को किया जाता है। इस वर्ष के लिए ब्याज संबंधी व्यय 3,67,21,342 रूपए (गत वर्ष 3,68,09,622 रूपए) (सकल) में उपयोग न की गई राशि पर 3,00,02,113 रूपए (गत वर्ष 3,05,51435 रूपए) और उपयोग की गई राशि पर 67,19,229 रूपए (गत वर्ष 62,58,187रूपए) की उधारी निधि पर ब्याज की राशि शामिल है। उपयोग की राशि पर ब्याज को पूंजीकृत किया गया है।

17. परियोजना की स्थापना की योजना के अनुसार योजना की संभावनाएं तलाशने और आरंभिक खुदाई संबंधी कार्य के लिए संपूर्ण व्यय जिसमें 50,00,00,000 रूपए का व्यावसायिक शुल्क और लागू कर तथा नियोजित निधियों पर ब्याज शामिल है की वसूली परियोजना के सफल बोलीदाता से इसकी धारक कंपनी (पीएफसी) से कंपनी की 100% इक्विटी शेयर धारिता की खरीद हेतु अधिग्रहण मूल्य के रूप में की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप किए जाने वाले शेयर खरीद करार की शर्तों के अनुसार कंपनी और इसकी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को ऐसे सफल बोलीदाता को स्थानांतरित माना जाएगा।

18. कंपनी ने पीएफसी/पीएफसीसीएल द्वारा प्रदान की गई परामर्श और व्यावसायिक सेवाओं के लिए पीएफसी/पीएफसीसीएल को शुल्क के रूप में 50,00,00,000 रूपए और लागू करों की राशि का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। पीएफसी/पीएफसीसीएल को देय परामर्श और व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु शुल्क परियोजना के लिए सफल बोलीदाता का चयन हो जाने और सफल बोलीदाता को कंपनी के हस्तांतरण पर ही देय होगा। इसलिए पीएफसी/पीएफसीसीएल को देय शुल्क के लिए देयता विषयक कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि यह राशि कंपनी के स्थानांतरण के मामले में सफल बोलीदाता को कंपनी के हस्तांतरण वाले वर्ष में प्रभारित की जाएगी।

19. कंपनी के लिए सभी कार्य पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा किया जा रहे हैं। पीएफसीसीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक के अनुसार कंपनी के लिए कार्मिकों द्वारा वास्तविक रूप से बिताए गए कार्य दिवसों के आधार पर कंपनी की लागत के अनुसार पीएफसीसीएल द्वारा प्रभारित अपने कार्मिकों की जनशक्ति लागत के रूप में शून्य रूपए (गतवर्ष 77,224 रूपए) का जनशक्ति प्रभार वसूल किया गया। निर्माण अवधि के दौरान कुल व्यय के साथ साथ ब्याज की राशि पीएफसीसीएल द्वारा सफल बोलीदाता से परियोजना के उसे अधिनिर्णय पर वसूल की जाएगी। पीएफसीसीएल उसके द्वारा आबंटित व्यय पर यथालागू स्रोत पर कर की कटौती संबंधी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है।

20. अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शाए गए व्यय मुख्य रूप से पीएफसी/पीएफसीसीएल द्वारा एसपीवी को आबंटित किए जाते हैं । यह आवंटन इन कंपनियों द्वारा किए गए व्यय के मूल्यांकन के अनुसार किया जात है। पीएफसी/पीएफसीसीएल द्वारा किए गए ऐसे व्यय के संदर्भ में मूल सहायक बिल पीएफसी/पीएफसीसीएल के नाम पर होते हैं और उनके पास ही रखे जाते हैं जिनकी प्रतियां कंपनी के पास भी उपलब्ध हैं । पीएफसी/पीएफसीसीएल इन कंपनियों के लिए यथालागू "स्रोत पर कर की कटौती और सेवा कर आदि" से संबंधित सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन कर रही हैं ।

21. पूंजीकृत किए जाने हेतु आवश्यक सभी व्यय सहित निर्माण अवधि (नोट 13) के दौरान व्यय से संबंधित विवरण तैयार किए गए हैं और उन्हें जारी पूंजीगत कार्य शीर्ष में शामिल किया गया है।

22. (i) पूंजी लेखा पर क्रियान्वित करने हेतु शेष बची संविदाओं की अनुमानित और उपलब्ध न कराई गई राशि शून्य रूपए (गतवर्ष शून्य रूपए) है।

(ii) कंपनी की आकस्मिक देयताएं और अवधि के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार कंपनी के विरूद्ध उसके द्वारा स्वीकार न किए गए दावों की राशि शून्य रूपए (गत वर्ष शून्य रूपए) है।

23. कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक पीएफसी लिमिटेड (धारक कंपनी) और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) (पीएफसीएल के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी) के कार्मिक हैं और उन्हें कंपनी में अंशकालिक आधार पर नियोजित किया गया है ।

वर्ष के दौरान ऐसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पदावधि समाप्त होने की तारीख
1	श्री आर नागराजन	अध्यक्ष	31.12.2009	जारी
2	श्री योगेश जुनेजा	निदेशक	31.12.2009	जारी
3	श्री आलोक सूद	निदेशक	22.12.2008	जारी

24. लेखांकन मानक 18 – "संबंधित पक्षकार प्रकटन" के अनुसार प्रकटनः

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं जिन पर पीएफसी लिमिटेड के नामितियों का नियंत्रण होता है।

संबंधित पक्षकारों के विवरण निम्नानुसार हैं :

(क) संबंधित पक्षकारों का नाम और उनसे संबंध का स्वरूप

क्र. सं.	संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी लिमिटेड)	धारक कंपनी
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
3	छत्तीसगढ़ सर्गुजा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
4	कोस्टल कर्नाटक मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
5	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
6	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
7	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
8	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
9	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
10	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
11	पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
12	पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजर प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
13	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
14	उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
15	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
16	डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधनी उद्यम
17	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12.03.2014 तक सामूहिक नियंत्रणाधनी उद्यम
18	पेट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	13.11.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधनी उद्यम
19	पुरुलिया खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	09.12.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधनी उद्यम
20	दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	10.12.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधनी उद्यम
21	बल्लभगढ़ जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधनी उद्यम
22	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधनी उद्यम

लेखाओं में तैयार किए अनुसार और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित संबंधित पक्षकारों के लेखाओं में उस अवधि के दौरान अधिकतम डेबिट बकाया राशि के विवरण निम्नानुसार हैं:

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड–चालू वर्ष–354,558,853 रूपए (गत वर्ष–363,117,269 रूपए)

संबंधित पक्षकार लेनदेन केवल धारक कंपनी (पीएफसी) के साथ भी किए गए हैं। विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
		₹	₹
1.	ब्याज व्यय	1,065,045	945,924
2.	ब्याज से होने वाली आय (टीडीएस का निवल)	29,317,436	30,548,377
3.	जनशक्ति प्रभार*	–	77,224
4.	**इतिशेष बकाया राशि**		
(क)	दीर्घकालिक ऋणों पर संचित परंतु अदेय ब्याज	8,565,930	7,500,885
(ख)	प्राप्त होने वाला ब्याज (टीडीएस का निवल)	140,000,856	110,683,420
(ग)	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (प्राप्त होने वाले)	354,438,481	356,487,996

*पीएफसीसीएल द्वारा प्रभारित

25. लेखापरीक्षकों का मेहनताना (सेवा कर सहित)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
		₹	₹
1	लेखापरीक्षा शुल्क	70,225	105,338

26. **प्रति शेयर अर्जन**

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत "प्रति शेयर अर्जन" पर अधिसूचित लेखांकन मानक – 20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन आधारभूत और मिश्रित (डाइल्यूटिड), की गणना निम्नानुसार की जाती है:

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
1	शेयर का सामान्य मूल्य (रूपए)	10	10
2	इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या)	50,000	50,000
3	कर पश्चात निवल लाभ (रूपए)	–	137
4	प्रति शेयर अर्जन (रूपए)	–	0

27. निदेशक मंडल के दृष्टिकोण से कंपनी के व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर तुलन–पत्र में यथाउल्लिखित अन्य चालू परिसंपत्तियों और ऋण तथा अग्रिमों के संबंध में यह अपेक्षित है कि उनकी राशि कम से कम उतनी अवश्य दर्शाई जाए जितनी बताई गई है।

28. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के अंतर्गत अधिसूचित सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है। हालांकि, आस्थगित कर देयता / समय अंतराल से संबंधित परिसंपत्ति संबंधी लेखांकन मानक–22 इस तथ्य के आलोक में कंपनी के लिए लागू नहीं होता है कि कंपनी अभी भी निर्माण चरण पर है और अभी इसका प्रचालन शुरू किया जाना है।

29. चूंकि कंपनी में कोई कार्मिक नहीं हैं, अतः लेखांकन मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार बाध्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

30. कंपनी के पास वर्ष के अंत में लघु उद्योग (स्माल–स्केल) यूनिटों की कोई बकाया राशियां नहीं हैं, अतः ब्याज का कोई प्रावधान बनता ही नहीं है। इसके अलावा, प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत शामिल उद्यमों को देय कोई भी बकाया राशियां नहीं हैं।

31. कंपनी ने अपनी खाताबही के अनुसार बकाया राशियों की पुष्टि के लिए दीर्घकालीन ऋण (प्रतिबद्धता अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत शामिल विभिन्न पक्षकारों को पत्र भेजे हैं, जिसके बारे में संगत पक्षकारों में से कुछ की पुष्टि प्राप्त होना अभी शेष है।

32. कंपनी अधिनियम, 1956 की नई अनुसूची VI के भाग–।। के पैरा 5 (ii), (iii) और (viii) के प्रावधानों के अनुरूप ज्यादातर अतिरिक्त सूचना कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि परियोजना अभी भी विकास चरण पर है और कंपनी को अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप अभी शुरू करने हैं। लागू सूचना निम्नानुसार उपलब्ध करायी गई है :

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय – शून्य (गत वर्ष – शून्य)

(ख) विदेशी विनिमय से आय – शून्य (गत वर्ष – शून्य)

33. कंपनी अभी प्रचालनरत नहीं है, तथापि कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू और गैर चालू के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 12 माह की अवधि को अपनाया है।

34. अन्यथा उल्लेख न किए जाने की स्थिति में आंकड़ों को निकटतम रूपए के रूप में राउंडऑफ कर दिया गया है।

35. कंपनी ने आवश्यक होने पर चालू के वर्ष के वर्गीकरण के साथ पुष्टि के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत/री–ग्रुप किया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेजा)	(आलोक सूद)	(आर. नागराजन)
निदेशक	**निदेशक**	**अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते एम. डी गुजराती एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीयन सं. 005301एन)

आर. के. अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 76984

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21 मई 2014

साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी)

निदेशक रिपोर्ट 2013–14

सेवा में,

सदस्यगण

निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए आपकी कंपनी के निष्पादन पर पाचवीं (6वीं) वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण और 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रचालनात्मक कार्यकलाप

उड़ीसा में पहली अतिरिक्त अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) के विकास हेतु आपकी कंपनी की स्थापना पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीएल) द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में 21 मई, 2008 को एक विशेष प्रयोजनीय वाहन के रूप में की गई। विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के निदेशानुसार 9 फरवरी, 2010 को शेयरों का हस्तांतरण पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किए जाने के पश्चात आपकी कंपनी पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी हो गई।

परियोजना से विद्युत की खरीद 12 राज्यों द्वारा की जाएगी जिसमें उड़ीसा (2000 मेगावाट), उत्तर प्रदेश (480 मेगावाट), बिहार (350 मेगावाट), हरियाणा (275 मेगावाट), राजस्थान (250 मेगावाट), दिल्ली (120 मेगावाट), पंजाब (120 मेगावाट), असम (120 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश (100 मेगावाट), जम्मू और कश्मीर (75 मेगावाट) मेघालय (60 मेगावाट) और नागालैंड (50 मेगावाट) शामिल हैं।

अगस्त, 2011 में मुख्य सचिव, उड़ीसा सरकार द्वारा ली गई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि डिसेलीनेशन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए तटवर्ती इलाकों में एक अतिरिक्त यूएमपीपी की स्थापना की जाए।

मुख्य सचिव, उड़ीसा सरकार ने मई, 2012 में आयोजित संचालन समिति की बैठक में दो अतिरिक्त यूएमपीपीएस की स्थापना के लिए भद्रक जिले की चांडबेली तहसील के बिजोयपाटन में तटवर्ती बेल्ट यूएमपीपी की स्थापना हेतु उड़ीसा सरकार की सिफारिश की जानकारी दी।

कोयला मंत्रालय द्वारा जून, 2010 में कंपनी को 800 मीट्रिक टन सांकेतिक आरक्षित कोयले वाली तलचेर कोल फील्ड्स में बनखुई कोयला ब्लॉक आबंटित किया गया है। इस तरह, सीएमपीडीआईएल ने बनखुई कोयला ब्लॉक अगस्त, 2011 में मुख्य सचिव, उड़ीसा सरकार द्वारा ली गई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि डिसेलीनेशन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए तटवर्ती इलाकों में एक अतिरिक्त यूएमपीपी की स्थापना की जाए।

समुद्री पानी के प्रयोग के संबंध में वाणिज्य और परिवहन विभाग द्वारा "सैद्धांतिक" अनुमति नवंबर, 2012 में प्रदान की गई ।

स्थल के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र सितंबर, 2012 में प्राप्त हो गया है।

एसआईपीसीएल ने उड़ीसा सरकार से उड़ीसा में पहली अतिरिक्त यूएमपीपी 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है ।

वित्तीय समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रारंभ नहीं किए हैं। तथापि, वर्ष के दौरान कंपनी ने परियोजना के विकास में 1.17 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है जिसे जारी पूंजीगत कार्य मद में स्थानांतरित किया गया है। कंपनी ने 31 मार्च, 2014 तक कुल 4.11 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

लाभांश

चूंकि आपकी कंपनी ने अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू नहीं किए हैं, अतः वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

शेयर पूंजी

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5,00,000 रुपए (प्रत्येक 10 रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर) है। वर्ष के दौरान कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखी गई।

प्रतिबद्धता अग्रिम

40.00 करोड़ रुपए के कुल प्रतिबद्धता अग्रिम में से आज की तारीख तक कंपनी को 16.34 करोड़ रुपए का प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त हुआ है, जो विद्युत की खरीद करने वाले विभिन्न राज्यों से प्राप्त होना है। विद्युत की खरीद करने वाले विभिन्न राज्यों से उन्हें आबंटित विद्युत के शेयर के अनुसार अभी 23.66 करोड़ रुपए का प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त किया जाना है।

सावधि जमा

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कोई भी सावधि जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाला अर्जन और बहिर्गमन

चूंकि कंपनी के प्रचालन में कोई भी विनिर्माण अथवा संसाधन गतिविधियां शामिल नहीं है, अतः कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी विवरण लागू नहीं हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय से कोई भी अर्जन अथव बहिर्गमन नहीं हुआ है।

लेखापरीक्षक

मैसर्स एपीएन एंड एसोसिएट, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक और महा लेखा–परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी के लेखाओं पर लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी, अवलोकन अथवा अर्हता नहीं हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कार्मिकों के विवरण

कंपनी के अपने रोल में कोई भी कार्मिक नहीं है। अतः कंपनियां (कार्मिकों के विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत यथा निर्धारित कार्मिकों के विवरण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

निदेशक

निदेशकों की अंतिम रिपोर्ट की तारीख से पावर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पीएफसी), धारक कंपनी द्वारा जारी किए गए कार्यालय आदेश के अनुक्रम में श्री एम. के. गोयल के स्थान पर श्री ए. के. अग्रवाल को 01 अक्टूबर, 2013 से कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपका निदेशक मंडल कंपनी के निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री श्री एम. के. गोयल द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी हार्दिक प्रशंसा करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के प्रावधानों के अनुसार श्री ए. के. अग्रवाल आगामी वार्षिक आम बैठक तक अपने पद पर बने रहेंगे। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के अंतर्गत अपरिहार्य शुल्क के साथ रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होने की शर्त के अंतर्गत निदेशक के पद हेतु अपनी दावेदारी के प्रस्ताव के साथ नोटिस प्राप्त किए हैं।

उपर्युक्त परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य हैं :

1	श्री ए. के. अग्रवाल	अध्यक्ष
2	श्री आर. रहमान	निदेशक
3	श्री सुबीर मूलचंदानी	निदेशक
4	श्री योगेश जुनेजा	निदेशक

कंपनी अधिनिमय, 2013 की धारा (धाराओं) 152 (6) के प्रावधानों के अनुसार श्री सुबीर मूलचंदानी कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते उनकी पुनर्नियुक्ति हेतु उन्हें प्रस्ताव दिया जाएगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

सी एंड एजी ने अपने दिनांक 04 जुलाई, 2014 के पत्र के जरिए उल्लेख किया है कि उन्होंने 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर सांविधिक लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत इस पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इस संबंध में सी एंड एजी द्वारा जारी किए गए पत्र की प्रति अनुबंध– I में दी गई है।

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क क) के अंतर्गत यथावश्यक आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और बड़े अंतर के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि वित्तीय वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया है।
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे एक निरंतर कार्यरत कंपनी के रूप में तैयार किए हैं।

स्वीकारोक्ति

निदेशक केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रति कंपनी को उनके द्वारा दी गई सहायता, किए गए उत्साहवर्धन हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कंपनी विशेषरूप से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, उड़ीसा सरकार, ग्रिडको, आईपीआईसीओएल, आईडीसीओ, सीईए, सांविधिक लेखापरीक्षकों और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रति उनके निरंतर सहयोग, सुझाव और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
(एम. के. अग्रवाल)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 अगस्त, 2014

अनुबंध 1

31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि ये कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 20 मई, 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

के लिए और उनकी ओर से

(तनुजा एस मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक और
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड – III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04 जुलाई,2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण,
साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने मैसर्स साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र और लाभ तथा हानि विवरण के साथ–साथ उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए संलग्न नगदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरण से युक्त सूचना तथा टिप्पणियां शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग 133 के मामले में व्यवसाय मामला मंत्रालय के जनरल सर्कुलर 15/2013 दिनांक 13 सितंबर, 2013 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") में संदर्भित लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी, डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का कार्यान्वयन और संगत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के अंतर्गत यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है, चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों । इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक्षक कंपनी की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है जिससे ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सकें जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं । किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथा आवश्यक सूचना विहित ढंग से इस प्रकार से प्रदान करते हैं जिससे कि वे भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकें।

(i) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति

(ii) लाभ और हानि विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का शून्य (लाभ/हानि) और

(iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण।

कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनियां (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के अनुसार यथावश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में कंपनी के लिए लागू सीमा के अनुसार उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

(ख) हमारे दृष्टिकोण से जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई और रखी गई है;

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं अर्थात उनसे मेल खाते हैं;

(घ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग 133 के संदर्भ में व्यवसाय मामला मंत्रालय के जनरल सर्कुलर संख्या 15/2013 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम में संदर्भित लेखांकन मानकों के साथ सभी वास्तविक संदर्भों में उनके अनुरूप हैं

(ड.) वित्त मंत्रालय, कंपनी मामला विभाग द्वारा जारी सूचना संख्या जी एस आर 829 (ई) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते, निदेशकों की अनर्हता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खंड (छ) कंपनी के लिए लागू नहीं होता

कृते एपीएन एंड एसोसिएट्स
फर्म पंजीयन संख्या 001876एन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 मई, 2014

जितेंद्र नाथ
भागीदार
सदस्यता संख्या 015549

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ (1) में 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' वाले भाग में संदर्भित)

1. कंपनी के पास जारी पूंजीगत कार्य के अलावा कोई स्थाई परिसंपत्तियां नहीं हैं । इसलिए खंड 4 (i) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

2. कंपनी के पास कोई इनवेंटरी नहीं है । इसलिए खंड 4 (ii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों से अथवा को वर्ष के दौरान कंपनी ने ऋण के रूप में न तो कोई ऋण अथवा अग्रिम लिया है और न ही स्वीकृत किया है। इसलिए खंड 4 (iii) (क) से (ज) कंपनी के लिए लागू नहीं होते ।

4. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार जारी पूंजीगत कार्य मद में किए गए व्यय के संबंध में कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप वहां पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां मौजूद हैं। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने जारी पूंजीगत कार्य के संबंध में किए गए व्यय से संबंधित आंतरिक नियंत्रण में बड़ी कमियों को दूर करने में कंपनी की लगातार कोई विफलता नहीं देखी है।

5. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऐसे कोई लेन–देन नहीं किए गए जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है।

6. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके नियमों के अंतर्गत भाग 58क और 58कक के अंतर्गत कंपनी ने जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

7. आंतरिक लेखापरीक्षण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

8. जैसा कि हमें जानकारी है, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित कोई कानून जारी नहीं किया है।

9. (क) कंपनी के रिकॉर्डों के अनुसार कंपनी आय कर, सेवा कर, यथालागू सीमा तक उपस्कर और अन्य सांविधिक बकाया राशियों सहित सांविधिक देयताओं सहित सभी अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान संबंधित प्राधिकारियों को सामान्यतः नियमित रूप से किया गया है। हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित सांविधिक देयताओं की बकाया राशि उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर, सेवा कर के संदर्भ में ऐसी कोई भी देय राशि नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा न किया गया हो।

10. कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर हानि संचित नहीं की है हालांकि इस वित्तीय वर्ष में कंपनी को कोई नकद हानि नहीं हुई है।

11. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारा मानना है कि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों अथवा डिबेंचर धारकों को देय राशियों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xi) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

12. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम स्वीकृत नहीं किया है ।

13. कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि / म्यूचुअल लाभ अर्जित करने वाली निधि, न्यास / सोसाइटी नहीं है। अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xiii) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेश में व्यवसाय अथवा कारोबार नहीं करती है। अतः आदेश का पैराग्राफ 4 (xiv) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से अन्य लोगों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। अतः कंपनी के पैराग्राफ 4 का खंड (xvi) का प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता।

17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के तुलन–पत्र की पूर्ण जांच के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अल्पकालिक आधार पर दीर्घावधि निवेश के लिए कोई निधियां अर्जित नहीं की हैं। कंपनी ने दीर्घकालीन निधियों का उपयोग स्थायी पूंजी कार्य को छोड़कर अल्पकालिक संपत्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए नहीं किया है।

18. कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों और कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं ।

20. कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यू जारी कर कोई पूंजी अर्जित नहीं की है।

21. लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पायी गई और न ही प्रबंधन द्वारा इस संबंध में कोई रिपोर्ट की गई है।

कृते एपीएन एंड एसोसिएट्स
फर्म पंजीयन संख्या 001876एन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

जितेंद्र नाथ
भागीदार
सदस्यता संख्या 015549

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 मई, 2014

साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रुपए में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	3	500,000	500,000
(ख) आरक्षित और अधिशेष निधियां	4	(52,754)	(52,813)
		447,246	447,187
(2) गैर–चालू देयताएं			
(क) दीर्घकालीन ऋण	5	183,400,000	182,700,000
(ख) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	6	53,367,493	39,801,422
		216,767,493	202,501,422
(3) चालू देयताएं			
(क) अन्य चालू देयताएं	7	1,566,905	768,440
(ख) अल्पकालिक प्रावधान	8	27	–
		1,566,932	768,440
योग		218,781,671	203,717,049
II. परिसंपत्तियां			
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां			
(क) स्थायी परिसंपत्तियां			
(i) जारी पूंजीगत कार्य	9	41,085,286	29,382,373
(ख) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	10	51,176,909	40,387,644
		92,262,195	89,770,017
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	11	12,205	8,432
(ख) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	12	126,507,271	133,938,600
		126,519,476	133,947,032
योग		218,781,671	203,717,049
निगमित सूचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	13		
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	14 से 35		

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान) **निदेशक** | **(सुबीर मूलचंदानी)** **निदेशक** | **(ए. के. अग्रवाल)** **अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते एपीएन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 001876एन

जीतेंद्र नाथ
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 015549

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 मई, 2014

साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लाभ और हानि विवरण

(राशि रुपए में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
I. प्रचालन से प्राप्त राजस्व			
II. अन्य आय			
आय कर वापसी से होने वाली आय		86	-
III. कुल राजस्व (I+II)		86	-
IV. व्यय		-	-
कुल व्यय		-	-
V. आपवादिक और असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (III-IV)		86	-
VI. आपवादिक मद		-	-
VII. असाधारण मदें तथा कर पूर्व लाभ (V-VI)		86	-
VIII. असाधारण मदें		-	-
IX. कर पूर्व लाभ (VII-VIII)		86	-
X. कर संबंधी व्यय			
(1) चालू कर		27	-
(2) आस्थगित कर		-	-
XI. प्रचालन जारी रहने से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (IX-X)		59	-
XII. प्रचालन बाधित होने से लाभ/(हानि)		-	-
XIII. प्रचालन बाधित होने का कर संबंधी व्यय		-	-
XIV. प्रचालन बाधित होने से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (XII-XIII)		-	-
XV. अवधि के लिए लाभ/(हानि) (XI + XIV)		59	-
XVI. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:			
(1) आधारभूत	27	-	-
(2) मिश्रित (डाइल्यूटिड)	27	-	-
निगमित सूचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	13		
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	14 से 35		

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान) **निदेशक** | **(सुबीर मूलचंदानी)** **निदेशक** | **(ए. के. अग्रवाल)** **अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते एपीएन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 001876एन

जीतेंद्र नाथ
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 015549

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 मई, 2014

साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क. प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	86	–
पूंजी में परिवर्तन से पहले लाभ	86	–
निम्नलिखित में वृद्धि/कमी के लिए समायोजन		
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	(10,789,265)	(12,420,763)
अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	7,431,329	18,760,152
देयताएं और प्रावधान	14,364,563	12,252,203
कर पूर्व प्रचालन से नकद अंतर्प्रवाह/बहिर्प्रवाह	11,006,713	18,591,592
घटाएं: भुगतान किया गया कर	27	–
प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	11,006,686	18,591,592
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
जारी पूंजीगत कार्य	(11,702,913)	(18,781,676)
निवेश संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(11,702,913)	(18,781,676)
ग. वित पोषण संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
दीर्घकालीन ऋण / ऋण	700,000	–
वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	700,000	–
नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में निवल वृद्धि/(कमी) (क + ख + ग)	3,773	(190,084)
योग: वर्ष की शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	8,432	198,516
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य राशि	12,205	8,432
बैंक में जमा राशियां	12,205	8,432

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान)	(सुबीर मूलचंदानी)	(ए. के. अग्रवाल)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते एपीएन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 001676एन

जीतेंद्र नाथ
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 015549

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 मई, 2014

साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. निगमित सूचना

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड की स्थापना 21.05.2008 को की गई और कारोबार प्रारंभ करने के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2009 में प्रमाण पत्र जारी किया गया। कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी), भारत सरकार का एक उपक्रम के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। कंपनी की स्थापना एक विशेष उद्देश्य वाहन के रूप में की गई जिससे कि उड़ीसा राज्य में 4000 मेगावाट क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण संबंधी सांविधिक स्वीकृतियों, जिसमें पर्यावरण और वन स्वीकृति, सीआरजेड आदि शामिल हैं, से संबंधित आरंभिक कार्य पूरा करने में सहायता की जा सके।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

क तैयारी का आधार

कंपनी सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुरूप अपने वित्तीय विवरण संचित आधार पर ऐतिहासिक लागत परम्परा के अंतर्गत तैयार करती है।

ख अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टाधीन अवधि के लिए रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताएं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि, राजस्व और व्यय का अनुमान और पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं और/अथवा उन्हें मूर्तरूप दिया जाता है।

ग आय / व्यय की मान्यता

आय और व्यय (नीचे दर्शाए अनुसार को छोड़कर) की गणना संचित आधार पर की जाती है।

पीएफसी / पीएफसीसीएल को देय अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के विकास हेतु परामर्श और व्यावसायिक सेवा शुल्क की गणना कंपनी को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किए जाने वाले वर्ष (जब कभी देय होगी) में की जाएगी।

घ स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां चालू / संचित मूल्यह्रास संबंधी हानियों, यदि कोई हैं को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शायी जाती हैं। कंपनी सभी प्रत्यक्ष लागतों को पूंजीकृत करती है जिसमें ऐसी परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक ऋण लागत शामिल हैं।

ङ मूल्यह्रास

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का लाभ कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची xiv के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति द्वारा प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान 5,000 रुपए तक की लागत वाली अधिग्रहीत स्थाई परिसंपत्तियों की मदों का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

च जारी पूंजीगत कार्य

भूमि सर्वेक्षण / अध्ययन / अन्वेषण / परामर्श / प्रशासन / मूल्यह्रास / ब्याज आदि पर किए गए व्यय को जारी पूंजीगत कार्य के रूप में माना गया है।

छ ऋण

परियोजना के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय का वित्तपोषण धारक कंपनी / खरीदारों द्वारा किया जाता है और उसे अप्रतिभूत ऋण के रूप में माना जाता है। उनके द्वारा जारी की गई निधियों पर ब्याज की वसूली की गई है।

ज ऋण और अग्रिम

धारक कंपनी (पीएफसी) के पास कंपनी द्वारा रखी गई अधिशेष निधि को अल्पकालिक ऋण और अग्रिमों के रूप में माना गया है और धारक कंपनी से ऐसी निधियों पर ब्याज का दावा किया गया है।

झ निवेश

निवेश लागत आधार पर दर्शाए जाते हैं।

ञ आय पर कर

कराधान के प्रावधान में आय कर और आस्थगित कर के लिए प्रावधान शामिल होता है। वर्तमान आय कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार लागू दर पर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें ब्याज संबंधी देयता, यदि कोई है, शामिल है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयताओं की गणना कंपनी अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक–22 के अंतर्गत निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार की गई है।

ट ऋण लागत

ऋण लागत की वसूली लाभ और हानि विवरण में पूंजीगत परिसंपत्तियों को छोड़कर उस वर्ष में की जाती है जिसमें यह ऋण लिया गया है और जिसका पूंजीकरण परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक किया जाता है।

ठ आरंभिक व्यय

आरंभिक व्यय को उस वर्ष में बट्टे खाते में डाला जाता है जिसमें ऐसा व्यय किया गया है।

ड आकस्मिक देयता

आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, परंतु उन्हें नोट के रूप में प्रकट किया जाता है।

ढ नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण पर लेखांकन मानक – 3 में विहित अप्रत्यक्ष प्रद्धति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है ।

नोट सं. 3. शेयर पूंजी

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत :		
प्रत्येक 10 रुपए के 50000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रुपए के 50000 इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर		
प्रत्येक 10 रुपए के 50000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रुपए के 50000 इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
कुल जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूंजी	500,00	500,000

(क) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का मिलान

इक्विटी शेयर	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (रुपए में)	शेयरों की संख्या	राशि (रुपए में)
अवधि के प्रारंभ में	50,000	500,000	50,000	500,000
जोड़ें : अवधि के दौरान जारी	–	–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया	50,000	500,000	50,000	500,000

(ख) इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य 10 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट देने के लिए पात्र है।

कंपनी के परिसमापन के मामले में इक्विटी शेयर धारक सभी प्राथमिक राशियों के विवरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह वितरण शेयर धारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

(ग) धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर

कंपनी द्वारा जारी किए गए 50,000 इक्विटी शेयरों में से इसकी धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर निम्नानुसार हैं:

(राशि रुपए में)

	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी		
प्रत्येक 10 रुपए के पूर्ण प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष: 50,000)	500,000	500,000

(घ) कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के विवरण

	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
	शेयरों की सं.	श्रेणी में धारिता का %	शेयरों की सं.	श्रेणी में धारिता का %
प्रत्येक 10 रुपए के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर				
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*	50,000	100%	50,000	100%
	50,000	100%	50,000	100%

*इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखे जाते हैं।

नोट सं. 4. आरक्षित और अधिशेष निधियां

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
लाभ और हानि लेखे विवरण में अधिशेष राशि		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया	(52,813)	(52,813)
वर्ष के लिए लाभ	59	–
वर्ष के अंत में बकाया	(52,754)	(52,813)
योग	(52,754)	(52,813)

नोट सं. 5. दीर्घकालिक ऋण

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत)		
प्रतिबद्धता अग्रिम		
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	9,000,000	9,000,000
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	35,000,000	35,000,000
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	4,900,000	4,900,000
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	2,900,000	2,900,000
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	13,750,000	13,750,000
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	10,000,000	10,000,000
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	9,000,000	9,000,000
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	7,000,000	7,000,000
मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6,000,000	6,000,000
नार्थ दिल्ली पावर लिमिटेड	3,400,000	3,400,000
यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	48,000,000	48,000,000
उत्तर हरियाणा बिजली निगम लिमिटेड	13,750,000	13,750,000
नई दिल्ली नगरपालिका कॉर्पोरेशन	700,000	–
योग	163,400,000	162,700,000

अप्रतिभूत ऋण के लिए पुनर्भुगतान की शर्तें

अन्य ऋण और अग्रिम	सफल बोलीदाता को कंपनी के स्थानांतरण की तारीख से 15 दिन के भीतर पुर्नभुगतान हेतु देय

नोट सं. 6. अन्य दीर्घकालीन देयताएं

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
दीर्घ कालीन ऋणों पर संचित ब्याज, परन्तु देय नहीं	53,367,493	39,801,422
योग	53,367,493	39,801,422

नोट सं. 7. अन्य चालू देयताएं

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य देय राशियां		
सांविधिक देयताएं (स्रोत पर कर की कटौती)	1,512,259	724,198
देय व्यय	54,646	44,242
योग	1,566,905	788,440

नोट सं. 8. अल्पकालिक प्रावधान

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
आयकर के लिए प्रावधान	27	–
योग	27	–

नोट सं. 9. जारी पूंजीगत कार्य

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
जारी प्रारंभिक पूंजीगत कार्य	29,382,373	10,600,697
योग : निर्माण अवधि के दौरान व्यय से स्थानांतरित (नोट– 13)	11,702,913	18,781,676
योग	41,085,286	29,382,373

नोट सं. 10. अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
संबंधित पक्षकारों से प्राप्त होने वाला, परन्तु देय नहीं ब्याज (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.)	51,176,909	40,387,644
योग	51,176,909	40,387,644

नोट सं. 11. नकदी और नकदी समतुल्य राशियां

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
बैंकों में बकाया राशियां		
चालू खाते में	12,205	8,432
योग	12,205	8,432

नोट सं. 12. अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अप्रतिभूत और सही माना गया		
संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	126,243,971	133,936,111
अन्य		
स्रोत पर कर की कटौती, वापसी योग्य	263,300	2,489
योग	126,507,271	133,938,600

नोट सं. 13. निर्माण अवधि के दौरान व्यय

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	
व्यय				
जन शक्ति प्रभार		3,907,279		14,170,644
लेखापरीक्षक को भुगतान				
लेखापरीक्षक के रूप में		49,158		73,737
कानूनी और व्यावसायिक प्रभार		49,347		52,589
परामर्श प्रभार		271,678		613,633
सम्मेलन व्यय		10,881		98,515
मुद्रण और स्टेशनरी		183,588		166,079
यात्रा व्यय		64,484		293,570
विज्ञापन व्यय		–		258,746
वहन किराया व्यय		177,173		99,556
आउटसोर्सिंग व्यय		2,286,899		325,765
उपयोग किए गए अंश पर ब्याज	4,022,094		2,183,593	
उपयोग न किए गए अंश पर ब्याज	11,051,320		12,422,008	
घटाएं : उपयोग न किए गए अंश पर ब्याज से आय	11,051,320	4,022,094	12,422,008	2,183,593
अन्य प्रशासनिक व्यय		680,332		445,249
योग		11,702,913		18,781,676

14. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कंपनी को विद्युत खरीद करने वाली कंपनियों (खरीदारों) से संगत खरीदारों और सफल बोलीदाता के साथ विद्युत खरीद करार के माध्यम से परियोजना के पूर्ण होने पर विद्युत के विनिर्दिष्ट भाग के आबंटन के विरूद्ध अंशदान के रूप में 40,00,00,000 रुपए का संपूर्ण प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त होना है। खरीददारों से 16,34,00,000 रुपए (पिछले वर्ष 16,27,00,000) रुपए की राशि प्राप्त हुई है और 23,66,00,000 रुपए की राशि अभी विभिन्न राज्यों से प्राप्त होनी है, जिसमें असम (1,20,00,000 रुपए), दिल्ली (1,00,000 रुपए), जम्मू और कश्मीर (75,00,000 रुपए), नागालैंड (50,00,000 रुपए), उड़ीसा (20,00,00,000 रुपए) और पंजाब (1,20,00,000 रुपए) शामिल है। प्राप्त किए गए उपर्युक्त प्रतिबद्धता अग्रिम को तुलन–पत्र में दीर्घकालिक ऋण के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी उपर्युक्त प्रतिबद्धता अग्रिम पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु कंपनी / धारक कंपनी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस प्रतिबद्धता अग्रिम पर ब्याज का भुगतान किया गया है। वित्तपोषण करार की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त प्रतिबद्धता अग्रिम और उस पर संचित ब्याज की राशि सफल बोलीदाता को धारक कंपनी द्वारा कंपनी के हस्तांतरण की तारीख से 15 दिन के भीतर खरीदारों को देय होगी।

15. पीएफसी और कंपनी के बीच वित्त पोषण करार के अनुसार कंपनी की ओर से परियोजना के लिए किए जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिए प्राप्त कुल 16,34,00,000 रुपए के प्रतिबद्धता अग्रिम और प्रतिबद्धता अग्रिम की खर्च न की गई शेष राशि को अल्पकालिक ऋण और अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज को जमा राशि के रूप में निवेश करने / धारित करने हेतु धारक कंपनी (पीएफसी) को दिया गया जिसे तुलन–पत्र में अल्पकालिक ऋण और अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है और उस पर देय ब्याज को तुलन–पत्र में अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

16. कंपनी पीएफसी को अपनी ओर से किए गए व्यय पर ब्याज का भुगतान करने के साथ–साथ धारक कंपनी की नीति के अनुसार निर्धारित दरों पर प्रतिबद्धता अग्रिम को परियोजना के लिए प्रयोग में लाई गई और उपयोग न की गई निधियों के रूप में विभाजित कर प्रतिबद्धता अग्रिम पर खरीदारों को भी ब्याज का भुगतान करती है। प्रयोग में लाई गई निधियों पर प्रभारित ब्याज की दर पीएफसी में "राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता (श्रेणी 'क')" के अंतर्गत ऋणकर्ताओं के लिए समय–समय पर निर्धारित परियोजना ऋण/ योजना (उत्पादन) हेतु लागू दरों के समतुल्य है और उपयोग न की गई राशि पर ब्याज दर पीएफसी से प्राप्त / देय ब्याज "पीएफसी की मासिक औसत अल्पकालिक जमा दर" के अनुरूप है। उपयोग न की गई निधियों पर ब्याज पीएफसी से देय है और उसका भुगतान खरीदारों को किया जाता है। इस वर्ष के लिए खाताबही में ब्याज संबंधी व्यय 1,50,73,414 रुपए (गतवर्ष 1,46,05,601 रुपए) की गणना की गई है, जिसमें उपयोग न की गई राशि पर 1,10,51,320 रुपए (गतवर्ष 1,24,22,008 रुपए) और उपयोग की राशि पर 40,22,094 रुपए (गतवर्ष 21,83,593रुपए) की राशि शामिल है । उपयोग किए गए अंश पर ब्याज को पूंजीकृत किया गया है । देय ब्याज को अन्य दीर्घकालीन देनदारियां शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

17. परियोजना की स्थापना की योजना के अनुसार योजना की संभावनाएं तलाशने और आरंभिक खुदाई संबंधी कार्य के लिए संपूर्ण व्यय जिसमें 50,00,00,000 रुपए का व्यावसायिक शुल्क और लागू कर तथा नियोजित निधियों पर ब्याज शामिल है की वसूली परियोजना के सफल बोलीदाता से इसकी धारक कंपनी (पीएफसी) से कंपनी की 100% इक्विटी शेयरधारिता की खरीद हेतु अधिग्रहण मूल्य के रूप में की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप किए जाने वाले शेयर खरीद करार की शर्तों के अनुसार कंपनी और इसकी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को सफल बोलीदाता को स्थानांतरित माना जाएगा। बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद धारक कंपनी द्वारा कंपनी के शेयर परियोजना के सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किए जाएंगे । कंपनी की 100% इक्विटी शेयरधारिता की खरीद के लिए अधिग्रहण मूल्य के रूप में सफल बोलीदाता से देय विचारण राशि और कंपनी की सभी परिसंपत्तियां और देयताएं बही मूल्य पर होंगी ।

18. कंपनी ने पीएफसी /पीएफसीसीएल द्वारा प्रदान की गई परामर्श और व्यावसायिक सेवाओं के लिए पीएफसी / पीएफसीसीएल को शुल्क के रूप में 50,00,00,000 रुपए और लागू करों की राशि का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। पीएफसी / पीएफसीसीएल को देय परामर्श और व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु शुल्क परियोजना के लिए सफल बोलीदाता का चयन हो जाने और सफल बोलीदाता को कंपनी के हस्तांतरण पर ही देय होगा। इसलिए पीएफसी / पीएफसीसीएल को देय शुल्क के लिए देयता विषयक कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि यह राशि कंपनी के स्थानांतरण के मामले में सफल बोलीदाता को कंपनी के हस्तांतरण वाले वर्ष में प्रभारित की जाएगी।

19. कंपनी के लिए सभी कार्य पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा किया जा रहा है। पीएफसीसीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक के अनुसार कंपनी के लिए कर्मिकों द्वारा वास्तविक रूप से बिताए गए कार्य दिवसों के आधार पर कंपनी की लागत के अनुसार पीएफसीसीएल द्वारा प्रभारित अपने कर्मिकों की जनशक्ति लागत के रूप में 39,07,279 रुपए (गत वर्ष 141,70,644 रुपए) का जनशक्ति प्रभार वसूल किया गया और इसमें पीएफसी के श्री पी. पी.श्रीवास्तव (निदेशक) का शून्य रुपए (गत वर्ष 1,52,750 रुपए), श्री योगेश जुनेजा (निदेशक) का शून्य रुपए (गत वर्ष

2600 रुपए), श्री आर. रहमान (निदेशक) का 7,27,733 रुपए (गत वर्ष 5,52,500 रुपए) का प्रभार शामिल है। पीएफसी अपने द्वारा आबंटित व्यय के संबंध में लागू स्रोत पर कर की कटौती संबंधी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है।

20. अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शाए गए व्यय मुख्य रूप से पीएफसी / पीएफसीसीएल द्वारा एसपीवी को आबंटित किए जाते हैं । यह आबंटन इन कंपनियों द्वारा किए गए व्यय के मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है । पीएफसी / पीएफसीसीएल द्वारा किए गए ऐसे व्यय के संदर्भ में मूल सहायक बिल पीएफसी / पीएफसीसीएल के नाम पर होते हैं और उनके पास ही रखे जाते हैं जिनकी प्रतियां कंपनी के पास भी उपलब्ध हैं । पीएफसी / पीएफसीसीएल इन कंपनियों के लिए यथालागू "स्रोत पर कर की कटौती और सेवा कर आदि" से संबंधित सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन कर रही हैं ।

21. कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक धारक कंपनी अर्थात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी) और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी) से हैं और उन्हें अशंकालिक आधार कंपनी में तैनात किया गया।

ऐसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पदावधि समाप्त होने की तारीख
1	श्री ए. के. अग्रवाल	अध्यक्ष	01.10.2013	जारी
2	श्री सुबीर मूलचंदानी	निदेशक	21.05.2008	जारी
3	श्री आर. रहमान	निदेशक	06.11.2012	जारी
4	श्री योगेश जुनेजा	निदेशक	30.12.2009	जारी
5	श्री एम. के. गोयल	निदेशक	17.12.2008	01.10.2013

22. लेखांकन मानक 18 – "संबंधित पक्षकार प्रकटन" के अनुसार प्रकटन;

साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं जिन पर पीएफसी / पीएफसीसीएल के नामितियों का नियंत्रण होता है। लेखाओं में दर्शाए अनुसार और प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित अवधि के दौरान संबंधित पक्षकारों के खातों में बकाया अधिकतम क्रेडिट (डेबिट) के विवरण निम्नानुसार हैं : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड–चालू वर्ष–133,216,846 रुपए (गत वर्ष – 152,697,352रुपए)

संबंधित पक्षकार निम्नलिखित हैं:

(क) संबंधित पक्षकारों के नाम और उनके साथ संबंधों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	धारक कंपनी
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
3	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
4	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
5	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
6	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
7	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
8	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
9	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
10	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
11	पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
12	पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजर्स प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
13	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
14	उड़ीसा इंफ्रापावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
15	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
16	डीजीईएन पारेषण कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
17	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12.03.2014 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
18	पेट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	13.11.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
19	पुरुलिया खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	09.12.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
20	दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	10.12.2013 सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
21	बल्लमगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
22	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम

संबंधित पक्षकार लेनदेन केवल धारक कंपनी (पीएफसी) के साथ भी किए गए हैं। विवरण निम्नानुसार हैं:

(राशि रुपए में)

क्र. सं.	व्यय	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
		पीएफसी लि.	पीएफसी लि.
1.	वर्ष के लिए ब्याज आय	11,051,320	12,422,006
2.	जनशक्ति प्रभार*	3,907,279	14,170,644
3.	**इतिशेष बकाया राशि**		
(क)	प्राप्त होने वाला ब्याज (संपूर्ण टीडीएस)	51,176,909	40,387,644
(ख)	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	126,243,971	133,936,111

*पीएफसीसीएल द्वारा प्रभारित

23. (i) पूंजी लेखा पर क्रियान्वित करने हेतु शेष बची संविदाओं की अनुमानित और उपलब्ध न कराई गई राशि शून्य रुपए (गतवर्ष शून्य रुपए) है।

(ii) कंपनी की आकस्मिक देयताएं और अवधि के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार कंपनी के विरूद्ध उसके द्वारा स्वीकार न किए गए दावों की राशि शून्य रुपए (गत वर्ष शून्य रुपए) है।

24. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के अंतर्गत अधिसूचित सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है। हालांकि, आस्थगित कर देयता / समय अंतराल से संबंधित परिसंपत्ति संबंधी लेखांकन मानक–22 इस तथ्य के आलोक में कंपनी के लिए लागू नहीं होता है कि कंपनी अभी भी निर्माण चरण पर है और अभी इसका प्रचालन शुरू किया जाना है।

25. पूंजीकृत किए जाने हेतु आवश्यक सभी व्यय सहित निर्माण अवधि (नोट 13) के दौरान व्यय से संबंधित विवरण तैयार किए गए हैं और उन्हें जारी पूंजीगत कार्य शीर्ष में शामिल किया गया है।

26. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक (सेवा कर सहित)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
			(राशि रुपए में)
1.	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	49,158	73,737

27. **प्रति शेयर अर्जन**

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत "प्रति शेयर अर्जन" पर अधिसूचित लेखांकन मानक – 20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत और मिश्रित) की गणना निम्नानुसार की जाती है:

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
1	शेयर का सामान्य मूल्य (रुपए)	10	10
2	इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या)	50,000	50,000
3	कर पश्चात निवल लाभ (रुपए)	59	–
4	प्रति शेयर अर्जन (रुपए)	–	–

28. कंपनी के पास वर्ष के अंत में लघु उद्योग यूनिटों की कोई बकाया राशियां नहीं हैं, अतः ब्याज का कोई प्रावधान बनता ही नहीं है। इसके अलावा, प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत शामिल उद्यमों को देय कोई भी बकाया राशियां नहीं हैं।

29. चूंकि कंपनी में कोई कार्मिक नहीं हैं, अतः लेखांकन मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार बाध्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

30. कंपनी की खाता बहियों के अनुसार उनकी बकाया राशियों की पुष्टि के लिए अल्पकालिक ऋण (प्रतिबद्धता अग्रिम) शीर्ष के अंतर्गत शामिल विभिन्न पक्षकारों को पत्र भेजे हैं जिसके लिए कुछ संगत पक्षकारों से इसकी पुष्टि अभी प्राप्त होनी है।

31. निदेशक मंडल के दृष्टिकोण से कंपनी के व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर तुलन–पत्र में यथोल्लिखित अन्य चालू परिसंपत्तियों और ऋण तथा अग्रिमों के संबंध में यह अपेक्षित है कि उनकी राशि कम से कम उतनी अवश्य दर्शाई जाए जितनी बताई गई है।

32. कंपनी अधिनियम, 1956 की नई अनुसूची V के भाग–II के पैरा 5 (ii), (iii) और (viii) के प्रावधानों के अनुरूप ज्यादातर अतिरिक्त सूचना कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि परियोजना अभी भी विकास चरण पर है और कंपनी को अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप अभी शुरू करने हैं। लागू सूचना निम्नानुसार उपलब्ध करायी गई है :

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय – शून्य (गत वर्ष शून्य रुपए)

(ख) विदेशी विनिमय से आय – शून्य (गत वर्ष शून्य रुपए)

33. कंपनी अभी प्रचालनरत नहीं है, तथापि कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू और गैर चालू के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 12 माह की अवधि के अंतराल को अपनाया है ।

34. अन्यथा उल्लेख न किए जाने की स्थिति में आंकड़ों को निकटतम रुपए के रूप में राउंडऑफ कर दिया गया है।

35. कंपनी ने आवश्यक होने पर चालू के वर्ष के वर्गीकरण के साथ पुष्टि के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत /री–ग्रुप किया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान)	(सुबीर मूलचंदानी)	(ए. के. अग्रवाल)
निदेशक	**निदेशक**	**अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते एमीएन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 001876एन

जीतेंद्र नाथ
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 015549

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 मई, 2014

घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

निदेशक रिपोर्ट 2013–14
सेवा में,
सदस्यगण

निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए आपकी कंपनी के निष्पादन पर 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरण और 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रचालनात्मक कार्यकलाप

उड़ीसा में दूसरी अतिरिक्त अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) के विकास हेतु आपकी कंपनी की स्थापना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में 22 मई, 2008 को एक विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) के रूप में की गई। विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के निदेशानुसार 9 फरवरी, 2010 को शेयरों का हस्तांतरण पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किए जाने के पश्चात आपकी कंपनी पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी हो गई।

परियोजना से विद्युत की खरीद 11 राज्यों द्वारा की जाएगी जिसमें उड़ीसा (2000 मेगावाट), तमिलनाडु (600 मेगावाट), कर्नाटक (350 मेगावाट), झारखण्ड़ (350 मेगावाट), केरल (190 मेगावाट) आंध्र प्रदेश (190 मेगावाट), पश्चिम बंगाल (120 मेगावाट), पुदुचेरी (70 मेगावाट), त्रिपुरा (50 मेगावाट), और मणिपुर (40 मेगावाट) शामिल हैं।

कोयला मंत्रालय द्वारा कंपनी को 640 मिट्रिक टन सांकेतिक आरक्षित कोयले वाली आईबी वैली कोल फील्ड्स में घोगरपल्ली 280 मिट्रिक टन और घोगरपल्ली का डिपसाइड 360 मिट्रिक टन कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए हैं। आगामी अंवेषण के पश्चात आवश्यकता बढ़ने पर कोयला मंत्रालय छतबार कोयला ब्लॉक आवंटित करने पर विचार करेगा।

मुरसुंड़ी, जिला – सोनेपुर में पूर्व में चिह्नित की गई साईट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि यह स्थल उड़ीसा सरकार की मेगा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के कमांड क्षेत्र में आता है। अगस्त, 2011 में मुख्य सचिव, उड़ीसा सरकार द्वारा ली गई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बोलंगीर और कालाखांडी जिलों के अंतर्देशीय इनलैंड इलाके में एक द्वितीय अतिरिक्त यूएमपीपी की स्थापना की जाए। यह भी निश्चय किया गया कि आईपीआईसीओएल संबंधित विभागों के अधिकारियों वाले दल को विभिन्न स्थानों के दौरे के दौरान मुख्य भूमिका अदा करेगा और समन्वय स्थापित करेगा तथा अतिरिक्त अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिए स्थल के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के उद्देश्य से उपयुक्त स्थान का सुझाव देगा।

आईपीआईसीओएल ने अप्रैल, 2012 में अंतरदेशीय आधार पर यूएमपीपी के लिए स्थल के चयन हेतु सीईए, आईपीआईसीओएल, उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (आईडीसीओ), स्थानीय राजस्व विभाग, वन विभाग, और पीएफसी के अधिकारियों वाले एक दल का बोलेगिरि और कालाखांडी जिलों का क्षेत्रीय दौरे का समन्वयन किया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तटवर्ती इलाकों में यूएमपीपी के लिए स्थल के चयन हेतु अपनी स्थल दौरा रिपोर्ट ऊर्जा विभाग, उड़ीसा सरकार को मई, 2012 में प्रस्तुत की। मुख्य सचिव, उड़ीसा सरकार ने मई 2012 में आयोजित संचालन समिति की दूसरी बैठक में कालाखांडी जिले के नारला और केसिंगा उप–प्रभाग में अंतर्देशीय बेल्ट द्वितीय अतिरिक्त यूएमपीपी की स्थापना हेतु उड़ीसा सरकार की सिफारिश की जानकारी दी।

वित्तीय समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रारंभ नहीं किए हैं। तथापि, वर्ष के दौरान कंपनी ने परियोजना के विकास में 93.29 लाख रूपए की राशि खर्च की है जिसे जारी पूंजीगत कार्य मद में स्थानांतरित किया गया है। कंपनी ने 31 मार्च, 2014 तक कुल 3.56 करोड़ रुपए व्यय किए हैं।

लाभांश

चूंकि आपकी कंपनी ने अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू नहीं किए हैं, अतः वित वर्ष 2013–14 की अवधि के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

शेयर पूंजी

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5,00,000 लाख रूपए (प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर) थी। वर्ष के दौरान कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखी जाती है।

प्रतिबद्धता अग्रिम

40.00 करोड़ रूपए के कुल प्रतिबद्धता अग्रिम, जो विद्युत की खरीद करने वाले आबंटित से प्राप्त होना है, में से आज की तारीख तक कंपनी को 15.18 करोड़ रूपए का प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त हुआ है। विद्युत की खरीद करने वाले विभिन्न राज्यों से उन्हें आबंटित शेयर के अनुसार अभी भी 24.82 करोड़ रूपए का प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त किया जाना है।

सावधि जमा

कंपनी ने वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान कोई भी सावधि जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाली अर्जन और बहिर्गमन

चूंकि कंपनी के प्रचालन में कोई भी विनिर्माण अथवा संसाधन गतिविधियां शामिल नहीं है, अतः कंपनियां (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी विवरण लागू नहीं हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय से कोई भी अर्जन अथवा बहिर्गमन नहीं हुआ है।

लेखापरीक्षक

मैसर्स आर. पी. नारंग एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्त 2013–14 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी के लेखाओं पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी, अवलोकन अथवा आरक्षण नहीं हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कार्मिकों के विवरण

कंपनी के अपने रोल में कोई भी कर्मचारी नहीं है। अतः कंपनी (कार्मिकों के विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत यथा निर्धारित कार्मिकों के विवरण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

निदेशक

निदेशकों की अंतिम रिपोर्ट की तारीख से पावर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पीएफसी), धारक कंपनी द्वारा जारी किए गए कार्यालय आदेश के अनुक्रम में श्री एम के गोयल के स्थान पर श्री ए. के. अग्रवाल को 01 अक्टूबर, 2013 से कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपका निदेशक मंडल कंपनी के निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री पी. पी. श्रीवास्तव द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी हार्दिक से प्रशंसा करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के प्रावधानों के अनुसार श्री ए. के. अग्रवाल आगामी वार्षिक आम बैठक तक अपने पद पर बने रहेंगे। निदेशक मंडल सिफारिश करता है कि श्री ए के अग्रवाल को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए जवाबदेह हैं।

उपर्युक्त परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंड़ल में निम्नलिखित सदस्य हैं :

1.	श्री ए. के. अग्रवाल	अध्यक्ष
2.	श्री आर. रहमान	निदेशक
3.	श्री सुबीर मूलचंदानी	निदेशक
4.	श्री योगेश जुनेजा	निदेशक

कंपनी अधिनिमय, 2013 की धारा 152 (6) के प्रावधानों के अनुसार श्री सुबीर मूलचंदानी, निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते अपनी पुनर्नियुक्ति हेतु उन्हें प्रस्ताव दिया जाएगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

सी एंड एजी ने अपने दिनांक 08 जुलाई, 2014 के पत्र के जरिए उल्लेख किया है कि उन्होंने 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इस संबंध में सी एंड एजी द्वारा जारी किए गए पत्र की प्रति अनुबंध – 1 में दी गई है।

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क क) के अंतर्गत यथावश्यक आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और वास्तविक अंतर के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि वित्तीय वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया है।
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे एक निरंतर कार्यरत कंपनी के रूप में तैयार किए हैं।

स्वीकारोक्ति

निदेशक केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रति कंपनी को उनके द्वारा दी गई सहायता, किए गए उत्साहवर्धन हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कंपनी विशेषरूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, उड़ीसा सरकार, ग्रिडको, आईपीआईसीओएल, आईडीसीओ, सीईए, सांविधिक लेखापरीक्षकों और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रति उनके निरंतर सहयोग, सुझाव और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है।

निदेशक मंड़ल के लिए और उनकी ओर से
हस्ता/–

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 अगस्त, 2014

(ए. के. अग्रवाल)
अध्यक्ष

अनुबंध 1

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए घोगरपल्ली इंटिग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार घोगरापल्ली इंटिग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखांकन और आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि ये कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 20 मई, 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक और
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड – III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08 जुलाई, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
सेवा में
सदस्यगण,
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने मैसर्स घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र और लाभ तथा हानि विवरण के साथ–साथ उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए संलग्न नगदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरण से युक्त सूचना तथा टिप्पणियां शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयार के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग 133 के मामले में व्यवसाय मामला मंत्रालय के जनरल सर्कुलर 15/2013 दिनांक 13 सितंबर, 2013 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") में संदर्भित लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी, डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का कार्यान्वयन और संगत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) सद्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के अंतर्गत यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों । इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक कंपनी की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है जिससे कि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सके जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि जो लेखा–परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वो हमारी लेखा–परीक्षा दृष्टिकोण को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और तर्कसंगत है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम द्वारा यथावश्यक सूचना विहित ढंग से इस प्रकार से प्रदान करते हैं जिससे कि वे भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकें :

(i) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति;

(ii) लाभ और हानि विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का शून्य (लाभ/हानि) और

(iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण।

कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनियां (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के अनुसार यथावश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में कंपनी के लिए लागू सीमा के अनुसार उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफग्राफ 4 और 5 में विर्निदिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) यथापेक्षित के अनुरूप, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;

(ख) हमारे दृष्टिकोण से जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई और रखी गई है;

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं;

(घ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग 133 के मामले में व्यवसाय मामला मंत्रालय के जनरल सर्कुलर 15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम 1956 में संदर्भित लेखांकन मानकों के साथ सभी वास्तविक संदर्भों में उनके अनुरूप हैं; और

(ङ.) वित्त मंत्रालय, कंपनी मामला विभाग द्वारा जारी सूचना संख्या जी एस आर 829 (ड़) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते, निदेशकों की अनहेता से संबंधित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खंड (छ) की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं है ।

कृते आर. पी नारंग एण्ड कंपनी
फर्म पंजीयन संख्या 001794एन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 मई, 2014

राहुल खुराना
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 527244

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ (1) में 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' वाले भाग में संदर्भित)

1. कंपनी के पास जारी पूंजीगत कार्य के अलावा कोई स्थाई परिसंपत्तियां नहीं हैं । इसलिए खंड 4(i) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

2. कंपनी के पास कोई इनवेंटरी नहीं है। इसलिए खंड 4(ii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों से अथवा को वर्ष के दौरान कंपनी ने ऋण के रूप में न तो कोई ऋण अथवा अग्रिम लिया है और न ही स्वीकृत किया है। इसलिए खंड 4 (III) (क) से (ज) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

4. हमारे दृष्टिकोण में और हमे दी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार जारी पूंजीगत कार्य मद में किए गए व्यय के संबंध में कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप वहां पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां मौजूद हैं। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने जारी पूंजीगत कार्य के संबंध में किए गए व्यय से संबंधित आंतरिक नियंत्रण में बड़ी कमियों को दूर करने में कंपनी की लगातार कोई विफलता नहीं देखी है।

5. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऐसे कोई लेन–देन नहीं किए गए जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है।

6. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके नियमों के अंतर्गत भाग 58क और 58कक के अंतर्गत कंपनी ने जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

7. आंतरिक लेखापरीक्षण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

8. जैसा कि हमें जानकारी है, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित कोई कानून जारी नहीं किया है।

9. (क) कंपनी के रिकॉडो के अनुसार कंपनी आय कर, सेवा कर, यथालागू सीमा तक उप कर और अन्य सांविधिक बकाया राशियों सहित सांविधिक देयताओं सहित सभी अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान संबंधित प्राधिकारियों को सामान्यतः नियमित रूप से किया गया है। हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित सांविधिक देयताओं की बकाया राशि उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर, सेवा कर के संदर्भ में ऐसी कोई भी देय राशि नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा न किया गया हो।

10. कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर हानि संचित नहीं की है हालांकि इस वित्तीय वर्ष में कंपनी को कोई नकद हानि नहीं हुई है।

11. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारा मानना है कि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों अथवा डिबेंचर धारकों को देय राशियों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xi) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

12. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम स्वीकृत नहीं किया है ।

13. कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि / म्यूचुअल लाभ अर्जित करने वाली निधि, न्यास / सोसाइटी नहीं है। अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xiii) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेश में व्यवसाय अथवा कारोबार नहीं करती है। अतः आदेश का पैराग्राफ 4(xiv) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से अन्य लोगों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। अतः कंपनी के पैराग्राफ 4 का खंड (xvi) का प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के तुलन–पत्र की पूर्ण जांच के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अल्पकालिक आधार पर दीर्घावधि निवेश के लिए कोई निधियां अर्जित नहीं की हैं। कंपनी ने दीर्घकालीन निधियों का उपयोग स्थायी पूंजी कार्य को छोड़कर अल्पकालिक संपत्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए नहीं किया है।

18. कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों और कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं ।

20. कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यू जारी कर कोई पूंजी अर्जित नहीं की है।

21. लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पायी गई और न ही प्रबंधन द्वारा इस संबंध में कोई रिपोर्ट की गई है।

कृते आर. पी नारंग एण्ड कंपनी
फर्म पंजीयन संख्या 001794एन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

राहुल खुराना
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 527244

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 मई, 2014

घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र (राशि रूपए में)

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधिया			
(क) शेयर पूंजी	3	**500,000**	500,000
(ख) आरक्षित और अधिशेष निधियां	4	**(54,677)**	(54,729)
		445,323	445,271
(2) गैर–चालू देयताएं			
क) दीर्घकालीन ऋण	5	**155,790,000**	151,800,000
(ख) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	6	**50,107,803**	37,081,638
		205,897,803	188,881,638
(3) चालू देयताएं			
(क) अन्य चालू देयताएं	7	**1,354,201**	657,749
(ख) अल्पकालिक प्रावधान	8	**23**	–
		1,354,224	657,749
योग		**207,697,350**	189,994,658
II. परिसंपत्तियां			
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां			
(क) स्थायी परिसंपत्तियां			
(प) जारी पूंजीगत कार्य	9	**35,553,037**	26,223,797
ख) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	10	**48,160,338**	37,655,786
		83,713,375	63,879,583
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	11	**11,686**	5,814
(ख) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	12	**123,972,289**	126,109,261
		123,983,975	126,115,075
योग		**207,697,350**	189,994,658

निगमित सूचना	1
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	13
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	14 से 36

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान) निदेशक | **(सुबीर मूलचंदानी)** निदेशक | **(ए. के. अग्रवाल)** अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
आर. पी. नारंग एंड कंपनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(फर्म पंजीयन संख्या 001794एन)
राहुल खुराना
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 0527244

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 मई, 2014

घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लाभ और हानि विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
I. प्रचालन से प्राप्त राजस्व		–	–
II. अन्य आय		–	–
आय कर रिफंड पर ब्याज		**75**	–
III. **कुल राजस्व (I+II)**		**75**	–
IV. व्यय		–	–
कुल व्यय		–	–
V. आपवादिक और असाधारण मदे और कर पूर्व लाभ (III-IV)		**75**	–
VI. आपवादिक मदें		–	–
VII. असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (V-VI)		**75**	–
VIII. असाधारण मदें		–	–
IX. कर पूर्व लाभ (VII-VIII)		**75**	–
X. कर संबंधी व्यय			
(1) चालू कर		**23**	–
(2) आस्थगित कर		–	–
XI. जारी प्रचालन से अवधि के लिए लाभ (हानि)/(IX-X)		**52**	–
XII. प्रचालन बाधित होने से लाभ/(हानि)		–	–
XIII. प्रचालन बाधित होने का कर संबंधी व्यय		–	–
XIV. प्रचालन बाधित होने से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (XII-XIII)		–	–
XV. अवधि के लिए लाभ/ (हानि) (XI +XIV)		**52**	–
XVI. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन			
(1) आधारभूत	**27**	–	–
(2) मिश्रित (डाइल्यूटिड)	**27**	–	–

निगमित सूचना	1
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	13
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	14 से 36

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान) निदेशक | **(सुबीर मूलचंदानी)** निदेशक | **(ए. के. अग्रवाल)** अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
आर. पी. नारंग एंड कंपनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(फर्म पंजीयन संख्या 001794एन)
राहुल खुराना
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 0527244

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 मई, 2014

घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	75	–
कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पहले लाभ	75	
निम्नलिखित में वृद्धि/कमी के लिए समायोजन		
अन्य चालू परिसंपत्तियां	(10,504,552)	(11,701,201)
अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	2,136,972	18,019,710
देयताएं और प्रावधान	13,712,640	11,620,383
कर पूर्व प्रचालन से नकद अंतर्प्रवाह/बहिर्प्रवाह		
घटाएं: भुगतान किया गया कर	23	–
प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	5,345,112	17,938,892
ख निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
जारी पूंजीगत कार्य	(9,329,240)	(18,007,959
निवेश संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(9,329,240)	(18,007,959)
ग वित पोषण संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
दीर्घकालीन ऋण/ऋण	3,990,000	–
वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	3,990,000	–
नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में निवल वृद्धि/(कमी) (A+B+C)	5,872	(69,067)
जोडें : वर्ष की शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	5,814	74,881
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य राशि	11,686	5,814
बैंक में जमा राशियां	11,686	5,814

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान) निदेशक | **(सुबीर मूलचंदानी)** निदेशक | **(ए. के. अग्रवाल)** अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
आर पी नारंग एंड कंपनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(फ़र्म पंजीयन संख्या 001794एन)
राहुल खुराना
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 527244

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 मई, 2014

घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. निगमित सूचना

कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड की स्थापना पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार का एक उपक्रम के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी की सहायक कंपनी के रूप में दिनांक 22 मई, 2008 को की गई और कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रमाणपत्र 16 अप्रैल, 2009 को जारी किया गया। वर्ष 2009–10 के दौरान पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) ने घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड (जीआईपीएल) को दिनांक 09 फरवरी, 2010 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) को हस्तांतरित कर दिया। अब यह पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसीएल) के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। कंपनी की स्थापना एक विशेष परियोजनीय वाहन के रूप में की गई जिससे कि उड़ीसा राज्य में 4000 मेगावाट क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) (परियोजना) की स्थापना के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण संबंधी सांविधिक स्वीकृतियों, जिसमें पर्यावरण और वन स्वीकृति, सीआरजेड आदि शामिल हैं, से संबंधित आरंभिक कार्य पूरा करने में सहायता की जा सके।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

(क) तैयारी का आधार

कंपनी सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुरूप अपने वित्तीय विवरण संचित आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार करती है।

(ख) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टाधीन अवधि के लिए रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताएं (आकस्मिक देयताएं सहित) की राशि, राजस्व और व्यय का अनुमान और पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं और/अथवा उन्हें मूर्तरूप दिया जाता है।

(ग) आय / व्यय की मान्यता

आय और व्यय (नीचे दर्शाए अनुसार को छोड़कर) की गणना संचित आधार पर की जाती है। पीएफसी / पीएफसीसीएल को देय अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के विकास हेतु परामर्श और व्यावसायिक सेवा शुल्क की गणना कंपनी को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किए जाने वाले वर्ष (जब कभी देय होगी) में की जाएगी।

(घ) स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां चालू / संचित मूल्यह्रास संबंधी हानियों, यदि कोई हैं को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शायी जाती हैं। कंपनी सभी प्रत्यक्ष लागतों को पूंजीकृत करती है जिसमें ऐसी परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक ऋण लागत शामिल हैं।

(ङ) मूल्यह्रास / ऋणमोचन अवधि

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का लाभ कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति द्वारा प्रो राटा आधार पर प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान 5000 रूपए तक की लागत वाली अधिग्रहीत स्थाई परिसंपत्तियों के आइटमों का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

(च) जारी पूंजीगत कार्य

भूमि सर्वेक्षण / अध्ययन / अन्वेषण / परामर्श / प्रशासन / मूल्यह्रास / ब्याज आदि पर किए गए व्यय को जारी पूंजीगत कार्य के रूप में माना गया है।

(छ) ऋण

परियोजना के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय का वित्तपोषण धारक कंपनी / खरीदारों द्वारा किया जाता है और उसे अप्रतिभूत दीर्घकालीन ऋण के रूप में माना जाता है। उनके द्वारा जारी की गई निधियों पर ब्याज की वसूली की गई है।

(ज) ऋण और अग्रिम

धारक कंपनी (पीएफसी) के पास कंपनी द्वारा रखी गई अधिशेष निधि को अल्पकालिक ऋण और अग्रिमों के रूप में माना गया है और धारक कंपनी से ऐसी निधियों पर ब्याज का दावा किया गया है।

(झ) निवेश

निवेश लागत आधार पर दर्शाए जाते हैं।

(ञ) ऋण लागत

ऋण लागत की वसूली लाभ और हानि विवरण में पूंजीगत परिसंपत्तियों को छोड़कर उस वर्ष में की जाती है जिसमें यह ऋण लिया गया है और जिसका पूंजीकरण परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक किया जाता है।

(ट) आरंभिक व्यय

आरंभिक व्यय को उस वर्ष में ट्टे खाते में डाला जाता है जिसमें ऐसा व्यय किया गया है।

(ठ) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, परंतु उन्हें नोट के रूप में प्रकट किया जाता है।

(ड) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण पर संशोधित लेखांकन मानक – 3 में विहित प्रत्यक्ष प्रद्धति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है

नोट सं. 3 शेयर पूंजी

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत :		
प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर		
प्रत्येक 10 रूपए के 50000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रूपए के 50000 इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
कुल जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूंजी	500,000	500,000

(क) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का मिलान

इक्विटी शेयर	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार शेयरों की संख्या	राशि (रूपए में)	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार शेयरों की संख्या	राशि (रूपए में)
वर्ष की शुरूआत में	50,000	500,000	50,000	500,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी	–	–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया	50,000	500,000	50,000	500,000

ख इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य 10 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट देने के लिए पात्र है।

कंपनी के परिसमापन के मामले में इक्विटी शेयर धारक सभी प्राथमिक राशियों के विवरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह वितरण शेयर धारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

ग धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर

कंपनी द्वारा जारी किए गए 50,000 इक्विटी शेयरों में से इसकी धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर निम्नानुसार हैं:

	राशि (रूपए में) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*		
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्ण प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 50,000)	500,000	500,000

(घ) कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के विवरण

	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार शेयरों की संख्या श्रेणी में धारिता का %		31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार शेयरों की संख्या श्रेणी में धारिता का %	
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर				
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*	50,000	100%	50,000	100%
योग	50,000	100%	50,000	100%

* इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नामितियों द्वारा अपने पास रखे जाते हैं।

नोट सं. 4 आरक्षित और अधिशेष निधियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
लाभ और हानि लेखे विवरण में अधिशेष राशि		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया	(54,729)	(54,729)
वर्ष के लिए लाभ	52	–
वर्ष के अंत में बकाया	(54,677)	(54,729)
योग	(54,677)	(54,729)

नोट सं. 5 दीर्घकालिक ऋण

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत)		
प्रतिबद्धता अग्रिम		
बंगलौर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (बीईएससीएल)	35,000,000	35,000,000
आंध्र प्रदेश की केंद्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	8,800,000	8,800,000
आंध्र प्रदेश की पूर्व विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	3,000,000	3,000,000
पांडिचेरी सरकार	7,000,000	7,000,000
मिजोरम सरकार	4,000,000	4,000,000
केरल राज्य विद्युत बोर्ड	19,000,000	19,000,000
आंध्र प्रदेश की उत्तर विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	3,000,000	3,000,000
तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	80,000,000	80,000,000
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	12,000,000	12,000,000
मणिपुर सरकार	3,990,000	–
योग	155,790,000	151,800,000

अप्रतिभूत ऋण के लिए पुनर्भुगतान की शर्तें

अन्य ऋण और अग्रिम	सफल बोलीदाता को कंपनी के स्थानांतरण की तारीख से 15 दिन के भीतर पुर्नभुगतान हेतु देय

नोट सं. 6 अन्य दीर्घकालीन देयताएं

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
दीर्घ कालीन ऋणों पर संचित ब्याज, परन्तु देय नहीं	50,107,803	37,081,638
योग	50,107,803	37,081,638

नोट सं. 7 अन्य चालू देयताएं

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य देय राशियां		
सांविधिक देयताएं (स्रोत पर कर की कटौती)	1,299,217	623,507
देय व्यय	54,984	44,242
योग	1,354,201	667,749

नोट सं. 8 अल्प कालिक प्रावधान

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य देय राशियां		
आयकर के लिए प्रावधान	23	–
योग	23	–

नोट सं. 9 जारी पूंजीगत कार्य

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
जारी प्रारंभिक पूंजीगत कार्य	26,223,797	8,215,838
जोडें : निर्माण अवधि के दौरान व्यय से स्थानांतरित (नोट– 13)	9,329,240	18,007,959
योग	35,553,037	26,223,797

नोट सं. 10 अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
संबंधित पक्षकारों से प्राप्त होने वाला, परंतु देय नहीं ब्याज (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि., धारक कंपनी)	48,160,338	37,655,786
योग	48,160,338	37,655,786

नोट सं. 11 नकदी और नकदी समतुल्य राशियां (राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
बैंकों में बकाया राशियां		
चालू खाते में	11,686	5,814
योग	11,686	5,814

नोट सं. 12 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अप्रतिभूत और शोध्य माना गया		
संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम		
– पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी)	123,722,448	126,106,774
अन्य		
स्रोत पर कर की कटौती, वापसी योग्य	249,841	2,487
योग	123,972,289	126,109,261

नोट सं. 13 निर्माण अवधि के दौरान व्यय (राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	
(क) व्यय				
जन–शक्ति प्रभार	2,031,521		13,446,479	
लेखापरीक्षक को भुगतानः–लेखापरीक्षक के रूप में	49,158		73,737	
कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	49,347		52,589	
परामर्श प्रभार	277,752		564,841	
विज्ञापन व्यय	341		258,746	
सम्मेलन और बैठक व्यय	10,438		101,124	
दौरा और यात्रा व्यय	19,173		534,038	
कार्यालय रखरखाव	374,499		298,663	
वाहन किराया प्रभार	175,895		92,526	
सुरक्षा संबंधी व्यय	188,412		136,269	
उपयोग किए गए अंश पर ब्याज	3,567,245		1,871,590	
उपयोग न किए गए अंश पर ब्याज	10,753,221		11,702,373	
घटाएं : उपयोग न किए गए	10,753,221	3,567,245	11,702,373	1,871,590
अंश पर ब्याज से आय				
आउटसोर्सिंग व्यय	2,339,661		347,446	
मुद्रण और स्टेशनरी	183,470		170,698	
अन्य प्रशासनिक व्यय	62,328		59,213	
योग		9,329,240		18,007,959

14. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कंपनी को विद्युत की खरीद करने वाली कंपनियों (खरीदारों) से संगत खरीदारों और सफल बोलीदाता के साथ विद्युत खरीद करार के माध्यम से परियोजना के पूर्ण होने पर विद्युत के विनिर्दिष्ट भाग के आबंटन के विरूद्ध अंशदान के रूप में 40,00,00,000 रूपए का संपूर्ण प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त होना है। खरीदारों से 15,57,90,000 रुपए (गत वर्ष 15,18,00,000/–) की राशि प्राप्त हुई है और 24,42,10,000 रुपए की राशि अभी विभिन्न राज्यों से प्राप्त होनी है, जिसमें आंध्र प्रदेश (42,00,000 रूपए), उड़ीसा (20,00,00,000 रूपए), झारखंड (3,50,00,000 रूपए), मणिपुर (10,00,000 रूपए) और त्रिपुरा (50,00,000 रूपए) शामिल है । प्राप्त किए गए उपर्युक्त प्रतिबद्धता अग्रिम को तुलन–पत्र में दीर्घकालिक ऋण के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी उपर्युक्त प्रतिबद्धता अग्रिम पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु कंपनी / धारक कंपनी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस प्रतिबद्धता अग्रिम पर ब्याज का भुगतान किया गया है। वित्तपोषण करार की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त प्रतिबद्धता अग्रिम और उस पर संचित ब्याज की राशि सफल बोलीदाता को धारक कंपनी द्वारा कंपनी के हस्तांतरण की तारीख से 15 दिन के भीतर खरीदारों को देय होगी।

15. पीएफसी और कंपनी के बीच वित्त पोषण करार के अनुसार कंपनी की ओर से परियोजना के लिए किए जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिए प्राप्त कुल 15,57,90,000 रुपए के प्रतिबद्धता अग्रिम और प्रतिबद्धता अग्रिम की खर्च न की गई शेष राशि को अल्पकालिक ऋण और अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज को जमा राशि के रूप में निवेश करने / धारित करने हेतु धारक कंपनी (पीएफसी) को दिया गया जिसे तुलन–पत्र में अल्पकालिक ऋण और अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है और उस पर देय ब्याज को तुलन–पत्र में अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

16. कंपनी पीएफसी को अपनी ओर से किए गए व्यय पर ब्याज का भुगतान करने के साथ–साथ धारक कंपनी की नीति के अनुसार निर्धारित दरों पर प्रतिबद्धता अग्रिम को परियोजना के लिए प्रयोग में लाई गई और उपयोग न की गई निधियों के रूप में विभाजित कर प्रतिबद्धता अग्रिम पर खरीदारों को भी ब्याज का भुगतान करती है। प्रयोग में लाई गई निधियों पर प्रभारित ब्याज की दर पीएफसी में "राज्य क्षेत्र के कर्जदार (श्रेणी 'क')" के अंतर्गत ऋणकर्ताओं के लिए समय–समय पर निर्धारित परियोजना ऋण / योजना (उत्पादन) हेतु लागू दरों के समतुल्य है और उपयोग न की गई राशि पर ब्याज दर पीएफसी से प्राप्त / देय ब्याज "पीएफसी की मासिक औसत अल्पकालिक जमा दर" के अनुरूप है। उपयोग न की गई निधियों पर ब्याज पीएफसी से देय है और उसका भुगतान खरीदारों को किया जाता है। इस वर्ष के लिए खाताबही में ब्याज संबंधी व्यय 1,43,20,466 रूपए (गतवर्ष 1,35,73,963 रूपए) की गणना की गई है, जिसमें उपयोग न की गई राशि पर 1,07,53,221 रूपए (गतवर्ष 1,17,02,373 रूपए) और उपयोग की राशि पर 35,67,245 रूपए (गतवर्ष 18,71,590 रूपए) की राशि शामिल है । उपयोग किए गए अंश पर ब्याज को पूंजीकृत किया गया है । देय ब्याज को अन्य दीर्घकालीन देयताओं को शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

17. परियोजना की स्थापना की योजना के अनुसार योजना की संभावनाएं तलाशने और आरंभिक खुदाई संबंधी कार्य के लिए संपूर्ण व्यय की वसूली परियोजना के सफल बोलीदाता से इसकी धारक कंपनी (पीएफसी) से कंपनी की 100: इक्विटी शेयर धारिता की खरीद हेतु अधिग्रहण मूल्य के रूप में की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप किए जाने वाले शेयर खरीद करार की शर्तों के अनुसार कंपनी और इसकी सभी परिसंपत्तियों और देयताएं को सफल बोलीदाता को स्थानांतरित माना जाएगा।

18. कंपनी ने पीएफसी / पीएफसीसीएल द्वारा प्रदान की गई परामर्श और व्यावसायिक सेवाओं के लिए पीएफसी / पीएफसीसीएल को शुल्क के रूप में 50,00,00,000 रूपए और लागू करों की राशि का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। पीएफसी/पीएफसीसीएल को देय परामर्श और व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु शुल्क परियोजना के लिए सफल बोलीदाता का चयन हो जाने और सफल बोलीदाता को कंपनी के हस्तांतरण पर ही देय होगा। इसलिए पीएफसी/ पीएफसीसीएल को देय शुल्क के लिए देयता विषयक कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि यह राशि कंपनी के स्थानांतरण के मामले में सफल बोलीदाता को कंपनी के हस्तांतरण वाले वर्ष में प्रभारित की जाएगी।

19. बोली प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात धारक कंपनी द्वारा कंपनी के शेयर परियोजना के सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किए जाएंगे। कंपनी की शत प्रतिशत 100:द्ध शेयरधारिता की खरीद और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को अपने स्वामित्व में लेने के लिए अधिग्रहण मूल्य के रूप में सफल बोलीदाता द्वारा देय कुल राशि खाताबही मूल्य के समतुल्य होगी।

20. कंपनी के लिए सभी कार्य पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा किया जा रहा है। पीएफसीसीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक के अनुसार कंपनी के लिए कार्मिकों द्वारा वास्तविक रूप से बिताए गए कार्य दिवसों के आधार पर कंपनी की लागत के अनुसार पीएफसीसीएल द्वारा प्रभारित अपने कार्मिकों की जनशक्ति लागत के रूप में 20,31,521 रूपए (गत वर्ष 134,46,479 रूपए) का जनशक्ति प्रभार वसूल किया गया और इसमें श्री योगेश जुनेजा का शून्य रुपए (गत वर्ष 2,600 रूपए), श्री पी. पी. श्रीवास्तव (निदेशक) का शून्य रूपए (गत वर्ष 1,59,250 रूपए) और श्री आर रहमान (निदेशक) का 5,71,508 रुपए (गत वर्ष 4,33,875 रुपए) प्रभार शामिल है। पीएफसी अपने द्वारा आबंटित व्यय के संबंध में लागू स्रोत पर कर की कटौती संबंधी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है।

21. अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शाए गए व्यय मुख्य रूप से पीएफसी / पीएफसीसीएल द्वारा एसपीवी को आबंटित किए जाते हैं । एसपीवी से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय 100: आधार पर तथा साझा व्यय विभिन्न एसपीवी और सेवाओं के आबंटन के बीच होता है। पीएफसी / पीएफसीसीएल द्वारा किए गए ऐसे व्यय के संदर्भ में मूल सहायक बिल पीएफसी / पीएफसीसीएल के नाम पर होते हैं और उनके पास ही रखे जाते हैं जिनकी प्रतियां कंपनी के पास भी उपलब्ध हैं । पीएफसी / पीएफसीसीएल इन कंपनियों के लिए यथालागू "स्रोत पर कर की कटौती और सेवा कर आदि" से संबंधित सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन कर रही हैं ।

22. पूंजीकृत किए जाने हेतु आवश्यक सभी व्यय सहित निर्माण अवधि के दौरान व्यय (नोट 13) से संबंधित विवरण तैयार किए गए हैं और उन्हें जारी पूंजीगत कार्य शीर्ष में शामिल किया गया है।

23. निदेशक मंडल के दृष्टिकोण से कंपनी के व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर तुलन–पत्र में यथाउल्लिखित अन्य चालू परिसंपत्तियों और ऋण तथा अग्रिमों के संबंध में यह अपेक्षित है कि उनकी राशि कम से कम उतनी अवश्य दर्शाई जाए जितनी बताई गई है।

24. चूंकि कंपनी में कोई कार्मिक नहीं हैं, अतः लेखांकन मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार बाध्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

25. कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक धारक कंपनी अर्थात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी) और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी) से हैं और उन्हें अशंकालिक आधार कंपनी में तैनात किया गया।

31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार ऐसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पदावधि समाप्त होने की तारीख
1	श्री ए. के. अग्रवाल	अध्यक्ष	01.10.2013	जारी
2.	श्री सुबीर मूलचंदानी	निदेशक	22.05.2008	जारी
3.	श्री आर. रहमान	निदेशक	06.11.2012	जारी
4.	श्री योगेश जुनेजा	निदेशक	30.12.2009	जारी
5.	श्री एम. के. गोयल	अध्यक्ष	17.12.2008	01.10.2013

26. लेखांकन मानक 18 – "संबंधित पक्षकार प्रकटन" के अनुसार प्रकटन;

घोगरपल्ली इंटीग्रेटीड पावर कंपनी लिमिटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय घोगरपल्ली इंटीग्रेटीड पावर कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं जिन पर पीएफसी / पीएफसीसीएल के नामितियों का नियंत्रण होता है।

लेखाओं में दर्शाए अनुसार और प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित अवधि के दौरान संबंधित पक्षकारों के खातों में बकाया अधिकतम क्रेडिट (डेबिट) के विवरण निम्नानुसार हैं :

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड चालू वर्ष – 130,096,774 रूपए
(गत वर्ष – 144,127,656 रूपए)

(क) संबंधित पक्षकारों के नाम और उनके साथ संबंधों के विवरण निम्नानुसार हैं

क्रम सं.	संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति :
1.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	धारक कंपनी
2.	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
3.	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
4.	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
5.	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
6.	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
7.	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
8.	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
9.	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
10.	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
11.	पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
12.	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
13.	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
14.	उड़ीसा इंफ्रापावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
15.	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
16.	डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
17.	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12.03.2014 तक उद्यम सामूहिक नियंत्रणाधीन
18.	पेट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	13.11.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
19.	पुरुलिया खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	09.12.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
20.	दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	10.12.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
21.	बल्लभगढ़ –जीएन ट्रांसमिशन	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
22.	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम

संबंधित पक्षकार लेनदेन केवल धारक कंपनी (पीएफसी) के साथ ही किए गए है। विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थति के अनुसार
1.	वर्ष के लिए ब्याज आय	1,07,53,221	1,17,02,373
2.	जनशक्ति प्रभार*	20,31,521	1,34,46,479
3.	**इतिशेष बकाया राशि**		
(क)	प्राप्त होने वाला ब्याज (टीडीएस के निवल रूप में)	4,81,60,338	3,76,55,786
(ख)	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	12,37,22,448	12,61,06,774

*पीएफसीसीएल द्वारा प्रभारित

27. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत "प्रतिशेयर अर्जन" पर अधिसूचित लेखांकन मानक – 20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन आधारभूत और मिश्रित (डाइल्यूटिड), की गणना निम्नानुसार की जाती है:

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थति के अनुसार
1	शेयर का सामान्य मूल्य (रूपए)	10	10
2	इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या)	50,000	50,000
3	कर पश्चात निवल लाभ (रूपए)	52	–
4	प्रति शेयर अर्जन (रूपए)	–	–

28. (i) पूंजी लेखा पर क्रियान्वित करने हेतु शेष बची संविदाओं की अनुमानित और उपलब्ध न कराई गई राशि शून्य रूपए है।

(ii) कंपनी की आकस्मिक देयताएं और अवधि के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार कंपनी के विरूद्ध उसके द्वारा स्वीकार न किए गए दावों की राशि शून्य रूपए है।

29. लेखापरीक्षकों का मेहनताना (सेवा कर सहित)

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थति के अनुसार
1.	लेखापरीक्षा शुल्क	49,158	73,737

30. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के अंतर्गत अधिसूचित सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है। हालांकि, आस्थगित कर देयता / समय अंतराल से संबंधित परिसंपत्ति संबंधी लेखांकन मानक–22 इस तथ्य के आलोक में कंपनी के लिए लागू नहीं होता है कि कंपनी अभी भी निर्माण चरण पर है और अभी इसका प्रचालन शुरू किया जाना है।

31. कंपनी अभी प्रचालनरत नहीं है, तथापि कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देयताएं को चालू और गैर चालू के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 12 माह की अवधि के अंतराल को अपनाया है ।

32. कंपनी के पास वर्ष के अंत में लघु उद्योग (स्माल–स्केल) यूनिटों की कोई बकाया राशियां नहीं हैं, अतः ब्याज का कोई प्रावधान बनता ही नहीं है। इसके अलावा, प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत शामिल उद्यमों को देय कोई भी बकाया राशियां नहीं हैं।

33. कंपनी अधिनियम, 1956 की नई अनुसूची VI के भाग– II के पैराग्राफ 5 (ii), (iii) और (viii) के प्रावधानों के अनुरूप ज्यादातर अतिरिक्त सूचना कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि परियोजना अभी भी विकास चरण पर है और कंपनी को अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप अभी शुरू करने हैं। लागू सूचना निम्नानुसार उपलब्ध करायी गई है :

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय – शून्य (गत वर्ष शून्य)
(ख) विदेशी विनिमय से आय – शून्य (गत वर्ष शून्य)

34. कंपनी ने दीर्घकालिक ऋण (प्रतिबद्धता अग्रिम), देय ब्याज, प्राप्त होने वाले ब्याज आदि के शीर्ष के अंतर्गत शामिल विभिन्न पक्षकारों को कंपनी की खाताबही के अनुसार उनकी बकाया राशियों की पुष्टि के लिए पत्र भेजे हैं जिसके संबंध में कुछ संगत पक्षकारों से इसकी पुष्टि अभी प्राप्त होनी है। परन्तु संगत पक्षकारों से अभी तक इसकी कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

35. अन्यथा उल्लेख न किए जाने की स्थिति में आंकड़ों को निकटतम रूपए के रूप में राउंडऑफ कर दिया गया है।

36. कंपनी ने आवश्यक होने पर चालू के वर्ष के वर्गीकरण के साथ पुष्टि के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत /री–ग्रुप किया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान) निदेशक
(सुबीर मूलचंदानी) निदेशक
(ए. के. अग्रवाल) अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
आर पी नारंग एंड कंपनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(फर्म पंजीयन संख्या 001794एन)
राहुल खुराना
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 527244

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 मई, 2014

तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी)

निदेशक रिपोर्ट 2013–14

सेवा में,

सदस्यगण

निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए आपकी कंपनी के निष्पादन पर चौथी (5वीं) वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण और 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रचालनात्मक कार्यकलाप

आपकी कंपनी की स्थापना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में 17 अप्रैल, 2009 को एक विशेष प्रयोजनीय वाहन के रूप में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के नयूनीपल्ली गांव में 4000 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) के लिए विकासात्मक कार्य करने हेतु की गई। विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के निदेशानुसार 9 फरवरी, 2010 को शेयरों का हस्तांतरण पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किए जाने के पश्चात आपकी कंपनी पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी हो गई।

आंध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) ने दिनांक 3.12.2013 के पत्र द्वारा विद्युत मंत्रालय (एमओपी) को बताया है कि जीओएपी ने आंध्र प्रदेश राज्य में 4000 मेगावाट के द्वितीय यूएमपीपी के साथ आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 02.01.2014 के पत्र द्वारा पीएफसी से परियोजना को बंद करने संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है चूंकि जीओएपी ने परियोजना के साथ आगे बढ़ने से मना किया है।

परियोजना को बंद करने तथा कंपनी के साथ काम करने की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

वित्तीय समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रारंभ नहीं किए हैं। तथापि, वर्ष के दौरान कंपनी ने परियोजना के विकास में 34.47 लाख रूपए की राशि खर्च की है जिसे जारी पूंजीगत कार्य मद में स्थानांतरित किया गया है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी द्वारा कुल 9.82 करोड़ रूपए का व्यय किया गया है।

लाभांश

चूंकि आपकी कंपनी ने अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू नहीं किए हैं, अतः कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 की अवधि के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

शेयर पूंजी

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5,00,000 रूपए (जिसमें प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं) है। वर्ष के दौरान कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसीएल) और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखी गई।

प्रतिबद्धता अग्रिम

40.00 करोड़ रुपए के कुल प्रतिबद्धता अग्रिम में से समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को विद्युत की खरीद करने वाले राज्यों (खरीदारों) से 20.00 करोड़ रूपए का प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त हुआ है। 20.00 करोड़ रुपए के प्रतिबद्धता अग्रिम मेजबान आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि अब परियोजना त्याज्य है, परियोजना पर किए गए व्यय को कंपनियों द्वारा प्रतिबद्धता अग्रिम के रूप में किए गए/किए जाने वाले अंशदान के विरूद्ध परियोजना में आबंटित उनकी विद्युत की हिस्सेदारी के अनुपात में प्रभारित किया गया है और समायोजन के पश्चात किसी अधिशेष/घाटे को संगत कंपनियों से मांग की जाएगी/को लौटाया जाएगा।

सावधि जमा

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 कोई भी सावधि जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाली आय और बहिर्गमन

चूंकि कंपनी के प्रचालन में कोई भी विनिर्माण अथवा संसाधन गतिविधियां शामिल नहीं है, अतः कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी विवरण लागू नहीं हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय से कोई भी अर्जन अथव बहिर्गमन नहीं हुआ है।

लेखापरीक्षक

मैसर्स एसवीपी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा वित्त 2013–14 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी के लेखाओं पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी, अवलोकन अथवा अर्हता नहीं हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कार्मिकों के विवरण

कंपनी के अपने रोल में कोई भी कार्मिक नहीं है। अतः कंपनी (कार्मिकों के विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत यथा निर्धारित कार्मिकों के विवरण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

निदेशक

निदेशकों की अंतिम रिपोर्ट की तारीख से पावर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पीएफसी), धारक कंपनी द्वारा जारी किए गए कार्यालय आदेश के अनुक्रम में श्री एम के गोयल के स्थान पर श्री ए के अग्रवाल को 01 अक्टूबर, 2013 से कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपका निदेशक मंडल कंपनी के निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री पी. पी. श्रीवास्तव द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी हार्दिक से प्रशंसा करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के प्रावधानों के अनुसार श्री ए के अग्रवाल आगामी वार्षिक आम बैठक तक अपने पद पर बने रहेंगे। निदेशक मंडल सिफारिश करता है कि श्री ए के अग्रवाल को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए जवाबदेह हैं।

वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंड़ल में निम्नलिखित सदस्य हैं :

1	श्री ए के अग्रवाल	अध्यक्ष
2	श्री सुबीर मूलचंदानी	नदेशक
3	श्री योगेश जुनेजा	निदेशक
4	श्री आर रहमान	निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के प्रावधानों के अनुसार श्री योगेश जुनेजा, निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते उनकी पुनर्नियुक्ति हेतु उन्हें प्रस्ताव दिया जाएगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

सी एंड एजी ने अपने दिनांक 02 जुलाई, 2014 के पत्र के जरिए उल्लेख किया है कि उन्होंने 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इस संबंध में सी एंड एजी द्वारा जारी किए गए पत्र की प्रति अनुबंध – 1 में दी गई है।

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत यथावश्यक आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और वास्तविक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि वित्तीय वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया है।
- चूंकि परियोजना विद्युत मंत्रालय के दिनांक 2.1.2014 के निर्देश के अनुसार बंद होनी है, वित्तीय विवरण एक जारी (निरंतर कार्यरत) कंपनी के रूप में तैयार नहीं किए गए हैं।

स्वीकारोक्ति

निदेशक केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रति कंपनी को उनके द्वारा दी गई सहायता, किए गए उत्साहवर्धन हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कंपनी विशेषरूप से भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, सांविधिक लेखापरीक्षकों और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रति उनके निरंतर सहयोग, सुझाव और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है।

निदेशक मंड़ल के लिए और उनकी ओर से
हस्ता/–

(ए के अग्रवाल)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

अनुबंध 1

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि ये कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 23 मई, 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(तनुजा एस मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा और
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड – III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02 जुलाई, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र और लाभ तथा हानि विवरण के साथ–साथ उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए संलग्न नगदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरण से युक्त सूचना तथा टिप्पणियां शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संदर्भ में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सितंबर, 2013 के सामान्य परिपत्र संख्या 15/2013 द्वारा पठित अधिनियम के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी, डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का कार्यान्वयन और संगत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के अंतर्गत यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों । इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक कंपनी की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है जिससे कि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सके जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं । किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार संलग्न वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम द्वारा यथावश्यक सूचना विहित ढंग से इस प्रकार से प्रदान करते हैं जिससे कि वे भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकें :

(i) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति;

(ii) लाभ और हानि विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का शून्य (लाभ/हानि) और

(iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण।

जारी संबंधित पूर्वानुमान

हम वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं:

(i) नोट सं. 14 (क), 14 (ख) और 14 (ग) : विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 02 जनवरी, 2014 के पत्र संख्या 12/09/2008–यूएमपीपी के जरिए सूचित किया था कि आंध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) ने अपने दिनांक 03.12.2013 के पत्र संख्या 9072/पीआर. IV/2010–1 के जरिए उपर्युक्त परियोजना को आगे न बढ़ाने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया है। उपर्युक्त के आलोक में विद्युत मंत्रालय ने परियोजना को बंद करने का निश्चय किया है और नोट सं. 14 (ख) में किए गए प्रकटन के अनुसार वित्तीय विवरण जारी प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं।

(ii) नोट नं. 16; 25 अप्रैल, 2014 को आयोजित बैठक में बोर्ड के निर्णय के अनुसार उपयोग किए गए भाग पर ब्याज संबंधी देयता को प्रत्यावर्तित दर्शाया गया है, क्योंकि सफल बोलीदाता से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिबद्धता अग्रिम के उपयोग किए गए भाग पर ब्याज संबंधी किसी देयता का प्रावधान नहीं किया गया है।

(iii) चूंकि कंपनी की लेखा बही जारी प्रतिष्ठान आधार पर तैयार नहीं की गई हैं, अतः कंपनी के पास 20,00,00,000 रुपए के दीर्घकालिक ऋण के साथ–साथ कंपनी को बंद किए जाने तक उपर्युक्त ऋण पर देय ब्याज संबंधी देयता होगी। हमें यह सूचित किया गया है कि आज की तारीख तक किए गए कुल पूंजीकृत व्यय को प्रतिबद्धता अग्रिम की राशि से प्रभारित किया जाना है और ऐसे समायोजन के पश्चात किसी अधिशेष संगत खरीदार को लौटाया जाएगा /कमी को पूरा करने के लिए उससे मांग की जाएगी।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनियां (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 द्वारा संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के अनुसार यथावश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में कंपनी के लिए लागू सीमा के अनुसार उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ्राफ 4 और 5 में विर्निदिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

2. अधिनियम, की धारा 227 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

   (ख) हमारे दृष्टिकोण से जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई और रखी गई है;

   (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं अर्थात उनसे मेल खाते हैं;

   (घ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग 133 के मामले में व्यवसाय मामला मंत्रालय के जनरल सर्कुलर 15/2013 दिनांक 13 सितंबर, 2013 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम में संदर्भित लेखांकन मानकों के साथ सभी वास्तविक संदर्भों में उनके अनुरूप हैं; और

   (ङ.) वित्त मंत्रालय, कंपनी मामला विभाग द्वारा जारी सूचना संख्या जी एस आर 829 (ङ) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते, निदेशकों की अनर्हता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खंड (छ) की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं है

कृते एसवीपी एंड एसोसिएट्स
(फर्म पंजीयन संख्या 003838एन)
चार्टर्ड एकांउटेंट्स ।

सीए तरूण कंसल
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084751

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ (1) में 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' वाले भाग में संदर्भित)

1. कंपनी के पास जारी पूंजीगत कार्य के अलावा कोई स्थाई परिसंपत्तियां नहीं हैं । इसलिए खंड 4(i) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

2. कंपनी के पास कोई इनवेंटरी नहीं है । इसलिए खंड 4(ii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों से अथवा को वर्ष के दौरान कंपनी ने ऋण के रूप में न तो कोई ऋण अथवा अग्रिम लिया है और न ही स्वीकृत किया है। इसलिए खंड 4 (iii) (क) से (ज) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

4. हमारे दृष्टिकोण में और हमे दी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार जारी पूंजीगत कार्य मद में किए गए व्यय के संबंध में कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप वहां पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां मौजूद हैं। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने जारी पूंजीगत कार्य के संबंध में किए गए व्यय से संबंधित आंतरिक नियंत्रण में बड़ी कमियों को दूर करने में कंपनी की लगातार कोई विफलता नहीं देखी है।

5. हमारे द्वारा अपनाई गई लेखांकन प्रकिया और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऐसे कोई लेन–देन नहीं किए गए जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है।

6. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके नियमों के अंतर्गत भाग 58क और 58 क क के अंतर्गत कंपनी ने जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

7. आंतरिक लेखापरीक्षण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

8. जैसा कि हमें जानकारी है, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित कोई कानून जारी नहीं किया है।

9. (क) कंपनी के रिकॉर्डों के अनुसार कंपनी आय कर, सेवा कर, यथालागू सीमा तक उप कर और अन्य सांविधिक बकाया राशियों सहित सांविधिक देयताओं सहित सभी अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान संबंधित प्राधिकारियों को सामान्यतः नियमित रूप से किया गया है। हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित सांविधिक देयताओं की बकाया राशि उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए देय नहीं है।

   (ख) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर, सेवा कर के संदर्भ में ऐसी कोई भी देय राशि नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा न किया गया हो।

10. कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर हानि संचित नहीं की है हालांकि इस वित्तीय वर्ष में कंपनी को कोई नकद हानि नहीं हुई है।

11. अवधि के दौरान किसी भी वित्तीय सुविधा, बैंक अथवा डिबेंचर धारक को कोई भी बकाया देय नहीं है। बैंकों अथवा डिबेंचर धारकों को देय है। अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xi) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

12. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और कंपनी के रिकॉर्डों के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम स्वीकृत नहीं किया है ।

13. हमारी राय में कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि / म्यूचुअल लाभ अर्जित करने वाली निधि, न्यास / सोसाइटी नहीं है। अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xiii) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

14. चूंकि कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेश में व्यवसाय अथवा कारोबार नहीं करती है। अतः आदेश का पैराग्राफ 4(xiv) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से अन्य लोगों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। अतः कंपनी के पैराग्राफ 4 का खंड (xvi) का प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के तुलन–पत्र की पूर्ण जांच के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अल्पकालिक आधार पर दीर्घावधि निवेश के लिए कोई निधियां अर्जित नहीं की हैं। कंपनी ने दीर्घकालीन निधियों का उपयोग स्थायी पूंजी कार्य को छोड़कर अल्पकालिक संपत्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए नहीं किया है।

18. कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों और कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं ।

20. कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यू जारी कर कोई पूंजी अर्जित नहीं की है।

21. लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पायी गई और न ही प्रबंधन द्वारा इस संबंध में कोई रिपोर्ट की गई है।

कृते एसवीपी एंड एसोसिएट्स
(फर्म पंजीयन संख्या 003838एन)
चार्टर्ड एकांउटेंट्स

सीए तरूण कंसल
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084751

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधियां			
(a) शेयर पूंजी	3	500,000	500,000
(b) आरक्षित और अधिशेष निधियां	4	(29,401)	(29,459)
		470,599	470,541
(2) गैर–चालू देयताएं			
(क) दीर्घकालीन ऋणं	5	-	200,000,000
(ख) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	6	-	46,042,931
		-	246,042,931
(3) चालू देयताएं			
(क) अन्य चालू देयताएं	7	196,717,502	929,687
		196,717,502	929,687
योग		197,188,101	247,443,159
II. परिसंपत्तियां			
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां			
(क) स्थायी परिसंपत्तियां			
(प) जारी पूंजीगत कार्य	8	-	94,799,121
ख) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	9	-	30,218,088
		-	125,017,209
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	10	13,153	5,311
(ख) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	11	118,320,116	122,420,639
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	78,854,832	-
		197,188,101	122,425,950
योग		197,188,101	247,443,159
निगमित सूचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	13		
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	14 से 32		

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान) निदेशक | **(सुबीर मूलचंदानी)** निदेशक | **(ए. के. अग्रवाल)** अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
एसवीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(फर्म पंजीयन संख्या 003838एन)

सीए तरूण कंसल
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084751

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लाभ और हानि विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
I. प्रचालन से प्राप्त राजस्व		-	-
II. अन्य आय			
आयकर रिफंड पर ब्याज		84	-
III. कुल राजस्व (I+II)		84	-
IV. व्यय		-	-
कुल व्यय		-	-
V. आपवादिक और असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (III-IV)		84	-
VI. साधारण मदें		-	-
VII. असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (V-VI)		84	-
VIII. असाधारण मदें		-	-
IX. कर पूर्व लाभ (VII-VIII)		84	
X. कर संबंधी व्यय			
(1) चालू कर		26	-
(2) आस्थगित कर		-	
XI. प्रचालन जारी रहने से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (IX-X)		58	
XII. प्रचालन बाधित होने से लाभ/(हानि)		-	
XIII. प्रचालन बाधित होने पर कर संबंधी व्यय		-	
XIV. प्रचालन बाधित होने से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (XII-XIII)		-	
XV. अवधि के लिए लाभ/(हानि) (XI +XIV)		58	
XVI. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन			
(1) आधारभूत	27	-	-
(2) मिश्रित (डाइल्यूटिड)	27	-	-
निगमित सूचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	13		
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणिया	14 से 32		

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान) निदेशक | **(सुबीर मूलचंदानी)** निदेशक | **(ए. के. अग्रवाल)** अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
एसवीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(फर्म पंजीयन संख्या 003838एन)

सीए तरूण कंसल
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084751

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	**84**	–
कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	**84**	–
निम्नलिखित में वृद्धि/कमी के लिए समायोजन		
अन्य चालू परिसंपत्तियां	**47,885,603**	(10,972,3339)
ऋण और अग्रिम	**4,100,523**	12,067,734
देयताएं और प्रावधान	**(48,531,890)**	17,023,488
कर पूर्व प्रचालन से नकद अंतर्प्रवाह/ बहिर्प्रवाह	**3,454,320**	18,118,889
घटाएं: भुगतान किया गया कर	**28**	–
प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	**3,454,294**	18,118,889
ख निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
जारी पूंजीगत कार्य	**(3,446,452)**	(18,207,956)
निवेश संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	**(3,446,452)**	(18,207,956)
ग वित पोषण संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	.	.
वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	.	.
नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में निवल वृद्धि/ (कमी) (क ख.ग)	**7,842**	(89,067)
जोडें : वर्ष की शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	**5,311**	94,378
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य राशि	**13,153**	5,311
बैंक में जमा राशियां	**13,153**	5,311

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान)	(सुबीर मूलचंदानी)	(ए. के. अग्रवाल)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
एसवीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(फर्म पंजीयन संख्या 003838एन)

सीए तरूण कंसल
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084751

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. निगमित सूचना

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड की स्थापना 17 अप्रैल, 2009 को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल), (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी), भारत सरकार के एक उपक्रम के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी) की एक सहायक कंपनी के रूप में गई। कंपनी को अपना कारोबार प्रारंभ करने के लिए दिनांक 19 फरवरी, 2010 को प्रमाणपत्र जारी किया गया। विद्युत मंत्रालय के निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान पीएफसीसीएल ने कंपनी (टीएएमपीएल) को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया है और अब कंपनी पीएफसी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। कंपनी की स्थापना एक विशेष प्रयोजनीय वाहन के रूप में की गई जिससे कि आंध्र प्रदेश राज्य में 4000 मेगावाट क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना के उद्देश्य से संबंधित भूमि अधिग्रहण संबंधी सांविधिक स्वीकृतियों, जिसमें पर्यावरण और वन स्वीकृति, सीआरजेड आदि शामिल हैं, आरंभिक कार्य पूरा करने में सहायता की जा सके। हालांकि विद्युत मंत्रालय ने मंत्रालय को आए पत्र संख्या 9072/पीआर IV/2010–1 दिनांक 03.12.2013 द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के परियोजना के साथ नहीं रहने के निर्णय को अपने पत्र सं. 12/09/2008–यूएमपीपी दिनांक 02.01.2014 द्वारा बताया है तथा पीएफसी से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है ।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

क तैयारी का आधार

कंपनी सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुरूप अपने वित्तीय विवरण संचित आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार करती है।

ख अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टाधीन अवधि के लिए रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताएं (आकस्मिक देयताएं सहित) की राशि, राजस्व और व्यय में अनुमान और पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं और/अथवा उन्हें मूर्तरूप दिया जाता है।

ग स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां चालू / संचित मूल्यह्रास संबंधी हानियों को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शायी जाती हैं। कंपनी सभी प्रत्यक्ष लागतों को पूंजीकृत करती है जिसमें ऐसी परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक ऋण लागत शामिल हैं।

घ मूल्यह्रास

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का लाभ कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची गफअ के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति आधार पर प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान 5000 रूपए तक की लागत वाली अधिग्रहीत स्थाई परिसंपत्तियों के आइटमों का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

ड़ ऋण

परियोजना के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय का वित्तपोषण धारक कंपनी / खरीदारों द्वारा किया जाता है और उसे अन्य चालू देयताओं के समूह में माना जाता है। निधियों के उपयोग न किए गए भाग पर ब्याज खरीददारों को दिए जाते हैं।

च ऋण और अग्रिम

धारक कंपनी (पीएफसी) के पास कंपनी द्वारा रखी गई अधिशेष निधि को अल्पकालिक ऋण और अग्रिमों के रूप में माना गया है और धारक कंपनी से ऐसी निधियों पर ब्याज का दावा किया गया है।

छ ऋण लागत

ऋण लागत की वसूली लाभ और हानि विवरण में पूंजीगत परिसंपत्तियों को छोड़कर उस वर्ष में की जाती है जिसमें यह ऋण लिया गया है और जिसका पूंजीकरण परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक किया जाता है।

ज आरंभिक व्यय

आरंभिक व्यय को उस वर्ष में बट्टे खाते में डाला जाता है जिसमें ऐसा व्यय किया गया है।

झ आकस्मिक देयता

आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, परंतु उन्हें नोट के रूप में प्रकट किया जाता है।

ञ नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण पर लेखांकन मानक – 3 में विहित अप्रत्यक्ष प्रद्धति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है ।

नोट सं. 3 शेयर पूंजी

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत :		
प्रत्येक 10 रूपए के 50000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रूपए के 50000 इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर^ प्रत्येक 10 रूपए के 50000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रूपए के 50000 इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
कुल जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूंजी	500,000	500,000

(क) रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का मिलान

इक्विटी शेयर	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि (रूपए में)	शेयरों की संख्या	राशि (रूपए में)
अवधि के शुरूआत में	50,000	500,000	50,000	500,000
जोड़ें : अवधि के दौरान जारी	–	–	–	–
अवधि के अंत में बकाया	50,000	500,000	50,000	500,000

(ख) इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें / अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य 10 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट देने के लिए पात्र है।

कंपनी के परिसमापन के मामले में इक्विटी शेयर धारक सभी प्राथमिक राशियों के विवरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह वितरण शेयर धारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

(ग) धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर

कंपनी द्वारा जारी किए गए 50,000 इक्विटी शेयरों में से इसकी धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर निम्नानुसार हैं:

(राशि रूपए में)

	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी *		
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्ण प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 50,000)	500,000	500,000

(घ) कंपनी में 5 % से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के विवरण

	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी मे धारिता का %	शेयरों की संख्या	श्रेणी मे धारिता का %
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	50,000	100%	50,000	100%
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*	50,000	100%	50,000	100%

*इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखे जाते हैं।

नोट सं. 4 आरक्षित और अधिशेष निधियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
लाभ और हानि लेखे विवरण में अधिशेष राशि		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया	(29,459)	(29,459)
वर्ष के लिए लाभ	58	-
वर्ष के अंत में बकाया	(29,401)	(29,459)
योग	(29,401)	(29,459)

नोट सं. 5 दीर्घकालिक ऋण

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत)		
प्रतिबद्धता अग्रिम		
अजमेर एवीवीएनएल	–	1,705,000
असम राज्य विद्युत बोर्ड	–	4,500,000
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत धारक कंपनी लिमिटेड	–	11,500,000
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	–	2,750,00
अरूणाचल प्रदेश सरकार	–	2,000,000
मणिपुर सरकार	–	2,000,000
मिजोरम सरकार	–	2,000,000
नागालैंड सरकार	–	2,000,000
पुदुचेरी सरकार	–	2,000,000
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	–	4,500,000
जयपुर जेवीवीएनएल	–	2,090,000
झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड	–	16,500,000
जोधपुर जेवीवीएनएल	–	1,705,000
केरल राज्य विद्युत बोर्ड	–	7,500,000
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	–	27,500,000
मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	–	2,000,000
मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	–	17,000,000
पावर कंपनी ऑफ कर्नाटक लिमिटेड	–	11,500,000
तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	–	11,500,000
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	–	2,750,000
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	–	59,500,000
पश्चिम बंगाल विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	–	5,500,000
योग	–	200,000,000
अप्रतिभूत ऋण के लिए पुनर्भुगतान की शर्तें		
अन्य ऋण और अग्रिम	सफल बोलीदाता को कंपनी के स्थानांतरण की तारीख से 15 दिन के भीतर पुर्नभुगतान हेतु देय	

नोट सं. 6 अन्य दीर्घकालीन देयताएं

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
दीर्घ कालीन ऋणों पर संचित ब्याज, परन्तु देय नहीं	–	46,042,931
योग	–	46,042,931

नोट सं. 7 अन्य चालू देयताएं

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
दीर्घ कालीन ऋणों (अप्रतिभूत) की चालू परिपक्वताएं		
प्रतिबद्धता अग्रिम (निवल)	161,270,478	-
संचित ब्याज परंतु ऋणों पर देय नहीं	34,434,427	-
अन्य देय राशियां		
सांविधिक देयताएं (स्रोत पर कर की कटौती)	968,355	885,445
देय व्यय	44,242	44,242
योग	196,717,502	929,687

नोट सं. 8 जारी पूंजीगत कार्य

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
जारी प्रारंभिक पूंजीगत कार्य	94,799,121	76,591,165
जोड़ें : निर्माण अवधि के दौरान व्यय से स्थानांतरित (नोट– 13)	3,446,452	18,207,956
घटाएं: 31 मार्च 2014 तक किए गए व्यय को खरीदारों को आबंटित विद्युत की हिस्सेदारी से समायोजित किया गया	(98,245,573)	–
योग	–	94,799,121

नोट सं. 9 अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
संबंधित पक्षकारों से प्राप्त होने वाला, ब्याज जो देय नहीं है	–	30,218,088
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि., धारक कंपनी)		
योग	–	30,218,088

नोट सं. 10 नकदी और नकदी समतुल्य राशियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
बैंकों में बकाया राशियां		
चालू खाते में	13,153	5,311
योग	13,153	5,311

नोट सं. 11 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
असुरक्षित और शोध्य माना गया		
संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम	118,084,801	122,418,334
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी)		
अन्य		
स्रोत पर कर की कटौती, (निवल प्रस्तावित 26/–, गत वर्ष शून्य, भारत सरकार से वापसी योग्य)	235,315	2,305
योग	118,320,116	122,420,639

नोट सं. 12 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
आंध्र प्रदेश सरकार से पुनर्प्राप्ति योग्य	38,729,524	–
संबंधित पक्ष से प्राप्त करने योग्य ब्याज पर देय नहीं (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी)	40,125,308	–
योग	78,854,832	–

नोट सं. 13 निर्माण अवधि के दौरान व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
(क) व्यय		
जन शक्ति प्रभार	1,236,957	6,612,691
विज्ञापन व्यय	–	9,726
लेखापरीक्षक को भुगतान:		
–लेखापरीक्षक के रूप में	49,158	73,737
कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	52,866	286,012
आउटसोर्सिंग व्यय	550,963	539,636
दौरा और यात्रा व्यय	253,251	20,291
परामर्श प्रभार	551,898	565,701
उपयोग किए गए अंश पर ब्याज	–	9,178,526
उपयोग न किए गए अंश पर ब्याज	10,141,462	10,973,432
घटाएं: उपयोग न किए गए अंश पर ब्याज की आय	(10,141,462)	– (10,973,432) 9,178,526
मुद्रण और स्टेशनरी	103,485	160,896
टेलीफोन व्यय	12,086	6,872
सम्मेलन और बैठक व्यय	23,164	129,232
वहन किराया प्रभार	110,997	147,105
अन्य प्रशासनिक व्यय	501,627	477,531
योग	3,446,452	18,207,958

14. (क) कंपनी के निदेशक मंडल ने अनुमोदित किया है कि विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार कंपनी को बंद किया जाए और कंपनियों के रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से इसका नाम हटाया जाए और इसके लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निदेशक बोर्ड और भारत सरकार का अनुमोदन कंपनी को बंद करने से पहले प्राप्त करना आवश्यक है। कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाधीन है।

(ख) चूंकि परियोजना को विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार बंद किया जाना है और कंपनी समाप्त की जा रही है, इसलिए इसके वित्तीय विवरण जारी प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार नहीं किए गए। तदनुसार, परिसंपत्तियों और देयताओं को इस आधार पर रिकॉर्ड किया गया है कि कंपनी अपनी परिसंपत्तियों की वसूली और अपनी देयताओं का निर्वहन कारोबार की सामान्य प्रकिया में करने में सक्षम होगी।

(ग) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कंपनी को विद्युत की खरीद करने वाली कंपनियों (खरीदारों) से संगत खरीदारों और सफल बोलीदाता के साथ विद्युत खरीद करार के माध्यम से परियोजना के पूर्ण होने पर विद्युत के विनिर्दिष्ट भाग के आबंटन के विरूद्ध अंशदान के रूप में 40,00,00,000 रूपए का संपूर्ण प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त होना है। खरीददारों से 20,00,00,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है और 20,00,00,000 रुपए की राशि अभी आंध्र प्रदेश से प्राप्त होनी है । कंपनी के निदेशक बोर्ड के निर्णय के अनुसार कंपनी के लिए किए गए व्यय को जारी पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाए जाने के कारण इसे कंपनियों द्वारा प्रतिबद्धता अग्रिम के रूप में किए गए/किए जाने वाले अंशदान के विरूद्ध परियोजना में आबंटित उनकी विद्युत की हिस्सेदारी के अनुपात में प्रभारित किया गया है और समायोजन के पश्चात किसी अधिशेष/घाटे को संगत कंपनियों से/को लौटाया जाएगा/मांग की जाएगी। लौटाए जाने वाले प्रतिबद्धता अग्रिम की अधिशेष राशि तुलन–पत्र में अन्य चालू देयताएं के अंतर्गत दर्शाई गई है और प्रतिबद्धता अग्रिम की वसूल की जाने वाली राशि, जिसकी मांग की जानी है, को तुलन–पत्र में अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

15. पीएफसी और कंपनी के बीच वित्त पोषण करार के अनुसार कंपनी की ओर से परियोजना के लिए किए जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिए प्राप्त कुल 20,00,00,000 रुपए के प्रतिबद्धता अग्रिम और प्रतिबद्धता अग्रिम की खर्च न की गई शेष राशि को अल्पकालिक ऋण और अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज को जमा राशि के रूप में निवेश करने / धारित करने हेतु धारक कंपनी (पीएफसी) को दिया गया जिसे तुलन–पत्र में अल्पकालिक ऋण और अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है और उस पर देय ब्याज को तुलन–पत्र में अन्य चालू परिसंपत्तियां शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

16. कंपनी के निदेशक बोर्ड के निर्णय के अनुसार इसकी स्थापना की तारीख से वित्तीय वर्ष 2012–13 तक के लिए प्रदान किए गए प्रतिबद्धता अग्रिम के उपयोग न किए गए भाग पर ब्याज की देयता को प्रत्यावर्तित किया गया है, क्योंकि सफल बोलीदाता से अब कोई राशि वसूल नहीं की जानी है और इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए प्रतिबद्धता अग्रिम के उपयोग किए गए भाग पर ब्याज संबंधी किसी देयता का प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि कंपनी धारक कंपनी की नीति के अनुसार निर्धारित दर से उपयोग न किए गए भाग पर खरीदारों को भी ब्याज का भुगतान करती है। निधियों के उपयोग न किए गए भाग पर पीएफसी लिमिटेड से ब्याज प्राप्त होना है और वह खरीदारों को देय है। उपयोग न किए गए भाग पर ब्याज व्यय की राशि 1,01,41,462 रूपए (गत वर्ष 1,09,73,432 रूपए) की गणना वर्ष के लिए लेखा बही में की गई है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2012–13

17. कंपनी के लिए सभी कार्य पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा किया जा रहा है। पीएफसीसीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक के अनुसार कंपनी के लिए कार्मिकों द्वारा वास्तविक रूप से बिताए गए कार्य दिवसों के आधार पर कंपनी की लागत के अनुसार पीएफसीसीएल द्वारा प्रभारित अपने कार्मिकों की जनशक्ति लागत के रूप में 12,36,957 रूपए (गत वर्ष 66,12,669 रूपए) का जनशक्ति प्रभार वसूल किया गया । इसमें पीएफसी लिमिटेड के निदेशकों श्री रहमान (निदेशक) का 81,821 रूपए (गत वर्ष 14,43,000 रूपए) और श्री योगेश जुनेजा (निदेशक) का शून्य रुपए (गत वर्ष 2600 रुपए) का प्रभार शामिल है। पीएफसी अपने द्वारा आबंटित व्यय के संबंध में लागू स्रोत पर कर की कटौती संबंधी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन कर रही है।

18. अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शाए गए व्यय मुख्य रूप से पीएफसी / पीएफसीसीएल द्वारा एसपीवी को आबंटित किए जाते हैं । यह आवंटन इन कंपनियों द्वारा किए गए व्यय के मूल्यांकन के अनुसार किया जात है । पीएफसी / पीएफसीसीएल द्वारा किए गए ऐसे व्यय के संदर्भ में मूल सहायक बिल पीएफसी / पीएफसीसीएल के नाम पर होते हैं और उनके पास ही रखे जाते हैं जिनकी प्रतियां कंपनी के पास भी उपलब्ध हैं । पीएफसी / पीएफसीसीएल इन कंपनियों के लिए यथालागू "स्रोत पर कर की कटौती और सेवा कर आदि" से संबंधित सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन कर रही हैं ।

19. पूंजीकृत किए जाने वाले सभी व्यय सहित निर्माण अवधि के दौरान किए गए व्यय (नोट–13) के विवरण तैयार किए गए हैं और उन्हें जारी पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल किया गया है।

20. (i) पूंजी लेखा पर क्रियान्वित करने हेतु शेष बची संविदाओं की अनुमानित और उपलब्ध न कराई गई राशि शून्य रूपए (गतवर्ष 1,67,52,500 रूपए) है।

(ii) कंपनी की आकस्मिक देयताएं और अवधि के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार कंपनी के विरूद्ध उसके द्वारा स्वीकार न किए गए दावों की राशि शून्य रूपए (गत वर्ष शून्य रूपए) है।

21. लेखापरीक्षकों का मेहनताना (सेवा कर सहित)

(राशि रूपए में)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
1	लेखापरीक्षा शुल्क	49,158	73,737

22. कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक धारक कंपनी अर्थात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी) और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी) से हैं और उन्हें अशंकालिक आधार कंपनी में तैनात किया गया।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान ऐसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पदावधिसमाप्त होने की तारीख
1	श्री ए के अग्रवाल	अध्यक्ष	01.10.2013	जारी
2	श्री सुबीर मूलचंदानी	निदेशक	17.04.2009	जारी
3	श्री आर. रहमान	निदेशक	18.04.2011	जारी
4	श्री योगेश जुनेजा	निदेशक	17.08.2011	जारी
5	श्री एम के गोयल	अध्यक्ष	17.04.2009	01.10.2013

23. लेखांकन मानक 18 – "संबंधित पक्षकार प्रकटन" के अनुसार प्रकटन;

ततिया आंध्रा मेगा पावर कंपनी लिमिटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय ततिया आंध्रा मेगा पावर कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं जिन पर पीएफसी के नामितियों का नियंत्रण होता है।

लेखाओं में दर्शाए अनुसार और प्रबंधन द्वारा यथाप्रमाणित अवधि के दौरान संबंधित पक्षकारों के खातों में बकाया अधिकतम डेबिट के विवरण निम्नानुसार हैं :

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड – चालू वर्ष – 121,537,813 रूपए (गत वर्ष – 134,487,167 रूपए)

संबंधित पक्षकारों के विवरण के विवरण और स्वरूप

(क) संबंधित पक्षकारों के नाम और उनके साथ संबंधों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति प्रकृति
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी लि.)	धारक कंपनी
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
3	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
4	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
5	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
6	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
7	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
8	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
9	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
10	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
11	पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
12	पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजर्स प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
13	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
14	उड़ीसा इंफ्रापावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
15	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
16	डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम

17	बल्लभगढ़ जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
18	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
19	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12.03.2014 तक सामूहिक नियंत्रणाधनी उद्यम
20	पेट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	13.11.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधनी उद्यम
21	पुरुलिया खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	09.12.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधनी उद्य
22	दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	10.12.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधनी उद्यम

संबंधित पक्षकारों के सथ किए गए लेनदेन के विवरण निम्नानुसार हैं :

(राशि रूपए में)

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार पीएफसी लि. (धारक कंपनी)	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार पीएफसी लि. (धारक कंपनी)
1	ब्याज संबंधी व्यय	.	97,255
2	ब्याज संबंधी आय	(10,141,462)	10,973,432
3	जनशक्ति प्रभार"	1,236,957	6,612,691
4	इतिशेष बकाया राशि		
क)	दीर्घकालीन ऋण पर संचित परन्तु देय नहीं ब्याज		771,208
ख)	प्राप्त होने वाला ब्याज (टीडीएस का निवल)	40,125,308	30,218,088
ग)	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	118,084,801	122,418,334

"पीएफसीसीएल द्वारा प्रभारित

24. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के अंतर्गत अधिसूचित सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है। हालांकि, आस्थगित कर देयता / समय अंतराल से संबंधित परिसंपत्ति संबंधी लेखांकन मानक–22 इस तथ्य के आलोक में कंपनी के लिए लागू नहीं होता है कि कंपनी अभी भी निर्माण चरण पर है और अभी इसका प्रचालन शुरू किया जाना है।

25. चूंकि कंपनी में कोई कार्मिक नहीं हैं, अतः लेखांकन मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार बाध्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

26. निदेशक मंडल के दृष्टिकोण से कंपनी के व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर तुलन–पत्र में यथाउल्लिखित अन्य चालू परिसंपत्तियों और ऋण तथा अग्रिमों के संबंध में यह अपेक्षित है कि उनकी राशि कम से कम उतनी अवश्य दर्शाई जाए जितनी बताई गई है।

27. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक – 20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन आधारभूत और मिश्रित(डाइल्यूटिड), की गणना निम्नानुसार की जाती है:–

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
1	शेयर का सामान्य मूल्य (रुपए)	10	10
2	इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या)	50,000	50,000
3	कर पश्चात निवल लाभ (रुपए)	58	–
4	प्रति शेयर अर्जन (रुपए)	–	–

28. कंपनी के पास वर्ष के अंत में लघु उद्योग (स्माल–स्केल) यूनिटों की कोई बकाया राशियां नहीं हैं, अतः ब्याज का कोई प्रावधान बनता ही नहीं है। इसके अलावा, प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत शामिल उद्यमों को देय कोई भी बकाया राशियां नहीं हैं।

29. कंपनी अधिनियम, 1956 की नई अनुसूची VI के भाग–।। के पैरा 5 (ii), (iii) और (viii) के प्रावधानों के अनुरूप ज्यादातर अतिरिक्त सूचना कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि परियोजना अभी भी विकास चरण पर है और कंपनी को अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप अभी शुरू करने हैं। लागू सूचना निम्नानुसार उपलब्ध करायी गई है :

(क) वदेशी मुद्रा में व्यय – शून्य (गत वर्ष शून्य रुपए)

(ख) विदेशी विनिमय से आय – शून्य (गत वर्ष शून्य रुपए)

30. कंपनी दिसंबर, 2013 तक प्रचालनरत नहीं है, तथापि कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू और गैर चालू के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 12 माह की अवधि के अंतराल को अपनाया है।

31. अन्यथा उल्लेख न किए जाने की स्थिति में आंकड़ों को निकटतम रूपए के रूप में राउंडऑफ कर दिया गया है।

32. कंपनी ने आवश्यक होने पर चालू वर्ष के वर्गीकरण के साथ पुष्टि के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को री–ग्रुप/ पुनः व्यवस्थित किया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान) **(सुबीर मूलचंदानी)** **(ए. के. अग्रवाल)**
निदेशक **निदेशक** **अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
एसबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(फर्म पंजीयन संख्या 003838एन)

सीए तरूण कंसल
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084751

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

देवघर मेगा पावर लिमिटेड

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी)

निदेशक रिपोर्ट 2013–14

सेवा में,

सदस्यगण

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2014 को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निष्पादन पर दूसरी (2वीं) वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रचालनात्मक कार्यकलाप

आपकी कंपनी की स्थापना झारखंड राज्य में दूसरी अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) के विकास हेतु पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के साथ साथ एक विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) के रूप में 26 अप्रैल, 2012 को की गई।

झारखंड सरकार (जीओजे) ने 26 जून, 2012 को झारखंड के देवघर जिले के देवीपुर संभाग स्थित हुसैनाबाद में स्थल के अनुमोदन हेतु अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। परियोजना के लिए आसपास के 20 गांव की लगभग 2256 एकड़ भूमि आवश्यक होगी, जिसमें 1652 एकड़ निजी भूमि, 322 एकड़ सरकारी भूमि और 282 एकड़ वन भूमि शामिल है।

परियोजना के लिए लगभग 106 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पानी आवश्यक होगा, जिसमें से झारखंड सरकार ने 14 जनवरी, 2012 को अजय नदी बेसिन से 80.25 एमसीएम पानी लेने के लिए अपना सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता के साथ–साथ अजय नदी पर प्रस्तावित भंडारण बांध के सामाजिक आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन (एसईआईए) अध्ययन और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) अध्ययन करने का कार्य आईआईटी रुड़की को सौंपा गया है और आईआईटी रुड़की द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने 5 नवंबर, 2012 को आयोजित अपनी बैठक के दौरान परियोजना के लिए विचारार्थ विषय (टीओआर) जारी करने पर विचार किया।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के बारे में सुझाव देने हेतु अनुरोध किया है।

विद्युत मंत्रालय ने इस अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना से विभिन्न राज्यों को विद्युत आबंटित करने हेतु अनुरोध किया है।

1652 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत धारा 4 (1) की अधिसूचना जारी करने हेतु 1 मार्च, 2013 को संबंधित प्राधिकरण में एक आवेदन फाइल किया गया। 282 एकड़ वन भूमि को गैर वन भूमि के रूप में परिवर्तित करने हेतु संबंधित प्राधिकरण के समक्ष 17 जुलाई, 2013 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया।

वित्तीय समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रारंभ नहीं किए हैं। तथापि, वर्ष के दौरान कंपनी ने परियोजना के विकास में 2.49 करोड़ रूपए की राशि खर्च की है जिसे जारी पूंजीगत कार्य मद में स्थानांतरित किया गया है।

लाभांश

चूंकि आपकी कंपनी ने अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू नहीं किए हैं, अतः वर्ष 2013–14 की अवधि के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

शेयर पूंजी

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5,00,000 रूपए (जिसमें प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं) है। वर्ष के दौरान कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी पीएफसी और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखी गई।

सावधि जमा

कंपनी ने वर्ष 2013–14 के दौरान कोई भी सावधि जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाला अर्जन और बहिर्गमन

चूंकि कंपनी के प्रचालन में कोई भी विनिर्माण अथवा संसाधन गतिविधियां शामिल नहीं है, अतः कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी विवरण लागू नहीं हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय से कोई भी अर्जन अथवा बहिर्गमन नहीं हुआ है।

लेखापरीक्षक

मैसर्स वीएसडी एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी के लेखाओं पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी, अवलोकन अथवा अर्हता नहीं हैं।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कामिकों के विवरण

कंपनी के अपने रोल में कोई भी कार्मिक नहीं है। अतः कंपनी (कार्मिकों के विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत यथानिर्धारित कार्मिकों के विवरण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

निदेशक

वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य हैं :

1.	श्री आर. नागराजन	अध्यक्ष
2.	श्री पी.पी. श्रीवास्तव	निदेशक
3.	श्री एन.बी. गुप्ता	निदेशक
4.	श्री योगेश जुनेजा	निदेशक

कंपनी अधिनिमय 2013 की धारा 152 (6) के प्रावधानों के अनुसार श्री एन. बी. गुप्ता कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते उनकी पुनर्नियुक्ति हेतु उन्हें प्रस्ताव दिया जाएगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

सी एंड एजी ने अपने पत्र दिनांक 02 जुलाई 2014 के जरिए उल्लेख किया है कि उन्होंने 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इस संबंध में सी एंड एजी द्वारा जारी किए गए पत्र की प्रति अनुबंध – 1 में दी गई है।

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क क) के अंतर्गत यथावश्यक आपके निदेशक सुनिश्चित / पुष्टि करते हैं कि :

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और वास्तविक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि वित्तीय वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया है।
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे (निरंतर कार्यरत) कंपनी के रूप में तैयार किया है।

स्वीकारोक्ति

निदेशक केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रति कंपनी को उनके द्वारा दी गई सहायता, किए गए उत्साहवर्धन हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कंपनी विशेषरूप से भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, विद्युत मंत्रालय, झारखंड सरकार, सांविधिक लेखापरीक्षकों और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रति उनके निरंतर सहयोग, सुझाव और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–

(आर. नागराजन)

अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 अगस्त, 2014

अनुबंध 1

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए देवघर मेगा पावर लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार देवघर मेगा पावर लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि ये कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 21 मई, 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए देवघर मेगा पावर लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से
(तनुजा एस मित्तल)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा और
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड – III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02 जुलाई, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

देवघर मेगा पावर लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने देवघर मेगा पावर लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र के साथ–साथ लाभ तथा हानि विवरण और उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए संलग्न नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य स्पष्टीकरणयुक्त सूचना/नोट शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संदर्भ में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सितंबर, 2013 के सामान्य परिपत्र संख्या 15/2013 द्वारा पठित कंपनी अधिनियम, 1956 ("कंपनी") के धारा 211 की उपधारा 3सी संदर्भित कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी, डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का कार्यान्वयन और संगत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों । इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक्षक कंपनी की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है, जिससे कि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सके जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथा आवश्यक सूचना विहित ढंग से इस प्रकार से प्रदान करते हैं जिससे कि वे भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकें।

(i) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति;

(ii) लाभ और हानि विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लाभ/(हानि); और

(iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण।

कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 ("आदेश") के अनुसार यथावश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

(ख) हमारे दृष्टिकोण से जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई और रखी गई है;

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं अर्थात उनसे मेल खाते हैं;

(घ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संदर्भ में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सितंबर, 2013 के सामान्य परिपत्र संख्या 15/2013 द्वारा पठित कंपनी अधिनियम, 1956 ("कंपनी") के धारा 211 की उपधारा 3 ग संदर्भित लेखांकन मानकों के साथ सभी वास्तविक संदर्भों में उनके अनुरूप हैं; और

(ङ) वित्त मंत्रालय, कंपनी मामला विभाग द्वारा जारी सूचना संख्या जी एस आर 829 (ड़) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते, निदेशकों की अनर्हता से संबंधित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खंड (छ) की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं है ।

कृते वीएसडी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(विनोद साहनी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 086666
फर्म पंजीयन संख्या 008726एन

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21 मई, 2014

देवघर मेगा पावर लि. के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

1. (क) हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार स्थाई परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड तैयार करने से संबंधित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट), आदेश, 2003 के पैरा 4 (i) (क) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के पास कोई भी स्थायी परिसंपत्तियां नहीं हैं।

(ख) हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान स्थाई परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन से संबंधित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4 (i) (ख) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के पास कोई परिसंपत्तियां नहीं हैं।

(ग) हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान स्थाई परिसंपत्तियों के किसी वास्तविक भाग का निपटान करने से संबंधित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4 (i) (ग) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के पास कोई परिसंपत्तियां नहीं हैं।

2. चूंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने न तो माल की खरीद/बिक्री की है और न ही कंपनी के पास कोई स्टॉक उपलब्ध है। तदनुसार कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड 4 (ii) (क), (ख) और (ग) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

3. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षकारों को कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण स्वीकृत नहीं किए हैं अथवा ऋण के रूप में न तो कोई ऋण अथवा अग्रिम लिया है। तदनुसार कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4 (iii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

4. कंपनी के व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के कार्यकलापों में इनवेंटरी की खरीद अथवा माल की बिक्री शामिल नहीं है। हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना तथा

स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद और माल तथा सेवाओं की बिक्री के लिए कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान स्थायी परिसंपत्ति की खरीद के संबंध में हमने आंतरिक नियंत्रण में किसी बड़ी कमी को दूर करने में कंपनी की लगातार कोई विफलता नहीं पाई है।

5. हमारे दृष्टिकोण से और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारा यह मानना है कि संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऐसे कोई लेन–देन नहीं किए गए जिन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है।

6. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

7. कंपनी के पास संबंधित वित्तीय वर्ष की शुरूआत 50 लाख रूपए की प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियां नहीं हैं अथवा कंपनी के पास संबंधित वित्तीय वर्ष के बाद तत्काल उत्तरवर्ती लगातार 3 वित्तीय वर्षों की अवधि के दौरान 5 करोड़ रूपए से अधिक का औसत वार्षिक टर्नओवर नहीं है, अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4 (vii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

8. रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कोई व्यावसायिक कार्यकलाप नहीं किए हैं, अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4 (viii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

9. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों के आधार पर कंपनी द्वारा आय कर और अन्य सांविधिक बकाया राशियों सहित अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान संबंधित प्राधिकारियों को धारक कंपनी अर्थात पीएफसी लिमिटेड और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के माध्यम से सामान्यतः नियमित रूप से किया गया है। हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित सांविधिक देयताओं की बकाया राशि उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर के संदर्भ में कोई भी देय राशि नहीं है, जिसे किसी विवाद के कारण जमा न किया गया हो।

10. कंपनी 5 वर्ष से कम अवधि के लिए पंजीकृत रही है।

11. हमें उपलब्ध कराए गए रिकॉर्डों के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारा मानना है कि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान की देय राशियों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

12. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4 (xii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा आधार पर कोई ऋण और अग्रिम स्वीकृत नहीं किया है।

13. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि / म्यूचुअल लाभ अर्जित करने वाली निधि, न्यास / सोसायटी नहीं है। तदनुसार कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 का पैरा 4 (xiii) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार चूंकि कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेश में व्यावसाय अथवा कारोबार नहीं करती है, अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4 (xiv) की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं होती है।

15. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से स्वयं लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 का पैरा 4 (xvi) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के तुलन–पत्र और नकदी प्रवाह विवरण की पूर्ण जांच के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अल्पावधि आधार पर ली गई निधियों का दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए निवेश नहीं किया है।

18. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों और कंपनियों को कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया है।

19. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई डिबेंचर जारी नहीं किया गया है। कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4 (xix) की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं होती है।

20. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यू जारी कर कोई धनराशि अर्जित नहीं की है।

21. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पायी गई और न ही इस संबंध में कोई रिपोर्ट की गई है।

कृते वीएसडी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(विनोद साहनी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 086666
फर्म पंजीयन संख्या 008726एन

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21 मई, 2014

देवघर मेगा पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	3	500,000	500,000
(ख) आरक्षित और अधिशेष निधियां	4	(39,056)	(39,056)
		460,944	460,944
(2) गैर–चालू देयताएं			
(क) दीर्घकालीन ऋण	5	43,882,967	23,069,815
(ख) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	6	6,091,801	1,298,993
		49,974,768	24,366,808
(3) चालू देयताएं			
(क) अन्य चालू देयताएं	7	107,580	58,731
		107,580	58,731
योग		50,543,292	24,886,483
II. परिसंपत्तियां			
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां			
(क) स्थायी परिसंपत्तियां			
(i) जारी पूंजीगत कार्य	8	49,743,292	24,881,483
		49,743,292	24,881,483
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	9	5,000	5,000
(ख) लघु अवधि के ऋण और अग्रिम	10	795,000	–
		800,000	5,000
योग		50,543,292	24,886,483
निगमित सूचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	11		
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	12 से 30		

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेजा)	(एन.बी. गुप्ता)	(आर. नागराजन)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप

कृते वीएसडी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 008726एन

(विनोद साहनी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 086666

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21 मई, 2014

देवघर मेगा पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लाभ और हानि विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट सं.	01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	26 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
I. प्रचालन से प्राप्त राजस्व		–	–
II. अन्य आय		–	–
III. कुल राजस्व (I + II)		–	–
IV. व्यय			
आरंभिक व्यय		–	39,056
कुल व्यय		–	39,056
V. आपवादिक और असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		–	(39,056)
VI. आपवादिक मदें		–	–
VII. आपवादिक मदें और कर पूर्व लाभ/(हानि) तथा कर (V-VI)		–	(39,056)
VIII. असाधारण मदें		–	–
IX. कर पूर्व लाभ/हानि (VII-VIII)		–	(39,056)
X. कर संबंधी व्यय:			
(1) चालू कर		–	–
(2) आस्थगित कर		–	–
XI. प्रचालन जारी रहने से अवधि के लिए लाभ/हानि (IX-X)		–	(39,056)
XII. प्रचालन बाधित होने से लाभ/(हानि)		–	–
XIII. प्रचालन बाधित होने का कर संबंधी व्यय		–	–
XIV. प्रचालन बाधित होने से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (XII-XIII)		–	–
XV. अवधि के लिए हानि (XI+XIV)		–	(39,056)
XVI. प्रति इक्विटी शेयर लाभार्जन			
(1) आधारभूत	24	–	(0.78)
(2) मिश्रित (डाइल्यूटिड)	24	–	(0.78)
निगमित सूचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	11		
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	12 से 30		

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेजा)	(एन.बी. गुप्ता)	(आर. नागराजन)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप

कृते वीएसडी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 008726एन

(विनोद साहनी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 086666

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21 मई, 2014

देवघर मेगा पावर लिमिटेड

1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए अनुसार नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	26 अप्रैल, 2012 से से 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क. प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व हानि	–	(39,056)
कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पहले लाभ	–	(39,056)
निम्नलिखित में वृद्धि/कमी के लिए समायोजन		
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	(795,000)	–
देनदारी एवं प्रावधान	48,43,657	1,355,724
प्रचालन संबंधी कार्यकलपों से निवल नकदी प्रवाह	4,048,657	1,316,668
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
जारी पूंजीगत कार्य	(24,861,809)	(24,881,483)
निवेश संबंधी कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	(24,861,809)	(24,881,483)
ग. वित पोषण संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
दीर्घकालीन ऋण से आगे	20,813,152	23,069,815
जारी शेयर पूंजी	–	500,000
वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	20,813,152	23,569,815
नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में निवल वृद्धि / (कमी) (क + ख + ग)	–	5,000
योग : वर्ष की शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	5,000	–
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य राशि	5,000	5,000
बैंक में जमा राशियां	5,000	5,000

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेजा)	(एन.बी. गुप्ता)	(आर. नागराजन)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप

कृते वीएसडी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 008728एन

(विनोद साहनी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 086666

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 21 मई 2014

देवघर मेगा पावर लिमिटेड

01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. निगमित सूचना

देवघर मेगा पावर लिमिटेड की स्थापना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी), भारत सरकार एक उपक्रम के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 26 अप्रैल, 2012 को की गई। कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रमाणपत्र 26 सितंबर, 2012 को जारी किया गया। कंपनी की स्थापना एक विशेष प्रयोजनीय वाहन के रूप में की गई जिससे कि झारखंड राज्य में 4000 मेगावाट क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (परियोजना) की स्थापना के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण सांविधिक स्वीकृतियों, जिसमें पर्यावरण और वन स्वीकृति आदि से संबंधित आरंभिक कार्य पूरा करने में सहायता की जा सके।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(क) तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुरूप ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत सचिंत आधार पर तैयार किए गए हैं।

(ख) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टाधीन अवधि के लिए रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि, राजस्व और व्यय में अनुमान और पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं और/अथवा उन्हें मूर्तरूप दिया जाता है।

(ग) आय / व्यय की मान्यता

आय और व्यय (नीचे दर्शाए अनुसार को छोड़कर) की गणना संचित आधार पर की जाती है। पीएफसी / पीएफसीसीएल को देय अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के विकास हेतु परामर्श और व्यावसायिक सेवा शुल्क की गणना कंपनी को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किए जाने वाले वर्ष में की जाएगी।

(घ) स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां चालू / संचित मूल्यह्रास संबंधी हानियों, यदि कोई हैं को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शायी जाती हैं। कंपनी सभी प्रत्यक्ष लागतों को पूंजीकृत करती है जिसमें ऐसी परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक ऋण लागत शामिल हैं।

(ङ) मूल्यह्रास / ऋण मोचन

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का लाभ कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची xiv के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति द्वारा प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान स्थाई परिसंपत्तियों से मूल्यह्रास को जोड़कर/से घटाकर प्रोराटा आधार पर से/तक जिसमें परिसंपत्तियां उपयोग/ खत्म करने के लिए वसूला जाता है।

वर्ष के दौरान 5000 रूपए तक की लागत वाली अधिग्रहीत स्थाई परिसंपत्तियों के मदों का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

(च) जारी पूंजीगत कार्य

परामर्श / प्रशासन / ब्याज / जनशक्ति प्रभार / कानूनी और व्यावसायिक प्रभार आदि पर किए गए व्यय को जारी पूंजीगत कार्य के रूप में माना गया है।

(छ) ऋण

परियोजना के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय का वित्तपोषण धारक कंपनी / खरीदारों द्वारा किया जाता है और उसे अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण के रूप में माना जाता है। उनके द्वारा नियोजित की गई निधियों पर ब्याज की वसूली की जाती है।

(ज) ऋण और अग्रिम

धारक कंपनी (पीएफसी) के पास कंपनी द्वारा रखी गई अधिशेष निधि को अल्पावधि ऋण और अग्रिमों के रूप में माना गया है और धारक कंपनी से ऐसी निधियों पर ब्याज का दावा किया गया है।

(झ) प्रारंभिक व्यय

किए वर्ष के दौरान खर्च किए गए प्रारंभिक व्यय को बट्टे खाते डाले दिया गया है!

(झ) निवेश

निवेश लागत आधार पर दर्शाए जाते हैं।

(ञ) ऋण लागत

ऋण लागत की वसूली लाभ और हानि विवरण में पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए ऋण पर ब्याज को छोड़कर उस वर्ष में की जाती है जिसमें यह ऋण लिया गया है, जिसका पूंजीकरण परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक किया जाता है।

(ट) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियां

कंपनी किसी प्रावधान को तब मान्यता प्रदान करती है जब अतीत की किसी घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में ऐसी कोई बाध्यता उत्पन्न हो, जिसके लिए संभवतः संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होता है और जिसका विश्वसनीय ढंग से अनुमान लगाया जा सके। किसी आकस्मिक देयता का प्रकटन ऐसी स्थिति में खाता बही में किसी प्रावधान के बिना किया जाता है जब कोई ऐसी बाध्यता उत्पन्न होती है, जिसके लिए हो सकता है, परंतु संभवतः संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक न हो (प्रबंधन की दृष्टि में)। आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटन किया जाता है।

(ठ) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण पर संशोधित लेखांकन मानक – 3 में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है।

(ड) तुलन–पत्र कर

वर्तमान करों के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के संगत प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। आस्थगित कर को मान्यता तुलन–पत्र की तारीख को अधिनियमित किए गए अथवा उसके बाद अधिनियमित की गई विधियों/कानूनों और कर संबंधी दरों का प्रयोग करते हुए लेखांकन लाभ और कर संबंधी लाभों के बीच समयांतर की प्राथमिकता की शर्त के अधीन दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है और उन्हें केवल ऐसी स्थिति में आगे ले जाया जाता है जब इस बात की वास्तविक और तर्कसंगत निश्चितता हो कि परिसंपत्तियों की भविष्य में वसूली की जा सकेगी।

नोट सं. 3. शेयर पूंजी

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृतः		
प्रत्येक 10 रूपए के 50000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रूपए के 50000 इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयरः		
प्रत्येक 10 रूपए के 50000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रूपए के 50000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
कुल जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूंजी	**500,000**	500,000

(क) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का मिलान

इक्विटी शेयर	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि (रू.)	शेयरों की सं.	राशि (रू.)
अवधि की शुरुआत में बकाया राशि	50,000	500,000	50,000	500,000
योग : वर्ष के दौरान जारी शेयर	–	–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया राशि	50,000	500,000	50,000	500,000

(ख) इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें / अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य 10 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट देने के लिए पात्र है।

कंपनी के परिसमापन के मामले में इक्विटी शेयर धारक सभी प्राथमिक राशियों के विवरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह वितरण शेयर धारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

(ग) धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर

कंपनी द्वारा जारी किए गए 50,000 इक्विटी शेयरों में से इसकी धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर निम्नानुसार हैं:

(राशि रूपए में)

	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*		
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्ण प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष : 50,000)	**500,000**	500,000

(घ) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के विवरण

	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की सं.	श्रेणी में धारिता का%	शेयरों की सं.	श्रेणी में धारिता का%
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर				
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*	50,000	100%	50,000	100%
	50,000	**100%**	50,000	100%

* इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखे जाते हैं।

नोट संख्या 4. आरक्षित और अधिशेष निधियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
लाभ और हानि विवरण में अधिशेष राशि		
अवधि की शुरूआत में बकाया राशि	**(39,056)**	–
वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)	–	(39,056)
वर्ष के अंत में बकाया राशि	**(39,056)**	(39,056)
जोड़	**(39,056)**	(39,056)

नोट सं. 5. दीर्घकालिक ऋण

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
संबंधित पक्षकार से ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत)		
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी)	**43,882,967**	23,069,815
जोड़	**43,882,967**	23,069,815
अप्रतिभूत ऋणों के पुनर्भुगतान की शर्त		
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम	सफल बोलीदाता को कंपनी के हस्तांतरण की तारीख से 15 दिन के भीतर पुनर्भुगतान हेतु देय	

नोट सं. 6. अन्य दीर्घकालीन देयताएं

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
दीर्घकालीन ऋणों पर संचित परंतु देय नहीं ब्याज	**6,091,801**	1,296,993
योग	**6,091,801**	1,296,993

नोट सं. 7. अन्य चालू देयताएं

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य देयताएं		
देय व्यय	**103,647**	**52,833**
सांविधिक देयताएं (स्रोत पर कर की कटौती)	**3,933**	**5,898**
योग	**107,580**	**58,731**

नोट सं. 8. जारी पूंजीगत कार्य

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
जारी प्रारंभिक पूंजीगत कार्य	**24,881,483**	–
निर्माण अवधि के दौरान व्यय से स्थानांतरित (नोट– 11)	**24,861,809**	**24,881,483**
योग	**49,743,292**	**24,881,483**

नोट सं. 9. नकदी और नकदी समतुल्य राशियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
बैंकों में बकाया राशियां		
चालू खाते में	5,000	5,000
जोड़	5,000	5,000

नोट सं. 10. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अप्रतिभूत और सही माना गया		
अन्य		
परामर्श असाइनमेंट के लिए अग्रिम	795,000	–
	795,000	–

नोट सं. 11. निर्माण अवधि के दौरान व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए	26 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए
व्यय		
जन शक्ति प्रभार	8,084,554	14,746,273
लेखापरीक्षक को भुगतानः		
लेखापरीक्षक के रूप में	39,326	58,989
कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	5,557	66,543
परामर्श प्रभार	344,238	2,398,987
विज्ञापन व्यय	–	136,108
कार्यालय रख–रखाव	201,731	161,957
मुद्रण और स्टेशनरी	203,603	159,069
वाहन किराया	439,888	125,827
टूर और यात्रा	850,563	1,253,915
दूरभाष	21,104	5,735
कैंटीन व्यय	147,009	93,119
ब्याज संबंधी व्यय	4,794,808	1,296,993
सर्वेक्षण और अध्ययन	8,960,657	4,010,679
बैठक सम्मेलन	–	97,893
सुरक्षा संबंधी व्यय	188,407	136,757
आउटसोर्सिंग	445,071	87,416
अन्य प्रशासनिक व्यय	135,293	36,223
योग	24,861,809	24,881,483

12. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार विद्युत के खरीददारों को उन्हें आबंटित विद्युत के संगत शेयर के बदले में परियोजना के पूर्ण होने पर संगत खरीदारों और सफल बोलीदाता के साथ विद्युत की खरीद संबंधी करार के जरिए खरीदारों से कुल 40,00,00,000 रूपए का प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त होना है। तथापि प्रतिबद्धता अग्रिम की उपर्युक्त राशि अभी प्राप्त नहीं हुई।

13. कंपनी पीएफसी को अपनी ओर से किए गए व्यय पर ब्याज का भुगतान पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.(धारक कंपनी) की नीति के अनुसार निर्धारित दरों पर करती है। प्रयोग में लाई गई निधियों पर प्रभारित ब्याज की दर पीएफसी में "राज्य क्षेत्र के कर्जदार (श्रेणी 'क')" के अंतर्गत ऋणकर्त्ताओं के लिए समय–समय पर निर्धारित परियोजना ऋण/ योजना (उत्पादन) हेतु लागू दरों के समतुल्य है। पीएफसी लि. द्वारा अवधि के दौरान खर्च की गई राशि पर देय कुल ब्याज संबंधी व्यय 47,94,808 रुपए (गत वर्ष 12,96,993 रुपए) है। इस प्रकार देय ब्याज को जारी पूंजीगत कार्य शीर्ष के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाता है। धारक कंपनी को देय ब्याज संचित होने परंतु देय न होने के कारण अन्य दीर्घकालिक देयताएं शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

14. कंपनी ने पीएफसी और पीएफसीसीएल द्वारा प्रदान की गई परामर्श और व्यावसायिक सेवाओं के लिए पीएफसीएल / पीएफसीसीएल को शुल्क के रूप में 50,00,00,000 रूपए और लागू करों की राशि का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। पीएफसीएल/ पीएफसीसीएल को परामर्श और व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु देय शुल्क परियोजना के लिए सफल बोलीदाता का चयन हो जाने और सफल बोलीदाता को कंपनी के हस्तांतरण पर ही देय होगा, अतः पीएफसीएल / पीएफसीसीएल को देय शुल्क के लिए देय विषयक कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि यह राशि कंपनी के स्थानांतरण के मामले में सफल बोलीदाता को कंपनी के हस्तांतरण वाले वर्ष में प्रभारित की जाएगी।

15. परियोजना की स्थापना की योजना के अनुसार योजना की संभावनाएं तलाशने और आरंभिक खुदाई संबंधी कार्य के लिए संपूर्ण व्यय जिसमें 50,00,00,000 रूपए का व्यावसायिक शुल्क और लागू कर तथा नियोजित निधियों पर ब्याज शामिल है, की वसूली परियोजना के सफल बोलीदाता से इसकी धारक कंपनी (पीएफसी) से कंपनी की 100% इक्विटी शेयर धारिता की खरीद हेतु अधिग्रहण मूल्य के रूप में की जाएगी, परिणामस्वरूप कंपनी और इसकी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को सफल बोलीदाता को स्थानांतरित माना जाएगा।

16. कंपनी के लिए सभी कार्य पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा किया जा रहा है। पीएफसीसीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक के अनुसार कंपनी के लिए कार्मिकों द्वारा वास्तविक रूप से बिताए गए कार्य दिवसों के आधार पर कंपनी की लागत के अनुसार पीएफसीसीएल द्वारा प्रभारित अपने कार्मिकों की जनशक्ति लागत के रूप में 80,84,554 रूपए (गत वर्ष 147,46,273 रूपए) का जनशक्ति प्रभार वसूल किया गया और इसमें श्री पी.पी. श्रीवास्तव (निदेशक) का 1,63,641 रुपए (गत वर्ष 80,600 रुपए) और श्री योगेश जुनेजा (निदेशक) का 5,99,441 (गत वर्ष 7,77,400 रुपए) का प्रभार शामिल है।

17. अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शाए गए व्यय मुख्य रूप से पीएफसी / पीएफसीसीएल द्वारा एसपीवी को आबंटित किए जाते हैं । एसपीवी से संबंधित व्यय का आबंटन 100% आधार पर तथा साझा व्यय का आबंटन विभिन्न एसपीवी के बीच सेवाओं के बंटवारे पर किया जाता है। पीएफसी / पीएफसीसीएल द्वारा किए गए ऐसे व्यय के संदर्भ में मूल सहायक बिल पीएफसी / पीएफसीसीएल के नाम पर होते हैं और उनके पास ही रखे जाते हैं जिनकी प्रतियां कंपनी के पास भी उपलब्ध हैं । पीएफसी / पीएफसीसीएल इन कंपनियों के लिए यथालागू "स्रोत पर कर की कटौती और सेवा कर आदि" से संबंधित सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन कर रही हैं ।

18. पूंजीकृत किए जाने हेतु आवश्यक सभी व्यय सहित निर्माण अवधि (नोट 11) के दौरान व्यय से संबंधित विवरण तैयार किए गए हैं और उन्हें जारी पूंजीगत कार्य शीर्ष में शामिल किया गया है।

19. कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक धारक कंपनी अर्थात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से हैं और उन्हें अशंकालिक आधार पर कंपनी में तैनात किया गया है।

31.03.2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में ऐसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पदावधि समाप्त होने की तारीख
1	श्री आर नागराजन	अध्यक्ष	26.04.2012	जारी
2	श्री एन बी गुप्ता	निदेशक	26.04.2012	जारी
3	श्री पी पी श्रीवास्तव	निदेशक	26.04.2012	जारी
4	श्री योगेश जुनेजा	निदेशक	26.04.2012	जारी

20. लेखांकन मानक (एएस) 18 – "संबंधित पक्षकार प्रकटन" के अनुसार प्रकटन;

देवघर मेगा पावर लिमिटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय देवघर मेगा पावर लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं, जिन पर पीएफसीएल/पीएफसीसीएल के नामितियों का नियंत्रण होता है।

संबंधित पक्षकारों के विवरण और संबंधों का स्वरूप

(क) संबंधित पक्षकारों के नाम और संबंध का स्वरूप

क्रम सं.	संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति
1.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी लि.)	धारक कंपनी
2.	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	सहयोगी कंपनी
3.	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
4.	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
5.	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
6.	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
7.	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
8.	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
9.	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
10.	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
11.	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
12.	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
13.	पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
14.	उड़ीसा इंफ्रा लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
15.	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
16.	डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
17.	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12.03.2014 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
18.	पेट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	13.11.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
19.	पुरुलिया खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	09.12.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
20.	दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	10.12.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
21.	बल्लभगढ़ जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
22.	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम

लेखाओं में दर्शाए अनुसार और प्रबंधन द्वारा यथाप्रमाणित अवधि के दौरान निदेशकों और संबंधित पक्षकारों के खातों में बकाया अधिकतम क्रेडिट (डेबिट) के विवरण निम्नानुसार हैं :

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड : 45,352,883 रुपए (गत वर्ष 23,069,815 रुपए)

संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन के विवरण :

क्र. सं.	व्यय	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
		(पीएफसी लि.धारक कंपनी)	
1.	इक्विटी योगदान	–	500,000
2.	जनशक्ति प्रभार*	8,084,554	14,746,273
3.	दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज	4,794,808	1,296,993
4.	**इतिशेष बकाया राशि :–**		
	(क) दीर्घकालीन ऋण	43,882,967	23,069,815
	(ख) दीर्घकालिक ऋणों पर संचित परंतु देय नहीं ब्याज	8,091,801	1,296,993

*पीएफसीसीएल द्वारा प्रभारित

21. लेखापरीक्षकों का मेहनताना (सेवा कर सहित)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
	(₹)	(₹)
लेखापरीक्षा शुल्क	39,326	58,989

22. कंपनी अधिनियम 1956 की नई अनुसूची VI के भाग–।। के पैरा 5 (ii), (iii) और (viii) के प्रावधानों के अनुरूप ज्यादातर अतिरिक्त सूचना कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि परियोजना अभी भी विकास चरण पर है और कंपनी को अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप अभी शुरू करने हैं। लागू सूचना निम्नानुसार उपलब्ध करायी गई है :

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय – शून्य रुपए

(ख) विदेशी विनिमय से आय – शून्य रुपए

23. (i) पूंजी लेखा पर क्रियान्वित करने हेतु शेष बची संविदाओं की अनुमानित और उपलब्ध न कराई गई राशि 1,42,92,192 रूपए है।

(ii) कंपनी की आकस्मिक देयताएं और अवधि के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार कंपनी के विरुद्ध उसके द्वारा स्वीकार न किए गए दावों की राशि शून्य रूपए है।

24. **प्रति शेयर अर्जन**

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित "प्रति शेयर अर्जन" पर लेखांकन मानक – 20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत और मिश्रित) की गणना निम्नानुसार की जाती है :

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
1	शेयर का सामान्य मूल्य (रूपए)	10	10
2	इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या)	50,000	50,000
3	कर पश्चात निवल लाभ (रूपए)	–	(39,056)
4	प्रति शेयर अर्जन (रूपए)	–	(0.78)

25. चूंकि कंपनी में कोई कार्मिक नहीं हैं, अतः लेखांकन मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार बाध्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

26. कंपनी प्रचालनरत नहीं है, हालांकि कंपनी ने चालू और गैर चालू रूप में परिसंपत्तियों और देयताएं के वर्गीकरण के लिए 12 माह की अवधि के अंतराल को अपनाया है।

27. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के अंतर्गत अधिसूचित सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है। हालांकि, आस्थगित कर देयता / समय अंतराल से संबंधित परिसंपत्ति संबंधी लेखांकन मानक (एएस)–22 इस तथ्य के आलोक में कंपनी के लिए लागू नहीं होता है कि कंपनी अभी भी निर्माण चरण पर है और अभी इसका प्रचालन शुरू किया जाना है।

28. कंपनी के पास वर्ष के अंत में लघु उद्योग (स्मॉल–स्केल) यूनिटों की कोई बकाया राशियां नहीं हैं, अतः ब्याज का कोई प्रावधान बनता ही नहीं है। इसके अलावा, प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत शामिल उद्यमों को देय कोई भी बकाया राशियां नहीं हैं।

29. अन्यथा उल्लेख न किए जाने की स्थिति में आंकड़ों को निकटतम रूपए के रूप में राउंडऑफ कर दिया गया है।

30. वर्तमान अवधि के आंकड़े 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के लिए हैं। इसलिए पिछले वर्ष की अवधि के आंकड़े जो 26.4.2012 से 31.3.2013 तक की अवधि के लिए हैं, तुलनात्मक नहीं हैं। चूंकि गत वर्ष की अवधि तैयार किए गए हैं। कंपनी ने आवश्यक होने पर चालू वर्ष के वर्गीकरण के साथ पुष्टि के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत /री–ग्रुप किया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेजा)	(एन.बी. गुप्ता)	(आर. नागराजन)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप

कृते वीएसडी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 008726एन

(विनोद साहनी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 086686

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 21 मई 2014

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी)

निदेशक रिपोर्ट 2013–14

सेवा में,

सदस्यगण

निदेशकों को वित्तीय 31 मार्च 2014 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए आपकी कंपनी के निष्पादन पर सातवीं (7वीं) वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रचालनात्मक कार्यकलाप

तमिलनाडु राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) के विकास हेतु आपकी कंपनी की स्थापना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा एक विशेष प्रयोजनीय वाहन के रूप में 9 जनवरी, 2007 को की गई। परियोजना का विकास विद्युत मंत्रालय, भारत साकार द्वारा जारी टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

यूएमपीपी की स्थापना ग्राम चेय्यूर, जिला – कांचीपुरम, तमिलनाडु में करने का प्रस्ताव है। पावर प्लांट के लिए ग्राम पान्नेयूर, जिला – कांचीपुरम, तमिलनाडु के निकट प्रस्तावित एक कैप्टिव पोर्ट से आयात किए जाने वाले कोयला का प्रयोग किया जाएगा। आज की तारीख को परियोजना की स्थिति निम्नानुसार है :

(क) भूमि अधिग्रहण: 488 एकड़ सरकारी भूमि में से 261.24 एकड़ के लिए सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया गया है और बकाया भूमि के लिए अभी अधिसूचना जारी की जानी है। इसके अलावा पशुपालन विभाग ने अपने विभाग के अधीन आने वाली 46.04 एकड़ भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एनओसी) जारी किया है। तमिलनाडु सरकार द्वारा सरकारी आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 655 एकड़ निजी भूमि में से लगभग 36 एकड़ भूमि का कब्जा जिला कलेक्टर (कांचीपुरम) के नाम पर दिया गया है। लगभग 758 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 'प्रशासनिक मस) जारी करने के लिए आवेदन, कॉरीडोर के लिए भूमि, कोयला, कन्वेयर और पानी की पाइपलाइन, राख कॉरीडोर, ईसीआर को मेन प्लांट से जोड़ने वाली सड़क के लिए कॉरीडोर, राष्ट्रीय राजमार्ग 45 से मेन प्लांट को जोड़नेवाली सड़क के लिए कॉरीडोर और पीओएल के लिए आवेदन जिला कलेक्टर, कांचीपुरम को प्रस्तुत किए गए हैं। हालांकि पीओएल के लिए भूमि और मेन प्लांट से राष्ट्रीय राजमार्ग 45 तक पहुंच मार्ग (लगभग 282 एकड़) का कार्य वैकल्पिक है, जिसे आवश्यक होने पर चयनित विकासकर्ता द्वारा पूरा किया जा सकता है। उपर्युक्त भूमि के लिए प्रशासनिक मंजूरी (एएस) जारी किए जाने की प्रतीक्षा है।

(ख) अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) जारी करना: चेय्यूर यूएमपीपी के लिए आरएफक्यू 26.09.2013 को जारी किए गए। आरएफक्यू के रूझान 8 बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए। सभी आठों बोलीदाताओं को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी करने के लिए आरएफक्यू चरण पर सूचीबद्ध किया गया।

(ग) प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी करना: परियोजना के लिए आरएफपी 27.12.2013 को जारी किया गया। आरएफपी जारी करने पर आठ में से पांच बोलीकर्ताओं ने आरएफपी की खरीद की है। आरएफपी दस्तावेज के अनुसार बोली की अंतिम तारीख प्रारंभ में 26.02.2014 थी, जिसे आगे दो बार बढ़ाया गया और अब आरएफपी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 22.09.2014 है।

(घ) जीएनटी चेन्नई में सीटीएनपीएल के विरूद्ध दायर किए गए मामले: कैप्टियो पोर्ट और मुख्य प्लांट के लिए पर्यावरण स्वीकृति को रद्द करने के लिए जीएनटी चेन्नई में चार याचिकाएं दर्ज की गई हैं। अगली सुनवाई 27.10.2014 को अनुसूचित है।

(ङ) मद्रास उच्च न्यायालय में सीटीएनपीएल के विरूद्ध दायर किए गए मामले: परियोजना के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय ने एक पीआईएल दायर की गई है। माननीय न्यायालय ने 06 अगस्त 2014 को की गई सुनवाई में पीआईएल को खारिज कर दिया है।

वित्तीय समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रारंभ नहीं किए हैं। तथापि, वर्ष के दौरान कंपनी ने परियोजना के विकास में 1346.34 लाख रूपए की राशि खर्च की है जिसे जारी पूंजीगत कार्य मद में स्थानांतरित किया गया है। 31 मार्च 2014 तक कंपनी द्वारा किया गया कुल व्यय 5513.27 लाख रूपए है।

लाभांश

चूंकि आपकी कंपनी ने अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू नहीं किए हैं, अतः वर्ष 2013–14 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

शेयर पूंजी

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5,00,000 रूपए (प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर) थी। कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखी जाती है।

प्रतिबद्धता अग्रिम

आपकी कंपनी को सभी खरीददारों से 4000.00 लाख रूपए का संपूर्ण प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त हुआ है।

सावधि जमा

कंपनी ने वर्ष 2013–14 के दौरान कोई भी सावधि जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाली आय और बहिर्गमन

चूंकि कंपनी के प्रचालन में कोई भी विनिर्माण अथवा संसाधन गतिविधियां शामिल नहीं है, अतः कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी विवरण कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय से कोई भी अर्जन अथवा बहिर्गमन नहीं हुआ है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मैसर्स गुप्ता नंदा एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वित्त वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी के लेखाओं पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी, अवलोकन अथवा अर्हता नहीं हैं।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कार्मिकों के विवरण

कंपनी के अपने रोल में कोई भी कार्मिक नहीं है। अतः कंपनी (कार्मिकों के विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत यथानिर्धारित कार्मिकों के विवरण कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

निदेशक

निदेशकों की अंतिम रिपोर्ट की तारीख से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

- श्री नवीन कुमार राजू एस. केएएस, प्रबंध निदेशक, पावर कंपनी आफ कर्नाटक लिमिटेड (पीसीकेएल) को श्री के एन रमेश, प्रबंध निदेशक, पीसीकेएल की जगह पर 24 सितंबर 2013 को कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री एम जी सुरेश बाबू, प्रबंध निदेशक, पीसीकेएल को श्री नवीन कुमार राजू, प्रबंध निदेशक, पीसीकेएल की जगह पर 21 दिसंबर 2013 को कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड (टीएएनजीईडीसीओ) ने श्री पी अन्नादुरई, निदेशक/परियोजना (ए/सी) को श्री श्री आर. गणपति संकरन, मुख्य अभियंता /सिविल/ परियोजना के स्थान पर कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तद्नुसार श्री पी अन्नादुरई को श्री आर. गणपति संकरन, मुख्य अभियंता / परियोजना के स्थान पर दिनांक 06 मई 2014 से कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री जी कुमार नाईक, आईएएस, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पीसीकेएल को श्री एम जी सुरेश बाबू, अपर निदेशक (परियोजना), पीसीकेएल की जगह पर 06 मई 2014 को कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी), धारक कंपनी के कार्यालय ज्ञापन के अुनसार श्री सी गंगोपाध्याय को 19 दिसंबर 2013 से श्री एन डी त्यागी के स्थान पर कंपनी का अपर निदेशक नियुक्त किया गया है।

- तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड (टीएएनजीईडीसीओ) ने श्री आर एस अलगप्पन, निदेशक/परियोजना, टैंजेडको को श्री पी अन्नादुरई, निदेशक/परियोजना (ए/सी) की जगह पर कंपनी का निदेशक नामित किया है। तद्नुसार श्री आर एस अलागप्पन को श्री पी अन्नादुरई की जगह पर 25 अगस्त 2014 से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 (1) के प्रावधानों के अनुसार श्री सी गंगोपाध्याय, श्री जी कुमार नाईक और श्री आर एस अलगप्पन आगामी वार्षिक आम बैठक तक अपने पद पर बने रहेंगे। निदेशक मंडल सिफारिश करता है कि श्री सी गंगोपाध्याय, श्री जी कुमार नाईक और श्री आर एस अलगप्पन को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए जवाबदेह हैं।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 (6) के अंतर्गत श्री आर रहमान और श्री के विजयानंद, निदेशक आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते उन्हें पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दिया जाएगा।

आपका निदेशक मंडल कंपनी के निदेशक (निदेशकों) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री के एन रमेश, श्री नवीन कुमार राजू, श्री आर गणपति संकरन, श्री सुरेश बाबू, श्री एन डी त्यागी और श्री पी अन्नादुरई द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी तहेदिल से प्रशंसा करता है।

उपर्युक्त परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य हैं :

1.	श्री आर. नागराजन	अध्यक्ष
2.	श्री सी गंगोपाध्याय	निदेशक
3.	श्री ए. के. गुप्ता	निदेशक
4.	श्री योगेश जुनेजा	निदेशक
5.	श्री आर. रहमान	निदेशक
6.	श्री आर एस अलगप्पन	निदेशक (तमिलनाडु राज्य के प्रतिनिधि)
7.	श्री के. विजयानंद	निदेशक (आंध्र प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि)
8.	श्री जी कुमार नाईक	निदेशक (कर्नाटक राज्य के प्रतिनिधि)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

सी एंड एजी ने 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अंतर्गत उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

सी एंड एजी ने अपने दिनांक 25 अगस्त 2014 के पत्र के जरिए उल्लेख किया है कि उनकी लेखा परीक्षा के अनुसार, कोई भी गलत चीज उनकी जानकारी में नहीं आया है, जिस पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अंतर्गत उन्हें कोई टिप्पणी करनी पड़े। इस संबंध में सी एंड एजी द्वारा जारी किए गए पत्र की प्रति अनुबंध 1 में दी गई है।

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत यथावश्यक आपके निदेशक सुनिश्चित / पुष्टि करते हैं कि :

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और वास्तविक प्रकटन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि वित्तीय वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया है।
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे एक निरंतर कार्यरत कंपनी के रूप में तैयार किए हैं।

स्वीकारोक्ति

निदेशक केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रति कंपनी को उनके द्वारा दी गई सहायता, किए गए उत्साहवर्धन हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कंपनी विशेषरूप से भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार, सांविधिक लेखापरीक्षकों और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रति उनके निरंतर सहयोग, सुझाव और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है।

निदेशक मंड़ल के लिए और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 अगस्त, 2014

हस्ता/–
(आर. नागराजन)
अध्यक्ष

अनुबंध 1

31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखांकन और आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि ये कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 15 मई 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ख) के अंतर्गत एक अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा बिना किसी कागजी सांविधिक लेखापरीक्षा के स्वतंत्रापूर्वक की गई है तथा यह प्रथमतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कर्मचारियों की जांच तथा लेखा रिकॉर्डों के पूर्ण परीक्षण पर आधारित है। मेरे लेखा परीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ भी मेरी जानकारी में नहीं आया है जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत किसी अनुपूरक सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी देगा।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
के लिए और की ओर से

(तनुजा एस मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक और
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड –।।।
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 अगस्त, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड

1. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड के संलग्न वित्तीय विववरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र के साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न नकदी प्रवाह विवरण और लाभ तथा हानि विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण से युक्त सूचना तथा टिप्पणियां शामिल हैं।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम 2013 के भाग 133 के मामले में व्यवसाय मामला मंत्रालय के जनरल सर्कुलर 15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम 1956 ("अधिनियम") में संदर्भित लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी, डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का कार्यान्वयन और संगत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

3. लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त है।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक्षक कंपनी की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है, जिससे ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सकें जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

4. दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा यथा आवश्यक सूचना विहित ढंग से इस प्रकार से प्रदान करते हैं जिससे कि वे भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकें।

(i) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति;

(ii) लाभ और हानि विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का (लाभ/हानि) और

(iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण।

5. कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनियां (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के अनुसार यथावश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में कंपनी के लिए लागू सीमा के अनुसार उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

(ख) हमारे दृष्टिकोण से जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई और रखी गई है;

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं अर्थात उनसे मेल खाते हैं;

(घ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के भाग 133 के मामले में व्यवसाय मामला मंत्रालय के जेनरल सर्कुलर 15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम 1956 ("अधिनियम") में संदर्भित लेखांकन मानकों के साथ सभी वास्तविक संदर्भों में उनके अनुरूप हैं;

(ङ) निदेशकों की अनर्हता से संबंधित कंपनी अधिनियम की धारा 274 की उपधारा (1) के खंड (छ) की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कंपनी वित्त मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 21.10.2003 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) के संदर्भ में एक सरकारी कंपनी है।

कृते गुप्ता नंदा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 9039एन

संजीव नंदा
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 87108

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ (1) में 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' वाले भाग में संदर्भित)

(i) (क) कंपनी ने स्थाई परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विविरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड तैयार किए हैं।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के प्रबंधन द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर स्थाई परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन के दौरान बही रिकॉर्डों की तुलना में उनमें कोई वास्तविक कमी नहीं पाई गई।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान स्थाई परिसंपत्तियों के किसी वास्तविक भाग का निपटान नहीं किया है।

(ii) हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास शून्य इनवेंटरी है, अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4 (ii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

(iii) (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षकारों को सुरक्षित या अप्रतिभूत ऋण के रूप में न तो कोई ऋण अथवा अग्रिम दिया है और न ही स्वीकृत किया है। चूंकि कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षकारों को कोई ऋण अथवा अग्रिम, प्रतिभूत या अप्रतिभूत नहीं दिया है और न ही स्वीकृत किया है, अतः आदेश के खंड 4 (iii) (क), (ख) (ग) और (घ) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होंगे।

(ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षकारों से प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण के रूप में कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं लिया है।

चूंकि कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षकारों से कोई ऋण अथवा अग्रिम, प्रतिभूत या अप्रतिभूत नहीं लिया है, अतः आदेश के खंड 4 (iii) (ड.), (च) और (छ) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होंगे।

(iv) हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में इनवेंटरी और स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद और परियोजना पर केवल कंपनी की ओर से किए गए व्यय के लिए कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। इसके अलावा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद और परियोजना पर केवल कंपनी की ओर से किए गए व्यय के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण में किसी बड़ी कमी को दूर करने में कंपनी की लगातार कोई विफलता नहीं पाई है और न ही इसके बारे में किसी ने हमें कोई रिपोर्ट की है।

(v) (क) हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारा यह मानना है कि संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऐसे कोई लेन–देन नहीं किए गए जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है।

(ख) हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारा चूंकि संविदाओं अथवा वयवस्थाओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऐसे कोई लेन–देन नहीं किए गए जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है, अतः आदेश का खंड (v) (ख) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

(vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 और उसके नियमों के अंतर्गत भाग 58क और 58कक के तहत जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

(vii) आंतरिक लेखापरीक्षण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

(viii) हमारे दृष्टिकोंण से और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) की उप धारा (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित किया है, परन्तु इससे संबंधित प्रावधान कंपनी के लिए विहित नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी अभी निर्माणाधीन है।

(ix) (क) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा–बही की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर कंपनी अविवादित सांविधिक शुल्कों, उप कर कंपनी द्वारा यथा लागू प्रत्यक्ष रूप से की गई बड़ी सांविधिक देयताओं का उपयुक्त प्राधिकारियों को नियमित रूप से भुगतान करती रही है।

(ख) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी भविष्य निधि, आयकर, उपकर और कंपनी के लिए यथा लागू अन्य बड़ी सांविधिक देयताओं के संदर्भ में कोई अविवादित राशि 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि से एरियर के रूप में देय नहीं थी।

(ग) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर और दूसरी सांविधिक सामग्री की ऐसी कोई भी देय राशि नहीं है जो किसी विवाद के कारण जमा न की गई हो।

(x) कंपनी ने 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कोई हानि संचित की है क्योंकि यह निर्माणाधीन है। अभी भी निर्माणाधीन होने के कारण 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष और उसके तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में कंपनी को कोई नकद हानि नहीं हुई है।

(xi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी की खाता–बही की जांच के आधार पर हमारा मानना है कि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंकों अथवा डिबेंचर धारक से कोई ऋण नहीं लिया है। अतः ओदेश का खंड (xi) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

(xii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी की खाता–बही की जांच के आधार पर हमारा मानना है कि कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम स्वीकृत नहीं किया है। अतः आदेश का खंड (xii) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

(xiii) कंपनी कोई चिटफंड, निधि, म्यूचुअल फण्ड अथवा सोसाइटी नहीं है। अतः आदेश का खंड (xiii) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

(xiv) (क) हमारे दृष्टिकोण से कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेश में व्यावसाय अथवा कारोबार नहीं करती है। अतः आदेश का खंड (xiv) (क) और (ख) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(xv) हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से अन्य लोगों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। अतः खंड (xvi) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के तुलन–पत्र की पूर्ण जांच के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अल्पकालिक आधार पर कोई निधियां अर्जित नहीं किया है। अतः खंड (xvii) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(xviii) कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत आने वाले पक्षकारों और कंपनियों के साथ संबंधित वर्ष के दौरान प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया गया है।

(xix) हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई डिबेंचर जारी नहीं किया गया है। अतः खंड (xix) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(xx) कंपनी ने लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यू जारी कर कोई पूंजी अर्जित नहीं की है।

(xxi) हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पायी गई और न ही कोई रिपोर्ट की गई है।

कृते गुप्ता नंदा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 9039एन

संजीव नंदा
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 87108

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	3	500,000	500,000
(ख) आरक्षित और अधिशेष निधियां	4	174,463	174,463
		674,463	674,463
(2) गैर–चालू देयताएं			
(क) दीर्घकालीन ऋण	5	–	400,000,000
(ख) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	6	–	169,276,592
		–	569,276,592
(3) चालू देयताएं			
(क) अल्पकालिक ऋण	7	38,764,673	–
(ख) व्यापार भुगतान	8	–	744,525
(ग) अन्य चालू देयताएं	9	1,455,135,786	4,148,828
(घ) अल्पावधि प्रावधान	10	–	26,467
		1,493,900,459	4,919,820
योग		1,494,574,922	574,870,875
II. परिसंपत्तियां			
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां			
(क) स्थायी परिसंपत्तियां			
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	11	27,040	41,126
(ii) जारी पूंजीगत कार्य	12	551,326,749	388,006,729
(ख) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	13	835,743,737	–
(ग) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	14	–	103,006,048
		1,387,097,526	491,053,903
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	15	12,265	882,528
(ख) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	16	966,308	82,934,444
(ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	17	106,498,823	–
		107,477,396	83,816,972
योग		1,494,574,922	574,870,875
निगमित सूचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	19		
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	20 से 45		

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेज़ा)	(ए. के. गुप्ता)	(आर. नागराजन)
निदेशक	**निदेशक**	**अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
गुप्ता नंदा एण्ड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
(फर्म पंजीयन संख्या 9039एन)
संजीव नंदा
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 87108

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार लाभ और हानि विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
I. प्रचालन से प्राप्त राजस्व		–	–
II. अन्य आय	18	–	81,538
III. **कुल राजस्व (I + II)**		–	81,538
IV. व्यय			
कुल व्यय		–	–
V. **आपवादिक और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		–	81,538
VI. आपवादिक मदें		–	–
VII. **असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (V-VI)**		–	81,538
VIII. असाधारण मदें		–	–
IX. **कर पूर्व लाभ/ (हानि) (VII-VIII)**		–	81,538
X. **कर संबंधी व्यय**			
(1) चालू कर			25,195
(2) आस्थगित कर		–	–
XI. **जारी प्रचालन से वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (IX-X)**		–	56,343
XII. **प्रचालन बाधित होने से लाभ / (हानि)**		–	–
XIII. **प्रचालन बाधित होने का कर संबंधी व्यय**		–	–
XIV. **प्रचालन बाधित होने से लाभ / (हानि) (कर पश्चात) (XII-XIII)**		–	–
XV. **वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ / (हानि) (XI+XIV)**		–	56,343
XVI. **प्रति इक्विटी शेयर लाभार्जन**			
(1) आधारभूत	35	–	1.13
(2) मिश्रित	35	–	1.13
निगमित सूचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	19		
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	20 से 45		

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेज़ा)	(ए. के. गुप्ता)	(आर. नागराजन)
निदेशक	**निदेशक**	**अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
गुप्ता नंदा एण्ड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
(फर्म पंजीयन संख्या 9039एन)
संजीव नंदा
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 87108

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
क. प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	–	81,538
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले लाभ	–	81,538
निम्नलिखित में वृद्धि/कमी के लिए समायोजनः		
अन्य परिसंपत्तियां	(3,492,775)	(10,678,294)
ऋण और अग्रिम	81,968,136	74,746,145
देयताएं और प्रावधान	919,704,047	33,731,420
कर पूर्व प्रचालन से नकद अंतर्प्रवाह/बहिर्प्रवाह	998,179,408	97,880,809
घटाएं: भुगतान किया गया कर	–	25,195
प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	998,179,408	97,855,614
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
जारी पूंजीगत कार्य	(163,305,934)	(96,998,124)
भूमि के लिए पूंजीगत अग्रिम	(835,743,737)	–
निवेश संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(999,049,671)	(96,998,124)
ग. वित्त संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
वित्त संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	–	–
नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में निवल वृद्धि/कमी (क + ख + ग)	(870,263)	857,490
योग : वर्ष की शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	882,528	25,038
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य राशि	12,265	882,528
बैंक में जमा राशियां	12,265	882,528

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेजा)	(ए. के. गुप्ता)	(आर. नागराजन)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
गुप्ता नंदा एण्ड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
(फर्म पंजीयन संख्या 9039एन)
संजीव नंदा
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 87108

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. निगमित सूचना

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड की स्थापना विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा दिनांक 05 मार्च 2007 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी), भारत सरकार एक उपक्रम के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 09.01.2007 को की गई। कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र 05 मार्च 2007 को जारी किया गया। कंपनी की स्थापना एक विशेष प्रयोजनीय वाहन के रूप में की गई जिससे कि तमिलनाडु राज्य में 4000 मेगावाट क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण संबंधी सांविधिक स्वीकृतियों, जिसमें पर्यावरण और वन स्वीकृति, सीआरजेड आदि शामिल हैं, से संबंधित आरंभिक कार्य पूरा करने में सहायता की जा सके।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(क) तैयारी का आधार

कंपनी सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुरूप अपने वित्तीय विवरण संचित आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार करती है।

(ख) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टाधीन अवधि के लिए रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि, राजस्व और व्यय के लिए अनुमान और पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं और/अथवा उन्हें मूर्तरूप दिया जाता है।

(ग) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण पर संशोधित लेखांकन मानक – 3 में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया जात है।

(घ) स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां चालू/संचित मूल्यह्रास संबंधी हानियों, यदि कोई हैं को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शायी जाती हैं। कंपनी सभी प्रत्यक्ष लागतों को पूंजीकृत करती है जिसमें ऐसी परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक ऋण लागत शामिल हैं।

(ङ) जारी पूंजीगत कार्य

भूमि सर्वेक्षण / अध्ययन / अन्वेषण / परामर्श / प्रशासन / मूल्यह्रास / ब्याज आदि पर किए गए व्यय को जारी पूंजीगत कार्य के रूप में माना गया है।

(च) मूल्यह्रास

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का लाभ कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची xiv के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान 5000 रूपए तक की लागत वाली अधिग्रहीत स्थाई परिसंपत्तियों की मदों का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

(छ) आय / व्यय की मान्यता

आय और व्यय (नीचे दर्शाए अनुसार को छोड़कर) की गणना संचित आधार पर की जाती है। पीएफसी/ पीएफसीसीएल को देय अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के विकास हेतु परामर्श और व्यावसायिक सेवा शुल्क की गणना कंपनी को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किए जाने वाले वर्ष में की जाएगी।

(ज) ऋण लागत

ऋण लागत की वसूली लाभ और हानि विवरण में पूंजीगत परिसंपत्तियों अथवा निर्माण अवधि को छोड़कर उस वर्ष में की जाती है जिसमें यह ऋण लिया गया है जिसका पूंजीकरण परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक किया जाता है।

(झ) ऋण

परियोजना के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय का वित्तपोषण धारक कंपनी/ खरीददारों द्वारा किया जाता है और उसे के रूप में माना जाता है। उनके द्वारा जारी की गई निधियों पर ब्याज की वसूली की जाती है।

(ञ) ऋण और अग्रिम

धारक कंपनी (पीएफसी) के पास कंपनी द्वारा रखी गई अधिशेष निधि को ऋण और अग्रिमों के रूप में माना गया है और धारक कंपनी से ऐसी निधियों पर ब्याज का दावा किया गया है।

(ट) निवेश

निवेश लागत आधार पर दर्शाए जाते हैं।

(ठ) प्रावधान और आकस्मिकताएं

किसी प्रावधान को मान्यता उस समय दी जाती है जब किसी पिछली घटना के कारण कंपनी की कोई वर्तमान देनदारी होती है और इस बात की संभावना होती है कि उस बाध्यता का समाधान करने के लिए संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा जिसके लिए एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधान (सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर) में उनके वर्तमान मूल्य पर कोई छूट नहीं दी जाती है और तुलन–पत्र में उस बाध्यता के समाधान हेतु आवश्यक सर्वश्रेष्ठ अनुमान के आधार पर उनका निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को उनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमान को प्रदर्शित करने के लिए उनका समायोजन किया जाता है। आकस्मिक देयताओं को नोट के रूप में प्रकट किया जात है।

(ङ) प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारभूत अर्जन की गणना कर पश्चात लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के कर पश्चात प्रभाव, यदि कोई है, सहित) को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या से घटाकर की जाती है। प्रति शेयर मिश्रित अर्जन प्रति शेयर आधारभूत अर्जन के समान ही है क्योंकि तुलन–पत्र की तारीख को कोई भी संभावित इक्विटी शेयर नहीं हैं।

नोट संख्या 3. शेयर पूंजी

(राशि रूपए में)

विवरण प्राधिकृतः	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
प्रत्येक 10 रूपए के 50000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रूपए के 50000 इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयरः		
प्रत्येक 10 रूपए के 50000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रूपए के 50000 इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
कुल जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूंजी	500,000	500,000

(क) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का मिलान

	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि (रू)	शेयरों की संख्या	राशि (रू)
इक्विटी शेयर				
वर्ष की शुरूआत में बकाया	50,000	500,000	50,000	500,000
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	–	–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया	50,000	500,000	50,000	500,000

(ख) इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें / अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य 10 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट देने के लिए पात्र है।

कंपनी के परिसमापन के मामले में इक्विटी शेयर धारक सभी प्राथमिक राशियों के विवरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह वितरण शेयर धारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

(ग) धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर

कंपनी द्वारा जारी किए गए 50,000 इक्विटी शेयरों में से इसकी धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर निम्नानुसार हैं:

(राशि रूपए में)

	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी		
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष : 50,000)	500,000	500,000

(घ) कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के विवरण

	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारिता का %	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारिता का %
प्रत्येक 10 रू. के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर				
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*	50,000	100%	50,000	100%
योग	50,000	100%	50,000	100%

*इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखे जाते हैं।

नोट संख्या 4. आरक्षित और अधिशेष निधियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
लाभ और हानि लेखे के विवरण में अधिशेष राशि		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया	174,463	118,120
योग : वर्ष के लिए लाभ	–	56,343
वर्ष के अंत में बकाया	174,463	174,463
योग	174,463	174,463

नोट संख्या 5. दीर्घकालिक ऋण

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत)		
(प्रतिबद्धता अग्रिम)		
बेंगलौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	–	65,000,000
केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	–	30,000,000
मेंगलौर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	–	15,000,000
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	–	40,000,000
सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश	–	40,000,000
पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	–	20,000,000
तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	–	160,000,000
यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	–	30,000,000
जोड़	–	400,000,000

गत वर्ष के लिए अप्रतिभूत ऋणों के लिए पुर्नभुगतान की शर्तें

अन्य ऋण और अग्रिम	सफल बोलीदाता को कंपनी के स्थानांतरण की तारीख से 15 दिन के भीतर पुर्नभुगतान हेतु देय

नोट संख्या 6. अन्य दीर्घ–कालीन देयताएं

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
दीर्घ कालीन ऋणों पर संचित ब्याज, परन्तु देय नहीं	–	169,276,592
योग	–	169,276,592

नोट संख्या 7. अल्पकालीन ऋण

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
(अप्रतिभूत)		
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम		
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी)	38,764,673	–
योग	38,764,673	–

अप्रतिभूत ऋणों के लिए पुनर्भुगतान की शर्तें

संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम	सफल बोलीदाता को कंपनी के स्थानांतरण की तारीख से 15 दिन के भीतर पुर्नभुगतान हेतु देय

नोट संख्या 8. व्यावसायिक देयताएं

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
राइट्स लिमिटेड	–	744,525
योग	–	744,525

नोट संख्या 9. अन्य चालू देयताएं

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
दीर्घकालीन ऋणों (अप्रतिभूत)पर चालू परिपक्वताएं		
(प्रतिबद्धता अग्रिम)		
बेंगलौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	65,000,000	–
केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	30,000,000	–
मेंगलौर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	15,000,000	–
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	40,000,000	–
सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश	40,000,000	–
पंजाब स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड	20,000,000	–
तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड	160,000,000	–
यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	30,000,000	–
	400,000,000	–
संचित ब्याज पर ऋण पर देय नहीं	213,200,329	–
अन्य भुगतान		
सुरक्षा जमा राशि	400,000	400,000
सांविधिक देयता (स्रोत पर कर की कटौती)	4,830,828	2,301,829
व्यय का भुगतान	960,892	1,446,999
भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त की गई राशि	835,743,737	–
योग	1,455,135,786	4,148,828

नोट संख्या 10. अल्पकालिक प्रावधान

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
आयकर के लिए प्रावधान	–	24,467
योग	–	26,467

नोट संख्या 11. अमूर्त परिसंपत्तियां

(राशि रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1.4.2013 को अथशेष बकाया	वृद्धि/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.3.2014 को इतिशेष	1.4.2013 को अथशेष	वर्ष के लिए	कटौती/ समायोजन	31.3.2014 को इतिशेष	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार
कार्यालयी उपकरण	169,987	–	–	169,987	128,861	14,086	–	142,947	27,040	41,126
फर्नीचर और फिक्चर	3,300	–	–	3,300	3,300	–	–	3,300	–	–
योग	**173,287**	–	–	**173,287**	**132,161**	**14,086**	–	**146,247**	**27,040**	**41,126**
पूर्ववर्ती वर्ष	173,287	–	–	173,287	109,321	22,840	–	132,161	41,126	

नोट संख्या 12. जारी पूंजीगत कार्य

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
जारी प्रारंभिक पूंजीगत कार्य (आईईडीसी)	341,367,301	253,223,795
योग : निर्माण अवधि के दौरान व्यय से स्थानांतरित (नोट– 19)	134,634,289	88,143,506
	476,001,590	341,367,301
भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजीगत व्यय	75,325,159	46,639,428
योग	551,326,749	388,006,729

नोट संख्या 13. दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
अप्रतिभूत और सही मानी गई पूंजीगत अग्रिम (भूमि के लिए)	835,743,737	–
योग	835,743,737	–

नोट संख्या 14. अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
अप्रतिभूत और सही मानी गई संबंधित पक्षकारों से प्राप्त होने वाली, परन्तु देय नहीं (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि., धारक कंपनी)	–	103,006,048
योग	–	103,006,048

नोट संख्या 15. नकदी और नकदी समतुल्य

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
बैंकों में बकाया राशियां		
चालू खाते में	12,265	882,528
योग	12,265	882,528

नोट संख्या 16. अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
असुरक्षित और सही माना गया		
संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम		
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी)	–	82,084,137
अन्य		
प्रतिभूत जमा	10,650	10,650
अग्रिम आय कर	–	25,195
स्रोत पर कर की कटौती, वापसी योग्य	955,658	814,462
योग	966,308	82,934,444

नोट संख्या 17. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
संबंधित पक्षकारों से प्राप्त होने वाला ब्याज परन्तु देय नहीं (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि., धारक कंपनी)	106,498,823	–
योग	106,498,823	–

नोट संख्या 18. अन्य आय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
आरएफक्यू/आरएफपी की बिक्री	34,900,000	–
घटाएं: बोलीदाता दस्तावेज का मूल्य	34,900,000	–
आय कर रिफंड पर ब्याज	–	81,538
योग	–	81,538

नोट सं. 19. निर्माण अवधि के दौरान व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
व्यय				
उपयोग किए गए अंश पर ब्याज	45,100,051		34,999,905	
उपयोग न किए गए अंश पर ब्याज	3,646,701		10,679,364	
घटाएं: उपयोग न किए गए अंश पर ब्याज	3,646,701	45,100,051	10,679,364	34,999,905
जन शक्ति प्रभार		31,451,129		34,175,117
प्रचार और प्रचार व्यय		17,391,425		–
सर्वेक्षण और अध्ययन व्यय		12,087,110		9,089,461
टीएनपीसीबी के लिए फीस		8,000,000		–
व्यावसायिक, कानूनी और परामर्श प्रभार		6,343,100		3,037,320
दौरा और यात्रा व्यय		4,880,933		1,420,112
आउटसोर्सिंग व्यय		3,069,091		1,937,963
वाहन किराया व्यय		2,378,804		1,508,656
अन्य प्रशासनिक व्यय		1,829,647		1,152,521
आवेदन शुल्क		900,000		–
मुद्रण और स्टेशनरी व्यय		741,092		383,847
किराया		236,893		197,784
टेलीफोन व्यय		87,646		67,925
लेखापरीक्षक को भुगतान				
–लेखापरीक्षक के रूप में		87,781		114,747
–अन्य रूप में		22,427		16,854
मूल्यह्रास		14,086		22,840
बैंक प्रभार		12,933		550
टीडीएस पर ब्याज		141		–
आयकर पर ब्याज		–		17,904
योग		134,634,289		88,143,506

20. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कंपनी को विद्युत की खरीद करने वाली कंपनियों (खरीददारों) से संगत खरीददारों और सफल बोलीदाता के साथ विद्युत खरीद करार के माध्यम से परियोजना के पूर्ण होने पर विद्युत के विनिर्दिष्ट भाग के आबंटन के विरूद्ध अंशदान के रूप में 40,00,00,000 रूपए (गतवर्ष 40,00,00,000 रूपए) का संपूर्ण प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त प्रतिबद्धता अग्रिम को तुलन–पत्र में अन्य चालू देयताओं (गत वर्ष: दीर्घकालिक ऋण) के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी यूएमपीपी के विकास के संदर्भ में विद्युत मंत्रालय में हुई बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 12, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि "खरीददार एसपीवी में इक्विटी के रूप में अस्थाई निधि सहयोग (इनफ्युज़न) के लिए प्रतिबद्धता अग्रिम उपलब्ध कराएंगे जिससे कि ऋण के रूप में निधियां लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके, के आलोक में उपर्युक्त प्रतिबद्धता अग्रिम पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु कंपनी / धारक कंपनी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस प्रतिबद्धता अग्रिम पर ब्याज का भुगतान किया गया है। वित्तपोषण करार की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त प्रतिबद्धता अग्रिम और उस पर संचित ब्याज की राशि सफल बोलीदाता को धारक कंपनी द्वारा कंपनी के हस्तांतरण की तारीख से 15 दिन के भीतर खरीददारों को देय होगी।

21. पीएफसी लिमिटेड और कंपनी के बीच वित्तपोषण करार के अनुसार कंपनी द्वारा विकसित की जा रही परियोजना के विकास पर संपूर्ण व्यय पीएफसी लिमिटेड द्वारा खरीददारों से प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त किए जाने तक अपनी निधियों से किए गए और उसके बाद खरीददारों से प्राप्त प्रतिबद्धता अग्रिम से किए गए। तत्पश्चात, खरीददारों से प्रतिबद्धता अग्रिम के रूप में प्राप्त कुल 40,00,00,000 रूपए (गत वर्ष 40,00,00,000 रूपए) की राशि धारक कंपनी (पीएफसी लिमिटेड) के पास रखी गई जिससे परियोजना के लिए किए जाने वाले व्यय को पूरा किया जाएगा। उस पर देय ब्याज तुलन–पत्र में अन्य चालू परिसंपत्तियां (गत वर्ष: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां) शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। हालांकि तुलन–पत्र की तारीख को और पीएफसी लिमिटेड तथा कंपनी के बीच वित्तपोषण करार के अंतर्गत ऐसे प्रतिबद्धता अग्रिम की खर्च न की गई कोई राशि बकाया नहीं है। खरीदवादारों से प्रतिबद्धता अग्रिम के इस्तेमाल के पश्चात पीएफसी लिमिटेड ने अपनी स्वयं की निधियों से व्यय किया है और वित्तपोषण करार के अनुसार इस प्रकार व्यय की गई राशि को अल्पावधि ऋण शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

22. परियोजना की स्थापना की योजना के अनुसार परियोजना की संभावनाएं तलाशने और आरंभिक विकास कार्य के लिए संपूर्ण व्यय जिसमें 50,00,00,000 रूपए का व्यावसायिक शुल्क और लागू कर तथा नियोजित निधियों पर ब्याज शामिल है, की वसूली परियोजना के सफल बोलीदाता से इसकी धारक कंपनी से कंपनी की 100 प्रतिशत इक्विटी शेयरधारिता की खरीद हेतु अधिग्रहण मूल्य के रूप में की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी और इसकी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को सफल बोलीदाता को स्थानांतरित माना जाएगा।

23. कंपनी ने पीएफसीएल / पीएफसीसीएल द्वारा प्रदान की गई परामर्श और व्यावसायिक सेवाओं के लिए पीएफसीएल / पीएफसीसीएल को शुल्क के रूप में 50,00,00,000 रूपए और लागू करों की राशि का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। पीएफसीएल / पीएफसीसीएल को देय परामर्श और व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु शुल्क परियोजना के लिए सफल बोलीदाता का चयन हो जाने और सफल बोलीदाता को कंपनी के हस्तांतरण पर ही देय होगा। इसलिए पीएफसीएल / पीएफसीसीएल को देय शुल्क के लिए देनदारी विषयक कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि यह राशि कंपनी के स्थानांतरण के मामले में सफल बोलीदाता को कंपनी के हस्तांतरण वाले वर्ष में प्रभारित की जाएगी।

24. कंपनी पीएफसी को अपनी ओर से किए गए व्यय पर ब्याज का भुगतान करने के साथ–साथ धारक कंपनी की नीति के अनुसार निर्धारित दरों पर प्रतिबद्धता अग्रिम को परियोजना के लिए प्रयोग में लाई गई और उपयोग न की गई निधियों के रूप में विभाजित कर प्रतिबद्धता अग्रिम पर खरीददारों को भी ब्याज का भुगतान करती है। प्रयोग में लाई गई निधियों पर प्रभारित ब्याज की दर पीएफसी में "राज्य क्षेत्र के कर्जदार (श्रेणी 'क')" के अंतर्गत ऋणकर्ताओं के लिए समय–समय पर निर्धारित परियोजना ऋण/ योजना (उत्पादन) हेतु लागू दरों के समतुल्य है और उपयोग न की गई राशि पर ब्याज दर पीएफसी से प्राप्त / देय ब्याज "पीएफसी की मासिक औसत अल्पावधि जमा दर" के अनुरूप है। उपयोग न की गई निधियों पर ब्याज पीएफसी से देय है और उसका भुगतान खरीददारों को किया जाता है। इस वर्ष के लिए ब्याज संबंधी व्यय 4,87,46,752 रूपए (गतवर्ष 4,56,79,269 रूपए) में उपयोग न की गई राशि पर 36,46,701 रूपए (गतवर्ष 1,06,79,364 रूपए) और उपयोग की राशि पर 4,51,00,051 रूपए (गतवर्ष 3,49,99,905 रूपए) की राशि शामिल है। उपयोग किए गए अंश पर ब्याज को पूंजीकृत किया गया है। देय ब्याज को अन्य दीर्घकालीन देयताएं शीर्ष (गत वर्ष अन्य दीर्घकालीन देयताएं) के अंतर्गत दर्शाया गया है।

25. तमिलनाडु परियोजना (यूएमपीपी) के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया औद्योगिक उद्देश्यों के लिए तमिलनाडु भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1997 के अनुसार पूरी की जा रही है। भूमि के अधिग्रहण हेतु तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक मंजूरियों (एएस) के अनुसार मुख्य प्लांट, ऐश डाइक और कैप्टिव पोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु निजी भूमि का संभावित मूल्य लगभग 83.57 करोड़ रूपए होगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा सरकारी भूमि का मूल्य अभी सूचित किया जाना है। प्रशासनिक मंजूरियों में दर्शाई गई भूमि की सीमाओं को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ)/

तमिलनाडु सरकार के निर्देशानुसार संशोधित किया जा सकता है। तथापि, भूमि का वास्तविक मूल्य परियोजना के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली निजी और सरकारी दोनों भूमि के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा अंतिम अधिनिर्णय जारी किए जाने के पश्चात ही ज्ञात होगा। कंपनी ने भूमि की लागत, भूमि अधिग्रहण के लिए स्थापना और अन्य प्रभारों को वहन करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है और उप न्यायालय / उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति को भी वहन करने की पुष्टि की है। इसके अलावा, अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि में वन भूमि (लगभग 25 एकड़) शामिल है और कंपनी ने पूरक वनीकरण के मद में आने वाली लागत वहन करने के लिए भी अपनी सहमति प्रदान की है। भूमि अधिग्रहण के संबंध में राशि संबंधित प्राधिकारियों से मांग प्राप्त होने तक देय होगी।

26. तमिलनाडु मेरीटाइम बोर्ड से समुद्री जल के उपयोग हेतु "सैद्धांतिक" स्वीकृति प्राप्त हो गई है। जल के प्रयोग संबंधी लागत संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अभी तक सूचित नहीं की गई है।

27. कंपनी के लिए सभी कार्य पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा किया गया है। पीएफसीसीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक के अनुसार कंपनी के लिए कार्मिकों द्वारा वास्तविक रूप से बिताए गए कार्य दिवसों के आधार पर कंपनी की लागत के अनुसार पीएफसीसीएल द्वारा प्रभारित अपने कर्मचारियों की जनशक्ति लागत के रूप में 3,14,51,129 रूपए (गतवर्ष 3,41,75,117 रूपए) का जनशक्ति प्रभार वसूल किया गया और इसमें श्री एन डी त्यागी (निदेशक) का 14,95,512 रूपए (गत वर्ष 11,28,400 रूपए), श्री सी गंगोपाध्याय (निदेशक) का 8,82,475 रूपए (गत वर्ष शून्य रूपए) और श्री योगेश जुनेजा (निदेशक) का 62,74,054 रूपए (गत वर्ष 39,88,400 रूपए) का प्रभार शामिल है। पीएफसी लिमिटेड इसके द्वारा आबंटित व्यय के लिए यथालागू "स्रोत पर कर की कटौती" से संबंधित सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन कर रही है।

28. अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शाए गए व्यय मुख्य रूप से पीएफसी / पीएफसीसीएल द्वारा एसपीवी को आबंटित किए जाते हैं। एसपीवी से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय 100: आधार पर तथा साझा व्यय विभिन्न एसपीवी और सेवाओं के आबंटन के बीच होता है। पीएफसी/ पीएफसीसीएल द्वारा किए गए ऐसे व्यय के संदर्भ में मूल सहायक बिल पीएफसी/ पीएफसीसीएल के नाम पर होते हैं और उनके पास ही रखे जाते हैं जिनकी प्रतियां कंपनी के पास भी उपलब्ध हैं। पीएफसी/ पीएफसीसीएल इन कंपनियों के लिए यथालागू "स्रोत पर कर की कटौती और सेवा कर आदि" से संबंधित सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन कर रही हैं।

29. पूंजीकृत किए जाने हेतु आवश्यक सभी व्यय सहित निर्माण अवधि (नोट 19) के दौरान व्यय से संबंधित विवरण तैयार किए गए हैं और उन्हें जारी पूंजीगत कार्य शीर्ष में शामिल किया गया है।

30. (i) पूंजीगत लेखे में क्रियान्वित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित और उपलब्ध न कराई गई राशि 91,77,865 रूपए (गत वर्ष 1,43,67,408 रूपए) है।

(ii) चूंकि प्रक्रिया बिल्कुल शुरूआती चरण में है, कॉरीडोर के लिए भूमि के मूल्य को अतिरिक्त रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(iii) चयनित बोलीकर्ता को भूमि अधिकार के हस्तांतरण तक भूमि की प्रतिबंधित अभिरक्षा बनाए रखने के लिए किया गया व्यय कंपनी द्वारा किया जाएगा और यह भूमि के कब्जा लेने पर परियोजना स्थल के चारों ओर चेन लिंकिंग/फेंसिंग के उन्निर्माण के लिए लगभग 1,74,30,000 रुपए होगा।

(iv) भूमि अधिग्रहण की तारीख से भूस्वामी को भुगतान तक भूमि अधिग्रहण की लागत पर देय ब्याज। इस राशि का निर्धारण इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि तमिलनाडु सरकार द्वारा अभी इसका भुगतान किया जाना है।

31. (i) कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी लिमिटेड)/ (धारक कंपनी) और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी) और विद्युत की खरीद करने वाले राज्यों से हैं और उन्हें अशंकालिक आधार कंपनी में तैनात किया गया।

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार ऐसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पदावधि समाप्त होने की तारीख
1	श्री आर नागराजन	अध्यक्ष	31.12.2009	जारी
2	श्री सी गंगोपाध्याय	निदेशक	19.12.2013	जारी
3	श्री आर रहमान	निदेशक	30.09.2011	जारी
4	श्री ए के गुप्ता	निदेशक	22.12.2008	जारी
5	श्री योगेश जुनेजा	निदेशक	31.12.2009	जारी
6	श्री के विजयानंद*	निदेशक	19.08.2009	जारी
7	श्री आर गणपति संकरन*	निदेशक	28.05.2013	जारी
8	श्री एमजी सुरेश बाबू*	निदेशक	21.12.2013	जारी
9	श्री एन डी त्यागी*	निदेशक	31.12.2009	19.12.2013
10	श्री जे उत्थासूर्यन*	निदेशक	20.03.2012	28.05.2013
11	श्री के. एन. रमेश*	निदेशक	04.02.2013	24.09.2013
12	श्री नवीन कुमार राजू*	निदेशक	24.09.2013	21.12.2013

*विद्युत की खरीद करने वाले राज्यों से हैं

(ii) लेखांकन मानक (एएस)18 – "संबंधित पक्षकार प्रकटन" के अनुसार प्रकटन;

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं जिन पर पीएफसी / पीएफसीसीएल के नामितियों का नियंत्रण होता है।

लेखाओं में दर्शाए अनुसार और प्रबंधन द्वारा यथा अधिप्रमाणित किए अनुसार संबंधित पक्षकार के लेखाओं में वर्ष के दौरान अधिकतम डेबिट किए गए बकाया राशियों के विवरण निम्नानुसार हैं :–

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड – 82,964,137/–रु. (गत वर्ष 153,727,713/– रु.)

(iii) संबंधित व्यक्ति निम्नानुसार हैं:–

(क) संबंधित पक्षकारों के नाम और उनके साथ संबंध का स्वरूप:–

क्र. सं.	संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी लि.)	धारक कंपनी
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
3	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
4	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
5	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
6	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
7	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
8	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
9	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
10	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
11	पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
12	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
13	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
14	उड़ीसा इंफ्रापावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
15	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
16	डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
17	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12.03.2014 सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
18	पेट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	13.11.2013 सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
19	पुरुलिया खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	09.12.2013 सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
20	दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	10.12.2013 सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
21	बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
22	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम

(iv) संबंधित पक्षकार लेनदेन केवल धारक कंपनी (पीएफसी लि.) के साथ भी किए गए हैं। विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	व्यय	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
		₹	₹
1.	ब्याज आय	3,646,701	10,679,364
2.	ब्याज व्यय	516,597	2,238
3.	जनशक्ति प्रभार*	31,451,129	34,175,117
4.	इतिशेष बकाया राशि		
(क)	ऋणों पर संचित परंतु देय नहीं ब्याज	534,351	17,754
(ख)	प्राप्त होने वाला ब्याज	106,498,823	103,006,048
(ग)	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	–	82,084,137
(घ)	ऋण	38,764,673	–

*पीएफसीसीएल द्वारा प्रभारित

32. कंपनी के पास वर्ष के अंत में लघु उद्योग (स्मॉल–स्केल) यूनिटों की कोई बकाया राशियां नहीं हैं, अतः ब्याज का कोई प्रावधान बनता ही नहीं है। इसके अलावा, प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत शामिल उद्यमों को देय कोई भी बकाया राशियां नहीं हैं।

33. बोर्ड के दृष्टिकोण में कंपनी के सामान्य कारोबार के दौरान वसूली पर अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां और तुलन–पत्र में दर्शाए अनुसार अल्पकालिक ऋण और अग्रिम के संबंध में यह अपेक्षित है कि इन्हें कम से कम उतना अवश्य दर्शाया जाए जितना बताया गया है।

34. लेखापरीक्षकों का मेहनताना (सेवा कर सहित)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
		₹	₹
1.	लेखापरीक्षा शुल्क	87,781	114,747
2.	पॉकेट व्यय में से	22,427	16,854

35. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित "प्रति शेयर अर्जन" पर लेखांकन मानक – 20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत और मिश्रित) की गणना निम्नानुसार की जाती है:

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
1	शेयर का सामान्य मूल्य (रूपए)	10	10
2	इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या)	50,000	50,000
3	कर पश्चात निबल लाभ (रूपए)	–	56,343
4	प्रति शेयर अर्जन (रूपए)	–	1.13

36. प्रचालन पट्टा (लीज)

कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा संबंधी व्यवस्थाएं 1–2 वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय परिसरों के पट्टे पर प्रचालन के संदर्भ में की गई हैं। पट्टे संबंधी ये व्यवस्थाएं आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित शर्तों के अनुसार सामान्यतः नवीनीकृत की जाती हैं। कार्यालयों के लिए परिसरों के संबंध में पट्टा संबंधी भुगतान 2,36,893 रुपए (गत वर्ष 1,97,784 रुपए) को निर्माण अवधि के दौरान व्यय (नोट 19) में "किराया" शीर्ष में शामिल किया गया है।

37. विभिन्न वैयक्तिक लेखाओं में बकाया राशियां उसकी और पुनर्मिलान के अधीन हैं। कंपनी ने खाता बहियों के अनुसार उनकी बकाया राशियों की पुष्टि के लिए दीर्घकालिक ऋणों, देय ब्याज, प्राप्त होने वाले ब्याज आदि के अंतर्गत शामिल विभिन्न पक्षकारों को पत्र भेजे हैं, जिसके लिए कुछ संगत पक्षकारों से इसकी पुष्टि अभी प्राप्त होनी है।

38. चूंकि कंपनी में कोई कार्मिक नहीं है अतः लेखांकन मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार बाध्यता का प्रश्न ही नहीं उठता।

39. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के अंतर्गत अधिसूचित सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है। हालांकि, आस्थगित कर देयता / समय अंतराल से संबंधित परिसंपत्ति संबंधी लेखांकन मानक – 22 इस तथ्य के आलोक में कंपनी के लिए लागू नहीं होता है कि कंपनी अभी भी निर्माण चरण पर है और अभी इसका प्रचालन शुरू किया जाना है।

40. प्राप्त की गई आरएफक्यू/आरएफपी राशि पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को दी जाती है चूंकि बोली प्रक्रिया उनके द्वारा लगाई जाती है। प्रबंधन यह प्रमाणित करती है कि आरएफक्यू/आरएफपी दस्तावेज पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के द्वारा तैयार किए जाते हैं और उनकी ओर से बेचे जाते हैं।

41. बोली प्रक्रिया की समय–सूची के अनुसार, प्रस्तावना का अनुरोध 21 मई 2014 तक भेजना है। तत्पश्चात बोली प्रक्रिया के पूर्ण होने पर तथा विद्युत मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त होने पर , जिस पर इसकी सारी परिसंपत्तियां और देयताएं और कंपनी के इक्विटी शेयर हैं, चयनित बोलीदाताओं को हस्तांतरित किया जाएगा। इस प्रकार विभिन्न संपत्तियों और देयताओं को चालू से चालू नहीं वाली श्रेणी में यह सोचकर पुनःवर्गीकृत किया जाएगा कि चयनित बोलीदाता सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन–पत्र की तारीख से 12 महीने के अंदर ले लेगा और सभी ऋणों वाली राशियों को चयनित बोलीदाताओं द्वारा भुगतान किया जाएगा।

42. कंपनी अधिनियम 1956 की नई अनुसूची VI के भाग– I। के पैरा 5 (ii), (iii) और (viii) के प्रावधानों के अनुरूप ज्यादातर अतिरिक्त सूचना कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि परियोजना अभी भी विकास चरण पर है और कंपनी को अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप अभी शुरू करने हैं। लागू सूचना निम्नानुसार उपलब्ध कराई गई है :

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय – शून्य (गत वर्ष – शून्य)

(ख) विदेशी विनिमय से आय – शून्य (गत वर्ष – शून्य)

43. कंपनी अभी प्रचालनरत नहीं है, तथापि कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर चालू के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 12 माह की अवधि के अंतराल को अपनाया है।

44. अन्यथा उल्लेख न किए जाने की स्थिति में आंकड़ों को निकटतम रूपए के रूप में राउंडऑफ कर दिया गया है।

45. आवश्यक होने पर चालू वर्ष के वर्गीकरण के साथ पुष्टि के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत / री–ग्रुप किया गया है, जिससे कि चालू वर्ष के वर्गीकरण के साथ एकरूपता स्थापित किया जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेजा)	(ए. के. गुप्ता)	(आर. नागराजन)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
गुप्ता नंदा एण्ड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
(फर्म पंजीयन संख्या 9039एन)

संजीव नंदा
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 87108

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी)

निदेशक रिपोर्ट 2013–14

सेवा में,

सदस्यगण

निदेशकों को 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के निष्पादन पर आठवीं (8वीं) वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखाओं के लेखा–परीक्षित विवरण, लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट और और उसी अवधि के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा–परीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रचालनात्मक कार्यकलाप

आपकी कंपनी की स्थापना उड़ीसा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) के विकास हेतु पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के साथ साथ एक विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) के रूप में 24 अगस्त 2006 को की गई।

परियोजना से विद्युत की खरीद 9 राज्यों द्वारा की जाएगी जिसमें उड़ीसा (1300 मेगावाट), पंजाब (500 मेगावाट), राजस्थान (400 मेगावाट), हरियाणा (400 मेगावाट), मध्य प्रदेश (400 मेगावाट), उत्तर प्रदेश (300 मेगावाट), तमिलनाडु (300 मेगावाट), उत्तराखंड (200 मेगावाट) और छत्तीसगढ़ (200 मेगावाट) शामिल हैं।

रिपोर्ट की तारीख तक परियोजना की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है :

1. जल संसाधन विभाग, उड़ीसा सरकार (जीओओ) ने परियोजना के लिए जनवरी, 2009 में एकल स्रोत अर्थात हीराकुंड जलाशय से जल इस शर्त पर आबंटित किया कि हीराकुंड बांध के अपस्ट्रीम में अतिरिक्त भंडारण योजना के विकास हेतु निधियन के संबंध में वचनबद्धता दी जाए। इस संबंध में वचनबद्धता जुलाई 2011 में दी गई।
2. कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने परियोजना के लिए उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड को आईबी रिवर कोल फील्ड्स में अवस्थित मीनाक्षी (285 मिट्रिक टन), मीनाक्षी – बी (250 मिट्रिक टन) और डिपसाइड ऑफ मीनाक्षी (350 मिट्रिक टन) कोयला ब्लॉक आबंटित किए हैं। वन भूमि से कब्जा छोड़ने और तत्पश्चात सीमा रेखा के पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप मूल रूप से आबंटित किए गए कोयला आरक्षित भंडारों को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मीनाक्षी (285 मिट्रिक टन), मीनाक्षी – बी (254 मिट्रिक टन) और डिपसाइड ऑफ मीनाक्षी (299 मिट्रिक टन) के रूप में संशोधित किया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कोयला ब्लॉकों को जून 2011 में "नो – गो" क्षेत्र से "गो" क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया।
3. भूमि अधिग्रहण के साथ परियोजना कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विद्युत की खरीद करने वाले सभी राज्यों ने उन्हें आबंटित विद्युत की हिस्सेदारी के अनुपात में निजी भूमि की लागत के रूप में 2732.56 हेक्टेयर/एकड़ निजी भूमि अधिग्रहण के लिए 718.66 करोड़ रुपए की राशि ओआईपीएल के पास जमा की। ओआईपीएल ने जून, 2013 में निजी भूमि की लागत आईडीसीओ के पास जमा की। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत धारा 11 की अधिसूचना 10.08.2013 को जारी की गई है। परियोजना से प्रभावित परिवारों के मुआवजे का संवितरण जारी है। ओआईपीएल ने भूमि के अतिरिक्त मूल्य के लिए 145 करोड़ रुपए में से 54.42 करोड़ रुपए खरीदारों से प्राप्त करने के बाद आईडीसीओ को जमा किया।
4. सरकारी गैर वन भूमि 33 मामलों में अन्यदेशीय किया जा रहा है। 27 मामले जिला प्रशासन, सुंदरगढ़ के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ओआईपीएल द्वारा आईडीसीओ को 7 मामलों के लिए भुगतान किया जा चुका है। 7 लीज मामलों में से 3 मंजूरी मामलों का कलेक्टर कार्यालय में निष्पादन के अंतर्गत है तथा 3 अनुज्ञा पजेशन मामलों के आदेश का निर्गमन तहसील कार्यालय के प्रक्रियाधीन है।
5. निजी और सरकारी भूमि अधिग्रहण के लिए आवेदन आईडीसीओ के साथ एमजीआर और पीओएल कॉरीडोर तथा वाटर कॉरीडोर के लिए क्रमशः 27.12.2013 तथा 31.1.2014 को फाईल किया गया।
6. वन भूमि से गैर वन भूमि के रूप में प्रयोग हेतु परिवर्तन के लिए आवेदन आईडीसीओ के माध्यम से वन के मुख्य प्रधान संरक्षक को मई 2011 में प्रस्तुत किया गया जो राउरकेला में आरसीसीएफ के कार्यालय में प्रक्रियाधीन है।
7. अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) के अनुसार आबंटन 'लाइसेंस के द्वारा विद्युत की खरीद के लिए बोली प्रकिया के द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए गाइडलाइन' 11.06. 2010 को जारी किया गया अनुरोध निष्प्रभावी कर दिया गया।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने 21.09.2013 को वसूली के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार आरएफक्यू 25.09.2013 को जारी किया गया। इसके जवाब में 9 बोलीदाताओं से आरएफक्यू प्राप्त हुए। सभी 9 बोलीदाता आरएफक्यू प्रशिक्षित थे। प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) 27.12.2013 को जारी किए गए। 5 बोलीदाताओं ने आरएफपी दस्तावेज खरीदे हैं। विद्युत मंत्रलाय के निर्णय के अनुसार बोली जमा करने की अंतिम तारीख तीन गुणा आगे बढ़ा दी गई है और यह बढ़कर 07. 10.2014 को हो गई है।

वित्तीय समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रारंभ नहीं किए हैं। तथापि, वर्ष के दौरान कंपनी ने परियोजना के विकास में 43.85 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है जिसे जारी पूंजीगत कार्य मद में स्थानांतरित किया गया है। 31 मार्च, 2014 तक कंपनी द्वारा किया गया कुल व्यय 843.86 करोड़ रुपए है।

लाभांश

चूंकि आपकी कंपनी ने अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू नहीं किए हैं, अतः वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

शेयर पूंजी

कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5,00,000 लाख रुपए (पांच लाख रुपए मात्र) है, जिसमें प्रत्येक 10 रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखी जाती है।

प्रतिबद्धता अग्रिम

आपकी कंपनी को सभी खरीदारों से 40.00 करोड़ रुपए का संपूर्ण प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त हुआ है।

सावधि जमा

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कोई भी सावधि जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाला अर्जन और बहिर्गमन

चूंकि कंपनी के प्रचालन में कोई भी विनिर्माण अथवा संसाधन गतिविधियां शामिल नहीं है, अतः कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी विवरण लागू नहीं हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय से कोई भी अर्जन अथवा बहिर्गमन नहीं हुआ है।

लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

मैसर्स जैन एंड मलहोत्रा, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक और महालेखा–परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी के लेखाओं पर लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी, अवलोकन अथवा अर्हता नहीं हैं।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कार्मिकों के विवरण

कंपनी के अपने रोल में कोई भी कर्मचारी नहीं है। अतः कंपनी (कार्मिकों के विवरण) संशोधन नियमावली, 2011 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत यथानिर्धारित कार्मिकों के विवरण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

निदेशक

निदेशकों की अंतिम रिपोर्ट की तारीख से कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए :–

- पावर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पीएफसी), धारक कंपनी द्वारा जारी किए गए कार्यालय आदेश के अनुक्रम में श्री एम के गोयल के स्थान पर श्री ए के अग्रवाल को 24 सितंबर, 2013 से कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- पावर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पीएफसी), धारक कंपनी द्वारा जारी किए गए कार्यालय आदेश के अनुक्रम में श्री एन डी त्यागी के स्थान पर श्री सी गंगोपाध्याय को 16 दिसंबर, 2013 से कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

- पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने श्री सुरिंदर पाल, निदेशक वाणिज्य, पीएसपीसीएल को श्री जी एस छाबड़ा, निदेशक, पीएसपीसीएल की जगह कंपनी का निदेशक नामित किया है। तदनुसार श्री सुरिंदर पाल को श्री जी एस छाबड़ा की जगह 13 अगस्त 2014 से कंपनी का अपर निदेशक नियुक्त किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 (1) के प्रावधानों के अनुसार श्री ए के अग्रवाल, श्री सी गंगोपाध्याय और श्री सुरिंद्र पाल आगामी वार्षिक आम बैठक तक अपने पद पर बने रहेंगे। निदेशक मंडल सिफारिश करता है कि श्री ए के अग्रवाल, श्री सी गंगोपाध्याय और श्री सुरिंद्र पाल को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल श्री एम के गोयल, श्री एन डी त्यागी और श्री जी सी छाबड़ा द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए मूल्यवान योगदान के लिए उनकी हार्दिक से प्रशंसा करता है।

कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 152 (6) के प्रावधानों के अनुसार श्री श्री आर. रहमान, निदेशक और श्री योगेश जुनेजा, निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आमसभा में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होने के नाते उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा।

उपर्युक्त परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य हैं:

श्री ए के अग्रवाल	अध्यक्ष
श्री सी गंगोपाध्याय	निदेशक
श्री आर. रहमान	निदेशक
श्री के. श्रीधर	निदेशक
श्री योगेश जुनेजा	निदेशक
श्री हेमन्त शर्मा	निदेशक (उड़ीसा राज्य के प्रतिनिधि)
श्री एस.के. जैन	निदेशक (राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि)
श्री सुरिंदर पाल	निदेशक (पंजाब राज्य के प्रतिनिधि)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

सी एंड एजी ने अपने दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों के कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ख) के अंतर्गत एक अनुपूरक लेखा–परीक्षा आयोजित की है।

सी एंड एजी ने दिनांक 25 अगस्त, 2014 के पत्र के जरिए उल्लेख किया है कि उनकी लेखा परीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ भी उनकी जानकारी में नहीं आया है जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत किसी अनुपूरक सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी देगा। इस संबंध में सी एंड एजी द्वारा जारी किए गए पत्र की प्रति अनुबंध 1 में दी गई है।

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क क) के अंतर्गत यथावश्यक आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और वास्तविक प्रकटन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि वित्तीय वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया है।
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे एक जारी (निरंतर कार्यरत) कंपनी के रूप में तैयार किए हैं।

स्वीकारोक्ति

निदेशक केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रति कंपनी को उनके द्वारा दी गई सहायता, किए गए उत्साहवर्धन हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कंपनी विशेषरूप से भारत के नियंत्रक और महालेखा–परीक्षक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, उड़ीसा सरकार, सांविधिक लेखा–परीक्षकों और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रति उनके निरंतर सहयोग, सुझाव और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–

(ए. के. अग्रवाल)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 अगस्त, 2014

अनुबंध 1

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा–परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा–परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा–परीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा–परीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि ये कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 23 मई, 2014 की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महा लेखा–परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ख) के अंतर्गत एक अनुपूरक लेखा–परीक्षा आयोजित की है। यह अनुपूरक लेखा–परीक्षा बिना किसी कागजी सांविधिक लेखा–परीक्षा के स्वतंत्रापूर्वक की गई है तथा यह प्रथमतः सांविधिक लेखा–परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की जांच तथा लेखा रिकॉर्डों के पूर्ण परीक्षण पर आधारित है। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ भी मेरी जानकारी में नहीं आया है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत किसी अनुपूरक सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी देगा।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा–परीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा–परीक्षा और
पदेन सदस्य लेखा–परीक्षा बोर्ड – ।।।
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 अगस्त, 2014

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड

हमने उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र के साथ साथ लाभ तथा हानि विवरण और उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए संलग्न नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और स्पष्टीकरण योग्य सूचनाओं/टिप्पणियों पर संक्षिप्त विवरण शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संदर्भ में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सितंबर, 2013 के सामान्य परिपत्र संख्या 15/2013 द्वारा पठित कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") में संदर्भित लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी, डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का कार्यान्वयन और संगत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखा–परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा–परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के अंतर्गत यह आवश्यक है कि हम लेखा–परीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखा–परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखा–परीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा–परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों । इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक कंपनी की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है जिससे कि ऐसी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सके जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं । किसी लेखा–परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वूपर्ण अनुमानों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखा–परीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथा आवश्यक सूचना विहित ढंग से इस प्रकार से प्रदान करते हैं जिससे कि वे भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकें।

(i) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति

(ii) लाभ और हानि विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का शून्य (लाभ/हानि) और

(iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनियां (लेखा–परीक्षक रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 द्वारा संशोधित कंपनी (लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के अनुसार यथा आवश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में कंपनी के लिए लागू सीमा के अनुसार उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफग्राफ 4 और 5 में विर्निदिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा–परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

(ख) हमारे दृष्टिकोण से जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई और रखी गई है;

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं अर्थात उनसे मेल खाते हैं;

(घ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग 133 के मामले में व्यवसाय मामला मंत्रालय के जनरल सर्कुलर 15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम में संदर्भित लेखांकन मानकों के साथ सभी वास्तविक संदर्भों में उनके अनुरूप हैं; और

(ड.) वित्त मंत्रालय, कंपनी मामला विभाग द्वारा जारी सूचना संख्या जी एस आर 829 (ड़) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते, निदेशकों की अनर्हता से संबंधित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खंड (छ) की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं है।

कृते जैन एण्ड मल्होत्रा
फर्म पंजीयन संख्या 003610एन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

दीपक मल्होत्रा
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 080951

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ (1) में 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' वाले भाग में संदर्भित)

1. इसकी स्थाई परिसंपत्तियों के संबंध में :

(क) हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने उपलब्ध सूचना के आधार पर स्थाई परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड तैयार किए हैं।

(ख) हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान स्थाई परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है जो हमारे दृष्टिकोंण से कंपनी के आकार और इसकी परिसम्पत्तियों की प्रकृति के अनुरूप है। ऐसे भौतिक सत्यापन के दौरान बही रिकॉर्डों की तुलना में उनमें कोई वास्तविक कमी नहीं पाई गई।

(ग) हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान स्थाई परिसंपत्तियों के किसी वास्तविक भाग का निपटान नहीं किया है।

2. कंपनी के पास कोई इनवेंटरी नहीं है । इसलिए खंड 4 (ii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों से अथवा को वर्ष के दौरान कंपनी ने ऋण के रूप में न तो कोई ऋण अथवा अग्रिम लिया है और न ही स्वीकृत किया है। इसलिए खंड 4 (iii) (क) से (ज) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

4. हमारे दृष्टिकोंण से और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में इनवेंटरी और स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद और माल तथा सेवाओं की बिक्री के

लिए कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। हमारी लेखा–परीक्षा के दौरान हमने आंतरिक नियंत्रण में किसी बड़ी कमी को दूर करने में कंपनी की लगातार कोई विफलता नहीं पाई है।

5. हमारे दृष्टिकोण से और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारा यह मानना है कि संविदाओं अथवा वयवस्थाओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऐसे कोई लेन–देन नहीं किए गए जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है।

6. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके नियमों के अंतर्गत भाग 58क और 58क क के अंतर्गत कंपनी ने जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

7. आंतरिक लेखा–परीक्षण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

8. जैसा कि हमें जानकारी है, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित कोई कानून जारी नहीं किया है।

9. (क) कंपनी के रिकॉर्डों के अनुसार कंपनी आय कर, सेवा कर, यथालागू सीमा तक उप कर और अन्य सांविधिक बकाया राशियों सहित सांविधिक देयताओं सहित सभी अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान संबंधित प्राधिकारियों को सामान्यतः नियमित रूप से किया गया है। हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित सांविधिक देयताओं की बकाया राशि उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर, सेवा कर के संदर्भ में ऐसी कोई भी देय राशि नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा न किया गया हो।

10. कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर हानि संचित नहीं की है हालांकि इस वित्तीय वर्ष में कंपनी को कोई नकद हानि नहीं हुई है।

11. अवधि के दौरान किसी वित्तीय संस्थान, बैंक अथवा डिबेंचर धारकों को कोई बकाया राशि नहीं देनी थी। अतः आदेश के खंड 4 (xi) का प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

12. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा आधार पर कोई ऋण और अग्रिम स्वीकृत नहीं किया है।

13. हमारे दृष्टिकोण में कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि / म्यूचुअल लाभ अर्जित करने वाली निधि, न्यास / सोसाइटी नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 4 (xiii) का प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

14. चूंकि कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेश में व्यावसाय अथवा कारोबार नहीं करती है, अतः आदेश के खंड 4 (xiv) का प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से अन्य लोगों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने अवधि के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। अतः आदेश के खंड 4(xvi) का प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के तुलन–पत्र की पूर्ण जांच के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अल्पकालिक आधार पर ली गई निधियों का दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए निवेश नहीं किया है। कोई भी दीर्घकालिक निधियों का प्रयोग स्थायी कार्यकारी पूंजी को छोड़कर अल्पकालिक परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के लिए नहीं किया गया है।

18. कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों और कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं।

20. कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यू जारी कर कोई पूंजी अर्जित नहीं की है।

21. लागू की गई लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पायी गई और न ही प्रबंधन द्वारा इस संबंध में कोई रिपोर्ट की गई है।

कृते जैन एण्ड मल्होत्रा
फर्म पंजीयन संख्या 003610एन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

दीपक मल्होत्रा
भागीदार
सदस्यता संख्या 080951

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रुपए में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	3	**500,000**	500,000
(ख) आरक्षित और अधिशेष निधियां	4	**(2,153,903)**	(2,153,903)
		(1,653,903)	(1,653,903)
(2) गैर–चालू देयताएं			
(क) दीर्घकालीन ऋण	5	–	672,485,215
(ख) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	6	–	272,110,453
		–	944,595,668
(3) चालू देयताएं			
(क) अल्पकालीन ऋण	7	**245,161,925**	–
(ख) अन्य चालू देयताएं	8	**8,266,936,017**	1,080,844,514
		8,512,097,942	1,080,844,514
योग		**8,510,444,039**	2,023,786,279
II. परिसंपत्तियां			
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां			
(क) स्थायी परिसंपत्तियां			
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	9	**509,493**	367,285
(ii) जारी पूंजीगत कार्य	10	**1,802,664,180**	872,698,144
(ख) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	11	**6,632,667,711**	–
(ग) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	12	–	65,146,403
		8,435,841,384	938,211,832
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	13	**1,878,615**	1,077,996,810
(ख) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	14	**7,577,637**	7,577,637
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	15	65,146,403	–
		74,602,655	1,085,574,447
योग		**8,510,444,039**	2,023,786,279
निगमित सूचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	17		
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	18 से 45		

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान)	(के. श्रीधर)	(ए. के. अग्रवाल)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
जैन एण्ड मल्होत्रा
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 003610एन

दीपक मल्होत्रा
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 080951

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लाभ और हानि विवरण

(राशि रुपए में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
I. प्रचालन से प्राप्त राजस्व		–	–
II. अन्य आय	16	–	–
III. कुल राजस्व (I + II)		–	–
IV. व्यय		–	–
कुल व्यय		–	–
V. आपवादिक और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/ (हानि) (III-IV)		–	–
VI. आपवादिक मद		–	–
VII. असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)		–	–
VIII. असाधारण मद		–	–
IX. कर पूर्व लाभ/ (हानि) (VII-VIII)		–	–
X. कर संबंधी व्यय			
(1) चालू कर		–	–
(2) आस्थगित कर		–	–
XI. प्रचालन जारी रहने से वर्ष के लिए लाभ/ (हानि) (IX-X)		–	–
XII. प्रचालन बाधित होने से लाभ/(हानि)		–	–
XIII. प्रचालन बाधित होने का कर संबंधी व्यय		–	–
XIV. प्रचालन बाधित होने से लाभ/ (हानि) (कर पश्चात) (XII-XIII)		–	–
XV. अवधि के लिए कर पश्चात लाभ (हानि) (XI+XIV)		–	–
XVI. प्रति इक्विटी शेयर लाभार्जन			
(1) आधारभूत	39	–	–
(2) मिश्रित (डाइल्यूटिड)	39	–	–
निगमित सूचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	17		
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	18 से 45		

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान)	(के. श्रीधर)	(ए. के. अग्रवाल)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
जैन एण्ड मल्होत्रा
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 003610एन

दीपक मल्होत्रा
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 080951

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क. प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	–	–
कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पहले लाभ	–	–
निम्नलिखित में वृद्धि / कमी के लिए समायोजन		
देयताएं और प्रावधान	78,199,561	76,851,042
प्रचालन संबंधी कार्यकलपों से निवल नकदी प्रवाह	78,199,561	76,851,042
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
जारी पूंजीगत कार्य	(929,823,019)	(159,961,060)
पूंजी अग्रिम	(6,632,667,711)	(558,789)
स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद	(285,225)	–
निवेश संबंधी कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	(7,562,775,955)	(160,519,849)
ग. वित पोषण संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
ऋणों से प्राप्ति	6,408,458,199	1,161,486,147
वित्तीय कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	6,408,458,199	1,161,486,147
नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)	(1,076,118,195)	1,077,817,340
जोड़ें : वर्ष की शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	1,077,996,810	179,470
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य राशि	1,878,615	1,077,996,810
बैंक में जमा राशियां	1,878,615	1,077,996,810

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान)	(के. श्रीधर)	(ए. के. अग्रवाल)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
जैन एण्ड मल्होत्रा
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 003610एन

दीपक मल्होत्रा
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 080951

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. निगमित सूचना

उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड की स्थापना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी), भारत सरकार एक उपक्रम के पूर्ण स्वाामित्व वाली एक कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 24 अगस्त, 2006 को की गई। कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रमाणपत्र 29 सितंबर 2006 को जारी किया गया। कंपनी की स्थापना एक विशेष प्रयोजनीय वाहन के रूप में की गई जिससे कि उड़ीसा राज्य में 4000 मेगावाट क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण सांविधिक स्वीकृतियों, जिसमें पर्यावरण और वन स्वीकृति आदि शामिल हैं, से संबंधित आरंभिक कार्य पूरा करने में सहायता की जा सके।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(क) तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुरूप ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत संचित आधार पर तैयार किए गए हैं।

(ख) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टाधीन अवधि के लिए रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि, राजस्व और व्यय में अनुमान और पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं और/अथवा उन्हें मूर्तरूप दिया जाता है।

(ग) आय / व्यय की मान्यता

आय और व्यय (नीचे दर्शाए अनुसार को छोड़कर) की गणना संचित आधार पर की जाती है। पीएफसी / पीएफसीसीएल को देय अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के विकास हेतु परामर्श और व्यावसायिक सेवा शुल्क की गणना कंपनी को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किए जाने वाले वर्ष में की जाएगी।

(घ) स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां चालू / संचित मूल्यह्रास संबंधी हानियों, यदि कोई हैं को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शायी जाती हैं। कंपनी सभी प्रत्यक्ष लागतों को पूंजीकृत करती है जिसमें ऐसी परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक ऋण लागत शामिल हैं।

(ङ) मूल्यह्रास

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का लाभ कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची xiv के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति द्वारा प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान 5000 रुपए तक की लागत वाली अधिग्रहीत स्थाई परिसंपत्तियों के मदों का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

(च) जारी पूंजीगत कार्य

भूमि सर्वेक्षण / अध्ययन / अन्वेषण / परामर्श / प्रशासन / मूल्यह्रास / ब्याज आदि पर किए गए व्यय को जारी पूंजीगत कार्य के रूप में माना गया है।

(छ) ऋण

परियोजना के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय का वित्तपोषण धारक कंपनी /खरीदारों द्वारा किया जाता है और उसे असुरक्षित अल्पकालिक ऋण (गत वर्ष : (दीर्घकालिक ऋण) के रूप में माना जाता है। उनके द्वारा जारी की गई निधियों पर ब्याज की वसूली की जाती है।

(ज) ऋण और अग्रिम

धारक कंपनी (पीएफसी) के पास कंपनी द्वारा रखी गई अधिशेष निधि को अल्पकालिक ऋण और अग्रिमों के रूप में माना गया है और धारक कंपनी से ऐसी निधियों पर ब्याज का दावा किया गया है।

(झ) निवेश

निवेश लागत आधार पर दर्शाए जाते हैं।

(ञ) ऋण लागत

ऋण लागत की वसूली लाभ और हानि विवरण में पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए ऋण पर ब्याज को छोड़कर उस वर्ष में की जाती है जिसमें यह ऋण लिया गया है, जिसका पूंजीकरण परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक किया जाता है।

(ट) आय पर कर

कराधान के प्रावधान में आय कर और आस्थगित कर के लिए प्रावधान शामिल होता है। वर्तमान आय कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार लागू दर पर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें ब्याज संबंधी देयता, यदि कोई है, शामिल होती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की गणना कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक–22 के अंतर्गत निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार की गई है।

(ठ)आरंभिक व्यय

आरंभिक व्यय को उस वर्ष में बट्टे खाते में डाला जाता है जिसमें ऐसा व्यय किया गया है।

(ड) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताएं उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं, परंतु उन्हें उपलब्ध सूचना / प्रबंधन के निर्णय के आधार पर नोट के रूप में प्रकट किया जाता है।

(ढ़)नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण पर संशोधित लेखांकन मानक – 3 में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है।

नोट सं. 3. शेयर पूंजी

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत :		
प्रत्येक 10 रुपए के 50000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रुपए के 50000 इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर		
प्रत्येक 10 रुपए के 50000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रुपए के 50000 इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
कुल जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूंजी	500,000	500,000

(क) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का मिलान

इक्विटी शेयर	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
	शेयरों की सं.	राशि (रु.)	शेयरों की सं.	राशि (रु.)
वर्ष के शुरुआत में बकाया	50,000	500,000	50,000	500,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी शेयर	–	–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया	50,000	500,000	50,000	500,000

(ख) इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें / अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य 10 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट देने के लिए पात्र है।

कंपनी के परिसमापन के मामले में इक्विटी शेयर धारक सभी प्राथमिक राशियों के विवरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह वितरण शेयर धारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

(ग) धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर

कंपनी द्वारा जारी किए गए 50,000 इक्विटी शेयरों में से इसकी धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर निम्नानुसार हैं:

(राशि रुपए में)

	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी		
प्रत्येक 10 रुपए के पूर्ण प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष : 50,000)	500,000	500,000

(घ) कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के विवरण

	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
	शेयरों की सं.	धारिता का%	शेयरों की सं.	धारिता का %
प्रत्येक 10 रुपए के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर				
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*	50,000	100%	50,000	100%
	50,000	100%	50,000	100%

* इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखे जाते हैं।

नोट सं. 4. आरक्षित और अधिशेष निधियां

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
लाभ और हानि लेखे के विवरण में अधिशेष राशि		
वर्ष की शुरुआत में बकाया	(2,153,903)	(2,153,903)
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	–	–
वर्ष के अंत में बकाया	(2,153,903)	(2,153,903)

नोट सं. 5. दीर्घकालिक ऋण

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
संबंधित पक्षकार से ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत)		
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी)	–	272,485,215
अन्य ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत)		
प्रतिबद्धता अग्रिम		
अजमेर वीवीएनएल	–	14,400,000
सीएसईबी	–	20,000,000
ग्रिडको	–	130,000,000
एचपीजीसीएल	–	40,000,000
जयपुर वीवीएनएल	–	14,400,000
जोधपुर वीवीएनएल	–	11,200,000
मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	–	40,000,000
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	–	50,000,000
तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	–	30,000,000
यूपीपीसीएल	–	30,000,000
उत्तरांचल पावर कंपनी लिमिटेड	–	20,000,000
	–	400,000,000
योग	–	**672,485,215**

अप्रतिभूत ऋणों के पुनर्भुगतान की शर्तें

संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम एवं अन्य ऋण और अग्रिम	सफल बोलीदाता को कंपनी के स्थानांतरण की तारीख से 15 दिन के भीतर पुर्नभुगतान हेतु देय

नोट सं. 6. अन्य दीर्घकालीन देयताएं

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
दीर्घकालीन ऋणों पर संचित परंतु देय नहीं ब्याज	–	272,110,453
योग	–	272,110,453

नोट संख्या 7. अल्पकालीन ऋण

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
(अप्रतिभूत)		
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम		
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी)	**245,161,925**	–
योग	**245,161,925**	–

अप्रतिभूत ऋणों के पुनर्भुगतान की शर्तें

संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम एवं अन्य ऋण और अग्रिम	सफल बोलीदाता को कंपनी के स्थानांतरण की तारीख से 15 दिन के भीतर पुर्नभुगतान हेतु देय

नोट सं. 8. अन्य चालू देयताएं

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता (असुरक्षित)		
प्रतिबद्धता अग्रिम		
अजमेर वीवीएनएल	**14,400,000**	–
सीएसईबी	**20,000,000**	–
ग्रिडको	**130,000,000**	–
एचपीजीसीएल	**40,000,000**	–
जयपुर वीवीएनएल	**14,400,000**	–
जोधपुर वीवीएनएल	**11,200,000**	–
मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	**40,000,000**	–
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	**50,000,000**	–
तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	**30,000,000**	–
यूपीपीसीएल	**30,000,000**	–
उत्तरांचल पावर कंपनी लिमिटेड	**20,000,000**	–
	400,000,000	–
दीर्घकालीन ऋणों पर संचित परंतु देय नहीं ब्याज	**321,059,861**	–
अन्य भुगतान		
सांविधिक देयताएं (स्रोत पर कर की कटौती)	**27,176,196**	2,535,626
देय व्यय	**4,930,481**	320,898
भूमि के लिए खरीदारों से प्राप्त राशि	**7,513,769,479**	1,077,987,990
योग	**8,266,936,017**	1,080,844,514

नोट सं. 9. अमूर्त परिसंपत्तियां

(राशि रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास			निवल ब्लाक		
	1 अप्रैल, 2013 को अथशेष बकाया	वृद्धि/ समायोजन	मूल्यह्रास/ समायोजन	31 मार्च, 2014 को इतिशेष	1 अप्रैल, 2013 को अथशेष बकाया	वर्ष के दौरान		31 मार्च, 2014 को इतिशेष	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
स्वयं की परिसंपत्तियां :										
फर्नीचर और फिक्चर	205,343	35,404	–	240,747	106,018	28,813	–	134,831	105,916	99,325
ईडीपी उपस्कर	512,245	122,697	–	634,942	287,424	100,373	–	387,797	247,145	224,821
कार्यालयी और अन्य उपकरण	71,377	127,124	–	198,501	28,239	13,831	–	42,070	156,431	43,138
योग	788,965	285,225	–	**1,074,190**	**421,681**	**143,017**	–	**564,697**	**509,493**	**367,285**
पूर्ववर्ती वर्ष	788,965	–	–	**788,965**	242,878	178,802	–	421,680	367,285	546,087

नोट सं. 10. जारी पूंजीगत कार्य

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
जारी प्रारंभिक पूंजीगत कार्य (आईईडीसी)	**478,209,523**	318,069,661
जोड़ें : निर्माण अवधि के दौरान व्यय से स्थानांतरित (नोट– 17)	**438,447,777**	160,139,862
	916,657,300	478,209,523
भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजीगत व्यय	**886,006,880**	394,488,621
योग	**1,802,664,180**	872,698,144

नोट सं. 11. दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अप्रतिभूत और शोध्य मानी गई		
पूंजीगत अग्रिम (भूमि के लिए)	**6,632,667,711**	–
योग	**6,632,667,711**	–

नोट सं. 12. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य		
संबंधित पक्षकारों से प्राप्त होने वाला परंतु देय नहीं ब्याज (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि., धारक कंपनी)	–	65,146,403
योग	–	65,146,403

नोट सं. 13. नकदी और नकदी समतुल्य

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
बैंकों में जमा राशियां		
चालू खाते में	**1,878,615**	1,077,996,810
योग	**1,878,615**	1,077,996,810

नोट सं. 14. अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अप्रतिभूत, सही माना गया		
अन्य		
स्रोत पर कर की कटौती (भारत सरकार से वापसी योग्य)	7,577,637	7,577,637
योग	7,577,637	7,577,637

नोट सं. 15. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
संबंधित पक्षकारों से प्राप्त होने वाला परंतु देय नहीं ब्याज (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि., धारक कंपनी)	65,146,403	–
योग	65,146,403	–

नोट सं. 16. अन्य आय

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
आरएफक्यू/आरएफपी	35,160,000	–
घटाएं: बोली दस्तावेज का मूल्य	35,160,000	–
योग	–	–

नोट सं. 17. निर्माण अवधि के दौरान व्यय

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
व्यय		
जन शक्ति प्रभार	79,399,206	57,435,240
लेखा–परीक्षक को भुगतानः		
–लेखा–परीक्षक के रूप में	87,781	131,672
बैंक प्रभार	–	650
परामर्श प्रभार और व्यावसायिक शुल्क	23,926,154	3,395,850
मूल्यह्रास	143,017	178,802
विज्ञापन व्यय	20,801,822	396,765
शुल्क और कानूनी व्यय	15,926	2,148,187
सम्मेलन और बैठक	1,076,278	354,089
उपयोग किए गए अंश पर ब्याज	91,593,133	87,511,909
आउटसोर्सिंग व्यय	4,058,211	1,545,835
वाहन किराया	2,409,471	1,223,121
सर्वेक्षण और अन्वेषण	203,499,650	1,516,860
टेलीफोन व्यय	136,190	65,087
दौरा और यात्रा व्यय	6,702,793	2,277,974
किराया	876,974	770,632
मुद्रण और स्टेशनरी व्यय	865,744	311,723
पोस्टेज और कोरियर व्यय	31,732	22,358
विद्युत व्यय	123,099	113,847
सुधार कार्य और रखरखाव	49,692	35,155
अन्य प्रशासनिक व्यय	1,750,904	704,096
मुक्त पहुंच के लिए आवेदन शुल्क	900,000	–
योग	438,447,777	160,139,862

18. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार विद्युत की खरीद करने वाली कंपनियों (खरीदारों) को उन्हें आबंटित विद्युत के संगत शेयर के बदले में परियोजना के पूरे होने पर संगत खरीदारों और सफल बोलीदाता के साथ विद्युत खरीदार के माध्यम से कुल 40,00,00,000 रुपए (गत वर्ष 40,00,00,000 रुपए) का प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त हुआ। उपर्युक्त प्रतिबद्धता अग्रिम को तुलन–पत्र में अन्य चालू देयताओं (गत वर्षः दीर्घकालिक ऋण) के रूप में दर्शाया गया है । इसके लिए कंपनी को दिए गए प्रतिबद्धता अग्रिम पर ब्याज के भुगतान की कोई बाध्यता लागू नहीं है, परंतु कंपनी / धारक कंपनी के निर्णय के अनुसार खरीदारों से प्राप्त प्रतिबद्धता अग्रिम पर कंपनी ने ब्याज संबंधी देयता का प्रावधान किया है। वित्तपोषण करार की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त प्रतिबद्धता अग्रिम और उस पर संचित ब्याज की राशि सफल बोलीदाता को धारक कंपनी द्वारा कंपनी के हस्तांतरण की तारीख से 15 दिन के भीतर खरीदारों को देय होगी।

19. पीएफसी लिमिटेड के साथ वित्तपोषण करार के अनुसार खरीदारों से प्रतिबद्धता अग्रिम के रूप में प्राप्त कुल 40,00,00,000 रुपए (गत वर्ष 40,00,00,000 रुपए) की राशि धारक कंपनी (पीएफसी लिमिटेड) के पास रखी गई जिससे परियोजना के लिए किए जाने वाले व्यय को पूरा किया जाएगा। उस पर देय ब्याज तुलन–पत्र में अन्य चालू परिसंपत्तियां (गत वर्षः अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां) शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। हालांकि तुलन–पत्र की तारीख को और पीएफसी लिमिटेड तथा कंपनी के बीच वित्तपोषण करार के अंतर्गत ऐसे प्रतिबद्धता अग्रिम की खर्च न की गई कोई राशि बकाया नहीं है। खरीदारों से प्रतिबद्धता अग्रिम के उपयोग के पश्चात पीएफसी लिमिटेड ने अपनी स्वयं की निधियों से व्यय किया है और वित्तपोषण करार के अनुसार इस प्रकार व्यय की गई राशि को अल्पकालिक ऋण (गत वर्ष : दीर्घकालिक ऋण) शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

20. कंपनी पीएफसी को अपनी ओर से किए गए व्यय पर ब्याज का भुगतान करने के साथ–साथ धारक कंपनी की नीति के अनुसार निर्धारित दरों पर प्रतिबद्धता अग्रिम को परियोजना के लिए प्रयोग में लाई गई और उपयोग न की गई निधियों के रूप में विभाजित कर प्रतिबद्धता अग्रिम पर खरीदारों को भी ब्याज का भुगतान करती है। प्रयोग में लाई गई निधियों पर प्रभारित ब्याज की दर पीएफसी में "राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता (श्रेणी 'क')" के अंतर्गत ऋणकर्ताओं के लिए समय–समय पर निर्धारित परियोजना ऋण/ योजना (उत्पादन) हेतु लागू दरों के समतुल्य है और उपयोग न की गई राशि पर ब्याज दर पीएफसी से प्राप्त / देय ब्याज "पीएफसी की मासिक औसत अल्पकालिक जमा दर" के अनुरूप है। उपयोग न की गई निधियों पर ब्याज पीएफसी से देय है और उसका भुगतान खरीदारों को किया जाता है। इस वर्ष के लिए ब्याज संबंधी व्यय 9,15,93,133 रुपए (गत वर्ष 8,75,11,909 रुपए) है। उपयोग की राशि पर ब्याज को पूंजीकृत किया गया है। भुगतान किए जाने वाले ब्याज को अन्य चालू देयताओं (गत वर्षः अन्य दीर्घकालिक देयताएं) के अंतर्गत दिखाया गया है।

21. कंपनी ने पीएफसीएल/पीएफसीसीएल द्वारा प्रदान की गई परामर्श और व्यावसायिक सेवाओं के लिए पीएफसीएल/पीएफसीसीएल को शुल्क के रूप में 50,00,00,000 रुपए और लागू करों की राशि का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। पीएफसीएल/ पीएफसीसीएल को देय परामर्श और व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु शुल्क परियोजना के लिए सफल बोलीदाता का चयन हो जाने और सफल बोलीदाता को कंपनी के हस्तांतरण पर ही देय होगा। इसलिए पीएफसीएल/ पीएफसीसीएल को देय शुल्क के लिए देयता विषयक कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि यह राशि कंपनी के स्थानांतरण के मामले में सफल बोलीदाता को कंपनी के हस्तांतरण वाले वर्ष में प्रभारित की जाएगी।

22. परियोजना की स्थापना की योजना के अनुसार योजना की संभावनाएं तलाशने, आरंभिक विकास संबंधी कार्य के लिए संपूर्ण व्यय जिसमें 50,00,00,000 रुपए का व्यावसायिक शुल्क और लागू कर तथा नियोजित निधियों पर ब्याज शामिल है, की वसूली परियोजना के सफल बोलीदाता से इसकी धारक कंपनी (पीएफसी) से कंपनी की 100% इक्विटी शेयर धारिता की खरीद हेतु अधिग्रहण मूल्य के रूप में की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी और इसकी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को सफल बोलीदाता को स्थानांतरित माना जाएगा।

23. विद्युत मंत्रालय ने निश्चय किया है कि भूमि की लागत का भुगतान केताओं द्वारा उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड (ओआईपीएल) को किया जाएगा, जो फिर इस भूमि की लागत को आईडीसीओ के पास जमा करेगा। तदनुसार निजी भूमि की लागत का भुगतान विद्युत के आबंटित शेयर के अनुपात में खरीदारों द्वारा किया जाएगा। ओआईपीएल के पास खरीदारों द्वारा जमा की गई भूमि की लागत पर ओआईपीएल/पीएफसी लिमिटेड द्वारा खरीदारों को कोई ब्याज देय नहीं होगा। भूमि की लागत के मद में खरीदारों से प्राप्त राशि को ओआईपीएल के सामान्य दिन–प्रतिदिन के व्यय के लिए ऋण अथवा प्रतिबद्धता अग्रिम नहीं माना जाएगा।

24. उड़ीसा यूएमपीपी के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया उड़ीसा सरकार द्वारा पूरी की जा रही है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, उड़ीसा सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत 31.05.2011 को अधिसूचना (राजपत्र में अधिसूचना की तारीख 23.06.2011) जारी कर दी गई है। भूमि की अनुमानित लागत के रूप में 663.27 करोड़ रुपए की राशि और 2732.56 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण से संबंधित स्थापना और प्रशासनिक प्रभार के मद में 88.30 करोड़ की राशि का भुगतान उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (आईडीसीओ) को किया गया है।

25. उड़ीसा सरकार द्वारा परियोजना के लिए जल का आबंटन इस शर्त के अध्यधीन किया गया है कि हीराकुंड जलाशय के अपस्ट्रीम में अतिरिक्त भंडारण क्षमता के विकास की लागत कंपनी को वहन करनी होगी, जिसका वास्तविक कार्य और खुदाई का कार्य जल संसाधन विभाग (डीओडब्ल्यूआर) द्वारा किया जाएगा। उड़ीसा सरकार को यह आश्वासन निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद दिया गया। उड़ीसा सरकार, जल संसाधन विभाग ने सूचित किया है कि उपर्युक्त कार्य की अनुमानित लागत लगभग 500 करोड़ रुपए होगी।

26. कंपनी के लिए सभी कार्य पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा किया जा रहा है। पीएफसीसीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक के अनुसार कंपनी के लिए कार्मिकों द्वारा वास्तविक रूप से बिताए गए कार्य दिवसों के आधार पर कंपनी की लागत के अनुसार पीएफसीसीएल द्वारा प्रमारित अपने कार्मिकों की जनशक्ति लागत के रूप में 7,93,99206 रुपए (गत वर्ष 5,74,35,240 रुपए) का जनशक्ति प्रभार वसूल किया गया और इनमें श्री एन. डी. त्यागी (निदेशक) का 14,01,579 रुपए (गत वर्ष 12,76,600 रुपए), श्री सी गंगोपाध्याय (निदेशक) का 7,26,744 रुपए (गत वर्ष शून्य रुपए), श्री पी.पी. श्रीवास्तव (निदेशक) का शून्य रुपए (गत वर्ष 30,67,500 रुपए), श्री योगेश जुनेजा (निदेशक) का शून्य रुपए (गत वर्ष 1,01,400 रुपए) और श्री आर. रहमान (निदेशक) का 62,93,508 रुपए (गत वर्ष 16,90,000 रुपए) का प्रभार शामिल है जो कंपनी के निदेशक हैं/थे।

27. अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शाए गए व्यय मुख्य रूप से पीएफसी/पीएफसीसीएल द्वारा एसपीवी को आबंटित किए जाते हैं। एसपीसी से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय का आबंटन 100% आधार पर किया जाता है और साझा व्यय का आबंटन विभिन्न एसपीवी के बीच सेवाओं को साझा करने के आधार पर किया जाता है। पीएफसी / पीएफसीसीएल द्वारा किए गए ऐसे व्यय के संदर्भ में मूल सहायक बिल पीएफसी / पीएफसीसीएल के नाम पर होते हैं और उनके पास ही रखे जाते हैं जिनकी प्रतियां कंपनी के पास भी उपलब्ध हैं । पीएफसी / पीएफसीसीएल इन कंपनियों के लिए यथालागू "स्रोत पर कर की कटौती और सेवा कर आदि" से संबंधित सभी सांविधिक प्रावाधानों का अनुपालन कर रही हैं ।

28. कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक धारक कंपनी अर्थात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी) और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी) से हैं और उन्हें अशंकालिक आधार पर कंपनी में तैनात किया गया है।

31.03.2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान ऐसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पदावधि समाप्त होने की तारीख
1	श्री ए के अग्रवाल	अध्यक्ष	24.09.2013	जारी
2	श्री के श्रीधर	निदेशक	24.12.2008	जारी
3	श्री सी गंगोपाध्याय	निदेशक	16.12.2013	जारी
4	श्री आर. रहमान	निदेशक	30.10.2012	जारी
5	श्री योगेश जुनेजा	निदेशक	30.12.2009	जारी
6	श्री जी. एस. छाबड़ा*	निदेशक	14.07.2010	जारी
7	श्री एस के जैन	निदेशक	27.05.2013	जारी
8	श्री हेमंत शर्मा*	निदेशक	16.08.2013	जारी
9	श्री एन डी त्यागी	निदेशक	30.12.2009	16.12.2013
10	श्री एम के गोयल	अध्यक्ष	02.11.2007	24.09.2013
11	श्री वाई के रायजादा*	निदेशक	21.02.2008	27.05.2013
12.	श्री पी.के. जेना*	निदेशक	23.01.2013	16.08.2013

* विद्युत की खरीद करने वाले राज्यों से

29. लेखांकन मानक 18 – "संबंधित पक्षकार प्रकटन" के अनुसार प्रकटन;

उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं।

लेखाओं में दर्शाए अनुसार और प्रबंधन द्वारा यथाप्रमाणित अवधि के दौरान निदेशकों और संबंधित पक्षकारों के खातों में बकाया अधिकतम क्रेडिट (डेबिट) के विवरण निम्नानुसार हैं :

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड – चालू वर्ष : 35,87,74,78रुपए

– गत वर्ष : 27,88,67,174रुपए

संबंधित पक्षकारों के विवरण:

क्र. सं.	संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसीएल)	धारक कंपनी
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	सहयोगी कंपनी
3	छत्तीसगढ़ सर्गुजा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
4	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
5	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
6	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
7	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
8	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
9	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
10	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
11	पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
12	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
13	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
14	उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
15	चेय्यूर इंफ्रा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
16	डीजीईएन पारेषण कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
17	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12.03.2014 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
18	पेट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	13.11.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
19	पुरुलिया खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	09.12.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
20	दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	10.12.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
21	वल्लभगढ़ –जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
22	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकार लेनदेन के विवरण निम्नानुसार हैं :

(राशि रुपए में)

क्र. सं.	व्यय	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	
		पीएफसी	पीएफसीसीएल	पीएफसी	पीएफसीसीएल
1.	ब्याज संबंधी व्यय	**41,593,132**	–	36,673,558	–
2.	बोली दस्तावेजों की लागत	–	**35,160,000**	–	–
3.	जनशक्ति प्रभार*	**79,399,206**	**7**	57,435,240	–
4.	**इतिशेष बकाया राशि**				
(क)	प्राप्त होने वाला ब्याज	**65,146,403**	–	65,146,403	–
(ख)	ऋणों पर संचित परंतु देय नहीं ब्याज (भुगतान का निवल)	**73,997,511**	–	70,048,104	–
(ग)	ऋण	**245,161,925**	–	272,485,215	–

*पीएफसीसीएल द्वारा प्रभारित

30. (i) परियोजना पर क्रियान्वित करने हेतु शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि (जारी पूंजीगत कार्य) और उपलब्ध न कराई गई राशि 5.655 करोड़ रुपए (गतवर्ष 1.484 करोड़ रुपए) है।

(ii) पुनर्वास और पुनर्स्थापना के अंतर्गत व्यय का भी अनुमान लगाया गया है जो लगभग 915 करोड़ रुपए होगा, जिसे भूमि स्वामियों के लिए किया जाएगा।

(iii) प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार, कंपनी की आकस्मिक देयताओं और कंपनी की विरुद्ध दावों, जिन्हें कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है की राशि अवधि के लिए शून्य (गत वर्ष शून्य) है।

31. लेखा–परीक्षकों का मेहनताना (सेवा कर सहित)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
		₹	₹
1.	लेखा–परीक्षा शुल्क	87,781	131,672

32. कंपनी के पास वर्ष के अंत में लघु उद्योग (स्माल–स्केल) यूनिटों की कोई बकाया राशियां नहीं हैं, अतः ब्याज का कोई प्रावधान बनता ही नहीं है। इसके अलावा, प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत शामिल उद्यमों को देय कोई भी बकाया राशियां नहीं हैं।

33. चूंकि कंपनी में कोई कार्मिक नहीं हैं, अतः लेखांकन मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार बाध्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

34. कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा संबंधी व्यवस्थाएं 1–2 वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय परिसरों के पट्टे पर प्रचालन के संदर्भ में की गई हैं। पट्टे संबंधी ये व्यवस्थाएं आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित शर्तों के अनुसार सामान्यतः नवीनीकृत की जाती हैं। कार्यालयों के लिए परिसरों के संबंध में पट्टा संबंधी भुगतान 876,947 रुपए (गत वर्ष 770,632 रुपए) को नोट 17– 'निर्माण अवधि के दौरान व्यय' में 'किराया' शीर्ष में शामिल किया गया है।

35. पूंजीकृत किए जाने हेतु आवश्यक सभी व्यय सहित निर्माण अवधि (नोट 17) के दौरान व्यय से संबंधित विवरण तैयार किए गए हैं और उन्हें जारी पूंजीगत कार्य शीर्ष में शामिल किया गया है।

36. कंपनी प्रचालनरत नहीं है, हालांकि कंपनी ने चालू और गैर चालू रूप में परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्गीकरण के लिए 12 माह की अवधि के अंतराल को अपनाया है।

37. निदेशक मंडल के दृष्टिकोण से कंपनी के व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर तुलन–पत्र में यथाउल्लिखित अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों और अल्पकालिक ऋण तथा अग्रिमों के संबंध में यह अपेक्षित है कि उनकी राशि कम से कम उतनी अवश्य दर्शाई जाए जितनी बताई गई है।

38. कंपनी ने अन्य चालू देयताओं (प्रतिबद्धता अग्रिम) शीर्ष के अंतर्गत शामिल विभिन्न पक्षकारों को कंपनी की खाताबही के अनुसार उनकी बकाया राशियों की पुष्टि के लिए पत्र भेजे हैं जिसके लिए कुछ संगत पक्षकारों से इसकी पुष्टि अभी प्राप्त होनी है।

39. **प्रति शेयर अर्जन**

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित "प्रति शेयर अर्जन" पर लेखांकन मानक – 20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत और मिश्रित) की गणना निम्नानुसार की जाती है :

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
1	शेयर का सामान्य मूल्य (रुपए)	10	10
2	इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या)	50,000	50,000
3	कर पश्चात निवल लाभ (रुपए)	–	–
4	प्रति शेयर अर्जन (रुपए)	–	–

40. आरएफक्यू/आरएफपी की प्राप्त राशि का भुगतान पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को किया गया है, क्योंकि बोली प्रकिया उनके द्वारा संचालित की जा रही है। प्रबंधन यह प्रमाणित करता है कि आरएफक्यू/आरएफपी दस्तावेज पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा तैयार किए जाते हैं और उनकी ओर से इनकी बिक्री की जाती है।

41. कंपनी को पूरक वनीकरण के मद में व्यय करना होगा। डीएफओ, सुंदरगढ़ के दिनांक 16 जून 2012 के पत्र के अनुसार इसकी अनुमानित लागत लगभग 1.16 करोड़ रुपए होगी।

42. बोली प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय सीमा के अनुसार प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) 05 मई 2014 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अतः बोली प्रक्रिया पूर्ण होने और विद्युत मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त होने पर इसकी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं तथा इक्विटी शेयरों को समान रूप से चयनित बोलीदाता को हस्तांतरित किया जाएगा। तदनुसार विभिन्न परिसंपत्तियों और देयताओं को इस बात को ध्यान में रखते हुए गैर चालू से चालू परिसंपत्तियों/देयताओं के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है कि चयनित बोलीदाता तुलन–पत्र की तारीख से 12 माह के भीतर सभी परिसंपत्तियों और देयताओं का अधिग्रहण कर लेगा।

43. कंपनी अधिनियम 1956 की नई अनुसूची VI के भाग–।। के पैरा 5 (ii), (iii) और (viii) के प्रावधानों के अनुरूप ज्यादातर अतिरिक्त सूचना कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि परियोजना अभी भी विकास चरण पर है और कंपनी को अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप अभी शुरू करने हैं। लागू सूचना निम्नानुसार उपलब्ध करायी गई है :

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय – शून्य (गत वर्ष – शून्य)

(ख) विदेशी विनिमय से आय – शून्य (गत वर्ष – शून्य)

44. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के अंतर्गत अधिसूचित सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है। हालांकि, आस्थगित कर देयता / समय अंतराल से संबंधित परिसंपत्ति संबंधी लेखांकन मानक (एएस)–22 इस तथ्य के आलोक में कंपनी के लिए लागू नहीं होता है कि कंपनी अभी भी निर्माण चरण पर है और अभी इसका प्रचालन शुरू किया जाना है।

45. अन्यथा उल्लेख न किए जाने की स्थिति में आंकड़ों को निकटतम रुपए के रूप में राउंडऑफ कर दिया गया है।

46. आवश्यक होने पर चालू वर्ष के वर्गीकरण के साथ पुष्टि के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत / री–ग्रुप किया गया है, जिससे कि चालू वर्ष के वर्गीकरण के साथ एकरूपता स्थापित किया जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आर. रहमान)	(के. श्रीधर)	(ए. के. अग्रवाल)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
जैन एण्ड मल्होत्रा
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 003610एन

दीपक मल्होत्रा
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 080951

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी)

निदेशक रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

आपके निदेशकों को 21 जनवरी 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए आपकी कंपनी के निष्पादन पर पहली (1वीं) वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रचालनात्मक कार्यकलाप

आपकी कंपनी की स्थापना तमिलनाडु राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के भूमि संधारण के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में 21 जनवरी 2014 को की गई।

विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर निर्मित और प्रचालित ताप विद्युत उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की खरीद के लिए संशोधित मानक बोली दस्तावेजों के अंतर्गत कंपनी को तमिलनाडु राज्य में यूएमपीपी से विद्युत के खरीददार को हस्तांतरित किया जाएगा।

वित्तीय समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रारंभ नहीं किए हैं। हालांकि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी स्थापना के लिए 23,000 रूपए की राशि खर्च की है जिसे जारी पूंजीगत कार्य मद में स्थानांतरित किया गया है।

लाभांश

चूंकि आपकी कंपनी ने अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू नहीं किए हैं, अतः 21 जनवरी 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

शेयर पूंजी

31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5,00,000 रूपए (प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर) है। वर्ष के दौरान, कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखी जाती है।

सावधि जमा

आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई भी सावधि जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाला अर्जन और बहिर्गमन

चूंकि कंपनी के प्रचालन में कोई भी विनिर्माण अथवा संसाधन गतिविधियां शामिल नहीं हैं, अतः कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी विवरण लागू नहीं हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, विदेशी विनिमय से कोई भी अर्जन अथवा बहिर्गमन नहीं हुआ है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मैसर्स मट्टा एंड एसोसिएट, चार्टर्ड एकाउंटेंट को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी के लेखाओं पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी, अवलोकन अथवा अर्हता नहीं हैं।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कार्मिकों के विवरण

कंपनी के अपने रोल में कोई भी कार्मिक नहीं है। अतः कंपनी (कार्मिकों के विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत यथानिर्धारित कार्मिकों के विवरण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

निदेशक

वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य हैं :

1	श्री आर नागराजन	अध्यक्ष
2	श्री ए के गुप्ता	निदेशक
3	श्री रिजवानुर रहमान	निदेशक
4	श्री योगेश जुनेजा	निदेशक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 (6) के प्रावधानों के अनुसार, श्री योगेश जुनेजा, निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते उनकी पुनर्नियुक्ति हेतु उन्हें प्रस्ताव दिया जाएगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

सी एंड एजी ने अपने दिनांक 14 जुलाई 2014 के पत्र के जरिए उल्लेख किया है कि उन्होंने 21 जनवरी 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए कंपनी के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इस संबंध में सी एंड एजी द्वारा जारी किए गए पत्र की प्रति अनुबंध 1 में दी गई है।

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत यथावश्यक आपके निदेशक सुनिश्चित / पुष्टि करते हैं कि :21 जनवरी 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और वास्तविक अंतर से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया है;
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे एक जारी (निरंतर कार्यरत) कंपनी के रूप में तैयार किए हैं।

स्वीकारोक्ति

निदेशक केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रति कंपनी को उनके द्वारा दी गई सहायता, किए गए उत्साहवर्धन हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कंपनी विशेषरूप से भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार,सांविधिक लेखापरीक्षकों और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रति उनके निरंतर सहयोग, सुझाव और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–

(आर नागराजन)

अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 12 अगस्त, 2014

अनुबंध 1

21 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

21 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि ये कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 23 मई 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 21 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए
और उनकी ओर से

(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक और
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड – III
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जुलाई, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड ('कंपनी') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, तुलन–पत्र के साथ– साथ लाभ तथा हानि विवरण तथा तब समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य सूचना/नोटों के लिए संक्षिप्त विवरण शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उपधारा (3ग) में संदर्भित लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी, डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का कार्यान्वयन और संगत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है। चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों । इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक्ष कंपनी की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है। जिससे कि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सकें जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं । किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम द्वारा यथा आवश्यक सूचना विहित ढंग से इस प्रकार से प्रदान करते हैं, जिससे कि वे भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकें:

(i) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति;

(ii) लाभ और हानि विवरण के मामले में 23 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए कंपनी का (लाभ/हानि) और

(iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण।

कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) (संशोधित) आदेश, 2004 द्वारा यथासंशोधित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 ("आदेश") द्वारा यथावश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क)हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

(ख) हमारे दृष्टिकोण से जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई और रखी गई है;

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं अर्थात् उनसे मेल खाते हैं;

(घ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उपधारा (3ग) में संदर्भित लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं;

(ङ) भारत सरकार के कंपनी मामला विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी एस आर 829 (ड़) दिनांक 21.10.2003 के संदर्भ में एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खंड (छ) का प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(च) चूंकि केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441क में किसी ऐसे नियम का उल्लेख नहीं किया है, जिसके अंतर्गत उपकर भुगतान किया जाना है, कंपनी के पास कोई उपकर बकाया और चुकाया जाना नहीं है ।

कृते मट्टा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 004259एन

(अजय कुमार मट्टा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 083483

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ (1) में 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' वाले भाग में संदर्भित)

(i) (क) कंपनी के पास अवधि के दौरान कोई स्थाई परिसंपत्ति नहीं है, इसलिए स्थायी परिसंपत्ति की स्थिति और मात्रात्मक विवरण सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड तैयार करने का सवाल ही नहीं उठता है।

(ख) स्थाई परिसंपत्ति के अभाव में स्थाई परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन का सवाल ही नहीं उठता है।

(ग) कंपनी ने विचाराधीन अवधि के दौरान स्थाई परिसंपत्तियों के किसी वास्तविक भाग का निपटान नहीं किया है। अतः जारी (निरंतर कार्यरत) प्रतिष्ठान की संकल्पना लागू नहीं की है।

(ii) (क) इंवेंटरी के अभाव में खंड 4 के इस खंड (ii) के खंड (क),(ख) और (ग) कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

(iii) (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षकारों को कोई ऋण अथवा अग्रिम (सुरक्षित या असुरक्षित) ऋण के रूप में न तो दिया है और न ही स्वीकृत किया है।

(ख) चूंकि कंपनी ने उपर्युक्त (iii) (क) में संदर्भित कोई ऋण अथवा अग्रिम स्वीकृत नहीं किया है, अतः कंपनी के हित में प्रथम दृष्टया पूर्वाग्रह संबंधी निबंधन और शर्तें और ब्याज दर का सवाल ही नहीं उठता है।

(ग) ऋण स्वीकृत न किए जाने की स्थिति में किसी वसूली का सवाल ही नहीं उठता है।

(घ) ऋण के अग्रिम के अभाव में राशि के किसी ओवरड्यू का सवाल ही नहीं उठता है।

(ड.) कंपनी ने अपनी ओर से व्यय करने के लिए इसकी धारक कंपनी मैसर्स पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से अल्पकालिक ऋणों के अलावा किसी ऐसी कंपनी अथवा अन्य पक्षकारों, जिनके नाम कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं, से कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण नहीं लिया है।

(च) ब्याज दर और अन्य निबंधन एवं शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के प्रतिकूल और पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है।

(छ) कंपनी ने वर्ष के अंत तक किसी मूलधन अथवा ब्याज की राशि का पुनर्भुगतान नहीं किया है।

(iv) हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में इसके आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। इसके अलावा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने आंतरिक नियंत्रण में किसी बड़ी कमी को दूर करने में कंपनी की लगातार कोई विफलता नहीं पाई है और न ही इसके बारे में किसी ने हमें कोई रिपोर्ट की है।

(v) (क) चूंकि कंपनी अभी भी विकास के चरण पर है, अतः इस अधिनियम की धारा 301 में यथासंदर्भित संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं को नहीं किया गया है, जिनके विवरण इस धारा के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे कोई लेन–देन नहीं किए गए हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है। अतः बाजार मूल्यों के औचित्य का सवाल ही नहीं उठता है।

(vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 और उसके नियमों के अंतर्गत भाग 58 क और 58 कक के तहत जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

(vii) कंपनी में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद नहीं है, जो अन्यथा विचाराधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(viii) चूंकि कंपनी विकास चरण पर है, अतः लागत रिकॉर्डों के रख–रखाव संबंधी प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

(ix) (क) कंपनी विकास चरण पर है और भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धनकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य सांविधिक देयताओं सहित इसकी कोई अविवादित सांविधिक देयताएं नहीं हैं।

(ख) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी भविष्य निधि, आयकर, उपकर और कंपनी के लिए यथालागू अन्य बडी सांविधिक देयताओं के संदर्भ में कोई अविवादित राशि 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि से एरियर के रूप में देय नहीं थी।

(ग) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, बिक्री कर, आय कर, सीमा शुल्क, धन कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और/अथवा उप कर आदि की ऐसी कोई भी देय राशि नहीं है जो किसी विवाद के कारण जमा न की गई हो।

(x) यह कंपनी की स्थापना का पहला वर्ष है। अतः संचित हानियों की रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता है।

(xi) रिकॉर्डों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंको अथवा वित्तीय संस्थानों की देयताओं के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है, क्योंकि कंपनी द्वारा ऐसे कोई ऋण नहीं लिए गए हैं। कंपनी ने आज की तारीख तक कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

(xii) कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम स्वीकृत नहीं किया है।

(xiii) हमारे दृष्टिकोण में कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि / म्युचुअल लाभ अर्जित करने वाली न्यास / सोसायटी नहीं है, अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 का खंड (xiii) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

(xiv) हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना के अनुसार चूंकि कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेश में व्यवसाय अथवा कारोबार नहीं करती है । अतः रिकॉर्ड बनाने और उनमें प्रविष्टियां करने का सवाल ही नहीं उठता है।

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने दूसरों के द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।

(xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के तुलन–पत्र की जांच के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अल्पकालिक आधार पर ली गई निधियों का दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए निवेश नहीं किया है।

(xviii) कंपनी द्वारा अवधि के दौरान, अपनी धारक कंपनी अथवा इसके नामतियों को आरंभिक आंबटन के अलावा अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों और कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया है।

(xix) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, न तो डिबेंचर जारी करके कोई निधियां अर्जित की हैं और न ही कोई प्रतिभूति अथवा प्रभार सृजित किया है।

(xx) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सार्वजनिक इश्यू जारी कर कोई धनराशि अर्जित नहीं की है।

(xxi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पायी गई और न ही कोई रिपोर्ट की गई है।

कृते मट्टा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 004259एन

(अजय कुमार मट्टा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 083483

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई 2014

चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र,

(राशि ₹ में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
I इक्विटी और देयताएं		
(1) शेयरधारकों की निधियां		
(क) शेयर पूंजी	3	500,000
(ख) आरक्षित और अधिशेष निधियां	4	(36,528)
		463,472
(2) चालू देयताएं		
(क) अल्पकालीन ऋण	5	21,716
(ख) अन्य चालू देयताएं	6	37,893
		59,609
योग		523,081
II परिसंपत्तियां		
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां		
(क) स्थायी परिसंपत्तियां		
(i) जारी पूंजीगत कार्य	7	23,081
		23,081
(2) चालू परिसंपत्तियां		
(क) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	8	500,000
		500,000
योग		523,081
निगमित सूचना	1	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2	
प्रचालन पूर्व व्यय	9	
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	10 से 22	

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेजा) **निदेशक**

(ए. के. गुप्ता) **निदेशक**

(आर. नागराजन) **अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
मट्टा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 004259एन

(अजय कुमार मट्टा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 083483

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई 2014

चेय्यूर इंफ्रा पावर लिमिटेड
21 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण

(राशि ₹ में)

विवरण	नोट संख्या	21 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिए
I. प्रचालन से प्राप्त राजस्व		–
II. अन्य आय		–
III. कुल राजस्व (I + II)		–
IV व्यय		
प्रारंभिक व्यय		36,528
कुल व्यय		36,528
V. आपवादिक और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		(36,528)
VI. आपवादिक मद		–
VII. असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)		(36,528)
VIII. असाधारण मद		
IX. कर पूर्व लाभ/(हानि) (VII-VIII)		(36,528)
X. कर संबंधी व्यय		
(1) चालू कर		
(2) आस्थगित कर		
XI. प्रचालन जारी रहने से अवधि के लिए लाभ/ (हानि) (IX-X)		(36,528)
XII. प्रचालन बाधित होने से लाभ/(हानि)		
XIII. प्रचालन बाधित होने का कर संबंधी व्यय		
XIV. प्रचालन बाधित होने से लाभ (हानि) (कर पश्चात) (XII-XIII)		
XV. अवधि के लिए लाभ (हानि) (XI+XIV)		(36,528)
XVI. प्रति इक्विटी शेयर लाभार्जन		
(1) आधारभूत	18	(0.73)
(2) डाइल्यूटिड	18	(0.73)
निगमित सूचना	1	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2	
प्रचालन पूर्व व्यय	9	
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	10 से 22	

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेजा) **निदेशक**

(ए. के. गुप्ता) **निदेशक**

(आर. नागराजन) **अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
मट्टा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 004259एन

(अजय कुमार मट्टा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 083483

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई 2014

चेय्यूर इंफ्रा पावर लिमिटेड
21 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लि
नकदी प्रवाह विवरण

(राशि ₹ में)

विवरण	21 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिए
क. प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	
कर पूर्व हानि	(36,528)
कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन हानि	(36,528)
निम्नलिखित में वृद्धि/कमी के लिए समायोजन	
देयताएं और प्रावधान	59,609
प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	23,081
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	
जारी पूंजीगत कार्य	(23,081)
निवेश संबंधी कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	(23,081)
ग. वित्त पोषण संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	
शेयर पूंजी का इश्यू	500,000
वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	500,000
नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में निवल वृद्धि/कमी (क ख ग)	500,000
योगः वर्ष की शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	–
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	500,000
बैंक में जमा राशियां	500,000

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेजा)	(ए. के. गुप्ता)	(आर. नागराजन)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
मट्टा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 004259एन

(अजय कुमार मट्टा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 083483

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई 2014

चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
21 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. निगमित सूचना

चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड की स्थापना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी), भारत सरकार का एक उपक्रम के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 21 जनवरी 2014 को की गई। पीएफसी के निदेशक मंडल ने 13 दिसंबर 2013 को आयोजित अपनी 315 वीं बैठक में इस विशेष प्रयोजनीय वाहन के पंजीकरण हेतु अनुमोदन प्रदान किया जो तमिलनाडु राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की लाइसेंस प्राप्त परिसरों के संधारण का कार्य करेगी। कंपनी की स्थापना कोयला ब्लॉकों के लाइसेंस प्रदान करने, कोयला ब्लॉक भूमि अधिग्रहण, पावर प्लांट भूमि अधिग्रहण और कोरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण, निर्माण, प्रचालन और विद्युत प्रणाली तथा एकीकृत ईंधन प्रणाली के रख–रखाव और भूमि, कोयला ब्लॉकों आदि की लाइसेंस प्रक्रिया के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु की गई।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(क) तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुरूप ऐतिहासिक लागत परंम्परा के अंतर्गत संचित आधार पर तैयार किए गए हैं।

(ख) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टाधीन अवधि के लिए, रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि, राजस्व और व्यय में अनुमान और पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं और/अथवा उन्हें मूर्तरूप दिया जाता है।

(ग) जारी पूंजीगत कार्य

परामर्श / प्रशासन / ब्याज/ जनशक्ति प्रभार/कानूनी और व्यवसायिक प्रभार आदि पर किए गए व्यय और प्रचालन पूर्व अन्य व्यय को जारी पूंजीगत कार्य के रूप में पूंजीकृत किया गया है/माना गया है।

(घ) आरंभिक व्यय

आरंभिक व्यय को लाभ और हानि विवरण में उस अवधि में प्रभारित किया गया है, जिसमें ऐसे व्यय किए गए हैं।

(ड.) ऋण लागत

ऋण लागत की वसूली लाभ और हानि विवरण में पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए ऋण पर ब्याज को छोड़कर उस वर्ष में की जाती है, जिसमें यह ऋण लिया गया है, जिसका पूंजीकरण परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक किया जाता है।

(च) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियां

कंपनी कोई प्रावधान तब करती है, जब अतीत की किसी घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में कोई ऐसी बाध्यता हो, जिसके लिए संभवतः संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक है, जिसका विश्वसनीय तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है। किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटन खाताबही में प्रावधान के बिना तब किया जाता है, जब कोई ऐसी बाध्यता होती है, जिसके लिए, परंतु संभवतः (प्रबंधन के दृष्टिकोण में), संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक नहीं होगा। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में न तो मान्यता दी गई है, न ही प्रकट किया गया है।

(छ) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण पर संशोधित लेखांकन मानक – 3 में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है।

(ज) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन से नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में बैंकों में जमा नकदी और हाथ में उपलब्ध नकद राशि शामिल है।

चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
21 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट सं. 3. शेयर पूंजी (राशि ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत :	
प्रत्येक ₹ 10 के 50000 इक्विटी शेयर	500,000
जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर	
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त 50000 इक्विटी शेयरः	500,000
कुल जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूंजी	500,000

(क) अवधि की प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का पुनर्मिलान

इक्विटी शेयर	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार शेयरों की संख्या	राशि (रूपए में)
अवधि के दौरान जारी किए गए शेयर	50,000	500,000
अवधि के अंत में बकाया	50,000	500,000

(ख) इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें / अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं, जिनका मूल्य ₹10 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट देने के लिए पात्र है।

कंपनी के परिसमापन के मामले में इक्विटी शेयर धारक सभी प्राथमिक राशियों के विवरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह वितरण शेयर धारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

(ग) धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर

कंपनी द्वारा जारी किए गए 50,000 इक्विटी शेयरों में से इसकी धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर निम्नानुसार हैं:

	राशि (₹ में) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*	
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्ण प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर	500,000

(घ) कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के विवरण

	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारिता का%
प्रत्येक ₹10 के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर		
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*	50,000	100%
	50,000	100%

*इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखे जाते हैं।

चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
21 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट सं. 4–आरक्षित और अधिशेष निधियां (राशि ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
लाभ और हानि लेखे के विवरण में अधिशेष राशि	
जोड़ें: अवधि के लिए लाभ / (हानि)	(36,528)
अवधि के अंत में बकाया राशि	(36,528)
योग	(36,528)

नोट सं. 5– अल्पकालिक ऋण (राशि ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम	
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी)	21,716
योग	(21,716)

नोट सं. 6–अन्य चालू देयताए राशि ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
संचित ब्याज परंतु ऋणों पर देय नहीं	466
अन्य देय राशियां	
अन्य देय व्यय	37,427
योग	37,893

नोट सं. 7–जारी पूंजीगत कार्य (राशि ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
प्रचालन पूर्व व्यय से स्थानांतरित	23,081
योग	23,081

नोट सं. 8–नकदी और नकदी समतुल्य (राशि ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
बैंकों में जमा राशियां	
चालू खाते में	500,000
योग	500,000

नोट सं. 9–प्रचालन पूर्व व्यय राशि रूपए में)

विवरण	21 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 के लिए
व्यय	
लेखा परीक्षक को भुगतान :	
लेखा परीक्षक के रूप में	22,427
फाइलिंग शुल्क	188
ब्याज	466
योग	23,081

चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
21 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

10. अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शाए गए व्यय मुख्य रूप से पीएफसी / पीएफसीसीएल द्वारा एसपीवी को आबंटित किए जाते हैं । विशेष प्रयोजनीय वाहन से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय 100 % आधार पर तथा साझा व्यय विभिन्न एसपीवी और सेवाओं के आबंटन के बीच होता है। पीएफसी/पीएफसीसीएल द्वारा किए गए ऐसे व्यय के संदर्भ में मूल सहायक बिल पीएफसी/पीएफसीसीएल के नाम पर होते हैं और उनके पास ही रखे जाते हैं, जिनकी प्रतियां कंपनी के पास भी उपलब्ध हैं। पीएफसी / पीएफसीसीएल इन कंपनियों के लिए यथालागू "स्रोत पर कर की कटौती और सेवा कर आदि" से संबंधित सभी सांविधिक प्रावाधानों का अनुपालन कर रही हैं ।

11. पूंजीकृत किए जाने हेतु आवश्यक सभी व्यय जिसमें प्रचालन पूर्व व्यय (नोट 09) शामिल हैं, से संबंधित विवरण तैयार किए गए हैं और उन्हें जारी पूंजीगत कार्य शीर्ष में शामिल किया गया है।

12. लेखापरीक्षकों का मेहनताना (सेवा कर सहित)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
1.	लेखापरीक्षा शुल्क	22,427

13. कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक धारक कंपनी अर्थात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी) और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी) से हैं और उन्हें अशंकालिक आधार कंपनी में तैनात किया गया।

31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार ऐसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पदावधि समाप्त होने की तारीख
1	श्री आर नागराजन	अध्यक्ष	21.01.2014	जारी
2	श्री ए के गुप्ता	निदेशक	21.01.2014	जारी
3	श्री योगेश जुनेजा	निदेशक	21.01.2014	जारी
4	श्री आर रहमान	निदेशक	21.01.2014	जारी

14. लेखांकन मानक 18 – "संबंधित पक्षकार प्रकटन" के अनुसार प्रकटन;

चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड पीएफसी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं, जिन पर पीएफसी/ पीएफसीसीएल के नामितियों का नियंत्रण होता है।

लेखाओं में दर्शाए अनुसार और प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित अवधि के दौरान संबंधित पक्षकारों के खातों में बकाया अधिकतम क्रेडिट (डेबिट) के विवरण निम्नानुसार हैं :

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड – 21,715 ₹

(क) संबंधित पक्षकारों के नाम और उनके साथ संबंधों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति
1.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी लिमिटेड)	धारक कंपनी
2.	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
3	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
4	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
5	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
6	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
7	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
8	घोघरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
9	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
10	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
11	पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसिज लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
12	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
13	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
14	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
15	उड़ीसा इंफ्रापावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
16	डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
17	पेट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	13.11.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
18	दरभंगा मोतीहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	10.12.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
19	पुरुलिया खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड नियंत्रणाधीन उद्यम	09.12.2013 तक सामूहिक
20	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12.03.2014 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
21	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
22	बल्लभगढ़ –जीएन ट्रांसमिशन	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम

चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
21 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

संबंधित पक्षकार लेनदेन निम्नानुसार हैं :

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार पीएफसी लिमिटेड (धारक कंपनी)
1.	ब्याज व्यय	466
2.	इतिशेष बकाया राशि	
	(क) ऋण और अग्रिम	21716
	(ख) संचित ब्याज परंतु ऋणों पर देय नहीं	466

15. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के अंतर्गत अधिसूचित सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है। हालांकि, आस्थगित कर देयता / समय अंतराल से संबंधित परिसंपत्ति संबंधी लेखांकन मानक (एएस)–22 इस तथ्य के आलोक में कंपनी के लिए लागू नहीं होता है कि कंपनी अभी भी निर्माण चरण पर है और अभी इसका प्रचालन शुरू किया जाना है।

16. चूंकि कंपनी में कोई कार्मिक नहीं हैं, अतः लेखांकन मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार बाध्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

17. बोर्ड के दृष्टिकोण से कंपनी के व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर तुलन–पत्र में यथाउल्लिखित अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों और अल्पकालिक ऋण तथा अग्रिमों के संबंध में यह अपेक्षित है कि उनकी राशि कम से कम उतनी अवश्य दर्शाई जाए जितनी बताई गई है।

18. **प्रति शेयर अर्जन**

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित "प्रति शेयर अर्जन" पर लेखांकन मानक – 20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत और मिश्रित (डाइल्यूटिड) की गणना निम्नानुसार की जाती है :

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च 2014 को खत्म होने वाली अवधि के लिए
1	शेयर का सामान्य मूल्य (रूपए)	10
2	इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या)	50,000
3	कर पश्चात निवल लाभ (रूपए)	(36,528)
4	प्रति शेयर अर्जन (रूपए)	(0.73)

19. कंपनी के पास वर्ष के अंत में लघु उद्योग (स्माल–स्केल) यूनिटों की कोई बकाया राशियां नहीं हैं, अतः ब्याज का कोई प्रावधान बनता ही नहीं है। इसके अलावा, प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत शामिल उद्यमों को देय कोई भी बकाया राशियां नहीं हैं।

20. कंपनी प्रचालनरत नहीं है, हालांकि कंपनी ने चालू और गैर चालू रूप में परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्गीकरण के लिए 12 माह की अवधि के अंतराल को अपनाया है।

21. अन्यथा उल्लेख न किए जाने की स्थिति में आंकड़ों को निकटतम रूपए के रूप में राउंडऑफ कर दिया गया है।

22. चूंकि यह कंपनी का पहला लेखापरीक्षण वर्ष है, गत वर्ष के आंकड़े लागू नहीं होते हैं तथा लेखे 21 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 की अवधि तक के लिए तैयार किए गए हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(योगेश जुनेजा)	(ए. के. गुप्ता)	(आर. नागराजन)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से
मट्टा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 004259एन

(अजय कुमार मट्टा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 083483

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई 2014

उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी)

निदेशक रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

आपके निदेशकों को 23 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए आपकी कंपनी के निष्पादन पर पहली (1वीं) वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रचालनात्मक कार्यकलाप

आपकी कंपनी की स्थापना उड़ीसा राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के भूमि और कोयला ब्लॉक संधारण के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में 23 जनवरी, 2014 को की गई।

मॉडल आरएफपी/पीपीए दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार, लाइसेंस प्रदत्त परिसरों अर्थात पावर प्लांट की भूमि, कोरिडोर और कोयला ब्लॉक परिसर के लिए भूमि का विकास किया जाएगा और 'जहां है, जैसा है' आधार पर उनका प्रचालन और रख–रखाव किया जाएगा। कंपनी को उड़ीसा राज्य में यूएमपीपी से विद्युत के खरीदार को हस्तांतरित किया जाएगा।

वित्तीय समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रारंभ नहीं किए हैं। हालांकि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी स्थापना के लिए 23,000 रूपए की राशि खर्च की है जिसे जारी पूंजीगत कार्य मद में स्थानांतरित किया गया है।

लाभांश

चूंकि आपकी कंपनी ने अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू नहीं किए हैं, अतः 23 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

शेयर पूंजी

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5,00,000 रूपए (प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर) है। वर्ष के दौरान, कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखी जाती है।

सावधि जमा

अपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई भी सावधि जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाला अर्जन और बहिर्गमन

चूंकि कंपनी के प्रचालन में कोई भी विनिर्माण अथवा संसाधन गतिविधियां शामिल नहीं है, अतः कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी विवरण लागू नहीं हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय से कोई भी अर्जन अथवा बहिर्गमन नहीं हुआ है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मैसर्स संजय अभय एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी के लेखाओं पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी, अवलोकन अथवा अर्हता नहीं हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कार्मिकों के विवरण

कंपनी के अपने रोल में कोई भी कार्मिक नहीं है। अतः कंपनी (कार्मिकों के विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत यथानिर्धारित कार्मिकों के विवरण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

निदेशक

वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य हैं :

1.	श्री ए. के. अग्रवाल	अध्यक्ष
2.	श्री ए. के. गुप्ता	निदेशक
3.	श्री रिजवानुर रहमान	निदेशक
4.	श्री सी. पी. रविन्द्रा	निदेशक

कंपनी अधिनिमय, 2013 की धारा 152 (6) के प्रावधानों के अनुसार श्री सी पी रविन्द्रा, निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते उनकी पुनर्नियुक्ति हेतु उन्हें प्रस्ताव दिया जाएगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

सी एंड एजी ने अपने दिनांक 14 जुलाई, 2014 के पत्र के जरिए उल्लेख किया है कि उन्होंने 23 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए कंपनी के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इस संबंध में सी एंड एजी द्वारा जारी किए गए पत्र की प्रति अनुबंध 1 में दी गई है।

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क क) के अंतर्गत यथावश्यक आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

- 23 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और वास्तविक अंतर से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया है;
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे एक जारी (निरंतर कार्यरत) कंपनी के रूप में तैयार किए हैं।

स्वीकारोक्ति

निदेशक केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रति कंपनी को उनके द्वारा दी गई सहायता, किए गए उत्साहवर्धन हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कंपनी विशेष रूप से भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार,सांविधिक लेखापरीक्षकों और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रति उनके निरंतर सहयोग, सुझाव और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
(ए. के. अग्रवाल)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 अगस्त, 2014

अनुबंध 1

23 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

23 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि ये कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 23 मई, 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 23 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक और
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड – III,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 जुलाई, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड

हमने उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड ('कंपनी') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र के साथ साथ लाभ तथा हानि विवरण तथा 23 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य सूचना/नोटों के लिए संक्षिप्त विवरण शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम 2013 के भाग 133 के मामले में व्यवसाय मामला मंत्रालय के जनरल सर्कुलर 15/2013 दिनांक 13 सितंबर, 2013 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") में संदर्भित लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी, डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का कार्यान्वयन और संगत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के अंतर्गत यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों । इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक कंपनी की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है जिससे कि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सके जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं । किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथावश्यक सूचना विहित ढंग से इस प्रकार से प्रदान करते हैं जिससे कि वे भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकें :

(i) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति;

(ii) लाभ और हानि विवरण के मामले में 23 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए कंपनी का (लाभ/हानि) और

(iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में 23 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण।

कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) (संशोधित) आदेश, 2004 द्वारा यथासंशोधित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 ("आदेश") द्वारा यथावश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विर्निदिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

(ख) हमारे दृष्टिकोण से जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई और रखी गई है;

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं अर्थात उनसे मेल खाते हैं;

(घ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संदर्भ में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सितंबर, 2013 के सामान्य परिपत्र संख्या 15/2013 द्वारा पठित अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं;

(ङ) निदेशकों की अनअर्हकता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खंड (छ) की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं हैं क्योंकि यह वित्त मंत्रालय के कंपनी मामला विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी एस आर 829 (ड़) दिनांक 21.10.2013 के संदर्भ में एक सरकारी कंपनी के अधीन पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।

कृते संजय अभय एंड एसोसिएट्स
फर्म पंजीयन संख्या 016060एन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सीए सचिन गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 097381

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ (1) में 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' वाले भाग में संदर्भित)

1. कंपनी के पास जारी पूंजीगत कार्य के अलावा कोई स्थाई परिसंपत्ति नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 4(i) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

2. कंपनी के पास कोई इंवेटरी नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 4(ii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 1958 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों से अथवा को वर्ष के दौरान कंपनी ने ऋण के रूप में न तो कोई ऋण अथवा अग्रिम लिया है और न ही स्वीकृत किया है। इसलिए आदेश के खंड 4(iii) (क) से (ज) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

4. हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद/बिक्री के साथ इसके व्यापार की स्थिति और कंपनी का आकार पूर्ण आंतरिक नियंत्रण दर्शाने वाले हैं । लेखापरीक्षा के दौरान हमने आंतरिक नियंत्रण में किसी बड़ी कमजोरी को सही करने में कोई असफलता नहीं देखी है ।

5. हमारे दृष्टिकोण में और हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह सोचते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसे कोई लेन–देन नहीं किए गए जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है।

6. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके नियमों के अंतर्गत भाग 58क और 58क क के अंतर्गत जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

7. आंतरिक लेखापरीक्षण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

8. जैसा कि हमें जानकारी है, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित कोई कानून जारी नहीं किया है।

9. (क) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी आयकर और अन्य सांविधिक बकाया राशियों सहित अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान संबंधित प्राधिकारियों को धारक कंपनी के माध्यम से सामान्यतः नियमित रूप से कर रही है। हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित सांविधिक देयताओं की बकाया राशि उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर की कोई भी देय राशि नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा न किया गया हो।

10. कंपनी पांच वर्ष से कम अवधि के लिए पंजीकृत रही है। अतः हमें इस बात पर टिप्पणी करने के आवश्यकता नहीं है कि कंपनी ने उपर्युक्त अवधि के अंत में हानि संचित की है अथवा नहीं और यह कंपनी के निवल मूल्य के 50% अथवा उससे अधिक है तथा क्या इसे उपर्युक्त अवधि के दौरान कोई नकद हानि हुई है।

11. किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर धारक से कोई ऋण नहीं लिया है, अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xi) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

12. हमें दी गई सूचना और कंपनी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं दिया है।

13. कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि / म्युचुअल लाभ अर्जित करने वाली न्यास / सोसाइटी नहीं है, अतः आदेश का खंड 4 (xiii) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

14. चूंकि कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेश में व्यवसाय अथवा कारोबार नहीं करती है, अतः आदेश का खंड 4(xiv) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी सावधि ऋण नहीं लिया है, अतः आदेश के खंड 4 (xvi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के तुलन–पत्र और कंपनी के नकदी प्रभाव विवरण की पूर्ण जांच के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अल्पकालिक आधार पर ली गई निधियों का दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए निवेश नहीं किया है। कंपनी ने दीर्घकालीन निधियों का उपयोग स्थायी कार्यशील पूंजी को छोड़कर अल्पकालिक संपत्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए नहीं किया है।

18. कंपनी द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान धारक कंपनी और इसके नामतियों के जरिए आरंभिक आबंटन को छोड़कर कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों और कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

20. कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यू जारी कर कोई पूंजी अर्जित नहीं की है।

21. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पाई गई और न ही कोई रिपोर्ट की गई है।

कृते संजय अभय एंड एसोसिएट्स
फर्म पंजीयन संख्या 016060एन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सीए सचिन गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 097361

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
I. इक्विटी और देयताएं		
(1) शेयरधारकों की निधियां		
(क) शेयर पूंजी	3	500,000
(ख) आरक्षित और अधिशेष निधियां	4	(45,528)
		454,472
(2) गैर–चालू देयताएं		
(क) दीर्घकालीन ऋण	5	21,715
(ख) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	6	46,893
		68,608
योग		523,080
II. परिसंपत्तियां		
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां		
(क) स्थायी परिसंपत्तियां		
(i) जारी पूंजीगत कार्य	7	23,080
		23,080
(2) चालू परिसंपत्तियां		
(क) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	8	500,000
		500,000
योग		523,080
निगमित सूचना	1	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2	
प्रचालन पूर्व व्यय	9	
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	10 से 22	

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सी. पी. रविन्द्र) निदेशक | (ए. के. गुप्ता) निदेशक | (ए. के. अग्रवाल) अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से

संजय अभय एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 016060एन

सी ए सचिन गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 097361

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड
23 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट संख्या	23 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए
I. प्रचालन से प्राप्त राजस्व		–
II. अन्य आय		–
III. कुल राजस्व (I + II)		–
IV. व्यय		
प्रारंभिक व्यय		45,528
कुल व्यय		45,528
V. आपवादिक और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		(45,528)
VI. आपवादिक मद		–
VII. असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)		(45,528)
VIII. असाधारण मद		–
IX. कर पूर्व लाभ/(हानि) (VII-VIII)		(45,528)
X. कर संबंधी व्यय		
(1) चालू कर		–
(2) आस्थगित कर		–
XI. प्रचालन जारी रहने से अवधि के लिए लाभ/ (हानि) (IX-X)		(45,528)
XII. प्रचालन बाधित होने से लाभ/(हानि)		–
XIII. प्रचालन बाधित होने का कर संबंधी व्यय		–
XIV. प्रचालन बाधित होने से लाभ (हानि) (कर पश्चात) (XII-XIII)		–
XV. अवधि के लिए लाभ (हानि) (XI+XIV)		(45,528)
XVI. प्रति इक्विटी शेयर लाभार्जन		
(1) आधारभूत	18	(0.91)
(2) मिश्रित (डाइल्यूटिड)	18	(0.91)
निगमित सूचना	1	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2	
प्रचालन पूर्व व्यय	9	
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	10 से 22	

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सी. पी. रविन्द्र) निदेशक | (ए. के. गुप्ता) निदेशक | (ए. के. अग्रवाल) अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से

संजय अभय एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 016060एन

सी ए सचिन गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 097361

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड

23 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	23 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिए
क. प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	
कर पूर्व हानि	(45,528)
कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन हानि	(45,528)
निम्नलिखित में वृद्धि / कमी के लिए समायोजन	
देयताएं और प्रावधान	68,608
प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	23,080
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	
जारी पूंजीगत कार्य	(23,080)
निवेश संबंधी कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	(23,080)
ग. वित्त पोषण संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	
शेयर पूंजी का इश्यू	500,000
वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	500,000
नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में निवल वृद्धि/कमी (क+ख+ग)	500,000
जोड़ें : वर्ष की शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	–
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	500,000
बैंक में जमा राशियां	500,000

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सी. पी. रविन्द्र)	(ए. के. गुप्ता)	(ए. के. अग्रवाल)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से

संजय अभय एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 016060एन

सी ए सचिन गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 097361

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड

23 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. निगमित सूचना

उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड की स्थापना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी), भारत सरकार का एक उपक्रम के पूर्ण स्वाामित्व वाली एक कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 23 जनवरी, 2014 को की गई। पीएफसी के निदेशक मंडल ने 31 दिसंबर, 2013 को आयोजित अपनी 315 वीं बैठक में इस विशेष प्रयोजनीय वाहन के पंजीकरण हेतु अनुमोदन प्रदान किया जो उड़ीसा राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की लाइसेंस प्राप्त परिसरों के संधारण का कार्य करेगी। कंपनी की स्थापना कोयला ब्लॉकों के लाइसेंस प्रदान करने, कोयला ब्लॉक भूमि अधिग्रहण, पावर प्लांट भूमि अधिग्रहण और कोरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण, निर्माण, प्रचालन और विद्युत प्रणाली तथा एकीकृत ईंधन प्रणाली के रख–रखाव और भूमि, कोयला ब्लॉकों आदि की लाइसेंस प्रक्रिया के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु की गई।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(क) तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुरूप ऐतिहासिक लागत परम्परा के अंतर्गत संचित आधार पर तैयार किए गए हैं।

(ख) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टाधीन अवधि के लिए रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि, राजस्व और व्यय में अनुमान और पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं और/अथवा उन्हें मूर्तरूप दिया जाता है।

(ग) जारी पूंजीगत कार्य

परामर्श / प्रशासन / ब्याज/ जनशक्ति प्रभार/कानूनी और व्यवसायिक प्रभार आदि पर किए गए व्यय और प्रचालन पूर्व अन्य व्यय को जारी पूंजीगत कार्य के रूप में पूंजीकृत किया गया है/माना गया है।

(घ) आरंभिक व्यय

आरंभिक व्यय को लाभ और हानि विवरण में उस अवधि में प्रभारित किया गया है, जिसमें ऐसे व्यय किए गए हैं।

(ड.) ऋण लागत

ऋण लागत की वसूली लाभ और हानि विवरण में पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए ऋण पर ब्याज को छोड़कर उस वर्ष में की जाती है जिसमें यह ऋण लिया गया है, जिसका पूंजीकरण परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक किया जाता है।

(च) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियां

कंपनी कोई प्रावधान तब करती है, जब अतीत की किसी घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में कोई ऐसी बाध्यता हो, जिसके लिए संभवतः संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक है, जिसका विश्वसनीय तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है। किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटन खाताबही में प्रावधान के बिना तब किया जाता है, जब कोई ऐसी बाध्यता होती है जिसके लिए, परंतु संभवतः (प्रबंधन के दृष्टिकोण में), संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक नहीं होगा। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में न तो मान्यता दी गई है न ही प्रकट किया गया है।

(छ) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण पर संशोधित लेखांकन मानक – 3 में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है।

(ज) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन से नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में बैंकों में जमा नकदी और हाथ में उपलब्ध नकद राशि शामिल है।

नोट सं. 3. शेयर पूंजी

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृतः	
प्रत्येक 10 रूपए के 50000 इक्विटी शेयर	500,000
जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर	
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त 50000 इक्विटी शेयर	500,000
कुल जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूंजी	500,000

(क) अवधि की प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का पुनर्मिलान

इक्विटी शेयर	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि (रू.)
अवधि के दौरान जारी किए गए शेयर	50,000	500,000
अवधि के अंत में बकाया	50,000	500,000

(ख) इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें / अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य 10 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट देने के लिए पात्र है।

कंपनी के परिसमापन के मामले में इक्विटी शेयर धारक सभी प्राथमिक राशियों के विवरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह वितरण शेयर धारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

(ग) धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर

कंपनी द्वारा जारी किए गए 50,000 इक्विटी शेयरों में से इसकी धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर निम्नानुसार हैं:

(राशि रूपए में)

	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*	
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्ण प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर	500,000

(घ) कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के विवरण

	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की सं.	श्रेणी में धारिता का %
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	50,000	100%
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*	50,000	100%

* इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखे जाते हैं।

नोट सं. 4. संचित कोष और अधिशेष निधियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
लाभ और हानि लेखे के विवरण में अधिशेष राशि	
जोड़ें अवधि के लिए लाभ/(हानि)	(45,528)
अवधि के अंत में बकाया राशि	(45,528)
योग	(45,528)

नोट सं. 5. अल्पकालिक ऋण

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम	
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी)	21,715
योग	(21,715)

नोट सं. 6. अन्य चालू देयताएं

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
संचित ब्याज परंतु ऋणों पर देय नहीं	466
अन्य देय राशियां	
अन्य देय व्यय	46,427
योग	46,993

नोट सं. 7. जारी पूंजीगत कार्य

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
प्रचालन पूर्व व्यय से स्थानांतरित	23,080
योग	23,080

नोट सं. 8. नकदी और नकदी समतुल्य

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
बैंकों में जमा राशियां	
चालू खाते में	500,000
योग	500,000

नोट सं. 9. प्रचालन पूर्व व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	23 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 के लिए
व्यय	
लेखा परीक्षक को भुगतानः	
लेखा परीक्षक के रूप में	22,427
फाइलिंग शुल्क	187
ब्याज	466
योग	23,080

10. अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शाए गए व्यय मुख्य रूप से पीएफसी / पीएफसीसीएल द्वारा एसपीवी को आबंटित किए जाते हैं । एसपीवी से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय 100% आधार पर तथा साझा व्यय विभिन्न एसपीवी और सेवाओं के आबंटन के बीच होता है। पीएफसी / पीएफसीसीएल द्वारा किए गए ऐसे व्यय के संदर्भ में मूल सहायक बिल पीएफसी / पीएफसीसीएल के नाम पर होते हैं और उनके पास ही रखे जाते हैं जिनकी प्रतियां कंपनी के पास भी उपलब्ध हैं । पीएफसी / पीएफसीसीएल इन कंपनियों के लिए यथालागू "स्रोत पर कर की कटौती और सेवा कर आदि" से संबंधित सभी सांविधिक प्रावाधानों का अनुपालन कर रही हैं ।

11. पूंजीकृत किए जाने हेतु आवश्यक सभी व्यय जिसमें प्रचालन पूर्व व्यय (नोट 09) शामिल हैं, से संबंधित विवरण तैयार किए गए हैं और उन्हें जारी पूंजीगत कार्य शीर्ष में शामिल किया गया है।

12. लेखापरीक्षकों का मेहनताना (सेवा कर सहित)

राशि (रूपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
1.	लेखापरीक्षा शुल्क	22,427

13. कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक धारक कंपनी अर्थात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी) और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी) से हैं और उन्हें अशंकालिक आधार कंपनी में तैनात किया गया।

31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार ऐसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पदावधि समाप्त होने की तारीख
1	श्री ए के अग्रवाल	अध्यक्ष	23.01.2014	जारी
2	श्री सी पी रविंद्रा	निदेशक	23.01.2014	जारी
3	श्री ए के गुप्ता	निदेशक	23.01.2014	जारी
4	श्री आर रहमान	निदेशक	23.01.2014	जारी

14. लेखांकन मानक 18 – "संबंधित पक्षकार प्रकटन" के अनुसार प्रकटन;

उड़ीसा इंफ़ा पावर लिमिटेड पीएफसी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय उड़ीसा इंफ़ा पावर लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं जिन पर पीएफसी / पीएफसीसीएल के नामितियों का नियंत्रण होता है।

लेखाओं में दर्शाए अनुसार और प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित अवधि के दौरान संबंधित पक्षकारों के खातों में बकाया अधिकतम क्रेडिट (डेबिट) के विवरण निम्नानुसार हैं :

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड – 21,715 रूपए

(क) संबंधित पक्षकारों के नाम और उनके साथ संबंधों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति
1.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी लिमिटेड)	धारक कंपनी
2.	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
3.	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
4.	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
5.	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
6.	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
7.	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
8.	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
9.	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
10.	पीएफसी ग्रीन इनर्जी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
11.	पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
12.	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइयजर प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
13.	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
14.	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
15.	चेयूयूर इंफ़ा लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
16.	डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
17.	पेट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	13.11.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
18.	दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	10.12.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
19.	पुरुलिया खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	09.12.2013 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
20.	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12.03.2014 तक सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
21.	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम
22.	बल्लभगढ़ –जीएन ट्रांसमिशन	सामूहिक नियंत्रणाधीन उद्यम

संबंधित पक्षकार लेनदेन निम्नानुसार हैं :

(राशि रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार पीएफसी लिमिटेड (धारक कंपनी)
1.	ब्याज व्यय	466
2.	**इतिशेष बकाया राशि**	
	(क) ऋण और अग्रिम	21715
	(ख) संचित ब्याज परंतु ऋणों पर देय नहीं	466

15. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के अंतर्गत अधिसूचित सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है। हालांकि, आस्थगित कर देयता / समय अंतराल से संबंधित परिसंपत्ति संबंधी लेखांकन मानक (एएस)–22 इस तथ्य के आलोक में कंपनी के लिए लागू नहीं होता है कि कंपनी अभी भी निर्माण चरण पर है और अभी इसका प्रचालन शुरू किया जाना है।

16. चूंकि कंपनी में कोई कार्मिक नहीं हैं, अत: लेखांकन मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार बाध्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

17. निदेशक मंडल के दृष्टिकोण से कंपनी के व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर तुलन–पत्र में यथाउल्लिखित अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों और अल्पकालिक ऋण तथा अग्रिमों के संबंध में यह अपेक्षित है कि उनकी राशि कम से कम उतनी अवश्य दर्शाई जाए जितनी बताई गई है।

18. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित "प्रति शेयर अर्जन" पर लेखांकन मानक – 20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत और मिश्रित(डाइल्यूटिड)) की गणना निम्नानुसार की जाती है :

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 को खत्म होने वाली अवधि के लिए
1	शेयर का सामान्य मूल्य (रूपए)	10
2	इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या)	50,000
3	कर पश्चात निवल लाभ (रूपए)	(45,528)
4	प्रति शेयर अर्जन (रूपए)	(0.91)

19. कंपनी के पास वर्ष के अंत में लघु उद्योग (स्माल–स्केल) यूनिटों की कोई बकाया राशियां नहीं हैं, अत: ब्याज का कोई प्रावधान बनता ही नहीं है। इसके अलावा, प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत शामिल उद्यमों को देय कोई भी बकाया राशियां नहीं हैं।

20. कंपनी प्रचालनरत नहीं है, हालांकि कंपनी ने चालू और गैर चालू रूप में परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्गीकरण के लिए 12 माह की अवधि के अंतराल को अपनाया है।

21. अन्यथा उल्लेख न किए जाने की स्थिति में आंकड़ों को निकटतम रूपए के रूप में राउंडऑफ कर दिया गया है।

22. चूंकि यह कंपनी का पहला लेखापरीक्षण वर्ष है, गत वर्ष के आंकड़े लागू नहीं होते हैं तथा लेखे 23 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 की अवधि तक के लिए तैयार किए गए हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सी. पी. रविन्द्र) **निदेशक**

(ए. के. गुप्ता) **निदेशक**

(ए. के. अग्रवाल) **अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से

संजय अभय एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 016080एन

सी ए सचिन गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 097361

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 मई, 2014

डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(पूर्ववर्ती डीजीईएन और उत्तराखंड ट्रांसमिशन कंपनी लि.)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

निदेशक रिपोर्ट 2013–14

सेवा में,

सदस्यगण

निदेशकों को 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए आपकी कंपनी के निष्पादन पर तीसरी (3वीं) वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रचालनात्मक कार्यकलाप

आपकी कंपनी की स्थापना टोरेंट पावर लिमिटेड की डीजीईएन पीपीएस (1200 मेगावाट) और श्रीनगर (उत्तराखंड) तथा टिहरी के बीच इंटरकनेक्शन से संबद्ध ट्रांसमिशन परियोजना के विकास हेतु पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में 15 नवंबर, 2011 को की गई।

परियोजना के लिए आरएफक्यू तैयार करने का कार्य 18 नवंबर, 2011 को शुरू किया गया और 16 मई, 2012 को पूरा किया गया।

ट्रांसमिशन पर अधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 15 जून, 2012 को आयोजित की गई अपनी 29वीं बैठक में अभिव्यक्त किया कि चूंकि विषयांकित परियोजना का एक भाग पश्चिमी क्षेत्र में और दूसरा भाग उत्तरी क्षेत्र में है, अतः एकल विकासकर्ता द्वारा संपूर्ण पैकेज का प्रबंधन करने में कठिनाई हो सकती है। अतः समिति ने परियोजना को दो भागों में विभाजित करने का निश्चय किया और "श्रीनगर (उत्तराखंड) तथा टिहरी के बीच इंटरकनेक्शन" से संबद्ध योजना को इससे अलग करने का निश्चय किया। अधिकार प्राप्त समिति ने यह भी निश्चय किया कि विद्युत मंत्रालय उपर्युक्त कार्य क्षेत्र के अनुसार इस योजना को पुनः अधिसूचित करेगा और बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) संशोधित कार्यक्षेत्र के साथ पुनः आरएफक्यू जारी करेगा।

विद्युत मंत्रालय ने 8 अक्टूबर, 2012 को संशोधित ट्रांसमिशन योजना अधिसूचित की। संशोधित कार्यक्षेत्र के लिए आरएफक्यू तैयार करने का कार्य 30 अक्टूबर, 2012 को शुरू किया गया और आरएफक्यू के संदर्भ में रुझान प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर, 2012 निर्धारित की गई।

10 दिसंबर, 2012 को सीटीयू ने प्रस्ताव दिया कि मार्गस्थ कार्यक्षेत्र का कार्यान्वयन संबंधित विद्युत कंपनियों अर्थात पावरग्रिड (बड़ोदरा और नवसारी में) और जीईटीसीओ (मेस्टन) द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा सीईए ने 11 दिसंबर, 2012 को सुझाव दिया कि जब तक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा परियोजना के कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है तब तक के लिए आरएफक्यू के संबंध में रुझान प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए।

अधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 18 फरवरी, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में ट्रांसमिशन योजना के कार्यक्षेत्र को संशोधित किया और सब–स्टेशनों में आने वाली खाड़ियों को कार्यक्षेत्र से हटा दिया गया। इसके अलावा अधिकार प्राप्त समिति ने यह निश्चय किया कि विद्युत मंत्रालय इस योजना को पुनः अधिसूचित करेगा।

आरएफक्यू के संदर्भ में रुझान प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को अनेक मौकों पर बढ़ाया गया तथा यह अंतिम रूप से इसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर, 2013 कर दिया गया। विद्युत मंत्रालय ने अपने गैजेट अधिसूचना दिनांक 03 अक्टूबर, 2013 में संशोधित पारेषण योजना अधिसूचित किया।

15 अक्टूबर, 2013 तक सात बोलीदाताओं ने आरएफक्यू के संदर्भ में रुझान प्रस्तुत किया। बोली निर्धारक समिति ने अपने 29 अक्टूबर, 2013 तथा 26 नवंबर, 2013 को हुई बैठक में उन सभी सातों बोलीदाताओं को आरएफपी चरण पर भाग लेने के लिए सफल घोषित किया। आरएफपी दस्तावेज आरएफक्यू चरण पर सफल हुए सभी सातों बोलीदाताओं को 28 नबंवर, 2013 को जारी कर दी गई तथा साथ ही उसके जमा करने की अंतिम तारीख 13 मार्च, 2014 निर्धारित कर दी गई जो 25 मार्च, 2014 तक बोलीदाताओं के अनुरोध पर बढ़ाई जा सकती थी। दो बोलीदाताओं (अर्थात पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंस्टालेसिअन्स इनाबेंसा एसए, स्पेन) ने बोली दस्तावेज प्रस्तुत किया। आरएफपी बोली दस्तावेज के मूल्यांकन के आधार पर , बोली मूल्यांकन समिति ने 28 मार्च, 2014, 15 अप्रैल, 2014, 25 अप्रैल, 2014 तथा 13 मई, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में इंस्टालेसिअन्स इनाबेंसा एसए, स्पेन को 584.01 मिलियन प्रति वर्ष के न्यूनतम मूल्यांकित स्तरीय पारेषण दर के साथ सफल बोलीदाता घोषित किया। उद्देश्य का पत्र इंस्टालेसिअन्स इनाबेंसा एसए स्पेन को 19 मई, 2014 को जारी कर दिया गया। कंपनी का हस्तांतरण सफल बोलीदाता, इंस्टालेसिअन्स इनाबेंसा एसए, स्पेन को किए जाने की प्रक्रिया जारी है।

वित्तीय समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रारंभ नहीं किए हैं। तथापि, 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 के वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने परियोजना के विकास में 97.01 लाख रूपए की राशि खर्च की है जिसे जारी पूंजीगत कार्य मद में स्थानांतरित किया गया है। 31 मार्च, 2014 तक 350.27 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

लाभांश

चूंकि आपकी कंपनी ने अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू नहीं किए हैं, अतः वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

शेयर पूंजी

31 मार्च , 2014 तक कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5,00,000 रूपए (प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर) है। वर्ष के दौरान, कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखी जाती है।

सावधि जमा

कंपनी ने वर्ष 2013–14 के दौरान कोई भी सावधि जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाला अर्जन और बहिर्गमन

चूंकि कंपनी के प्रचालन में कोई भी विनिर्माण अथवा संसाधन गतिविधियां शामिल नहीं है, अतः कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी विवरण लागू नहीं हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, विदेशी विनिमय से कोई भी अर्जन अथवा बहिर्गमन नहीं हुआ है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मैसर्स लूथरा एण्ड लूथरा, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (3) के प्रावधानों के अनुक्रम में सांविधिक लेखापरीक्षकों के अवलोकन संबंधी सूचना निम्नानुसार प्रस्तुत की जाती है :

अवलोकन	उत्तर
विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए विहित दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार ने पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को इस कंपनी द्वारा गुजरात राज्य में टोरेंट पावर लि. की डीजीईएन टीपीएस (1200 मेगावाट) के साथ संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली की स्थापना हेतु प्रस्तावित परियोजना की स्थापना के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) नियुक्त किया है। कंपनी ने परियोजना के लिए बोलीदाता की पहचान और अन्य संबंधित कार्यकलापों के संचालन हेतु कंपनी की ओर से पीएफसीसीएल द्वारा किए गए और आबंटित जनशक्ति प्रभार संबंधी और अन्य प्रशासनिक उपरिव्यय को पूंजीकृत किया है क्योंकि प्रबंधन के दृष्टिकोण से ये उपरिव्यय परियोजना की स्थापना से संबंधित हैं। हालांकि हमारे दृष्टिकोण से प्रबंधन का यह दृष्टिकोण लेखांकन मानक (एएस)–10 के पैरा 9 और 10 के प्रतिकूल है क्योंकि यह लागत न तो स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है और न ही सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि यह निर्माण संबंधी कार्यकलापों से जुड़ा है क्योंकि परियोजना के संबंध में निर्माण कार्य अभी भी शुरू किया जाना है। इस प्रकार इसे स्थायी परिसंपत्तियों और 97,01,820 रुपए की आरक्षित और अधिशेष निधियों के रूप में अधिक दर्शाया गया है तथा अवधि के लिए 97,01,820 रुपए की हानि कम दर्शायी गई है।	लेखांकन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एएस–10 के पैरा 9 और 10 के अनुपालन में किया गया है कि किया गया व्यय एक चिह्नित परियोजना के लिए किया गया है। अतः सभी प्रकार के व्यय स्थल के सर्वेक्षण और परामर्श शुल्क के रूप में किए गए हैं। जनशक्ति प्रभार और अन्य प्रशासनिक प्रभार प्रत्यक्ष रूप से परियोजना से जुड़े होते हैं। अतः प्रबंधन के दृष्टिकोण में लेखांकन मानक 10 के पैरा 9 और 10 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और स्थायी परिसंपत्तियों तथा आरक्षित और अधिशेष राशियों को अधिक नहीं दर्शाया गया है और न ही अवधि के दौरान हानि कम दर्शायी गई है। वित्त वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी द्वारा दिए गए लेखा जांच को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कार्मिकों के विवरण

कंपनी के अपने रोल में कोई भी कार्मिक नहीं है। अतः कंपनी (कार्मिकों के विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत यथानिर्धारित कार्मिकों के विवरण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

निदेशक

वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य हैं :

1.	श्री योगेश जुनेजा	अध्यक्ष
2.	श्री सुबीर मूलचंदानी	निदेशक
3.	श्री राजेश कुमार शाही	निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) प्रावधानों के अनुसार श्री योगेश जुनेजा, निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते पुनर्नियुक्ति के लिए उन्हें प्रस्ताव दिया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

सी एंड एजी ने 31 मार्च, 2014 को खत्म होनेवाले वर्ष के लिए अपने दिनांक 21 अगस्त, 2014 के पत्र के जरिए अपनी टिप्पणी दी है। इस संबंध में सी एंड एजी द्वारा जारी किए गए पत्र की प्रति अनुबंध 1 में दी गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी और प्रबंधन का इस पर जबाब नीचे दी गई है :

क्र. सं.	सी एंड एजी की टिप्पणियां	प्रबंधन का जबाव
1.	**तुलन–पत्र** **परिसंपत्तियां** **गैर चालू परिसंपत्तियां** **स्थायी परिसंपत्तियां–जारी पूंजीगत कार्य (नोट 7)–350.26 लाख रूपए** उपर्युक्त में 30.00 लाख रुपए की राशि शामिल नहीं हैं, क्योंकि यह स्वतंत्र पारेषण प्रणालियों के विकास हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया आधार पर कंपनी के हस्तांतरण के लिए बोलियां आमंत्रित करने हेतु बोली दस्तावेजों के प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) की बिक्री से होने वाली आय है और इसे बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) अर्थात पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (धारक कंपनी) द्वारा अपने पास रखा गया है। पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक बोली दस्तावेजों (एसवीडी) के लिए यह आवश्यक है कि बीपीसी द्वारा आमंत्रित आरएफपी बोली दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय का भुगतान कंपनी (एसपीवी) को सीधे बोलीकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए, जो सफल बोलीदाता को हस्तांतरित की जानी है । अनुमोदित एसवीडी के उपर्युक्त प्रावधानों के अननुपालन के परिणामस्वरूप "जारी पूंजीगत कार्य–निर्माण पूर्व अवधि के दौरान व्यय" और चालू देयताओं के अंतर्गत 30.00 लाख रुपए का "अल्पावधि ऋण (नोट सं. 5)" अधिक बताया गया है।	प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) की बिक्री से होने वाले आय बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) द्वारा अपने पास रखी जाती है। ऐसे मामले में पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) को डीजीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड कंपनी के लिए विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा बोली प्रक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है और इसे केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचित किया गया था। विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक बोली दस्तावेजों में केवल यह विहित किया गया है कि आरएफपी की बिक्री से होने वाली आय विशेष प्रयोजनीय वाहन (कंपनी) के पक्ष में एकत्र की जाए। हालांकि मानक बोली दस्तोवजों में यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि बिक्री से होने वाली आय को चयनित बोलीदाताओं को हस्तांतरित किया जाए। चूंकि आईटीपी के लिए बोली दस्तावेज पीएफसीसीएल द्वारा तैयार किए गए हैं , अतः आरएफपी दस्तावेज में यह प्रावधान किया गया कि दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय का भुगतान पीएफसीसीएल के पक्ष में किया जाए। विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गई अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की दिनांक 15.06.2012 को आयोजित बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई। अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष ने विद्युत मंत्रालय से अनुरोध किया कि निविदा दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय को रखने से संबंधित मामले का निराकरण किया जाए। विद्युत मंत्रालय का निर्णय लंबित होने के कारण कंपनी ने पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन किया और पीएफसीसीएल द्वारा बिक्री से होने वाली आय एकत्र की गई और अपने पास रखी गई। इस प्रकार उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन के परिणामस्वरूप "जारी पूंजीगत कार्य–निर्माण पूर्व अवधि के दौरान व्यय" और चालू देयताओं के अंतर्गत 30.00 लाख रुपए का "अल्पकालिक ऋण (नोट सं. 5)" अधिक नहीं बताया गया है। लेखांकन इस तथ्य को ध्यान मं रखते हुए एएस–10 के पैरा 9 और 10 के अनुपालन में किया गया है कि किया गया व्यय एक चिह्नित परियोजना के लिए किया गया है। अतः सभी प्रकार के व्यय स्थल के सर्वेक्षण और परामर्श शुल्क के रूप में किए गए हैं। जनशक्ति प्रभार और अन्य प्रशासनिक प्रभार प्रत्यक्ष रूप से परियोजना से जुड़े होते हैं। अतः प्रबंधन के दृष्टिकोण में लेखांकन मानक 10 के पैरा 9 और 10 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और स्थायी परिसंपत्तियों तथा आरक्षित और अधिशेष राशियों को अधिक नहीं दर्शाया गया है और न ही अवधि के दौरान हानि कम दर्शायी गई है।
2.	**स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट** सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा दी गई अर्हता पर गत वर्ष की अवधि 15.11.2011 से से 31.12.2012 और 01.01.2013 से 31.03.2013 की अवधि के लिए कंपनी के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के संबंध में संदर्भ आमंत्रित (ध्यान आकृष्ट) किया जाता है। इस संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 4 (क) के संदर्भ में भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो निम्नानुसार है : "ट्रांसमिशन सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया हेतु विहित दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार ने पीएफसी कंसल्टिंग लि. को इस कंपनी द्वारा गुजरात राज्य में टोरेंट पावर लि. की डीजीईएन टीपीएस (1200 मेगावाट) के साथ संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली की स्थापना हेतु प्रस्तावित परियोजना की स्थापना के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) नियुक्त किया है। कंपनी ने परियोजना के लिए बोलीदाता की पहचान और अन्य संबंधित कार्यकलापों के संचालन हेतु कंपनी की ओर से पीएफसीसीएल द्वारा किए गए और आबंटित जनशक्ति प्रभार संबंधी और अन्य प्रशासनिक उपरिव्यय को पूंजीकृत किया है क्योंकि प्रबंधन के दृष्टिकोण से ये उपरिव्यय परियोजना की स्थापना से संबंधित हैं (नोट संख्या 11 देखें)। हालांकि हमारे दृष्टिकोण से प्रबंधन का यह दृष्टिकोण लेखांकन मानक (एएस)–10 के पैरा 9 और 10 के प्रतिकूल है क्योंकि यह लागत न तो स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण से प्रत्यक्ष रूप	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां स्वस्पष्ट हैं और प्रबंधन के जवाब की जरूरत नहीं है।

	से जुड़ा है और न ही सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि यह निर्माण संबंधी कार्यकलापों से जुड़ा है क्योंकि परियोजना के संबंध में निर्माण कार्य अभी भी शुरू किया जाना है। इस प्रकार इसे स्थायी परिसंपत्तियों और 97,01,820 रुपए की आरक्षित और अधिशेष निधियों के रूप में अधिक दर्शाया गया है तथा अवधि के लिए 97,01,820 रुपए की हानि कम दर्शाई गई है"। उपर्युक्त अर्हता सही नहीं है क्योंकि ये व्यय विशेष रूप से पीएफसी कंसल्टिंग लि. द्वारा विशेष प्रयोजनीय वाहन के रूप में गठित कंपनी के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली ट्रांसमिशन परियोजना से जुड़े थे अतः कंपनी ने उपर्युक्त व्यय को लेखांकन मानक (एएस–10) के पैरा 9.2 के अनुसार सही ढंग से पूंजीकृत किया है। ये व्यय पीएफसी कंसल्टिंग लि. द्वारा सफल बोलीदाता के चयन के पश्चात कंपनी को उसे हस्तांतरित करने पर संगत बोलीदाता से वसूल किए जाएंगे। इस प्रकार इन व्यय को कंपनी की हानि के रूप में नहीं माना जा सकता है।	

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत यथावश्यक आपके निदेशक सुनिश्चित / पुष्टि करते हैं कि :

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और वास्तविक अंतर से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया है।
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे एक निरंतर कार्यरत कंपनी के रूप में तैयार किए हैं।

स्वीकारोक्ति

निदेशक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रति कंपनी को उनके द्वारा दी गई सहायता, किए गए उत्साहवर्धन हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कंपनी विशेष रूप से भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, विद्युत मंत्रालय, सांविधिक लेखापरीक्षकों और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड के प्रति उनके निरंतर सहयोग, सुझाव और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 अगस्त, 2014

(योगेश जुनेजा)
अध्यक्ष

अनुबंध 2

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा–परीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि ये कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 15 मई, 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा की है। यह पूरी लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्यकारी दस्तावेजों के अभिगम के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह सांविधिक लेखापरीक्षक और कंपनी के कार्मिकों से की गई आरंभिक पूछताछ तथा कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है। हमारी पूरक लेखापरीक्षक के आधार पर मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगा, जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे दृष्टिकोण से वित्तीय विवरणों तथा संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने की दृष्टि से आवश्यक हैं।

1. **तुलन –पत्र**

   परिसंपत्तियां

   गैर–चालू परिसंपत्तियां

   स्थायी परिसंपत्तियां– जारी पूंजीगत कार्य

   (नोट–7)– 350.26 लाख रुपया

उपर्युक्त में 30.00 लाख रुपए की राशि शामिल नहीं हैं, क्योंकि यह स्वतंत्र पारेषण प्रणालियों के विकास हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया आधार पर कंपनी के हस्तांतरण के लिए बोलियां आमंत्रित करने हेतु बोली दस्तावेजों के प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) की बिक्री से होने वाली आय है और इसे बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) अर्थात पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (धारक कंपनी) द्वारा अपने पास रखा गया है।

पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक बोली दस्तावेजों (एसबीडी) के लिए यह आवश्यक है कि बीपीसी द्वारा आमंत्रित आरएफपी बोली दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय का भुगतान कंपनी (एसपीवी) को सीधे बोलीकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए, जो सफल बोलीदाता को हस्तांतरित की जानी है ।

अनुमोदित एसबीडी के उपर्युक्त प्रावधानों के अननुपालन के परिणामस्वरूप "जारी पूंजीगत कार्य–निर्माण पूर्व अवधि के दौरान व्यय" और चालू देयताओं के अंतर्गत 30.00 लाख रुपए का "अल्पावधि ऋण (नोट सं. 5)" अधिक बताया गया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा दी गई अर्हता पर गत वर्ष की अवधि 15.11.2011 से 31.12.2012 और 01.01.2013 से 31.03.2013 की अवधि के लिए कंपनी के पहले लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के संबंध में संदर्भ आमंत्रित (ध्यान आकृष्ट) किया जाता है।

इस संबंध में चालू लेखाओं पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 4 (क) के संदर्भ में भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो निम्नानुसार है :

"ट्रांसमिशन सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया हेतु विहित दिशा–निर्देशों के अनुसार भारत सरकार ने पीएफसी कंसल्टिंग लि. को इस कंपनी द्वारा गुजरात राज्य में टोरेंट पावर लि. की डीजीईएन टीपीएस (1200 मेगावाट) के साथ संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली की स्थापना हेतु प्रस्तावित परियोजना की स्थापना के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) नियुक्त किया है। कंपनी ने परियोजना के लिए बोलीदाता की पहचान और अन्य संबंधित कार्यकलापों के संचालन हेतु कंपनी की ओर से पीएफसीसीएल द्वारा किए गए और आबंटित जनशक्ति प्रभार संबंधी और अन्य प्रशासनिक उपरिव्यय को पूंजीकृत किया है क्योंकि प्रबंधन के दृष्टिकोण से ये उपरिव्यय परियोजना की स्थापना से संबंधित हैं (नोट संख्या 11 देखें)। हालांकि हमारे दृष्टिकोण से प्रबंधन का यह दृष्टिकोण लेखांकन मानक (एएस)–10 के पैरा 9 और 10 के प्रतिकूल है क्योंकि यह लागत न तो स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है और न ही सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि यह निर्माण संबंधी कार्यकलापों से जुड़ा है क्योंकि परियोजना के संबंध में निर्माण कार्य अभी भी शुरू किया जाना है। इस प्रकार इसे स्थायी परिसंपत्तियों और 97,01,820 रुपए की आरक्षित और अधिशेष निधियों के रूप में अधिक दर्शाया गया है तथा अवधि के लिए 97,01,820 रुपए की हानि कम दर्शायी गई है"।

उपर्युक्त अर्हता सही नहीं है क्योंकि ये व्यय विशेष रूप से पीएफसी कंसल्टिंग लि. द्वारा विशेष प्रयोजनीय वाहन के रूप में गठित कंपनी के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली ट्रांसमिशन परियोजना से जुड़े थे अतः कंपनी ने उपर्युक्त व्यय को लेखांकन मानक (एएस–10) के पैरा 9.2 के अनुसार सही ढंग से पूंजीकृत किया है। ये व्यय पीएफसी कंसल्टिंग लि. द्वारा सफल बोलीदाता के चयन के पश्चात् कंपनी को उसे हस्तांतरित करने पर संगत बोलीदाता से वसूल किए जाएंगे। इस प्रकार इन व्यय को कंपनी की हानि के रूप में नहीं माना जा सकता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा और
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड – III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 अगस्त, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण,

डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लि.

1. हमने डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लि. ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विववरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र के साथ–साथ लाभ तथा हानि विवरण और उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए संलग्न नगदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार तथा अन्य स्पष्टीकरणयुक्त सूचना शामिल हैं।

2. **वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**

   प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम 2013 के भाग 133 के मामले में व्यवसाय मामला मंत्रालय के जनरल सर्कुलर 15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम 1956 ("अधिनियम") में संदर्भित लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी, डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का कार्यान्वयन और संगत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

3. **लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी**

   हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों । इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक्षक कंपनी की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है जिससे कि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सके जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं । किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वूपर्ण अनुमानों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

4. **दृष्टिकोण**

   हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) ट्रांसमिशन सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया हेतु विहित दिशा–निर्देशों के अनुसार भारत सरकार ने पीएफसी कंसल्टिंग लि. को इस कंपनी द्वारा गुजरात राज्य में टोरेंट पावर लि. की डीजीईएन टीपीएस (1200 मेगावाट) के साथ संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली की स्थापना हेतु प्रस्तावित परियोजना की स्थापना के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) नियुक्त किया है। कंपनी ने परियोजना के लिए बोलीदाता की पहचान और अन्य संबंधित कार्यकलापों के संचालन हेतु कंपनी की ओर से पीएफसीसीएल द्वारा किए गए और आबंटित जनशक्ति प्रभार संबंधी और अन्य प्रशासनिक उपरिव्यय को पूंजीकृत किया है क्योंकि प्रबंधन के दृष्टिकोण से ये उपरिव्यय परियोजना की स्थापना से संबंधित हैं (नोट संख्या 11 देखें)। हालांकि हमारे दृष्टिकोण से प्रबंधन का यह दृष्टिकोण लेखांकन मानक (एएस)–10 के पैरा 9 और 10 के प्रतिकूल है क्योंकि यह लागत न तो स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है और न ही सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि यह निर्माण संबंधी कार्यकलापों से जुड़ा है क्योंकि परियोजना के संबंध में निर्माण कार्य अभी भी शुरू किया जाना है। इस प्रकार इसे स्थायी परिसंपत्तियों और 97,01,820 रुपए की आरक्षित और अधिशेष निधियों के रूप में अधिक दर्शाया गया है तथा अवधि के लिए 97,01,820 रुपए की हानि कम दर्शायी गई है।

   (ख) हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण उपर्युक्त क के अधीन अधिनियम द्वारा यथावश्यक सूचना विहित ढंग से इस प्रकार से प्रदान करते हैं जिससे कि वे भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकें।

   (i) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति;

   (ii) लाभ और हानि विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का शून्य (लाभ/हानि) और

   (iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण।

5. **कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

1. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनियां (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के अनुसार यथावश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में कंपनी के लिए लागू सीमा के अनुसार उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

   (ख) हमारे दृष्टिकोण से जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई और रखी गई है;

   (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं अर्थात उनसे मेल खाते हैं;

   (घ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग 133 के मामले में व्यवसाय मामला मंत्रालय के जनरल सर्कुलर 15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") में संदर्भित लेखांकन मानकों के साथ सभी वास्तविक संदर्भों में 4(क) में उल्लिखित एस.10 के प्रतिकूल जनशक्ति और अन्य प्रशासनिक व्यय के कैपिटलाइजेशन को छोड़कर उनके अनुरूप हैं;

   (ङ) निदेशकों की अनर्हता से संबंधित कंपनी अधिनियम की धारा 274 की उप धारा (1) के खंड (छ) की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कंपनी वित्त मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 21.10.2003 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) के संदर्भ में एक सरकारी कंपनी है।

   (च) चूंकि केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 क के अंतर्गत भुगतान किए जाने वाले उपकर की दर अधिसूचित करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की है और न ही उपर्युक्त धारा के अंतर्गत ऐसे कोई नियम जारी किए हैं, जिनमें ऐसे उपकर के भुगतान का ढंग विहित किया गया हो, अतः कंपनी द्वारा कोई भी उपकर देय नहीं है।

कृते लूथरा एण्ड लूथरा
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 002081एन

अखिलेश गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 089909

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई, 2014

अनुबंध

(i) कंपनी की कोई स्थायी परिसंपत्तियां नहीं हैं अतः खंड– (i) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

(ii) कंपनी कोई विनिर्माण प्रतिष्ठान नहीं है इसलिए कंपनी के पास कोई इनवेंटरी भी नहीं है, अतः यह खंड कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

(iii) हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को/से न तो कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण दिया न लिया है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है। इसलिए आदेश के खंड 4 (iii) (क) से (छ) का प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(iv) हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में इनवेंटरी और स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद और माल तथा सेवाओं की बिक्री के लिए कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है।

(v) (क) हमारे दृष्टिकोण से और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारा यह मानना है कि संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऐसे कोई लेन–देन नहीं किए गए जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है।

(ख) हमें दी गई सूचना के अनुसार हमारा मानना है कि किए गए ऐसे सभी लेनदेनों में से प्रत्येक लेनदेन ऐसे मूल्य पर किया गया है जो वर्तमान समय में बाजार में मौजूदा मूल्यों के संदर्भ में उचित है।

(vi) कंपनी ने जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की है।

(vii) कंपनी के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा लागू नहीं है।

(viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 201 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रख–रखाव विहित नहीं किया है।

(ix) (क) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा आयकर आदि सहित अविवादित सांविधिक देयताओं का नियमित रूप से भुगतान किया गया है। भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, सीमा शुल्क, धन कर और उत्पाद शुल्क और उपर्युक्त अवधि के लिए लागू नहीं थे। तदनुसार हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर ऐसी सांविधिक देयताओं के संदर्भ में कोई अविवादित राशियां देय नहीं हैं जो 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए देय नहीं है।

(ख) ऐसी कोई सांविधिक देयताएं नहीं हैं जो किसी विवाद के चलते जमा न कराई गई हों।

(x) कंपनी 5 वर्ष से कम अवधि के लिए पंजीकृत रही है, अतः हमें इस बात पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है कि वर्ष के अंत में संचित हानियां कंपनी के निवल मूल्य के 50% और उससे अधिक हैं या नहीं और इस अवधि में क्या कंपनी को कोई नकद हानि हुई है।

(xi) हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के अनुसार हमारा मानना है कि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंकों से कोई ऋण नहीं लिया है।

(xii) रिकॉर्डों की जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयर, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों को बंधक बनाकर सुरक्षा के आधार पर कोई ऋण / अग्रिम स्वीकृत नहीं किया है।

(xiii) कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि / म्यूचुअल लाभ अर्जित करने वाली निधि, न्यास / सोसाइटी नहीं है। इसलिए खंड 4 (xiii) (क) से (घ) का प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(xiv) चूंकि कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेश में व्यवसाय अथवा कारोबार नहीं करती है, अतः खंड 4 (xiv) का प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से अन्य लोगों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा–बही की जांच के आधार पर कंपनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।

(xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और लेखा–बही की जांच के आधार पर कंपनी ने अल्पावधि आधार कोई ऋण नहीं लिया है।

(xviii) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों और कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया है। तदनुसार खंड 4 (xviii) कंपनी के लागू नहीं होता है।

(xix) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई डिबेंचर जारी नहीं किया गया है।

(xx) कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यू जारी कर कोई धनराशि अर्जित नहीं की है।

(xxi) लेखाओं की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से निष्पादित की गई लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पायी गई और न ही इस संबंध में कोई रिपोर्ट की गई है।

कृते लूथरा एण्ड लूथरा
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 002081एन

अखिलेश गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 089909

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई, 2014

डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लि.
(पूर्ववर्ती डीजीएन और उत्तराखंड ट्रांसमिशन कंपनी लि.)
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2014 की	31 मार्च, 2013 की
1. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	3	**500,000**	500,000
(ख) आरक्षित और अधिशेष निधिया	4	**(34,160)**	(34,160)
		465,840	465,840
(2) चालू देयताएं			
(क) अल्पावधि ऋण	5	**29,501,626**	22,816,555
(ख) अन्य चालू देयताएं	6	**5,071,59**	2,047,998
		34,573,223	24,864,553
योग		**35,039,063**	25,330,393
परिसंपत्तियां			
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां			
(क) स्थायी परिसंपत्तियां			
(i) जारी पूंजीगत कार्य	7	**35,026,784**	25,324,964
		35,026,784	25,324,964
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) नकदी और नकदीं समतुल्य राशिया	8	**12,279**	5,429
		12,279	5,429
योग		**35,039,063**	25,330,393
निगमित सूचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
निर्माणाधीन अवधि के दौरान व्यय	9		
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	10 से 24		

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(राजेश शाही)	(सुबीर मूलचंदानी)	(योगेश जुनेजा)
निदेशक	**निदेशक**	**अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से

लूथरा एण्ड लूथरा
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 002081एन

अखिलेश गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 89909

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लि.
(पूर्ववर्ती डीजीएन और उत्तराखंड ट्रांसमिशन कंपनी लि.)
31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट संख्या	01 जनवरी 2013 से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए
I. **प्रचालन से प्राप्त राजस्व**		–
II. **अन्य आय**		–
III. **कुल राजस्व (I+II)**		–
IV. **व्यय**		
आरंभिक व्यय		–
कुल व्यय		**–**
V. **आपवादिक और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ**		–
VI. असाधारण मदें		–
VII. **आपवादिक और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ**		–
VIII. असाधारण मदें		**–**
IX. **कर पूर्व लाभ/(हानि)**		–
X. **कर संबंधी व्यय**		
(1) चालू कर		–
(2) आस्थगित कर		–
XI. **प्रचालन जारी रहने से वर्ष– के लिए लाभ/ (हानि) (IX-X)**		–
XII. **प्रचालन बाधित होने से लाभ/(हानि)**		–
XIII. **प्रचालन बाधित होने का कर संबंधी व्यय**		–
XIV. **प्रचालन बाधित होने से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (XII-XIII)**		–
XV. **वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (XI+XIV)**		–
XVI. **प्रति इक्विटी शेयर लाभार्जन**		
(1) आधारभूत	**16**	–
(2) मिश्रित	**16**	–
निगमित सूचना	1	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2	
निर्माणाधीन अवधि के दौरान व्यय	9	
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणिया		
टिप्पणिया	10 से 24	

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(राजेश शाही)	(सुबीर मूलचंदानी)	(योगेश जुनेजा)
निदेशक	**निदेशक**	**अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से

लूथरा एण्ड लूथरा
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 002081एन

अखिलेश गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 89909

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लि.
(पूर्ववर्ती डीजीएन और उत्तराखंड ट्रांसमिशन कंपनी लि.)
31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण		01 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए
क	**प्रचालन संबंधी**	
	कार्यकलापोंसे नकदी प्रवाह	
	कर पूर्व लाभ/(हानि)	–
	कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पहले लाभ/(हानि)	–
	निम्नलिखित में वृद्धि/कमी के लिए समायोजन	
	देयताएं और प्रावधान	9,708,670
	प्रचालनात्मक कार्यकलाप से	9,708,670
	निबल नकदी प्रवाह	
ख	**निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**	
	जारी पूंजीगत कार्य	9,701,820
	निवेश संबंधी कार्यकलाप में प्रयुक्त	9,701,820
	निबल नकद	
ग	**वितपोषण संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**	
	वित्तीय कार्यकालपों में उपयुक्त निबल नकद	–
		–
	नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में निबल लाभ/(हानि) (क+ख+ग)	6,850
	योग : वर्ष की शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	5,429
	वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य राशि	12,279
	बैंक में जमा राशियां	12,279

–	–
–	–
3,212,152	3,212,152
3,212,152	3,212,152
3,706,673	3,706,673
3,706,673	3,706,673
–	–
–	–
(494,521)	499,950
5,429	5,429

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(राजेश शाही)	(सुबीर मूलचंदानी)	(योगेश जुनेजा)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से

लूथरा एण्ड लूथरा
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 002081एन

अखिलेश गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 89909

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई, 2014

डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लि.
(पूर्ववर्ती डीजीएन और उत्तराखंड ट्रांसमिशन कंपनी लि.)
31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. निगमित सूचना

कंपनी की स्थापना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल), (भारत सरकार के एक उपक्रम के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी) के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 15 नवंबर, 2011 को की गई। कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रमाण–पत्र 9 फरवरी, 2012 को जारी किया गया। कंपनी की स्थापना गुजरात राज्य में विद्युत के ट्रांसमिशन (परियोजना) और ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता के चयन हेतु बोली प्रक्रिया आदि संचालित करने के उद्देश्य से आवश्यकता अनुसार पावर प्रणाली नेटवर्क का विकास करने और अध्ययन, अन्वेषण, सूचना और डेटा एकत्र करने, सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने, वन संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने आदि के लिए की गई है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ट्रांसमिशन सेवा के लिए जारी किए गए टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया दिशानिर्देशों के अनुसार विकासकर्ता के चयन पर कंपनी चयनित विकासकर्ता को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

(क) तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा केन्द्र सरकार द्वारा यथाविहित कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुरूप ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत संचित आधार पर तैयार किए गए हैं।

(ख) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टाधीन अवधि के लिए रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि, राजस्व और व्यय में अनुमान और पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं और/अथवा उन्हें मूर्तरूप दिया जाता है।

(ग) आय / व्यय की मान्यता

आय और व्यय (नीचे दर्शाए अनुसार को छोड़कर) की गणना संचित आधार पर की जाती है।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (धारक कंपनी) को देय शुल्क की गणना कंपनी को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किए जाने वाले वर्ष (जब कभी देय होगी) में की जाएगी।

(घ) स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां चालू /संचित मूल्यह्रास संबंधी हानियों को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शायी जाती हैं। कंपनी सभी प्रत्यक्ष लागतों को पूंजीकृत करती है जिसमें ऐसी परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक ऋण लागत शामिल हैं।

(ङ) मूल्यह्रास/ऋण मोचन अवधि

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का लाभ कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान 5000 रूपए तक की लागत वाली अधिग्रहीत स्थाई परिसंपत्तियों के मदों का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

(च) जारी पूंजीगत कार्य

परामर्श/ प्रशासन/ब्याज/जनशक्ति प्रभार/कानूनी और व्यावसायिक प्रभार आदि पर किए गए व्यय को जारी पूंजीगत कार्य के रूप में माना गया है।

(छ) धारक कंपनी द्वारा किया गया व्यय

परियोजना के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय का वित्तपोषण धारक कंपनी (पीएफसीसीएल) द्वारा किया जाता है और उसे चालू देयताओं के रूप में माना जाता है। धारक कंपनी (पीएफसीसीएल) द्वारा जारी की गई निधियों पर समय समय पर यथालागू दर से ब्याज की वसूली की जाती है।

(ज) आरंभिक व्यय

आरंभिक व्यय को उस वर्ष के लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया गया है, जिसमें ऐसा व्यय किया जाता है।

(झ) निवेश

निवेश लागत आधार पर दर्शाए जाते हैं।

(ञ) ऋण लागत

ऋण लागत की वसूली लाभ और हानि विवरण में पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए ऋण पर ब्याज को छोड़कर उस वर्ष में की जाती है जिसमें यह

ऋण लिया गया है, जिसका पूंजीकरण परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक किया जाता है।

(ट) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियां

कंपनी किसी प्रावधान को तब मान्यता प्रदान करती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में कोई बाध्यता बनती है, जिसके लिए संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होता है और जिसका विश्वसनीय तरीके से अनुमान लगाया जाता सकता है। आकस्मिक देयताओं के प्रकटन खाता बही में किसी प्रावधान के बिना किए जाते हैं, जब कोई ऐसी बाध्यता उत्पन्न होती है जिसके लिए हो सकता है कि, परंतु संसाधनों का बहिर्गमन संभवतः आवश्यक न हो (प्रबंधन के दृष्टिकोण में) आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न ही वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटन किया जाता है।

(ठ) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण पर संशोधित लेखांकन मानक – 3 में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है।

(ड) कर

वर्तमान करों के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार लागू दर पर उपलब्ध कराया गया है। आस्थगित कर को मान्यता कर संबंधी दरों ऐसी विधियों जो तुलन–पत्र की तारीख को अथवा उसके बाद अधिनियमित की जाती हैं, का प्रयोग करते हुए लेखांकन लाभ और कर संबंधी लाभ के बीच समयांतर के वर्चस्व के अध्यधीन प्रदान की जाती है तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता केवल तभी दी जाती है और उन्हें आगे ले जाया जाता है जब इस बात की उचित एवं वास्तविक निश्चितता हो कि परिसंपत्तियों की वसूली भविष्य में हो जाएगी।

(ढ) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन से नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में बैंक में जमा नकदी और हाथ में मौजूद नकदी तथा तीन माह अथवा उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले अल्पावधि निवेश शामिल हैं।

नोट सं. 3. शेयर पूंजी

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की के अनुसार	31 मार्च, 2013 की के अनुसार
प्राधिकृत :		
प्रत्येक 10 रूपए के 50000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष : प्रत्येक 10 रूपए के 50000 इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर		
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष: प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर)	500,000	500,000
कुल जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूंजी	500,000	500,000

(क) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2014 की के अनुसार		31 मार्च, 2013 की के अनुसार	
इक्विटी शेयर	**शेयरों की संख्या**	**राशि (रूपए में)**	शेयरों की संख्या	राशि (रूपए में)
अवधि की शुरुआत में बकाया	50,000	500,000	50,000	500,000
योगः वर्ष के दौरान जारी शेयर	–	–	–	–
अवधि के अंत में बकाया	50,000	500,000	50,000	500,000

(ख) इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य 10 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट देने के लिए पात्र है।

कंपनी के परिसमापन के मामले में इक्विटी शेयर धारक सभी प्राथमिक राशियों के विवरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह वितरण शेयर धारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

(ग) धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर

कंपनी द्वारा जारी किए गए 50,000 इक्विटी शेयरों में से इसकी धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर निम्नानुसार हैं :

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की के अनुसार	31 मार्च, 2013 की के अनुसार
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड, धारक कंपनी		
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्ण प्रदत्त 50,000 (गत वर्षः 50,000) इक्विटी शेयर	500,000	500,000

(घ) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के विवरण

	31 मार्च, 2014 की के अनुसार		31 मार्च, 2013 की के अनुसार	
	शेयरों की संख्या		शेयरों की संख्या	
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, धारक कंपनी*	50,000	100%	50,000	100%
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्ण प्रदत्त 50,000 (गत वर्षः 50,000) इक्विटी शेयर	50,000	100%	50,000	100%

*इक्विटी शेयर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखे जाते हैं।

4. संचित कोष और अधिशेष निधियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की के अनुसार	31 मार्च, 2013 की के अनुसार
लाभ और हानि लेखे के विवरण में अधिशेष राशि		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया	(34,160)	(34,160)
वर्ष के लिए लाभ/हानि		
वर्ष के अंत में बकाया	(34,160)	(34,160)
योग	(34,160)	(34,160)

5. अन्य देयताएं

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की के अनुसार	31 मार्च, 2013 की के अनुसार
संबंधित पक्षकार से ऋण और अग्रिम (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड, धारक कंपनी)	29,501,626	22,816,555
योग	29,501,626	29,501,626

नोट संख्या 6. अन्य चालू देयताएं

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की के अनुसार	31 मार्च, 2013 की के अनुसार
दीर्घ कालीन ऋणों पर संचित ब्याज, परन्तु देय नहीं	4,597,201	1,769,936
– भुगतान किए जाने वाले व्यय	35,393	68,820
– सांविधिक देयताएं (स्रोत पर कर की कटौती)	439,003	209,242
योग	5,071,597	2,047,998

7. जारी पूंजीगत कार्य

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की के अनुसार	31 मार्च, 2013 की के अनुसार
अथशेष जारी पूंजीगत कार्य (आईईडीसी)	25,324,964	21,618,291
जोड़ें: निर्माण पूर्वावधि के दौरान व्यय से हस्तांतरित (नोट–9)	9,701,820	3,706,673
योग	35,026,784	25,324,964

8. नकदी और नकदी समतुल्य

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की के अनुसार	31 मार्च, 2013 की के अनुसार
बैंकों में जमा राशियां		
चालू खाता मे	12,279	5,429
योग	12,279	5,429

9.निर्माण पूर्वावधि के दौरान व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की के अनुसार	31 मार्च, 2013 की के अनुसार
(क) व्यय		
विज्ञापन	2,884,219	2,535,707
ब्याज	3,141,406	621,604
जनशक्ति प्रभार	3,243,441	293,085
कार्यालय रख–रखाव	37,534	52,493
अन्य प्रशासनिक व्यय	55,433	47,036
लेखापरीक्षक को भुगतान		
– लेखापरीक्षक के रूप में	39,326	39,326
वाहन किराया	32,157	27,482
मुद्रण और स्टेशनरी	45,381	26,961
कैंटीन व्यय	38,711	24,362
परामर्श प्रभार	158,601	23,443
पुस्तकें और आवधिक पत्र पत्रिकाएं	511	8,260
सुधार कार्य और रख–रखाव	6,716	4,320
टेलीफोन व्यय	3,096	2,501
कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	10,553	93
बैठक व्यय	4,735	–
योग	9,701,820	3,706,673

***लेखापरीक्षकों का वेतन**

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की के अनुसार		31 मार्च, 2013 की के अनुसार	
	फीस	सेवा कर	फीस	सेवा कर
सांविधिक लेखा शुल्क	35,000	4,326	35,000	4,326

10 .कंपनी का नाम डीजीईएन और उत्तराखंड ट्रांसमिशन कंपनी लि. से बदलकर 31 अगस्त, 2012 को डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लि. कर दिया गया है।

11. कंपनी द्वारा किए गए सभी व्यय टोरेंट पावर लि. की डीजीईएन टीपीएस (1200 मेगावाट) से संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए गुजरात राज्य में स्वतंत्र ट्रांसमिशन परियोजना की स्थापना हेतु किए गए हैं। चूंकि परियोजना चिह्नित कर ली गई है, अतः सभी व्यय को पूंजीकृत करने की आवश्यकता हैं। इसलिए सभी व्यय शामिल करते हुए पूर्व प्रचालन व्यय विवरण (नोट–8) तैयार किया गया है और उसे जारी पूंजीगत कार्य मद (लंबित आबंटन) में स्थानांतरित किया गया है।

12. संबंधित व्यय का भुगतान धारक कंपनी (पीएफसीसीएल) द्वारा किया जाता है और उसे कंपनी से प्रभारित किया जाता है। धारक कंपनी (पीएफसीसीएल) द्वारा किए गए ऐसे व्यय के संदर्भ में मूल सहायक बिल पीएफसीसीएल के नाम पर होते हैं और उनके पास ही रखे जाते हैं जिनकी प्रतियां कंपनी के पास भी उपलब्ध हैं । पीएफसीसीएल इन कंपनियों के लिए यथालागू "स्रोत पर कर की कटौती" से संबंधित सभी सांविधिक प्रावाधानों का अनुपालन कर रही हैं ।

13. कंपनी के लिए कार्यरत सभी कार्मिक धारक कंपनी अर्थात पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) के हैं। नोट–9 "निर्माण पूर्वावधि के दौरान व्यय" में अवधि के लिए दर्शाए गए व्यय की राशि 97,01,820 रु. (गत वर्ष 37,06,673 रुपए) है जिसमें पीएफसीसीएल के कार्मिकों के जनशक्ति प्रभार के रूप में 32,43,441 रुपए (गत वर्ष 2,93,085 रुपए) शामिल हैं। पीएफसीसीएल के कार्मिकों की जनशक्ति लागत (प्रशासनिक प्रभार सहित) की वसूली धारक कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक के अनुसार कंपनी के लिए कार्मिकों द्वारा वास्तविक रूप से बिताए गए कार्य दिवसों के आधार पर कंपनी की लागत के अनुसार की जाती है। इसमें श्री योगेश जुनेजा (निदेशक) का शून्य रूपए (गत वर्ष 1,625 रूपए) और श्री राजेश कुमार शाही का 11,95,915 रुपए (गत वर्ष 1,17,000 रुपए का जनशक्ति प्रभार शामिल है।

14. मैसर्स इंस्टालेसिअन्य इनाबेंसा, एसए के चयन के बाद 25/04/2014 को खोले गए प्रस्ताव के अनुरोध के अनुसार, पारेषण सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतियोगिता बोली गाइडलाइंस और दिनांक 13/04/3006 (समय–समय पर संशोधित) की पारेषण परियोजना के विकास में प्रतियोगिता संवर्धन तथा बोली दस्तावेज जारी किए जाने के अनुसार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद कंपनी को मैसर्स इंस्टालेसिअन्य इनाबेंसा, एसए (सफल बोलीदाता) को हस्तांतरित किया जाएगा।

15. (i) पूंजी लेखा पर क्रियान्वित करने हेतु शेष बची संविदाओं की अनुमानित और उपलब्ध न कराई गई राशि शून्य रूपए है।
(ii) कंपनी की आकस्मिक देयताएं और अवधि के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार कंपनी के विरूद्ध उसके द्वारा स्वीकार न किए गए दावों की राशि शून्य रूपए है।

16. **प्रति शेयर अर्जन**
कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत "प्रति शेयर अर्जन" पर अधिसूचित लेखांकन मानक – 20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत और मिश्रित) की गणना निम्नानुसार की जाती है :

क्रम	विवरण	31 मार्च, 2014 की	31 मार्च, 2013 की
1.	शेयर का सामान्य मूल्य (रूपए)	10	10
2.	इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या)	50,000	50,000
3.	कर पश्चात निवल लाभ (रूपए)	–	–
4.	प्रति शेयर अर्जन (रूपए)	–	–

17. (i) कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक धारक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी) से हैं और उन्हें अशंकालिक आधार पर कंपनी में तैनात किया गया है।

ऐसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पदावधि समाप्त होने की तारीख
1	श्री योगेश जुनेजा	अध्यक्ष	15.11.2011	जारी
2	श्री सुबीर मूलचंदानी	निदेशक	15.11.2011	जारी
3	श्री राजेश कुमार शाही	निदेशक	15.11.2011	जारी

(ii) लेखांकन मानक 18 – "संबंधित पक्षकार प्रकटन" के अनुसार प्रकटन; डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं, जिन पर पीएफसीसीएल के नामितियों का नियंत्रण होता है।

संबंधित पक्षकारों के विवरण और उनके साथ संबंधों का स्वरूप

क्र. सं.	संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	अभीष्ट धारक कंपनी
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	धारक कंपनी
3	बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
4	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
5	उड़ीसा इंफ्रापावर लिमिटेड	अभीष्ट धारक कंपनी की सहयोगी कंपनी
6	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	अभीष्ट धारक कंपनी की सहयोगी कंपनी
7	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	अभीष्ट धारक कंपनी की सहयोगी कंपनी
8	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	अभीष्ट धारक कंपनी की सहयोगी कंपनी
9	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	अभीष्ट धारक कंपनी की सहयोगी कंपनी
10	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	अभीष्ट धारक कंपनी की सहयोगी कंपनी
11	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	अभीष्ट धारक कंपनी की सहयोगी कंपनी
12	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	अभीष्ट धारक कंपनी की सहयोगी कंपनी
13	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	अभीष्ट धारक कंपनी की सहयोगी कंपनी
14	तातिया आंध्रा मेगा एनर्जी लिमिटेड	अभीष्ट धारक कंपनी की सहयोगी कंपनी
15	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	अभीष्ट धारक कंपनी की सहयोगी कंपनी
16	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	अभीष्ट धारक कंपनी की सहयोगी कंपनी
17	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	अभीष्ट धारक कंपनी की सहयोगी कंपनी
18	पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड	अभीष्ट धारक कंपनी की सहयोगी कंपनी
19	पेट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	13 नबंवर 2013 तक सहयोगी कंपनी
20	पुरुलिया खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	09 दिसंबर 2013 तक सहयोगी कंपनी
21	दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	10 दिसंबर 2013 तक सहयोगी कंपनी
22	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12 मार्च 2014 तक सहयोगी कंपनी

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकार लेनदेन के विवरण निम्नानुसार हैं :

(राशि रूपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
		पीएफसीसीएल	
1.	प्रशासनिक व्यय (जनशक्ति प्रभार)	**3,243,441**	293,085
2.	अल्पावधि ऋण पर ब्याज	**3,141,408**	621,804
3.	**इतिशेष बकाया राशि**		
(क)	ऋण और अग्रिम	**29,501,626**	22,816,555
(ख)	संचित परंतु देय नहीं ब्याज	**4,597,201**	1,769,936

18. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के अंतर्गत अधिसूचित सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है। हालांकि, आस्थगित कर देयता / समय अंतराल से संबंधित परिसंपत्ति संबंधी लेखांकन मानक (एएस)–22 इस तथ्य के आलोक में कंपनी के लिए लागू नहीं होता है कि कंपनी अभी भी निर्माण चरण पर है और अभी इसका प्रचालन शुरू किया जाना है।

19. कंपनी के पास वर्ष के अंत में लघु उद्योग (स्मॉल–स्केल) यूनिटों की कोई बकाया राशियां नहीं हैं, अतः ब्याज का कोई प्रावधान बनता ही नहीं है। इसके अलावा, प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत शामिल उद्यमों को देय कोई भी बकाया राशियां नहीं हैं।

20. चूंकि कंपनी में कोई कार्मिक नहीं हैं, अतः लेखांकन मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार बाध्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

21. कंपनी अधिनियम, 1956 की नई अनुसूची VI के भाग–।। के पैरा 3, 4ग और 4घ के प्रावधानों के अनुरूप ज्यादातर अतिरिक्त सूचना कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि परियोजना अभी भी विकास चरण पर है और कंपनी को अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप अभी शुरू करने हैं। लागू सूचना निम्नानुसार उपलब्ध करायी गई है :

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय – शून्य (गत वर्ष – शून्य)

(ख) विदेशी विनिमय से आय – शून्य (गत वर्ष – शून्य)

22. परियोजना के विकास हेतु पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) (धारक कंपनी) द्वारा सभी व्यय किए जाते हैं। कंपनी पीएफसीसीएल द्वारा किए गए व्यय पर धारक कंपनी को ब्याज का भुगतान करेगी। उपयोग न की गई निधियों पर प्रभारित/भुगतान किए गए ब्याज की दर पीएफसी लिमिटेड में समय–समय पर यथानिर्धारित "राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं (श्रेणी–'क')"ऋणकर्ताओं के लिए परियोजना ऋण/योजना (ट्रांसमिशन) हेतु पीएफसी लिमिटेड में यथालागू दर के समान होगी।

23. वर्तमान अवधि के आंकड़े 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए दर्शाए गए हैं। अतः गत वर्ष के आंकड़ों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि गत वर्ष की अवधि में केवल 01 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि ही शामिल है। गत वर्ष के लिए संगत आंकड़ों को आवश्यक होने पर री–ग्रुप/पुनः व्यवस्थित किया गया है, जिससे कि वे वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित हो जाएं।

24. अन्यथा उल्लेख न किए जाने की स्थिति में आंकड़ों को निकटतम रूपए के रूप में राउंडऑफ कर दिया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(राजेश शाही)
निदेशक

(सुबीर मूलचंदानी)
निदेशक

(योगेश जुनेजा)
अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते और उनकी ओर से

लूथरा एण्ड लूथरा
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन संख्या 002081एन

अखिलेश गुप्ता
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 89909

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई, 2014

टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

निदेशक रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

आपके निदेशकों को 09 सितंबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए आपकी कंपनी के निष्पादन पर पहली (1वीं) वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण, लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रचालनात्मक कार्यकलाप

आपकी कंपनी की स्थापना टांडा विस्तार टीपीएस (2x600 मेगावाट) के लिए एटीएस से संबद्ध पारेषण प्रणाली के विकास हेतु पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में 09 सितंबर, 2013 को की गई। पारेषण प्रणाली में निम्नलिखित प्रणालियां शामिल हैं:

(i) टांडा टीपीएस–सोहाबल 400 केवी डी/सी लाइन (लाइन की लंबाई– 80 किलोमीटर)

(ii) सोहाबल– लखनऊ (नई) (पीजी) 400 केवी डी/सी लाइन (लाइन की लंबाई–120 किलोमीटर)

परियोजना के लिए आरएफक्यू 11 सितंबर, 2013 को जारी किया गया, जिसे प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर, 2013 थी।

विद्युत मंत्रालय ने 26 सितंबर, 2013 को आयोजित की गई समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय पारेषण कंपनी (सीटीयू) ने सूचित किया कि टांडा उत्पादन परियोजना के लिए स्थापना की तारीख एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा अभी उपलब्ध कराई जानी है और एनटीपीसी ने यह सूचित किया है कि परियोजना के अधिनिर्णय की प्रक्रिया अभी चल रही है तथा उत्पादन परियोजना की स्थापना ईपीसी संविदा के अधिनिर्णय की तारीख से 44 माह के भीतर की जाएगी। तदनुसार आरएफक्यू प्रस्तुत करने की तारीख को 26 नबंबर, 2013 तक बढ़ाया गया।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 19 नबंवर, 2013 को सूचित किया है कि चूंकि टांडा विस्तार टीपीएस (2x600 मेगावाट) के लिए एनटीपीसी के द्वारा अभी भूमि अधिग्रहण किया जाना है और चूंकि परियोजना के लिए एलओए अभी जारी नहीं किया गया है, अतः पारेषण योजना के अधिनिर्णय के लिए बोली प्रकिया को तब तक स्थगित रखा जाए, जब तक कि एनटीपीसी द्वारा इन सभी मुद्दों का समाधान न कर लिया जाए। सीईए की सलाह पर बोली प्रकिया को स्थगित कर दिया गया है।

वित्तीय समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रारंभ नहीं किए हैं। हालांकि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी स्थापना के लिए 56.16 लाख रूपए की राशि परियोजना के विकास में खर्च की है जिसे जारी पूंजीगत कार्य मद में स्थानांतरित किया गया है।

लाभांश

चूंकि आपकी कंपनी ने अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू नहीं किए हैं, अतः 09 सितंबर 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

शेयर पूंजी

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5,00,000 रूपए (प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर) है। वर्ष के दौरान, कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखी जाती है।

सावधि जमा

आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई भी सावधि जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाला अर्जन और बहिर्गमन

चूंकि कंपनी के प्रचालन में कोई भी विनिर्माण अथवा संसाधन गतिविधियां शामिल नहीं है, अतः कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी विवरण लागू नहीं हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय से कोई भी अर्जन अथवा बहिर्गमन नहीं हुआ है।

लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

मैसर्स अनिल शालिनी एंड एसोसिएट, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी के लेखाओं पर लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी, अवलोकन अथवा अर्हता नहीं हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कार्मिकों के विवरण

कंपनी के अपने रोल में कोई भी कार्मिक नहीं है। अतः कंपनी (कार्मिकों के विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत यथानिर्धारित कार्मिकों के विवरण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

निदेशक

वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य हैं :

1.	श्री प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव	अध्यक्ष
2.	श्री वीरेन्द्र कुमार जैन	निदेशक
3.	श्री राजेश कुमार शाही	निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के प्रावधानों के अनुसार श्री वीरेन्द्र कुमार जैन, निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते उनकी पुनर्नियुक्ति हेतु उन्हें प्रस्ताव दिया जाएगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अंतर्गत 09 सितंबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखा परीक्षा की थी।

सी एंड एजी ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 2014 के पत्र के जरिए उल्लेख किया है कि हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिसके आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा अथवा उन पर नए सिरे से कोई टिप्पणी की जाएगी। इस संबंध में सी एंड एजी द्वारा जारी किए गए पत्र की प्रति अनुबंध 1 में दी गई है।

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क क) के अंतर्गत यथावश्यक आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

- 09 सितंबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और वास्तविक अंतर से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया है;
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे एक निरंतर कार्यरत कंपनी के रूप में तैयार किए हैं।

स्वीकारोक्ति

निदेशक केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रति कंपनी को उनके द्वारा दी गई सहायता, किए गए उत्साहवर्धन, प्रोत्साहन और सहायता हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कंपनी विशेषरूप से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, सांविधिक लेखा–परीक्षकों और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड के प्रति उनके निरंतर सहयोग, सुझाव और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–

(पी. पी. श्रीवास्तव)

अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 अगस्त, 2014

अनुबंध 1

09 सितंबर, 2013 से 31 मार्च, 2014
की अवधि के लिए टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लेखाओं पर
कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

09 सितंबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा–परीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि ये कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 15 मई, 2014 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 09 सितंबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लेखाओं की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा–परीक्षकों के कार्यकारी दस्तावेजों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से की गई पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनित जांच तक ही सीमित है। हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिसके आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा अथवा उन पर नए सिरे से कोई टिप्पणी की जाएगी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षक और
पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड – III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 अगस्त, 2014

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र के साथ साथ लाभ तथा हानि विवरण तथा 09 सितंबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य सूचना/नोटों के लिए संक्षिप्त विवरण शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम 2013 के भाग 133 के मामले में व्यवसाय मामला मंत्रालय के जनरल सर्कुलर 15/2013 दिनांक, 13 सितंबर, 2013 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") में संदर्भित लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी, डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का कार्यान्वयन और संगत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के अंतर्गत यह आवश्यक है कि हम लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखा–परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखा–परीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा–परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों । इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक कंपनी की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है, जिससे कि ऐसी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सके जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं । किसी लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वूपर्ण अनुमानों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखा–परीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथा आवश्यक सूचना विहित ढंग से इस प्रकार से प्रदान करते हैं जिससे कि वे भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकें:

(i) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति;

(ii) लाभ और हानि विवरण के मामले में 09 सितंबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए कंपनी का (हानि) और

(iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में 09 सितंबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) (संशोधित) आदेश, 2004 द्वारा यथासंशोधित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 ("आदेश") द्वारा यथावश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विर्निदिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

(ख) हमारे दृष्टिकोण से जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई और रखी गई है;

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं अर्थात उनसे मेल खाते हैं;

(घ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संदर्भ में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सितंबर, 2013 के सामान्य परिपत्र संख्या 15/2013 द्वारा पठित अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं; और

(ङ) निदेशकों की अनर्हता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खंड (छ) की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं हैं क्योंकि यह वित्त मंत्रालय के कंपनी मामला विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी एस आर 829 (ड़) दिनांक 21.10.2013 के संदर्भ में एक सरकारी कंपनी के अधीन पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।

कृते अनिल शालिनी एंड एसोसिएट्स
फर्म पंजीयन संख्या 009960सी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनिल कुमार शुक्ला
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 075418

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई, 2014

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ (1) में 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' वाले भाग में संदर्भित)

1. कंपनी के पास जारी पूंजीगत कार्य के अलावा कोई स्थाई परिसंपत्ति नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 4(i) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

2. कंपनी के पास कोई इंवेटरी नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 4(ii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षकारों से अथवा को वर्ष के दौरान कंपनी ने ऋण, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत के रूप में न तो कोई ऋण अथवा अग्रिम लिया है और न ही स्वीकृत किया है। इसलिए आदेश के खंड 4(iii) (क) से (ज) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

4. हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, स्थाई परिसंपत्तियों और सेवाओं की खरीद/बिक्री के साथ इसके व्यापार की प्रक्रिया और कंपनी के आकार के अनुरूप वहां पूर्ण आंतरिक नियंत्रण है। लेखा परीक्षा के दौरान हमने आंतरिक नियंत्रण में किसी बड़ी कमजोरी को सही करने में कोई असफलता नहीं देखी है ।

5. हमारे द्वारा अपनायी गई लेखा–परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह सोचते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसे कोई लेन–देन नहीं किए गए जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है।

6. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके नियमों के अंतर्गत भाग 58क और 58क क के अंतर्गत जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

7. आंतरिक लेखापरीक्षण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

8. जैसा कि हमें जानकारी है, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित कोई कानून जारी नहीं किया है।

9. (क) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी आयकर और अन्य सांविधिक बकाया राशियों सहित अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान संबंधित प्राधिकारियों को धारक कंपनी के माध्यम से सामान्यतः नियमित रूप से कर रही है। हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित सांविधिक देयताओं की बकाया राशि उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर की कोई भी देय राशि नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा न किया गया हो।

10. कंपनी पांच वर्ष से कम अवधि के लिए पंजीकृत रही है। अतः हमें इस बात पर टिप्पणी करने के आवश्यकता नहीं है कि कंपनी ने उपर्युक्त अवधि के अंत में हानि संचित की है अथवा नहीं और यह कंपनी के निवल मूल्य के 50% अथवा उससे अधिक है तथा क्या इसे उपर्युक्त अवधि के दौरान कोई नकद हानि हुई है।

11. किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर धारक से कोई ऋण नहीं लिया है, अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

12. हमें दी गई सूचना और कंपनी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं दिया है।

13. हमारे दृष्टिकोण में कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि/म्युचुअल लाभ अर्जित करने वाली न्यास/सोसाइटी नहीं है, अतः आदेश का खंड 4 (xiii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

14. चूंकि कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेश में व्यावसाय अथवा कारोबार नहीं करती है, अतः आदेश का खंड 4(xiv) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी सावधि ऋण नहीं लिया है, अतः आदेश के खंड 4 (xvi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के तुलन–पत्र और कंपनी के नकदी प्रभाव विवरण की पूर्ण जांच के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अल्पकालिक आधार पर ली गई निधियों का दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए निवेश नहीं किया है। कंपनी ने दीर्घकालीन निधियों का उपयोग स्थायी कार्यशील पूंजी को छोड़कर अल्पकालिक संपत्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए नहीं किया है।

18. कंपनी द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान धारक कंपनी और इसके नामतियों के जरिए आरंभिक आबंटन को छोड़कर कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों और कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

20. कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यू जारी कर कोई पूंजी अर्जित नहीं की है।

21. लेखाओं की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने के प्रयोजन से लागू की गई लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखा–परीक्षा के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पायी गई और न ही कोई रिपोर्ट की गई है।

कृते अनिल शालिनी एंड एसोसिएट्स
फर्म पंजीयन संख्या 009960सी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनिल कुमार शुक्ला
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 075418

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई, 2014

टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
I. इक्विटी और देयताएं		
(1) शेयरधारकों की निधियां		
(क) शेयर पूंजी	3	500,000
(ख) आरक्षित और अधिशेष निधियां	4	(28,749)
		471,251
(2) चालू देयताएं		
(क) अल्पकालिक ऋण	5	4,894,322
(ख) अन्य चालू देयताएं	6	265,427
		5,159,749
योग		5,631,000
II. परिसंपत्तियां		
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां		
(क) स्थायी परिसंपत्तियां		
(I) जारी पूंजीगत कार्य	7	5,616,000
		5,616,000
(2) चालू परिसंपत्तियां		
(क) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	8	15,000
		15,000
योग		5,631,000
निगमित सूचना	1	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2	
निर्माण पूर्व व्यय	9	
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	10 से 22	

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(वी. के. जैन) निदेशक | (आर. के. शाही) निदेशक | (पी. पी. श्रीवास्तव) अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप

अनिल शालिनी एंड एसोसिएट्स
फर्म पंजीयन संख्या 009960सी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनिल कुमार शुक्ला
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 075418

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई, 2014

टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
09 सितंबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट संख्या	09 सितंबर 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिए
I. प्रचालन से प्राप्त राजस्व		–
II. अन्य आय		–
III. कुल राजस्व (I+II)		–
IV व्यय		
प्रारंभिक व्यय		28,749
कुल व्यय		28,749
V. आपवादिक और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		(28,749)
VI. आपवादिक मद		–
VII. असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)		(28,749)
VIII. असाधारण मद		
IX. कर पूर्व लाभ/(हानि) (VII-VIII)		(28,749)
X. कर संबंधी व्यय		
(1) चालू कर		
(2) आस्थगित कर		
XI. प्रचालन जारी रहने से अवधि के लिए लाभ/ (हानि) (IX-X)		(28,749)
XII. प्रचालन बाधित होने से लाभ/(हानि)		–
XIII. प्रचालन बाधित होने का कर संबंधी व्यय		–
XIV. प्रचालन बाधित होने से लाभ (हानि) (कर पश्चात) (XII-XIII)		–
XV. अवधि के लिए लाभ/(हानि) (XI+XIV)		(28,749)
XVI. प्रति इक्विटी शेयर लाभार्जन		
(1) आधारभूत	15	(0.57)
(2) मिश्रित (डाइल्यूटिड)	15	(0.57)
निगमित सूचना	1	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2	
निर्माण पूर्व व्यय	9	
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	10 से 22	

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(वी. के. जैन) निदेशक | (आर. के. शाही) निदेशक | (पी. पी. श्रीवास्तव) अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप

अनिल शालिनी एंड एसोसिएट्स
फर्म पंजीयन संख्या 009960सी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनिल कुमार शुक्ला
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 075418

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई, 2014

टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

09 सितंबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण		09 सितंबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए
क	प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	
	कर पूर्व लाभ/(हानि)	(28,749)
	कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ/ (हानि)	(28,749)
	निम्नलिखित में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन	
	देयताएं और प्रावधान	5,159,749
	प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	5,131,000
ख	निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	
	जारी पूंजीगत कार्य	(5,616,000)
	निवेश संबंधी कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	(5,616,000)
ग	वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	
	शेयर पूंजी का इश्यू	500,000
	वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	500,000
	नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में निवल वृद्धि /(कमी) (क+ख+ग)	15,000
	जोड़ें : अवधि की शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	–
	अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	15,000
	बैंक में जमा राशियां	15,000

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(वी. के. जैन)	(आर. के. शाही)	(पी. पी. श्रीवास्तव)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप

अनिल शालिनी एंड एसोसिएट्स
फर्म पंजीयन संख्या 009960सी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनिल कुमार शुक्ला
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 075418

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई, 2014

टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

09 सितंबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. निगमित सूचना

कंपनी (टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड) की स्थापना पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल), (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी) की एक सहायक कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 09 सितंबर, 2013 को की गई। कारोबार प्रारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र 22.11.2013 को जारी किया गया। कंपनी की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत पारेषण के प्रयोजन से प्रणाली नेटवर्क के विकास और अध्ययन, अन्वेषण, सूचना और डेटा एकत्र करने, सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने, वन स्वीकृति, यदि आवश्यक है, प्राप्त करने और पारेषण सेवा प्रदाता के चयन हेतु बोली प्रक्रिया संचालित करने के लिए की गई है। कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पारेषण सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के अनुसार विकासकर्ता का चयन होने पर चयनित विकासकर्ता को हस्तांतरित की जाएगी।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

(क) तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुरूप ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत संचित आधार पर तैयार किए गए हैं।

(ख) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टाधीन अवधि के लिए रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताएं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि, राजस्व और व्यय में अनुमान और पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं और/अथवा उन्हें मूर्तरूप दिया जाता है।

(ग) आय/व्यय की मान्यता

आय और व्यय (अन्यथा किए गए उल्लेख को छोड़कर) की गणना संचित आधार पर की जाती है।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (धारक कंपनी) को को देय स्वतंत्र पारेषण परियोजना के विकास हेतु परामर्श और व्यावसायिक सेवा शुल्क की गणना कंपनी को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किए जाने वाले वर्ष (जब कभी देय होंगे) में की जाएगी।

(घ) स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां चालू/संचित मूल्यह्रास को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शायी जाती हैं। कंपनी सभी प्रत्यक्ष लागतों को पूंजीकृत करती है जिसमें ऐसी परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक ऋण लागत शामिल हैं।

(ङ) मूल्यह्रास/ऋणमोचन

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का लाभ कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची xiv के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान 5000 रूपए तक की लागत वाली अधिग्रहीत स्थाई परिसंपत्तियों की मदों का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

(च) जारी पूंजीगत कार्य

परामर्श/प्रशासन/ब्याज/जनशक्ति प्रभार/कानूनी और व्यवसायिक प्रभार आदि और अन्य निर्माण पूर्व व्यय को जारी पूंजीगत कार्य के रूप में पंजीकृत किया गया है/माना गया है।

(छ) धारक कंपनी द्वारा किया गया व्यय

परियोजना के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय का निधियन धारक कंपनी (पीएफसीसीएल)/खरीदारों द्वारा किया जाता है और इसे असुरक्षित अल्पकालिक ऋण शीर्ष के अंतर्गत समूहबद्ध किया जाता है। उनके द्वारा नियोजित की गई निधियों पर ब्याज प्रभारित किया जाता है।

(ज) आरंभिक व्यय

आरंभिक व्यय को लाभ और हानि विवरण में उस वर्ष में प्रभारित किया गया है, जिसमें ऐसे व्यय किए गए हैं।

(झ) निवेश

निवेश लागत आधार पर बताए जाते हैं।

(ञ) ऋण लागत

ऋण लागत की वसूली लाभ और हानि विवरण में पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए ऋण पर ब्याज को छोड़कर उस वर्ष में की जाती है जिसमें यह ऋण लिया गया है, जिसका पूंजीकरण परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक किया जाता है।

(ट) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियां

कंपनी कोई प्रावधान तब करती है, जब अतीत की किसी घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में कोई ऐसी बाध्यता हो, जिसके लिए संभवतः संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक है, जिसका विश्वसनीय तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है। किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटन खाताबही में प्रावधान के बिना तब किया जाता है, जब कोई ऐसी बाध्यता होती है जिसके लिए, परंतु संभवतः (प्रबंधन के दृष्टिकोण में), संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक नहीं होगा। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में न तो मान्यता दी गई है न ही प्रकट किया गया है।

(ठ) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण पर संशोधित लेखांकन मानक – 3 में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है।

(ड) कर

चालू करों के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के संगत प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। आस्थगित कर को मान्यता तुलन–पत्र की तारीख को अधिनियमित की गई अथवा मूल रूप से अधिनियमित की गई निधियों और कर दरों का प्रयोग करते हुए लेखांकन लाभ और कर लाभों के बीच समय अंतराल की शर्त के अध्यधीन किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है और उन्हें आगे केवल इस स्थिति में ले जाया जाता है यदि इस बात की उपयुक्त वास्तविक निश्चितता होती है कि इन परिसंपत्तियों की भविष्य में वसूली की जाएगी।

(ढ) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन से नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में बैंकों में जमा नकदी और हाथ में उपलब्ध नकद राशि शामिल है।

नोट सं. 3.– शेयर पूंजी

विवरण	(राशि रूपए में) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत :	
प्रत्येक 10 रूपए के 50000 इक्विटी शेयर	500,000
जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर	
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त 50000 इक्विटी शेयरः	500,000
कुल जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूंजी	500,000

(क) अवधि की प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का पुनर्मिलान

इक्विटी शेयर	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि (रूपए में)
अवधि के प्रारंभ में बकाया	–	–
योगें: अवधि के दौरान जारी किए गए शेयर	50,000	500,000
अवधि के अंत में बकाया शेयर	50,000	500,000

(ख) इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें / अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य 10 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट देने के लिए पात्र है।

कंपनी के परिसमापन के मामले में इक्विटी शेयर धारक सभी प्राथमिक राशियों के विवरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह वितरण शेयर धारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

(ग) धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर

कंपनी द्वारा जारी किए गए 50,000 इक्विटी शेयरों में से इसकी धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर निम्नानुसार हैं:

	राशि (रुपए में) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड, धारक कंपनी*	
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्ण प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर	500,000

(घ) कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के विवरण

	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारिता का %
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	50,000	100%
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड, धारक कंपनी*	50,000	100%

*इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखे जाते हैं।

नोट सं. 4 – आरक्षित और अधिशेष निधियां

विवरण	(राशि रूपए में) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
लाभ और हानि लेखे के विवरण में अधिशेष राशि	
अवधि के लिए लाभ / (हानि)	(28,749)
अवधि के अंत में बकाया राशि	(28,749)
योग	(28,749)

नोट सं. 5 – अल्पकालिक ऋण

विवरण (असुरक्षित ऋण)	(राशि रूपए में) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम	
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड, धारक कंपनी)	4,894,322
योग	4,894,322

नोट सं. 6 – अन्य चालू देयताएं

विवरण	(राशि रूपए में) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
संचित ब्याज परंतु ऋणों पर देय नहीं	223,716
अन्य	
देय व्यय	16,854
सांविधिक देयताएं (स्रोत पर कर की कटौती)	24,857
योग	265,427

नोट सं. 7 – जारी पूंजीगत कार्य

विवरण	(राशि रूपए में) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
निर्माण पूर्व व्यय से स्थानांतरित (नोट–9)	5,616,000
योग	5,616,000

नोट सं. 8 – नकदी और नकदी समतुल्य

विवरण	(राशि रूपए में) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
बैंकों में जमा राशियां	
चालू खाते में	15,000
योग	15,000

नोट सं. 9 – प्रचालन पूर्व व्यय

विवरण	(राशि रूपए में) 09 सितंबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 के लिए
व्यय	
जनशक्ति प्रभार	1,068,785
लेखा परीक्षक को भुगतानः	
लेखा–परीक्षक के रूप में	16,854
फाइलिंग शुल्क	193
विज्ञापन व्यय	4,269,036
दूरभाष व्यय	204
परामर्श प्रभार	12,355
ब्याज संबंधी व्यय	248,573
योग	5,616,000

10. कंपनी द्वारा किए गए सभी व्यय स्वतंत्र पारेषण परियोजना की स्थापना के लिए किए गए हैं। चूंकि परियोजना की पहचान कर ली गई है, अतः सभी व्यय को पूंजीकृत करने की आवश्यकता है। इस प्रकार निर्माण पूर्व व्यय (नोट 09), जिसमें सभी व्यय शामिल हैं तैयार किए गए हैं और उन्हें जारी पूंजीगत कार्य (लंबित आबंटन) मद में स्थानांतरित किया गया है।

11. अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शाए गए व्यय मुख्य रूप से पीएफसी/पीएफसीसीएल द्वारा एसपीवी को आबंटित किए जाते हैं । एसपीवी से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय 100: आधार पर तथा साझा व्यय विभिन्न एसपीवी और सेवाओं के आबंटन के बीच होता है। पीएफसी/पीएफसीसीएल द्वारा किए गए ऐसे व्यय के संदर्भ में मूल सहायक बिल पीएफसी/पीएफसीसीएल के नाम पर होते हैं और उनके पास ही रखे जाते हैं जिनकी प्रतियां कंपनी के पास भी उपलब्ध हैं । पीएफसी/पीएफसीसीएल इन कंपनियों के लिए यथालागू "स्रोत पर कर की कटौती और सेवा कर आदि" से संबंधित सभी सांविधिक प्रावाधानों का अनुपालन कर रही हैं ।

12. कंपनी के कार्य करने वाले कार्मिक धारक कंपनी अर्थात् पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के (पीएफसीसीएल) द्वारा किया जा रहा है। वर्ष के लिए नोट–9: 'निर्माण पूर्व व्यय' में दर्शाए गए व्यय की राशि 56,16,000 रुपए है, जिसमें पीएफसीसीएल के कार्मिकों की जनशक्ति लागत के रूप में 10,68,785 रुपए की राशि शामिल है। पीएफसीसीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक के अनुसार पीएफसीसीएल के कार्मिकों की जनशक्ति लागत (प्रशासनिक व्यय सहित) की वसूली पीएफसीसीएल द्वारा कंपनी के लिए कार्मिकों द्वारा वास्तविक रूप से बिताए गए कार्य दिवसों के आधार पर की जाती है। इसमें पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के निदेशकों श्री पी पी श्रीवास्तव (अध्यक्ष) का 46,966 रूपए , श्री वी के जैन (निदेशक) का 30,157 रुपए और श्री राजेश कुमार शाही (निदेशक) का 52,652 रुपए का प्रभार शामिल है।

13. (i) पूंजी खाते में क्रियान्वित करने के लिए शेष संविदाओं और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, की अनुमानित राशि शून्य रुपए है।

(ii) प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार कंपनी की आकस्मिक देयताओं और कंपनी के विरूद्ध दावों को कंपनी द्वारा मान्यता नहीं दी गई है और यह संदर्भित अवधि के लिए शून्य रूपए है।

14. परियोजना के विकास पर व्यय पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) धारक कंपनी द्वारा किया जाता है। कंपनी पीएफसीसीएल द्वारा किए गए व्यय पर पीएफसीसीएल को ब्याज का भुगतान करेगी। उपयोग न की गई निधियों पर प्रभारित/भुगतान किए गए ब्याज की दर पीएफसी में "राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता (श्रेणी 'क')" के अंतर्गत आनेवाले ऋणकर्ताओं के लिए समय–समय पर निर्धारित परियोजना ऋण / योजना (ट्रांसमिशन) हेतु लागू दरों के समतुल्य है।

15. **प्रति शेयर अर्जन**

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित "प्रति शेयर अर्जन" पर लेखांकन मानक – 20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत और मिश्रित(डाइल्यूटिड)) की गणना निम्नानुसार की जाती है :

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 को खत्म होने वाली अवधि के लिए
1.	शेयर का सामान्य मूल्य (रूपए)	10
2.	इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या)	50,000
3.	कर पश्चात निवल लाभ (रूपए)	(28,749)
4.	प्रति शेयर अर्जन (रूपए)	(0.57)

16. (I) कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक धारक कंपनी अर्थात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड (धारक कंपनी) से हैं और उन्हें अशंकालिक आधार पर कंपनी में तैनात किया गया।

ऐसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पदावधि समाप्त होने की तारीख
1	श्री पी पी श्रीवास्तव	निदेशक	09.09.2013	जारी
2	श्री आर के शाही	निदेशक	09.09.2013	जारी
3	श्री वी के जैन	निदेशक	09.09.2013	जारी

16. (II) लेखांकन मानक 18 – "संबंधित पक्षकार प्रकटन" के अनुसार प्रकटन; टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं जिन पर पीएफसीसीएल के नामितियों का नियंत्रण होता है।

संबंधित पक्षकारों के नाम और उनके साथ संबंधों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति
1.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी लिमिटेड)	सर्वोच्च धारक कंपनी
2.	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	धारक कंपनी
3.	बल्लभगढ़ –जीएन ट्रांसमिशन	सहायक कंपनी
4.	डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सहायक कंपनी
5.	उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
6.	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
7.	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
8.	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
9.	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
10.	घोघरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
11.	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
12.	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
13	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
14.	पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजर प्राइवेट लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
15.	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
16.	पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसिज लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
17.	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
18.	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
19.	पेट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	13.11.2013 तक सहायक कंपनी
20.	पुरुलिया खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	09.12.2013 तक सहायक कंपनी
21.	दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	10.12.2013 तक सहायक कंपनी
22.	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12.03.2014 तक सहायक कंपनी

17. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के अंतर्गत अधिसूचित सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है। हालांकि, आस्थगित कर देयता / समय अंतराल से संबंधित परिसंपत्ति संबंधी लेखांकन मानक (एएस)–22 इस तथ्य के आलोक में कंपनी के लिए लागू नहीं होता है कि कंपनी अभी भी निर्माण चरण पर है और अभी इसका प्रचालन शुरू किया जाना है।

18. कंपनी के पास वर्ष के अंत में लघु उद्योग (स्माल–स्केल) यूनिटों की कोई बकाया राशियां नहीं हैं, अतः ब्याज का कोई प्रावधान बनता ही नहीं है। इसके अलावा, प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत शामिल उद्यमों को देय कोई भी बकाया राशियां नहीं हैं।

19. चूंकि कंपनी में कोई कार्मिक नहीं हैं, अतः लेखांकन मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार बाध्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

20. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग–।। के पैरा 3ए 4(ग), 4 (घ) के प्रावधानों के अनुरूप ज्यादातर अतिरिक्त सूचना कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि परियोजना अभी भी विकास चरण पर है और कंपनी को अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप अभी शुरू करने हैं। लागू सूचना निम्नानुसार उपलब्ध करायी गई है :

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय	–	शून्य
(ख) विदेशी विनिमय से आय	–	शून्य

21. चालू अवधि के आंकड़े 09 सितंबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए हैं। इस प्रकार गत वर्ष के आंकड़े लागू नहीं हैं।

22. अन्यथा उल्लेख न किए जाने की स्थिति में आंकड़ों को निकटतम रूपए के रूप में राउंडऑफ कर दिया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(वी. के. जैन)	(आर. के. शाही)	(पी. पी. श्रीवास्तव)
निदेशक	**निदेशक**	**अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप

अनिल शालिनी एंड एसोसिएट्स
फर्म पंजीयन संख्या 009960सी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनिल कुमार शुक्ला
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 075418

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई, 2014

बल्लभगढ़ जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

निदेशक रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

आपके निदेशकों को 09 सितंबर 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए आपकी कंपनी के निष्पादन पर पहली (1वीं) वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रचालनात्मक कार्यकलाप

आपकी कंपनी की स्थापना उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना, एनआरएसएस–XXXIII से संबद्ध पारेषण प्रणाली के विकास हेतु पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में 09 सितंबर 2013 को की गई। पारेषण प्रणाली में निम्नलिखित प्रणालियां शामिल हैं:

(i) बल्लभगढ़–ग्रेटर नोएडा (नई)400 केवी डी/सी लाइन – बल्लभगढ़ सब स्टेशन से मल्टी सर्किट टावर पर 5 किलोमीटर (लाइन की लंबाई 50किलोमीटर 5 एम/सी किलोमीटर)

(ii) ग्रेटर नोएडा में 2ग500 एमवीए, 400/220 केवी जीआईएस सब स्टेशन की स्थापना (नई)।

परियोजना के लिए आरएफपी 11 सितंबर 2013 को जारी किया गया, जिसे प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2013 थी।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 19 नबंवर 2013 को सलाह दी थी कि "उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना, एनआरएसएस–XXXIII" के लिए बोली प्रक्रिया को स्थगित किया जाए क्योंकि नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) और एस्सार पावर (झारखंड), उत्पादन कंपनी के बीच पीपीए विवादित हो गया है और एनपीसीएल ने इसे रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया है तथा मामला उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) में विचाराधीन है। तदनुसार आरएफपी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 26 नबंबर 2013 को तक आगे बढ़ा दिया गया है।

तत्पश्चात सीईए ने 19 नबंबर 2013 को यह सलाह दी थी कि बोली प्रक्रिया को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड और एस्सार पावर (झारखंड) लिमिटेड के बीच पीपीए संबंधी विवाद का निराकरण उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा नहीं कर दिया जाता। सीईए की सलाह पर बोली प्रक्रिया को स्थगित रखा गया है।

वित्तीय समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रारंभ नहीं किए हैं। हालांकि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी स्थापना के लिए 50.70 लाख रूपए की राशि परियोजना के विकास में खर्च की है जिसे जारी पूंजीगत कार्य मद में स्थानांतरित किया गया है।

लाभांश

चूंकि आपकी कंपनी ने अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू नहीं किए हैं, अतः 09 सितंबर 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

शेयर पूंजी

31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5,00,000 रूपए (प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर) है। वर्ष के दौरान, कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखी जाती है।

सावधि निक्षेप जमा

अपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई भी सावधि जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाला अर्जन और बहिर्गमन

चूंकि कंपनी के प्रचालन में कोई भी विनिर्माण अथवा संसाधन गतिविधियां शामिल नहीं है, अतः कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी विवरण लागू नहीं हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय से कोई भी अर्जन अथवा बहिर्गमन नहीं हुआ है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मैसर्स पीएनजी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी के लेखाओं पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी, अवलोकन अथवा अर्हता नहीं हैं।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कार्मिकों के विवरण

कंपनी के अपने रोल में कोई भी कार्मिक नहीं है। अतः कंपनी (कार्मिकों के विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत यथानिर्धारित कार्मिकों के विवरण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

निदेशक

वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य हैं :

1.	श्री रिजवानुर रहमान	अध्यक्ष
2.	श्री वीरेन्द्र कुमार जैन	निदेशक
3.	श्री राजेश कुमार शाही	निदेशक

कंपनी अधिनिमय 2013 की धारा 152 (6) के प्रावधानों के अनुसार श्री रिजवानुर रहमान, निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते उनकी पुनर्नियुक्ति हेतु उन्हें प्रस्ताव दिया जाएगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

सी एंड एजी ने अपने दिनांक 02 जुलाई 2014 के पत्र के जरिए उल्लेख किया है कि उन्होंने 09 सितंबर 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए कंपनी के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इस संबंध में सी एंड एजी द्वारा जारी किए गए पत्र की प्रति अनुबंध 1 में दी गई है।

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत यथावश्यक आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

- 09 सितंबर 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और वास्तविक अंतर से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया है;
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे एक जारी (निरंतर कार्यरत) कंपनी के रूप में तैयार किए हैं।

स्वीकारोक्ति

निदेशक केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रति कंपनी को उनके द्वारा दी गई सहायता, किए गए उत्साहवर्धन, प्रोत्साहन हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कंपनी विशेषरूप से भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, सांविधिक लेखापरीक्षकों और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड के प्रति उनके निरंतर सहयोग, सुझाव और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–

स्थान : नई दिल्ली **(आर. रहमान)**

दिनांक : 20 अगस्त, 2014 **अध्यक्ष**

अनुबंध 1

09 सितंबर 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए बल्लमगढ़ जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

09 सितंबर 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार बल्लमगढ़ जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि ये कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 15 मई 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 09 सितंबर 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए बल्लमगढ़ जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निश्चय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से
(तनुजा एस मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक और
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड – III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02 जुलाई, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
सेवा में
सदस्यगण,
बल्लभगढ़ जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने बल्लभगढ़ जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र के साथ साथ लाभ तथा हानि विवरण तथा 09 सितंबर 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य सूचना/नोटों का सारांश शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम 2013 के भाग 133 के मामले में व्यवसाय मामला मंत्रालय के जनरल सर्कुलर 15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम 1956 ("अधिनियम") में संदर्भित लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी, डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का कार्यान्वयन और संगत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों । इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक्षक कंपनी की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है जिससे कि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सके जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं । किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथा आवश्यक सूचना विहित ढंग से इस प्रकार से प्रदान करते हैं जिससे कि वे भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकें:

(i) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति;

(ii) लाभ और हानि विवरण के मामले में 09 सितंबर 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए कंपनी का (हानि) और

(iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में 09 सितंबर 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) (संशोधित) आदेश, 2004 द्वारा यथासंशोधित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 ("आदेश") द्वारा यथाआवश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विर्निदिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

(ख) हमारे दृष्टिकोण से जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई और रखी गई है;

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं अर्थात उनसे मेल खाते हैं;

(घ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संदर्भ में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सितंबर 2013 के सामान्य परिपत्र संख्या 15/2013 द्वारा पठित अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं; और

(ङ) निदेशकों की अनअर्हकता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खंड (छ) की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं हैं क्योंकि यह वित्त मंत्रालय के कंपनी मामला विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी एस आर 829 (ड़) दिनांक 21.10. 2013 के संदर्भ में एक सरकारी कंपनी के अधीन पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।

कृते पीएनजी एंड कंपनी
फर्म पंजीयन संख्या 021910 एन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनुपम अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084740

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई, 2014

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध
(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ (1) में 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' वाले भाग में संदर्भित)

1. कंपनी के पास जारी पूंजीगत कार्य के अलावा कोई स्थाई परिसंपत्ति नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 4(i) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

2. कंपनी के पास कोई इंवेटरी नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 4(ii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

3. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षकारों से अथवा को वर्ष के दौरान कंपनी ने ऋण, सुरक्षित अथवा असुरक्षित के रूप में न तो कोई ऋण अथवा अग्रिम लिया है और न ही स्वीकृत किया है। इसलिए आदेश के खंड 4(iii) (क) से (ज) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

4. हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, स्थाई परिसंपत्तियों और सेवाओं की खरीद/बिक्री के साथ इसके व्यापार की प्रक्रिया और कंपनी के आकार के अनुरूप वहां पूर्ण आंतरिक नियंत्रण है । लेखापरीक्षा के दौरान हमने आंतरिक नियंत्रण में किसी बड़ी कमजोरी को सही करने में कोई असफलता नहीं देखी है ।

5. हमारे द्वारा अपनाई गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह सोचते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसे कोई लेन–देन नहीं किए गए जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है।

6. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 और उसके नियमों के अंतर्गत भाग 58क और 58कक तथा अन्य संगत प्रावधानों के तहत जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

7. आंतरिक लेखापरीक्षण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

8. जैसा कि हमें जानकारी है, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1)

(घ) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित कोई कानून जारी नहीं किया है।

9. (क) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी आयकर और अन्य सांविधिक बकाया राशियों सहित अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान संबंधित प्राधिकारियों को धारक कंपनी के माध्यम से सामान्यतः नियमित रूप से कर रही है। हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित सांविधिक देयताओं की बकाया राशि उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर की कोई भी देय राशि नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा न किया गया हो।

10. कंपनी पांच वर्ष से कम अवधि के लिए पंजीकृत रही है। अतः हमें इस बात पर टिप्पणी करने के आवश्यकता नहीं है कि कंपनी ने उपर्युक्त अवधि के अंत में हानि संचित की है अथवा नहीं और यह कंपनी के निवल मूल्य के 50: अथवा उससे अधिक है तथा क्या इसे उपर्युक्त अवधि के दौरान कोई नकद हानि हुई है।

11. किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर धारक से कोई ऋण नहीं लिया है, अतः आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

12. हमें दी गई सूचना और कंपनी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं दिया है।

13. हमारे दृष्टिकोण में कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि / म्यूचुअल लाभ अर्जित करने वाली न्यास / सोसाइटी नहीं है, अतः आदेश का खंड 4 (xiii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

14. चूंकि कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेश में व्यावसाय अथवा कारोबार नहीं करती है, अतः आदेश का खंड 4 (xiv) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी सावधि ऋण नहीं लिया है, अतः आदेश के खंड 4 (xvi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के तुलन–पत्र और कंपनी के नकदी प्रभाव विवरण की पूर्ण जांच के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अल्पकालिक आधार पर ली गई निधियों का दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए निवेश नहीं किया है। कंपनी ने दीर्घकालीन निधियों का उपयोग स्थायी कार्यशील पूंजी को छोड़कर अल्पकालिक संपत्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए नहीं किया है।

18. कंपनी द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान धारक कंपनी और इसके नामतियों के जरिए आरंभिक आबंटन को छोड़कर कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों और कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

20. कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यू जारी कर कोई पूंजी अर्जित नहीं की है।

21. लेखाओं की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने के प्रयोजन से लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पायी गई और न ही कोई रिपोर्ट की गई है।

कृते पीएनजी एंड कंपनी
फर्म पंजीयन संख्या 021910 एन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनुपम अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084740

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

बल्लमगढ़ जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
I. इक्विटी और देयताएं		
(1) शेयरधारकों की निधियां		
(क) शेयर पूंजी	3	500,000
(ख) आरक्षित और अधिशेष निधियां	4	(28,749)
		471,251
(2) चालू देयताएं		
(क) अल्पकालिक ऋण	5	4,353,796
(ख) अन्य चालू देयताएं	6	259,533
		4,613,329
योग		5,084,580
II. परिसंपत्तियां		
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां		
(क) स्थायी परिसंपत्तियां		
(i) जारी पूंजीगत कार्य	7	5,069,580
		5,069,580
(2) चालू परिसंपत्तियां		
(क) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	8	15,000
		15,000
योग		5,084,580
निगमित सूचना	1	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2	
निर्माण पूर्व व्यय	9	
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	10 से 22	

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(वी. के. जैन)	(आर. के. शाही)	(आर. रहमान)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप

कृते पीएनजी एंड कंपनी
फर्म पंजीयन संख्या 021910 एन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनुपम अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084740

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

बल्लमगढ़ जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

09 सितंबर 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट संख्या	09 सितंबर 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिए
I. प्रचालन से प्राप्त राजस्व		–
II. अन्य आय		–
III. कुल राजस्व (I + II)		–
IV व्यय		
प्रारंभिक व्यय		28,749
कुल व्यय		28,749
V. आपवादिक और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		(28,749)
VI. आपवादिक मद		–
VII. असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)		(28,749)
VIII. असाधारण मद		
IX. कर पूर्व लाभ/(हानि) (VII-VIII)		(28,749)
X. कर संबंधी व्यय		
(1) चालू कर		
(2) आस्थगित कर		
XI. प्रचालन जारी रहने से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (IX-X)		(28,749)
XII. प्रचालन बाधित होने से लाभ/(हानि)		
XIII. प्रचालन बाधित होने का कर संबंधी व्यय		
XIV. प्रचालन बाधित होने से लाभ (हानि) (कर पश्चात) (XII-XIII)		
XV. अवधि के लिए लाभ/(हानि) (XI+XIV)		(28,749)
XVI. प्रति इक्विटी शेयर लाभार्जन		
(1) आधारभूत	14	(0.57)
(2) मिश्रित (डाइल्यूटिड)	14	(0.57)
निगमित सूचना	1	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2	
निर्माण पूर्व व्यय	9	
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	10 से 22	

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(वी. के. जैन)	(आर. के. शाही)	(आर. रहमान)
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप

कृते पीएनजी एंड कंपनी
फर्म पंजीयन संख्या 021910 एन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनुपम अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084740

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

बल्लभगढ़ जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
09 सितंबर 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए
लाभ और हानि विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	नोट संख्या	09 सितंबर 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिए
क प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ/(हानि)		(28,749)
कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ/(हानि)		(28,749)
निम्नलिखित में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन		
देयताएं और प्रावधान		4,613,329
प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह		4,584,580
ख निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
जारी पूंजीगत कार्य		(5,069,580)
निवेश संबंधी कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी		(5,069,580)
ग वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी का इश्यू		500,000
वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह 500,000		
नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में निवल वृद्धि /(कमी) (क ख ग)		15,000
योगेः अवधि की शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां		–
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां		15,000
हाथ में मौजूद नकदी और बैंक में जमा राशियां		15,000

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(वी. के. जैन)	(आर. के. शाही)	(आर. रहमान)
निदेशक	**निदेशक**	**अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप

कृते पीएनजी एंड कंपनी
फर्म पंजीयन संख्या 021910 एन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनुपम अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084740

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

बल्लभगढ़ जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
09 सितंबर 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. निगमित सूचना

कंपनी (बल्लभगढ़ जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड) की स्थापना पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल), (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम के पूर्ण स्वाामित्व वाली एक सहायक कंपनी) की एक सहायक कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 09 सितंबर 2013 को की गई। कारोबार प्रारंभ करने के लिए प्रमाण–पत्र 22.11.2013 को जारी किया गया। कंपनी की स्थापना हरियाण राज्य में विद्युत पारेषण (परियोजना) के प्रयोजन से प्रणाली नेटवर्क के विकास और अध्ययन, अन्वेषण, सूचना और डेटा एकत्र करने, सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने, वन स्वीकृति, यदि आवश्यक है, प्राप्त करने और पारेषण सेवा प्रदाता के चयन हेतु बोली प्रक्रिया संचालित करने के लिए की गई है। कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पारेषण सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के अनुसार विकासकर्ता का चयन होने पर चयनित विकासकर्ता को हस्तांतरित की जाएगी।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

(क) तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुरूप ऐतिहासिक लागत परम्परा के अंतर्गत संचित आधार पर तैयार किए गए हैं।

(ख) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टाधीन अवधि के लिए रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि, राजस्व और व्यय में अनुमान और पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं और/अथवा उन्हें मूर्तरूप दिया जाता है।

(ग) आय / व्यय की मान्यता

आय और व्यय (अन्यथा किए गए उल्लेख को छोड़कर) की गणना संचित आधार पर की जाती है। पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (धारक कंपनी) को को देय स्वतंत्र पारेषण परियोजना के विकास हेतु परामर्श और व्यावसायिक सेवा शुल्क की गणना कंपनी को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किए जाने वाले वर्ष (जब कभी देय होंगे) में की जाएगी।

(घ) स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां चालू/संचित मूल्यह्रास को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शायी जाती हैं। कंपनी सभी प्रत्यक्ष लागतों को पूंजीकृत करती है जिसमें ऐसी परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक ऋण लागत शामिल हैं।

(ङ) मूल्यह्रास/ऋणमोचन

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का लाभ कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची xiv के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान 5000 रूपए तक की लागत वाली अधिग्रहीत स्थाई परिसंपत्तियों के आइटमों का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

(च) जारी पूंजीगत कार्य

परामर्श / प्रशासन / ब्याज/ जनशक्ति प्रभार/कानूनी और व्यवसायिक प्रभार आदि और अन्य निर्माण पूर्व व्यय को जारी पूंजीगत कार्य के रूप में पूंजीकृत किया गया है/माना गया है।

(छ) धारक कंपनी द्वारा किया गया व्यय

परियोजना के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय का निधियन धारक कंपनी (पीएफसीसीएल) द्वारा किया जाता है और इसे चालू देयताओं शीर्ष के अंतर्गत समूहबद्ध किया जाता है। धारक कंपनी द्वारा नियोजित की गई निधियों पर समय–समय पर यथालागू ब्याज प्रभारित किया जाता है।

(ज) आरंभिक व्यय

आरंभिक व्यय को लाभ और हानि विवरण में उस वर्ष में प्रभारित किया गया है, जिसमें ऐसे व्यय किए गए हैं।

(झ) निवेश

निवेश लागत आधार पर बताए जाते हैं।

(ञ) ऋण लागत

ऋण लागत की वसूली लाभ और हानि विवरण में पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए ऋण पर ब्याज को छोड़कर उस वर्ष में की जाती है जिसमें यह ऋण लिया गया है, जिसका पूंजीकरण परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की तारीख तक किया जाता है।

(ट) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियां

कंपनी कोई प्रावधान तब करती है, जब अतीत की किसी घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में कोई ऐसी बाध्यता हो, जिसके लिए संभवतः संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक है, जिसका विश्वसनीय तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है। किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटन खातावही में प्रावधान के बिना तब किया जाता है, जब कोई ऐसी बाध्यता होती है जिसके लिए, परंतु संभवतः (प्रबंधन के दृष्टिकोण में), संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक नहीं होगा। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में न तो मान्यता दी गई है न ही प्रकट किया गया है।

(ठ) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण पर संशोधित लेखांकन मानक – 3 में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है।

(ड) कर

चालू करों के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के संगत प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। आस्थगित कर को मान्यता तुलन–पत्र की तारीख को अधिनियमित की गई अथवा मूल रूप से अधिनियमित की गई निधियों और कर दरों का प्रयोग करते हुए लेखांकन लाभ और कर लाभों के बीच समय अंतराल की शर्त के अध्यधीन किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है और उन्हें आगे केवल इस स्थिति में ले जाया जाता है यदि इस बात की उपयुक्त वास्तविक निश्चितता होती है कि इन परिसंपत्तियों की भविष्य में वसूली की जाएगी।

(ढ) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन से नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में बैंकों में जमा नकदी और हाथ में उपलब्ध नकद राशि शामिल है।

नोट सं. 3. शेयर पूंजी

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत :	
प्रत्येक 10 रूपए के 50000 इक्विटी शेयर	500,000
जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर	
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त 50000 इक्विटी शेयरः	500,000
कुल जारी किए गए, खरीदे गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूंजी	500,000

(क) रिपोर्टिंग अवधि की प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का पुनर्मिलान

इक्विटी शेयर	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	
अवधि के प्रारंभ में बकाया		
जोड़ें: अवधि के दौरान जारी किए गए शेयर	50,000	500,000
अवधि के अंत में बकाया शेयर	50,000	500,000

(ख) इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य 10 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट देने के लिए पात्र है।

कंपनी के परिसमापन के मामले में इक्विटी शेयर धारक सभी प्राथमिक राशियों के विवरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह वितरण शेयर धारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

(ग) धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर

कंपनी द्वारा जारी किए गए 50,000 इक्विटी शेयरों में से इसकी धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर निम्नानुसार हैं:

	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड, धारक कंपनी'	
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्ण प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर	500,000

(घ) कंपनी में 5 % से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के विवरण

	शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार श्रेणी में धारिता का %
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	50,000	100%
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड, धारक कंपनी*	50,000	100%

* इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड और इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखे जाते हैं।

नोट सं. 4.–आरक्षित और अधिशेष निधियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
लाभ और हानि लेखे के विवरण में अधिशेष राशि	
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	(28,749)
अवधि के अंत में बकाया राशि	(28,749)
योग	(28,749)

नोट सं. 5.–अल्पकालिक ऋण

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड, धारक कंपनी)	4,353,796
योग	4,353,796

नोट सं. 6.–अन्य चालू देयताएं

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
संचित ब्याज परंतु ऋणों पर देय नहीं	218,411
अन्यः	
–देय व्यय	16,854
–सांविधिक देयताएं (स्रोत पर कर की कटौती)	24,268
योग	259,533

नोट सं. 7.–जारी पूंजीगत कार्य

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
निर्माण पूर्व व्यय से स्थानांतरित (नोट–9)	5,069,580
योग	5,069,580

नोट सं. 8. – नकदी और नकदी समतुल्य राशियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
बैंकों में जमा राशियां	
चालू खाते में	15,000
योग	15,000

नोट सं. 9 – निर्माण पूर्व व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
व्यय	
जनशक्ति प्रभार	4,19,139
लेखा परीक्षक को भुगतानः	
लेखा परीक्षक के रूप में	16,854
फाइलिंग शुल्क	193
विज्ञापन व्यय	4,269,026
दूरभाष व्यय	201
परामर्श प्रभार	116,355
मुद्रण और स्टेशनरी	5,133
ब्याज संबंधी व्यय	242,679
योग	5,069,580

10. कंपनी द्वारा किए गए सभी व्यय स्वतंत्र पारेषण परियोजना की स्थापना के लिए किए गए हैं। चूंकि परियोजना की पहचान कर ली गई है, अतः सभी व्यय को पूंजीकृत करने की आवश्यकता है। इस प्रकार निर्माण पूर्व व्यय (नोट 09), जिसमें सभी व्यय शामिल हैं तैयार किए गए हैं और उन्हें जारी पूंजीगत कार्य (लंबित आबंटन) मद में स्थानांतरित किया गया है।

11. अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शाए गए व्यय मुख्य रूप से पीएफसीएल/ पीएफसीसीएल द्वारा एसपीवी को आबंटित किए जाते हैं । एसपीवी से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय 100: आधार पर तथा साझा व्यय विभिन्न एसपीवी और सेवाओं के आबंटन के बीच होता है। पीएफसी / पीएफसीसीएल द्वारा किए गए ऐसे व्यय के संदर्भ में मूल सहायक बिल पीएफसी / पीएफसीसीएल के नाम पर होते हैं और उनके पास ही रखे जाते हैं जिनकी प्रतियां कंपनी के पास भी उपलब्ध हैं । पीएफसी / पीएफसीसीएल इन कंपनियों के लिए यथालागू "स्रोत पर कर की कटौती और सेवा कर आदि" से संबंधित सभी सांविधिक प्रावाधानों का अनुपालन कर रही हैं ।

12. कंपनी में काम करने वाले सभी कार्मिक धारक कंपनी, यानि पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) से हैं। वर्ष के लिए नोट–9: 'निर्माण पूर्व व्यय' में दर्शाए गए व्यय की राशि 50,69,580 रुपए है, जिसमें पीएफसीसीएल के कार्मिकों की जनशक्ति लागत के रूप में 4,19,139 रुपए की राशि शामिल है। पीएफसीसीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक के अनुसार पीएफसीसीएल के कार्मिकों की जनशक्ति लागत (प्रशासनिक व्यय सहित) की वसूली पीएफसीसीएल द्वारा कंपनी के लिए कार्मिकों द्वारा वास्तविक रूप से बिताए गए कार्य दिवसों के आधार पर की जाती है। इसमें श्री वी के जैन का 3,708 रूपए तथा श्री राजेश कुमार शाही का 24,719 रुपए का प्रभार शामिल है।

13. (i) पूंजी खाते में क्रियान्वित करने के लिए शेष संविदाओं और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, की अनुमानित राशि शून्य रुपए है।

(ii) प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार कंपनी की आकस्मिक देयताओं और कंपनी के विरूद्ध दावों को कंपनी द्वारा मान्यता नहीं दी गई है और यह संदर्भित अवधि के लिए शून्य रूपए है।

14. **प्रति शेयर अर्जन**

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित "प्रति शेयर अर्जन" पर लेखांकन मानक – 20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत और मिश्रित(डाइल्यूटिड)) की गणना निम्नानुसार की जाती है :

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च 2014 को खत्म होने वाली अवधि के लिए
1	शेयर का सामान्य मूल्य (रूपए)	10
2	इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या)	50,000
3	कर पश्चात निवल लाभ (रूपए)	(28,749)
4	प्रति शेयर अर्जन (रूपए)	(0.57)

15. (i) कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक धारक कंपनी (पीएफसीसीएल) से हैं और उन्हें अशंकालिक आधार पर कंपनी में तैनात किया गया।

ऐसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पदावधि समाप्त होने की तारीख
1	श्री आर रहमान	अध्यक्ष	09.09.2013	जारी
2	श्री आर के शाही	निदेशक	09.09.2013	जारी
3	श्री वी के जैन	निदेशक	09.09.2013	जारी

(ii) लेखांकन मानक 18 – "संबंधित पक्षकार प्रकटन" के अनुसार प्रकटन;

बल्लभगढ़ जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय बल्लभगढ़ जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं जिन पर पीएफसीसीएल के नामितियों का नियंत्रण होता है।

संबंधित पक्षकारों के नाम और उनके साथ संबंधों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति
1.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	सर्वोच्च धारक कंपनी
2.	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	धारक कंपनी
3.	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सहायक कंपनी
4.	डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सहायक कंपनी
5.	उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
6.	छत्तीसगढ़ सगुरजा पावर लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
7.	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
8.	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
9.	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
10.	घोघरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
11.	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
12.	साखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
13.	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
14.	पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजर प्राइवेट लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
15.	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
16.	पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
17.	चेयरपूर इंफ्रा लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
18.	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	सर्वोच्च धारक कंपनी की सहायक कंपनी
19.	पेट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	13.11.2013 तक सहायक कंपनी
20.	पुरुलिया खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	09.12.2013 तक सहायक कंपनी
21.	दरभंगा मोतीहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	10.12.2013 तक सहायक कंपनी
22.	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12.03.2014 तक सहायक कंपनी

16. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के अंतर्गत अधिसूचित सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है। हालांकि, आस्थगित कर देयता / समय अंतराल से संबंधित परिसंपत्ति संबंधी लेखांकन मानक (एएस)–22 इस तथ्य के आलोक में कंपनी के लिए लागू नहीं होता है कि कंपनी अभी भी निर्माण चरण पर है और अभी इसका प्रचालन शुरू किया जाना है।

17. कंपनी के पास वर्ष के अंत में लघु उद्योग (स्माल–स्केल) यूनिटों की कोई बकाया राशियां नहीं हैं, अतः ब्याज का कोई प्रावधान बनता ही नहीं है। इसके अलावा, प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत शामिल उद्यमों को देय कोई भी बकाया राशियां नहीं हैं।

18. चूंकि कंपनी में कोई कार्मिक नहीं हैं, अतः लेखांकन मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार बाध्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

19. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग–।। के पैरा 3ए 4(ग), 4 (घ) के प्रावधानों के अनुरूप ज्यादातर अतिरिक्त सूचना कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि परियोजना अभी भी विकास चरण पर है और कंपनी को अपने वाणिज्यिक कार्यकलाप अभी शुरू करने हैं। लागू सूचना निम्नानुसार उपलब्ध करायी गई है :

(क)	विदेशी मुद्रा में व्यय	–	शून्य
(ख)	विदेशी विनिमय से आय	–	शून्य

20. परियोजना के विकास पर व्यय पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) धारक कंपनी द्वारा किया जाता है। कंपनी पीएफसीसीएल द्वारा किए गए व्यय पर पीएफसीसीएल को ब्याज का भुगतान करेगी। उपयोग न की गई निधियों पर प्रभारित/भुगतान किए गए ब्याज की दर पीएफसी में "राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता (श्रेणी 'क')" के अंतर्गत आनेवाले ऋणकर्ताओं के लिए समय–समय पर निर्धारित परियोजना ऋण / योजना (ट्रांसमिशन) हेतु लागू दरों के समतुल्य है।

21. चालू अवधि के आंकड़े 09 सितंबर 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए हैं। इस प्रकार गत वर्ष के आंकड़े लागू नहीं हैं।

22. अन्यथा उल्लेख न किए जाने की स्थिति में आंकड़ों को निकटतम रूपए के रूप में राउंडऑफ कर दिया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(वी. के. जैन)	(आर. के. शाही)	(आर. रहमान)
निदेशक	**निदेशक**	**अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप

कृते पीएनजी एंड कंपनी
फर्म पंजीयन संख्या 021910 एन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनुपम अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084740

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई, 2014

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी)

निदेशक रिपोर्ट 2013–14

सेवा में,

सदस्यगण

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड

आपके निदेशकों को कंपनी के निष्पादन पर तीसरी (3वीं) वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखाओं के लेखा–परीक्षित विवरण और 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. कंपनी द्वारा कारोबार का शुभारंभ

आपकी कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में अपना कारोबार प्रारंभ करने के लिए पंजीयन का प्रमाण–पत्र (सीओआर) 01 अक्टूबर, 2012 को प्राप्त हुआ । सीओरआर प्राप्त होने पर आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012–13 की चौथी तिमाही के दौरान अपने कारोबार का शुभारंभ किया । यद्यपि वित्तीय वर्ष 2013–14 आपकी कंपनी के प्रचालन का पहला पूर्ण वर्ष था, तथापि इसने नवीनीकृत ऊर्जा क्षेत्र के वित्तीय पोषण में महत्वपूर्ण प्रगति की।

2. वित्तीय विशेषताएं :

(क) लाभप्रदता (राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष वर्ष 2012–13
1.	कुल आय	22.71	0.57
2.	कुल व्यय	3.20	0.82
3.	कर पूर्व लाभ/(हानि)	19.51	(0.25)
4	कर संबंधी व्यय		
	–चालू कर	6.27	–
	–आस्थगित कर	(0.02)	0.15
5	कर पश्चात् लाभ/(हानि)	13.26	(0.40)
कर पश्चात् लाभ का संविभाजन			
1.	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45– 1 (ग) के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित निधि	2.65	–
2.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित और बनाई गई विशेष आरक्षित निधि	0.29	–
3	तुलन–पत्र में लाई गई बकाया राशि	10.32	(0.40)

(ख) ऋण प्रचालन (राशि करोड़ रुपए में)

विवरण	2013-14	2012-13
ऋण की मंजूरी	**304.47**	**8.00**
राज्य क्षेत्र	172.58	-
निजी क्षेत्र	131.89	8.00
ऋण संवितरण	**25.46**	**-**
निजी	25.46	

3. वित्तीय प्रचालन

3.1 राजस्व

आपकी कंपनी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, 0.57 करोड़ रुपए की कुल आय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान 22.71 करोड़ रुपए की कुल आय अर्जित की गई। चालू वर्ष के लिए आपकी कंपनी की आय पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 0.55 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 22.69 करोड़ रुपए हो गई है।

3.2 व्यय

आपकी कंपनी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 0.82 करोड़ रुपए के कुल व्यय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान 3.20 करोड़ रुपए का कुल व्यय किया गया।

3.3 लाभ

आपकी कंपनी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 0.40 करोड़ रुपए की हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान 13.26 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया।

3.4 शेयर पूंजी

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, आपकी कंपनी ने अपनी प्रदत्त शेयर पूंजी 109.99 करोड़ (31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार) से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए (31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार) कर दी है, जिसमें इक्विटी शेयर और पूर्णतः परिवर्तनीय प्राथमिकता शेयर (एफसीपीएस) शामिल हैं। 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 1200 करोड़ रुपए है, (जिसमें प्रत्येक 10 रुपए के 100 करोड़ इक्विटी शेयर और प्रत्येक 10 रुपए के 20 करोड़ पूर्णतः परिवर्तनीय प्राथमिकता शेयर) शामिल हैं और कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 300 करोड़ रुपए है, (जिसमें प्रत्येक 10 रुपए के 10 करोड़ इक्विटी शेयर और प्रत्येक 10 रुपए के 20 करोड़ पूर्णतः परिवर्तनीय प्राथमिकता शेयर) शामिल हैं। 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

	प्राधिकृत शेयर पूंजी			प्रदत्त शेयर पूंजी		
स्वरूप	शेयरों की सं. (करोड़ में)	अंकित मूल्य (रु. में)	योग (करोड़ रु. में)	शेयरों की सं.	अंकित मूल्य	योग (करोड़ रु. में)
इक्विटी	100	10	1000	10	10	100
एफसीपीएस	20	10	200	20	10	200
योग	120	–	1200	30	–	300

3.5 लाभांश

आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कोई लाभांश घोषित न करने का निश्चय किया है और आपकी कंपनी तब लाभांश का भुगतान करेगी, जब कंपनी के प्रमुख व्यापारिक कार्यकलाप से पर्याप्त लाभ अर्जित करने में कंपनी सफल होगी।

4 वित्तीय सहायता

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 304.47 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। स्वीकृत किए गए ऋणों का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	ग्राहक का नाम	क्षमता (मेगावाट)	स्थान	प्रौद्योगिकी	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)
1	सॉलिटेयर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	5.0	प. बंगाल	सौर पीवी	27.65
2	पशुपतिनाथ पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	3.0	मोटाकाटला, आंध्र प्रदेश	सौर पीवी	13.02
3	नरसिम्हास्वामी सोलर जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड	5.0	आंध्र प्रदेश	सौर पीवी	21.72
4	एनआरईडीसीएपी	12.8	अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	पवन	60.00
5	साईं आदित्य ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	1.0	आंध्र प्रदेश	सौर पीवी	4.50
6	सिक्किम पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7.0	चुब्बा	लघु जल विद्युत	52.18
7	कार्लिल एनर्जी प्रा. लि.	1.5	पंजाब	सौर पीवी	9.00
8	आफताब सोलर प्रा. लि.	5.0	उड़ीसा	सौर पीवी	35.00
9	प्रोडिजी हाइड्रो पावर प्रा. लि.	6.0	बानेस–II, हिमाचल प्रदेश	लघु जल विद्युत	21.00
10	केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	6.0	पेरुंथेनारूवि, केरल	लघु जल विद्युत	38.45
11	केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	3.0	कक्कायम, केरल	लघु जल विद्युत	21.95
	योग	55.3	–	–	304.47

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, पीएफसी जीईएल द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता से 55 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता के सृजन में सहायता मिलेगी। 304.47 करोड़ रुपए की कुल स्वीकृतियों में से लगभग 57% (172.58 करोड़ रुपए) राशि राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई और लगभग 43% (131.89 करोड़ रुपए) राशि निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई। आपकी कंपनी लगातार अपने व्यापारिक

पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विविधीकरण किया गया है तथा पवन, सौर और लघु जल विद्युत क्षेत्र के लिए बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है। विभिन्न प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

प्रौद्योगिकी	वित्तीय वर्ष 2013–14			वित्तीय वर्ष 2012–13			वित्तीय वर्ष
	मेगा वाट	स्वीकृत राशि (रु. करोड़ में)	कुल स्वीकृत राशि का%	मेगा वाट	स्वीकृत राशि (रु. करोड़ में)	कुल स्वीकृत राशि का%	13–14 तक संचित रूप से स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)
सौर	20.5	110.89	36%	1	8.00	100%	118.89
पवन	12.8	60.00	20%	–	–	–	60.00
लघु जल विद्युत	22.0	133.58	44:	–	–	–	133.58
योग	55.3	304.47	–	–	8.00	–	312.47

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, 25.46 करोड़ रुपए का कुल संवितरण किया गया। ऋण संबंधी पहला प्रलेखीकरण 10 मई 2013 को पूरा किया गया। वर्ष के दौरान, स्वीकृत परियोजनाओं के लिए ऋण प्रलेखीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

5. सार्वजनिक जमा राशियां

कंपनी (जमा राशियों की स्वीकृति) नियमावली 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58 क के प्रावधानों के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

6. कार्मिक

कंपनी पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है और पीएफसी जीईएल में कार्यरत सभी कार्मिक पीएफसीएल के कार्मिक हैं । रोजगार के विनियमन संबंधी निबंधन और शर्तों से संबंधित मामलों में धारक कंपनी द्वारा ही कार्रवाई की जाती है।

7. मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी अपने कामिकों के कौशल विकास हेतु प्रतिबद्ध है। साथ ही उनकी क्षमताओं का लगातार उन्नयन कर रही है ताकि कार्मिक तेजी से बदल रहे व्यापारिक परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाकर कार्य कर सकें।

8. लेखापरीक्षक

मैसर्स केएसजे एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सांविधिक लेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी के लेखाओं की लेखा–परीक्षा की है और बिना किसी अर्हता के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा–परीक्षा की है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने 05 जुलाई 2014 के पत्र के जरिए उल्लेख किया है कि वे उनकी लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात उनके संज्ञान में नहीं आई है, जिसके लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है अथवा उसके लिए कोई पूरक टिप्पणी आवश्यक है । इस संबंध में भारत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि अनुबंध – 1 में संलग्न है।

10. गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

'गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2008 के अनुसार आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक से गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की गई है । प्रमाण– पत्र की एक प्रति अनुबंध – ।। में संलग्न है।

11. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाला अर्जन और बहिर्गमन

चूंकि कंपनी के कार्यकलापों में कोई विनिर्माण अथवा संसाधन संबंधी कार्यकलाप शामिल नहीं हैं, अतः कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी कोई महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1)(ड.) के प्रावधानों के अंतर्गत यथावश्यक ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन से संबंधित विवरण अनुबंध – ।।। में दिए गए हैं।

इसके अलावा समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने विदेशी विनिमय से न तो कोई आय अर्जित की है और न ही किसी विदेशी विनिमय का प्रयोग किया है।

12. कार्मिकों के विवरण

कंपनी के रोल में कोई भी कार्मिक नहीं है, जिनके विवरण कंपनी (कार्मिकों के विवरण) नियमावली, 1975, यथासंशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत दिए जाने की आवश्यकता है।

13. निदेशक

वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

श्री एम. के. गोयल	:	अध्यक्ष
श्री आर. नागराजन	:	निदेशक
श्री ए. के. अग्रवाल	:	निदेशक

आपके निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान आठ बार अपनी बैठक आयोजित की।

श्री एम के गोयल, निदेशक (वाणिज्यिक), पीएफसी लिमिटेड, जो कि पीएफसी जीईएल के निदेशक मंडल में भी हैं द्वारा 13 सितंबर 2013 से श्री सतनाम सिंह के स्थान पर सीएमडी, पीएफसी लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, श्री सतनाम सिंह, पीएफसी जीईएल के निदेशक एवं अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे और श्री एम के गोयल को 13 सितंबर 2013 से अध्यक्ष, पीएफसी जीईएल नियुक्त किया गया। निदेशक मंडल में सदस्य के रूप में कार्यरत रहे और अब जाने वाले निदेशक द्वारा दिए गए मूल्यवान योगदान के लिए निदेशक मंडल तहेदिल से उनकी प्रशंसा करता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा (धाराओं) 152 (6) (क) और (घ) के प्रावधानों के अनुसार श्री ए के अग्रवाल, निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते उनकी पुनर्नियुक्ति हेतु उन्हें प्रस्ताव दिया जाएगा।

14. लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क के अनुसार आपकी कंपनी की लेखापरीक्षा समिति वित्तीय वर्ष 2012–13 में गठित की गई। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं और इस समिति की वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान पांच बार बैठक आयोजित किए गए:

श्री एम. के. गोयल	:	अध्यक्ष
श्री आर. नागराजन	:	निदेशक
श्री ए. के. अग्रवाल	:	निदेशक

वित्तीय वर्ष 2013–14 में लेखापरीक्षा समिति द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार न किया गया हो।

15. राजभाषा

कंपनी के कार्यकलापों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया।

16. सहायक कंपनियां

कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 का अनुपालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

17. क्रेडिट रेटिंग

कंपनी को 02 जून, 2014 को एसएमईआरए रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एसएमईआरए एएए (आईआर) की सर्वोच्च क्रेडिट रेटिंग प्रदान की गई। यह पत्र 60 दिनों के लिए वैध है, जिसे अनुरोध किए जाने पर पुनः वैधीकृत किया जा सकता है।

18. निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत यथावश्यक आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

(i) वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और सामग्री के प्रेषण से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि वित्तीय वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों और कंपनी के लाभ की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया है; और

(iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखे एक निरंतर कार्यरत कंपनी के रूप में तैयार किए हैं।

19. शिकायत निवारण

आपकी कंपनी में ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है । एक निश्चित समयावधि में शिकायतों का तत्काल निवारण सुनिश्चित करने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी नामित किया गया है ।

20. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी के साथ समझौता–ज्ञापन

आपकी कंपनी ने 25 अप्रैल 2014 को वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए पीएफसी लिमिटेड के साथ एक समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता–ज्ञापन के अनुसार मंजूरी और संवितरण के लिए क्रमशः 500 करोड़ रुपए और 210 करोड़ रुपए के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। समझौता–ज्ञापन में सभी लक्ष्य लोक उद्यम विभाग के नेतृत्व में गठित एमओयू कार्यबल के साथ चर्चा के पश्चात् निर्धारित किए गए हैं।

21. भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) के साथ समझौता–ज्ञापन

आपकी कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं। इस संदर्भ में आपकी कंपनी ने 21 मई 2014 को इरेडा (भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड) के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संयुक्त रूप से वित्त–पोषण के लिए एक समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

22. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

वर्तमान में कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं:

1.	श्री ए चक्रवर्ती	:	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2.	श्री आर के चंदोक	:	मुख्य वित्त अधिकारी
3.	श्रीमती रचना सिंह	:	कंपनी सचिव

23. वेबसाइट का शुभारंभ

बाह्य संपर्क के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने और वर्तमान तथा संभावित ग्राहकों तक पहुंच स्थापित करने के लिए 17 जून 2013 को पीएफसी जीईएल की एक वेबसाईट: "www.pfcgel.com" का शुभारंभ किया गया।

निदेशक मंडल भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक उद्यम विभाग और केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर अन्य सरकारी विभाग/एजेंसियों के प्रति कंपनी को उनके द्वारा दी गई सहायता, किए गए उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

आपकी कंपनी के निदेशक धारक कंपनी अर्थात् पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ–साथ बैंकरों के प्रति भी उनके सक्रिय और निरंतर सहयोग के लिए कृतज्ञ है। निदेशक मंडल ग्राहकों और उपभोक्ताओं के प्रति भी उनके विश्वास और सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं ।

कंपनी विशेषरूप से भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रति उनके निरंतर सहयोग, सकारात्मक सुझाव और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
हस्ता/–
(एम के गोयल)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 08 अगस्त, 2014

अनुबंध 1

31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत यथानिर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखांकन और आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि ये कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 15 मई 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (ख) के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्यकारी दस्तावेजों के अभिगम के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक तथा कंपनी के कार्मिकों से की गई पूछताछ और कुछ चुनिंदा लेखांकन रिकॉर्डों की जांच तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है, जिस पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत हमें कोई टिप्पणी करना आश्यक हो अथवा उस पर कोई पूरक टिप्पणी की जानी हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से
हस्ता/–
(तनुजा एस मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक और
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड – III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05 जुलाई 2014

अनुबंध–।।

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

निदेशक मंडल,

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड,

ऊर्जा निधि बिल्डिंग,1,

बाराखंभा लेन, कनॉट प्लेस नई दिल्ली–110001

महोदय,

कंपनी के लिए यथालागू उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए "गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों" के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक), दिशानिर्देश, 2008" के अंतर्गत यथावश्यक हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. कंपनी गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य कर रही है। कंपनी के पास दिनांक 1.10.2012 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण संबंधी वैध प्रमाण–पत्र है। इस प्रमाण–पत्र की पंजीयन संख्या एन–14 03258 है।
2. निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 17 अगस्त 2011 को आयोजित बैठक में संकल्प पारित किया है कि कंपनी आरबीआई के अग्रिम अनुमोदन के बिना कोई भी सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार नहीं करेगी।
3. कंपनी ने 2013–14 के दौरान जनता से कोई भी जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।
4. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी ने आय को मान्यता प्रदान करने संबंधी अनिवार्य शर्तों, लेखांकन मानक, परिसंपत्तियों के वर्गीकरण अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान तथा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनडीए अथवा एच) एसआई के लिए यथालागू आरबीआई के प्रूडेंशियल मानदण्डों (रिजर्व बैंक) दिशा–निर्देश, 2007 का अनुपालन किया है।
5. फार्म एनबीएस–7 में बैंक को प्रस्तुत किए गए रिटर्न में प्रकट किए अनुसार, पूंजी पर्याप्तता अनुपात का निर्धारण सही ढंग से किया गया है और यह अनुपात आरबीआई द्वारा यथाविहित न्यूनतम सीआरएआर के अनुरूप हैं।
6. कंपनी ने निर्धारित अवधि के भीतर आरबीआई को पूंजीगत निधियों, जोखिम परिसंपत्तियों, एक्सपोजर और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (एनबीएस–7) की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की है।

कृते के एस जे एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीयन संख्या 016024एन)
हस्ता/–
सचिन जैन
भागीदार
सदस्ता संख्या 095984

स्थान : नई दिल्ली
तारीख:15 मई 2014

अनुबंध–।।।

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (ङ) के अंतर्गत विवरणों का प्रकटन निम्नानुसार किया गया है:

क. ऊर्जा संरक्षण

(क)	ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय	कंपनी ऊर्जा संरक्षण के लिए समय –समय पर यथा आवश्यक सभी उपाय करेगी।
(ख)	ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई हैं।	इस संबंध में कोई विशेष निवेश नहीं किया गया है।
(ग)	ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए उपर्युक्त (क) और (ख) में दिए गए उपायों का प्रभाव और माल के उत्पादन की लागत पर उनका परिणामी प्रभाव	लागू नहीं
(घ)	अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों के संबंध में नियमों के अनुबंध के फार्म 'क' के अनुसार उत्पादन की प्रति यूनिट ऊर्जा खपत और ऊर्जा की कुल खपत	लागू नहीं

ख. प्रौद्योगिकी आमेलन

नियमों के अनुबंध के फार्म 'ख' के अनुसार प्रौद्योगिकी आमेलन के लिए प्रयास

फार्म 'ख' : आमेलन के संदर्भ में विवरणों के प्रकटन हेतु फार्म

अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)

1	ऐसे विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें कंपनी के द्वारा अनुसंधान और विकास किया गया	वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई विशिष्ट अनुसंधान और विकास नही किया है।
2	उपर्युक्त अनुसंधान और विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त किए गए लाभ	लागू नहीं
3	भावी कार्य योजना	लागू नहीं
4	अनुसंधान और विकास पर व्यय (क) पूंजीगत (ख) आवर्ती (ग) योग (घ) कुल टर्न ओवर के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर किया गया कुल व्यय	लागू नहीं शून्य शून्य शून्य लागू नहीं

प्रौद्योगिकी आमेलन अनुकूलन और नवोद्भव

1	प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवोद्भव की दिशा में किए गए प्रयासों का सारांश	इस संबंध में कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं
2	उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त किए गए लाभ अर्थात् उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात के लिए विकल्प आदि	लागू नहीं
3	आयात की गई प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष की शुरूआत से पिछले पांच वर्ष के दौरान आयातित) के मामले में निम्नलिखित सूचना दी जाए : (क) आयात की गई प्रौद्योगिकी (ख) आयात करने का वर्ष (ग) क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से आमेलित किया गया है? (घ) यदि पूरी तरह आमेलित नहीं किया गया है तो ऐसे क्षेत्र जहां इसे लागू नहीं किया गया है, लागू न किए जाने के कारण और भावी कार्य योजना।	लागू नहीं

ग **विदेशी विनिमय, अर्जन और बहिर्गमन:** विदेशी विनिमय, अर्जन और बहिर्गमन के विवरण भाग ग अर्थात् लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां, की मद संख्या 11 के रूप में दर्शाए गए हैं।

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, तुलन–पत्र और लाभ तथा हानि विवरण के साथ–साथ उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए संलग्न नगदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरण से युक्त सूचना तथा टिप्पणियां शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है, जो कंपनी अधिनियम 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उपधारा 3 (ग) में संदर्भित लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी, डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का कार्यान्वयन और संगत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए, की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों । इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक्षक कंपनी की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है, जिससे कि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सके जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं । किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथावश्यक सूचना विहित ढंग से इस प्रकार से प्रदान करते हैं, जिससे कि वे भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकें।

(क) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति

(ख) लाभ और हानि विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ और

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण।

कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनियां (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2003 के अनुसार, यथावश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में कंपनी के लिए लागू सीमा के अनुसार, उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विर्निदिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है

2. अधिनियम की धारा 227 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

   (ख) हमारे दृष्टिकोण से जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई और रखी गई है;

   (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं अर्थात् उनसे मेल खाते हैं;

   (घ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा 3(ग) में संदर्भित लेखांकन मानकों के साथ सभी वास्तविक संदर्भों में उनके अनुरूप हैं;

   (ड.) निदेशकों की अनअर्हता से संबंधित कंपनी अधिनियम की धारा 274 की उप धारा (1) के खंड (छ) की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कंपनी वित्त मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 21.10.2003 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) के संदर्भ में एक सरकारी कंपनी है।

   (च) चूँकि केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441क के अंतर्गत भुगतान किए जाने वाले उप कर की दर अधिसूचित करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की है और न ही उपर्युक्त धारा के अंतर्गत ऐसे कोई नियम जारी किए हैं, जिनमें ऐसे उप कर के भुगतान का ढंग विहित किया गया हो, अतः कंपनी द्वारा कोई भी उपकर देय नहीं है।

कृते के एस जे एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीयन संख्या 016024एन)
सचिन जैन
भागीदार
सदस्ता संख्या 095984

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की ओर से पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ – 1 में संदर्भित अनुबंध

हमारी जांच के आधार पर और जैसा कि हमें उपयुक्त प्रतीत होता है तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं

1. (क) कंपनी ने उपलब्ध सूचना के अनुसार स्थाई परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड तैयार किए हैं।

   (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रबंधन द्वारा स्थाई परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नियमित कार्यक्रम के अनुसार किया गया है, जो हमारे दृष्टिकोण से कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति व स्वरूप के अनुसार उचित है। समीक्षाधीन अवधि में ऐसे सत्यापन के दौरान बही रिकॉर्डों की तुलना में कोई वास्तविक कमी नहीं पाई गई।

   (ग) हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने स्थाई परिसंपत्तियों के किसी वास्तविक भाग का निपटान नहीं किया है।

2. कंपनी का मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है और यह किन्हीं भी परिसंपत्तियों के रख–रखाव में शामिल नहीं है, अतः कंपनी आदेश, 2003 के पैराग्राफ 4 का खण्ड (ii) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

3. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल निदेशक/पक्षकारों से कोई ऋण नहीं लिया है और इस तरह 4 (iii) (ख), (ग) और (घ) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

4. हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद और सेवाओं की बिक्री के लिए कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप वहां पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां मौजूद हैं। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने उपर्युक्त आंतरिक नियंत्रण में बड़ी कमियों को दूर करने में कंपनी की लगातार कोई विफलता नहीं पाई है और न ही इस संबंध में कोई रिपोर्ट की गई है।

5. हमारे द्वारा लागू की गई लेखा प्रक्रियाओं और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारा यह मानना है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा ऐसे कोई लेन–देन नहीं किए गए, जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है।

6. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क और 58कक के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के निहितार्थ जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

7. कंपनी में इसके व्यापार की प्रकृति और आकार के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है ।

8. हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

9. कंपनी के रिकॉर्डों के अनुसार कंपनी भविष्य निधि, कार्मिक राज्य बीमा, आय कर, धन कर आदि और अन्य सांविधिक बकाया राशियों सहित अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान संबंधित प्राधिकारियों को सामान्यतः नियमित रूप से कर रही है।

10. कंपनी 5 वर्ष से कम समयावधि के लिए पंजीकृत रही है तथा हमें इस बात पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं कि कंपनी के पास वित्तीय वर्ष के अंत में और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार, लेखापरीक्षा में शामिल अवधि में कंपनी को इसके निवल मूल्य के 50 प्रतिशत या उससे अधिक की नकद हानि नहीं हुई है अथवा नहीं।

11. हमारे दृष्टिकोण से और हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर धारक से लिए गए ऋण की देय राशि के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है ।

12. कंपनी ने विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य सरकारों और विद्युत के स्वतंत्र खरीददारों को इसके द्वारा स्वीकृत किए गए ऋणों के संदर्भ में सामान्यतः पर्याप्त दस्तावेज और रिकॉर्ड तैयार किए हैं।

13. हमारे दृष्टिकोण और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारा यह मानना है कि कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि / म्यूचुअल लाभ अर्जित करने वाली निधि, न्यास / सोसाइटी नहीं है, अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4(xiii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

14. हमारे दृष्टिकोण में कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेशों में व्यवसाय अथवा कारोबार नहीं करती है, अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4 (xiv) की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से अन्य लोगों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर धारक से कोई ऋण नहीं लिया है, अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4 (xvi) की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

17. कंपनी के तुलन–पत्र की पूर्ण जांच के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अल्पावधि आधार पर ली गई निधियों का दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए निवेश नहीं किया है।

18. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अलग–अलग तारीखों को अपनी धारक कंपनी को 116 करोड़ रुपए की राशि वाले 10 प्रतिशत पूर्णतः परिवर्तनीय प्राथमिकता शेयर आबंटित किए हैं और जिन शर्तों के अंतर्गत यह आबंटन किया गया है, वे कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

19. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा के वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं ।

20. कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यू जारी कर कोई पूंजी अर्जित नहीं की है।

21. भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की खाता बही और रिकॉर्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पाई गई और न ही इस संबंध में कोई रिपोर्ट की गई है और न ही प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले के बारे में हमें सूचित किया गया है।

कृते के एस जे एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(सदस्यता संख्या 016024एन)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

सचिन जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 095984

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)
31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रुपए में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
इक्विटी और देयताएं			
शेयरधारकों की निधियां			
शेयर पूंजी	1	3,000,000,000	1,099,900,000
आरक्षित और अधिशेष निधियां	2	112,431,326	(20,213,902)
गैर–चालू देयताएं			
दीर्घकालीन प्रावधान	3	601,675	–
चालू देयताएं			
अल्पावधि ऋण	4	2,412,700	–
अन्य चालू देयताएं	5	9,373,201	2,070,134
अल्पावधि प्रावधान	6	19,900	–
योग		**3,124,838,80**	**1,081,756,232**
परिसंपत्तियां			
गैर–चालू परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	7		
– मूर्त परिसंपत्तियां			
– सकल ब्लॉक	774,813		
– संचित मूल्यह्रास	(252,298)	522,515	289,546
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)		5,998,660	5,784,590
दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	8	242,939,522	1,402,462
चालू परिसंपत्तियां			
नकदी और बैंकों में जमा नकदी	9	2,791,332,667	1,070,504,048
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	10	8,672,992	708,243
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	75,372,446	3,087,323
योग		**3,124,838,802**	**1,081,756,323**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां भाग –ख
लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां भाग –ग
नोट 'क' से 'ग' लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(रचना सिंह)	(ए. चक्रवर्ती)	(आर. नागराजन)	(एम. के. गोयल)
कंपनी सचिव	सीईओ	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते के एस जे एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(सदस्यता संख्या 016024एन)
सचिन जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 095984

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)
31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार लाभ और हानि का विवरण

(राशि रुपए में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
प्रचालन से प्राप्त राजस्व	12	226,862,720	5486,992
अन्य आय	13	226,191	195,879
I **कुल राजस्व**		**227,088,911**	**5,682,871**
व्यय:			
ब्याज, वित्तीय और अन्य प्रभार	14	341,248	202
कार्मिकों के लाभार्थ व्यय	15	21,940,485	7,279,196
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान		521,575	–
मूल्यह्रास और ऋण मोचन व्यय	7	136,852	109,468
अन्य व्यय	16	8,934,732	762,607
II **कुल व्यय**		**31,974,892**	**8,151,473**
III **आपवादिक और असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (I-II)**		**195,114,019**	**(2,468,602)**
Iv आपवादिक मदें		–	–
v **असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**195,114,019**	**(2,468,602)**
vi असाधारण मदें		–	–
VII **कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**195,114,019**	**(2,468,602)**
VII कर संबंधी व्यय:			
(1) चालू कर		62,682,861	–
(2) आस्थगित कर देयता (+)/परिसंपत्तियां (–)		(214,070)	1,508,018
IX **जारी प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ/ (हानि) (VII-VIII)**		**132,645,228**	**(3,976,620)**
X **अवधि के लिए लाभ (हानि) (IX)**		**132,645,228**	**(3,976,620)**
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन			
(1) आधारभूत		–	(0.71)
(2) मिश्रित		–	(0.71)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां भाग ख
लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां भाग ग
नोट 'क' से 'ग' लेखाओं के अभिन्न अंग हैं ।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(रचना सिंह)	(ए. चक्रवर्ती)	(आर. नागराजन)	(एम. के. गोयल)
कंपनी सचिव	सीईओ	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते के एस जे एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(सदस्यता संख्या 016024एन)
सचिन जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 095984

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

नोट : भाग क

1. शेयर पूंजी

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत		
प्रत्येक 10 रुपए के 20,00,00,000 प्राथमिकता शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रुपए के 20,00,00,000 प्राथमिकता शेयर)	2,000,000,000	2,000,000,000
प्रत्येक 10 रुपए के 100,00,00,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक प्रत्येक 10 रुपए के 100,00,00,000 इक्विटी शेयर)	10,000,000,000	10,000,000,000
जारी		
प्रत्येक 10 रुपए के 840,00,000 10 प्रतिशत पूर्णतः परिवर्तनीय संचित प्राथमिकता शेयर (गत वर्ष शून्य)	2,000,000,000	840,000,000
प्रत्येक 10 रुपए के 2,59,90,000 पूर्णतः प्रदत्त शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रुपए के 2,59,90,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर)	1,000,000,000	259,900,000
सब्सक्राइब्ड और प्रदत्त		
प्रत्येक 10 रुपए के 20,00,00,000 10 प्रतिशत पूर्णतः परिवर्तनीय संचित प्राथमिकता शेयर (गत वर्ष 8,40,00,000)	2,000,000,000	840,000,000
प्रत्येक 10 रुपए के 10,00,00,000 पूर्णतः प्रदत्त शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रुपए के 2,59,90,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर)	1,000,000,000	259,900,000
योग	**3,000,000,000**	1,099,900,000

1 (क) शेयरों से संबद्ध शर्तें/अधिकार

इक्विटी शेयर

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं ,जिनका मूल्य 10 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट देने के लिए पात्र है। कंपनी के परिसमापन के मामले में इक्विटी शेयर धारक सभी प्राथमिक राशियों के विवरण के पश्चात् कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह वितरण शेयर धारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

प्राथमिकता शेयर

कंपनी ने निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के साथ 10 रुपए अंकित मूल्य के 20,00,00,000 10: पूर्णतः परिवर्तनीय संचित प्राथमिकता शेयर (एफसीपीएस) जारी किए हैं:

(i) लाभांश का भुगतान तब किया जाएगा जब वितरण के लिए लाभ उपलब्ध होगा।

(ii) विहित कूपन दर 10% है।

(iii) एफसीपीएस पर लाभांश का भुगतान संचित आधार पर किया जाएगा।

(iv) परिवर्तन की तारीख और मूल्य आपसी आधार पर सहमत शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(v) लाभांश की गणना प्राथमिकता शेयरों के इस प्रकार आबंटन की तारीख से की जाएगी ।

(vi) एफसीपीएस के परिवर्तन हेतु परिवर्तन अधिकारों का इस्तेमाल उत्तरवर्ती वर्ष उस वर्ष में जब कंपनी प्राथमिकता शेयरों पर संचित लाभांश की घोषणा और भुगतान करने के लिए पर्याप्त लाभ अर्जित करती है, में किया जाए।

1 (ख) कंपनी में 5 : से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
– शेयरधारिता का %	100%	100%
– रखे गए शेयरों की संख्या (10 प्रतिशत पूर्णतः परिवर्तनीय संचित प्राथमिकता शेयर)	2,00,000,000	84,000,000
– राशि रुपए में	2,000,000,000	840,000,000
– धारित शेयरों की संख्या (इक्विटी शेयर)	100,000,000	25,990,000
– राशि रुपए में	1000,000,000	259,900,000

1(ग) रिपोर्टिंग अवधि की प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का पुनर्मिलान

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
इक्विटी शेयर				
– अवधि की शुरूआत में	25,990,000	259,900,000	4,990,000	4,990,000
– अवधि के दौरान जारी किए गए	74,010,000	740,100,000	21,000,000	21,000,000
– अवधि के अंत में बकाया	100,000,000	1,000,000,000	25,990,000	259,900,000
अधिमान शेयर				
– अवधि की शुरूआत में	84,000,000	840,000,000	–	–
– अवधि के दौरान जारी किए गए	116,000,000	1,160,000,000	84,000,000	840,000,000
– अवधि के अंत में बकाया	200,000,000	2,000,000,000	84,000,000	840,000,000

2 संचित कोष और अधिशेष निधियां

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
(क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत सांविधिक संचित कोष निधियां		
आदिशेष	–	–
(+) लाभ और हानि विनियोजन से स्थानांतरण	26,529,046	–
इतिशेष	**26,529,046**	–
(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशिष्ट संचित कोष निधियां		
आदिशेष	–	–
(+) लाभ और हानि विनियोजन से स्थानांतरण	2,954,543	–
इतिशेष	**2,954,543**	–
(ग) आदिशेष		
अथशेष	**(20,213,902)**	**(16,237,282)**
(+) वर्ष के दौरान लाभ और हानि विनियोजन से प्राप्त अधिशेष निधियां	103,161,639	3,976,620
इतिशेष	82,947,737	(20,213,902)
इतिशेष	**112,431,326**	**(20,213,902)**
लाभ और हानि विनियोजन वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ	132,645,228	(3,976,620)
घटाएं : भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईसी के तहत सांविधिक संचित कोषीय निधियां	26,529,046	–
घटाएं: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत विशिष्ट संचित कोषीय निधियां	2,954,543	–
योग	**103,161,639**	**(3,976,620)**

3. दीर्घकालिक प्रावधान

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
मानक संपत्तियों के विरूद्ध आकस्मिक प्रावधान	601,675	–
योग	**601,675**	–

4. अल्पावधि ऋण

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
प्रतिभूत		
(क) सावधि जमा के विरूद्ध ऋण	2,412,700	–
योग	**2,412,700**	–

नोट: आरबीआई के दिनांक 02 जुलाई 2012 के परिपत्र (संदर्भ संख्या डीएनबीएस (पीडी) सीसी सं. 279/3.02.2011/2012–13) के संदर्भ में 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, कोई भी ऋण (गत वर्ष ₹ शून्य) अधिक अवधि तक देय नहीं रहा।

5. अन्य चालू देयताएं

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
ऋणों पर संचित परंतु देय नहीं ब्याज	2,549	–
सुरक्षा/अन्य जमा राशियां	366,670	–
देय टीडीएस	536,873	58,462
धारक कंपनी/पीएफसी को देय राशियां	4,049,682	–
देय व्यय	372,046	140,223
कार्मिकों को देय (पीआरपी और अन्य)	2,849,951	1,871,449
अन्य देय राशियां	1,195,430	–
योग	**9,373,201**	**2,070,134**

6. अल्पावधि प्रावधान

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
मानक परिसंपत्तियों के विरूद्ध आकस्मिक प्रावधान	19,900	–
योग	**19,900**	–

7. स्थायी परिसंपत्तियां

(राशि रुपए में)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास			निवल ब्लाक		
	01.04.2013 की स्थिति के अनुसार	वृद्धि/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार	01.04.2013 की स्थिति के अनुसार	वर्ष की मूल्यह्रास राशि	निपटान पर	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
ईडीपी उपस्कर	299,833	285,490	–	585,323	111,149	111,574	–	222,723	362,600	188,684
कार्यालयी उपकरण	109,764	97,490	17,764	189,490	8,902	25,278	4,605	29,575	159,915	100,862
योग	**409,597**	**382,980**	**17,764**	**774,813**	**120,051**	**136,852**	**4,605**	**252,298**	**522,515**	**289,546**
गत वर्ष	242,597	167,000	–	409,597	10,583	109,468	–	120,051	289,546	232,014

8. दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
प्रतिभूत और सही माना गया		
स्वतंत्र विद्युत क्रेताओं को रुपी टर्म लोन (आरटीएल)	240,670,000	–
अप्रतिभूत और सही माना गया		
– कार्मिकों को अग्रिम	840,075	416,294
– बेवसाइट विकास के लिए अग्रिम	–	682,439
– आयकर विभाग से वसूल की जाने वाली राशि (आयकर रिफंड)	300,223	3,526
– अग्रिम आय कर और स्रोत पर कर की कटौती (प्रावधान का निवल)	1,129,224	300,223
योग	**242,939,522**	**1,402,482**

9. नकदी और बैंक में जमा राशि

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
(क) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां		
क. बैंकों में जमा राशियां		
– चालू खाता	2,667	31,048
– सावधि जमा (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह अथवा उससे कम है)	12,500,000	1,070,473,000
(ख). अन्य बकाया राशियां		
– सावधि जमा (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक परंतु 12 माह से कम है)	2,778,830,000	–
योग	**2,791,332,667**	**1,070,504,048**

10. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
प्रतिभूत और सही माना गया		
स्वतंत्र विद्युत क्रेताओं को रुपी टर्म लोन (चालू परिपक्वता)	7,960,000	–
अप्रतिभूत और सही माना गया		
प्रतिभूत जमा राशियां	169,060	93,500
– संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम	–	342,299
– कार्मिकों को अग्रिम (चालू परिपक्वता)	543,932	272,444
योग	**8,672,992**	**708,243**

11. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
ऋण परिसंपत्तियों पर संचित परंतु देय नहीं ब्याज	5,516,114	–
जमा राशियों और निवेश पर संचित परंतु देय नहीं ब्याज	69,638,606	3,055,603
सेवनैट क्रेडिट	217,726	11,720
योग	**75,372,448**	**3,067,323**

12. प्रचालन से आय

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
ऋणों पर ब्याज	17,229,148	–
ऋणों पर अपफ्रंट शुल्क	10,298,250	500,000
प्रबंधन, एजेंसी और गारंटी शुल्क	3,405,024	–
अधिशेष निधियों से आय	195,932,300	4,986,992
योग	**226,892,720**	**5,486,992**

13. अन्य आय

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
वापस बट्टेखाते में डाली गई अतिरिक्त देयताएं	225,997	194,958
आयकर रिफंड पर ब्याज	194	–
विविध आय	–	921
योग	**226,191**	**195,879**

14. ब्याज, वित्तपोषण और अन्य प्रभार

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
ऋणों पर ब्याज	339,019	–
बैंक प्रभार	2,229	202
योग	341,248	202

15. कार्मिकों के लाभार्थ व्यय

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
वेतन और मजदूरी	15,049,960	5,400,273
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	1,751,844	571,732
कार्मिकों के आवासीय घरों के लिए किराया	2,048,711	1,023,109
कार्मिक कल्याण	3,089,970	284,082
योग	**21,940,485**	**7,279,198**

16. अन्य व्यय

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
विद्युत और जल प्रभाव	185,147	1,500
बीमा	7,144	–
सुधार कार्य और रख–रखाव	945,441	19,520
मुद्रण और स्टेशनरी	160,097	11,754
दौरा और यात्रा भत्ता व्यय	1,639,154	244,768
डाक, टेलीग्राफ और टेलीफोन व्यय	389,943	115,902
व्यवसायिक और परामर्श प्रभाग	3,062,243	20,918
लेखापरीक्षकों का मेहनताना	75,000	56,854
सेवा कर	129,832	–
दरें और कर	176,552	–
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	13,159	
विविध व्यय		
– किताबें और आवधिक पत्र–पत्रिकाएं	7,080	–
– व्यापार संवर्धन/संबंधित व्यय	104,902	23,109
– सम्मेलन और बैठक व्यय	500	21,341
– सुरक्षा व्यय	272,331	–
– प्रशिक्षण व्यय	212,603	6,995
– ईडीपी व्यय	897,619	–
– ब्रोकरेज व्यय	48,580	24,000
– जमीन का किराया	136,131	–
– हिंदी संवर्धन व्यय	35,807	–
– जनशक्ति व्यय (संविदा आधार पर)	435,487	209,403
योग	**8,934,732**	**782,807**

16 (क) लेखापरीक्षकों का मेहनताना

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	65,000	41,854
अन्य सेवाएं	10,000	15,000
योग	**75,000**	**56,854**

नोट : भाग (ख)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आधार

1.1 वित्तीय विवरण कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली 2006 और कंपनी अधिनियम 1956 के संगत प्रावधानों के तहत अधिसूचित सामान्य स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और लेखांकन मानकों के अनुरूप, एतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार संचित आधार पर तैयार किए गए हैं।

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टाधीन अवधि के लिए रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि, राजस्व और व्यय का अनुमान और पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं और/अथवा उन्हें मूर्तरूप दिया जाता है।

2. आय/व्यय की मान्यता

2.1 आय और व्यय की गणना अन्यथा उल्लेख न किए जाने तक संचित आधार पर की जाती है।

2.2 ऋणकर्ता के खाते में वसूलियों का विनियोजन ऋण करार के अनुसार किया जाता है।

2.3 कंपनी ऋण करार के अनुसार, देय मूलधन की किश्तों के लिए मांग प्रस्तुत करती है। विभिन्न संवितरणों पर वसूल किए जा रहे ब्याज की दर की परवाह किए बिना पूर्ववर्ती संवितरण के विरूद्ध पुनर्भुगतान का समायोजन किया जाता है।

2.4 पूर्वावधि व्यय/आय और 5000 रुपए तक के पूर्व भुगतान व्यय को लेखा के प्राकृतिक शीर्ष से प्रभारित किया जाता है।

3. स्थायी परिसंपत्तियां/मूल्यह्रास

3.1 स्थायी परिसंपत्तियां संचित मूल्यह्रास और सुधार कार्य संबंधी हानियों, यदि कोई हैं, को घटाकर एतिहासिक लागत पर दर्शाई जाती हैं। ऐसी परिसंपत्तियां, जिनका सक्रिय प्रयोग नहीं किया जाना है और जो निपटान के लिए रखी गई हैं, जिन्हें बही मूल्य अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य की तुलना में कम दर्शाया गया है।

3.2 स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का लाभ कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत, निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति के अनुसार प्रोरेटा आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

3.3 वर्ष के दौरान, 5000 रुपए तक की स्थायी परिसंपत्तियों की मदों पर मूल्यह्रास का पूरा लाभ दिया जाता है।

4. **धारक कंपनी द्वारा किया गया व्यय**

कंपनी की ओर से धारक कंपनी द्वारा किए गए व्यय को संचित आधार पर मान्यता दी जाती है और उसे धारक कंपनी को अन्य चालू देयताएं/ धारक कंपनी से वसूल किए जाने वाले ऋण और अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

5. **प्रावधान और आकस्मिकताएं**

5.1 किसी प्रावधान को मान्यता उस समय दी जाती है जब कंपनी की किसी पुरानी घटना के परिणामस्वरूप, कोई वर्तमान देयता होती है और इस बात की संभावना रहती है कि उपर्युक्त बाध्यता का समाधान करने के लिए संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा तथा जिनके संबंध में कोई विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो। तुलन–पत्र की तारीख को बाध्यता के निपटान हेतु आवश्यक प्रबंधन के अनुमान के आधार पर यथा निर्धारित प्रावधानों के वर्तमान मूल्य में कोई छूट नहीं दी जाती है। इनकी प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है। प्रबंधन के वर्तमान अनुमानों को दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

5.2 आकस्मिक देयताओं को वर्तमान मूल्य पर दर्शाया जाता है। आकस्मिक देयताओं का प्रकटन कंपनी प्रबंधन / तुलन–पत्र की तारीख को उपलब्ध सूचना के आधार पर किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है प्रबंधन के वर्तमान अनुमानों को दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

5.3 मानक परिसंपत्तियों के विरूद्ध आकस्मिक प्रावधान आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बकाया मानक परिसंपत्तियों के 0.25% पर एक सामान्य प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता है।

6. कार्मिक लाभ

ग्रेच्यूटी, छुट्टी, नकदीकरण, सेवानिवृति पश्चात् चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर स्थानांतरण यात्रा भत्ता, कार्मिकों को दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार, कार्मिक कल्याण, सेवानिवृत्ति पर उपहार और आर्थिक पुनर्वास योजना के संदर्भ में कार्मिक लाभों से संबंधित देयताओं का निर्धारण वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार धारक कंपनी द्वारा किया जाता है। कंपनी धारक कंपनी द्वारा बनाए गए और प्रबंधित बहुत से निधि कोषों में अंशदान करती है और उसके द्वारा उनका विनियोजन किया जाता है।

7. आय पर कर

7.1 कराधान के प्रावधान में आय कर और आस्थगित कर के लिए प्रावधान शामिल होता है। वर्तमान आय कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार लागू दर पर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें ब्याज संबंधी देयता, यदि कोई है, शामिल है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयताओं की गणना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के आय पर कर के लिए लेखांकन पर आधारित लेखांकन मानक–22 के अंतर्गत अधिसूचित सिद्धान्तों के अनुसार की गई है।

7.2 चूंकि कंपनी ने निदेशक मंडल के स्तर पर यह संकल्प पारित किया है कि इसका आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत बनाई गई विशेष आरक्षित निधियों से आहरण करने का इरादा नहीं है, अत: बनाई गई विशेष आरक्षित निधि आरक्षित रखे जाने में सक्षम नहीं है और इस प्रकार इसमें स्थाई अंतर हो जाता है। तदनुसार कंपनी उपर्युक्त संचित कोषीय निधि पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं करती है।

8. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण पर लेखांकन मानक– 3 में यथाविहित अप्रत्यक्ष पद्धति का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं।

नोट – भाग (ग)

लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां

1. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसी जीईएल) की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 30 मार्च 2011 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में की गई। कंपनी को अपना व्यावसाय प्रारंभ करने के लिए कंपनियों के पंजीयक से 30 जुलाई 2011 को प्रमाण–पत्र प्राप्त हुआ है। अपने मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक से गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप मे कार्य करने के लिए प्रमाण–पत्र 01 अक्टूबर, 2012 को प्राप्त हुआ है।

2. कंपनी के सभी कार्मिक धारक कंपनी अर्थात् पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से हैं। ग्रेच्यूटी, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृति पश्चात् चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर स्थानांतरण यात्रा भत्ता, सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल लाभ तथा सेवानिवृत्ति मद में कंपनी का योगदान इत्यादि के लिए देयताओं का निर्धारण वास्तविक मूल्यांकन/ गणना के आधार पर धारक कंपनी द्वारा बांटी गई राशि के अनुसार उन किताबों में निर्धारण किया गया है।

   पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी, पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में कार्यरत कार्मिकों के ग्रेच्यूटी, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृति पश्चात् चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति और अन्य लाभ के कार्मिक लाभ खर्च इस वित्तीय वर्ष के लिए 21,62,854 रुपए (गत वर्ष 2,47,866 रुपए) है। इनके विवरण निम्नानुसार हैं:

क सं.	विवरण	राशि (रुपए) 31.03.2014 के अनुसार	राशि (रुपए) 31.03.2013 के अनुसार
1	ग्रेच्युटी	1,87,591	48,413
2	पीआरएमएस	3,09,289	9,245
3	छुट्टी	14,55,823	1,18,708
4	अन्य (एलएसए, ईआरएस और बैगेज)	2,10,151	71,500
	योग	21,62,854	2,47,866

3. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी के द्वारा निम्नलिखित साझा व्यय को लेखा पुस्तक में बांटा/वितरित किया गया है:

विवरण	राशि (रुपए) 31.03.2014 के अनुसार)	राशि (रुपए) 31.03.2013 के अनुसार)
दौरा और यात्रा भत्ता व्यय	622,166	–
बिजली और पानी प्रभार	176,147	–
जमीन का किराया	136,131	–
दरें और कर (गृह कर और उपकर)	176,552	–
बीमा	7,144	–
डाक, टेलीग्राफ और टेलीफोन व्यय	104,844	–
हिंदी संवर्धन व्यय	35,432	–
मरम्मत और रख–रखाव (मूल्यह्रास सहित)	881,093	–
ईडीपी व्यय	220,741	–
मुद्रण और स्टेशनरी व्यय	123,379	–
प्रशिक्षण व्यय	27,625	–
किताबें और आवधिक पत्र–पत्रिकाएं	7,080	–
सुरक्षा व्यय	272,331	–
कानूनी और व्यवसायिक प्रभार	2,113	–
योग	2,792,778	–

*गत वर्ष 2012–13 के दौरान, पीएफसी द्वारा किसी भी प्रकार का व्यय आबंटित नहीं किया गया।

4. कंपनी के पास सेगमेंट रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक – 17 के संदर्भ में ऐसा एक से अधिक कोई सेगमेंट नहीं है, जिसके बारे में रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है।

5. जहां कहीं भी कंपनी की ओर से धारक कंपनी द्वारा कोई व्यय अथवा भुगतान किया जाता है, तो स्रोत पर कर की कटौती के संदर्भ में प्रक्रियागत और सांविधिक आवश्यकताओं तथा यथा लागू अन्य सांविधिक अनुपालनों को धारक कंपनी द्वारा ध्यान में रखा जाता है।

6. कंपनी की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रति कोई भी बकाया देयता नहीं है।

7. लेखांकन मानक (एएस) – 18 "संबंधित पक्षकार प्रकटन" के अनुसार प्रकटन

(क) संबंधित पक्षकारों के नाम और संबंध की प्रकृति

क्रं. सं.	संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	धारक कंपनी
2.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	

क्रं. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पदावधि समाप्त की तारीख होने
1	श्री सतनाम सिंह	अध्यक्ष	30.03.2011	13.09.2013
2	श्री एम. के. गोयल	अध्यक्ष	13.09.2013	जारी
		निदेशक	30.03.2011	13.09.2013
3	श्री आर. नागराजन	निदेशक	30.03.2011	जारी
4	श्री ए. के. अग्रवाल	निदेशक	30.08.2012	जारी
5	श्री ए. चक्रवर्ती	सीईओ	14.09.2012	जारी

(ख) संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन के विवरण

क्र. सं.	नाम	लेनदेन की प्रकृति	लेनदेन की मात्रा (वित्तीय वर्ष 01.04.2013 31.03.2014) (रुपए)	31.03.2014 को बकाया राशि (रुपए)	लेनदेन की मात्रा (वित्तीय वर्ष 01.04.2012 31.03.2013) (रुपए)	31.03.2014 को बकाया राशि (रुपए)
(i)	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पीएफसी जीईएल की ओर से पी. एफसी द्वारा किए गए व्यय	62,34,421		6,37,200	
		पीएफसी जीईएल और पीएफसी के बीच कार्मिकों को देय राशि का समायोजन	3,32,440	40,49,682	7,50,934	3,42,299
		पीएफसी के द्वारा पीएफसी जीईएल से प्राप्त की गई शेयर पूंजी	1,90,01,00,000		105,00,00,000	
		वापस बट्टे खाते में डाली गई अतिरिक्त देयताएं			2,28,565	
(ii)	श्री ए. चक्रवर्ती	वेतन और भत्ते	6,93,561		शून्य	
		भविष्य निधि और अन्य कल्याण निधि में योगदान	2,13,504	4,533	शून्य	शून्य
		अन्य अनुलब्धियां /भुगतान	1,22,298		शून्य	

8. **प्रचालन पट्टा**

कंपनी के प्रचालन पट्टे में हैं:

कार्मिकों के निवास के लिए उपयोग की गई जगह पट्टा समझौता पर आधारित होता है तथा यह आपसी समझौता शर्तों पर नवीनीकृत होते रहते हैं तथा खत्म भी होते हैं। कार्मिकों के आवासीय व्यवस्था के लिए किराया 20,48,711 रुपया (गत वर्ष 10,23,109 रुपए) है, जिसमें पट्टा भुगतान तथा कार्मिकों के आवास उपयोग हेतु स्थान के लिए वसूली भी सम्मिलित हैं। कार्मिकों के परिक्षेत्र के पट्टा भुगतान को कार्मिक लाभ व्यय के नोट सं. भाग क 15 में कामिकों के आवास स्थान के रूप में दर्शाया गया है।

9. निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां 59,98,660/– (31.03.2013 को 57,84,590/–रुपए) आयकर के लेखांकन मानक – 20 में दर्शाई गई हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	विवरण	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (रु.)	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (रु.)
क	आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
	आरंभिक व्यय	45,95,794	55,70,859
	कार्मिकों से संबंधित प्रावधान	14,51,388	2,45,921
योग (क)		60,47,182	58,16,580
ख	आस्थगित कर देयता		
	मूल्यह्रास	48,522	31,990
योग (ख)		48,522	31,990
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/ (देयता) (क – ख)		59,98,660	57,84,590

10. लेखांकन मानक – 20 "प्रति शेयर अर्जन " के अनुसार प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत और मिश्रित) की गणना निम्नानुसार की जाती है :

क्र. सं.	विवरण	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
क	इक्विटी अंशधारक को कर देने के पश्चात् निबल लाभ/(हानि) (रुपए)	–	(39,76,620)
ख	मिश्रित ईपीएस के लिए कर पश्चात् निवल लाभ/(हानि) (रुपए)	13,26,45,228	(39,76,620)
ग	आधारभूत ईपीएस की गणना में उपयोग किए गए इक्विटी की औसत संख्या	6,58,12,12,904	56,22,877
घ	मिश्रित ईपीएस की गणना में उपयोग किए गए इक्विटी की औसत संख्या	22,22,90,712	81,54,384
ड.	प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत) (रुपए)	–	(0.71)
च	प्रति शेयर अर्जन (मिश्रित) (रुपए)	–	(0.71)
छ	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपए)	10	10

*31.03.2014 को 10% पूर्णतः परिवर्तनीय संचित प्राथमिकता शेयर के कारण लाभांश का बकाया 15.90 करोड़ रुपए

11. अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई भी लेनदेन नहीं किया गया है।

12. लेखांकन मानक – 29 {ब्रैकेट ( )के आंकड़े 31.03.2013 के अनुसार} के अनुसार प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार हैं :

विवरण	अथशेष (01.04.2013 को) (क)	अवधि के दौरान योग (ख)	अवधि के दौरान भुगतान/ समायोजन (ग)	इतिशेष (31.03.2014 को) (घ) = (क+ख–ग)
मानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध आकस्मिक देयता	– शून्य	6,31,575 शून्य	10,000 शून्य	6,21,575 शून्य
बोनस/इंसेंटिव/आधारभूत लाइन प्रतिपूर्ति	18,34,912 (2,41,005)	51,77,401 (17,39,052)	(1,45,145)	42,13,363 27,98,950
आयकर	– शून्य	6,26,82,861 शून्य	– शून्य	6,26,82,861 शून्य

13. 31.03.2014 को 10 प्रतिशत पूर्णतः परिवर्तनीय संचित प्राथमिकता शेयर के लाभांश का बकाया। 15.90 करोड़ रुपए तथा यह न तो घोषित किया गया है तथा उन ही वर्ष के दौरान इसका संवितरण किया गया है।

14. पूंजीगत प्रतिबद्धता – शून्य रुपए (गत वर्ष– शून्य रुपए)

15. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुदेशों के अनुसार, लेखा में मानक परिसंपत्तियों के लिए एक आकस्मिक प्रावधान बकाया मानक परिसंपत्तियों के 0.25% यानि 6,21,575 (गत वर्ष: शून्य) दर्शाया गया है।

16. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अधिसूचना डीएनबीएस (पीडी) सीसी सं. 279/03.02. 001/2012–13 दिनांक 02 जुलाई 2012 के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है:

I. पूंजी पर्याप्तता अनुपात

(राशि रुपए में)

	मद	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार
i.	पूंजी निधि– क. चरण I	3,106,432,666
	ख. चरण II	621,575
ii.	जोखिम भारित परिसंपत्तियां	326,078,028
iii.	सीआरएआर	952.86%
iv.	सीआरएआर–चरण I पूंजी	952.67%
v.	सीआरएआर–चरण II पूंजी	0.19%

II. रियल एस्टेट क्षेत्रों का दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एक्सपोजर

31 मार्च 2014 तक कंपनी का रियल एस्टेट क्षेत्रों के लिए कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक्सपोजर नहीं है।

III. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च 2014 तक परिसंपत्तियों और देयताओं के कुछ मदों के परिपक्वता पैटर्न

(राशि रुपए में)

विवरण	1 महीने तक	1 महीने से ज्यादा और 2 महीने तक	2 महीने से ज्यादा और 3 महीने तक	3 महीने से ज्यादा और 6 महीने तक	6 महीने से ज्यादा और 1 साल तक	1 साल से ज्यादा और 3 साल तक	3 साल से ज्यादा और 5 साल तक	5 साल से ज्यादा	योग
देयता									
बैंकों से ऋण	2,412,700								
बाजार से ऋण									
परिसंपत्तियां									
वित्तीय कार्यकलाप के तहत प्राप्त	1,990,000			1,990,000	3,980,000	39,253,333	39,253,333	162,163,333	248,630,000
निवेश									

17. कंपनी ने इसकी स्थापना के समय से कोई अग्रिम पुनःसंरचित नहीं किया है और इस प्रकार आरबीआई की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी) सं. 272/सीजीएम (एनएसवी), दिनांक 23 जनवरी 2014 के तहत कोई भी पुनःसंरचित अग्रिम का प्रकटन जरूरी नहीं है।
18. आंकड़ों को अन्यथा और अथवा नजदीकी रुपए में राउंड ऑफ कर दिया गया है।
19. आवश्यक होने पर इस वर्ष के वर्गीकरण से समानता स्थपित करने के लिए गत वर्ष के आंकड़ों को री–ग्रुप / पुनः व्यवस्थित किया गया है।
20. 31.03.2014 को कोई भी आकस्मिक देयता नहीं है।
21. भाग क से भाग ग तक के नोट तुलन–पत्र और लाभ तथा हानि विवरण के अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(रचना सिंह)	(ए. चक्रवर्ती)	(आर. नागराजन)	(एम. के. गोयल)
कंपनी सचिव	**सीईओ**	**निदेशक**	**अध्यक्ष**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते के एस जे एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(सदस्यता संख्या 016024एन)
सचिन जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 095984

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

तुलन–पत्र के साथ संलग्न होने वाला अनुबंध (आरबीआई के निर्देशानुसार)

(पैराग्राफ 13 के शर्तों के अनुसार जरूरी विवरण गैर–बैंकिंग वित्तीय गैर जमा प्रतिग्रहण या धारक) कंपनी नियम (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश 2007

राशि (रुपए में)

विवरण			
देयताएं :			
(1)	गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी के द्वारा प्राप्त की गई ऋण और अग्रिम के साथ संचित ब्याज पर देय नहीं	बकाया रकम	पुरानी रकम
	(क) डिबेंचर : प्रतिभूतः	–	–
	अप्रतिभूतः	–	–
	(जन भुगतान के अलावा)		
	(ख) आस्थगित क्रेडिट	–	–
	(ग) सावधि ऋण	–	–
	(घ) अंतर्व्यापारिक ऋण और उधार	–	–
	(ड.) व्यवसायिक कागज	–	–
	(च) अन्य ऋण (अल्पावधि बैंक ऋण)	2,412,700	

राशि (रुपए में)

परिसंपत्तियां		बकाया रकम
(2)	ऋण और अग्रिम का विवरण सहित प्राप्त बिल (उनसे अन्यथा जो नीचे (4) में सम्मिलित हैं)	
	(क) प्रतिभूत	248,630,000
	(ख) अप्रतिभूत	2,982,514
(3)	एएफसी कार्यकलापों की ओर पट्टा परिसंपत्ति और स्टॉक ऑन हायर तथा दूसरी परिसंपत्ति की गणना	
	(i) विविध ऋणकर्ताओं के तहत पट्टा परिसंपत्ति सहित पट्टा किराया	
	(क) वित्तीय पट्टा	–
	(ख) प्रचालन पट्टा	–
	(ii) फुटकर कर्जदारों के तहत पट्टा किराया प्रभार सहित किराये पर लिया गया स्टॉक	
	(क) किराए पर ली गई परिसंपत्तियां	–
	(ख) पुनः कब्जा प्राप्त परिसंपत्तियां	–
	(iii) एएफसी गतिविधियों के मद में परिकलित अन्य ऋण	
	(क) ऐसे ऋण जहां परिसंपत्तियों का पुनः कब्जा प्राप्त किया गया है	–
	(ख) उपर्युक्त (क) से इतर अन्य ऋण	
(4)	निवेश का विवरण :	
	चालू निवेश	
	1. उद्धृत :	
	(i) शेयरः (क) इक्विटी	–
	(ख) प्राथमिकता	–
	(ii) डिबेंचर और बॉंड	
	(iii) म्यूचुअल फंड के यूनिट	
	(iv) सरकारी सुरक्षा	
	(v) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	

राशि (रुपए में)

परिसंपत्तियां		बकाया रकम
(2)	गैर उद्धृत :	
	(i) शेयरः (क) इक्विटी	
	(ख) प्राथमिकता	–
	(ii) डिबेंचर और बॉंड	–
	(iii) म्यूचुअल फंड के यूनिट	–
	(iv) सरकारी सुरक्षा	–
	(v) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	–
	दीर्घकालिक निवेशः	
1.	उद्धृत :	
	(i) शेयरः (क) इक्विटी	–
	(ख) प्राथमिकता	–
	(ii) डिबेंचर और बॉंड	–
	(iii) म्युचुअल फंड के यूनिट	–
	(iv) सरकारी सुरक्षा	–
	(v) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	–
2.	गैर उद्धृत :	
	(i) शेयरः (क) इक्विटी	
	(ख) प्राथमिकता	–
	(ii) डिबेंचर और बॉंड	–
	(iii) म्यूचुअल फंड के युनिट	–
	(iv) सरकारी सुरक्षा	–
	(v) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	
	योग	251,612,514

राशि (रुपए में)

(5)	ऊपर (2) और (3) में वित्तपोषण संपत्तियों के ऋणकर्ता ग्रुप के अनुसार वर्गीकरण :			
	श्रेणी	प्रावधानों के अनुसार निबल रकम		
		प्रतिभूत	अप्रतिभूत	योग
	1. संबंधित पक्षकार			
	(क) सहायक	–	–	–
	(ख) एक ही समूह की कंपनियां	–	–	–
	(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	–	–	–
	2. संबंधित पक्षकार के अलावा	248,630,00	2,982,514	251,612,514
	योग	248,630,000	2,982,514	251,612,514

राशि (रुपए में)

(6)	शेयरों और सुरक्षा (दोनों उद्धृत और गैर उद्धृत) सभी निवेशों (चालू और दीर्घकालीन) निवेशकर्ता ग्रुप के अनुसार वर्गीकरण		
	श्रेणी	बाजार मुल्य/ब्रेक अप अथवा उचित मुल्य अथवा एन ए वी	बुक वैल्यू (प्रावधानों को घटाकर
	1. संबंधित पक्षकार		
	(क) सहायक	–	–
	(ख) एक ही समूह की कंपनियां	–	–
	2. संबंधित पक्षकरों के अलावा	–	–
	योग	–	–

राशि (रुपए में)

(7)	**अन्य सूचना**	
	विवरण	**राशि**
	(i) सकल गैर निष्पादन परिसंपत्तियां	
	(क) संबंधित पक्षकार	–
	(ख) संबंधित पक्षकार के अलावा	–
	(ii) निवल गैर निष्पादन परिसंपत्तियां	
	(क) संबंधित पक्षकार	–
	(ख) संबंधित पक्षकार के अलावा	–
	(iii) कर्ज की संतुष्टि में अधिग्रहित परिसंपत्तियां	–

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(रचना सिंह)	(ए. चक्रवर्ती)	(आर. नागराजन)	(एम. के. गोयल)
कंपनी सचिव	सीईओ	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते के एस जे एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(सदस्यता संख्या 016024एन)
सचिन जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 095984

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)
31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में		31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में	
प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल हानि और असाधारण मदें	195,114,019		(2,468,602)	
योगे : निम्नलिखित के लिए समायोजन				
मूल्यह्रास	136,852	109,468		
परिसंपत्तियों की बिकी पर हानि	13,159			
आकस्मिक व्यय का प्रावधान	621,575	–		
सावधि जमा पर ब्याज आय	–		(4,986,992)	
कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पहले लाभ		195,885,605		(7,346,126)
वृद्धि / कमी				
ऋण संवितरण (निवल)	(248,630,000)	–		
देयताएं और प्रावधान	9,715,767		1,142,347	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	(2,851,139,872)		22,712,037	
अग्रिम (दीर्घावधि)	258,658	(3,089,795,447)	(1,098,733)	22,755,851
असाधारण मदों से पूर्व नकदी प्रवाह		(2,893,909,842)		15,409,525
आय कर वापसी		3,526		–
भुगतान किया गया आय कर		63,812,085		(300,223)
क प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह		(2,957,718,401)		15,109,302
निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :				
सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज		–	2,593,691	
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(382,980)		(167,000)	
ख निवेश संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह		(382,980)		2,426,691
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :				
इक्विटी शेयर जारी करना	740,100,000		210,000,000	
प्राथमिकता शेयर जारी करना	1,160,000,000		840,000,000	
ग वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		1,900,100,000		1,050,000,000
घ नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में निवल परिवर्तन	(क+ख+ग)	(1,058,001,381)	(क+ख+ग)	1,067,535,993
ङ अवधि की शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां		1,070,504,048		2,968,055
च अवधि की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य राशि	(घ +ङ.)	12,502,667	(घ +ङ.)	1,070,504,048
अवधि की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य राशि का विवरण				
बैंक में बकाया		2,667		31,048
सावधि जमा (जिनका 3 महीने या उससे कम की परिपक्वता है)		12,500,000		1,070,473,000
		12,502,667		1,070,504,048

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(रचना सिंह)	(ए. चक्रवर्ती)	(आर. नागराजन)	(एम. के. गोयल)
कंपनी सचिव	सीईओ	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते के एस जे एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(सदस्यता संख्या 016024एन)
सचिन जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 095984

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

पीएफसी कैपिटल एडवाइज़री सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

निदेशक रिपोर्ट 2013–14

सेवा में,
सदस्यगण
आपके निदेशकों को 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के निष्पादन पर तीसरी (3वीं) वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण और उन पर लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

विवरण	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
कुल आय	629.47	178.33
कुल व्यय	180.67	51.09
कर पूर्व लाभ	448.80	127.25
कर के लिए प्रावधान – चालू कर	147.96	44.81
– आस्थगित कर	(2.37)	(3.06)
कर पश्चात लाभ	303.21	85.50
गत वर्षों से आगे लाया गया लाभ	90.46	4.97
तुलन–पत्र में आगे लाया गया संचित लाभ	393.67	90.46

प्रचालनों की समीक्षा

- चालू वर्ष के लिए कुल आय गत वर्ष आईएनआर 178.33 लाख रूपए से बढ़कर आईएनआर 629.47 लाख रूपए हो गई है।
- चालू वर्ष के लिए कुल कर पूर्व लाभ गत वर्ष आईएनआर 127.25 लाख रूपए से बढ़कर आईएनआर 448.80 लाख रूपए हो गया है।
- चालू वर्ष के लिए गत वर्ष कुल कर पश्चात लाभ आईएनआर 85.50 लाख रुपए से बढ़कर आईएनआर 303.21 लाख रूपए हो गया है।
- चालू वर्ष के लिए गत वर्ष कुल प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) आईएनआर 85.50 लाख रुपए से बढ़कर आईएनआर 303.21लाख रुपए हो गया है ।

प्रचालनात्मक विशेषताएं

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान आपकी कंपनी ने निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं के लिए सिंडिकेशन कार्यकलाप शुरु/संचालित किए:

- छत्तीसगढ़ के जांजगीर–चंपा जिला स्थित आरकेएमपीपीएल के चरण–। 1ग360 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट हेतु
- छत्तीसगढ़ के जांजगीर–चंपा जिला स्थित आरकेएमपीपीएल के चरण–।। 3ग360 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के कॉस्ट–ओवर–रन हेतु
- जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिला स्थित चिनाव नदी पर 850 मेगावाट क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना के लिए जीवीके रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के कॉस्ट–ओवर–रन हेतु
- महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 5ग270 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना के चरण–1 के लिए इंडियाबुल्स पावर लिमिटेड के कॉस्ट ओवर रन हेतु
- महाराष्ट्र के बीड़ जिले में 25.2 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना के लिए रिन्यू विंड एनर्जी (वेलतुरी) प्राइवेट लिमिटेड के लिए
- महाराष्ट्र के नासिक जिले में 5ग270 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना के चरण–1 के लिए इंडियाबुल्स रिअलटेक लिमिटेड के कॉस्ट ओवर रन हेतु

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपकी कंपनी ने लगभग 1060 करोड़ रुपए के कर्ज को कम लागत पर बैंको और वित्तीय संस्थानों को सौंप दिया।

कंपनी घरेलू ऋणदाताओं के साथ भी नेटवर्किंग कर रही है और इसने मार्च 2014 में विद्युत क्षेत्र के ऋणदाता क्लब की बैठक आयोजित की। पीएफसीसीएएस लिमिटेड लगातार अपना मासिक समाचारपत्र प्रकाशित कर रही है, जिसे विद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण विकास से जुड़े विभिन्न ऋणदाताओं के बीच प्रचालित किया जाता है।

व्यापार

आपकी कंपनी वर्तमान में ऋण सिंडीकेशन सेवाएं प्रदान कर रही है और पीएफसी द्वारा अंडरराइट किए गए परियोजना ऋणों की कम कीमत पर बिक्री (डाउन सेलिंग) का भी कार्य कर रही है। कंपनी विद्युत क्षेत्र के विभिन्न परिक्षेत्रों अर्थात ताप, जलविद्युत, पवन और सौर से जुड़ी सिंडिकेशन प्रस्तावों पर कार्रवाई कर रही है।

इसके अलावा आपकी कंपनी ने अपने सेवा पोर्टफोलियो के विस्तार और विवधीकरण के लिए भी कदम उठाए हैं। कंपनी ने सेबी से डिबेंचर न्यासी के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र स्वीकृत करने के लिए आवेदन किया है और इस पर कार्रवाई चल रही है।

लाभांश

कंपनी के व्यवसाय के लिए संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से आपके निदेशकों ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कोई लाभांश घोषित न करने और लाभों को कंपनी की आरक्षित और अधिशेष निधियों के रूप में आगे ले जाने का निश्चय किया है।

शेयर पूंजी

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी की पूंजीगत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। 31 मार्च, 2014 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी आईएनआर 1,00,00,000 रुपए (एक करोड़ रुपए मात्र) थी जो आईएनआर 10 रुपए के 10,00,000 (दस लाख) इक्विटी शेयरों के रूप में विभाजित है और जारी, सब्सक्राइब और प्रदत्त शेयर पूंजी 10,00,000 (दस लाख रुपए) है, जो आईएनआर 10 रुपए के 1,00,000 (एक लाख) इक्विटी शेयरों के रूप में विभाजित है। अवधि के दौरान कंपनी की संपूर्ण शेयर पूंजी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के साथ – साथ इसके नामितियों द्वारा अपने पास रखी जाती है।

सावधि जमा राशियां

कंपनी (जमा राशियों की स्वीकृति) नियमावली 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

कार्मिक

कंपनी पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है और कंपनी में कार्यरत सभी कार्मिक पीएफसी के कार्मिक हैं तथा कार्मिक विकास से संबंधित मामलों में धारक कंपनी द्वारा ही कार्रवाई की जा रही है।

लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक और महा लेखा–परीक्षक द्वारा अपने पत्र दिनांक 26 अगस्त, 2013 के तहत मैसर्स ए. एन. के. एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। मैसर्स ए. एन. के. एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिए कंपनी के लेखाओं की सांविधिक लेखा–परीक्षा की थी और कंपनी के लेखाओं पर लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणियां, अवलोकन अथवा आरक्षण नहीं पाए गए हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाला अर्जन और बहिर्गमन

चूंकि आपकी कंपनी के कार्यकलापों में कोई विनिर्माण संबंधी कार्यकलाप शामिल नहीं हैं, अतः कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी कोई महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय से कोई अर्जन अथवा बहिर्गमन नहीं हुआ है ।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कार्मिकों के विवरण

कंपनी पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है और कंपनी में कार्यरत सभी कार्मिक पीएफसी के कार्मिक हैं। हालांकि वर्तमान में कंपनी के लिए कार्यरत कार्मिकों से संबंधित सभी भुगतान सीधे कंपनी द्वारा किए जा रहे हैं।

चूंकि कंपनी का कोई भी कार्मिक कंपनी (कार्मिकों के विवरण) संशोधन नियमावली, 2011 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत यथा विहित सीमाओं के समतुल्य अथवा उससे अधिक मेहनताना प्राप्त नहीं करते हैं, अतः कार्मिकों के विवरण संबंधी विवरण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

निदेशक

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए है

श्री ए के अग्रवाल को कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री सतनाम सिंह का दिनांक 13.09.2013 से कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया। कंपनी के निदेशक कंपनी की वृद्धि और विकास की दिशा में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और उनके योगदान के लिए उनकी हार्दिक प्रशंसा करते हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार श्री आर नागराजन कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होने के नाते उन्हें पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दिया जाएगाा ।

राजभाषा

कंपनी के कार्यकलापों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

सहायक कंपनियां

कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 का अनुपालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा समीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों की कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ख) के अंतर्गत एक अनुपूरक लेखा–परीक्षा आयोजित की है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने दिनांक 04 जुलाई 2014 के पत्र के जरिए उल्लेख किया है कि उनकी लेखा–परीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ भी उनकी जानकारी में नहीं आया है जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत किसी अनुपूरक सांविधिक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी देगा। इस संबंध में सी एंड एजी द्वारा जारी किए गए पत्र की प्रति अनुबंध 1 में दी गई है।

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत यथावश्यक आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और वास्तविक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों और समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लाभों की स्थिति की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया है।

(घ) निदेशकों ने 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे एक जारी (निरंतर कार्यरत) कंपनी के रूप में तैयार किए हैं।

अन्य संसूचना

पीसीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक संसूचना निम्न है।

विवरण	अनुबंध
प्रबंधन चर्चा	II
निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट	III

स्वीकारोक्ति

निदेशक केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रति कंपनी को उनके द्वारा दी गई सहायता, किए गए उत्साहवर्धन हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कंपनी विशेषरूप से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेडड, धारक कंपनी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, डीपीई, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा–परीक्षकों, बैंको और ऐसे ग्राहकों जिनके सक्रिय सहयोग के बिना समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी की उपलब्धियां संभव ही नहीं थी, के प्रति उनके निरंतर सहयोग, सुझाव और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ हैं और धन्यवाद ज्ञापित करती है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
(एम के गोयल)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08 अगस्त, 2014

अनुबंध 1

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पीएफसी कैपिटल एडवाइज़री सर्विसिज लिमिटेड, नई दिल्ली कवेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार पीएफसी कैपिटल एडवाईज़री सर्विसेज़ लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा–परीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया द्वारा यथानिर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा–परीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि ये कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 15 मई 2014 की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महा लेखा–परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ख) के अंतर्गत एक अनुपूरक लेखा–परीक्षा आयोजित की है। यह अनुपूरक लेखा–परीक्षा बिना किसी कागजी सांविधिक लेखा–परीक्षा के स्वतंत्रापूर्वक की गई है तथा यह प्रथमतः सांविधिक लेखा–परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की जांच तथा लेखा रिकॉर्डों के पूर्ण परीक्षण पर आधारित है। मेरी लेखा–परीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ भी मेरी जानकारी में नहीं आया है जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत किसी अनुपूरक सांविधिक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी देगा।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा–परीक्षक
के लिए और की ओर से

(तनुजा एस मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा–परीक्षक और
पदेन सदस्य लेखा–परीक्षा बोर्ड – III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04 जुलाई, 2014

अनुबंध –II

प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी के प्रबंधन को वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी के निष्पादन सहित औद्योगिक परिदृश्य पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1 अर्थव्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2013–14 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 5: से भी कम रही। जहां एक ओर कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने बड़े कायाकल्प के संकेत दर्शाए, वहीं दूसरी ओर विनिर्माण क्षेत्र कमजोर बना रहा। चालू खाता घाटा (सीएडी) वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान जीडीपी के 4.7: की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान जीडीपी के 1.7: तक कम हो गया, जिसे घरेलू मांग कमजोर होने के कारण सोने के आयात, गैर–तैलीय पदार्थों के आयात में कमी से समर्थन मिला। आर्थिक सर्वेक्षण 2013–14 में यह अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5.4 से 5.9: के बीच रहेगी।

II. उद्योग ढांचा और विकास

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान देश में 17825 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता योगी गई। यह क्षमता अभिवृद्धि विभिन्न स्रोतों और प्रौद्योगिकियों के जरिए की गई है, जो सुपर क्रिटिकल यूएमपीपी से लेकर छोटे आकार वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से संभव हुई है। मार्च 2014 के अंत में एकीकृत रूप से कुल उत्पादन क्षमता 243,028 मेगावाट थी।

विद्युत पारेषण के क्षेत्र में दक्षिणी ग्रिड को देश के शेष ग्रिड के साथ उस समय योगा गया जब 765 केवी रायचूर– शोलापुर सिंगल सर्किट पारेषण लाइन की स्थापना की गई। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय सीमाओं से पार वृहद मात्रा में विद्युत के स्थानांतरण को सुकर बनाया जा सका।

III. दृष्टिकोण

केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि पर दिए जा रहे जोर को ध्यान में रखते हुए आने वाले वर्षों में विद्युत की मांग और अधिक बढ़ने की संभावना है। विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के रुझानों को देखते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में निजी क्षेत्र द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए जाने की अपेक्षा है।

सृजित की गई उत्पादन क्षमता के अधिकतम इस्तेमाल का लक्ष्य हासिल करने के साथ–साथ विद्युत क्षेत्र में अधिक निवेश को चैनेलाइज करने के लिए विद्युत उत्पादन स्टेशनों को ईंधन विशेष रूप से कोयला और गैस की आपूर्ति समय पर करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इनकी उपलब्धता को सुकर बनाने के प्रयोजन से विद्युत क्षेत्र के लिए आवश्यक नीतिगत परिवर्तनों को नई सरकार द्वारा समय पर कार्यान्वित किया जाएगा।

IV. क्षेत्रवार अथवा उत्पादवार निष्पादन

कंपनी वर्तमान में ऋणों के सिंडिकेशन और विद्युत क्षेत्र में ऋणों की डाउनसेलिंग का कार्य कर रही है और इसका एक से अधिक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जिसके बारे में रिपोर्ट करना आवश्यक है।

V. जोखिम और चिंताएं

कंपनी अपने प्रचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संभावित जोखिमों की सक्रिय रूप से पहचान करती है और जोखिमों के समाधान के लिए समय पर कार्रवाई करती है। कंपनी एक ढांचागत रूपरेखा अर्थात जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है, जिससे कंपनी की जोखिम पहचान और उन्मूलन प्रक्रिया में और अधिक सुधार होगा। यह रुपरेखा इस ढंग से डिजाइन की जा रही है, जिससे कि जोखिमों की पहचान, रिकॉर्डिंग, निगरानी, रिपोर्टिंग, समीक्षा, उन्मूलन आदि आसानी से की जा सके।

VI. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता

कंपनी के पास अपने प्रचालनों के आकार के अनुरूप उपयुक्त निगरानी प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध हैं। यह प्रणाली कंपनी के विभिन्न लेनदेनों की समय पर निष्पक्ष रिपोर्टिंग सुनिश्चित करती है। आंतरिक लेखा–परीक्षा में ऐसे वित्तीय और अन्य रिकॉर्डों सहित कंपनी के संपूर्ण प्रचालनों को शामिल किया जाता है, जो वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा विभिन्न लेखा–परीक्षाओं के निष्कर्षों की बोर्ड स्तरीय लेखा–परीक्षा समिति द्वारा भी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

VII. कंपनी के निष्पादन का परिदृश्य

कंपनी ऋण सिंडिकेशन सेवाएं प्रदान कर रही हैं और पीएफसी के द्वारा अंडरराइट किए गए परियोजना ऋणों की डाउन सेलिंग का भी कार्य करती है। कंपनी विद्युत क्षेत्र के विभिन्न परिक्षेत्रों अर्थात ताप, जलविद्युत, पवन और सौर से जुड़ी सिंडिकेशन प्रस्तावों पर कार्रवाई कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2013–14

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
प्रचालन से प्राप्त राजस्व	596.89	171.67
अन्य आय	32.57	6.66
कुल आय	629.46	178.33
व्यय	180.67	51.09
कर संबंधी व्यय	145.59	41.75
कर पश्चात लाभ	303.21	85.50

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी की कुल आय बढ़कर 629.46 लाख रुपए हो गई, इस प्रकार इसमें गत वर्ष की तुलना में 451.13 लाख रुपए की वृद्धि दर्शाई गई। इसी प्रकार कंपनी का कर पश्चात लाभ बढ़कर 303.21 लाख रुपए हो गया जो गत वर्ष की तुलना में 217.71 लाख रुपए की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी का निवल मूल्य 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 403.67 लाख रुपए हो गया है।

VIII. विदेशी विनिमय से अर्जन और बहिर्गमन

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान विदेशी विनिमय से कोई अर्जन और बहिर्गमन नहीं हुआ है।

IX. मानव संसाधन

कंपनी पीएफसी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है और कंपनी के लिए कार्यरत सभी कार्मिक पीएफसी लिमिटेड के कार्मिक हैं तथा पीएफसीसीएएस लिमिटेड में कार्यरत हैं। कंपनी अपने कार्मिकों को सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन के रूप में मानती है और उनके कौशल उन्नयन सहित निरंतर विकास पर अत्यधिक जोर देती है। धारक कंपनी की संपूर्ण मानव संसाधन विकास योजना के भाग के रूप में कंपनी ने अपने कार्मिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए एक वार्षिक प्रशिक्षण योजना प्रणाली लागू की है।

X. सचेतक नोट

"प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण" ख कवें दिए गए कुछ विवरण भावी दृष्टिकोण पर आधारित हो सकते हैं और उनका उल्लेख लागू विधियों और विनियमों के अनुसार किया गया है। बहुत से कारक वास्तविक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, जो भावी निष्पादन और दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा की गई परिकल्पना से अलग हो सकते हैं।

निगमित शासन पर रिपोर्ट

आपकी कंपनी ने निगमित शासन के सर्वोच्च मानकों को अपनाने में विश्वास करती है। कंपनी ने ऐसी प्रणालियों को अपनाया है जहां विभिन्न स्तरों पर शक्तियों के प्रत्यायोजन की स्पष्ट रूप से पहचान की गई है। कंपनी के विभिन्न कार्यकलापों की समय पर और परिशुद्ध रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रियाओं को लागू किया गया। पारदर्शी और सैद्धांतिक ढंग से व्यापार संचालन पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है।

1. निदेशक मंडल

क) स्वरूप

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में तीन (3) निदेशक हैं, जिसमें एक अध्यक्ष शामिल हैं। निदेशक मंडल के सभी सदस्य गैर कार्यपालक निदेशक हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान श्री ए के अग्रवाल को कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा श्री सतनाम सिंह का कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यकाल 31.09.2013 से समाप्त हो गया।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नानुसार था:

गैर कार्यपालक निदेशक निदेशक		
(i)	श्री एम.के. गोयल	अध्यक्ष
(ii)	श्री आर. नागराजन	निदेशक
(iii)	श्री ए.के. अग्रवाल	निदेशक

ख) बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की 5 बैठकें आयोजित की गईं, जिनकी तारीखें निम्नानुसार हैं :

प) 16 मई, 2013, पप) 19 सितंबर, 2013 पपप) 28 अक्टूबर,2013 पअ) 31 दिसंबर, 2013 अ) 23 जनवरी, 2014

ग) वार्षिक आम बैठक

कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक 12 सितंबर, 2013 को आयोजित की गई।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति, ऐसी अन्य कंपनियों की संख्या जिनमें निदेशक हैं, के विवरण निम्नानुसार हैं :

नाम और पद नाम	बोर्ड की बैठकें		31 मार्च, 2014	12 सितंबर, 2013 को
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	की अनुसार अन्य कंपनियों में नदेशक*	आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक उपस्थिति
श्री एम.के. गोयल अध्यक्ष	5	5	5	उपस्थित
श्री आर. नागराजन निदेशक	5	5	7	उपस्थित
श्री ए.के. अग्रवाल निदेशक	4	4	10	लागू नहीं
श्री सतनाम सिंह, अध्यक्ष (13.09.2013 तक)	1	1	लागू नहीं	उपस्थित

लागू नहीं – दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति संगत तारीख को पीएफसीसीएएस के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं था।

*निजी कंपनियों, धारा 25 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों और विदेशी कंपनियों में निदेशक नहीं हैं।

कंपनी के कोई भी निदेशक एक दूसरे से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं हैं।

घ) निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई सूचना

आवश्यक सूचना के साथ विस्तृत कार्य–सूची नोट अग्रिम तौर पर निदेशक मंडल को परिचालित किया गया।

निम्नलिखित सामान्य सूचना, यदि कोई है, बोर्ड को दी जाती है :

- वार्षिक प्रचालन योजनाएं, बजट और इनसे संबंधित अद्यतन जानकारी।
- बोर्ड स्तर से नीचे वाले वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की सूचना।
- कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करने में कोई बड़ी चूक अथवा कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बड़ी राशि का भुगतान न किया जाना।
- वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण अन्य सूचना।

ड.) लागू विधियों का अनुपालन

कंपनी में विभिन्न सांविधिक और प्रक्रियागत अनुपालनों की निगरानी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। इसके अलावा कंपनी के सीईओ से तिमाही आधार पर सांविधिक देयताओं और सांविधिक अनुपालन पर एक अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है।

आचार संहिता

व्यापार संचलन संहिता और बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए सिद्धांतों की एक विस्तृत आचार संहिता है जो कंपनी के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के लिए समान रूप से लागू है। यह कंपनी के मिशन और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के विजन और मूल्यों के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंधन में सैद्धांतिक और पारदर्शी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त सूचना के आधार पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा आचार संहिता के किए गए अनुपालन के संबंध में घोषणा नीचे की गई है:

निगमित शासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत यथावश्यक घोषणा

"31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों ने व्यापार संचलन संहिता और बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया है"।

हस्ता./–
एम के गोयल
अध्यक्ष

II. निदेशक मंडल की समिति

लेखा–परीक्षा समिति

वर्तमान में कंपनी के लिए यह कोई सांविधिक आवश्यकता नहीं है कि इसकी एक अलग लेखा–परीक्षा समिति हो, परंतु आपके निदेशक मंडल ने यह निश्चय किया है कि कंपनी की एक अलग लेखा–परीक्षा समिति गठित की जाए, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी ने निगमित शासन संबंधी प्रकियाओं का बेहतर ढंग से कार्यान्वयन किया है।

क) स्वरूप

31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की लेखा–परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

गैर कार्यपालक निदेशक		
(I)	श्री आर. नागराजन	अध्यक्ष
(ii)	श्री ए. के. अग्रवाल	निदेशक

ख) विचारार्थ विषय

लेखा–परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- अपने विचारार्थ विषयों में से किसी गतिविधि की जांच करना
- किसी कार्मिक से कोई सूचना प्राप्त करना
- बाहर से कानूनी अथवा अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना
- उपयुक्त समझे जाने पर ऐसे किसी कार्यपालक को समिति की बैठकों में उपस्थिति रहने के लिए आमंत्रित करना
- आवश्यक समझे जाने पर बाहर के संगत विशेषज्ञों की उपस्थिति सुनिश्चित करना
- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण और इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन करना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।
- निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही, अर्द्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां, लेखा–परीक्षकों के अवलोकनों सहित लेखा–परीक्षा के कार्यक्षेत्र के बारे में आवधिक रूप कवेखा–परीक्षकों के साथ चर्चा करना (आवश्यक होने पर)
- कर लेखापरीक्षण, अर्द्धवार्षिक लेखा–परीक्षा आदि के लिए शुल्क सहित लेखा–परीक्षा शुल्कों के बारे में निदेशक मंडल को सिफारिश करना
- बोर्ड के समक्ष अनुमोदन प्राप्त करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों की निम्नलिखित बिंदुओं के संदर्भ में :

- कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 के खंड 2 (क क) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण के लिए आवश्यक मामले।
- क्र लेखांकन नीतियों और प्रक्रियाओं में यदि कोई परिवर्तन हो और इसका कारण।
- प्रबंधन द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करने पर आधारित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।
- लेखा–परीक्षा के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण समायोजन।
- किसी संबंधित पक्षकार के लेनदेन का प्रकटन
- मसौदा लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के समीक्षा करना
- आंतरिक लेखा–परीक्षकों के साथ चर्चा और महत्वपूर्ण निष्कर्षों (यदि कोई है) पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

- ऐसे मामलों, जहां किसी संभावित धोखाखड़ी अथवा अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता की बड़ी संभावना हो और बोर्ड को ऐसे मामलों के बारे में रिपोर्ट किया जाना हो, की आंतरिक लेखा–परीक्षक द्वारा की गई किसी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना।
- लेखा–परीक्षा प्रारंभ करने से पहले सांविधिक लेखा–परीक्षक के साथ लेखा–परीक्षा के कार्यक्षेत्र, प्रकृति के बारे में चर्चा करने के साथ साथ चिंताजनक क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य कवे खा–परीक्षा के बाद उनके साथ चर्चा करना।
- प्रबंधन के साथ चर्चा और वित्तीय स्थिति के विश्लेषण तथा प्रचालन के परिणामों की समीक्षा करना।
- महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेनों का विवरण।
- प्रबंधन के पत्र/सांविधिक लेखा–परीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण की शिथिलता से संबंधित पत्र।
- आंतरिक नियंत्रण की शिथिलता से संबंधित आंतरिक लेखा–परीक्षा रिपोर्टें ।

(ग) बैठक

वित्तीय वर्ष वर्ष 2013–14 के दौरान लेखा–परीक्षा समिति की दो (2) बैठकें क्रमशः 28 अक्टूबर 2013 और 23 जनवरी 2014 को आयोजित की गईं

वर्ष 2013–14 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा बैठकों में उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नानुसार हैं :

सदस्य का नाम	पद नाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री आर. नागराजन	अध्यक्ष	2	2
श्री ए के अग्रवाल	निदेशक	2	2

सांविधिक लेखा–परीक्षकों के प्रतिनिधियों को लेखा–परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है, जिससे कवे समिति के सदस्यों के साथ चर्चा कर सकें।

कंपनी के कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

लेखा–परीक्षा समिति के अध्यक्ष को लेखांकन एवं वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल होती है तथा समिति के अन्य सदस्यों को भी बेहतर वित्तीय जानकारी होती है।

III. सहायक कंपनियां

कंपनी के पास कोई सहायक कंपनियां नहीं हैं।

IV. आम सभा की बैठकें

पीएफसीसीएएस की स्थापना 18 जुलाई 2011 को की गई। तदनुसार कंपनी की पिछली दो(2) वार्षिक आम सभाओं के विवरण निम्नानुसार हैं :

एजीएम	दिनांक	दिन	समय	स्थान	विशेष संकल्प
1.	17.09.2012	मंगलवार	प्रातः11.45 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कार्यालय	निदेशकों क नियुक्ति
2.	12.09.2013	गुरुवार	अपराह्न 3.30 बजें	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कार्यालय	कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया

V. प्रकटन

- कंपनी ने अपने प्रमोटर, निदेशक अथवा प्रबंधन, उनके संबंधियों या अपनी सहायक कंपनियों के साथ कोई वास्तविक प्रकृति के लेनदेन नहीं किए हैं, जिनसे कंपनी का हित किसी भी प्रकार से बाधित हो या उस पर कोई प्रभाव पड़े। इसके अलावा संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन के विवरण वार्षिक रिपोर्ट में वार्षिक लेखाओं की टिप्पणियों में प्रस्तुत किए गए हैं।
- कंपनी की लेखाबही में ऐसा कोई भी व्यय डेबिट नहीं किया गया जो कंपनी के व्यापारिक उद्देश्यों के लिए न किया गया हो। इसके अलावा ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया जो निजी प्रकृति का और निदेशक बोर्ड तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।
- वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों और यथा व्यवहार्य सीमा तक कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली–2006 का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

पीएफसी कैपिटल एडवाइज़री सर्विसिज लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने पीएफसी कैपिटल एडवाइज़री सर्विसिज़ लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र और लाभ तथा हानि विवरण के साथ–साथ उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए संलग्न नगदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरण से युक्त सूचना तथा टिप्पणियां शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उपधारा (3ग) में संदर्भित लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी, डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का कार्यान्वयन और संगत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखा–परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा–परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत यह आवश्यक है कि हम लेखा–परीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखा–परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखा–परीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा–परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों । इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक कंपनी की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है जिससे कि ऐसी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सके जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं । किसी लेखा–परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वूपर्ण अनुमानों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखा–परीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा यथावश्यक सूचना विहित ढंग से इस प्रकार से प्रदान करते हैं जिससे कवे भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकें।

(क) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति

(ख) लाभ और हानि विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ और

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण।

कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनियां (लेखा–परीक्षक रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के साथ पठित कंपनी (लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के अनुसार यथावश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में कंपनी के लिए लागू सीमा के अनुसार उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विर्निदिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

अधिनियम की धारा 227 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा–परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

(ख) हमारे दृष्टिकोण से जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई और रखी गई है;

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं अर्थात उनसे मेल खाते हैं;

(घ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में संदर्भित लेखांकन मानकों के साथ सभी वास्तविक संदर्भों में उनके अनुरूप हैं;

(ड.) निदेशकों की अनअर्हकता से संबंधित कंपनी अधिनियम की धारा 274 की उप धारा (1) के खंड (छ) की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कंपनी वित्त मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 21.10.2003 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) के संदर्भ में एक सरकारी कंपनी है।

(च) चूंकि केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441क के अंतर्गत भुगतान किए जाने वाले उप कर की दर अधिसूचित करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की है और न ही उपर्युक्त धारा के अंतर्गत ऐसे कोई नियम जारी किए हैं, जिनमें ऐसे उप कर के भुगतान का ढंग विहित किया गया हो, अतः कंपनी द्वारा कोई भी उपकर देय नहीं है।

कृते ए. एन. के. एंड एसोसिएट्स

(फर्म पंजीयन संख्या 003652एन)

चार्टर्ड एकाउंटेट्स

नीरज कुमार

सदस्यता संख्या 082901

भागीदार

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 15 मई 2014

लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए पीएफसी कैपिटल एडवाईज़री सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ – 1 में संदर्भित अनुबंध । हम रिपोर्ट करते हैं कि

1. (क) कंपनी ने उपलब्ध सूचना के अनुसार स्थाई परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विविरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड तैयार किए हैं।

   (ख) वर्ष के दौरान कंपनी ने स्थाई परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नियमित कार्यक्रम के अनुसार किया गया है। ऐसे भौतिक सत्यापन के दौरान बही रिकॉर्डों की तुलना में कोई वास्तविक कमी नहीं पाई गई।

   (ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने स्थाई परिसंपत्तियों के किसी वास्तविक भाग का निपटान नहीं किया है जिससे कि जारी कार्यकलाप प्रभावित हों।

2. कंपनी के पास कच्चे पदार्थों , स्टोर, स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक नहीं है, इसलिए अतः आदेश का खण्ड ;पपद्ध (क), (ख) और (ग) लागू नहीं होते हैं।

3. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों से अथवा को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण लिया या स्वीकृत किया है। तदनुसार, खंड 4;पपपद्ध (क), (ख), (ग) और (घ), (ड.) और (च) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

4. हमारे दृष्टिकोंण से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार और व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां मौजूद हैं।

5. हमारे दृष्टिकोंण से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने संविदा या प्रबंधन से संबंधित ऐसे कोई लेन–देन नहीं किए गए जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है।

6. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क और 58कक के प्रावधानों में संदर्भित जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

7. हमारे दृष्टिकोंण से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास संबंधित वित्त वर्ष की शुरूआत में 50 लाख रुपए की प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियां नहीं हैं और कंपनी के पास संबंधित वित्तीय वर्ष के बाद तत्काल उत्तरवर्ती लगातार 3 वित्तीय वर्षों की अवधि के दौरान 5 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक टर्न ओवर नहीं है, कंपनी के आकार और व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां मौजूद है।

8. हमारे दृष्टिकोंण से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित कोई कानून जारी नहीं किया है। अतः खंड 4 (viii) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

9. (क) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अवधि के दौरान भविष्य निधि, पेंशन निधी का भुगतान संबंधित प्राधिकारियों को धारक कंपनी अर्थात पीएफसी लिमिटेड के माध्यम से सामान्यतः नियमित रूप से कर रही है तथा 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित सांविधिक देयताओं की बकाया राशि उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर, धन कर, सेवा कर आदि संबंधी देयताओं की कोई भी देय राशि नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा न किया गया हो।

10. 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने कोई हानि संचित नहीं की है और इसको चालू वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।

11. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर धारक से कोई ऋण नहीं लिया है, अतः खंड 4 (xi) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

12. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार चूंकि कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं दिया है, अतः खंड 4 ¼xii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

13. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि / म्यूचुअल लाभ अर्जित करने वाली निधि, न्यास / सोसाइटी नहीं है, अतः खंड 4 (xiii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेश में व्यवसाय अथवा कारोबार नहीं करती है, अतः खंड 4 ¼xiv) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से अन्य लोगों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। अतः खंड 4(xv) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

16. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया/आवेदन किया है, अतः खंड 4 (xvi) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने अल्पकालिक आधार पर कोई निधि नहीं बढ़ाई है। अतः खंड 4 (xvii) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

18. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 201 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों और कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया है। अतः खंड 4 (xviii) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

19. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं, अतः खंड 4 (xix) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

20. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यू जारी कर कोई पूंजी अर्जित नहीं की है। अतः खंड 4 (गग) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

21. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पायी गई और न ही प्रबंधन द्वारा इसकी कोई रिपोर्ट की गई है ।

कृते ए. एन. के. एंड एसोसिएट्स
(फर्म पंजीयन संख्या 003652एन)
चार्टर्ड एकाउंटेट्स

नीरज कुमार
(सदस्यता संख्या 082901)
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

पीएफसी कैपिटल एडवाइज़री सर्विसिज लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रुपए में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
1. इक्विटी और देयताएं			
1. शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	1	1,000,000	1,000,000
(ख) आरक्षित और अधिशेष निधियां	2	39,367,196	9,046,465
(ग) शेयर वारंट के बदले में प्राप्त धनराशि			
2. शेयर अनुप्रयोग राशि लंबित आबंटन			
3. गैर–चालू देयताएं			
(क) दीर्घकालीन ऋण	–	–	–
(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)			
(ग) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	–	–	–
(घ) दीर्घकालिक प्रावधान	–	–	–
4. चालू देयताएं			
(क) अल्पकालीन ऋण –	–	–	–
(ख) व्यावसायिक देयताएं	–	–	–
(ग) अन्य चालू देयताए	3	3,870,748	1,160,214
(घ) अल्पकालिक प्रावधान	4	16,844,304	5,576,633
योग		61,082,248	16,785,312
2. परिसंपत्तियां			
1 .गैर–चालू परिसंपत्तियां			
(क) स्थायी परिसंपत्तियां			
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	5		
घटाएं : संचित मूल्यह्रास	262,647	156,140	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	–	–	
(iii) जारी पूंजीकृत कार्य	–	–	
(iv) विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां		–	–
(ख) गैर चालू निवेश	–	–	
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)		597,086	360,463
(घ) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	6	473,294	64,723
(ङ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	–	–	
2. चालू परिसंपत्तियां			
(क) चालू निवेश	–	–	
(ख) इनवेंटरीज	–	–	
(ग) व्यावसायिक देयताएं	–	–	
(घ) नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	7	41,878,887	11,085,873
(ङ) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	8	15,315,744	4,676,981
(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	9	2,554,610	441,132
योग		61,082,248	16,785,312

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां–नोट 16 और लेखाओं पर नोट– नोट 17
ऊपर संदर्भित नोट लेखाओं के अभिन्न अंग हैं

निदेशक योग मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सचिन अरोड़ा)
कंपनी सचिव

(नलिनी वंजानी)
सीईओ

(आर. नागराजन)
निदेशक

(एम के गोयल)
अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते ए. एन. के. एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
फर्म पंजीयन संख्या 003652एन

नीरज कुमार
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 082901

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

पीएफसी कैपिटल एडवाइज़री सर्विसिज लिमिटेड
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण

(राशि रुपए में)

विवरण		नोट संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
I.	प्रचालन से आय	10	59,689,500	17,166,800
II.	अन्य आय	11	3,257,359	866,366
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		62,946,859	17,833,166
IV.	**व्यय**			
	कार्मिकों के लाभार्थ व्यय	12	13,479,435	4,647,779
	वित्तपोषण लागत	13	3,529	117
	मूल्यह्रास और ऋण मोचन व्यय	5	90,733	45,850
	अन्य व्यय	14	4,472,094	384,025
	पूर्वावधि व्यय	15	21,060	30,763
	कुल व्यय		18,066,851	5,108,534
V.	**आपवादिक और असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (III-IV)**		4,880,008	12,724,632
VI.	आपवादिक मदें		–	–
VII.	**असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (V-VI)**		44,880,008	12,724,632
VIII.	असाधारण मदें		–	–
IX.	**कर पूर्व लाभ (VII-VIII)**		44,880,00	12,724,632
X.	**कर संबंधी व्यय**			
	(1) वर्तमान वर्ष के लिए चालू कर		15,008,928	4,496,189
	(2)पूर्ववर्ती वर्ष के लिए चालू कर		(213,048)	15,661)
	(3) आस्थगित कर		(236,603	(305,578)
XI.	**जारी प्रचालन अवधि के लिए लाभ/ (हानि) (IX-X)**		0,320,731	8,549,682
XII.	प्रचालन बाधित होने से लाभ/(हानि)		–	–
XIII.	प्रचालन बाधित होने से कर संबंधी व्यय		–	–
XIV.	**प्रचालन बाधित होने से लाभ/ (हानि) (कर पश्चात) (XII-XIII)**		–	–
XV.	**अवधि के लिए लाभ/(हानि) (XI+XIV)**		30,320,731	8,549,682
XVI.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन**			
	(1) आधारभूत		303.21	85.50
	(2) मिश्रित (डाइल्यूटिड)		303.21	85.50

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां–नोट 16 और लेखाओं पर नोट– नोट 17 ऊपर संदर्भित नोट लेखाओं के अभिन्न अंग हैं

निदेशक योग मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सचिन अरोड़ा)
कंपनी सचिव

(नलिनी वंजानी)
सीईओ

(आर. नागराजन)
निदेशक

(एम के गोयल)
अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते ए. एन. के. एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
फर्म पंजीयन संख्या 003652एन

नीरज कुमार
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 082901

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

नोट : '1'
शेयर पूंजी
शेयर पूंजी

शेयरधारकों की निधियां	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ₹	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹
शेयरधारकों की निधियां		
प्राधिकृत		
प्रत्येक 10 रुपए के 10,00,000 इक्विटी शेयर	10,000,000	10,000,000
जारी, सब्सक्राईब और प्रदत्त		
प्रत्येक 10 रुपए के 1,00,000 प्रदत्त इक्विटी शेयर	10,000,000	10,000,000
योग	10,000,000	10,000,000

नोट:– प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी की 5: से अधिक की शेयर धारिता रखने वाले प्रत्येक शैयरधारक के पास रखे गए शैयरों की संख्या के बारे में सूचना

			31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
शेयरधारक का नाम	**धारित शेयरधारिता का %**	**संख्या**	**₹**	**₹**
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नामितियों सहित)	100	100,000	1,000,000	1,000,000
योग			1,000,000	1,000,000

नोट '2'
आरक्षित और अधिशेष निधियां

आरक्षित और अधिशेष निधियां	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क. अधिशेष		
अथशेष		
(+) चालू अवधि के लिए निवल लाभ/(निवल हानि)	9,046,465	498,783
(+) आरक्षित निधियों से स्थानांतरित	30,320,731	8,549,682
(–) प्रस्तावित लाभांश	–	–
(–) अंतरिम लाभांश	–	–
(–) आरक्षित निधियों में स्थानांतरित	–	–
	39,367,196	9,046,465

नोट– '3'
अन्य चालू देयताएं

अन्य चालू देयताएं	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
अन्य चालू देयताए	**₹**	**₹**
देय लेखा–परीक्षा शुल्क	51,180	25,281
देय टीडीएस	126,434	51,884
संविदाकार और अन्य लोगों को देय राशियां	44,169	24,638
पीएफसी को देय राशि	3,580,780	958,953
देय सेवाकर	1,108	1,912
0व्यय के लिए प्रावधान	67,077	97,546
कार्मिकों को भुगतान	–	–
योग	3,870,748	1,160,214

नोट– '4'
अल्पकालिक प्रावधान

अन्य चालू देयताएं	31 मार्च, 2014की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 क स्थिति के अनुसार
अल्पकालिक प्रावधान	**₹**	**₹**
(क) कार्मिकों के लाभार्थ प्रावधान		
आधारभूत क्षतिपूर्ति	–	611,069
प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान	1,835,376	471,375
(ख) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
आय कर के लिए प्रावधान	15,008,928	4,496,189
योग	16,844,304	5,578,633

नोट – 5
स्थायी परिसंपत्तिया

	स्थाई परिसंपत्तिया	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास					निबल ब्लाक	
		01.04.2013 की स्थिति के अनुसार अथशेष	वृद्धि समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार इतिशेष (लेखापरीक्षित)	01.04.2013 की स्थिति के अनुसार अथशेष	01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के लिए	पूर्वावधि समायोजन	आहरित/ बट्टेखाते में डाले गए	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार इतिशेष	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार
		₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
क.	**मूर्त परिसंपत्तिया**											
	ईडीपी उपस्कर	149,990	145,240	-	295,230	41,504	77,452	-	-	118,956	**176,274**	108,486
	कार्यालयी उपकरण											
	अन्य (क) स्मार्ट डिवाइस 40000 रुपए (ख) टेलीफोन उपकरण – 6000*2	52,000	52,000	-	104,000	4,346	13,281	-	-	17,627	**86,373**	47,654
	योग	201,990	197,240	-	399,230	45,850	90,733	-	-	136,583	**262,647**	156,140
	गत वर्ष	-	201,990	-	201,990	-	45,850	-	-	45,850	**156,140**	-

नोट– '6'
दीर्घकालिक ऋण और अग्रिमं

दीर्घकालिक ऋण और अग्रिमं	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ₹	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹
क. आयकर विभाग से वसूल की जाने वाली राशि	351,140	64,723
ख. अग्रिम		
सुरक्षित, सही माने गए		
असुरक्षित, सही माने गए		
–कार्मिकों को	122,154	
योग	473,294	64,723

नोट– '7'
नकदी और नकदी समतुल्य राशियां

नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ₹	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹
नकदी और नकदी समतुल्य राशियां		
क – बैंकों में बकाया राशियां		
–चालू खातों में	15887	11,673
–सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 माह तक)	–	100,000
(ख) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
–सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक)	41,863,000	10,974,200
(ग) हाथ में मौजूद चैक और ड्राफ्ट	–	–
(घ) हाथ में मौजूद नकदी	–	–
(ड.) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	–	–
योग	41,878,887	11,085,873

नोट– '8'
अल्पकालिक ऋण और अग्रिमं

अल्पकालिक ऋण और अग्रिमं	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ₹	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹
क. संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम		
सुरक्षित, शोध्य माना गया	–	–
असुरक्षित, शोध्य माना गया	–	–
संदेहास्पद	–	–
घटाएं : संदेहास्पद ऋण और अग्रिमों के लिए प्रावधान	–	–
ख. अग्रिम		
सुरक्षित, सही माना गया	–	–
असुरक्षित, सही माना गया	–	–
–कार्मिकों को	233,637	42,700
–अग्रिम आय कर और स्रोत पर कर की	15,082,107	4,634,281
–संदेहास्पद	–	–
योग	15,315,744	4,676,981

नोट– '9'
अन्य चालू परिसंपत्तियां

अन्य चालू परिसंपत्तियां	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ₹	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹
(क) सावधि जमा रसीदों पर संचित ब्याज	2,133,280	431,870
(ख) सेंवेट क्रेडिट	1,39,494	3,228
(ग) प्राप्त की जाने वाली सेंविट क्रेडिट	2,63,836	6,034
(घ) भूस्वामी के साथ जमा राशि	18,000	0
योग	2,554,610	441,132

नोट– '10'
प्रचालन से राजस्व

प्रचालन से आय	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ₹	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹
सिंडीकेशन शुल्क	59,689,500	17,166,800
योग	59,689,500	17,166,800

नोट– '11'
अन्य आय

अन्य आय	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ₹	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹
बैंकों में सावधि जमा पर ब्याज से आय	3,196,456	608,023
वापस बट्टेखाते में डाली गई अतिरिक्त योगदान	51,375	58,343
आयकर रिफंड पर ब्याज	4,527	–
विविध आय	5,001	–
योग	3,257,359	666,366

नोट– '12'
कार्मिकों के लाभार्थ व्यय

कार्मिकों के लाभार्थ व्यय	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ₹	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹
(क) वेतन और मजदूरी	9,215,381	3,279,227
(ख) भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	2,696,974	1,235,381
(ग) स्टाफ कल्याण	792,500	122,434
(घ) कार्मिकों के लिए आवासीय घरों का किराया	774,580	18,737
योग	13,479,435	4,647,779

नोट– '13'
वित्त पोषण लागत

वित्त पोषण लागत	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ₹	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹
ब्याज, वित्तपोषण और अन्य प्रभार	3,529	117
योग	3,529	117

नोट– '14'
अन्य व्यय

अन्य व्यय	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ₹	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹
विद्युत और जल प्रभार	205,021	–
बीमा	8,498	–
सुधार कार्य और रख रखाव	1,389,232	–
मुद्रण और स्टेशनरी	154,445	13,311
यात्रा भत्ता और आवागमन व्यय	744,855	98,133
डाक, टेलीग्राफ और दूरभाष	279,091	52,702
व्यवसायिक और परामर्श प्रभार	57,030	12,927
विविध व्यय	1,354,809	50,675
लेखा–परीक्षकों का मेहनताना	65,000	36,910
संविदागत जनशक्ति	214,113	119,367
योग	4,472,094	384,025

नोट– '15'
पूर्वावधि व्यय

पूर्वावधि व्यय	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ₹	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ₹
संविदागत जनशक्ति	–	30,763
लेखा–परीक्षक का मेहनताना	10,000	–
व्यावसायिक और परामर्श प्रभार	11,060	–
योग	21,060	30,763

पीएफसी कैपिटल एडवाइज़री सर्विसिज लिमिटेड
31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखांओं के
ाग के रूप में संलग्न नोट
नोट – 16
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आधार

वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुरूप ऐतिहासिक लागत परम्परा के अंतर्गत संचित आधार पर तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टाधीन अवधि के लिए रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि, राजस्व और व्यय का अनुमान और पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं और/अथवा उन्हें मूर्तरूप दिया जाता है।

2. स्थायी परिसंपत्तियां/अमूर्त परिसंपत्तियां

(क) स्थायी परिसंपत्तियां संचित मूल्यह्रास और घाटे संबंधी हानियों, यदि कोई हैं, को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाई जाती हैं। ऐसी परिसंपत्तियां जिनका सक्रिय प्रयोग नहीं किया जाना है और जो निपटान के लिए रखी गई हैं, जिन्हें बही मूल्य अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य की तुलना में कम दर्शाया गया है। ऐतिहासिक लागत में ऐसी परिसंपत्तियों को अपेक्षित उद्देश्य से उन्हें चालू हालत में लाने के लिए आने वाली सभी लागतें शामिल हैं

(ख) अमूर्त परिसंपत्तियों को उनकी अधिग्रहण लागत पर रिकॉर्ड किया जाता है।

3. मूल्यह्रास / ऋण मोचन अवधि (अमोर्टाइजेशन)

(क) स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का लाभ कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची ग्प्ट के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति के अनुसार प्रो रेटा आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि / उनमें कमी पर मूल्यह्रास उस तारीख से / तक प्रो रेटा आधार पर प्रभारित किया जाता है जिसमें परिसंपत्तियां उपयोग / निपटान हेतु उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) वर्ष के दौरान 5000 रुपए तक की स्थायी परिसंपत्तियों के आइटमों पर मूल्यह्रास का पूरा लाभ दिया जाता है।

4. धारक कंपनी द्वारा किया गया व्यय

कंपनी की ओर से धारक कंपनी द्वारा किए गए व्यय को संचित आधार पर मान्यता दी जाती है और उसे धारक कंपनी को देय "अन्य चालू देयता" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

5. राजस्व को मान्यता

जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो आय की गणना संचित आधार पर की जाती है।

6. आरंभिक व्यय

कंपनी की स्थापना से संबंधित आरंभिक व्यय को उस वर्ष में बट्टेखाते में डाला गया है, जिस वर्ष में वास्तविक रूप से वे व्यय किए गए हैं ।

7. आय पर कर

कराधान के प्रावधान में आय कर और आस्थगित कर के लिए प्रावधान शामिल होता है। वर्तमान आय कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार लागू दर पर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें ब्याज संबंधी देयता, यदि कोई है, शामिल है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की गणना भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के आय पर कर के लिए लेखांकन पर आधारित लेखांकन मानक–22 के अंतर्गत अधिसूचित सिद्धान्तों के अनुसार की गई है।

8. प्रतिशेयर अर्जन

प्रतिशेयर आधारभूत अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों भारित औसत संख्या से कर पश्चात निवल लाभ को घटाकर की जाती है। प्रति शेयर मिश्रित अर्जन की गणना प्रति शेयर आधारभूत अर्जन प्राप्त करने के लिए निर्धारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और ऐसे इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो सही मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के परिवर्तन के परिणामस्वरूप जारी किए गए हैं, को कर पश्चात लाभ से घटाकर की जाती है।

9. लाभ और हानि लेखा

(क) ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति / मृत्यु पर स्थानांतरण यात्रा भत्ता, कार्मिकों को दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार, विदाई समारोह, सेवानिवृत्ति पर उपहार और आर्थिक पुनर्वास योजना के संदर्भ में कार्मिक लाभों से संबंधित देयताएं धारक कंपनी द्वारा वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। कंपनी ऐसे कार्मिक लाभों के लिए धारक कंपनी द्वारा किए गए संविभाजन के आधार पर प्रावधान करती है।

(ख) 5000 रुपए या इससे कम लागत वाली आइटमों पर पूर्व प्रदत्त व्यय और पूर्वावधि व्यय / आय को लेखाओं के प्राकृतिक शीर्ष से प्रभारित किया जाता है।

10. प्रावधान और आकस्मिकताएं

(क) किसी प्रावधान को मान्यता उस समय दी जाती है जब कंपनी की किसी पुरानी घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता होती है और इस बात की संभावना रहती है कि उपर्युक्त बाध्यता का समाधान करने के लिए संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा तथा जिनके संबंध में कोई विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो। तुलन–पत्र की तारीख को बाध्यता के निपटान हेतु आवश्यक प्रबंधन के अनुमान के आधार पर यथा निर्धारित प्रावधानों के वर्तमान मूल्य में कोई छूट नहीं दी जाती है। इनकी प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है प्रबंधन के वर्तमान अनुमानों को दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

(ख) आकस्मिक देयताओं को वर्तमान मूल्य पर दर्शाया जाता है। आकस्मिक देयताओं का प्रकटन कंपनी प्रबंधन / तुलन–पत्र की तारीख को उपलब्ध सूचना के आधार पर किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है प्रबंधन के वर्तमान अनुमानों को दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

11. नकदी और नकदी समतुल्य राशियां

नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में नकद राशियां और बैंकों में जमा नकदी शामिल होती है। कंपनी ऐसे सभी उच्च तरल निवेशों पर विचार करती है जिनकी परिपक्वता अवधि उनकी खरीद की अवधि से 3 माह अथवा कम है और जिन्हें नकदी के रूप में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें नकदी समतुल्य माना जाता है।

12. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किए जाते हैं जहां कर पूर्व लाभ का समायोजन किसी गैर नकदी स्वरूप के लेनदेनों, अतीत के किसी अंतर अथवा संचयन भावी प्रचालन नकद प्राप्तियों या भुगतानों और आय की मदों अथवा नकदी प्रभावों के निवेश अथवा वित्त पोषण से संबद्ध व्यय के प्रभाव को दूर करने के लिए किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्त पोषण संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह को अलग – अलग दर्शाया जाता है।

नोट – 17
लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां

1. पीएफसी कैपिटल एडवाईज़री सर्विसेज लिमिटेड (पीएफसी सीएएसएल) की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 18 जुलाई 2011 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेडड (पीएफसी) के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में की गई। कंपनी को अपना व्यावसाय प्रारंभ करने के लिए कंपनियों के पंजीयक से 02 सितंबर 2011 को प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

2. कंपनी के सभी कार्मिक धारक कंपनी अर्थात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से हैं। कार्मिकों से संबंधित सभी व्यय धारक कंपनी द्वारा कंपनी से प्रभारित किए जाते हैं। ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ और अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति निधि में कंपनी के अंशदान से संबंधित सभी देयताओं के लिए खाताबही में प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान धारक कंपनी द्वारा किए गए वास्तविक मूल्यांकन/गणनाओं के आधार पर इन मदों के लिए आबंटित निधियों के अनुसार किया गया है।

   पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड में तैनात कार्मिकों के संदर्भ में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी द्वारा किए गए संविभाजन के अनुसार ग्रेच्यूटी, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ, अधिवर्षिता और अन्य लाभों के मद में वर्ष के लिए कार्मिक लाभ संबंधी व्यय में 15,34,365 रुपए (गत वर्ष– 8,94,885 रुपए) शामिल हैं।

3. सेगमेंट रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक – 17 के संदर्भ में कंपनी के पास प्रकटन के लिए एक से अधिक सेगमेंट नहीं है।

4. लेखा–परीक्षकों का मेहनताना

विवरण	राशि (रुपए में) 31.03.2014	राशि (रुपए में) 31.03.2013
	कुल शुल्क	
सांविधिक लेखा–परीक्षा शुल्क	35,000	25,000
अर्ध वार्षिक लेखा–परीक्षा शुल्क	15,000	15,000
कर लेखा–परीक्षा शुल्क	15,000	10,000

*राशि में सेवा कर शामिल नहीं है।

5. जहां कहीं भी कंपनी की ओर से धारक कंपनी द्वारा कोई व्यय अथवा भुगतान किया जाता है, तो स्रोत पर कर की कटौती के संदर्भ में प्रक्रियागत और सांविधिक आवश्यकताओं तथा यथा लागू अन्य सांविधिक अनुपालनों को धारक कंपनी द्वारा ध्यान में रखा जाता है।

6. लेखांकन मानक – 18 "संबंधित पक्षकार प्रकटन" के अनुसार प्रकटन

(क) संबंधित पक्षकारों के नाम और संबंध की प्रकृति

क्र. सं.	संबंधित पक्षकार का नाम		संबंध की प्रकृति	
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड		धारक कंपनी	
2	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक सीईओ, जो 31.01.2014 तक पूर्णकालिक आधार पर तैनात थे, को छोड़कर कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, धारक कंपनी (पीएफसी) के कार्मिक हैं और उन्हें यहां अंशकालिक आधार पर तैनात किया गया है। निदेशकों को कोई भी सीटिंग फीस का भुगतान नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान ऐसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण निम्नानुसार हैं:			
क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	त्यागपत्र/पदावधि समाप्त होने की तारीख
1	श्री सतनाम सिंह	अध्यक्ष	18.07.2011	13.09.2013
2	श्री एम के गोयल	अध्यक्ष	13.09.2013	जारी
		निदेशक	02.01.2012	13.09.2013
3	श्री आर नागराजन	निदेशक	18.07.2011	जारी
4	ए के अग्रवाल	निदेशक	19.09.2013	जारी
5	श्रीमती नलिनी वंजानी	सीईओ	17.12.2012	जारी

(ख) संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन के विवरण

क्र. सं.	नाम	लेनदेन की प्रकृति	लेनदेन की मात्रा (वित्तीय वर्ष 2013–14 (रुपए)	31.03.2014 को बकाया राशि (रुपए)	लेनदेन की मात्रा (वित्तीय वर्ष 2012–13 (रुपए)	31.03.2013 को बकाया राशि (रुपए)
	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पीएफसी सीएएसएल की ओर से पीएफसी द्वारा किया गया/आबंटित व्यय	36,19,657	35,80,780	12,43,642	9,58,953
		वापस बट्टेखात में डाली गई अतिरिक्त देयताएं (व्यय)			58,343	

7. कंपनी की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रति कोई भी बकाया देयता नहीं है।

8. 35,45,812 रुपए (लगभग) के साझा व्यय की राशि जैसे जमीन का किराया, विद्युत और जल प्रभार, गृह कर, भविष्य निधि, लेखा–परीक्षा शुल्क, सुधार कार्य और रख रखाव आदि का प्रावधान खाताबही में धारक कंपनी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार किया गया है।

9. आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयताएं कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक 22 के अनुसार सृजित की गई हैं। लेखांकन मानक – 22 के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आगे ले जाने की स्थिति में प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को इसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है और आस्थगित कर परिसंपत्ति की आगे ले जाई गई राशि को उस सीमा तक वापस बट्टेखाते में डाली जा सकती है कि यह अधिक दिनों तक तर्कसंगत ढंग से निश्चित नहीं है अथवा वास्तविक रूप से निश्चित नहीं है ।
31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में 5,97,066 रुपए की आस्थगित कर परिसंपत्ति दर्शाई गई है, जिसकी गणना निम्नानुसार की गई

क्र. सं.	विवरण	31.03.2014 की	31.03.2013 की
क	**आस्थगित कर परिसंपत्तियां**		
	आरंभिक व्यय	6,798	10,197
	कार्मिकों से संबंधित प्रावधान	6,23,844	3,67,922
योग (क)		6,30,642	3,78,119
ख	**आस्थगित कर देयता**		
	मूल्यह्रास	33,576	17,656
योग (ख)		33,576	17,656
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयता) (A-B)		5,97,066	3,60463

10. कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक – 20 "प्रति शेयर अर्जन " के अनुसार प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत और मिश्रित (डाइल्यूटिड)) की गणना निम्नानुसार की जाती है :

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपए) 31.03.2014	राशि (रुपए) 31.03.2013
1	अंश के रूप में प्रयुक्त कर के पश्चात) निवल लाभ / (हानि) (रुपए	3,03,20,731	85,49,682
2	हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (आधारभूत और मिश्रित (डाइल्यूटिड))	1,00,000	1,00,000
3	प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत और मिश्रित (डाइल्यूटिड)) (रुपए)	303.21	85.50
4	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपए)	10	10

11. अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई भी लेनदेन नहीं किया गया है।

12. अन्यथा उल्लेख नहीं किए जाने की स्थिति में आंकड़ों को निकटतम रुपए के रूप में राउंड ऑफ किया गया है।

13. आवश्यक होने पर इस वर्ष के वर्गीकरण से समानता स्थापित करने के लिए गत वर्ष के आंकड़ों को री–ग्रुप / पुनः व्यवस्थित किया गया है ।

14. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं शून्य रुपए (गत वर्ष– शून्य रुपए) हैं।

15. 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कोई भी आकस्मिक देयता नहीं हैं।

16. नोट '1' से '17' तुलन–पत्रऔर लाभ तथा हानि विवरण के अभिन्न अंग हैं ।

निदेशक योग मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सचिन अरोड़ा)
कंपनी सचिव

(आर. नागराजन)
निदेशक

(नलिनी वंजानी)
सीईओ

(एम के गोयल)
अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते ए. एन. के. एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
फर्म पंजीयन संख्या 003652एन

नीरज कुमार
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 082901

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

पीएफसी कैपिटल एडवाइज़री सर्विसिज लिमिटेड
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण

विवरण		31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
	राशि (रुपए)	राशि (रुपए)	राशि (रुपए)	राशि (रुपए)
प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :				
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	44,880,008		12,724,632	
योगे : निम्नलिखित के लिए समायोजन				
मूल्यह्रास	90,733		45,850	
सावधि जमा पर	(3,196,456)		(608,023)	
याज आय				
कार्यकारी पूंजी म परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ :		**41,774,285**		**12,162,459**
वृद्धि / (कमी)				
चालू देयताएं	3,463,468		1,987,810	
चालू परिसंपत्तियां	(2,304,415)		(483,803)	1,504,007
अग्रिम (दीर्घकालिक)	(122,154)	1,036,897		
असाधारण मदों से पूर्व नकदी प्रवाह		**42,811,182**		**13,666,466**
असाधारण मदें				
कर पूर्व प्रचालन से नकदी अंतर्वाह / (बहिर्गमन)		**42,811,182**		**13,666,466**
भुगतान किया गया आयकर		(15,082,107)		(4,634,281)
आयकर रिफंड		64,723		
क) प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह		**27,793,798**		**9,032,185**
निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
सावधि जमा पर ब्याज से आय	3,196,456		608,023	
सावधि जमा में निवेश	(30,888,800)		(10,974,200)	
स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद	(1,97,240)		(201,990)	
ख) निवेश संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह		**(27,889,584)**		**(10,568,167)**
वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापो से नकदी प्रवाह:				
इक्विटी शेयर जारी करना				
ग) वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह				
घ) नकदी और नकदी समतुल्य राशियों मे निवल परिवर्तन	(क़ख़ग)	**(95,786)**		**1,535,962)**
ङ) अवधि की शुरूआत मे नकदी और नकदी समतुल्य राशियां		111,673		1,647,655
च) अवधि की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	(घ.ङ)	**15,887**		**111,673**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सचिन अरोड़ा)
कंपनी सचिव

(नलिनी वंजानी)
सीईओ

(आर. नागराजन)
निदेशक

(एम के गोयल)
अध्यक्ष

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते ए. एन. के. एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
फर्म पंजीयन संख्या 003652एन

नीरज कुमार
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 082901

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 15 मई 2014

पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड

निदेशक रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निष्पादन पर छठवीं (6वीं) वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी के रूप में परिवर्तन

आपकी कंपनी की स्थापना 25 मार्च 2008 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में की गई जिसकी 30% शेयरधारिता पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास रखी गई और शेष 70% शेयरधारिता 5 व्यक्तियों के पास थी। पीएफसी के निदेशक मंडल ने कंपनी की 5 व्यक्तियों के पास रखी गई 70% शेयरधारिता के भी अधिग्रहण हेतु एक प्रस्ताव अनुमोदित किया था, जहां पीएफसी के पास 30% शेयरधारिता पहले से मौजूद है। बाद में अनुमोदन के अनुसार कंपनी के स्थानांतरण की औपचारिकताएं दिनांक 11.10.2011 को पूरी की गई और पीईसीएपी लिमिटेड दिनांक 11.10.2011 से पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी बन गई। आपकी कंपनी ने आज की तारीख तक कोई कारोबार नहीं किया है। इसके अलावा कंपनी इसे भंग करने और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

वित्तीय प्रचालन

31 मार्च 2014 को समाप्त वित वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को 810/– रूपए (कर पूर्व) का निवल लाभ अर्जित किया है, जो कि मूल रूप से ब्याज से प्राप्त होने वाली आय है।

लाभांश

आपके निदेशकों ने समीक्षाधीन अवधि के लिए कोई लाभांश की सिफारिश न करने का निश्चय किया है। इसके अलावा 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र में किसी भी आरक्षित निधि में स्थानांतरित की जाने वाली किसी राशि का प्रस्ताव नहीं किया है।

शेयर पूंजी

कंपनी की स्थापना 5,00,000 रूपए (पांच लाख रूपए मात्र) की प्रदत्त शेयर पूंजी के साथ की गई है, जिसमें प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं और इसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 10,00,000 (दस लाख रूपए) है जिसमें प्रत्येक 10 रूपए के 1,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। प्रारंभ में कंपनी की 30% शेयरधारिता पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास और शेष 70% शेयरधारिता 5 व्यक्तियों के पास थी। पीएफसी के निदेशक मंडल ने कंपनी की 5 व्यक्तियों के पास रखी गई 70% शेयरधारिता के भी अधिग्रहण हेतु एक प्रस्ताव अनुमोदित किया है, जहां पीएफसी के पास 30% शेयरधारिता पहले से मौजूद है। बाद में अनुमोदन के अनुसार कंपनी के स्थानांतरण की औपचारिकताएं दिनांक 11.010.2011 को पूरी की गई और पीईसीएपी दिनांक 11.10.2011 से पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी बन गई।

सार्वजनिक निक्षेप

कंपनियां (जमा राशियों की स्वीकृति) नियमावली 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क के प्रावधानों के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

कार्मिक

कंपनी पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है और कंपनी में कार्यरत सभी कार्मिक पीएफसी के कार्मिक हैं तथा कार्मिक विभाग से संबंधित मामलों में धारक कंपनी द्वारा ही कार्रवाई की जाती है।

लेखापरीक्षा

मैसर्स एस. सालवान एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी के लेखाओं पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणियां, अवलोकन अथवा आरक्षण नहीं पाए गए हैं। रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों के अवलोकन स्वतः स्पष्ट हैं और इसलिए निदेशकों के दृष्टिकोण में इन पर आगे और कोई टिप्पणियां प्राप्त करने की आवश्यक नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने 20 मई, 2014 के पत्र के माध्यम से 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निर्णय किया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इस संबंध में भारत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध क में संलग्न है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाला अर्जन और बहिर्गमन

चूंकि कंपनी को अपना वाणिज्यिक प्रचालन अभी प्रारंभ करना है, अतः कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी कोई महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपकी कंपनी ने कोई भी कार्यकलाप शुरू नहीं किए हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1)(ड.) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन से संबंधित विवरण अनुबंध– I में दिए गए हैं।

इसके अलावा समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने विदेशी विनिमय से न तो कोई आय अर्जित की है और न ही किसी विदेशी विनिमय का प्रयोग किया है।

कार्मिकों के विवरण

कंपनी के अपने रोल में कोई भी कार्मिक नहीं है। अतः कंपनी (कार्मिकों के विवरण) संशोधन नियमावली, 2011 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत यथानिर्धारित कार्मिकों के विवरण कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

निदेशक

वर्ष के प्रारंभ में आपकी कंपनी में निम्नलिखित 3 निदेशक थे :

1	श्री सी. गंगोपाध्याय	निदेशक (पीएफसी के नामिती)
2.	श्री डी. रवि	निदेशक (पीएफसी के नामिती)
3.	श्री ए. चक्रवर्ती	निदेशक (पीएफसी के नामिती)

वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

राजभाषा

कंपनी के कार्यकलापों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

सहायक कंपनियां

कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 का अनुपालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत यथावश्यक आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

I. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और वास्तविक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

II. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए कंपनी के कार्यकलापों की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

III. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया है।

IV. निदेशकों ने वार्षिक लेखे एक जारी (निरंतर कार्यरत) कंपनी के रूप में तैयार किए हैं।

स्वीकारोक्ति

निदेशक मंडल भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक उद्यम विभाग और केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर अन्य सरकारी एजेंसियों के प्रति कंपनी को उनके द्वारा दी गई सहायता, किए गए उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं तथा उनकी हार्दिक प्रशंसा करते हैं।

आपकी कंपनी के निदेशक धारक कंपनी अर्थात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ–साथ बैंकरों के प्रति भी उनके सक्रिय और निरंतर सहयोग के लिए कृतज्ञ है।

कंपनी विशेषरूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, और सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रति उनके सकारात्मक सुझाव और मार्गदर्शन के लिए भी धन्यवाद करता है।

कंपनी का निदेशक मंडल अपने कार्मिकों द्वारा किए गए अथक प्रयास और नई कंपनी लांच करने और स्थापित करने में उनके योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सी. गंगोपाध्याय)	**(डी. रवि)**
निदेशक	**निदेशक**
डीआईएनः 02271398	डीआईएनः 0038452

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 जुलाई, 2014

अनुबंध–।

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ङ) के अंतर्गत विवरणों का प्रकटन

क. ऊर्जा संरक्षण:

(क) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय	कंपनी ऊर्जा संरक्षण के लिए समय – समय पर यथावश्यक सभी उपाय करेगी।
(ख) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई हैं।	इस संबंध में कोई भी विशेष निवेश नहीं किया गया है।
(ग) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए उपर्युक्त (क) और (ख) में दिए गए उपायों का प्रभाव और माल के उत्पादन की लागत पर उनका परिणामी प्रभाव	लागू नहीं
(घ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों के संबंध में नियमों के अनुबंध के फार्म 'क' के अनुसार उत्पादन की प्रति यूनिट ऊर्जा खपत और ऊर्जा की कुल खपत	लागू नहीं

ख प्रौद्योगिकी आमेलन

ड. नियमों के अनुबंध के फार्म 'ख' के अनुसार प्रौद्योगिकी आमेलन के लिए किए गए प्रयास

फार्म 'ख' : आमेलन के संदर्भ में विवरणों के प्रकटन हेतु फार्म

अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)

1	ऐसे विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी के द्वारा अनुसंधान और विकास किया गया	वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई विशिष्ट अनुसंधान और विकास नहीं किया है।
2	उपर्युक्त अनुसंधान और विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त किए गए लाभ	लागू नहीं
3	भावी कार्य योजना	लागू नहीं
4	अनुसंधान और विकास पर व्यय (क) पूंजीगत (ख) आवर्ती (ग) योग (घ) कुल टर्न ओवर के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर किया गया कुल व्यय	 शून्य शून्य शून्य लागू नहीं

प्रौद्योगिकी आमेलन अनुकूलन और नवोद्भव

1	प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवोद्भव की दिशा में किए गए प्रयासों का सारांश	इस संबंध में कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं
2	उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त किए गए लाभ अर्थात उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पादन विकास, आयात के लिए विकल्प आदि	लागू नहीं
3	आयात की गई प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष की शुरूआत से पिछले पांच वर्ष के दौरान आयातित) के मामले में निम्नलिखित सूचना दी जाए: (क) आयात की गई प्रौद्योगिकी (ख) आयात करने का वर्ष (ग) क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से आमेलित किया गया है? (घ) यदि पूरी तरह आमेलित नहीं किया गया है तो ऐसे क्षेत्र जहां इसे लागू नहीं किया गया है, लागू न किए जाने के कारण और भावी कार्य योजना।	लागू नहीं

ग. **विदेशी विनिमय, अर्जन और बहिर्गमन** : वर्ष के दौरान कोई विदेशी विनिमय, अर्जन और बहिर्गमन नहीं हुआ है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी") के तुलन–पत्र और लाभ तथा हानि विवरण के साथ–साथ उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए संलग्न नगदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य स्पष्टीकरणों के साथ संबंधित सूचना की लेखापरीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उपधारा 3 (ग) में संदर्भित लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी, डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का कार्यान्वयन और संगत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है, जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के अंतर्गत यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक कंपनी की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है जिससे कि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सके जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा यथा आवश्यक सूचना विहित ढंग से प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं;

(क) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति

(ख) लाभ और हानि विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ / हानि और; और

(ग) नगदी प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह विवरण।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 ("आदेश") के अनुसार यथाआवश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विर्निदिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

(ख) हमारे दृष्टिकोण से जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई और रखी गई है;

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नगदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं अर्थात उनसे मेल खाते हैं;

(घ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नगदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा 3(ग) में संदर्भित लेखांकन मानकों के साथ सभी वास्तविक संदर्भों में उनके अनुरूप हैं;

(ङ) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित और निदेशक बोर्ड द्वारा अपने संज्ञान में लिए गए प्रतिवेदनों के आधार पर 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खंड (छ) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अनअर्हता नहीं है।

(च) चूंकि केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441क के अंतर्गत भुगतान किए जाने वाले उपकर का भुगतान किस दर से किया जाएगा और न ही उसने उपर्युक्त धारा के अंतर्गत ऐसे कोई नियम जारी किए हैं, जिनमें इस उपकर के भुगतान हेतु ढंग या तरीका विहित किया गया हो, अतः कंपनी की ओर से कोई उपकर का भुगतान देय नहीं है।

कृते सलवान एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीयन सं. 004287एन

अश्वनी सालवान

मालिक

सदस्यता संख्या 083424

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 30 अप्रैल, 2014

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ (1) में संदर्भित अनुबंध

1. कंपनी के पास कोई स्थाई परिसंपत्तियां नहीं हैं।
2. कंपनी के पास वर्ष के दौरान काई इनवेंटरी नहीं हैं, अतः यह खण्ड कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।
3. हमारे दृष्टिकोण से और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों से अथवा को ऋण के रूप में न तो कोई ऋण अथवा अग्रिम लिया है और न ही स्वीकृत किया है।
4. हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास स्थाई परिसंपत्तियां, इनवेंटरी नहीं है और न ही कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू नहीं किए हैं, अतः पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के लागू होने विषयक प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
5. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले लेनदेनों के संदर्भ में;
   - हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले कोई भी लेनदेन नहीं किए हैं।

- इस बात को ध्यान में रखते हुए और हमारे दृष्टिकोण से तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज संविदाओं और व्यवस्थाओं के अनुक्रम में कोई भी लेनदेन नहीं किए और वर्ष के दौरान किसी भी पक्षकार के संदर्भ में पांच लाख रूपए से अधिक के कोई लेनदेन नहीं किए गए हैं।

6. कंपनी ने जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं, जिनके लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क और 58कक के प्रावधान तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों अर्थात कंपनी (जमा राशियों की स्वीकृति) नियमावली, 1975 के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

7. कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है और कंपनी के पास संबंधित वित्तीय वर्ष की शुरूआत में 50 लाख रूपए से अधिक की प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियां नहीं हैं अथवा कंपनी के पास संबंधित वित्तीय वर्ष के बाद तत्काल उत्तरवर्ती लगातार 3 वित्तीय वर्षों की अवधि के दौरान 5 करोड़ रूपए से अधिक का औसत वार्षिक टर्न ओवर नहीं है, अतः आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

8. कंपनी ने अवधि के दौरान कोई व्यापारिक कार्यकलाप शुरू नहीं किए हैं, अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4(viii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

9. कंपनी की खाताबही और रिकॉर्डों की हमारे द्वारा की गई जांच और भारत में सामान्यतः स्वीकार लेखांकन परम्पराओं के अनुसार तथा प्रबंधन से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर आयकर, सेवा कर और इसके लिए यथालागू अन्य वास्तविक सांविधिक बकाया राशियों सहित अविवादित सांविधिक देयताओं, जहां कहीं भी लागू होती हैं, का नियमित रूप से भुगतान करती रही है।

10. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार बिक्री कर, आयकर, धन कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क के संदर्भ देय कोई अविवादित सांविधिक देयताओं की बकाया राशि उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए देय नहीं है।

11. कंपनी के पास वित्तीय वर्ष के अंत में कोई संचित हानियां नहीं हैं। तथापि, 31 मार्च 2014 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष और 31 मार्च 2013 को समाप्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा में शामिल अवधि में कंपनी को कोई नकद हानि नहीं हुई है।

12. हमारे दृष्टिकोण में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर धारक से कोई ऋण नहीं लिया है। कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

13. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम स्वीकृत नहीं किया है।

14. कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि / म्यूचुअल लाभ अर्जित करने वाली निधि, न्यास /सोसाइटी नहीं है, जिसके लिए चिट फण्ड से संबंधित विशेष सांविधिक प्रावधान लागू होते हैं।

15. कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेश में व्यवसाय अथवा कारोबार नहीं करती है।

16. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से अन्य लोगों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

17. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर धारक से कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।

18. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के तुलन–पत्र की पूर्ण जांच के आधार पर कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अल्पकालिक आधार पर कोई निधियां अर्जित नहीं की हैं।

19. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों और कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का कोई आबंटन नहीं किया है।

20. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं।

21. कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यू जारी कर कोई पूंजी अर्जित नहीं की है।

22. भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की खाताबही और रिकॉर्डें की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पायी गई और न ही प्रबंधन द्वारा इसकी कोई रिपोर्ट की गई है।

कृते सालवान एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं. 004287एन

अश्वनी सालवान
मालिक
सदस्यता संख्या 083424

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30 अप्रैल, 2014

पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 100% सहायक कंपनी)

(राशि रूपए में)

	को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
I.	प्रचालन से राजस्व		–	–
II.	अन्य आय	8	46,797.00	46,339.41
III.	**कुल राजस्व**		**46,797.00**	**46,339.41**
IV.	व्यय			
	अन्य व्यय	9	45,987.00	33,970.00
	कुल व्यय		**45,987.00**	**33,970.00**
V.	**कर पूर्व लाभ (III-IV)**		810.00	12,369.41
VI.	कर संबंधी व्यय			
	(1) चालू कर		250.00	3,823.00
	(2) आस्थगित कर		–	–
VII.	कर पश्चात लाभ (V-VI)		560.00	8,546.41
VIII.	प्रत्येक 10/– रु. के प्रति इक्विटी शेयर अर्जन	10	0.01	0.17
	आधारभूत और मिश्रित			
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां	**1 से 12**		

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते ए. सालवान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं. 004287एन

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

अश्वनी सालवान
मालिक
सदस्यता संख्या 083424

(सी. गंगोपाध्याय)
निदेशक
डीआईएन सं. 02271398

(डी. रवि)
निदेशक
डीआईएन सं. 00038452

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 अप्रैल, 2014

(राशि रूपए में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
i.	**इक्विटी और देयताएं**			
	(1) शेयरधारकों की निधियां			
	(क) शेयर पूंजी	2	500,000.00	500,000.00
	(ख) आरक्षित और अधिशेष निधियां	3	17,168.00	16,608.00
	(2) चालू देयताएं			
	(क) व्यापार संबंधी देयताएं	4	28,836.00	11,236.00
	(ख) अल्पकालिक प्रावधान	5	250.00	3,823.00
	कुल इक्विटी और देयताएं		546,254.00	531,667.00
II.	**परिसंपत्तियां**			
	(1) चालू परिसंपत्तियां			
	(क) नकदी और बैंकों में जमा नकदी	6	516,405.00	502,462.00
	(ख) अन्य चालू परिसंपत्तियां	7	29,849.00	29,205.00
	कुल परिसंपत्तियां		**546,254.00**	**531,667.00**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां	**1 से 12**		

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते ए. सालवान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं. 004287एन

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

अश्वनी सालवान
मालिक
सदस्यता संख्या 083424

(सी. गंगोपाध्याय)
निदेशक
डीआईएन सं. 02271398

(डी. रवि)
निदेशक
डीआईएन सं. 00038452

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 अप्रैल, 2014

पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 100% सहायक कंपनी)

(महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के भाग के रूप में लेखाओं पर टिप्पणियां)

1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरण लागू अपरिहार्य लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्राथमिक आवश्यकताओं के अनुसार एतिहासिक लागत परम्परा के अंतर्गत संचित आधार पर तैयार किए जाते हैं।
2. कंपनी सामान्यतः लेखांकन की मर्केंटाइल प्रणाली का अनुपालन करती है और आय तथा व्यय के महत्वपूर्ण आईटमों को संचित आधार पर स्वीकार/वसूल करती है। सभी आय और व्यय को लाभ और हानि लेखे से संचित आधार पर डेबिट किया जाता है।
3. एफडीआर पर ब्याज की गणना संचित आधार पर की जाती है।
4. आकस्मिक देयताएं, यदि कोई हैं, के लिए लेखाओं में प्रावधान नहीं किया गया है और उन्हें लेखाओं पर टिप्पणियों में अलग से दर्शाया गया है।
5. आस्थगित कर की वसूली इस शर्त के अध्यधीन की जाती है कि कर योग्य आय और ऐसी लेखांकन आय जो एक अवधि में होती है और उसका प्रत्यावर्तन एक अथवा आगामी अन्य अवधि में किया जा सकता है, के बीच समय अंतराल पर होने वाले लाभ और वास्तविकता को ध्यान में रखा जाए। आस्थगित कर / परिसंपत्तियों की वसूली अनामेलित मूल्यह्रास और आगे लाई गई हानियों के आधार पर तब तक नहीं की जाती है जब तक कि इस बात की निश्चितता न हो कि भविष्य में ऐसी पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरूद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जा सकती हो।
6. अन्यथा विशेषरूप से संदर्भित लेखांकन नीतियां सतत् आधार पर लागू की गई हैं और वे सामान्यताः स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं।

नोट सं. शेयर पूंजी

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत शेयर पूंजी प्रत्येक 10 रूपए के 1,00,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष : इतने ही)	1,000,000.00	1,000,000.00
जारी : प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष : इतने ही)	500,000.00	500,000.00
सब्सक्राइब किए गए और प्रदत्तः नकद रूप में पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष : बराबर)	500,000.00	500,000.00
योग	**500,000.00**	**500,000.00**

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य 10 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट देने के लिए पात्र है।

31 मार्च, 2014 और 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार बकाया शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी की राशि का पुनार्मिलान निम्नानुसार है :

इक्विटी शेयर

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि (रुपए में)	शेयरों की संख्या	राशि (रुपए में)
अवधि के शुरूआत में शेयरों की संख्या	50,000	500,000.00	50,000	500,000.00
अवधि के दौरान जारी किए गए शेयरों की संख्या	–	–	–	–
अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या	50,000	500,000.00	50,000	500,000.00

कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के विवरण

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारिता का %	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारिता का %
इक्विटी शेयर				
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपन	49,400	99	49,400	99

कंपनी के परिसमापन के मामले में इक्विटी शेयर धारक सभी प्राथमिक राशियों के विवरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह वितरण शेयर धारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

नोट सं. 3– आरक्षित और अधिशेष निधियां

(राशि रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
1.	**लाभ और हानि लेखा**		
	अथशेष बकाया	16,608.00	8,060.59
	जोड़ें : लाभ और हानि विवरण से कर स्थानांतरण के बाद निबल लाभ / (हानि)	560.00	8,546.41
	जोड़ें : पूर्वावधि समायोजन	–	1.00
	योग	**17,168.00**	**16,608.00**

नोट सं. 4– व्यापार संबंधी देयताएं

(राशि रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
1.	व्यापार संबंधी देयताएं	28,836.00	11,236.00
	योग	**28,836.00**	**11,236.00**

नोट सं. 5– अल्पकालिक प्रावधान

(राशि रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
	आय कर के लिए प्रावधान	250.00	3,823.00
	योग	**250.00**	**3,823.00**

6. नकदी और नकदी समतुल्य

(राशि रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
1.	हाथ में मौजूदा नकदी	–	–
2.	अनुसूचित बैंक के चालू खाते में जमा राशि	22,405.00	10,462.00
3.	सावधि जमा (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह तक है)	–	–
4.	सावधि जमा (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 12 माह तक है)	494,000.00	492,000.00
	योग	**516,405.00**	**502,462.00**

नोट सं. 7– अन्य चालू परिसंपत्तियां

(राशि रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
1.	स्रोत पर कर की कटौती	4,683.00	4,645.00
2.	बैंकों में जमा राशियों पर प्राप्त होने वाला ब्याज	24,344.00	24,560.00
3.	प्राप्त होने वाला आय कर रिफंड	822.00	–
	योग	**29,849.00**	**29,205.00**

नोट सं. – 8. अन्य आय

(राशि रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
1.	एफडीआर पर ब्याज	46,797.00	46,339.41
	योग	**46,797.00**	**46,339.41**

नोट सं. – 9. अन्य व्यय

(राशि रूपए में)

	विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
1.	बैंक प्रभार	297.00	134.00
2.	फाइलिंग शुल्क	600.00	600.00
3.	कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	17,000.00	17,000.00
4.	**लेखापरीक्षक का मेहनताना**		
	– लेखा फीस के रूप में	28,090.00	16,236.00
	योग	**45,987.00**	**33,970.00**

लेखा पर नोट्स

10. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

प्रति शेयर आधारभूत अर्जन की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों गणनीय अवधि के लिए लाभ और हानि को घटाकर की जाती है:

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
कर पश्चात निवल लाभ/(हानि)	560.00	8546.41
इक्विटी शेयरों की संख्या	50000	50000
प्रति शेयर आधारभूत अर्जन	0.01	0.17

11. संबंधित पक्षकार प्रकटन
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्र.सं.	व्यक्तियों का नाम	संबंध
1	सी. गंगोपाध्याय	निदेशक
2	डी. रवि	निदेशक
3	श्री अर्नव चक्रवर्ती	निदेशक

12 कंपनी ने आवश्यक होने पर चालू के वर्ष के वर्गीकरण के साथ पुष्टि के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत /री–ग्रुप किया है।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते
ए. सालवान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं. 004287एन

(अश्वनी सलवान)
मालिक
सदस्यता संख्या 083424

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 अप्रैल, 2014

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सी. गंगोपाध्याय) **(डी. रवि)**
निदेशक **निदेशक**

पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड
31 मार्च 2014 को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	810.00		12,369.41	
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
बट्टे खाते डाले गए आरंभिक व्यय	–		–	
कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पहले लाभ		810.00		12,369.41
कार्यकारी पूंजी में वृद्धि / कमी				
चालू देनदारियां	14,027.00		(1,442.00)	
चालू परिसंपत्तियां	(2,644.00)	11,383.00	(8,242.41)	(9,684.41)
असाधारण मदों से पूर्व नकदी प्रवाह		12,193.00		2,685.00
असाधारण मदें		–		1.00
कर पूर्व प्रचालन से नकदी अंतर्वाह / बहिर्गमन		12,193.00		2,686.00
भुगतान किया गया आय कर		250.00		3,823.00
क प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह		11,943.00		(1,137.00)
ख निवेश संबंधी कार्यकलापों निवल नकदी प्रवाह		–		–
ग वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह		–		–
घ नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में निवल परिवर्तन	(क+ख+ग)	11,943.00		(1,137.00)
ङ अवधि की शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां		10,642.00		11,599.00
च अवधि की समाप्ति पर नकदी और नकदी समतुल्य राशि	(ड.+च)	22,405.00		10,462.00

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुरूप
कृते
ए. सालवान एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं. 004287एन

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(अश्वनी सलवान)	(सी. गंगोपाध्याय)	(डी. रवि)
मालिक	निदेशक	नदेशक
सदस्यता संख्या 083424	डीआईएन सं. 02271398	डीआईएन सं. 00038452

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 अप्रैल, 2014

Notes

Notes

Notes

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : 'ऊर्जानिधि', 1 बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001

फोन : 011–23456000, फैक्स : 011–23412545

वेबसाइट : http://www.pfcindia.com

Designed by CENTUM